ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

कालूराम गुजर

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 1043 of 2004. Decided on 10th February, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 115 वर्ष 1994 में सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 21.5.2004 एवं दिनांक 24.5.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–दो व्यक्तियों जो एक ही घर के विभिन्न तलों पर अवस्थित दो भिन्न कमरों में सो रहे थे की हत्या करना एक अभियुक्त के लिए संभव नहीं है–अभिग्रहण गवाहों ने वस्तुओं की बरामदगी का समर्थन नहीं किया–केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर अपराध में फँसानेवाली कतिपय वस्तुओं को बरामद किया गया है, यह हत्या के अपराध के लिए उसको दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा–परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसी गलती के बिना अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित नहीं करते हैं–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. D.K. Karmakar, For the Appellant; APP, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ सं॰ 115 वर्ष 1994, परसुडीह (सुन्दर नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 71/1992 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 1292/1992 के तत्सम, के संबंध में सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 21.5.2004 एवं दिनांक 24.5.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. दिनांक 12.5.1992 को पूर्वाह्न 5 बजे सुन्दरनगर पी॰ एस॰ जमशेदपुर के अंतर्गत अवस्थित फूलचंद शर्मा के निवास स्थान पर दर्ज रामचंद्र चौधरी के फर्दबयान से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि दिनांक 12.5.1992 को प्रातः 4 बजे अपीलार्थी कालूराम गुजर ने सूचित किया कि अज्ञात दुष्टों द्वारा राम नारायण शर्मा एवं महावीर शर्मा की हत्या कर दी गयी है। यह प्रकट किया गया है कि घटना सुन्दर नगर पुलिस थाना के अंतर्गत अवस्थित फूलचंद शर्मा के घर में हुई। घटना की तिथि पर फूलचंद शर्मा (गृह स्वामी) राजस्थान राज्य के अंतर्गत अवस्थित अपने गाँव गया था और उसने मृतकों महावीर शर्मा एवं राम नारायण शर्मा को अपने घर की देखभाल करने के लिए छोड़ा था। अपीलार्थी फूलचंद शर्मा के अधीन कार्यरत था और वह भी उसी घर में रह रहा था। राम नारायण शर्मा एवं महावीर शर्मा की हत्या के संबंध में सूचना पाने के बाद सूचक घटनास्थल पर गया और महावीर शर्मा का मृत शरीर भूतल पर कमरा में पड़ा पाया जबकि राम नारायण शर्मा का मृत शरीर प्रथम तल पर कमरा में पड़ा था। सूचक ने फूलचंद शर्मा के पूरे घर का निरीक्षण किया किंतु वह घर में किसी बाहरी आदमी की पहुँच नहीं पा सका था। सूचक के अनुसार, केवल तीन व्यक्ति उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को उस घर में उपस्थित थे और वे तीन व्यक्ति

अपीलार्थी कालू राम गुजर, मृतक राम नारायण शर्मा एवं महावीर शर्मा थे। सूचक ने बार-बार अपीलार्थी से पूछा कि घर में क्या हुआ था अथवा किस प्रकार घटना हुई थी, किंतु उसके द्वारा तर्कपूर्ण सूचना नहीं दी गयी थी। मामला पुलिस को रिपोर्ट किया गया था और सूचक रामचंद्र चौधरी का फर्दबयान दर्ज किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अज्ञातों के विरुद्ध परसुडीह (सुन्दर नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 71/1992 दर्ज किया गया था।

चूँकि सूचक ने अपीलार्थी की गतिविधि के विरुद्ध संदेह किया है, पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न किया गया था जिसके बाद उसने अपना दोष संस्वीकार किया। अपीलार्थी द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर 'डाब' (तेज धारवाला हथियार) के तीन टुकड़ों एवं अपीलार्थी का रक्तरंजित वस्त्र बरामद किया गया था। अपीलार्थी ने आलमारी, जिसकी चाबी पर वह काबिज था, का ताला तोड़ने के बाद 1,30,173/- रुपयों की राशि आगे प्रस्तुत किया।

पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 115/1994 के रूप में दर्ज किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति अपीलार्थी ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया और अभिग्रहण सूची, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट, आदि जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और उसको उक्त उपदर्शित दंडादेश दिया।

3. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का विरोध इस आधार पर किया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है किंतु विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए उसको दोषी अभिनिर्धारित किया है। अभियोजन द्वारा दिया गया परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 के बयानों पर विचार किया है और अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी मृतकों के साथ उसी घर में निवास कर रहा था और वह उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में उपस्थित था। अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि प्रश्नगत घर जहाँ दो व्यक्तियों की अभिकथित हत्या की गयी है किसी फूलचंद शर्मा का है जो अपने पुत्र के विवाह की व्यवस्था करने राजस्थान राज्य के अंतर्गत अवस्थित अपने गाँव गया था। फूलचंद शर्मा ने मृतकों एवं अपीलार्थी को घर की देखभाल न्यस्त किया था, अत: वे उसी घर में रह रहे थे। अ॰ सा॰ 2 फूलचंद शर्मा का दूर का संबंधी है जबकि अ॰ सा॰ 5 निकट मित्र है। सूचक द्वारा यह भी प्रकट किया गया है कि फूलचंद शर्मा का गाँव सूचक के गाँव के निकट अवस्थित है और वे एक दूसरे से पहले से ही पूर्व परिचित हैं। यह प्रतिवाद किया गया है कि अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 के पास यह कहने का अवसर नहीं था कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को फूलचंद शर्मा का घर दोनों मृतकों एवं अपीलार्थी के अधिभोग में थी। फर्दबयान में और न्यायालय में भी अ॰ सा॰ 5 द्वारा दी गयी सूचना उसको अपीलार्थी से मिली थी किंतु अपीलार्थी ने पूर्वोक्त तथ्य स्वीकार नहीं किया था। पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति विधि की दृष्टि में स्वीकार एवं विश्वास नहीं की जा सकती है।

आश्चर्यजनक रूप से, मृतकों में से एक रामनारायण शर्मा फूल चंद शर्मा जो गृहस्वामी है का निकट संबंधी था जिसने अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 के विवरण का समर्थन नहीं किया है क्योंकि अपीलार्थी श्री कालू राम गुजर को केयर टेकर के रूप में नियुक्त किया गया था और वह उसी घर में रह रहा था। फूलचंद शर्मा का गैर परीक्षण अभियोजन मामले के प्रति घातक बन गया है।

अ॰ सा॰ 3 (राम बहादुर सिंह), अ॰ सा॰ 4 (रिधिकरन मलयानी), अ॰ सा॰ 6 (एस॰ पी॰ चक्रवर्ती), अ॰ सा॰ 7 (अजित कुमार चक्रवर्ती) और अ॰ सा॰ 8 (विजय कुमार पांडे) पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। फूलचंद शर्मा का कोई भी पड़ोसी सूचक के प्रतिवाद का समर्थन करने आगे नहीं आया है। अ॰ सा॰ 9 (गौरी शंकर घोष) एवं अ॰ सा॰ 10 (वैद्यनाथ अवस्थी) ने कथन नहीं किया है कि उन्होंने रात्रि के दौरान फूलचंद शर्मा के घर से कोई हल्ला सुना था बल्कि वे केवल सुबह में घटना के बारे में जान सके थे। उन्होनें दुष्टों की पहचान प्रकट करने की अपनी अक्षमता अभिव्यक्त किया है। यह निवेदन किया गया है कि घर में दो व्यक्तियों की हत्या की गयी थी और घटनास्थल अनेक घरों से घिरा है किंतु अगल-बगल के घरों से कोई भी अभियोजन मामले का समर्थन करने आगे नहीं आया है। कोई गवाह यह कहने आगे नहीं आया है कि उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को फूलचंद शर्मा के घर से 'हल्ला' सुना था।

अशोक तिवारी अन्वेषण अधिकारी है और अ॰ सा॰ 12 के रूप में उसका परीक्षण किया गया है। दोहरी हत्या के मामले में लापरवाह अन्वेषण किया गया है। स्वीकृत रूप से, अभियोजन मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और केवल इस परिस्थिति कि वह घटना की तिथि पर उसी घर में मृतकों के साथ उपस्थित था पर विचार करते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है किंतु आई॰ ओ॰ ने घटनास्थल का स्केच मैप तैयार करने का परवाह नहीं किया था। रक्तरंजित वस्त्र, रक्तरंजित 'डाब' (तेज धारवाला हथियार) जब्त किया गया था किंतु इसके रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था। उंगली की छाप नहीं ली गयी थी। अन्वेषण अधिकारी ने श्वानदस्ते का मदद लिया था किंतु परिणाम अज्ञात है। उसने फूलचंद शर्मा जो उसी घर का स्वामी है का बयान दर्ज करने का परवाह नहीं किया था।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 के बयानों पर विश्वास किया है और दर्ज किया है कि अपीलार्थी उन दोनों मृतकों के साथ उसी घर में रह रहा था किंतु अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 के बयान अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विरोधाभासी है और इस बिंदु पर कि अपीलार्थी घटना की तिथि पर उसी घर में मृतकों के साथ उपस्थित था, उन दो गवाहों का साक्ष्य निर्णायक नहीं है। अ॰ सा॰ 2 टेलको का निवासी है जो घटनास्थल से 18-20 कि॰ मी॰ की दूरी पर अवस्थित है जबकि अ॰ सा॰ 5 गोलमुरी का निवासी है जो घटना स्थल से काफी दूर है। अ॰ सा॰ 2 ने पैरा 9 में कथन किया है कि ''सुन्दर नगर टेलको लालबाग से 18-20 कि॰ मी॰ दूर है।'' पैरा 10 में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 12.5.1992 को प्रात: 6.30 बजे उसे रामचंद्र चौधरी (सूचक) द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान फर्दबयान की ओर आकृष्ट किया है जिसे घटनास्थल पर प्रात: 5 बजे दर्ज किया गया था। आगे यह इंगित किया गया है कि फर्दबयान दर्ज करने के बाद अन्वेषण किया गया था, अभिग्रहण सूची एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी, अपीलार्थी की अभिकथित संस्वीकृति दर्ज की गयी थी तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर सूचक का हस्ताक्षर है। यदि ऐसा था, सूचक के पास घटना स्थल छोड़ने और अ॰ सा॰ 2 को सूचित करने के लिए टेलको कॉलोनी जाने का अवसर नहीं था। यह भी दर्शाता है

कि अभिग्रहण सूची इस पर उल्लिखित समय पर तैयार नहीं की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि यदि सूचक को संदेह था, उसे प्राथमिकी में अपीलार्थी को नामित करना चाहिए था।

अभियोजन ने अभिलेख पर हेतु लाया है कि घटना अपीलार्थी की प्रेरणा पर अभिकथित रूप से बरामद की गयी 1,30,173/- रुपयों की उक्त राशि की चोरी के लिए हुई थी। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य दर्शाते हैं कि अपीलार्थी को फूलचंद शर्मा की ओर से धन संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और वह अभिरक्षक था। यदि उसका चोरी करने का आशय होता, वह धन जो पहले से ही उसके पास था के साथ उपयुक्त गंतव्य पर भाग गया होता। उसको दो व्यक्तियों की हत्या करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अभियोजन मामला ने प्रकट नहीं किया था कि मृतक उस धन का अभिरक्षक था। इसके अतिरिक्त, मृतकों में से एक भूतल के कमरे में सो रहा था जबकि दूसरा मृतक प्रथम तल के कमरे में सो रहा था। दो व्यक्तियों जो समय के उस बिंदु पर दो भिन्न स्थानों पर सो रहे थे की हत्या अकेले करना अपीलार्थी के लिए संभव नहीं था। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं परिस्थितियाँ दोनों सुझाते हैं कि अधिक व्यक्ति थे जिन्होंने उन दो व्यक्तियों की हत्या की थी जो फूलचंद शर्मा के घर में दो भिन्न कमरों में सो रहे थे। यह निवेदन किया गया है कि प्रदर्श A एवं प्रदर्श B वे दस्तावेज हैं जो दर्शाते हैं कि किसी बद्री नारायण शर्मा को भी अभिकथित हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120B के अधीन आरोप-पत्रित किया गया था। यदि एक से अधिक व्यक्ति की अंतर्ग्रस्तता उपलब्ध थी, अपीलार्थी को केवल इस साक्ष्य पर कि केवल वह उसी घर में दो मृतकों के साथ निवास कर रहा था दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था, अत: विचारण न्यायालय का निष्कर्ष गलत है।

इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित निर्णय अत्यन्त गलत है और विद्वान न्यायाधीश ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास करके घोर गलती किया है क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला की अनेक कड़ियाँ गायब हैं और यह अपीलार्थी के दोष की ओर नहीं ले जा रहा है।

4. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि घटना के दिन पर प्रश्नगत घर केवल तीन व्यक्तियों के अधिभोग में था और वे महावीर शर्मा (मृतक), राम नारायण शर्मा (मृतक) एवं अपीलार्थी कालू राम गुजर थे। अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य संगत हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति की पहुँच को उनके द्वारा अथवा आई॰ ओ॰ द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया था। प्रश्नगत घर के समस्त प्रवेश द्वार सुरक्षित रूप से बंद थे और दरवाजा या ग्रिल तोड़ने का कोई संकेत नहीं था। अपीलार्थी के विरुद्ध मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध थे। अपराध की कारिता में प्रयुक्त हथियार की खोज की ओर ले जाने वाली अपीलार्थी द्वारा की गयी संस्वीकृति, रक्तरंजित वस्त्रों एवं 1,30,173/- रुपयों की राशि जिसे अपीलार्थी द्वारा चुराया गया था, अपराध में फँसाने वाली संपुष्टिकारी परिस्थितियाँ हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार किया है जो किसी गलती के बिना अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित कर रहे थे। अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 फूलचंद शर्मा के निकट मित्र थे और वे इस तथ्य को जानते थे कि फूलचंद शर्मा अपने पुत्र का विवाह ठीक करने अपने गाँव गया था और उसका घर मृतकों एवं अपीलार्थी की देखभाल एवं नियंत्रण के अधीन रखा गया था।

5. हमने मामले के अभिलेख का परीक्षण किया है, उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज का परिशीलन किया है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का भी परिशीलन किया है। हम इस बिंदु पर निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं पाते हैं कि प्रश्नगत घर मृतकों एवं अपीलार्थी के अधिभोग में था। अ॰ सा॰ 2

टेलको कॉलोनी का निवासी है जबकि सूचक गोलमुरी का निवासी है और उनके घर घटनास्थल से 15 कि॰ मी॰ से अधिक दूरी पर अवस्थित है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि वे फूलचंद शर्मा के अपने गाँव जाने के बाद उसके घर गए थे। उन्होंने अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उन्होंने मृतकों एवं अपीलार्थी को समय के किसी बिंदु पर उस घर में निवास करते देखा था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य उपदर्शित करते हैं कि सूचक को अहली सुबह 4 बजे अपीलार्थी द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था। अपीलार्थी ने उक्त तथ्य स्वीकार नहीं किया था। पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति पर केवल वस्तुओं की खोज की सीमा तक विचार किया जा सकता था। यह सही स्वीकार करते हुए कि रक्तरंजित वस्त्रों एवं एक हथियार को जब्त किया गया है, यह इस तथ्य के निश्चयात्मक प्रमाण की ओर नहीं ले जाएगा कि वस्त्र एवं हथियार पर लगा रक्त सी रोलॉजिस्ट के किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मृतक के रक्त के साथ मेल खा रहे थे। अन्वेषण अधिकारी ने इन वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजने का कष्ट नहीं किया था। उन वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया था अ॰ सा॰ 2 के सिवाए अभिग्रहण गवाहों ने उन वस्तुओं की बरामदगी का समर्थन नहीं किया है; अत:, केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर अपराध में फँसाने वाले कतिपय वस्तुओं को बरामद किया गया है, यह उसको हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए निश्चयात्मक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा।

फूलचंद शर्मा उस घर का स्वामी था और साक्ष्य के मुताबिक अपीलार्थी उसके अधीन कार्यरत था। उसने नहीं कहा था कि उसने घर को मृतकों एवं अपीलार्थी की देखभाल एवं नियंत्रण के अधीन छोड़ कर गाँव गया था। अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 5 ने नहीं कहा था कि किस तिथि पर फूलचंद शर्मा ने मृतकों एवं अपीलार्थी की देखभाल एवं नियंत्रण के अधीन अपना घर छोड़ा था। उन्होंने यह नहीं कहा था कि फूलचंद शर्मा के अपने गाँव जाने के बाद, वे किसी प्रयोजन से किसी अवसर पर उसके घर कभी गए थे। यह अत्यन्त संदेहपूर्ण है कि अपीलार्थी किस प्रकार पड़ोसियों को सूचना देने के बजाए घटना के बारे में उसको सूचित करने सूचक के घर गया था।

6. हम आगे इस तर्क में बल पाते हैं कि दो व्यक्तियों जो उसी घर के विभिन्न तल पर अवस्थित दो भिन्न कमरों में सो रहे थे की हत्या करना एक अभियुक्त के लिए संभव नहीं है। स्वीकृत रूप से, मृतक दो भिन्न कमरों में सो रहे थे। यदि एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया होता, दूसरा अवश्य जाग जाता। परिस्थिति जिसमें दो मृतकों का मृत शरीर फूलचंद शर्मा के घर में पाया गया था नहीं सुझाती थी कि एक व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर गयी थी। यह निष्कर्ष प्रदर्श A एवं प्रदर्श B तथा अ॰ सा॰ 1 (अन्वेषण अधिकारी) के साक्ष्य से समर्थन पाता है। उसने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मामले का आगे अन्वेषण किया गया था। प्रदर्श A वह आदेश पत्र है जिसके द्वारा उसी मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120B के अधीन बदरी नारायण शर्मा के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था। प्रदर्श B बदरी नारायण शर्मा के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र है। अत: यह तथ्य प्रदर्श A एवं प्रदर्श B से समर्थन पाता है कि अधिक व्यक्ति थे जिन्होंने राम नारायण शर्मा एवं महावीर की हत्या की। किया गया अन्वेषण बिल्कुल मौन है कि अपीलार्थी ने किसी अन्य अभियुक्त को अपनी सहायता के लिए बुलाया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने केवल इस परिस्थिति पर विचार करते हुए अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी उस रात को दो मृतकों के साथ उसी घर में निवास कर रहा था और अन्वेषण के दौरान किसी घुसपैठिए का संकेत नहीं था।

7. इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए हम नहीं पाते हैं कि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाए गए परिस्थिति जन्य साक्ष्य किसी गलती के बिना उसकी निर्दोषिता की समस्त प्राक्कल्पना अपवर्जित करते हुए अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करते हैं। दस्तावेजों A एवं B को सिद्ध करके कम से कम एक से अधिक व्यक्ति की अंतर्ग्रस्तता अभिलेख पर लायी गयी है।

8. परिणामस्वरुप, हम एस॰ टी॰ सं॰ 115 वर्ष 1994 के संबंध में सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 21.5.2004 एवं दिनांक 24.5.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को मान्य ठहराने के इच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है।

9. अपीलार्थी जो अभिरक्षा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाला/उत्तरवर्ती न्यायालय यदि आवश्यक हो समुचित निर्देश जारी करेगा।

10. अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

गणेश प्रसाद सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W. P. (C) No. 606 of 2014. Decided on 21st January, 2016.

जन वितरण प्रणाली–पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंस का रद्दकरण–लाभार्थियों को कम किरासन तेल का वितरण–याची द्वारा लिए गए बचाव की सत्य को अभिनिश्चित करने के लिए स्टॉक का सत्यापन नहीं किया गया था–राज्य द्वारा किया गया वैकल्पिक उपचार का अभिवचन अस्वीकार किए जाने का दायी है–आक्षेपित आदेश में प्रकट किए गए कारणों की अनुपस्थिति में अपीलीय प्राधिकारी गुणागुण पर अपील न्याय निर्णीत नहीं कर सकता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया और मामले में नया निर्णय लेने के लिए मामला एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2010) 13 SCC 336—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Shrey Mishra, Mahesh Kumar, Shresth Gautam, For the Petitioner; Ms. Ananya, For the Respondents.

श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–दिनांक 16.1.2014 के आदेश के तहत पी॰ डी॰ एस॰ दुकान के लाइसेंस के रद्दकरण से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. संक्षिप्त रूप से कहते हुए, याची को पी॰ डी॰ एस॰ दुकान के लिए पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंस सं॰ 4 वर्ष 1995 प्रदान किया गया था। पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंस के रद्दकरण के लिए दिनांक 7.9.2013 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याची का स्पष्टीकरण झूठा माना गया था और प्रखंड विकास पदाधिकारी, दालभूमगढ़ की अनुशंसा पर सब-डिविजनल अधिकारी, घाटशिला ने लाइसेंस रद्द कर दिया।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेय मिश्रा निवेदन करते हैं कि दिनांक 16.1.2014 का आदेश गूढ़ आदेश है। यह प्रतिवाद किया गया है कि याची द्वारा किए गए अभिवचन पर विचार नहीं किया जाना दिनांक 16.1.2014 के आक्षेपित आदेश को असंपोषणीय बना देता है।

5. बिहार व्यापारिक वस्तु (लाइसेंस एकीकरण) आदेश, 1984 के अधीन वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता का प्रश्न उठाते हुए प्रत्यर्थी झारखंड राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनन्या निवेदन करती हैं कि याची को पहले उसको उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का लाभ लेना होगा।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधनीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. याची को दिनांक 7.9.2013 का कारण बताओ नोटिस इस अभिकथन पर जारी किया गया था कि याची ने लाभार्थियों को 3 लीटर किरासन वितरित किया था यद्यपि उसने जून एवं जुलाई माह के लिए 1536 लीटर किरासन तेल उठाया था। याची ने दिनांक 14.9.2013 के अपने उत्तर में स्वीकार किया कि उसने कार्डधारकों को केवल तीन लीटर किरासन तेल वितरित किया था और प्राख्यान किया कि शेष किरासन तेल उसकी दुकान में भंडारित है। याची ने आगे प्राख्यान किया कि कार्ड धारकों को तीन लीटर किरासन तेल का वितरण विक्रय रजिस्टर में और पी॰ डी॰ एस॰ कार्ड में दर्ज किया गया है। याची ने इनकार किया कि 3½ लीटर किरासन तेल वितरित करने के लिए लिखित या मौखिक आदेश उसको जारी किया गया था। दिनांक 16.1.2014 का आक्षेपित आदेश प्रकट करता है कि प्रखंड विकास अधिकारी, दालभूम ने याची का स्पष्टीकरण झूठा पाया। प्रतिशपथ पत्र में, प्रत्यर्थियों ने प्रकट नहीं किया है कि याची को 3½ लिटर किरासन वितरित करने का आदेश जारी किया गया था। याची द्वारा लिए गए बचाव की सत्यता को अभिनिश्चित करने के लिए स्टॉक का सत्यापन नहीं किया गया था। दिनांक 16.1.2014 का आदेश प्रकट करता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, दालभूमगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया किंतु उक्त रिपोर्ट की प्रति याची को नहीं दी गयी थी। प्रत्यर्थी–राज्य द्वारा लिया गया वैकल्पिक अनुतोष का अभिवाक अस्वीकार किये जाने का दायी है। दिनांक 16.1.2014 के आक्षेपित आदेश में प्रकट किए गए कारणों की अनुपस्थिति में अपीलीय प्राधिकारी याची द्वारा अपील, यदि हो, किए जाने पर गुणागुण पर अपील न्यायनिर्णीत नहीं कर सकता है। ''**संतलाल गुप्ता एवं अन्य बनाम मॉडर्न सहकारी समूह हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड एवं अन्य, (2010)13 SCC 336** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"27. -----dkj.k çR;d fu"d"k dh èkMdu gA ;g vkn'k e Li"Vrk ykrk g vkj bld fcuk vkn'k çk.kghu cu tkrk gA dkj.k 0;fDrfu"Brk dk oLrfu"Brk l çfrLFkkfir djrk gA dkj.k dh vuifLFkfr vkn'k dk vleFkuh;@vlik"k.kh; cuk nrk g fo'k"kr% tc vkn'k mPprj Qkje d le{k pukrh d vè;èkhu gA dkj.k nt fd;k tkuk ulfxd U;k; dk fl)kr g vkj çR;d U;kf;d vkn'k dk fyf[kr e nt fd, x, dkj.kk l lefFkr djuk gkxkA ;g fu.k; yu e ikjnf'krk ,o fu"i{krk lfuf'pr djrk gA 0;fDr tk çfrdy :i l çHkkfor gkrk g dk tkuuk gkxk fd mldk vkonu D;k vLohdkj fd;k x;k gA***

8. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।'' दिनांक 16.1.2014 का आदेश अभिखंडित किया जाता है और याची को प्रखंड विकास अधिकारी, दालभूमगढ़ के रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने के बाद मामले में नया निर्णय लेने के लिए मामला सब–डिविजनल अधिकारी, घाटशिला के पास वापस भेजा जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

शिबु मुंडा

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Jail Appeal (DB) No. 568 of 2008. Decided on 4th February, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 305 वर्ष 1993, कटकमसंडी पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 1985 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 1207 वर्ष 1985 के तत्सम, में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ IV, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 19.8.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–दोषसिद्धि-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला की अनेक महत्वपूर्ण कड़ियाँ गायब हैं–चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन साक्ष्य के साथ संगत नहीं है–जब्त वस्तुएँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी हैं और न ही इन्हें सीरोलॉजिकल परीक्षा के लिए एफ॰ एस॰ एल॰ भेजा गया था–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया–अपील अनुज्ञात किया गया। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Hasnain Waris, For the Appellant; Mr. Mukesh Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–कारा से यह दांडिक अपील सत्र विचारण सं॰ 305 वर्ष 1993, कटकमसंडी पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 1985 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 1207 वर्ष 1985 के तत्सम, के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट IV, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 19.8.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. अभियोजन मामला, जैसा यह दिनांक 27.6.1985 को अपराह्न लगभग 4.45 बजे कटकमसंडी पी॰ एस॰, जिला हजारीबाग के अंतर्गत दरदहिया में दर्ज केदार राना के फर्दबयान से प्रतीत होता है, यह है कि सूचक का पिता दिनांक 25.6.1985 को कुल्हाड़ी जिसे तेज करने के लिए दिया गया था को सौंपने के लिए अपीलार्थी के घर गया था किंतु जीवित नहीं लौटा था। दिनांक 27.6.1985 को दातो की झाड़ियों में छुपाया गया विशुन राना का मृत शरीर बरामद किया गया था। तत्पश्चात् सूचक ने अन्य गवाहों की मदद से अपीलार्थी को पकड़ा। अपीलार्थी ने पुलिस एवं गाँववालों के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया। अपीलार्थी द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर मृतक की रक्तरंजित बनियान एवं चप्पल बरामद किए गए थे जबकि रक्त रंजित कुल्हाड़ी जिसका उपयोग अभिकथित रूप से हत्या की कारिता में किया गया था, अपीलार्थी के कब्जा से बरामद किया गया था।

केदार राना के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/201 के अधीन कटकमसंडी पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 1985 दर्ज किया गया था। चूँकि अपीलार्थी को पकड़ा गया था और उसने अपना दोष संस्वीकार किया था, तर्कपूर्ण साक्ष्य संग्रहित करने के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तद्नुसार, अपराध का संज्ञान लिया गया था। चूँकि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अपीलार्थी का मामला सुपुर्द किया गया था और इसे एस॰ टी॰ सं॰ 305 वर्ष 1993 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी शिबु मुंडा के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

3. अभियोजन ने आरोप–सिद्ध करने के लिए कुल 9 गवाहों का परीक्षण किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया और उसको उक्त उपदर्शित दंडादेश दिया।

4. विद्वान अधिवक्ता डा॰ हसनेन वारिस को न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है। अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने केवल कतिपय अपराध में फँसानेवाली वस्तुओं की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने में गलती किया और अभिनिर्धारित किया कि अपराध में फँसाने वाली वस्तुओं तथा अपराध के हथियार की खोज की ओर ले जाने वाली संस्वीकृति अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। विद्वान विचारण न्यायाधीश भूल गए हैं कि अपीलार्थी द्वारा पुलिस के समक्ष अथवा गाँववालों के समक्ष की गयी संस्वीकृति, यदि हो, को बिल्कुल सिद्ध अथवा प्रदर्श चिन्हित नहीं किया गया है। अन्वेषण अधिकारी अपने द्वारा किए गए अन्वेषण का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया है। अभिग्रहण सूची जिसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दोषसिद्धि दर्ज किया है को सिद्ध नहीं किया गया है। गवाहों में से एक अहमद अंसारी अ॰ सा॰ 8 ने केवल अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है किंतु उसने समर्थन नहीं किया था कि उसकी उपस्थिति में अथवा अपीलार्थी की प्रेरणा पर अपराध में फँसानेवाली कोई सामग्री बरामद की गयी थी। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने आगे यह अभिनिर्धारित करके घोर गलती किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी है और किसी गलती के बिना अभियुक्त के दोष की ओर इंगित करती है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य नहीं कहता था कि मृतक को घर छोड़ने के बाद समय के किसी बिंदु पर अपीलार्थी के साथ देखा गया था। अंतिम बार साथ देखे जाने की कहानी भी वर्तमान मामले में उपलब्ध नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि परिस्थितियाँ जिनमें मृत शरीर बरामद किया गया था भी संदेह मुक्त नहीं हैं। अ॰ सा॰ 2 से 7 के अनुसार, मस्तक का भाग अपीलार्थी द्वारा तालाब से निकाला गया था, यदि ऐसा था तो सरकटा मृत शरीर झाड़ी से बरामद किया गया होता। डॉक्टर अ॰ सा॰ 9 जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण किया के साक्ष्य ने प्रकट नहीं किया था कि बिशुन राना का सरकटा मृत शरीर शव परीक्षण के लिए लाया गया था। डॉक्टर के साक्ष्य के अनुसार, गर्दन का बड़ा भाग कटा हुआ था और मस्तक शरीर से जुड़ा हुआ था। इन समस्त विरोधाभासों, अभियोजन की ओर से ढिलाई एवं तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय साक्ष्य की कमी पर विचार करते हुए दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश मान्य नहीं ठहराया जा सकता था।

6. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्कों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि खोज की ओर ले जाने वाली संस्वीकृति सदैव विधि में ग्राह्य है और विचारण न्यायाधीश ने सही प्रकार से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान पर चर्चा किया है। अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपदर्शित करते हैं कि मृतक अपीलार्थी के घर जाने के लिए अपने घर से निकला था किंतु वापस नहीं आया था। यह तथ्य सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा समर्थित किया गया था। संस्वीकृति के आधार पर, अपराध की कारिता के लिए प्रयुक्त हथियार अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया है जबकि मृतक का रक्त रंजित बनियान एवं चप्पल अपीलार्थी द्वारा इंगित किए जाने पर बरामद की गयी थी। अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का समेकित प्रभाव खुलकर सुझाता है कि अपीलार्थी ने अपराध किया है और उसे सही प्रकार से दोषी अभिनिर्धारित किया गया है।

7. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया है और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है। आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने

अ॰ सा॰ 1 एवं 7 के मौखिक परिसाक्ष्य पर काफी विश्वास किया है, किंतु यह विचार करना भूल गए कि अभियोजन द्वारा संबंधित दस्तावेजों को सिद्ध नहीं किया गया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने सिद्धांतों को वर्णित किया है जिन पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला विनिश्चित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता था, किंतु अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर निष्पक्षत: चर्चा नहीं की गयी है।

8. अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मृतक को अपना घर छोड़ने के बाद अपीलार्थी के साथ कभी देखा गया था और इसलिए अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत जो सामान्यत: परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में सामान्यत: उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपराध में फँसाने वाली वस्तुओं की बरामदगी पर विश्वास किया है किंतु भूल गए कि न तो इकबालिया बयान और न ही अभिग्रहण सूची सिद्ध की गयी है। साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर बरामदगी की गयी थी। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार जब्त किए गए वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इसके सेरोलॉजिकल परीक्षा के लिए एफ॰ एस॰ एल॰ भेजा गया था।

9. इस निवेदन में सार प्रतीत होता है कि परिस्थिति जिसमें विष्णु राना का मृत शरीर बरामद किया गया था, अत्यन्त स्पष्ट नहीं थी। तात्विक गवाहों ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने तालाब से मृतक का मस्तक निकाला और इसे उनके समक्ष प्रस्तुत किया था जबकि विष्णु राना के शरीर का भाग झाड़ी से बरामद किया गया था। डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया ने नहीं कहा था कि विष्णु राना का सरकटा शरीर शव परीक्षण के लिए लाया गया था बल्कि वह कहते हैं कि मस्तक शरीर से जुड़ा था किंतु गर्दन का बड़ा भाग फटा हुआ था। हम नहीं पाते हैं कि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाया गया परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसकी निर्दोषिता के समस्त प्राक्कल्पना को अपवर्जित करते हुए किसी गलती के बिना अपीलार्थी के दोष की ओर ले जाता है। हमें यह संप्रेक्षित करने में संकोच नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अनेक महत्वपूर्ण कड़िया गायब हैं और इसलिए, हम विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को मान्य ठहराने के इच्छुक नहीं हैं।

10. परिणामस्वरुप, सत्र विचारण सं॰ 305 वर्ष 1993, कटकमसंडी पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 1985 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 1207 वर्ष 1985 के तत्सम, में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट IV, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 19.8.2006 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त करते हैं और अपील अनुज्ञात करते हैं। अपीलार्थी शिबू मुंडा जो कारा अभिरक्षा में है को तुरन्त कारा अभिरक्षा से निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाले उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा यदि आवश्यक हो समुचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सुमित कुमार केशरी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) Nos. 6258, 6297 of 2015. Decided on 16th February, 2016.

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914—धाराएँ 7 एवं 10—प्रमाण पत्र मामला—मांग दाखिल किए जाने पर और प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाने

के बाद प्रमाण पत्र ऋणी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व से इनकार करते हुए आपत्ति दाखिल करने का हकदार है–तत्पश्चात, प्रमाण पत्र अधिकारी याचिका सुनने के लिए और प्रमाण पत्र ऋणी का दायित्व विनिश्चित करने के लिए विधि में बाध्य है–विधि की यह आवश्यकता प्रमाण पत्र कार्यवाही में पूरी नहीं की गयी है जिससे कुर्की का आक्षेपित वारन्ट उद्‌भूत होता है–आदेश प्रमाण पत्र ऋणी पर ऐसी मांग का दायित्व नियत किए जाने के पहले विधि में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने में विफलता से पीड़ित है–गूढ़ तरीके से याची की आपत्ति अस्वीकार करने वाला आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया और मामला नए आदेश के लिए प्रमाण पत्र अधिकारी के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–M/s. V.P. Singh, P.D. Agrawal, S.L. Agrawal, For the Petitioner; M/s Srijit Choudhary, H.K. Mehta, For the Resp-State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. दोनों रिट याचिकाओं में सामान्य विवाद्यक अंतर्ग्रस्त हैं। उन्हें साथ सुना गया है और इस चरण पर पक्षों की सहमति से इसे एक ही आदेश द्वारा विनिश्चित किया गया है।

3. दोनों मामलों में, एक ही याची के विरुद्ध प्रमाण पत्र केस सं॰ 05 (GR)/2009-10 एवं 06 (GR)/2009-10 कतिपय मांगों की वसूली के लिए आरंभ किया गया था अर्थात् मांग के संस्थापन के समय पर पहले मामले में मूलधन हेतू 1,18,946/- रुपया एवं ब्याज हेतु 57,094/- रुपया की वसूली के लिए और दूसरे मामले में वसूलनीय राशि प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष मांग के संस्थापन के समय पर मूलधन हेतु 79,296/- रुपया और ब्याज हेतु 38,062/- रुपया है। याची ने दोनों मामलों में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अब झारखंड अधिनियम) की धारा 7 के अधीन नोटिस प्राप्त किया और काफी समय बाद अपना आपत्ति दाखिल किया जैसा अभिलेख पर अभिवचनों से प्रतीत होगा। वह दिनांक 28.08.2014 के गैर सकारण आदेशों द्वारा अपनी आपत्ति के अस्वीकरण के बाद दिनांक 31.12.2015 तक वापस किए जाने योग्य दोनों मामलों में प्रत्यर्थी सं॰ 3 प्रमाणपत्र अधिकारी (खनन), दक्षिण छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा जारी आक्षेपित परिशिष्ट-4 द्वारा 3,04,559/- रुपयों एवं 1,95,738/- रुपयों की वसूली के लिए कुर्की वारन्ट जारी किए जाने के कारण व्यथित है।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने कुर्की के आक्षेपित वारन्ट का विरोध इस आधार पर किया है कि प्रमाण पत्र अधिकारी ने याची द्वारा दाखिल आपत्ति विनिश्चित किए बिना और अधिनियम वर्ष 2014 की धारा 10 के निबंधनानुसार विनिश्चयकरण किए बिना कुर्की वारन्ट जारी करने के लिए फौरन अग्रसर हुआ।

5. चुनौती के इस बिन्दु पर, विद्वान राज्य अधिवक्ता को अनुदेश प्राप्त करने के लिए कहा गया था। विद्वान अधिवक्ता, अनुदेश पर, निवेदन करते हैं कि वस्तुतः अधिनियम वर्ष 2014 की धारा 10 के निबंधनानुसार प्रमाण पत्र ऋणी का दायित्व विनिश्चित करते हुए विनिर्दिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता अनुदेश पर निवेदन करते हैं कि इस सीमित बिंदु पर अधिनियम की धारा 10 के निबंधनानुसार शीघ्रातिशीघ्र और इस न्यायालय द्वारा नियत समय सीमा के भीतर दायित्व विनिश्चित करने के लिए और तत्पश्चात किसी ऋण की वसूली के लिए विधि के अनुरुप अग्रसर होने के लिए मामला वापस विद्वान प्रमाण पत्र अधिकारी को भेजा जा सकता है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ऐसे रिमांड पर याची को प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष तथ्यों एवं विधि के समस्त उपलब्ध आधारों को उठाने की अनुमति दी जा सकती है। रिमांड की स्थिति में, कुर्की का आक्षेपित वारन्ट और दिनांक 28.8.2014 का आदेश अभिखंडित किया जा सकता है।

7. मैंने अभिवचन किए गए प्रासंगिक तात्विक तथ्यों के आलोक में पक्षों के निवेदनों पर विचार किया है। बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अब झारखंड अधिनियम) की धारा 10 के प्रासंगिक प्रावधानों को बेहतर अधिमूल्यन के लिए यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"10. **,lh ;kfpdk dh luokbZ ,o fofu'p;dj.k**&çek.k i= vfèkdkjh ftlds dk;kZy; esa ey çek.k i= nkf[ky fd;k tkrk g] ;kfpdk luxkZ] lk{; yxk (;fn vko';d gk) vkj fofuf'pr djxk fd D;k çek.k i= _.kh jkf'k ftlds fy, çek.k i= gLrk{kfjr fd;k x;k Fkk ds iw.kZ vFkok fdlh Hkkx dk nk;h g(vkj rnuqlkj çek.k i= vikLr] mikarfjr vFkok ifjofrZr dj ldrk g%*

*ijUrq ;g fd ;fn çek.k i= vfèkdkjh lrq"V gks fd ;kfpdk lqfufuÙk d vfèkdkj dk lnHkkoi.kZ nkok vrxLr djrh g] og vkn'k d fy, ;kfpdk lrq"V gks fd lqfufuÙk d vfèkdkj dk lnHkkoi.kZ nkok vrxLr g] çek.k i= jí djrk g, vkn'k ikfjr djxkA**

8. जैसा प्रकट है, मांग दाखिल करने पर और अधिनियम की धारा 7 के निबंधनानुसार प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद प्रमाण पत्र ऋणी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व से इनकार करते हुए आपत्ति दाखिल करने का हकदार है। तत्पश्चात, प्रमाण पत्र अधिकारी याचिका सुनने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए (यदि आवश्यक हो) और यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या प्रमाण पत्र ऋणी राशि जिसके लिए प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित किया गया था के पूर्ण अथवा किसी भाग के लिए दायी है, याचिका सुनने के लिए विधि में बाध्य है; और तद्नुसार प्रमाण पत्र अपास्त, उपांतरित अथवा परिवर्तित कर सकता है। प्रमाण पत्र कार्यवाही में विधि की इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है, जिससे कुर्की का आक्षेपित वारन्ट उद्भूत होता है, जैसा प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता के दृष्टिकोण से प्रकट है।

9. ऐसी परिस्थितियों में, आदेश प्रमाण पत्र ऋणी पर ऐसी मांग का दायित्व नियत किए जाने के पहले विधि में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने में विफलता से पीड़ित हैं। ऐसी परिस्थितियों में, विवेक का इस्तेमाल किए बिना गूढ़ तरीके से याची की आपत्ति अस्वीकार करते हुए दोनों प्रमाण पत्र कार्यवाहियों में दिनांक 28.8.2014 के आक्षेपित आदेश विधिक संवीक्षण की परीक्षा पर टिक नहीं सकते हैं और तद्नुसार अभिखंडित किए जाते हैं। कुर्की वारन्ट को प्रभाव देते हुए तत्पश्चात जारी पारिणामिक आदेशों को भी अभिखंडित किया जाता है। विधि के अनुरुप याची को सुनवाई का अवसर देने के बाद याची के विरुद्ध की गयी मांग पर धारा 10 के निबंधनानुसार निर्णय लेने के लिए मामला प्रत्यर्थी सं॰ 3 प्रमाण पत्र अधिकारी (खनन), दक्षिण छोटानागपुर अंचल, राँची के पास वापस भेजा जाता है।

यह कहना अनावश्यक है कि याची सुनवाई के क्रम के दौरान उसको उपलब्ध विधि के ऐसे किसी आधार का आग्रह कर सकता है। यह नहीं समझा जा सकता है कि इस न्यायालय ने एक या दूसरे रूप में गुणागुण पर कोई मत अभिव्यक्त किया है।

10. मामले की परिस्थितियों में, यह महसूस किया जाता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 प्रमाण पत्र अधिकारी, (खनन), दक्षिण छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा शीघ्रातिशीघ्र इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाए। याची कार्यवाही में सहयोग करेगा। अधिनियम वर्ष

2014 को धारा 10 के निबंधनानुसार किए गए विनिश्चयकरण पर निर्भर होते हुए प्रमाण पत्र अधिकारी को विधि के अनुरुप अग्रसर होने की छूट होगी।

11. इस तरीके से और यहाँ उपर उपदर्शित सीमा तक रिट याचिकाएँ अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

भुनवा घाँसी उर्फ भुनेश्वर घाँसी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (Jail) (DB) No. 206 of 2011. Decided on 5th February, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 360 वर्ष 2004 में श्री चमरु टाँटी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बेरमो, तेनुघाट द्वारा पारित दिनांक 12 फरवरी, 2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–दोषसिद्धि–अ॰ सा॰ के साक्ष्य विश्वसनीय पाए गए–बचाव द्वारा अभिलेख पर लाया गया मामला सूचक के विवरण को त्यक्त करने के बजाय इसे मजबूत बनाता है–केवल इसलिए कि रक्त रंजित मिट्टी बरामद नहीं की गयी थी और अपराध में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं किया गया था, आई॰ ओ॰ द्वारा किया गया अन्वेषण लापरवाही से भरा नहीं माना जाना चाहिए–दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहराया गया–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 4 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajesh Kumar Mehta, For the Appellant; Mr. Kaushik Sarkhel, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ केस सं॰ 360 वर्ष 2004, नवाडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 104 वर्ष 2004 से उद्भूत जी॰ आर॰ सं॰ 707 वर्ष 2004 के तत्सम, में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बेरमो, तेनूघाट द्वारा पारित दिनांक 12 फरवरी, 2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है, किंतु कारा अभिरक्षा में याची के निरोध पर विचार करते हुए जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया है।

2. प्राथमिकी से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि दिनांक 10 सितंबर, 2004 को रात्रि लगभग 10 बजे अपीलार्थी भुनवा घासी कुल्हाड़ी से लैस होकर सूचक के घर आया और उसके पति कारु घाँसी पर प्रहार कारित किया जो अपने घर के सामने सो रहा था। उपहति पाने के बाद कारु घाँसी की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी। अपीलार्थी ने कारु घाँसी पर उपहति कारित करने के बाद कहा कि उसने मकई की फसल में समुचित हिस्सा नहीं दिया था और इसलिए उसने उसकी हत्या की है। तत्पश्चात, अपीलार्थी भाग गया। सूचक ने शोर किया जिसने पास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो जमा हुए। अगले दिन अर्थात् दिनांक 11 सितंबर, 2011 को सूचक गुजरी देवी का बयान दर्ज किया गया था और एकमात्र अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दिनांक 11 सितंबर 2004 का तेनुघाट, नवाडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 104 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ सं॰ 707 वर्ष 2004 के तत्सम मामला दर्ज किया गया था।

3. पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया और, तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जिसे एस॰ टी॰ केस सं॰ 360 वर्ष 2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

दिनांक 24 जनवरी, 2005 को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति अपीलार्थी ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया और शव परीक्षण रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची आदि जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज पर विश्वास करके अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया और उक्त उपदर्शित दंडादेश अधिरोपित किया।

4. अपीलार्थी द्वारा कारा से इस दांडिक अपील को दाखिल किया गया है और उसने इस आधार पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आ रहे हैं। अन्य गवाह जैसे अ॰ सा॰ 3, 5, 6 एवं 7 अनुश्रुत गवाह हैं। अ॰ सा॰ 8 सखी महतो पक्षद्रोही हो गया है। अन्वेषण अधिकारी ने समुचित रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। सत्य का पता लगाने के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा निष्पक्ष अन्वेषण नहीं किया गया है।

यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी में सूचक ने कथन किया है कि वह अपनी पुत्रियों के साथ सो रही थी किंतु न्यायालय में परीक्षण किए जाने पर उसने उक्त बयान से इनकार किया है। अपने अभिसाक्ष्य में वह कहती है कि वह उस चारपाई जिस पर उसका पति सो रहा था के निकट बैठी थी। उसकी पुत्रियाँ घर के अंदर खाना बना रही थीं। अ॰ सा॰ 2 देवंती कुमारी ने अ॰ सा॰ 1 का विवरण संपुष्ट नहीं किया था। अपने प्रति परीक्षण में, पैरा 3 में, वह कहती है कि वह घटना के समय पर सो रही थी और अपनी माता द्वारा जगाए जाने और सूचित किए जाने पर ही वह घटना के बारे में जान सकी थी। यह दर्शाता है कि अ॰ सा॰ 2 घटना की चश्मदीद गवाह नहीं थी।

अ॰ सा॰ 3 शंभु घाँसी अनुश्रुत गवाह है जो हल्ला सुनकर घटना स्थल पर आया था। उसने कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए भागते देखा था, किंतु प्रति परीक्षण में वह कहता है कि उसकी नजर कमजोर है और वह बहरा है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि अंधेरी रात थी और, इसलिए, अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते देखना उसके लिए संभव नहीं था और वह भी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। चूँकि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश मान्य ठहराए जाने का दायी नहीं है। समुचित अन्वेषण नहीं किया गया है और अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 9 जिसने उपेक्षापूर्वक अन्वेषण किया ने अपराध का हथियार और घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी बरामद करने का परवाह नहीं किया था।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 जो क्रमशः मृतक की पत्नी एवं पुत्री हैं स्वाभाविक गवाह हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी संपूर्ण प्रसंग का वृहद शब्दकोष नहीं है। बचाव अधिवक्ता ने पूर्वोक्त गवाहों से विरोधाभास नहीं लिया था और न ही इसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। ऐसी परिस्थितियों के अधीन अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए बिंदु को अधिमान नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन मामले के अनुसार, उसकी पत्नी एवं पुत्री की उपस्थिति में पति की हत्या

की गयी थी। उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। डॉ॰ अजय कुमार सिंह अ॰ सा॰ 4 ने मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और शव परीक्षण के दौरान ध्यान में ली गयी उपहति अ॰ सा॰ 1 एवं 2 का चाक्षुक बयान संपुष्ट करता है। अन्वेषण अधिकारी ने फर्दबयान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध किया है और गवाहों जिनकी उपस्थिति में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी ने अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है। अभियोजन ने अपना मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है और इस अपील में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने का दायी है।

6. हमने दोनों पक्षों द्वारा निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार किया है और अभिलेख तथा उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया है। अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य एवं प्राथमिकी के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि घटना अ॰ सा॰ 1 की उपस्थिति में हुई थी जब वह उस चारपाई के निकट उपस्थित थी जिस पर उसका पति सो रहा था। उसने अपीलार्थी को कुल्हाड़ी से अपने पति पर उपहति कारित करते देखा था। हम नहीं पाते हैं कि प्राथमिकी में दर्ज उसके बयान अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज उसके बयान की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करके अ॰ सा॰ 1 के मुँह से कोई विरोधाभास निकाला गया था। प्रति परीक्षण में बचाव अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर लाया गया मामला सूचक के विवरण को त्यक्त करने के बजाए मजबूत बनाता है। अ॰ सा॰ 2 देवंती कुमारी सूचक की पुत्री है और वह अपनी माता के साथ घर में उपस्थित थी और उसने अभियुक्त को अपने पिता पर उपहति कारित करते हुए देखा था, किंतु अपने प्रति परीक्षण में वह कहती है कि वह सो रही थी और उसे उसकी माता द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था। हमने अ॰ सा॰ 3, 4, 5, 6 एवं 7 द्वारा दिए गए बयानों का परीक्षण किया है। इन गवाहों में से अ॰ सा॰ 3 एवं 5 ने अपीलार्थी को अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए भागते देखा था। ये दो गवाह सूचक द्वारा किए गए हल्ला को सुनने के बाद घटना की ओर आकृष्ट हुए थे। हम न्यायालय में उनके अभिसाक्ष्यों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं पाते हैं। डॉ॰ अजय कुमार सिंह अ॰ सा॰ 4 ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 सिद्ध किया है और वह चाक्षुक साक्ष्य संपुष्ट करता है। अन्वेषण अधिकारी ने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण का समर्थन किया है। केवल इसलिए कि रक्तरंजित मिट्टी संग्रहित नहीं की गयी थी और अपराध में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं किया गया था, उसके द्वारा किए गए अन्वेषण को लापरवाही नहीं माना जाना चाहिए। हमें ध्यान में रखना होगा कि अ॰ सा॰ 1 घटना की चश्मदीद गवाह है और उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और उसका बयान पूर्णत: विश्वसनीय प्रतीत होता है। हम अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किया जाना उपदर्शित करने का कारण नहीं पाते है।

7. मामले के इन समस्त पहलूओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं। एस॰ टी॰ सं॰ 360 वर्ष 2004, नवाडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 104 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 707 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बेरमो, तेनूघाट द्वारा पारित दिनांक 12 फरवरी, 2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है। तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मोस्मात शकुन्तला मेहता

cuke

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एवं अन्य

W.P. (C) No. 3091 of 2014. Decided on 15th February, 2016.

सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971—धारा 9, परन्तुक—अपील—परिसीमा—संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने में छह वर्षों का विलंब—याची की अपील घोर रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है—रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.—AIR 2011 SC 3619—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. Sunil Kumar, For the Petitioner; Mr. Vijaykant Dubey, Mr. Ananda Sen, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची ने सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन विद्वान संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए विविध अपील सं॰ 23 वर्ष 2012 दाखिल किया है। याची की अपील प्रधान जिला न्यायाधीश, बोकारो के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12 जून, 2013 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 4) द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

3. आक्षेपित आदेश का परिशीलन दर्शाता है कि याची दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए रिट न्यायालय के पास गया। और इसे डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5929 वर्ष 2006 में दिनांक 7 फरवरी, 2007 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। इस न्यायालय के विद्वान खंडपीठ न्यायपीठ के समक्ष याची की अपील एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 98 वर्ष 2007 भी दिनांक 25 अप्रिल, 2012 को खारिज कर दी गयी थी। तत्पश्चात्, याची ने अपीलीय उपचार का अवलंब लेते हुए विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश, बोकारो के न्यायालय के समक्ष विविध अपील दाखिल किया है। यह पता चलता है कि एल॰ पी॰ ए॰ में पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल एक सी॰ एम॰ पी॰ भी खंड न्यायापीठ द्वारा खारिज कर दी गयी थी। इन तथ्यों को ध्यान में लेते हुए विद्वान अवर न्यायालय ने पाया कि अपील वर्तमान रूप में निराशाजनक रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है। तद्नुसार, इसे ग्रहण के चरण पर खारिज किया गया था।

4. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नगर विकास एवं गरीबी एलिवियेशन (संपदा निदेशालय) मंत्रालय के दिनांक 30 मई, 2002 के संकल्प ने लोक क्षेत्र उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक परिसर स्थान से वास्तविक किराएदारों को बेदखल करने की शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **बनातवाला एन्ड कंपनी बनाम एल॰ आई॰ सी॰ ऑफ इंडिया एवं एक अन्य, AIR 2011 SC 3619,** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया और निवेदन किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्दिष्ट करने के बाद स्पष्टत: संप्रेक्षित किया है कि सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का उपयोग मुख्यत: बिल्कुल अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए किया जाना चाहिए। याची अप्राधिकृत अधिभोगी है क्योंकि वह दिनांक 12 मार्च, 2002 को निष्पादित पट्टा के अधीन परिसर का अभिभोग कर रही थी। यह निवेदन किया गया है कि पट्टा दस्तावेज पट्टांतरित परिसर था जिसमें याची का अधिभोगी बना रहना पूर्णत: प्राधिकृत था और प्रत्यर्थीगण उसको अप्राधिकृत अधिभोगी मानने में न्यायोचित नहीं था। यह निवेदन किया गया है कि इन प्रतिवादों पर न केवल संपदा अधिकारी द्वारा बल्कि अपीलीय न्यायालय द्वारा भी सम्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए था किंतु याची द्वारा दाखिल विविध अपील परिसीमा के तकनीकी आधार पर खारिज कर दी गयी है।

6. प्रत्यर्थीगण जो उपस्थित हुए हैं और अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है के विद्वान अधिवक्ता ने तुरन्त रिट आवेदन की पोषणीयता के प्रति आपत्ति किया है। अपने पट्टाधृत परिसर में अप्राधिकृत निर्माण

हटाने के लिए भेजे गए दिनांक 30 अप्रिल, 2002 के नोटिसों को निर्दिष्ट किया गया है जिसके बाद दिनांक 4 जून 2003 का नोटिस भेजा गया था जिसका उसने अनुपालन नहीं किया था। संपदा अधिकारी के न्यायालय के समक्ष मामले के संस्थापन के बाद, केस सं॰ A/E/112/06 में उसको अपने पट्टाधृत परिसर में अप्राधिकृत निर्माण हटाने के लिए दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 का आदेश पारित किया गया था। याची रिट न्यायालय में और एल॰ पी॰ ए॰ में भी उक्त आदेश को चुनौती देने में विफल होने पर छह वर्ष बाद वर्तमान विविध अपील में अपीलीय न्यायालय के समक्ष आयी है। अत:, आक्षेपित आदेश विधि में पूर्णत: समुचित एवं न्यायोचित है।

7. यहाँ ऊपर गौर किए गए तात्विक तथ्यों के आलोक में पक्षों के निवेदनों पर विचार करने पर, यह प्रकट है कि याची ने रिट न्यायालय के समक्ष अपने उपचार का अनुसरण किया और काफी पहले दिनांक 7 फरवरी, 2007 के आदेश द्वारा रिट याचिका की खारिजी से असंतुष्ट होकर विद्वान खंड न्यायपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया किंतु वहाँ भी वह हार गयी। विद्वान रिट न्यायालय एवं विद्वान एल॰ पी॰ ए॰ न्यायालय द्वारा पारित दोनों निर्णय वर्तमान कार्यवाही में अभिलेख पर नहीं लाए गए हैं, शायद जानबूझ कर। प्रकटत: चुनौती हारने के बाद याची बुद्धिमान हुई और तत्पश्चात अपीलीय उपचार का अवलंब लेना इप्सित किया जिसका 12 दिनों की सांविधिक सीमा के भीतर लाभ लिया जाना है। किंतु अधिनियम वर्ष 1971 की धारा 9 का परन्तुक अपीलीय अधिकारी पर उक्त अवधि के अवसान के बाद अपील ग्रहण करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है, यदि वह संतुष्ट है और दर्ज किए जाने वाले कारणों से कि याची को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था। जैसा प्रकट है, याची ने अक्टूबर, 2006 में ही पारित संपदा अधिकारी के मूल आदेश को चुनौती देने में विफल होने पर छह वर्षों बाद अपील दाखिल किया।

8. ऐसी परिस्थितियों में, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन (संपदा निदेशालय) के दिनांक 30 मई 2002 के संकल्प पर विश्वास करते हुए मामले के गुणागुण पर किए गए किसी प्रतिवाद पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं याची की अपील घोर रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित थी और उस आधार पर आरंभ में ही ग्रहणीय नहीं थी।

9. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय संतुष्ट नहीं है कि आक्षेपित आदेश किसी गलती अथवा अवैधता से पीड़ित है जो कोई भी हस्तक्षेप आवश्यक बनाता है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

जलिया उर्फ जलेश्वर ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 413 of 2005. Decided on 15th February, 2016.

सत्र मामला सं॰ 84/1997 में श्री राम बाबू गुप्ता, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, लातेहार द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 21 दिसंबर, 2004 एवं दिनांक 22 दिसंबर, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860— धाराएँ 302/34—हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि–सूचक का परिसाक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय नहीं था–फर्दबयान एवं मृत्यु समीक्षा सिद्ध नहीं किया गया

है–अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण घटनास्थल सिद्ध नहीं किया गया है–केवल इसलिए कि मृतक की मृत्यु मानववध थी, अपीलार्थी को दायी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था–कोई हेतु नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी एवं उसके पुत्र द्वारा मृतक की हत्या क्यों की गयी थी–संदेह का लाभ देते हुए अपीलार्थी दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Anurag Kashyap, Supriya Dayal, For the Appellants; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील सत्र मामला सं॰ 84/1997, चंदवा पी॰ एस॰ केस सं॰ 61 वर्ष 1993 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 348 वर्ष 1993 के तत्सम, के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ लातेहार द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 21 दिसंबर, 2004 एवं दिनांक 22 दिसंबर, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया है और आजीवन कारावास भुगतने तथा 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में दो माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 21.8.1993 को रात्रि लगभग 9 बजे सूचक जो मृतक रिघन सिंह की पत्नी है ने अपीलार्थी जलिया उर्फ जलेश्वर ओराँव के घर से बाहर आते हुए अपने पति द्वारा किया गया हल्ला सुना। वह घटनास्थल पर आयी और पाया कि अपीलार्थी और उसका पुत्र टांगी एवं लाठी से रिघन सिंह पर प्रहार कारित कर रहे थे। तत्पश्चात वह अपने पुत्र के पास गयी और उसको घटना के बारे में सूचित किया और मध्यक्षेप करने का अनुरोध किया। सूचक का पुत्र अ॰ सा॰ 2 भोला सिंह ने सूचक के साथ जाने का साहस नहीं किया था। तत्पश्चात, सूचक चौकीदार के घर गयी, किंतु उसे भी नहीं पाया गया था। तब वह घर वापस आयी और रात के दौरान सोती रही। अगली सुबह, राम केश्वर ओराँव ने सूचित किया कि रिघन सिंह का मृत शरीर गाँव सिकनी के भीतर एक स्थान पर पड़ा हुआ है। सूचक घटना स्थल पर गयी और अपने पति को अपने शरीर पर उपहति के साथ मृत पड़ा पाया। अ॰ सा॰ 1 यशोदा देवी का फर्दबयान दिनांक 22.8.1993 को दोपहर 12.30 बजे दर्ज किया गया था और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/34 के अधीन चंदवा पी॰ एस॰ केस सं॰ 61 वर्ष 1993 दर्ज किया गया था।

3. पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद, अपीलार्थी जलिया उर्फ जलेश्वर ओराँव के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। सह-अभियुक्त देव सहाय ओराँव की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी, परिणामस्वरुप केवल अपीलार्थी जलिया उर्फ जलेश्वर ओराँव का विचारण किया गया था। आरोप सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल सात गवाहों का परीक्षण किया और दस्तावेजों को सिद्ध किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ ने साक्ष्य एवं उपलब्ध दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और उसको उक्त उपदर्शित दंडादेश दिया।

4. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि अ॰ सा॰ 4 मो॰ मुस्तकीम एवं अ॰ सा॰ 7 जीतन राम औपचारिक गवाह हैं जबकि अ॰ सा॰ 5 फूलो देवी एवं अ॰ सा॰ 6 रामकेश्वर ओराँव पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ डॉ॰ राम नरेश शर्मा ने रिघन के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और शव परीक्षण के समय पर अपने द्वारा ध्यान में ली गयी उपहतियों को वर्णित किया है। अ॰ सा॰ 2 भोला सिंह मृतक का पुत्र है, किंतु वह अनुश्रुत

गवाह है और उसने न्यायालय में वही अभिसाक्ष्य दिया है जो उसे उसकी माता अ० सा० 1 यशोदा देवी द्वारा संसूचित किया गया था।

5. अब यह स्वीकृत अवस्था है कि अभियोजन केवल अ० सा० 1 यशोदा देवी के परिसाक्ष्य पर निर्भर कर रहा है। उसे विश्वसनीय गवाह नहीं माना जा सकता था और उसके अभिसाक्ष्य को विश्वसनीयता नहीं दी जानी है। न्यायालय में अपने परीक्षण के समय पर उसने कथन किया कि वह लगभग 60 वर्ष की थी और घटना न्यायालय में उसके परीक्षण की तिथि के चार वर्ष पहले हुई थी। उसने स्वीकार किया है कि उसकी दृष्टि कमजोर है और वह रात में समुचित रूप से नहीं देखने में सक्षम नहीं थी। घटना सूचक के घर से लगभग 100 कदम दूर पर रात्रि लगभग 9 बजे हुई थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि बरसात का मौसम था और उस तिथि को भारी वर्षा हुई थी। अ० सा० 1 द्वारा प्रकट की गयी परिस्थिति यदि स्वीकार की जाती है, यह कहा जा सकता था कि उसने 100 कदम की दूरी से अपने पति द्वारा किया गया शोर नहीं सुना था। तर्क के लाभ के लिए, यदि सूचक का विवरण सत्य स्वीकार किया जाता है, उसके आगे के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता था जब वह कहती है कि उसने अपीलार्थी और उसके पुत्र को टांगी एवं लाठी से रिघन पर प्रहार कारित करते देखा था किंतु उसने शोर नहीं किया था और न ही अपने पति को बचाने का प्रयास किया था। पत्नी जिसके पति पर दो व्यक्तियों द्वारा प्रहार किया जा रहा है का आचरण सूचक का आचरण प्रतीत नहीं होता है। वह पुनः कहती है कि घटना देखने के बाद वह अपने पुत्र के पास गयी और उससे अपने पति को बचाने के लिए मध्यक्षेप करने का अनुरोध किया, किंतु उसके पुत्र ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। तब, वह चौकीदार के घर गयी किंतु उसको नहीं पा सकी थी। वह अपने घर वापस आयी और रात के दौरान सो गयी। सुबह में, उसने अपने पति को खोजने का प्रयास नहीं किया था। उसने घटना जिसे उसने रात में देखा था के बारे में किसी गाँववाले को सूचित नहीं किया था। अतः, सूचक का आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है और उसका बयान त्यक्त करने की आवश्यकता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सूचक ने अपीलार्थी अथवा उसके पुत्र को रिघन (मृतक) पर प्रहार करते नहीं देखा बल्कि रिघन (मृतक) को घर लौटने के क्रम में किसी और द्वारा रोका गया था जिसने उसकी हत्या की और उसका मृत शरीर सड़क पर फेंक दिया। अपने निवेदन को मजबूत बनाने के लिए, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मंगरु ओराँव फर्दबयान का अनुप्रमाणक साक्षी है, किंतु वह सूचक के विवरण का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया था। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, घटनास्थल से निकटतम घर मंगरु का है। उसने नहीं कहा था कि उसने अपीलार्थी के घर से अथवा अपने घर के निकट अवस्थित किसी स्थान से मृतक रिघन द्वारा किया गया हल्ला या चीख सुना था। अ० सा० 5 फूलो देवी एवं अ० सा० 6 रामकेश्वर ओराँव क्रमशः उक्त मंगरु ओराँव की पत्नी एवं पुत्र हैं, किंतु उन्होंने अभियोजन मामले जैसा सूचक द्वारा बनाया गया है का समर्थन नहीं किया था।

6. आई० ओ० का परीक्षण नहीं किया गया है, अपराध का हथियार जब्त नहीं किया गया है, घटना स्थल सिद्ध नहीं किया गया है और घटनास्थल से अपराध में फँसानेवाला कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। मृत्यु समीक्षा सिद्ध नहीं की गयी है बल्कि विद्वान विचारण न्यायाधीश केस डायरी की कार्बन कॉपी प्रदर्शित करने की सीमा तक गए हैं। यह निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए एक मात्र गवाह यशोदा देवी जो हितबद्ध गवाह भी है के बयान पर विश्वास करके घोर गलती किया है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने का दायी है।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि सूचक असहाय पत्नी है जिसकी उपस्थिति में उसके पति को अपीलार्थी एवं उसके पुत्र द्वारा प्रहार के अध्यधीन

किया गया था। वह मदद के लिए यहाँ वहाँ दौड़ी थी किंतु सब व्यर्थ हुआ। पुत्र ने भी अपने पिता को बचाने के लिए कोई मदद नहीं किया था। यदि ऐसी स्थिति थी, अन्य गाँव वालों से क्या आशा की जा सकती थी, अच्छी तरह कल्पना किया जा सकता था। सूचक का साक्ष्य अक्षुण्ण है कि अपने पति द्वारा किए गए शोर सुनने के बाद वह घटनास्थल पर गयी जो अपीलार्थी के घर का आंगन है। उसने अपीलार्थी एवं उसके पुत्र को टांगी एवं लाठी से प्रहार करते देखा था। वह अपने पुत्र के पास गयी, उसने मदद इप्सित किया किंतु सब व्यर्थ हुआ। तब वह चौकीदार के पास गयी किंतु वह भी घर पर नहीं पाया गया था। ऐसी स्थिति में, उसके पास घर पर बने रहने के अलावा विकल्प नहीं था जो उसने किया। सुबह में, अ॰ सा॰ 6 रामकेश्वर ओराँव ने गाँव सिकनी के भीतर सड़क पर पड़ा रिघन के मृत शरीर के बारे में सूचित किया। तुरन्त वह मृत शरीर देखने गयी और पुलिस आने के बाद उसने फर्दबयान दिया। पत्नी से और कुछ की उम्मीद नहीं की जा सकती थी जिसकी उपस्थिति में उसके पति की हत्या की गयी थी और उसने किसी से कोई मदद नहीं पाया था। केवल इसलिए कि सूचक का बयान किसी अन्य गवाह द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है, इसे खारिज किया नहीं जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत रूप से, विद्वान विचारण न्यायाधीश का निष्कर्ष मृतक की पत्नी यशोदा देवी अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य पर आधारित है। उसके द्वारा जो देखा एवं किया गया था, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में पहले ही स्पष्ट किया गया है। इसे दोहराए बिना हम अभियोजन मामले के कतिपय पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे जो अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य में आया है। घटना का समय रात्रि 9 बजे है और घटनास्थल सूचक के घर से लगभग 100 कदम दूर है। सामान्यत:, ग्रामीण जीवन सूर्यास्त के बाद रूक जाता है और लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। सूचक ने भी कहा है कि बाजार से लौटने के बाद वह अपने घर में थी। यह कथन भी किया गया है कि भारी वर्षा हो रही थी। हम सूचक के विवरण के साथ सहमत नहीं है जब वह कहती है कि उसने पति द्वारा किया गया शोर सुना, जो 100 कदम अर्थात् 100 फीट की दूरी पर अवस्थित अपीलार्थी के घर से आ रही थी। सूचक के विवरण को सत्य स्वीकार करते हुए भी सूचक का आचरण वास्तविक एवं स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। वह कहती है कि उसने लगभग 10 कदमों की दूरी से घटना देखा था। यदि ऐसा था, हमलावरों द्वारा उसकी उपस्थिति को ध्यान में क्यों नहीं लिया गया था, ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है। शांतिपूर्वक, प्रहार देखने के बाद, वह अपने पुत्र के पास गयी और उससे मदद करने का अनुरोध किया, किंतु उसने घटना स्थल पर जाने का साहस नहीं किया था। तब सूचक चौकीदार के घर गयी किंतु उसे नहीं पाया गया था, किंतु तब उसने चौकीदार की पत्नी को सूचित नहीं किया था। तत्पश्चात, उसने किसी गाँववाले को भी सूचित करने का प्रयास नहीं किया था।

अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 7 में वह कहती है कि उसका पति जमीन पर पड़ा था जब वह घटनास्थल पर पहुँची थी।

अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 5 में, एक बिंदु पर वह कहती है कि वह घंटा-मिनट नहीं समझती है, किंतु अगले वाक्य में वह कहती है कि उसे अपने पुत्र के घर पहुँचने में आधा घंटा लगा था। अ॰ सा॰ 1 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मंगरु का घर अपीलार्थी के घर के बिल्कुल बगल में है। अभियोजन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मंगरु सूचक के पक्ष में अभिसाक्ष्य देने न्यायालय में क्यों नहीं आया है। मंगरु के पुत्र एवं पत्नी का परीक्षण किया गया है, किंतु उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था।

9. जैसा ऊपर इंगित किया गया है, इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए हम नहीं पाते हैं कि अ॰ सा॰ 1 का परिसाक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय है। उक्त के अतिरिक्त, फर्दबयान एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गयी है। अन्वेषण अधिकारी की अपरीक्षा के कारण, घटनास्थल भी सिद्ध नहीं किया गया है। केवल इसलिए कि रिघन की मृत्यु मानववध थी, अपीलार्थी को रिघन की हत्या के लिए दायी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था। कोई हेतु नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी एवं उसके पुत्र द्वारा रिघन की हत्या क्यों की गयी थी।

10. तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपर की गयी चर्चा पर विचार करते हुए, हम अपीलार्थी को कम से कम संदेह का लाभ देने के इच्छुक हैं और तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है और सत्र मामला सं॰ 84/1997 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, लातेहार द्वारा पारित क्रमश: 21 दिसंबर, 2004 एवं दिनांक 22 दिसंबर, 2004 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। उक्त नामित अपीलार्थी जो अभिरक्षा में है को एतद् द्वारा तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और दोषसिद्ध करने वाला/उत्तरवर्ती न्यायालय, यदि आवश्यक हो, समुचित निर्देश जारी करेगा।

---

ekuuh; vkjï vkjï çlkn ,o jfo ukFk oek] U;k;efrx.k

शिबू महतो (243 में)

अशरू साव (208, 616 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Criminal Appeal (DB) Nos. 243, 208 of 2013, 616 of 2015. Decided on 3rd February, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 22 वर्ष 2012/58 वर्ष 2012 में सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 22.2.2013 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 25.2.2013 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 304B—दहेज मृत्यु–दोषसिद्धि–अपीलार्थी मृतका का पति है–घटना के पहले दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण क्रूरता की गयी–अपीलार्थी ने दहेज मांग किया था और उसको क्रूरता के अध्यधीन किया था–मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक थी–मृतका द्वारा किया गया मृत्युकालिक कथन संदेह के परे है–पट्टी पढ़ाने अथवा प्रेरित करने का अवसर नहीं था–अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया गया।

(पैराएँ 13, 14, 23, 24, 25, 33, 34 एवं 35)

निर्णयज विधि.–(2002)6 SCC 710; (2008)4 SCC 265; (2004)10 SCC 769—Relied; (2010)6 SCC 566—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. B.M.Tripathy, Mukesh Kumar (in 243), For the Appellants; Mrs. Vandana Singh (in 208, 616); Mrs. Vandana Singh (in 243), For the Informant; M/s. Ram Prakash Singh, S.K. Srivastava (in 243), For the State; M/s. B.M. Tripathy (in 208, 616), For the Respondents.

आर॰ आर॰ प्रसाद, न्यायमूर्ति.–एक ही मामले से उद्भूत होने वाली समस्त तीनों अपीलों को एक साथ सुना गया था और इसे एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 243 वर्ष 2013 के अपीलार्थी शिबू महतो का सात अन्य के साथ अपनी पत्नी उर्मिला देवी की दहेज मृत्यु कारित करने और वैकल्पिक रूप से उसकी हत्या करने के

अभियोग पर विचारण किया गया था। विचारण न्ययालय ने सात अन्य को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 तथा 304B/34 के अधीन दोनों आरोपों से और अपीलार्थी शिबू महतो को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्त करते हुए अपीलार्थी शिबू महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन आरोप का दोषी पाया और अपीलार्थी को दिनांक 22.2.2013 के अपने निर्णय के तहत उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और दिनांक 25.2.2013 के अपने आदेश के तहत दस वर्षों का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

3. अभियोजन मामला यह है कि मृतका उर्मिला देवी का विवाह अपीलार्थी शिबू महतो के साथ वर्ष 2009 में हुआ था। विवाहोपरांत पति, सास–ससुर, एवं परिवार के अन्य सदस्य उसको दहेज मांग पूरी नहीं करने के कारण क्रूरता के अध्यधीन करने लगे। अभियुक्तों को मृतका को क्रूरता के अध्यधीन करने से रोकने के लिए 2.5 डिसमिल भूमि अपीलार्थी के नाम अंतरित की गयी थी। बाद में, मृतका के ससुराल वालों को घर का निर्माण करने के लिए 50,000/- रुपयों की राशि भी दी गयी थी। उसके बावजूद, अपीलार्थी एवं परिवार के अन्य सदस्य ट्रैक्टर खरीदने के लिए धन मांगने लगे। जब मृतका के पिता अश्रु साव (अ॰ सा॰ 1) ने मांग पूरी करने में अपनी अक्षमता अभिव्यक्त किया, वे मृतका को और भी क्रूरता के अध्यधीन करने लगे। यह सूचना पाने पर, सूचक दिनांक 7.9.2011 को अपनी पुत्री के घर गया और समस्त अभियुक्तों से मृतका को क्रूरता के अध्यधीन नहीं करने का अनुरोध किया और साथ ही उनको कहा कि वह मांग पूरी करने में अक्षम है।

4. अभियोजन का आगे मामला यह है कि दिनांक 9.9.2011 को अपराह्न लगभग 9.30 बजे यह अपीलार्थी और परिवार के अन्य सदस्य उन सात व्यक्तियों, जिन्हें दोषमुक्त किया गया है के साथ मृतका की हत्या करने के लिए उसको आग लगा दी जिसके परिणामस्वरुप उसे व्यापक जलन उपहति आयी। मध्य रात्रि लगभग 12 बजे सूचक के संबंधी रंजीत महतो एवं खेदन महतो (दोनों का परीक्षण नहीं किया गया) उसको बोकारो जेनरल अस्पताल ले गए। टेलीफोन पर सूचना पाने पर सूचक रात में लगभग 1.30 बजे अस्पताल आया जहाँ मृतका ने उसे बताया कि अभियुक्तों ने उस पर किरासन तेल डालने के बाद उसको आग लगा दिया। दिनांक 10.9.2011 को प्रातः लगभग 5 बजे मृतका की मृत्यु हो गयी।

5. अभियोजन का मामला यह भी है कि जब मृतका को अस्पताल ले जाया गया था और कैजुअल्टी वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा था। ए॰ एस॰ आई॰ बबन सिंह (अ॰ सा॰ 15) आया और उर्मिला देवी का बयान (प्रदर्श 3) दर्ज किया जिसे लेखबद्ध किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि जब वह घर में थी, अपीलार्थी शिबू महतो ने उस पर किरासन तेल डाला था और उसकी चाची निर्मला देवी (दोषमुक्त की गयी) ने उसको आग लगाया था।

6. मृतका की मृत्यु के बाद, जब ओ॰ डी॰ स्लिप प्राप्त किया गया था, राम प्यारे राम (अ॰ सा॰ 17) जिसे सेक्टर IV पुलिस थाना में पदस्थापित किया गया था अस्पताल आया और अश्रु साव (अ॰ सा॰ 1) का फर्दबयान (प्रदर्श 1) दर्ज किया जिसमें उसने घटना के बारे में कथन किया जैसा उपर कथन किया गया है और अन्वेषण किया जिसके दौरान उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 6) तैयार किया। मृत शरीर का चालान तैयार करने पर उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा जिसे डॉ॰ विकास कुमार (अ॰ सा॰ 14) द्वारा किया गया था जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

^^flj dh [kky d cky] ij pgj] xnu d Ikeu ,o ihN] nkuk vkj dh Nkrh d vkx&ihN] ij iV d nkuk Hkkxk] nkuk dèkk] vxckg vkj nkuk tk?k ,o

*ijk ij yxHkx 90% tyu] cu e fo#irk ugh ik;h x;h FkhA gkVok;M vfLFk v{k..k FkhA 'okl uyh ,o dB dtLVM FkkA ân; dk nk;k pEcj jDr l Hkjk ik;k x;k Fkk vkj ck;k pEcj [kkyh FkkA QQMk] Liyhu] yhoj ,o fdMuh dtLVM ik;k x;k FkkA***

7. डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) जारी किया कि मृत्यु जलन उपहतियों के कारण आघात की ओर ले जाने वाली सेप्टिसेमिया द्वारा कारित हुई थी।

8. इस बीच, हरला पुलिस थाना के एस॰ आई॰ फुलेश्वर राय (अ॰ सा॰ 16) ने अन्वेषण अपने हाथ में लिया जिसने घटनास्थल का निरीक्षण करने एवं गवाहों का बयान दर्ज करने पर अपीलार्थी एवं सात अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जिनके विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था। सम्यक क्रम में, जब अपीलार्थी एवं सात अन्य का विचारण किया गया था, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं 304B/34 के अधीन आरोपित किया गया था। अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 17 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, सूचक अ॰ सा॰ 1 अश्रु साव, मृतका की माता अ॰ सा॰ 11 शकुन्तला देवी और मृतका की बहन अ॰ सा॰ 12 पिंकी कुमारी ने अभिसाक्ष्य दिया कि विवाह के छह माह बाद अभियुक्तगण धन मांगने लगे। धन देने के बजाए, 2.5 डिसमिल भूमि अपीलार्थी 'शिबू महतो के नाम में अंतरित की गयी थी। कुछ समय बाद, पुनः धन का भुगतान किया गया था जब अभियुक्तगण घर के निर्माण के लिए मांग करने लगे। उसके बावजूद, अभियुक्तगण पुनः ट्रैक्टर खरीदने के लिए धन मांगने लगे। जिस पर उसने (अ॰ सा॰ 1) ने मांग पूरी करने में अपनी अक्षमता अभिव्यक्त किया। दिनांक 7.9.2011 को जब वह (अ॰ सा॰ 1) अपनी पुत्री के ससुराल आया, उसने अभियुक्तों से उसको कर्मा उत्सव मनाने के लिए अपने साथ ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया किंतु अभियुक्तों ने मृतका को जाने की अनुमति नहीं दिया। अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 11 ने आगे परिसाक्ष्य दिया है कि सूचना पाने पर कि उसकी पुत्री को आग से जलने के कारण बोकारो जेनरल अस्पताल ले जाया गया है, वह दिनांक 9.9.2011/10.9.2011 की रात लगभग डेढ़ बजे अस्पताल आया और अपनी पुत्री को गंभीर रूप से जला पाया जिसने उनको प्रकट किया कि उसके पति शिबू महतो ने किरासन तेल डाला और निमिया देवी ने उसको आग लगाया था जबकि उस समय पर अन्य अभियुक्तों ने उसको पकड़ रखा था। जब अ॰ सा॰ 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था, उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था। अ॰ सा॰ 8 कैलाश महतो उर्फ कैलाश तुरी, अ॰ सा॰ 9 बंधन महतो, अ॰ सा॰ 10 निर्मल महतो, अ॰ सा॰ 13 जगेश्वर तुरी ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब वे हल्ला सुनने पर शिबू महतो के घर आए, उन्होंने उसकी पत्नी को जली अवस्था में पाया और इसलिए, उसे अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। किंतु, उन्होंने स्पष्टतः अभिसाक्ष्य दिया कि वे नहीं जानते हैं कि किस प्रकार मृतका को जलन उपहति आयी। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका चंडीगढ़ जाना चाहती थी जहाँ अपीलार्थी कार्यरत था किंतु अपीलार्थी ने उससे कहा कि वह उसे क्वार्टर आवंटित होने के बाद ले जाएगा। अ॰ सा॰ 9 बंधन महतो ने आगे परिसाक्ष्य दिया है कि जब मृतका को अस्पताल ले जाया गया था, वह भी साथ गया था किंतु इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी और केवल तत्पश्चात सूचक अ॰ सा॰ 1 अश्रु साव सूचित किए जाने पर सुबह लगभग 5-6 बजे आया था।

9. अभियोजन मामला बंद करने पर जब अपीलार्थी एवं अन्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य के बारे में पूछा गया था, उन्होंने इनकार किया।

10. किंतु, अपीलार्थी ने कथन किया कि मृतका करमा उत्सव के अवसर पर अपने माएका जाना

चाहती थी और इसलिए, उन्होंने उसे ले जाने के लिए सूचित किया था किंतु कोई नहींआया था और वह भी व्यस्त होने के कारण उसको उसके माएका नहीं ले गया था, मृतका ने आत्महत्या कर लिया।

11. इस पर विचारण न्यायालय ने तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मौखिक एवं लिखित मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) को इस आधार पर अस्वीकार किया कि इनमें असंगतता है क्योंकि अ॰ सा॰ 1 एवं 11 के अनुसार उन्हें मृतका द्वारा बताया गया था कि समस्त अभियुक्तों ने उसको आग लगाने में भूमिका निभाया था जबकि लेखबद्ध किया गया मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) दर्शाता है कि केवल दो व्यक्तियों अपीलार्थी शिबू महतो और मृतका की चचेरी सास निमिया देवी ने उसको आग लगाने में भूमिका निभाया था और तद्द्वारा दोनों बयान आपस में संगत नहीं है और उस कारण विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मौखिक अथवा लिखित मृत्युकालिक कथनों पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं होगा। उस आधार पर, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप स्थापित करने में विफल रहा है और इसलिए, अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया गया था। किंतु, विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थी ने धन की मांग किया था और इसे पूरा नहीं किए जाने के कारण, उसको क्रूरता के अध्यधीन किया और कि मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक थी और इसलिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन आरोप का दोषी पाया। साथ ही, न्यायालय ने पाया कि पूर्वोक्तानुसार इस प्रभाव का साक्ष्य नहीं है जहाँ तक अन्य अभियुक्तों का संबंध है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त किया।

12. दोषसिद्धि के आदेश एवं दंडादेश के विरुद्ध, अपीलार्थी शिबू महतो ने दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 243 वर्ष 2013 दाखिल किया जबकि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सूचक द्वारा दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 208 वर्ष 2013 दाखिल किया गया था। किंतु, काफी तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा निर्णय के उस भाग जिसके द्वारा अपीलार्थी शिबू महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया था के विरुद्ध दंडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 606 वर्ष 2015 दाखिल किया गया था।

13. जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया था, सूचक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया था कि विचारण न्यायालय ने लेखबद्ध किया गया मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) गलत रूप से अस्वीकार किया है जिस पर अपीलार्थी शिबू महतो का हस्ताक्षर है जिसका स्पष्टीकरण कि किन परिस्थितियों के अधीन लिखित मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) पर शिबू महतो का हस्ताक्षर किया गया था, अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने बयान में कभी नहीं दिया गया है। उस चरण पर, अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया था कि विचारण न्यायालय ने लेखबद्ध किए गए मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) पर किए गए इस अपीलार्थी के हस्ताक्षर से संबंधित कोई प्रश्न कभी नहीं पूछा था। उस स्थिति में, हम उक्त कथित तथ्य से संबंधित उस उपयुक्त प्रश्न को पूछना समुचित एवं उचित समझते हैं और तद्द्वारा अपीलार्थी को अभिरक्षा से पेश करने का निर्देश दिया गया था। उसकी पेशी पर जब पूर्वोक्त मामले से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, उसने इस प्रभाव का बयान दिया कि वह दिनांक 9.9.2011/10.9.2011 की रात में लगभग 9.45 बजे अपनी पत्नी को बेहोश हालत में अस्पताल लाया था और तब से दिनांक 10.9.2011 को प्रातः लगभग 4.45 बजे उसकी मृत्यु होने तक उसे होश कभी नहीं आया था और तद्द्वारा कोई बयान देने का अवसर उसके पास नहीं था। उसने आगे कथन किया कि उसकी मृत्यु के बाद पुलिस ने कागज के टुकड़े पर उसका हस्ताक्षर

इस आधार पर लिया था कि मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा जाना था। बयान दर्ज किए जाने के बाद अभिवचन किया गया था कि अपीलार्थी इस संबंध में साक्ष्य देने का आशय रखता है। अत:, बचाव की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले गवाहों, यदि हो, का परीक्षण करने के लिए मामला विचारण न्यायालय के समक्ष भेजा गया था। इस पर बचाव ने ब॰ सा॰ 4 एवं 5 का परीक्षण किया जिन्होंने परिसाक्ष्य दिया कि जब मृतका को जलन उपहति आयी, उसे अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था जिस दौरान वह बेहोश थी और अपनी मृत्यु तक उसे होश नहीं आया था। पूर्वोक्त दो गवाहों के अतिरिक्त, बचाव ने पहले तीन गवाहों का परीक्षण किया था। उनमें से ब॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि मृतका चंडीगढ़ जाना चाहती थी जहाँ अपीलार्थी काम किया करता था किंतु अपीलार्थी ने उससे कहा था कि वह क्वार्टर आवंटित होने के बाद उसे ले जाएगा जबकि ब॰ सा॰ 2 एवं 3 ने परिसाक्ष्य दिया कि जब मृतका को जली दशा में पाया गया था, उसे अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। ब॰ सा॰ 3 के अनुसार, वह भी अस्पताल गया था किंतु उसने मृतका को उसकी मृत्यु तक होश में कभी नहीं पाया था। ब॰ सा॰ 4 एवं 5 का साक्ष्य दर्ज करने के बाद जब विचारण न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को अभिलेख उपलब्ध कराया गया था, मामले की सुनवाई की गयी थी।

14. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय ने यह दर्ज करने के बाद कि अभियोजन इस तथ्य को सिद्ध करने में सक्षम रहा है कि विवाह के संबंध में मांग की गयी थी अैर दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण, मृतका को क्रूरता के अध्यधीन किया गया था और कि मृत्यु अस्वाभाविक थी क्योंकि मृतका की मृत्यु जलन उपहति पाने के कारण हुई थी, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया किंतु विचारण न्यायालय इस तथ्य को दर्ज करने में बिल्कुल गलत था कि मृतका को क्रूरता के अध्यधीन किया गया था। किसी भी गवाह अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 11 अथवा अ॰ सा॰ 12 ने दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण मृतका को यातना/परेशानी के अध्यधीन किए जाने से संबंधित एक शब्द भी नहीं कहा है और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि बिल्कुल दोषपूर्ण है क्योंकि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयवों में से एक को भी सिद्ध करने में विफल रहा और तद्द्वारा विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

15. बचाव की ओर से आगे किया गया निवेदन यह था कि कुछ गवाहों जैसे अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 11 और अ॰ सा॰ 15 ने परिसाक्ष्य दिया है कि मृतका बिल्कुल होश में थी जब उसे अस्पताल ले जाया गया था किंतु दूसरी ओर, अभियोजन गवाह अर्थात् अ॰ सा॰ 9 बंधन महतो और बचाव गवाह ब॰ सा॰ 2 ने भी परिसाक्ष्य दिया है कि मृतका को अपने इलाज के दौरान होश कभी नहीं आया था और इसलिए, इस स्पष्ट असंगतता की दृष्टि में मृतका के मृत्युकालिक कथन प्रदर्श 3 पर डॉक्टर का प्रमाण पत्र होना चाहिए था किंतु न तो प्रदर्श 3 पर प्रमाण पत्र है और न ही पुलिस ने इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान लिया है और कि चूँकि मृत्युकालिक कथन प्रश्न उत्तर के रूप में दर्ज कभी नहीं किया गया था, यह दस्तावेज का संदेहास्पद टुकड़ा बन जाता है जिस पर विश्वास करना न्यायालय के लिए सुरक्षित नहीं होगा।

16. अपीलार्थी की ओर से आगे किया गया निवेदन यह है कि यह सत्य है कि प्रदर्श 3 (लिखित मृत्यु कालिक कथन) पर इस अपीलार्थी का हस्ताक्षर है किंतु इसे पुलिस अधिकारी द्वारा, जब मृतका की मृत्यु हुई, इस बहाना पर लिया गया था कि मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा जाना है। बचाव द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य दिया गया है जो तथ्यों एवं परिस्थितियों में अ॰ सा॰ 9 एवं ब॰ सा॰ 2 जैसे गवाहों के परिसाक्ष्य कि मृतका को अस्पताल में अपने इलाज के दौरान होश कभी नहीं आया था, विश्वसनीय है।

17. इसके विरुद्ध, सूचक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती वंदना सिंह और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं लिखित दोनों मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर अस्वीकार करने में अवैधता किया कि लिखित मृत्युकालिक कथन एवं मौखिक मृत्युकालिक कथन के बीच इस कारण से असंगति है कि मौखिक मृत्युकालिक कथन में समस्त अभियुक्तों का नाम है जबकि लिखित मृत्युकालिक कथन में केवल दो व्यक्तियों अपीलार्थी और चचेरी सास निमिया देवी के नाम हैं जो मृतका की मृत्यु कारित करने के लिए जिम्मेदार थे किंतु वह दोनों मृत्युकालिक कथनों को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है, बल्कि न्यायालय का कर्तव्य उनमें से प्रत्येक पर उनके समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना एवं स्वयं को संतुष्ट करना है कि उनमें से कौन सच्ची अवस्था परिलक्षित करता है।

18. इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **नल्लम वीरा सत्यनंदम एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, (2004)10 SCC 769** और **पूरन चंद बनाम हरियाणा राज्य, (2010)6 SCC 566** में निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

19. इस प्रकार, यह कथन किया गया था कि विचारण न्यायालय को निश्चय ही दोनों मृत्युकालिक कथनों को अस्वीकार करने में अवैधता करता कहा जा सकता है।

20. आगे यह निवेदन किया गया था कि मृत्युकालिक कथन पर डॉक्टर के किसी प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति शायद ही घातक सिद्ध होती है यदि दर्ज करने वाला व्यक्ति संतुष्ट है कि मृतका पूरे होशो हवाश में थी।

21. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने **शेर सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2008)4 SCC 265,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

22. सूचक की ओर से आगे किया गया निवेदन यह था कि एक ओर बचाव गवाहों के माध्यम से लिया गया बचाव यह है कि मृतका चंडीगढ़ जाना चाहती थी किंतु अपीलार्थी ने मृतका से कहा कि वह क्वार्टर आवंटित होने के बाद उसे ले जाएगा और यह साक्ष्य देकर उपदर्शित किया गया था कि मृतका ने आत्महत्या किया था किंतु द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 में अपीलार्थी द्वारा दिया गया बयान कुछ अलग है जिसमें उसने अभिवचन किया कि मृतका करमा उत्सव के अवसर पर अपने माएका जाना चाहती थी किंतु, मृतका को ले जाने उसके माएके से कोई नहीं आया था और उसके पास भी उसे वहाँ ले जाने का समय नहीं था, अत: उसने आत्महत्या किया और ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा किया गया बचाव आरंभ में ही अस्वीकार हकए जाने योग्य है।

23. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख के परिशीलन पर, हम पाते हैं कि अभियोजन मामला, जैसा मृतका के पिता अ॰ सा॰ 1 सूचक, मृतका की माता अ॰ सा॰ 2 और मृतका की बहन अ॰ सा॰ 3 द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है, यह है कि मृतका का विवाह अपीलार्थी शिबू महतो

के साथ हुआ था। विवाहोपरांत, अपीलार्थी 50,000/- रुपया मांगने लगा। धन देने के बजाए, अपीलार्थी के नाम में 2.5 डिसमिल भूमि खरीदी गयी थी। बाद में, अपीलार्थी को धन भी दिया गया था उसके बावजूद अपीलार्थी घटना के 15 दिन पहले 1.5 लाख रुपया मांगने लगा जिस पर अ॰ सा॰ 1 ने अपीलार्थी को कहा कि वह मांग पूरा करने में अक्षम है जब अ॰ सा॰ 1 दिनांक 7.9.2011 को अपनी पुत्री के घर गया था। दिनांक 9.9.2011 को मृतका को जलन उपहति आयी और उसे अस्पताल ले जाया गया था जहाँ मृतका ने अ॰ सा॰ 15 ए॰ एस॰ आई॰ बबन सिंह को अपना बयान दिया जिसे लेखबद्ध (प्रदर्श 3) किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि अपीलार्थी ने उस पर किरासन तेल डाला था और चचेरी सास निमिया देवी ने उसको आग लगाया था। किंतु, अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 11 के अनुसार, मृतका ने उनको बताया था जब वे अस्पताल आए थे कि अपीलार्थी ने उस पर किरासन तेल डाला था और चचेरी सास निमिया देवी ने उसको आग लगाया था जबकि अन्य अभियुक्तगण उसको पकड़े हुए थे। किंतु, विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं लिखित दोनों मृत्युकालिक कथनों को अस्वीकार किया क्योंकि उन दोनों मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतता थी और तद्द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया। किंतु, विचारण न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन आरोप सिद्ध किया गया है और तद्द्वारा उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उसको दोषसिद्ध किया। किंतु, अन्य अभियुक्तों को उस आरोप से दोषमुक्त किया गया क्योंकि उनके द्वारा मांग करने अथवा मृतका को यातना के अध्यधीन करने का तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं था।

24. जहाँ तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि का संबंध है, विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि अभियोजन समस्त अवयवों को स्थापित करने में सक्षम हुआ है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन आरोप सिद्ध करने के लिए होने की आवश्यकता है किंतु साक्ष्य के संवीक्षण पर हम पाते हैं कि यद्यपि अभियोजन दहेज मांग का तथ्य सिद्ध करने में सक्षम हुआ है, किंतु किसी गवाह अ॰ सा॰ 1 अ॰ सा॰ 11 और अ॰ सा॰ 12 ने दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण मृतका को यातना/परेशानी के अध्यधीन किए जाने के बारे में परिसाक्ष्य नहीं दिया है और उस स्थिति में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के आवश्यक अवयवों की कमी है और इसलिए, यह आसानी से कहा जा सकता है कि अपीलार्थी अथवा अन्य अभियुक्तों, जिनके विरुद्ध दोषमुक्ति अपील सं॰ 208 वर्ष 2013 दाखिल की गयी है, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है और तद्द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। साथ ही साथ, हम पाते हैं कि उपर दिए गए उसी कारण से अन्य अभियुक्तों को सही प्रकार से दोषमुक्त किया जाता है और तद्द्वारा दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 208 वर्ष 2013 खारिज किए जाने योग्य है।

25. अब भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 से संबंधित आरोप पर आते हुए, हमने पहले ही कथन किया है कि धारा 302/34 के अधीन आरोप मुख्यत: मृत्युकालिक कथन पर आधारित है। किंतु, विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं लिखित मृत्युकालिक कथन के बीच असंगति पाने पर उन दोनों को अस्वीकार किया जो दृष्टिकोण सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अनेक मृत्युकालिक कथनों की स्थिति में प्रत्येक मृत्युकालिक कथन पर स्वयं इसके गुणागुण पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना होगा।

26. इस संबंध में, **नल्लम वीरा सत्यनंदम एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (ऊपर)** मामले को निर्दिष्ट किया जाए जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

^^;fn fopkj.k U;k;ky; f}rh; eR;dkfyd dFku dk vLohÑfr dk vkèkkj cuk jgk Fkk] rc çFke eR;dkfyd dFku Hkh xyr Fkk] gekj er e] fopkj.k U;k;ky; u xyrh fd;k D;kfd vud eR;dkfyd dFkuk dh fLFkfr e] çR;d eR;dkfyd dFku ij Lo; bld x.kkx.k ij Lor=rkiod fopkj djuk gkxk D;kfd bldk lkf{;d eY; g vkj ,d dk nlj dh fo"k;oLr d dkj.k vLohdkj ugh fd;k tk ldrk gA ,l ekeyk e tgk ,d l vfèkd eR;dkfyd dFku g] mue l çR;d ij bld lgh ifjç{; e fopkj djuk vkj Lo; dk lr"V djuk fd mue l dku lPph voLFkk ifjyf{kr djrk g] U;k;ky; dk dr0; gA**

27. इस प्रतिपादना की दृष्टि में, यह देखा जाना होगा कि मौखिक मृत्युकालिक कथन अथवा लिखित मृत्युकालिक कथन के अधीन वर्णित तथ्यों में से कौन तथ्य सच्ची अवस्था है?

28. कथन किया जाए कि अ॰ सा॰ 1 ने और अ॰ सा॰ 11 ने भी परिसाक्ष्य दिया है कि सूचना पाने पर कि मृतका को जलन उपहति पाने के बाद बोकारो जेनरल अस्पताल ले जाया गया है। वे दोनों दिनांक 9.9.2011 को पूर्वाह्न लगभग 1.30 बजे वहाँ आए और उसे बुरी तरह जला पाया। पूछे जाने पर उसने प्रकट किया कि अपीलार्थी ने किरासन तेल डाला था और चचेरी सास निमिया देवी ने उसको आग लगाया था जबकि अन्य अभियुक्त उस समय पर उसको पकड़े हुए थे। पूर्वोक्त दो गवाहों की अस्पताल में उपस्थिति जब मृतका जीवित थी अ॰ सा॰ 16 अन्वेषण अधिकारी के बयान की दृष्टि में अत्यन्त संदेहपूर्ण प्रतीत होता है, जिसमें उसने कथन किया है कि शकुन्तला देवी ने उसके समक्ष बयान दिया था कि जब वह अस्पताल पहुँची, मृतका की मृत्यु हो गयी थी। यदि शकुन्तला देवी मृतका की मृत्यु के पहले अस्पताल नहीं पहुँची थी, अ॰ सा॰ 11 का पति अ॰ सा॰ 1 अस्पताल में नहीं हो सकता था क्योंकि अ॰ सा॰ 11 के अनुसार वे दोनों साथ गए थे। इसके अतिरिक्त, यदि अ॰ सा॰ 1 एवं 11 मृत्यु के पहले अस्पताल पहुँचे थे, पूरी संभावना थी कि अ॰ सा॰ 15, जिसने मृतक का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया, ने लिखित मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) पर गवाहों के रूप में उनका हस्ताक्षर लिया होता किंतु उन दोनों गवाहों के हस्ताक्षर नहीं थे।

29. इन परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि मौखिक मृत्युकालिक कथन, जिसे मृतका द्वारा अ॰ सा॰ 1 एवं 11 को दिए जाने का दावा किया गया है, भरोसा किए जाने के लिए विश्वास कभी नहीं उत्पन्न करता है।

30. अब अ॰ सा॰ 15, ए॰ एस॰ आई॰ बबन सिंह द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) जिसे लेखबद्ध किया गया था पर आते हुए, यह कथन किया जाए कि जब अ॰ सा॰ 15 अस्पताल आया, उसने उर्मिला देवी को होश में पाया और वह बोलने में सक्षम थी और तद्द्वारा उसने इसे दर्ज किया। चूँकि डॉक्टर का प्रमाण पत्र नहीं था, बचाव की ओर से निवेदन किया गया था कि इसे संदेहास्पद दस्तावेज माना जाए जो निवेदन इस तथ्य की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अ॰ सा॰ 15 के अनुसार उसने मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था जब उसने मृतका को होश में पाया था। ऐसी स्थिति में, ऐसे कथन पर विश्वास किया जा सकता है भले ही मृत्युकालिक कथन डॉक्टर द्वारा प्रमाणपत्रित नहीं किया गया है।

31. इस संबंध में, **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2002)6 SCC 710,** में निर्णय को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित संप्रेक्षित किया गया है:–

*^^y{ke.k cuke egkjk"V jkT; e bl U;k;ky; dh loèkkfud U;k; ihB d ikl eR;dkfyd dFku dh lR;rk d lcèk e le#i igy ij fopkj dju dk volj Fkk tgk 0;fDr dh LoLFkrk d lcèk e MkDVj dk çek.k i= ugh fy;k x;k FkkA bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd ;fn c;ku nt dju okyk 0;fDr lr"V g fd 0;fDr LoLFk Fkk] rc dFku dh lR;rk dk pukrh ugh nh tk,xhA U;k;ky; u dgk fd c;ku nu d fy, ejht dh ekufld voLFkk ij MkDVj dk çek.k i= iku d fy, iijecdk ekey e fy;k x;k nf"Vdk.k vfr rduhdh nf"Vdk.k gkxk] fo'k"kr% tc nMkfèkdkjh u dFku fd;k fd ejht LoLFk ekufld n'kk e Fkk ft ld ckn mlu eR;dkfyd dFku nt fd;kA U;k;ky; u vkx vfHkfuèkkfjr fd;k fd tgk nMkfèkdkjh u MkDVj l vfHkfuf'pr fd;k Fkk fd D;k ihfMrk c;ku nu dh LoLFk n'kk e Fkh vkj ml çHkko dk vueknu çkIr fd;k] ek= blfy, fd eR;dkfyd dFku ij i"Bkdu ugh fd;k x;k Fkk fdr vkonu ij] ;g fdlh rjhd l eR;dkfyd dFku dk lngkLin ugh cuk,xkA***

32. शेर सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य (ऊपर) में यही सिद्धांत दोहराया गया है जिसमें निम्नलिखित संप्रेक्षित किया गया है:–

*^^eR;dkfyd dFku dh Lohdk;rk mPprj g D;kfd dFku fcYdy vr e fd;k x;k gA tc i{kdkj eR; d dxkj ij g] dkb 'kk;n gh >B ckyu dk gr ikrk g vkj blh dkj.k l eR;dkfyd dFku d ekey e 'kiFk ,o çfrijh{k.k dh vko';drk vfHkeDr dh tkrh gA pfd vfHk;Dr d ikl çfrijh{k.k dh 'kfDr ugh g] U;k;ky; tkj nxk fd eR;dkfyd dFku ,lh çÑfr dk gkuk pkfg, tk bldh lR;i.krk ,o lgh gku e U;k;ky; dk i.k fo'okl mRiUu djA U;k;ky; dk lfuf'pr djuk pkfg, fd dFku iVVh i<ku ;k çfjr dju dk ifj.kke vFkok dYiuk dh mit ugh gA vfHky[k ij çLrr lk{; l ;g vfHkfuf'pr djuk U;k;ky; dk dke g fd erd LoLFk ekufld n'kk e Fkk vkj mld ikl nk"kh dk n[ku&igpkuu dk i;kIr volj FkkA lkekU;r% U;k;ky; bl fu"d"k ij vku d fy, fpfdRlh; lk{; ij fo'okl djrk g fd D;k eR;dkfyd dFku dju okyk 0;fDr LoLFk ekufld n'kk e Fkk] fdr tgk c;ku nt dju okyk 0;fDr dFku djrk g fd erd LoLFk ,o prU; voLFkk e Fkk] fpfdRlh; er vfHkHkkoh ugh gkxk vkj u gh ;g dgk tk ldrk g fd pfd dFku dju oky dh LoLFk ekufld n'kk d çfr MkDVj dk çek.k i= ugh g] eR;dkfyd dFku Lohdk; ugh gA vko';d ;g g fd eR;dkfyd dFku nt dju oky 0;fDr dk lr"V gkuk gkxk fd erd LoLFk ekufld n'kk e FkkA tgk nMkfèkdkjh d ifjlk{; }kjk fl) fd;k x;k g fd ml çHkko d MkDVj d er d fcuk ?kk"kd c;ku nu ;kX; Fkk] bl ij ÑR; fd;k tk ldrk g c'kr U;k;ky; bl LofPNd ,o lR;i.k vfHkfuèkkfjr djA MkDVj dk çek.k i= vko';dr% lrdrk dk fl)kr g vkj] blfy,] c;ku d LofPNd ,o lR;i.k çÑfr dk vU;Fkk LFkkfir fd;k tk ldrk gA***

33. इसके अतिरिक्त, मृतका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन जैसा प्रदर्श 3 के अधीन दर्ज किया गया है, की सत्यता पर संदेह करने का कारण प्रतीत नहीं होता है विशेषत: जब प्रदर्श 3 पर अपीलार्थी का हस्ताक्षर है। प्रदर्श 3 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर से संबंधित स्पष्टीकरण ब॰ सा॰ 4 एवं 5 के माध्यम से दिए जाने का प्रयास किया गया था जिसमें उन्होंने कथन किया है कि मृतका की मृत्यु के बाद पुलिस

ने मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजने के बहाना पर अपीलार्थी का हस्ताक्षर लिया किंतु ऐसा स्पष्टीकरण बाद में सोचा गया विचार प्रतीत होता है क्योंकि अ॰ सा॰ 15 जिसने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था द्वारा दिया गया उस प्रभाव का सुझाव नहीं है। इन परिस्थितियों के अधीन, ब॰ सा॰ 4 एवं 5 के माध्यम से दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य कभी नहीं है।

34. आगे, हम पाते हैं कि जब मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था, अपीलार्थी उपस्थित था और तद्द्वारा मृत्युकालिक कथन पट्टी पढ़ाने अथवा प्रेरित करने का परिणाम नहीं हो सकता है और तद्द्वारा मृत्युकालिक कथन की सत्यता किसी संदेह के अधीन कभी नहीं है और तद्द्वारा केवल इस दस्तावेज पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है।

35. तद्नुसार, हम अपीलार्थी शिबू महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाते हैं और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश देते हैं।

36. इस प्रकार, दोनों अपीलें अर्थात दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 243 वर्ष 2013 और दंडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 616 वर्ष 2015 अनुज्ञात की जाती है जबकि दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 208 वर्ष 2013 खारिज किया जाता है।

आर॰ एन॰ वर्मा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; ç'kkUr dekj] U;k;efr

दिलीप कुमार महतो

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 1224 of 2015. Decided on 2nd February, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 360 एवं 361—अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958—धारा 4—भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 279, 337 एवं 304A—परिवीक्षा का लाभ–याची छह माह के सामान्य कारावास का सामना करने वाला प्रथम अपराधी है–अवर न्यायालय को अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नहीं देने के लिए विशेष कारण देने की आवश्यकता है–दंडादेश अपास्त किया गया–याची को शांति बंध पत्र के निष्पादन पर कारा अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाए। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sahani, For the Petitioner; Mr. Manoj Kumar, For the State.

आदेश

यह पुनरीक्षण आवेदन जी॰ आर॰ सं॰ 522 वर्ष 2003 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट द्वारा पारित दिनांक 20.1.2012 के निर्णय/आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337 एवं 304A के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279 एवं 337 के अधीन प्रत्येक के लिए तीन माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अधीन विद्वान अवर न्यायालय ने याची को छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है, को अभिपुष्ट करते दांडिक अपील सं॰ 23 वर्ष 2012 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बेरमों, तेनुघाट (बोकारो) द्वारा पारित दिनांक 24.6.2015 के अपीलीय आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उन्होंने इस पुनरीक्षण को केवल दंडादेश के बिंदु तक सीमित रखा है।

3. यह निवेदन किया गया है कि याची को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337 एवं 304A के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279 एवं 337 के अधीन प्रत्येक के लिए तीन माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है, जबकि विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अधीन छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने याची को दंडादेशित करने के पहले दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 360 के अधीन और/अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन याची को लाभ नहीं देने के लिए कोई विशेष कारण नहीं दिया है। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा पारित दंडादेश विधि में दोषपूर्ण है।

4. विद्वान अपर पी॰ पी॰ ने अवर न्यायालयों के निर्णयों का परिशीलन करने के बाद पूर्वोक्त निवेदन को विवादित नहीं किया है।

5. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 361 के अधीन न्यायालय के लिए विशेष कारण देना अनिवार्य है यदि न्यायालय दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 360 के अधीन अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन अभियुक्तों पर विचार नहीं कर सकता था।

6. यह प्रतीत होता है कि याची पहली बार वाला अपराधी है और अपराधों में से कोई भी आजीवन कारावास और/अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय नहीं है। इस प्रकार, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 360 के प्रावधान इस मामले पर प्रयोज्य नहीं है।

7. इस प्रकार, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 361 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में, विद्वान अवर न्यायालय को अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम और/अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 360 के प्रावधानों के अधीन लाभ नहीं देने के लिए विशेष कारण देने की आवश्यकता है।

8. मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं पाता हूँ कि विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा पारित दंडादेश संपोषित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, मैं इस पुनरीक्षण आवेदन को अंशत: अनुज्ञात करता हूँ जहाँ तक यह दंडादेश से संबंधित है और विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा पारित दंडादेश अपास्त करता हूँ। मैं आगे निर्देश देता हूँ कि याची को कारा अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाए यदि याची अपराधी परिवीक्षा अधिनियम सह पठित दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 360 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के मुताबिक एक वर्ष तक शांति बनाए रखने के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपयों का बंध पत्र निष्पादित करता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

दोबारो सिन्कू

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1225 of 2006. Decided on 3rd February, 2016.

सत्र विचारण केस सं॰ 181 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ केस सं॰ 135 वर्ष 2004, गुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 14 वर्ष 2004 के तत्सम, में अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 17.3.2006 तथा दिनांक 20.3.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302, 307 एवं 436—हत्या एवं हत्या का प्रयास–दोषसिद्धि–अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय एवं संगत हैं–डॉक्टर ने प्रयुक्त हथियार एवं कारित उपहति के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन किया है जैसा उनके द्वारा वर्णित किया गया है–जब चश्मदीद गवाहों द्वारा समर्थित प्रत्यक्ष अभिकथन है, तब हेतु स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है–समस्त आधारों पर दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहराया गया–अपील खारिज। (पैराएँ 14 से 18)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashish Verma, For the Appellant; Mr. Ravi Prakash, For the Respondent.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–यह दाण्डिक अपील सत्र विचारण केस सं॰ 181 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ केस सं॰ 135 वर्ष 2004, गुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 14 वर्ष 2004 के तत्सम, में क्रमश: दिनांक 17.3.2006 तथा दिनांक 20.3.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तीन वर्षों के कठोर कारावास और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 436 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलना था।

2. फर्दबयान के मुताबिक मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि दिनांक 19.3.2004 को अपराह्न 4 बजे सूचक दोसमा गुईया अपने घर के सामने खड़ी थी। उस समय पर अभियुक्त दोबरो सिन्कू तीर–धनुष के साथ आया और सलाई सिन्कू पर तीर चलाने के लिए उसका पीछा किया किन्तु वह भाग गया। उसके बाद अभियुक्त ने सलाई सिन्कू के घर में आग लगा दिया। जब मंगत सिन्कू एवं अन्य गाँववाले आग बुझाने आए, अभियुक्त ने तीर धनुष के साथ उनका पीछा किया और मंगत सिन्कू पर तीर चलाया। तीर मंगत सिन्कू की जांघ पर लगा जिस कारण वह घायल हो गया। उसके बाद अभियुक्त पुन: अपराह्न 8 बजे सूचक के घर आया। उस समय पर सूचक और उसकी सास घर में थे। अभियुक्त ने सूचक की सास को अपनी बहु को उसके सामने लाने के लिए कहा। सूचक ने भयभीत होकर दरवाजा बंद कर लिया। तब अभियुक्त ने उसकी सास पर तीर चलाया। तीर उसके पेट पर लगा जिस कारण वह गिर गयी और बेहोश हो गयी और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गयी। इस घटना की सूचना पर पुलिस दिनांक 20.3.2004 को गाँव आयी। सूचक ने अपराह्न 12.15 बजे घटना के संबंध में पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया।

3. सूचक के बयान के आधार पर यह मामला गुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 14 वर्ष 2004 जी॰ आर॰ केस सं॰ 135 वर्ष 2004 के तत्सम, के रूप में दर्ज किया गया था और पुलिस ने अन्वेषण के बाद अभियुक्त के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302, 307 एवं 436 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप–पत्र दाखिल किया। विद्वान सी॰ जे॰ एम॰ ने आरोप–पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया। चूँकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। अभियुक्त दोबारो सिन्कू के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302, 307 एवं 436 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और इन्हें उसको हिंदी में पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया। तद्नुसार, अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम के न्यायालय में अभियुक्त का विचारण किया गया था। विचारण के समापन पर उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302, 307 एवं 436 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और दंडादेश दिया गया था जैसा उपर उल्लिखित किया गया है। अत: यह अपील की गयी है।

4. अ॰ सा॰ 6 दोसमा गुइया इस मामले की सूचक है। उसने अपने साक्ष्य में अपने फर्दबयान का समर्थन किया है। उसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना गर्मी में हुई थी। अभियुक्त दोबारो सिन्कू तीर–धनुष एवं तलवार के साथ घर आया। उसने कथन किया है कि उसने उसकी सास (फूफी सास) पर

तीन चलाया जो उसकी सास चंदो गुइया (कुई) के पेट में लगा। उसने यह भी कहा कि इसके पहले उसने मंगता सिन्कू पर तीर चलाया था और यह उसके जांघ में लगा था जिसके बाद उसने सलाई सिन्कू के घर में आग लगा दिया।

5. उसने घटना के संबंध में थाना में सूचना दिया। दारोजा जी गाँव आए थे, उसने उनको सब कुछ बताया, जिसे उसने लिखा और उसको पढ़कर सुनाया और उसने कागज पर अपने अंगूठा का निशान लगाया। उसकी सह ग्रामीण फूलमणि ने स्पष्ट किया जो हो भाषा में लिखा गया था और उसने दारोगा जी को हिन्दी में सूचित किया। न्यायालय में इस गवाह ने अभियुक्त दोबरो को पहचाना है और न्यायालय में उसको इंगित किया है। अपने प्रति परीक्षण में उसने कहा है कि फूलमणि साक्षर नहीं है। कि दारोगा जी ने वह सबकुछ लिखा था जो उसने आज न्यायालय में कहा है। उसने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि उसने दारोगाजी से नहीं कहा था कि दोबरो तीर-धनुष के साथ आया था। ऐसा नहीं है कि मैंने पुलिस को नहीं कहा था कि दोबरो ने घर से भूसा गिराकर मेरे चाचा सलाई के घर के भूसा को जला दिया था। उस समय वह घर पर थी जब उसने उसकी चाची पर तीर चलाया था, उस समय वे दैनिक कर्म से निबटने गए हुए थे और उसके पहले वे घर में थे। उसने यह भी कहा है कि सलाई का घर टाइल्स से बना था और जो भाग जलाया गया था रसोईघर का भाग था। जलने के कारण टाइल गिर गए थे। उसने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि उसने दोबरो को अपनी चाची पर तीर चलाते नहीं देखा था।

6. अ॰ सा॰ 4 मंगता सिन्कू है। वह पीड़ितों में से एक है जिस पर दोबरा सिन्कू द्वारा तीर चलाया गया था। उसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना लगभग एक वर्ष पहले की है। वह अपने घर के दरवाजा पर बैठा था जब अभियुक्त आया और उससे पूछा कि तुम क्यों बैठे हो और उस पर तीर चलाया। तीर उसकी बायीं जांघ में लगा। अ॰ सा॰ 4 ने अपने जाँघ पर हुआ जख्म उपदर्शित किया। वह तीर लगने के बाद गिर गया और दोबरो सिन्कू चला गया। इसके बाद दोबरो सिन्कू गाँव की ओर चला गया और बाद में उसने सुना कि दोबरो ने चंदो कुई पर तीर चलाया था और उसकी हत्या की थी। तब उसने सुना कि वह सलाई के घर गया था और इसे जलाया था। आज अभियुक्त न्यायालय में है और उसने उसे पहचाना है। अपने प्रति परीक्षण में उसने कहा है कि उसकी पत्नी बलमा कुई ने उसको तीर लगने से हुई चंदा कुई की हत्या और सलाई कुई का घर जलाने के बारे में बताया। उसका घर उतना ही दूर है जितना न्यायालय से बस अड्डा दूर है।

7. अ॰ सा॰ 4 ने यह भी कहा है कि दोबरो पागल की तरह बात नहीं कर रहा था। वह नहीं जानता है कि उसने उस पर तीर क्यों चलाया। उसने पुलिस को अपना परिवाद दिया और वे उसे अस्पताल भी ले गए थे। वह कहता है कि उसने दारोगा जी से नहीं कहा था कि वह घर के दरवाजा पर बैठा था और अभियुक्त ने उससे पूछा कि वह क्यों बैठा है और उस पर तीर चलाया क्योंकि पुलिस ने उससे नहीं पूछा था। उसने इस बात से इनकार भी किया कि वह अपने हल से घायल हुआ था अथवा चोट पाया था।

8. अ॰ सा॰ 3 सलाई सिन्कू है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना लगभग एक वर्ष पहले की है और उस समय वह अपने आंगन में था। उस समय दोबरो सिन्कू तीर-धनुष के साथ आया। यह कि उनका आमना-सामना हुआ था और दोबरो ने तीर चलाया था किंतु वह बैठ गया, अत: तीर उसको नहीं लगा। तब वह भाग गया था, अत:, दोबरो ने उसका घर जला दिया था, कि बाद में उसे पता चला कि दोबरो ने मंगता सिन्कू पर तीर चलाया था और मंगता को घायल किया था और चंदो कुई की हत्या की थी। उसने अभियुक्त को न्यायालय के कठघरा में पहचाना। अपने प्रति परीक्षण में उसने कहा है कि घटना माघी उत्सव के समय की है। दोबरो पागल नहीं है। वह अच्छा आदमी है। कि उसकी दोबरो के साथ

दुश्मनी नहीं है। उसने आगे कहा है कि दोबरो उसके घर आया और कहा कि वह उससे लड़ना चाहता है और ऐसा कहते हुए उसने लोहा की बग्गी रखा और अपना तीर-धनुष उठाया और घर के इर्द-गिर्द उसका पीछा किया और तीर चलाया। जब उसने तीर चलाया, वह बैठ गया और तब जंगल की ओर भाग गया। वह दो दिन जंगल में रहा। उसने कहा है कि उसने ग्राम मुंडा को घटना की सूचना नहीं दिया था।

9. अ॰ सा॰ 1 डॉक्टर बालकृष्ण साहनी है। उन्होंने पैरा 2.1, 3.5 एवं 10 में तीर के बारे में कथन किया है कि यह उसके पेट में घुसा था। उन्होंने कथन किया है कि चंदा कुई की मृत्यु उपहतियों के कारण कारित हेमरेज एवं आघात के कारण हुई। इस प्रकार, उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है जैसा प्रयुक्त हथियार एवं कारित उपहतियों के संबंध में उनके द्वारा विवरण दिया गया था।

10. अ॰ सा॰ 5 अक्षय कुमार राम इस मामले का आई॰ ओ॰ है। उसने कहा है कि उसे घटना के समय पर गुआ थाना में पदस्थापित किया गया था और दिनांक 20.3.2004 को उसने सूचना पाया कि ग्राम दमरजोड़ा में तीर से एक स्त्री की हत्या की गयी है। तब उसने सूचक के फर्दबयान (प्रदर्श 3) दर्ज किए जाने एवं मामले के संस्थापन एवं अन्वेषण से संबंधित तथ्यों का कथन किया है। उसने औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श-4) एवं उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 5) सिद्ध किया है। उसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि उसने शव परीक्षण के लिए शव भेजा था। आगे उसने कथन किया कि उसने घायल मंगता सिंकू के परीक्षण के लिए तलब जारी किया था। इस गवाह का भी प्रतिपरीक्षण किया गया था किंतु उसने अभियोजन मामले के प्रतिकूल कुछ भी अथवा अभियोजन मामला भंजित करने के लिए वस्तुतः हानिकारक कोई चीज नहीं कहा है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि व्यक्तियों में से एक मंगता सिंकू की जांघ में तीर लगा था जो शरीर का महत्वपूर्ण भाग नहीं है और वह बच गया। अतः, उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वह कहता है कि मंगता सिंकू अनुश्रुत गवाह है, चूँकि वह केवल चंदा कुई की हत्या और किसी अन्य व्यक्ति का घर जलाने के बारे में सुनता हुआ प्रतीत होता है। अतः उसका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय है और इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि किसी की हत्या करने का अपीलार्थी की ओर से कोई हेतु नहीं है, अतः वह क्यों लोगों पर तीर चलाएगा अथवा घर जलाएगा। कि वस्तुतः एक गवाह अ॰ सा॰ 3 सलाई सिन्कू जिसका घर वस्तुतः जलाया गया था अपने अभिसाक्ष्य में कहता है कि वह अच्छा व्यक्ति है। अतः यदि पीड़ित अ॰ सा॰ 3 कह सकता है कि वह अच्छा व्यक्ति है, यह अविश्वसनीय है कि वह उस अपराध का जिम्मेदार है जिसका वह अभियुक्त है।

13. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि यह खुला एवं बंद मामला है। घटनाओं अथवा घटनाओं में से एक के तीन गवाह है जो क्रमवार हुई। डॉक्टर का रिपोर्ट भी अभियुक्त एवं लोगों को हानि पहुँचाने के उसके तरीके को उपदर्शित करती है और समस्त गवाह उसके विरुद्ध हैं।

14. अभिलेखों एवं दस्तावेजों का परिशीलन करने के बाद और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए निम्नलिखित संप्रेक्षण किए जा सकते हैं। यह मामला सामान्य प्रकृति का है। कि इसका कोई जटिल हेतु नहीं है बल्कि कृत्य भी सीधा-सादा है और विवादित नहीं है। कोई दोबारो सिन्कू अपने गाँव में लोगों पर तीर चलाया था जिसके परिणामस्वरुप एक ही मृत्यु हो गयी, दूसरा घायल हो गया और एक अन्य व्यक्ति का घर अंशतः जला दिया गया था। तीन चश्मदीद गवाह हैं जिनमें से दो शरीर अथवा संपत्ति की उपहति के पीड़ित हैं जिन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया है ने भी चंदो कुई की मृत्यु में तीर की भूमिका स्थापित किया है, अतः, जैसा फर्दबयान में और साक्ष्य द्वारा भी विवरण दिया गया है, हत्या संपुष्ट की गयी है। आई॰ ओ॰ ने अपने अन्वेषण

में अभियुक्त के विरुद्ध मामला निष्कर्षित किया है और उसने सूचक का फर्दबयान एवं पुनर्बयान लिया है। उसने फर्दबयान (प्रदर्श 3), औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 4) और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 5) सिद्ध किया है जो उसके हस्तलेखन में है और इस पर उसका हस्ताक्षर है। उसने डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया था द्वारा भेजा गया तीर भी जब्त किया है। अत:, अधिकांश तथ्य एवं साक्ष्य स्पष्टत: अभियुक्त का दोष इंगित करते हैं।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं के संबंध में मंगता सिन्कू घटनाओं की श्रृंखला में अन्य घटनाओं का अनुश्रुत गवाह हो सकता है। किंतु, उसे भी तीर लगा था और उसने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान न्यायालय को अपना उपहति दर्शाया है। इसके अतिरिक्त, उसने अन्य घटनाओं के बारे में जो कुछ सुना था, वह सत्य था, अत: यह प्रतीत होता है कि उसने जो सुना, उसमें सच्चाई थी।

16. हेतु के विवाद्यक के संबंध में, यह सुस्थापित है कि जब चश्मदीद गवाहों द्वारा समर्थित प्रत्यक्ष अभिकथन है, तब हेतु सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अंतत: एक बिंदु जिसे इस चरण पर यहाँ नहीं उठाया गया था किंतु सत्र न्यायालय चरण पर निर्दिष्ट किया गया था, पागलपन का विवाद्यक है। अभियुक्त ने अधिवक्ता के माध्यम से इसका अभिवचन नहीं किया है और उसने अन्यत्र कहीं भी इसका प्राख्यान नहीं किया है। अभिलेखों में उस प्रभाव का कोई चिकित्सीय साक्ष्य शामिल नहीं किया गया है, अत: इस आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर थोड़ा विचार किया है और इसे अस्वीकार किया है।

17. अत: पूर्वोल्लिखित कारणों, तथ्यों एवं परिस्थितियों पर यह न्यायालय अभियुक्त दोबरो सिन्कू को चंदो सिन्कू (कुई) की हत्या के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषी होना मान्य ठहराता है और कठोर आजीवन कारावास का दंडादेश संपोषित किया जाता है। इस प्रकार, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन हत्या के प्रयास के लिए दोषसिद्धि भी मान्य ठहरायी जाती है और तीन वर्षों का कठोर कारावास संपोषित किया जाता है। अंत में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 436 के अधीन अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि भी मान्य ठहरायी जाती है और एक वर्ष का दंडादेश संपोषित किया जाता है। समस्त दंडादेशों को साथ-साथ चलना है।

18. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjs vkjs çlkn ,o jfo ukFk oek] U;k;efrx.k

महावीर ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 977 of 2004. Decided on 1st February, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 80 वर्ष 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश, लोहरदग्गा द्वारा पारित दिनांक 17.2.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 20.2.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—पत्नी की हत्या–आजीवन कारावास–चूँकि मृतका की हत्या उसके घर में की गयी थी, विचारण न्यायालय द्वारा यह उपधारित किया गया था कि केवल अपीलार्थी अपनी पत्नी की हत्या कर सकता था–इस प्रभाव का साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या की है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 14 से 16)

अधिवक्तागण.–Ms. Suchitra Pandey, For the Appellant; Mr. Vijay Kumar Gupta, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी महावीर ओराँव का अपनी पत्नी पियो ओराँव की हत्या करने के अभियोग पर विचारण किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त आरोप का दोषी पाने पर उसको दिनांक 17.2.2004 के निर्णय के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया और दिनांक 20.2.2004 के अपने आदेश के तहत आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. मामला जिसे अभियोजन ने आरंभ में फर्दबयान (प्रदर्श 4) में बनाया है कि मृतका पियो ओराइन का विवाह पहले इस अपीलार्थी के साथ हुआ था। समय के क्रम में, पियो ओराइन (मृतका) जीविका अर्जित करने ईंट की भट्टी पर गयी। वहाँ वह किसी राम ओराँव के संपर्क में आयी जिसके साथ उसने संबंध विकसित किया जिसके परिणामस्वरुप उसने एक पुत्र एवं एक पुत्री को जन्म दिया। बाद में, जब वह घर आयी, वह पुन: इस अपीलार्थी के साथ रहने लगी जिससे उसको दो पुत्रों एवं एक पुत्री का जन्म हुआ। समस्त पाँचों संतानें अपीलार्थी के साथ रह रहे थे। उसके बावजूद उनके बीच संबंध मधुर नहीं था क्योंकि मृतका प्राय: जीविका अर्जित करने ईंट की भट्ठी पर जाती थी जिसे अपीलार्थी पसंद नहीं करता था, अत: पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था।

3. दिनांक 28.5.2000 को प्रात: लगभग 5 बजे अपीलार्थी का पुत्र कोई मंगलेश ओराँव (अ॰ सा॰ 4) सूचक प्रभु ओराँव (अ॰ सा॰ 1) चौकीदार के पास आया जिसको यह सूचित किया गया था कि पिछली रात उसके पिता (अपीलार्थी) ने टांगी से उपहति कारित करके उसकी माता की हत्या कर दी थी और घर से चला गया था। यह सूचना पाने पर जब प्रभु ओराँव (अ॰ सा॰ 1) घटनास्थल पर आया, उसने मृतका को मृत पड़ा पाया और उसके बगल में खून से सनी टांगी भी पड़ी हुई थी।

4. इस पर, प्रभु ओराँव (अ॰ सा॰ 1) ने लोहरदग्गा पुलिस थाना को सूचित किया। ऐसी सूचना पाने पर एस॰ आई॰ राम बालेश्वर राय, लोहरदग्गा पुलिस थाना आया और दिनांक 28.5.2000 को प्रात: 9 बजे प्रभु ओराँव का फर्दबयान (प्रदर्श 4) दर्ज किया जिसमें सूचक ने घटना के बारे में विवरण दिया जैसा कथन उपर किया गया है। उस आधार पर प्राथमिकी लिख कर मामला दर्ज किया गया था।

5. उक्त राम बालेश्वर राय (परीक्षण नहीं किया गया) ने स्वयं अन्वेषण किया जिसके दौरान अन्वेषण अधिकारी ने अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 5) के अधीन खून से सना टांगी जब्त किया। अन्वेषण अधिकारी ने मृतका के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 3) तैयार किया। मृत्यु समीक्षा करने के बाद जब मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था, इसे डॉ॰ रविन्द्र नाथ पांडे, सदर अस्पताल, लोहरदग्गा द्वारा किया गया था किंतु उसका परीक्षण नहीं किया गया है। किंतु, डॉ॰ दीन बंधु शर्मा द्वारा प्रदर्श 6 के अधीन शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया गया है। शव परीक्षण रिपोर्ट मृतका के शरीर पर मौजूद निम्नलिखित उपहतियों को प्रकट करता है:–

ckg; migfr

(i) LVuk Dyfodyj tkM d efM;y vr d yxHkx 3" mij xnu d eè; rd ck, Hkkx d LVukDyMkeLVk;M l vkx tkr g, xnu d ck, Hkkx ij yxHkx 4" x 2" x 3" dk fonh.k t[eA

vkrfjd migfr

(i) lokbdy dfoVh efuX l v{k..k ,o èkèkyk

(ii) xnu leLr egRoi.k jDr ufyd, mnkgj.kLo#i ck;h txj ul ,o djkfVM vkVjh fonh.k ,o QVh gb Fkh ckg; migfr l0 1d lcèk e ck;h LVukDyMkeLVk;M ekl i'kh Hkh fonh.k FkhA

(iii) FkkjD l&ân; d nkuk pEcj [kkyh] nkuk QQM èkèkyA

(iv) iV&iV e vèkipk Hkktu vrfo"V Fkk(yhoj] Liyhu] nkuk fdMuh èkèky Fk vkj CyMj [kkyh FkkA

6. डॉक्टर के अनुसार, मृत्यु महत्वपूर्ण रक्त नलिकाएँ, जैसे जुगुलर नस एवं बायीं केरोटिड धमनी को नुकसान के कारण हेमरेज एवं आघात के कारण हुई।

7. बाद में, अब्दुल जलील (अ॰ सा॰ 10) द्वारा अन्वेषण किया गया था जिसने गवाहों का बयान दर्ज किया और अन्वेषण पूरा करने पर आरोप पत्र दाखिल किया जिस पर अपराध का संज्ञान लिया गया था। सम्यक क्रम में, जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अपीलार्थी का विचारण किया गया था। जिसके दौरान, अभियोजन ने कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 एवं 3 एक ही व्यक्ति सूचक प्रभु ओराँव है जिसने उसी तरीके का परिसाक्ष्य दिया जैसा बयान उसने अपने फर्दबयान में दिया था।

8. यह गौर करना महत्वपूर्ण होगा कि उसे मृतका के पुत्र मंगलेश ओराँव (अ॰ सा॰ 4) द्वारा बताया गया था कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी पियो ओराइन की हत्या की थी किंतु उक्त मंगलेश ओराँव (अ॰ सा॰ 4) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है जब उसने पुलिस के समक्ष दिए गए अपने पूर्व बयान का समर्थन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, मृतका का भाई अ॰ सा॰ 5 सुलेन्द्र ओराँव, मृतका की माता अ॰ सा॰ 6 मंगरी ओराँव अ॰ सा॰ 7 घूरो ओराँव, अ॰ सा॰ 8 सुरेश ओराँव, मृतका का पुत्र और अ॰ सा॰ 9 धूरो ओराँव पक्षद्रोही हो गए हैं।

9. अभियोजन मामला बंद करने पर जब अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपराध में फँसाने वाली सामग्री के बारे में पूछा गया था, उसने इससे इनकार किया, बल्कि उसने अपने बयान में कथन किया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर वह घर में नहीं था।

10. इस पर, विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन गवाहों द्वारा दिए गए बयानों पर अपना विश्वास करते हुए दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

11. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचित्रा पांडे निवेदन करती हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के संबंध में लेशमात्र साक्ष्य नहीं है, फिर भी विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है।

12. इस संबंध में, यह इंगित किया गया था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह मृतका का पुत्र मंगलेश ओराँव (अ॰ सा॰ 4) जिसने सूचक को अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के बारे में सूचित किया था पक्षद्रोही हो गया है। केवल यही नहीं, समस्त तात्विक गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं। उस स्थिति में, इस प्रभाव का साक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या की फिर भी विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश और दंडादेश दर्ज किया जो उक्त कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपास्त किए जाने योग्य है।

13. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

14. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख के परिशीलन पर हमारा भी यही दृष्टिकोण है जिसे अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिव्यक्त किया गया है क्योंकि इस प्रभाव का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। शायद चूँकि मृतका को अपने घर में मृत पाया गया था, विचारण न्यायालय द्वारा उपधारित किया गया था कि

केवल अपीलार्थी ही अपनी पत्नी की हत्या कर सकता था किंतु इसका कोई साक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि घटना के दिन पर अपीलार्थी अपने घर में था बल्कि उसने अपने धारा 313 बयान में कहा है कि घटना के दिन पर वह घर से दूर था। ऐसी स्थिति में, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में गंभीर अवैधता किया है जिसे एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

15. परिणामस्वरुप, अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और उसे तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

16. इस प्रकार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

शेख हाफिज

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 2688 of 2013. Decided on 11th February, 2016.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धाराएँ 13 (1) (d) एवं 13 (2)—भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420, 467, 468, 471, 477A, 423, 424, 109, 120B एवं 201—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973— धारा 482—आधिकारिक पद का दुरुपयोग-संज्ञान–समरुप मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक अभियोजन अभिखंडित किया गया है–अभिकथनों को सत्य स्वीकार करते हुए अपराध नहीं बनता है जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 11 से 14)

अधिवक्तागण.–Mr. Abhishek Sinha, For the Petitioner; Mr. Shailesh Kumar Singh, For the Vigilance.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य–निगरानी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2000 (विशेष केस सं॰ 14 वर्ष 2000) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित दिनांक 22.6.2013 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471, 477A, 423, 424, 109, 120B एवं 201 के अधीन तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (d) सह पठित धारा 13 (2) के अधीन भी दंडनीय अपराधों का संज्ञान याची के विरुद्ध लिया गया है।

3. पक्षों की ओर से किए गए निवेदन का उल्लेख करने के पहले अभियोजन मामला को ध्यान में लेने की आवश्यकता है।

4. अभियोजन मामला यह है कि भूतपूर्व जमीन्दार कैलाश नाथ भारती एवं बाजीनाथ दयाल भारती की खाता सं॰ 60, भूखंड सं॰ 1051 एवं 549 से संबंधित मौजा कमरे की 12.15 एकड़ भूमि दिनांक 16.4.1948 को कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह को बंदोबस्त (चपरबंदी बंदोबस्ती) की गयी थी। बाद में उक्त कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह ने दिनांक 7.4.1961 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि श्रीमती बामेश्वरी देवी को बेचा। तत्पश्चात भूमि उसके नाम में नामांतरित की गयी थी और तत्कालीन

अंचलाधिकारी द्वारा उसके नाम में जमाबन्दी खोली गयी थी। समय के क्रम में, उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से वर्ष 1988 में अब्दुल हफीज को बेची गयी थी। 12.05 एकड़ माप वाली उक्त भूमि में से 4.05 एकड़ भूमि दिनांक 16.8.1988 को नीलांचल गृह निर्माण समिति, कमरे को बेची गयी थी। याची ने हलका कर्मचारी होने के नाते नामान्तरण की अनुशंसा की और अनुशंसा पर अंचल अधिकारी, काँके ने समिति द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध उक्त समिति का नाम ताथ्यिक अवस्था कि उक्त भूमि गैर मजरुआ मालिक भूमि है, का सत्यापन किए बिना दिनांक 28.8.1990 को नामांतरण मामला सं॰ 324 (R)–27/90-91 के तहत नामांतरित किया।

5. आगे यह अभिकथित किया गया है कि शेष भूमि श्रीमती गीता सिंह को बेची गयी थी जिसका नाम भी नामांतरण मामला सं॰ 648 (R) वर्ष 1990-91 के तहत उसके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध अंचलाधिकारी द्वारा नामांतरित किया गया था और उसके नाम में जमाबन्दी खोली गयी थी। बाद में, जब नीलांचल गृह निर्माण समिति के सचिव ने 18 व्यक्तियों को भूमि बेचा, याची एवं अंचलाधिकारी की अनुशंसा पर अंचलाधिकारी द्वारा उनके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध वर्ष 1991 एवं 1992-93 में 18 व्यक्तियों का नाम भी नामांतरित किया गया था।

6. उक्त अभिकथन पर, इस याची सहित अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध मामला इस आधार पर दर्ज किया गया था कि प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ मालिक के रूप में दर्ज की गयी थी और इसकी प्रकृति 'परती पत्थल' थी जिसे दिनांक 16.4.1948 को तत्कालीन भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा अन्य व्यक्तियों को बंदोबस्त किया गया था यद्यपि भू–सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन दिनांक 1.1.1946 के बाद भूमि के अंतरण पर प्रतिषेध था। उसके बावजूद, इस याची ने और अन्य अंचलाधिकारियों ने अपने आधिकारिक हैसियत का दुरुपयोग करके उनके द्वारा बंदोबस्त की गयी भूमि के विरुद्ध अंतरितियों का नाम नामांतरित किया गया था, यद्यपि उन्हें बिहार भूसुधार अधिनियम की धारा 4H के अधीन कार्यवाही आरंभ करना चाहिए था।

7. ऐसे अभिकथन पर, निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2000, विशेष केस सं॰ 14 वर्ष 2000 के तत्सम, दर्ज किया गया था। आरोप–पत्र की दाखिली पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 471, 477A, 423, 424, 402, 109, 120B, 201 के अधीन एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन भी दिनांक 22.6.2013 के आदेश के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया था जो चुनौती के अधीन है।

8. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि स्वयं अभियोजन का मामला यह है कि जब भूतपूर्व जमीन्दार ने कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह को भूमि बंदोबस्त किया जिसे गैर मजरुआ मालिक भूमि के रूप में दर्ज किया गया था, उसका नाम तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा नामांतरित किया गया था। बाद में उक्त कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह ने दिनांक 7.4.1961 को श्रीमती बामेश्वरी देवी को भूमि बेचा जिसका नाम उसके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध नामांतरित किया गया था और जमाबंदी सृजित की गयी थी और लगान रसीद जारी किया गया था। जब श्रीमती बामेश्वरी देवी ने अब्दुल हाफिज को भूमि बेचा, उसने सचिव, नीलांचल गृह निर्माण समिति को भूमि को बेचा जिसका नाम याची एवं अंचल निरीक्षक की अनुशंसा पर अंचलाधिकारी महेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध नामांतरित किया गया था और तत्काल याची को कूटरचना, दुर्विनियोग या छल का अपराध करता नहीं कहा जा सकता है।

9. आगे यह निवेदन किया गया था कि जब भूमि बामेश्वरी देवी के नाम में दर्ज की गयी थी और याची के हल्का कर्मचारी के रूप में पदग्रहण करने के काफी पहले लगान रसीद भी जारी किया गया

था, किस प्रकार याची को बामेश्वरी देवी के नाम में भूमि नामांतरित करवाने एवं लगान रसीद जारी करवाने में अन्य अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र करता कहा जा सकता है।

10. आगे यह निवेदन किया गया था कि याची ने यह ध्यान में लेने के बाद कि तब के अंतरितियों के नाम में भूमि दर्ज की गयी थी, सोसाइटी का नाम एवं व्यक्ति जिसको सोसाइटी ने भूमि बेचा था का नाम भी नामांतरण के लिए अनुशंसित किया और तद्द्वारा याची को कोई अपराध करता नहीं कहा जा सकता है जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है, अत:, लेने वाला संज्ञान लेता आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है।

11. इसके विरुद्ध, निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार सिंह ने निवेदन किया कि यह सत्य है कि प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार के नाम में दर्ज की गयी थी जिसको किसी के पक्ष में भूमि अंतरित अथवा बंदोबस्त करने का प्रत्येक अधिकार था किंतु बिहार भू सुधार अधिनियम के अधीन उसे केवल दिनांक 1.1.1946 तक भूमि अंतरित करना चाहिए था जबकि वर्तमान मामले में भूतपूर्व जमीन्दार ने दिनांक 16.4.1948 को आरंभ में भूमि बंदोबस्त किया था जो बिहार भूसुधार अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में था, अत:, यह कहा जा सकता है कि उक्त अंतरण बिहार भूसुधार अधिनियम के प्रावधान को विफल करने के लिए किया गया था। उसके बावजूद, तत्कालीन अंचलाधिकारी ने व्यक्तियों जिनको भूतपूर्व जमीन्दार ने भूमि बंदोबस्त किया था के नाम में जमाबंदी खोला था। इसी प्रकार से तत्कालीन अंचलाधिकारी महेन्द्र प्रसाद सिंह जो पूर्व अंचलाधिकारी श्री एन॰ एन॰ सिंह के बाद आया था, ने नीलांचल गृह निर्माण समिति के नाम में और व्यक्तियों जिन्होंने नीलांचल गृह निर्माण समिति से भूमि खरीदा था के नाम में भी याची एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर जमाबंदी खोला था यद्यपि उसे बिहार भूसुधार अधिनियम की धारा 4H के अधीन कार्यवाही आरंभ करने की अनुशंसा करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में, याची को निश्चय ही अपराधों को करने वाला कहा जा सकता है जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है।

12. यह कथन किया जाए कि अंचलाधिकारी महेन्द्र प्रसाद सिंह जिसने नीलांचल गृह निर्माण समिति के नाम में भूमि नामांतरित किया था के मामले में समरुप अभिवचन किया गया था। जब अंचलाधिकारी महेन्द्र प्रसाद सिंह संज्ञान लेने वाले आदेश का अभिखंडन करवाने इस न्यायालय के समक्ष आया था, निगरानी की ओर से किया गया अभिवचन स्वीकार नहीं किया गया था जिसके द्वारा न्यायालय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस निष्कर्ष पर आया कि कोई भी अपराध जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है आकृष्ट नहीं होता है और तद्द्वारा दांडिक एम॰ पी॰ सं॰ 191 वर्ष 2008 दिनांक 16.5.2013 के तहत अंचलाधिकारी महेन्द्र प्रसाद सिंह का मामला अभिखंडित किया गया था।

13. समरुप कारणों से, इस याची का मामला भी अभिखंडित किया जाता है क्योंकि अभिकथन सत्य स्वीकार करने पर भी अपराध नहीं बनता है जिसके अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है।

14. तद्नुसार, निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2000 (विशेष केस सं॰ 14 वर्ष 2000) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही दिनांक 22.6.2013 के आदेश जिसके अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है सहित अभिखंडित की जाती है जहाँ तक यह याची से संबंधित है।

15. परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

पतिराम मंडल (1592 में)

राम कुमार मंडल (591 में)

फागू मंडल एवं एक अन्य (704 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

Cr. (Jail) Appeal Nos. 1592 of 2004 with Cr. Appeal (DB) Nos. 591, 704 of 2004.
Decided on 2nd February, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 8/2001 में अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰ IX, राँची द्वारा पारित दिनांक 29 मार्च, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 201—पत्नी की हत्या एवं कुआँ में शरीर फेंका जाना–सामान्य आशय–दोषसिद्धि–परिवार के भीतर किए गए अपराध से संबंधित मामला विनिश्चित करने में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है–अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य उपदर्शित नहीं करते हैं कि मृतका एवं उसकी संतान की हत्या की गयी थी और अपीलार्थीगण उसके लिए जिम्मेदार हैं–अभियोजन ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दिया है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Laljee Sahay, For the Appellants; APP, For the State.

न्यायालय द्वारा.–ये दांडिक अपीलें सत्र विचारण सं॰ 8/2001, सिल्ली पी॰ एस॰ केस सं॰ 7/2000 से उद्‌भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 85/2000 के तत्सम, के संबंध में अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰ IX, राँची द्वारा पारित दिनांक 29 मार्च, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित हैं जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन 7 वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और इस प्रकार पठित दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि सूचक मृतका नियति मंडल का पिता है। उसने दिनांक 14.1.2001 को यह तथ्य प्रकट करते हुए अपना फर्दबयान दिया है कि उसकी पुत्री नियति मंडल का विवाह अपीलार्थी पतिराम मंडल के साथ हुआ था और उसने एक पुत्री को जन्म दिया था। नियति मंडल एवं अपीलार्थी पतिराम मंडल के बीच विवाह घटना की तिथि के लगभग 7-8 वर्ष पहले हुआ था। गोपाल मंडल ने सूचित किया कि अपीलार्थियों द्वारा नियति मंडल एवं उसकी पुत्री की हत्या की गयी है और उनकी हत्या करने के बाद उन्होंने विजय सिंह मुंडा के कुआँ में मृत शरीरों को फेंक दिया है। आगे यह प्रकट किया गया है कि पुन: नियति एवं उसकी पुत्री के मृत शरीरों को कुआँ से बाहर निकाला गया था और सुवर्ण रेखा नदी के तट के निकट स्थान पर इनकी अंत्येष्टि की गयी थी। घासी राम मंडल का फर्दबयान दिनांक 14.1.2000 को अपराह्न 2.20 बजे दर्ज किया गया था और समस्त अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/201/34 के अधीन राँची सदर सिल्ली पी॰ एस॰ केस सं॰ 7/2000

दर्ज किया गया था। सूचक द्वारा दी गयी घटना की तिथि दिनांक 1.1.2000 है। घटना की दूसरी तिथि जिस तिथि पर मृत शरीरों की अंत्येष्टि की गयी थी, दिनांक 4.1.2000 थी।

अन्वेषण किया गया था और समस्त चारों अपीलार्थियों को आरोप पत्रित किया गया था, तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 8/2001 के रूप में दर्ज किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/201/34 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे और इस प्रकार विरचित आरोपों को उनको स्पष्ट किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

3. अभियोजन ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल 9 गवाहों का परीक्षण किया और विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/201/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और उनको दंडादेशित किया जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

4. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने का दायी है क्योंकि विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने केवल भावुकता में दोषसिद्धि दर्ज किया है। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परे हैं। सूचक (अ॰ सा॰ 1) के अनुसार, दिनांक 1.1.2000 को नियति मंडल एवं उसकी पुत्री की हत्या की गयी थी और हत्या के बाद मृत शरीरों को विजय सिंह मुंडा के कुआँ में फेंक दिया गया था। सूचक आगे कहता है कि दिनांक 1.1.2000 को मृत शरीरों को कुआँ से बाहर निकाला गया था और सुवर्ण रेखा नदी के तट के निकट स्थान पर इनकी अंत्येष्टि की गयी थी। अभिकथित घटना के छह दिन बाद किसी गोपाल मंडल (अ॰ सा॰ 9) ने घासी राम मंडल (मृतका का पिता) को सूचना दिया था। तब सूचक नियति एवं उसकी पुत्री की मृत्यु के संबंध में सूचना सत्यापित करने मुरी पी॰ एस॰ के भीतर कुटम गाँव गया था। पूछताछ करने के बाद, वह गाँववालों से जान सका था कि अपीलार्थी पतिराम मंडल ने अपने संबंधियों (अपीलार्थीगण) की सहायता से नियति एवं उसकी पुत्री की हत्या की थी और तब स्वयं को विधिक दंड से बचाने के लिए मृत शरीरों को ठिकाने लगा दिया था। अ॰ सा॰ 1 चश्मदीद गवाह नहीं है। अभिलेख पर लाया गया अनुश्रुत साक्ष्य संपुष्ट नहीं किया गया। गोपाल मंडल (अ॰ सा॰ 9) ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। नियति एवं उसकी पुत्री के मृत शरीरों को बरामद नहीं किया गया है बल्कि अस्थियों के कुछ टुकड़ों को जब्त किया गया है किन्तु अभिलेख पर एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अभियोजन अभिलेख पर यह लाने में विफल हुआ है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा संग्रहित अस्थि वस्तुतः मृतका की अस्थि है। डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा नहीं की गयी है, डॉक्टर (अ॰ सा॰ 7) द्वारा मृत्यु का कारण नहीं दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि यह साक्ष्य न होने का मामला है किंतु अपीलार्थियों को विचारण के परिणामों एवं कठिनाई का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है। अपीलार्थी पतिराम मंडल बारह वर्षों से अधिक से कारा में सड़ रहा है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है।

6. हमने हमारे समक्ष उपलब्ध मामले के अभिलेख एवं साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। हम यह संप्रेक्षित करना आवश्यक समझते हैं कि परिवार के भीतर किए गए अपराध से संबंधित मामला विनिश्चित करने में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है विशेषतः जब पीड़िता एवं अभियुक्त दोनों परिवार के सदस्य हैं। नियति मंडल एवं उसकी पुत्री के साथ क्या हुआ था, यह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। वे शायद गायब हो गए थे किंतु अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह उपदर्शित नहीं

करता है कि उनकी हत्या की गयी थी और उसके लिए ये अपीलार्थीगण जिम्मेदार हैं। सूचक नियति का अभागा पिता है। वह अनुश्रुत गवाह है और उसने घटना नहीं देखा था। नियति एवं उसकी पुत्री की मृत्यु के संबंध में उसने सूचना गोपाल मंडल से पाया था किंतु गोपाल मंडल (अ॰ सा॰ 9) ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य का समर्थन नहीं किया था। वह पक्षद्रोही हो गया है। इसी तरीके से, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5 पक्षद्रोही हो गए है। बंश नारायण सिंह (अ॰ सा॰ 6) और जितेन्द्र कुमार सिंह (अ॰ सा॰ 8) अन्वेषण अधिकारी हैं और हम यह संप्रेक्षित करने में संकोच नहीं महसूस नहीं करते हैं कि उन्होंने अपनी बाध्यता का समुचित रूप से निर्वहन नहीं किया था और सत्य का पता लगाने के लिए ईमानदारी से अन्वेषण नहीं किया था। लापरवाह तरीके से अन्वेषण किया गया था और पूर्वोक्त अन्वेषण अधिकारी नियति एवं उसकी पुत्री के गायब होने के पीछे सत्य का पता लगाने में विफल रहे हैं। डॉ॰ तुलसी महतो (अ॰ सा॰ 7) औपचारिक गवाह है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिकथित रूप से मृतका की अस्थियों एवं वस्तुओं को संग्रहित किया गया था और इसे इनके परीक्षण के लिए डॉ॰ तुलसी महतो को भेजा गया था। डॉक्टर ने इस नोट ''उन वस्तुओं को परीक्षण के लिए एफ॰ एस॰ एल॰ को भेजने की आवश्यकता है'' के साथ उन वस्तुओं को लौटा दिया था किंतु यह अज्ञात है कि यह किया गया था या नहीं? हम नहीं पाते हैं कि अभियोजन ने अपीलार्थियों के विरुद्ध विरचित आरोपों को सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया है।

7. परिणामस्वरुप, हम अपीलार्थियों द्वारा दाखिल इन अपीलों को अनुज्ञात करने के इच्छुक हैं और तद्नुसार, एस॰ टी॰ सं॰ 8/2001 के संबंध में अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰ IX, राँची द्वारा पारित दिनांक 29 मार्च, 2004 के दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

8. अपीलार्थीगण अर्थात् राम कुमार मंडल (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 591/2004) फागू मंडल एवं उमा चरण मंडल (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 704/2004, जो जमानत पर हैं को उनके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित और स्वतंत्र किया जाता है।

9. अपीलार्थी सं॰ 1 पतिराम मंडल/दांडिक (कारा) अपील सं॰ 1592/2004) जो अभिरक्षा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए यदि आवश्यक हो दोषसिद्ध करने वाला/उत्तरवर्ती न्यायालय समुचित निर्देश जारी करेगा।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o ihñ ihñ HkkVV] U;k;efrx.k

झारखंड राज्य (1 में)

राजू सिंह (169 में)

cuke

राजू सिंह (1 में)

झारखंड राज्य (169 में)

Death Ref. No. 1 of 2013 with Cri. App. (DB) No. 169 of 2013. Decided on 8th February, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 122 वर्ष 2012 में सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा निर्दिष्ट दिनांक 12 फरवरी, 2013 के पत्र सं॰ 230 के माध्यम से किये गये निर्देश के मामले में। **(1 में)**

सत्र विचारण सं॰ 122 वर्ष 2012 में सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 5.2.2013 एवं 8.2.2013 के क्रमशः दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध। **(169 में)**

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 376 (2) (g), 302 एवं 201—अवयस्क लड़की का बलात्कार एवं हत्या–मृत्यु दंडादेश–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया–गवाहों के परिसाक्ष्य शव परीक्षण रिपोर्ट से एवं डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा से भी संपुष्टि पाते हैं–दोषसिद्धि अभिपुष्ट की गयी–अपीलार्थी 25 वर्ष का नवयुवक है–उसका किसी जघन्य अपराध का पूर्ववृत्त नहीं है और साक्ष्य नहीं है कि वह समाज के प्रति खतरा होगा–मृत्यु दंडादेश आजीवन कारावास में अल्पीकृत किया गया। (पैराएँ 14, 15, 19, 20, 23, 24, 28, 35 एवं 36)

निर्णयज विधि.–(1980)2 SCC 684; (1983)3 SCC 470; (1999)6 SCC 600; (2003)8 SCC 93—Relied; (2009)5 SCC 740; (1994)2 SCC 220; (2012)4 SCC 37—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Sameer Saurabh, For the Appellant; Mr. APP, For the State.

आर॰ आर॰ प्रसाद, न्यायमूर्ति.–एक ही आक्षेपित निर्णय से उद्भूत होने वाले दांडिक अपील एवं मृत्यु निर्देश के साथ सुना गया था और इस एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. यह अपील सत्र विचारण सं॰ 122 वर्ष 2012 में सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 5.2.2013 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 8.2.2013 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी राजू सिंह को दस वर्ष की लड़की का बलात्कार एवं हत्या करने के लिए और मृत शरीर ठिकाने लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (2) (g), 302 एवं 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उसको दोषसिद्ध किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मृत्यु दंडादेश दिया और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (g) के अधीन अपराध के लिए 10 वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा व्यतिक्रम खंड के साथ 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा व्यतिक्रम खंड के साथ 3000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया।

3. अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 17.12.2011 को सूचक लोगान दास (अ॰ सा॰ 10) अपने खेत में आया जिसमें वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी (अ॰ सा॰ 1), पुत्र अमित कुमार दास (अ॰ सा॰ 2) और लगभग 10 वर्षीया पुत्री (मृतका) के साथ खेती कर रहा था। वहाँ उन्होंने काटी गयी फसल एकत्रित किया और इसे एक स्थान पर रखा। उसने अपनी पुत्री (मृतका) को इस पर नजर रखने कहा और अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ कुछ दूरी पर अवस्थित दूसरे खेत में खेती करने गया। एक घंटा बाद सूचक लोगन दास (अ॰ सा॰ 10) पुनः अपने खेत पर आया जहाँ उसकी पुत्री काटी गयी फसल पर नजर रखे थी। वहाँ पर उसने जलावन की लकड़ी जमा किया और इसमें आग लगाया ताकि उसकी पुत्री आग ताप सके। तत्पश्चात् वह घर चला गया। रास्ते में वह गदावर सिंह (अपीलार्थी का पिता) की ईंट की भट्टी पर आया जहाँ अपीलार्थी और कोई मांझी सिंह बैठे हुए थे। उनसे कुछ देर बात करने के बाद वह घर आया और तब कार्यालय गया। प्रातः लगभग 10 बजे किसी ने उसको फोन किया और सूचित किया कि उसकी पुत्री गायब है। तुरन्त वह घर आया और परिवार के सदस्यों एवं गाँववालों के साथ अपनी पुत्री को खोजने लगा। तलाश के दौरान, वे अपीलार्थी एवं मांझी सिंह से मिले जिनकी प्रेरणा पर मृत शरीर बरामद किया गया

था। उन्हें मृत शरीर की दशा देखने के बाद समझ में आया कि गला दबा कर हत्या किए जाने के पहले उसका बलात्कार किया गया था। समय के उस बिंदु पर उसकी भाभी झानू देवी (अ॰ सा॰ 8) ने सूचित किया कि कुछ समय पहले उसने अपीलार्थी को भागते देखा था और वह हैरान थी।

4. इस बीच, बालीडीह पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी वीर कुमार घटना से संबंधित सूचना पाने पर खेत गया जहाँ उसने अपराह्न लगभग 1.30 बजे सूचक का फर्दबयान (प्रदर्श 3/1) दर्ज किया, जिसमें सूचक ने घटना के बारे में कथन किया जिसका विवरण उपर दिया गया है।

5. उक्त फर्दबयान के आधार पर, अपीलार्थी एवं अन्य के विरुद्ध औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 7) लिख कर मामला दर्ज किया गया था। उक्त एस॰ आई॰ वीर कुमार ने अन्वेषण किया जिसके दौरान उसने स्वाब के माध्यम से मृतका की जांघ से वीर्य जैसी सामग्री संग्रहित किया। उसने मृतका के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 8) तैयार किया और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा जिसे संयुक्त रूप से डॉ॰ परमजीत कुमार (अ॰ सा॰ 6) और डॉ॰ कमलेश कुमार सिन्हा (अ॰ सा॰ 11) द्वारा किया गया था।

6. मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर उन्होंने मृतका के मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया:–

"(i) Fkk; jk;M dkfVyt d fupy Hkkx d Lrj ij fyxpj ekd tk orkdkj] {krhtht;] ,d i{kh; ,o tfVy FkkA

(ii) ukd d lkeu 1/2" x 1/6" dk [kjkpA

(iii) ;kfu dk QVk gkuk] tcju ;ku lHkkx bfxr dju oky jDr d èkCcs dh ektnxhA

(iv) 'okluyh vo:) ik;k x;k FkkA

*mUgku ;kfu dk Lokc Hkh fy;k vkj vkx ijh{k.k d fy, bl ,l0 vkb0 Hkxoku jke dk fn;kA***

डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) मत दिया कि मृत्यु दम घुटने (हृदय श्वास विफलता) की ओर ले जाने वाले गला घोंटने के कारण हुई थी।

7. बाद में, जब एस॰ आई॰ रमेश तिवारी (अ॰ सा॰ 12) ने अन्वेषण किया, गवाहों का बयान दर्ज किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अन्वेषण के क्रम में, उसने न्यायालय की अनुमति से मृतका एवं उसके माता-पिता का रक्त नमूना लिया जिसे विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला अग्रप्रेषण रिपोर्ट (प्रदर्श 6) के साथ भेजा गया था। उसी समय पर, मृतक की जांघ से स्राव के माध्यम से संग्रहित वीर्य भी रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था।

8. अन्वेषण पूरा होने पर, जब अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, अपराधों का संज्ञान लिया गया था।

9. सम्यक क्रम में, जब अपीलार्थी का विचारण किया गया था, अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल 13 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 सुमित्रा देवी (मृतका की माता), अ॰ सा॰ 2 अमित कुमार दास (मृतका का भाई) और अ॰ सा॰ 10 सूचक लोगन दास (मृतका का पिता) ने लगभग एक ही तरीके का परिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तिथि पर वे खेत आए थे और फसल काटा

था और तब वे फसल पर नजर रखने के लिए मृतका को छोड़ कर दूसरे खेत चले गए। वहाँ उन्होंने एक घंटा काम किया और तत्पश्चात, मृतका का पिता लोगन दास सूचक अपनी पुत्री के निकट आया और जलावन का लकड़ी जमा किया और इसमें आग लगाया और तब घर चला गया। कुछ समय बाद अ॰ सा॰ 1 एवं 2 वहाँ आए जहाँ उन्होंने अपीलार्थी राजू सिंह और सह-अभियुक्त मांझी सिंह को मृतका के साथ बैठे तथा आग तापते देखा। यह देख कर अ॰ सा॰ 1 एवं 2 पुनः काम करने दूसरे खेत चले गए। एक घंटा बाद जब अ॰ सा॰ 1 एवं 2 खेत आए जहाँ मृतका फसल पर नजर रखे थी, उन्होंने मृतका को गायब पाया। उन्होंने अपीलार्थी एवं एक अन्य अभियुक्त को वहाँ उपस्थित नहीं पाया था। वे मृतका को खोजने लगे। प्रातः लगभग 10 बजे उन्हें गाँववालों से जानकारी मिली कि मृत शरीर बौरी चौक के निकट पड़ा है। उन्होंने भी परिसाक्ष्य दिया है कि तलाश के क्रम में झानू देवी (अ॰ सा॰ 8) ने उनको बताया था कि उसने अपीलार्थी को भागते देखा था और वह बिल्कुल हैरान था। उन्होंने यह परिसाक्ष्य भी दिया है कि अपीलार्थी की प्रेरणा पर मृत शरीर बरामद किया गया था।

10. मृतका के चाचा अ॰ सा॰ 3 खगेन दास एवं अ॰ सा॰ 4 गोलक दास ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब वे मृतका की तलाश कर रहे थे, झानू देवी ने उनको बताया था कि उसने अपीलार्थी को घटना स्थल से भागते देखा था और कि उसकी प्रेरणा पर मृत शरीर बरामद किया गया था।

11. अ॰ सा॰ 5 दुर्गा प्रसाद सोरेन एवं अ॰ सा॰ 9 कमलाकांत सिंह मृतका की जांघ से वीर्य जैसी सामग्री अभिग्रहण के गवाह है। अ॰ सा॰ 8 झानू देवी ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब उसे पता चला कि मृतका गायब है, वह उसे खोजने लगी जिसके दौरान उसने अपीलार्थी को घटना स्थल से भागते देखा था जहाँ मृत शरीर बरामद किया गया था और उसने ही मृत शरीर दिखाया था।

12. अभियोजन ने साक्ष्य में न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्टों को दिया है जिन्हें प्रदर्श 4, 12 एवं 12/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदर्श 12 उपदर्शित करता है कि रुई के फाहा के माध्यम से संग्रहित प्रदर्श B (जाँघ से संग्रहित वीर्य के धब्बों का स्वाब) में और प्रदर्श-C (मृतका की योनि से स्राव) में भी वीर्य पाया गया था। प्रदर्श 12/1 प्रदर्श B एवं C का नमूना दर्शाने वाले ओ॰ रक्त समूह के रिपोर्ट हैं। अभियुक्त के रक्त समूह के साथ इसका मिलान किया गया था जिसे प्रदर्श Z के अधीन परीक्षण के लिए भेजा गया था। प्रदर्श 4 डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा रिपोर्ट है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

> *"(1) çn'k B (lkr % erdk dh tk?k l lxfgr oh; Lokc crk;k x;k dkVu cky)] çn'k C (lkr % erdk dh ;kfu Loko crk;k x;k dkVu cky)] çn'k w (lkr % erdk dh ekrk lfe=k nkl d [ku l luk crk;k x;k xkt dk VdMk)] çn'k x (lkr % erdk d firk ykxu nkl d [ku l luk crk;k x;k xkt dk VdMk)] çn'k Y (lkr % lfnXèk ek>h flg d [ku l luk crk;k x;k xkt dk VdMk) vkj çn'k Z (lkr % lfnXèk jkt flg d [ku l luk crk;k x;k xkt dk VdMk) l ekuo Mh0 ,u0 ,0 cjken fd;k tk ldrk FkkA*
>
> *(2) çn'k B (erdk dh tk?k l lxfgr oh; dk Lokc crk;k x;k dkVu cky) vkj çn'k Z (lkr % lfnXèk jkt flg d [ku l luk crk;k x;k xkt dk VdMk) d lkr l fudkyk x;k Mh0 ,u0 ,0 çkQkby ,d gh i#"k dk gA*

(3) çn'k C (lkr % erdk dk ;kfu Lokc crk;k x;k dkVu cky) d lkr l fudkyk x;k Mh0 ,u0 ,0 çkQkby L=h dk vi.k çkQkby ik;k x;k FkkA

(4) çn'k W (erdk dh ekrk lfe=k nkl d [ku l luk crk;k x;k xkt dk VdMk) d lkr l fudkyk x;k Mh0 ,u0 çkQkby L=h dk Fkk tcfd çn'k X (lkr % erdk d firk ykxu nkl d [ku l luk crk;k x;k xkt dk VdMk) vkj çn'k Y (lkr % lfnXèk ek>h flg d [ku l luk crk;k x;k xkt dk VdMk) Øe'k% i#"kk dk FkkA

*fjikV u vrr% fu"df"kr fd;k fd çn'k B (erdk dh tk?k l lxfgr oh; dk Lokc) d lkr ij oh; dk v'knkrk çn'k Z (lkr % lfnXèk jkt flg dk jDr) d lkr l g tk ,d gh i#"k dk gA***

13. अभियोजन मामला बंद करने पर जब अपीलार्थी से उसके विरुद्ध सामने आने वाली अपराध में फँसाने वाली सामग्रियों पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन पूछा गया था, उसने इससे इनकार किया।

14. इस पर, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को स्थापित करते हुए कि मृतका को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था और मृतका की मृत्यु अपीलार्थी की मृतका के साथ देखे जाने की अत्यन्त निकटता में है जिसे चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार हत्या किए जाने के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था जो (प्रदर्श 4) स्थापित करता है कि मृतका की जांघ पर पाए गए वीर्य का योगदाता स्रोत प्रदर्श Z (राजू सिंह का रक्त) से है जो एक ही और उसी पुरुष का है, अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के परिसाक्ष्य पर अपना अंतर्निहित विश्वास करते हुए अपीलार्थी को आरोप का दोषी पाया और तद्नुसार उसको दोषसिद्ध किया।

15. इस पर, विचारण न्यायालय बलात्कार करने और तब गला दबाकर मृतका की हत्या करने तथा मृत शरीर को छुपाने के अपीलार्थी के कृत्यों को उच्चतम डिग्री की विश्वासघाती एवं बर्बरता का कृत्य, जो कम करने वाली परिस्थिति पर अभिभावी होता है, पाने पर और तब **''रमेश भाई चंदू भाई राठोत बनाम गुजरात राज्य, (2009)5 SCC 740,** एवं **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1994)2 SCC 220,** तथा **राजेन्द्र प्रहलाद राव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012)4 SCC 37,** मामलों में निर्णयों पर विश्वास करते हुए इस निष्कर्ष पर आया कि यह विरल मामलों में विरलतम कोटि के अंतर्गत आता है, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णीत किया।

जिस पर अपीलार्थी के मृत्यु दंडादेश की संपुष्टि के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 366 में अंतर्विष्ट प्रावधान के निबंधनानुसार मामला इस न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया था और अपीलार्थी ने दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर उक्त दांडिक अपील दाखिल किया है।

16. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री समीर सौरभ निवेदन करते हैं कि मृतका के पिता अ॰ सा॰ 10 सूचक द्वारा फर्दबयान में दिए गए बयान के मुताबिक जब वह घर जा रहा था, उसने अपीलार्थी एवं एक अन्य अभियुक्त को उसकी ईंट की भट्टी पर पाया था और उस स्थिति में अ॰ सा॰ 10 का इस प्रभाव का परिसाक्ष्य कि उसने अपीलार्थी को उस स्थान पर देखा था जहाँ उसकी पुत्री कार्यरत थी, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से, जब अ॰ सा॰ 10 के परिसाक्ष्य के मुताबिक वह खेत,

जो उस खेत से थोड़ी दूरी पर था जहाँ मृतका बैठी थी, में काम करने के बाद अपनी पुत्री के पास आया, अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के पास उस खेत में जाने का अवसर नहीं था जहाँ मृतका बैठी थी, अत:, अ॰ सा॰ 1 एवं 2 का इस प्रभाव का बयान कि उसने अपीलार्थी को मृतका के साथ बैठे देखा, भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आगे किया गया निवेदन यह है कि विचारण न्यायालय ने डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा रिपोर्ट पर अपना निष्कर्ष आधारित किया किंतु धारा 53A के प्रावधान का अनुपालन कभी नहीं किया गया है और, तद्द्वारा, उक्त परीक्षा रिपोर्ट को अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए था। इस स्थिति के अधीन, दोषसिद्धि का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थी की ओर से आगे किया गया निवेदन यह है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे विरल मामलों में विरलतम माना जा सकता है क्योंकि अभियोजन मामला ही सुझाता है कि मृतका की हत्या करने वाला लगभग 25-26 वर्षीय अपीलार्थी का कृत्य पूर्वचिंतित कभी नहीं था और न ही अपीलार्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, अत: न्यायालय को इन समस्त कारकों को कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में लिया जाना चाहिए था, किंतु इन समस्त कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में लिया जाना चाहिए था, किंतु इन समस्त कम करने वाली परिस्थितियों को सही परिप्रेक्ष्य में विचार में नहीं लिया गया था, अत: अपीलार्थी को अधिनिर्णीत मृत्यु दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

17. इसके विरुद्ध, अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि तथ्य एवं परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के परिसाक्ष्य की सत्यता पर लेशमात्र भी संदेह नहीं है और, तद्द्वारा अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत भूमिका में आता है जहाँ मृतका के साथ अपीलार्थी को देखे जाने और मृतका की हत्या के बीच का समय अंतराल इतना कम है जो सुझाता है कि अपीलार्थी ही अपराधकर्ता था और अपराध की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णीत किया।

18. पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अभियोजन का मामला यह है जैसा मृतका की माता सुमित्रा देवी अ॰ सा॰ 1, मृतका के भाई अमित कुमार दास अ॰ सा॰ 2 और मृतका के पिता सूचक अ॰ सा॰ 10 लोगन दास द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है, कि दिनांक 17.12.2011 को प्रात: लगभग 6:15 बजे वे मृतका के साथ अपने खेत पर आए जहाँ उन्होंने काटी गयी फसल संग्रहित किया और इसे एक स्थान पर रखा। वहाँ उन्होंने जलावन की लकड़ी जमा करने के बाद आग तापने के लिए इसे जलाया। कुछ समय बाद अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 10 मृतक को वहाँ छोड़ कर कुछ दूरी पर अवस्थित खेत में कुछ काम करने वहाँ गए। कुछ समय बाद, अ॰ सा॰ 10 उस स्थान से चला गया क्योंकि उसे कार्यालय जाना था और उस क्रम में वह पुन: उस खेत में आया जहाँ मृतका फसल पर नजर रखी थी। अ॰ सा॰ 10 के अनुसार, उसने अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्त को अपनी पुत्री के पास बैठे देखा किंतु साक्ष्य का यह टुकड़ा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसने फर्दबयान में दिए गए अपने पूर्व बयान में भिन्न कहानी सुनायी थी कि जब वह घर जा रहा था, उसने अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्त को ईंट की भट्टी के निकट देखा।

किंतु अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के अनुसार, वे उस खेत से चले गए और उस खेत में आए जहाँ मृतका थी, उन्होंने अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्त को मृतका के साथ बैठे देखा। यह देखने के बाद, वे पुन: उस खेत पर आए जहाँ वे काम कर रहे थे। एक घंटा के बाद जब वे पुन: आए, उन्होंने मृतका को गायब पाया। उन्होंने अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्त मांझी सिंह को भी नहीं पाया। प्रात: 10 बजे उन्हें जानकारी आयी कि मृत शरीर बौरी चौक पर पड़ा है। आलोचना की गयी है कि जब अ॰ सा॰ 10 अ॰ सा॰ 1 एवं

2 के पहले वहाँ आया था जहाँ मृतका फसल पर नजर रखे थी, अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के पास वहाँ जाने का अवसर नहीं था।

यह निवेदन इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 अ॰ सा॰ 10 के जाने के एक घंटा बाद शायद इस कारण से संभवत: मृतका को देखने आए थे कि लगभग 10 वर्षीय लड़की वहाँ अकेली थी।

यह तथ्य कि गवाहों ने आग तापने के लिए लकड़ी जलाया था जहाँ मृतका को काटी गयी फसल पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया था, अन्वेषण अधिकारी के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से संपुष्टि पाता है जिसने उस स्थान पर जली लकड़ी पाया था।

19. आगे, हम पाते हैं कि अभियोजन ने यह मामला रखने का प्रयास किया है कि मृत शरीर अपीलार्थी की प्रेरणा पर बरामद किया गया था किंतु हम इस प्रभाव का कोई विश्वासोत्पादक साक्ष्य नहीं पाते हैं। किंतु, अभियोजन का मामला यह भी है, जैसा अ॰ सा॰ 8 झानो देवी द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है, कि जब वह मृतका की तलाश कर रही थी, उसने अपीलार्थी को उस स्थान से भागते देखा था जहाँ से मृत शरीर बरामद किया गया था और जब वह भाग रहा था, वह बिल्कुल परेशान था। यह तथ्य अ॰ सा॰ 8 द्वारा अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 को बताया गया था किंतु अ॰ सा॰ 3 एवं 4 के साक्ष्य इस संबंध में ग्राह्य नहीं हैं क्योंकि झानो देवी (अ॰ सा॰ 8) ने यह परिसाक्ष्य कभी नहीं दिया है कि उसने उनको इस तथ्य के बारे में बताया था। यह आलोचना भी की गयी है कि अ॰ सा॰ 8 भी पूर्वोक्त तथ्य पर विश्वसनीय नहीं है, बल्कि उसका परिसाक्ष्य बाद में सोचा गया विचार है क्योंकि उसने पुलिस के समक्ष ऐसा बयान नहीं दिया है यद्यपि अ॰ सा॰ 8 का ध्यान उसके पूर्व बयानों की ओर आकृष्ट किया गया था, जिसका उसने सकारात्मक उत्तर दिया। किंतु बचाव ने अन्वेषण अधिकारी से यह प्रश्न नहीं पूछा था और परिस्थितियों के अधीन बचाव की ओर से किया गया निवेदन कि उक्त बयान बाद में सोचा गया विचार था, स्वीकार्य नहीं है।

20. इन परिस्थितियों के अधीन, उसके विवरण पर अविश्वास करने का कारण नहीं है कि उसने अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते देखा था और भागते हुए वह अत्यन्त परेशान था। अपीलार्थी का यह आचरण भी साक्ष्य में स्वीकार्य है।

21. इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि अभियोजन मामला अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत एवं अन्य साक्ष्य पर आधारित है। अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत की भूमिका वहाँ शुरू होती है जहाँ अभियुक्त एवं मृतका को साथ देखे जाने और मृतका को मृत पाये जाने के बीच के समय बिंदु का अंतराल इतना कम हैं कि अभियुक्त से भिन्न किसी की उपस्थिति की संभावना असंभव बन जाती है।

22. यहाँ वर्तमान मामले में, जैसा हमने गौर किया है, कि प्रात: लगभग 8 से 8.30 बजे अपीलार्थी को मृतका के साथ बैठा देखा गया था और प्रात: लगभग 9-9:30 बजे मृतका गायब पायी गयी थी, जिसका मृत शरीर प्रात: 10 बजे बरामद किया गया था। इस पहलू एवं परेशान दशा में अपीलार्थी को भागते हुए देखे जाने से संबंधित अन्य तथ्यों को विचार में लेते हुए इस निष्कर्ष पर आसानी से आया जा सकता है कि अपीलार्थी और केवल अपीलार्थी ने मृतका का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की।

यह तथ्य आगे प्रदर्श 4 से सिद्ध किया जाता है जो डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा रिपोर्ट है जिसमें उपदर्शित किया गया है कि प्रदर्श B (स्रोत: मृतका की जांघ से संग्रहित वीर्य का स्वाब) के वीर्य का योगदाता प्रदर्श Z (स्रोत: संदेही राजू सिंह का रक्त) से है जो एक ही पुरुष का है।

23. बचाव के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, डॉक्टर ने रक्त नमूना संग्रहित करने के बाद इसे अन्वेषण अधिकारी को दिया जिसने इसे मुहरबंद कभी नहीं करवाया और तद्द्वारा, रक्त नमूना की दूसरे नमूने में मिश्रित होने का अवसर था। पूर्वोक्त निवेदन प्राक्कल्पना पर आधारित प्रतीत होता है और न कि तथ्य पर क्योंकि अन्वेषण अधिकारी को इस प्रभाव का सुझाव भी नहीं दिया गया था।

24. इस प्रकार, मृतका के साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में शव परीक्षण रिपोर्ट से और डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा रिपोर्ट से भी संपुष्टि पाने वाले गवाहों के परिसाक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय अपीलार्थी का दोष दर्ज करने में पूर्णत: न्यायोचित था।

25. अब, दंडादेश के बिंदु पर आते हुए, बचाव पक्ष की ओर से यह निवेदन किया गया था कि यह सुयोग्य मामला नहीं है जिसे विरल मामलों में विरलतम कहा जा सकता है क्योंकि स्वयं अभियोजन द्वारा प्रक्षेपित मामला सुझाता है कि मृतका की हत्या पूर्व चिंतित नहीं थी और कि अपीलार्थी की आयु 25-26 वर्ष है किंतु विचारण न्यायालय ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को कम करने वाली परिस्थिति के रूप में नहीं लिया था और, तद्द्वारा, अपीलार्थी को अधिनिर्णीत मृत्यु दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

26. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि तथ्य एवं परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपीलार्थी की अपराधिता के बारे में लेश मात्र संदेह नहीं है और तरीका जिसमें 10 वर्षीय मासूम लड़की को यातना के अध्यधीन किया गया था और उसकी हत्या की गयी थी, सुझाती है कि इसे पूरी बर्बरता एवं अमानवीयता से किया गया था और तद्द्वारा अपीलार्थी मृत्यु दंडादेश से कम दंडादेश के योग्य नहीं है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सही प्रकार से अधिनिर्णीत किया गया है।

27. विचारण न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णीत करते हुए इस मामले में सामने आने वाली गुरुत्तर करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में लिया कि मृतका 10 वर्षीया लड़की थी जो खेत में अकेली थी और जिसे अपीलार्थी पर विश्वास था जो भूस्वामी का पुत्र था जिससे भूमि 'बटाई' पर ली गयी थी और इसके विरुद्ध कम करने वाली परिस्थिति केवल यह है कि अपीलार्थी का दांडिक पूर्ववृत्त नहीं था और तद्द्वारा कम करने वाली परिस्थिति पर अभिभावी गुरुत्तर करने वाली परिस्थिति मृत्युदंड का अधिरोपण न्यायोचित ठहराती हैं।

28. एकमात्र प्रश्न जिसे विनिश्चित किया जाना शेष है यह है कि क्या मामला मृत्युदंड न्यायोचित ठहराने वाले विरल मामलों में विरलतम की कोटि में आता है। यह कथन किया जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुत्तर करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करके अनेक निर्णयों में मृत्यु दंड संपुष्ट किया है जहाँ अवयस्क लड़की का बलात्कार एवं हत्या की गयी है। अभियुक्त की कम आयु, उसके सुधार की संभावना, बलात्कार के बाद हत्या करने के आशय की कमी आदि जैसे अनेक कारकों को भी न्यायिक विवेक में लिया गया है।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980)2 SCC 684,** मामले में मृत्यु दंड की संवैधानिक वैधता विनिश्चित करते हुए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 354 की उपधारा (3) में समाविष्ट दंड देने की प्रक्रिया का परीक्षण किया था और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था:–

"164 (b) nM lfgrk dh èkkjk 302 d vèkhu gR;k d vijkèk d fy, vfèkjkfir fd, tku oky nMkn'k d ç'u ij fopkj djr g, U;k;k;y; dk vijkèk ,o vijkèkh l lcfèkr çR;d çklfxd ifjfLFkfr dk è;ku e yuk gkxkA ;fn

*U;k;ky; ikrk g] fdr vU;Fkk ugh] fd vijkèk viu fMtkbu ,o bld fu"iknu d rjhd d dkj.k vkiokfnd :i l foÑr ,o t?kU; pfj= dk g vkj 0;kid lekt d çfr xHkhj [krjk dk lkr xfBr djrk g] U;k;ky; eR; nMkn'k vfèkjkfir dj ldrk gA***

30. बाद में, **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983)3 SCC 470,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^ekeyk eR; nMdh vi{kk djr g, fojy ekeyk e fojyre dh dkfV e vkrk g D;kfd gR;k dk ihfMr ekle cPpk Fkk tk dkb cgkuk Hkh ugh n ldrk Fkk vFkok ugh fn;k Fkk] gR;k d mdlkok dh ckr nj] vFkok gR;k vR;Ur fuee] t?kU;] nkuoh;] txlk vFkok ccj rjhd l dh x;h Fkh tk lenk; dk rho ,o vR;r jk"k mRiUu djrk FkkA vijkèkh dk çj.kk] ihfMr dh vjf{krk] vijkèk dh fo'kyrk] bldk fu"iknu o dkjd g tk lkekU;r% bl fojy ekeyk e fojyre crkr g, eR; nMkn'k vfèkfu.khr dju e U;k;ky; ij otu Mkyrk gA***

31. उन विख्यात निर्णयों के अतिरिक्त, मामलों की लंबी सूची है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि बलात्कार एवं हत्या के मामले की प्रकृति में मृत्युदंड समुचित है और कुछ मामलों में कम करने वाली परिस्थिति को ध्यान में लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत्यु दंड न्यायोचित नहीं है।

32. इस संबंध में, हम **अख्तर बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, (1999)6 SCC 60,** मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"3. .....fdr oreku ekey e] rhu xokgk d lk{; dk ijh{k.k dju ij ge ;g çrhr gkrk g fd vihykFkh&vfHk;Dr u vk'k;iod vkj fdlh io fpru d lkFk erdk ckfydk dh gR;k ugh fd;k gA nljh vkj] vihykFkh&vfHk;Dr u uo;orh dk futu LFkku ij ik;k vkj mldk cykRdkj dju d fy, mBk;k] cykRdkj djr g, vkj yMdh dk eg ncku dh çfØ;k e yMdh dh eR; gk x;hA fpfdRlh; lk{; Hkh minf'kr djrk g fd eR; ne ?kVu d dkj.k gb FkhA bu ifjfLFkfr;k e gekjk lfopkfjr er g fd oreku ekey dk fojy ekeyk e fojyre vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk g tk eR; nMU;k;kfpr Bgjkrk gA***

33. आगे, **बंटू बनाम म॰ प्र॰ राज्य (2001)9 SCC 615,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

*"8. -----oreku ekey e] ;g minf'kr dju d fy, vfHky[k ij dN ugh g fd vihykFkh dk dkb vkijkfèkd iooÙk Fkk vkj u gh ;g dgk tk ldrk g fd og 0;kid lekt d çfr xHkhj [krjk gkxkA ;g lR; g fd mldk ÑR; t?kU; g vkj bldh funk dju dh vko';drk g fdr blh le; ij ;g ugh dgk tk ldrk g fd ;g fojy ekeyk e fojyre g tgk vfHk;Dr dk lekt l gVk nu dh vko';drk gA vr% eR; nMkn'k vfèkjkfir dju dk vkfpR;i.k dkj.k ugh gA***

34. पुनः **अमित बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003)8 SCC 93,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"10. vxyk ç'u nMkn'k dk g] ;g fopkj djr g, fd vihykFkh uo;od g] ?kVuk d le; ij mldh vk; yxHkx 20o"k Fkh(og Nk= Fkk(fdlh io t?kU;

*vijkèk dk vfHky[k ugh g(vkj bldk dkb lk{; ugh g fd og lekt d çfr [krjk gkxk ;fn eR; nM vfèkfu.khr ugh fd;k tkrk gA ;|fi vihykFkh }kjk fd;k x;k vijkèk ?kkj funk d ;kX; g vkj vR;Ur t?kU; vijkèk g] fdr ekey d lefdr rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij ge ugh lkpr g fd ekeyk fojy ekeyk e fojyre dh dkfV e vkrk gA ge vk'kk djr g fd vihykFkh lcd lh[kxk vkj ml ;g fopkj dju dk volj gkxk fd mlu D;k fd;k Fkk tc og vkthou dkjkokl Hkxrrk gA***

35. उन मामलों में अधिकथित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि यह ऐसा मामला है जहाँ निर्जन स्थान में कम आयु की लड़की को उठाया गया और बलात्कार किया गया था और तब गला दबाकर हत्या की गयी थी और तद्द्वारा इसे पूर्वचिंतित नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी लगभग 25-26 वर्ष का नवयुवक है और उसका किसी जघन्य अपराध का पूर्ववृत्त नहीं है और कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि वह समाज के प्रति खतरा होगा। उस स्थिति में, मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णीत करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

36. तद्नुसार, अपीलार्थी को अधिनिर्णीत मृत्यु दंडादेश आजीवन कारावास में अल्पीकृत किया जाता है जो न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत अन्य दंडादेशों के एक के बाद एक चलेगा।

37. इस प्रकार, यह दांडिक अपील मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में अल्पीकृत करते हुए खारिज किया जाता है जो अन्य दंडादेशों के साथ एक के बाद एक चलेगा।

38. तद्नुसार, पूर्वोक्त तरीके से मृत्यु निर्देश का उत्तर दिया जाता है।

पी॰ पी॰ भट्ट, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

शिवमुनि राम

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 2298 of 2013. Decided on 23rd September, 2015.

नैसर्गिक न्याय—कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता है—विभिन्न पदों को धारण करने से व्यक्ति की पहचान परिवर्तित नहीं होती है—सिद्धांत को भूमिका में आने के लिए यह दर्शाना होगा कि संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह अथवा संबंध अथवा निजी हित है अथवा उसने संबंधित मामले में निजी रूप से कृत्य किया है अथवा/और पहले ही एक या दूसरा निर्णय लिया है जिसका समर्थन करने में वह हितबद्ध हो सकता है।

(पैराएँ 18, 19 एवं 20)

निर्णयज विधि.—(2006) 6 SCC 25; (2010) 10 SCC 539—Relied; (2009) 2 SCC 570; (2008)8 SCC 236—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s Navin Kumar Singh, Manoj Tandon, For the Petitioner; M/s Abhay Kumar Mishra, Bhola Nath Ojha, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

याची पर प्रत्यर्थी सं॰ 3 मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा जारी

मेमो सं॰ 445 (S) वाले दिनांक 15 जनवरी, 2013 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–11) द्वारा उसके अधिष्ठायी पद का न्यूनतम वेतनमान घटाने एवं 80,60,800/- रुपयों की वसूली का दंड अधिरोपित किया गया है।

2. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी सं॰ 2 प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा पारित दिनांक 26 जुलाई, 2013 के आदेश (परिशिष्ट–13) द्वारा याची की अपील भी अस्वीकार की गयी है जिसे आई॰ ए॰ सं॰ 5995 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 14 अगस्त, 2013 के आदेश द्वारा चुनौती देने की अनुमति भी दी गयी है।

3. तथ्यों के सिलसिलेवार क्रम का विवरण जो वर्तमान विवाद्यक के न्याय निर्णयन के लिए तात्विक है, को संक्षिप्त रूप से यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:

याची पथ निर्माण विभाग में कनीय अभियन्ता की हैसियत से कार्यरत था और विभागीय कार्यवाही में आरोप वर्ष 2006 में रोड डिविजन, डालटेनगंज में उसकी पदस्थापना की अवधि से संबंधित हैं।

4. वस्तुत: दो विभिन्न आरोप–पत्रों में, पहला प्रत्यर्थी सं॰ 3, मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी मेमो सं॰ 563 वाले दिनांक 24 जनवरी, 2012 के आदेश सं॰ 17 के अधीन याची के विरुद्ध अग्रसर हुआ गया था। उसमें आरोप सार में उसी प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा जारी दिनांक 6 जनवरी, 2012 के मेमो सं॰ 106 (S), आदेश सं॰ 4 वाले परिशिष्ट 5/1 में अंतर्विष्ट आरोपों के समरुप है। चार आरोपों को अंतर्विष्ट करने वाले कार्यालय आदेश सं॰ 17 के अधीन अभिकथन मेसर्स कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे रोड डिविजन, डालटेनगंज के अधीन विनिर्दिष्ट कामों का निष्पादन न्यस्त किया गया था, के साथ हुए करार सं॰ 1F2/2004-05 के संबंध में विटुमन के कूटरचित वाउचरों की मंजूरी से संबंधित हैं। यह अभिकथित किया गया था कि याची ने बीजकों का सत्यापन नहीं किया था और बिलों को तैयार किया गया था जबकि 26 बीजकों को कूटरचित पाया गया था। याची ने बीजकों का सत्यापन नहीं किया था और काम के निष्पादन की गुणवत्ता का जाँच नहीं किया था और न ही ठेकेदार द्वारा खाली बिटुमन ड्रमों को लौटाया गया था। आरोप सं॰ 2, 3 एवं 4 दिनांक 6 जनवरी, 2012 के कार्यालय आदेश सं॰ 4 के माध्यम से जारी परिशिष्ट 5/1 पर आरोप सं॰ 2, 3 एवं 4 के समरुप हैं यद्यपि वे भिन्न ठेकेदार के साथ हुए भिन्न करार के संबंध में हैं।

5. दिनांक 6 जनवरी, 2012 के कार्यालय आदेश सं॰ 4, परिशिष्ट 5/1, के साथ संलग्न अनुशासनिक प्राधिकारी, मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र के ''प्रपत्र (क)'' में अंतर्विष्ट चार आरोप दर्शाते हैं कि वे भी उसकी ओर से कर्तव्यों की अवहेलना एवं अनियमितता के गंभीर आरोपों के संबंध में है।

आरोप सं॰ 1 दर्शाता है कि याची जब वह रोड डिविजन, डालटेनगंज में पदस्थापित था ने करार सं॰ 11F2/2003-04 के संबंध में ठेकेदार मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि॰, गढ़वा द्वारा प्रस्तुत बिटुमन बीज को सत्यापित नहीं किया था और बिलों को तैयार किया गया था जबकि 61 बीजकों को कूटरचित पाया गया था और एक को किसी अन्य काम के लिए जारी किया गया पाया गया था। यह भी अभिकथित किया गया था कि बिटुमन के कम उपयोग के बावजूद निष्पादित काम की गुणवत्ता का सत्यापन किए बिना बीजकों को ठेकेदार को राशियों के भुगतानों के लिए बिलों को तैयार करने के लिए आधार बनाने की अनुमति दी गयी थी।

आरोप सं॰ 2 दर्शाता है कि बिटुमन की मूल्यांकित मात्रा का उपयोग काम के लिए नहीं किया गया था और न ही खरीदा गया था किंतु दावा के कूटरचित बीजकों को प्रस्तुत किया गया था। स्पष्टत: काम की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

आरोप सं॰ 3 बिहार लोक लेखा संहिता के पैरा 243 का उल्लंघन अभिकथित करती है।

आरोप सं॰ 4 ने अभिकथित किया कि ठेकेदार ने बिटुमन के प्रयोजनों से उपयोगित खाली ड्रमों को भी नहीं लौटाया था। अधिकारी द्वारा इनका सत्यापन नहीं किया गया था जिसने संपूर्ण संव्यवहार को संदेहास्पद बना दिया था।

6. जैसा प्रत्यर्थियों द्वारा प्रचारित किया गया है, आरोप का सार प्रत्यर्थी विभाग में काम के निष्पादन में पता लगाए गए बिटुमन घोटाला से संबंधित है। ये निगरानी जाँच के विषय वस्तु भी थे और इन्हें बाद में लोक हित याचिका में इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ के निर्देश के अनुसरण में सी॰ बी॰ आई॰ को सौंपा गया था।

7. अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों से यह प्रतीत होता है कि आरंभ में वित्त सचिव राजबाला वर्मा ने भी दिनांक 22 नवंबर, 2008 के पत्र (परिशिष्ट 1) के माध्यम से सचिव, पथ निर्माण विभाग को पथ काम के लिए बिटुमन के उपापन के मामले में महालेखाकार के कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान पायी गयी आपत्तियों को इंगित किया। उक्त पत्र सदृश बीजक कोड वाले 308 बीजकों के विरुद्ध भुगतान किए गए 6.74 करोड़ की कीमत पर 15 डिविजनों में बिटुमन के उपापन के संबंध में लेखा आपत्ति को निर्दिष्ट करता है। यह दो डिविजनों के अधीन दो कामों के निष्पादन में बिटुमन की विशाल मात्रा की खरीद के लिए सदृश बीजक कोड वाले 22 बीजकों के विरुद्ध ठेकेदार को किए गए 36.86 लाख रुपयों के भुगतान को भी निर्दिष्ट करता है। पत्र आगे नकली बीजकों के आधार पर समरुप तरीके से ठेकेदार को किए गए भुगतानों को निर्दिष्ट करता है। जिम्मेदार अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और निगरानी जाँच आरंभ करने के लिए भी लेखा आपत्तियाँ संसूचित की गयी थीं। इसने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई और ऐसे कृत्यों को दोहराए जाने से बचने के लिए सुधारात्मक उपायों को भी अनुशंसित किया।

8. जैसा दिनांक 28 जुलाई, 2009 के मेमो सं॰ 917, परिशिष्ट 2 से प्रतीत होगा, श्रीमती राजबाला वर्मा ने निगरानी आयुक्त के रूप में पदस्थापित होने के दौरान विषय पर महामहिम राज्यपाल के कार्यालय से कतिपय संसूचनाओं को भी संलग्न करते हुए पथ निर्माण विभाग के अधीन बिटुमन की खरीद के लिए निगरानी जाँच करने के लिए महानिदेशक (निगरानी ब्यूरो) को लिखा। उन्होंने मुख्य अभियन्ता, टेक्निकल मूल्यांकन कोष्ठ के माध्यम से टेक्निकल जाँच के लिए भी सहायता लेने की अनुमति दिया। परिशिष्ट 3 पथ कामों के लिए बिटुमन के उपापन में अनियमितता में सी॰ बी॰ आई॰ जाँच के लिए डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 803/2009 में उच्च न्यायालय के निर्देश को निर्दिष्ट करता उसी अधिकारी द्वारा कैबिनेट विभाग (निगरानी) के सलाहकार को निगरानी आयुक्त की हैसियत में फाइल पर दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 का एक अन्य नोटिंग है।

9. याची को पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी दिनांक 6 जनवरी, 2011 के परिशिष्ट 4 के तहत निलंबनाधीन किया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 3 अनुशासनिक प्राधिकारी ने क्रमशः परिशिष्टों-5/1 एवं 5 पर मेमो सं॰ 106 (S) एवं 563 (S) वाले दिनांक 6 जनवरी, 2012 और दिनांक 24 जनवरी, 2012 के कार्यालय आदेश सं॰ 4 एवं 17 के तहत यहाँ उपर चर्चा किए गए आरोपों के लिए याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ किया। प्रधान सचिव, खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप, झारखंड सरकार श्रीमती राजबाला वर्मा, आई॰ ए॰ एस॰ को याची के विरुद्ध जाँच संचालित करने के लिए जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जाँच के समापन पर, उसी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट ने समस्त आधारों पर याची को अभ्यारोपित किया। याची को प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा जाँच रिपोर्ट की

प्रति संलग्न करते हुए सं॰ 6464 (S) W वाले दिनांक 5 सितंबर, 2012 के पत्र (परिशिष्ट–8) के माध्यम से द्वितीय कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए कहा गया था। याची के उत्तर पर विचार करने के बाद आक्षेपित दंड अधिरोपित किया गया था।

10. प्रत्यर्थियों द्वारा अविवादित परिशिष्ट–10 पर याची द्वारा संलग्न नोटिंग से यह स्पष्ट है कि वसूली का दंड अधिरोपित करने के पहले प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। अधिकारी श्रीमती राज बाला वर्मा को तब पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया था। चूँकि अनुशासनिक प्राधिकारी अर्थात् मुख्य अभियन्ता, प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा आदेश पारित किया गया था, विभाग के सचिव के समक्ष अपील की गयी थी क्योंकि याची कनीय अभियन्ता था। याची की अपील उसी अधिकारी श्रीमती राजबाला वर्मा द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–सह–प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के रूप में अपनी हैसियत में अस्वीकार की गयी है। इन तथ्यों को प्रचारित किए जाने पर दिनांक 26 जून, 2015 के आदेश में ध्यान में लिया गया था जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *^^e[; vfHk;Urk] iFk fuek.k foHkkx }kjk tkjh fnukd 15.1.2013 d vk{kfir vkn'k] ifjf'k"V&11, u ;kph] ij tk foHkkx e duh; vfHk;Urk g d J.kh e ?kVk, tku ,o 80,60,800/-#i;k dh olyh dk nM vfèkjkfir fd;k x;k gA ;g nM çi= (d) e vkjki&i= lyXu djr g, fnukd 6.1.2012 d dk;ky; vkn'k l0 4 d rgr vkjHk fd, x, tkp ij vkèkkfjr g tgk Jherh jktckyk oek] Hkk0 ç0 l0] çèkku lfpo] [kk|] ykd forj.k ,o miHkkDrk dk;dyki] >kj[kM dk lpkyu dju oky vfèkdkjh d :i e fu;Dr fd;k x;k FkkA lpkyu dju oky mDr vfèkdkjh }kjk çLrr fnukd 16.2.2012 dh tkp fjikV d vkèkkj ij e[; vfHk;Urk] iFk fuek.k foHkkx] >kj[kM ljdkj u ;kph ij f}rh; dkj.k crkvk ukfVl (ifjf'k"V&8) tkjh fd;k fd D;k ugh ml ij e[; nM vfèkjkfir fd;k tk,A ,l nM d vfèkjki.k d ckn] ;kph u ifjf'k"V&12 d rgr vihyh; çkfèkdkjh&lg&lfpo] iFk fuek.k foHkkx d le{k vihy nkf[ky fd;kA mDr vihy vihyh;&çkfèkdkjh&lg&çèkku lfpo] iFk fuek.k foHkkx d fu.k; d vkèkkj ij tkjh fnukd 26.6.2013 d vkn'k (çfr'kiFk i= dk ifjf'k"V A) }kjk vLohdkj dh x;h gA*
>
> *2. ;kph d vfèkoDrk u Qkby ij ukfVx dk fufn"V fd;k g ft ld m) j.k ifjf'k"V 10 ij g ftud erkfcd Jherh jktckyk oek }kjk ;kph l 80,60,800/-#i;k dh olyh d fy, fun'k tkjh fd;k x;k gA çR;Ùkj d ijk 6 ij fn, x, c;ku d QyLo#i ml dh vkj l dFku fd;k x;k g fd mDr vfèkdkjh fnukd 18.6.2012 dk gh iFk fuek.k foHkkx dh çèkku lfpo cu x;h Fkh tcfd tkp fjikV fnukd 16.2.2012 dk çLrr dh x;h FkhA çR;Ùkj d ijk 7 ij vkx dFku fd;k x;k g fd ;kph }kjk nkf[ky vihy ml vfèkdkjh] tk ;kph dh tkp vfèkdkjh Hkh Fkh] }kjk çèkku lfpo] iFk fuek.k foHkkx d :i e viuh gfl;r e fnukd 6.7.2013 d vkn'k }kjk vLohdkj dj nh x;h FkhA vr%] vk{kfir vkn'k ,o vihyh; vkn'k ulfxd U;k; d fl)kr d mYy?ku l ihfMr g D;kfd ogh 0;fDr tk Lo; tkp vfèkdkjh Fkk Lo; viu ekey e U;k;èkh'k ugh cu ldrk gA*
>
> *3. ;kph u ek0 ;ul [kku cuke mÙkj çn'k jkT; ,o vU;] (2010)10 SCC 539, vkj :i flg uxh cuke itkc u'kuy cd ,o vU;] (2009)2 SCC 570,*

rFkk mÙkjkpy jkT; ,o vU; cuke [kMd flg] (2008)8 SCC 236 e ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k;k ij fo'okl fd;k gA

4. fo}ku LFkk;h vfèkoDrk lO III fuonu djr g fd ;kph dh vkj l bfxr dh x;h iokDr çfØ;kRed ncyrk ekey dh tM rd tkrh g D;kfd tkp fjikV dh çLrfr d pj.k l foHkkxh; dk;okgh d lpkyu ij bldk çHkko gk ldrk FkkA og vkx fuonu djr g fd ekey e vfre fu.k; yu d igy] ml çR;Fkh ljdkj ,o foHkkx d vèkhu lcfèkr çkfèkdkfj;k d lkFk fopkj foe'k dju d fy, vkj u, çR;Ùkj d lkFk vku d fy, le; dh vuefr nh tk;A

5. ;gk mij xkj fd, x, Li"V rF;k dk è;ku e j[kdj] tlh çkFkuk jkT; d vfèkoDrk dh vkj l dh x;h g] ekey e vfre fu.k; yu d igy çR;Fkh d vfèkoDrk dk viu lfopkfjr nf"Vdk.k d lkFk vku dk ,d vkj volj dh vuefr nh tkrh gA

6. tlh çkFkuk dh x;h g] pkj llrkg dk le; vuKkr fd;k tkrk gA ekeyk iu% fnukd 7.8.2015 dk lphc) fd;k tk,A

11. प्रत्यर्थियों द्वारा की गयी कार्रवाई को दोहराते हुए और जाँच अधिकारी के रूप में प्रधान सचिव, खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग, झारखंड सरकार के रूप में पदस्थापित और तत्पश्चात प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड की हैसियत में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी संबंधित अधिकारी द्वारा लिए गए आक्षेपित निर्णय को न्यायोचित ठहराते हुए सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, राँची द्वारा शपथ पर शपथ पत्र दाखिल किया गया था। उठाए गए विवाद्यक की गंभीरता पर विचार करते हुए प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार को दिनांक 26 जून, 2015 के आदेश के निबंधनानुसार स्वयं द्वारा शपथ पर शपथ पत्र पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया था। श्रीमती राजबाला वर्मा द्वारा प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार की हैसियत से ऐसा शपथ पत्र दाखिल किया गया है एवं शपथ लिया गया है। दृष्टिकोण अंतर्विष्ट करने वाले शपथ पत्र के पैराओं 5 एवं 6 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

^^ijk 5. fd Jherh jktckyk oek] HkkO ç0 lO] çèkku lfpo] [kk| ,o flfoy vkifr] >kj[kM] jkph d :i e inLFkkfir Fkh tc mUg fnukd 24.1.2012 d eek lO 563 (S) vkj fnukd 6.1.2012 d eek lO 106 (S) e vrfo"V vkn'k d rgr Jh f'koefu jke d fo#) foHkkxh; dk;okgh e tkp vfèkdkjh d :i e fu;Dr fd;k x;k FkkA

*ijk 6 : fd fnukd 16.2.2012 dk çèkku lfpo] [kk| ,o flfoy vkifr] >kj[kM] jkph d mlh in ij jgr g, tkp vfèkdkjh u fjikV çLrr fd;kA fd Jherh jktckyk oek dk LFkkukrj.k fd;k x;k Fkk vkj og çèkku lfpo] iFk fuek.k foHkkx cu x;hA og vu'kklfud çkfèkdkjh Fkh vkj viu }kjk èkkj.k in d QyLo#i vihyh; çkfèkdkjh d :i e ÑR; fd;kA***

12. यह इस तथ्य को विवादित नहीं करता है कि उन्होंने विभागीय कार्यवाही में जाँच अधिकारी के रूप में और अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी की प्रकृति का भी कार्य किया। आक्षेपित आदेश का समर्थन करने के लिए दिया गया औचित्य यह है कि ऐसी कार्रवाई उनके द्वारा धारण किए गए पद के फलस्वरुप की गयी थी।

13. आक्षेपित आदेशों को याची द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गयी है। उसके समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया गया है।

(i) ekO ;ul [kku cuke mÙkj çn'k jkT; ,o vU;] (2010)10 SCC 539

(ii) : i flg uxh cuke itkc u'kuy cd ,o vU;] (2009)2 SCC 570

(iii) mÙkjkpy jkT; ,o vU; cuke [kMd flg (2008)8 SCC 236

14. यह आग्रह किया गया है कि उसी व्यक्ति जो परिवादी था को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसने याची को आरोपों पर अभ्यारोपित किया। उन्होंने पुनः अनुशासनिक प्राधिकारी की हैसियत में कृत्य किया और याची द्वारा दाखिल अपील भी सुना। अतः, प्रत्येक चरण पर वह व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश बन गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है। अतः, आक्षेपित आदेश विधिक संवीक्षण की परीक्षा पर खरे नहीं उतर सकते हैं क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया विमोचन के परे दूषित हो गयी है।

15. प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ये रोड डिविजन, डालटेनगंज में उसकी पदस्थापन के दौरान कनीय अभियन्ता की हैसियत में याची द्वारा किए गए कृत्यों/लोपों से संबंधित हैं, जिनका परिणाम ठेकेदार एवं अनेक व्यक्तियों द्वारा सरकारी धन के विशाल गबन एवं दुर्विनियोग में हुआ है। याची उन्हीं आरोपों के संबंध में सी॰ बी॰ आई॰ मामलों का भी सामना कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने इस निवेदन पर आक्षेपित कार्रवाई का बचाव करने का प्रयास किया है कि अधिकारी की याची के साथ निजी दुश्मनी नहीं थी। उसने केवल समय के विभिन्न बिंदुओं पर धारण किए गए पद के कर्तव्य का निर्वहन किया था। किंतु, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता इस सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना को दूर करने की अवस्था में नहीं हैं कि व्यक्ति जो अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध दोष के निष्कर्ष पर पहुँचने वाले जाँच का लेखक है, अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कृत्य नहीं कर सकता था। उन्होंने यह कथन करके याची के प्रतिवाद की खारिजी इप्सित किया कि उक्त अधिकारी परिवादी था जिसने केवल वित्त सचिव की हैसियत से अथवा अन्वेषण के लिए संबंधित निगरानी ब्यूरो के निगरानी आयुक्त के रूप में लेखा परीक्षा रिपोर्टों को अग्रसारित किया था।

16. अतः, यह निवेदन किया गया है कि आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए यह न्यायालय संभवतः अपनी स्वविवेकी अधिकारिता के प्रयोग में इसमें हस्तक्षेप करना न चाहे।

17. मैंने विस्तारपूर्वक पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है। प्रासंगिक तथ्यों के क्रम इसमें लेश मात्र संदेह भी नहीं छोड़ते हैं कि विभागीय कार्यवाही बचाव के परे बिंदु तक पीड़ित हुई है क्योंकि वही व्यक्ति, जिसने न केवल पथ निर्माण विभाग के वित्त सचिव की हैसियत में और निगरानी आयुक्त के रूप में निगरानी जाँच आरंभ करना एवं कार्रवाई करना अनुशंसित किया था, जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था और उसने याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कृत्य किया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति जिसने बिटुमन की खरीद के मामले में निधि के दुर्विनियोग एवं गबन

के उदाहरणों के संबंध में निगरानी आयुक्त की हैसियत से निगरानी जाँच आरंभ करने की अनुशंसा की थी, निगरानी जाँच आरंभ करने के लिए और अपने टेक्निकल कोष्ठ के माध्यम से अन्वेषण करने के लिए भी निगरानी ब्यूरो के महानिदेशक को अनुशंसा करते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय की विचित्र चालाकी द्वारा वही अधिकारी जाँच अधिकारी बन गया और सत्यापन के बिना ठेकेदार द्वारा नकली बीजकों को प्रस्तुत करने पर बिटुमन की खरीद एवं सरकारी धन के गबन से संबंधित अभिकथित आरोपों के लिए याची के विरुद्ध विभागीय जाँच संचालित किया। केवल यही नहीं, उसी अधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कृत्य किया क्योंकि अनुशासनिक प्राधिकारी प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने याची पर वसूली का दंड अधिरोपित करने के पहले पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव का अनुमोदन इप्सित करना चुना था। उसी व्यक्ति ने याची की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय प्राधिकारी की हैसियत में कृत्य किया।

18. कोई व्यक्ति समय के विभिन्न बिंदु पर विभिन्न पदनाम अथवा पद धारण कर सकता है किंतु विभिन्न पदों को धारण करने से उस व्यक्ति की पहचान परिवर्तित नहीं होती है। यदि ऐसा होता, तब भिन्न हैसियत में पदस्थापित रहते हुए जाँच संचालित करने वाला व्यक्ति सदैव अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में अथवा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी स्वयं अपने रिपोर्ट का निर्णय करता। यह विधि का मूल सिद्धांत है जिसको जानने की उम्मीद ऐसे उच्च एवं जिम्मेदार पद धारण करने वाले किसी अधिकारी से की जाती है।

19. यह सिद्धांत कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पहलुओं में से एक है। ''कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले का निर्णायक नहीं हो सकता है।'' **क्रॉफोर्ड बेली एन्ड कं॰ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2006)6 SCC page 25,** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 18 पर अधिकथित विधि की प्रतिपादना यहाँ नीचे उद्धृत की जा रही है:–

> *"18. bl lcèk e] futh iokxg d lcèk e fnYyh foÙk fuxe cuke jktho vkuUn d çfr fun'k fd;k x;k Fkk vFkkr lkfofèkd çkfèkdkj dk vfèkdkjh link vfèkdkjh d :i e fu;Dr fd;k x;k g] vr%] og viuk futh iokxg lkFk j[kxkA fdr] bl U;k;ky; u iokDr ekey e vfHkfuèkkfjr fd;k fd fl)kr ^^dkb 0;fDr Lo; viu ekey e fu.kk;d ugh gk ldrk g] doy mu ekeyk ij ykx fd;k tk ldrk g tgk lcfèkr 0;fDr dk futh fgr g vFkok mlu Lo; igy gh dN ÑR; fd;k g vFkok lcfèkr ekey e fu.k; fy;k gA ek= blfy, fd fuxe d vfèkdkjh dk çkfèkdkjh ukfer fd;k tkuk g] Lo; e fl)kr ^^dkb 0;fDr Lo; viu ekey e fu.kk;d ugh gk ldrk g** dk çoru e ugh ykrk gA* ***ml fl)kr dh Hkfedk 'k: gku d fy, ;g n'kkuk gkxk fd lcfèkr vfèkdkjh dk futh iokxg g vFkok lcèk vFkok futh fgr g vkj mlu lcfèkr ekey e futh :i l ÑR; fd;k g vkj@vFkok igy gh ,d ;k nljk fu.k; fy;k g ftldk leFku dju e og fnypLih j[k ldrk gA***

मो॰ युनूस खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2010)10 SCC 539, में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा दृष्टिकोण लिया गया है। बेहतर अधिमूल्यन के लिए रिपोर्ट के पैराग्राफों 26, 28 एवं 29 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"26.* ***bl U;k;ky; u ,O ;O dj'kh cuke xtjkr mPp U;k;ky; e v'kkd dekj ;kno cuke gfj;k.kk jkT; e fu.k; ij fo'okl fd;k vkj vfHkfuèkkfjr fd;k fd fdlh 0;fDr dk ml fookn dk U;k; fu.k;u ugh djuk pfg, ftl ij mlu fdlh gfl;r e fopkj fd;k gA bl fl)kr dk ikyu dju e foQyrk mDr 0;fDr dh vkj l iokxg dh vk'kdk lftr djrh gA*** *vr%] fofèk vko';d cukrh g fd fdlh 0;fDr dk og*

ekeyk fofuf'pr ugh djuk pkfg, ft le og fgrc) gA ***ç'u ;g ugh g fd D;k 0;fDr okLrfod :i l iokxg xLr g cfYd ;g g fd D;k ifjfLFkfr;k ,lh g tk vU; d fnekx e ;fDr;Dr vk'kdk lftr dj ld fd fu.k; dk çHkkfor dju oky iokxg dh lHkkouk gA*****

28. v tu pkc cuke Hkkjr l?k e bl U;k;ky; dh loèkkfud U;k;ihB u rn#i ekey ij fopkj fd;k g ft le uknu jyo e lokjr depkjh dk mi e[; okf.kfT;d vèkh{kd }kjk vkjki d fo#) depkjh }kjk fn, x, Li"Vhdj.k ij Lo; }kjk fopkj dju d ckn vkj ;g lkpu d ckn fd depkjh lok e j[k tku ;kX; ugh Fkk] vopkj ft ldk lcèk Lo; mud lkFk Fkk d vkjki ij c[kkLr fd;k x;k FkkA ;g fopkj Hkh fd;k x;k Fkk fd D;k ,l ekey e U;k;ky; dk depkjh dk vurk"k nu l budkj djuk pkfg,] Hkyh gh U;k;ky; bl fu"d"k ij vkrk g fd nM dk vkn'k bl vkèkkj ij nf"kr gk x;k fd depkjh vuu'kklu@vopkj d vknru ÑR;k dk nk"kh jgk FkkA bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd depkjh d fo#) ikfjr c[kkLrxh dk vkn'k nf"kr gk x;k Fkk D;kfd ;g ulfxd U;k; d fl)kr d fcYdy mYy?ku e FkkA depkjh d fo#) vkjkik dk e[; ç.kkn Lo; vu'kklfud çkfèkdkjh d çfr mld vkpj.k l lcfèkr Fkk] vr% vu'kklfud çkfèkdkjh dk depkjh }kjk fn, x, Li"Vhdj.k ij fopkj ,o vipkjh d fo#) fu.k; dju dh NV ugh FkhA dkb 0;fDr Lo; viu ekey e fu.k;drk ugh gk ldrk Fkk vkj dkb xokg çek.k if=r ugh dj ldrk Fkk fd mldk ifjlk{; lR; FkkA fdlh dk Hkh] ft ldk tkp e futh nko Fkk] tkp l Lo; dk vyx j[kuk gkxkA U;k;ky; u vkx vfHkfuèkkfjr fd;k fd ,l ekey e ;g fopkj ugh fd;k tk ldrk Fkk fd depkjh U;k;ky; l dkb vurk"k iku ;kX; ugh Fkk pfd og vu'kklu Hkx dju oky ÑR;k dk vknru nk"kh FkkA ***voèkrk] ft ll lcfèkr çkfèkdkjh }kjk ikfjr c[kkLrxh dk vkn'k ihfMr Fkk] bru xHkhj ,o ey pfj= dk Fkk fd vipkjh depkjh dk vfHkdfFkr vknro'k n0;ogkj bl lèkkj vFkok ekQ ugh dj ldrk FkkA***

29. ***bl çdkj] fofèkd voLFkk lkeu vkrh g fd ;fn dkb 0;fDr vu'kklfud dk;okgh e xokg d :i e mifLFkr gkrk g] og tkp vfèkdkjh ugh gk ldrk g vkj u gh vu'kklfud çkfèkdkjh d :i e nM dk vkn'k ikfjr dj ldrk gA bl fl)kr dk ifo= vfHkfuèkkfjr fd;k x;k gA iokxg dh vk'kdk U;k;&fu.kk;d d :i e ÑR; dju d fy, 0;fDr d fy, vugrk d :i çofrr gkrh gA dkb 0;fDr Lo; viu ekey e fu.kk;d ugh gk ldrk g vkj dkb xokg çek.k if=r ugh dj ldrk g fd Lo; mldk viuk ifjlk{; lR; gA fdlh dk Hkh ft ldk vu'kklfud dk;okgh e futh fgr g dk Lo; dk ,lh dk;okgh l nj j[kuk gkxkA ulfxd U;k; d fl)kr dk mYy?ku vkn'k dk vÑr ,o 'kU; cuk nrk gA*****

20. यह सिद्धांत ''कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता है'' केवल ऐसे मामलों पर लागू किया जा सकता है जहाँ संबंधित व्यक्ति का निजी हित है अथवा उसने स्वयं संबंधित मामले में पहले ही कुछ कृत्य किया है अथवा निर्णय लिया है। सिद्धांत को लागू करने के लिए यह दर्शाना होगा कि संबंधित अधिकारी का निजी पूर्वाग्रह है अथवा संबंध अथवा निजी हित है अथवा संबंधित मामले में निजी रूप से कृत्य किया है और/अथवा पहले ही एक या दूसरा निर्णय लिया है, जिसका समर्थन करने में वह दिलचस्पी रख सकता है।

21. यहाँ उपर गौर किए गए प्रासंगिक तथ्यों से पूरी तरह स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी ने न केवल बिटुमन घोटाला, विषय वस्तु जिसके साथ याची का सरोकार है, से संबंधित मामले में निगरानी जाँच का

संस्थापन एवं अन्वेषण अनुशंसित किया था बल्कि अनुशासनिक प्राधिकारी, प्रत्यर्थी सं॰ 3, नियुक्त किए जाने पर जाँच अधिकारी के रूप में दोष के निष्कर्ष पर भी आया था। इस अर्थ में, उस व्यक्ति ने एक या दूसरा निर्णय लिया था जिसका समर्थन करने में वह अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में अथवा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निर्णय लेते हुए दिलचस्पी रख सकता है। निष्कर्ष जिसे आसानी से निकाला जा सकता है यह है कि निर्णय लेने की संपूर्ण प्रक्रिया पीड़ित हुई है। जाँच स्वयं जाँच अधिकारी की नियुक्ति के चरण से दूषित हो गयी है।

आरोपों को गंभीर बताया गया है। न्यायालय को इस चरण पर उन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोपों के उसी संवर्ग पर जाँच अधिकारी की नियुक्ति के चरण से नया जाँच करने की आवश्यकता है जहाँ अभियोजन एवं अपचारी कर्मचारी को आरोप सिद्ध करने और/ अथवा अपना बचाव करने का अवसर होगा। किंतु, आक्षेपित आदेशों एवं विभागीय कार्यवाही को विधि की दृष्टि में बचाया नहीं जा सकता है। तद्नुसार, दिनांक 15 जनवरी, 2013 का दंड का आदेश (परिशिष्ट-11) और दिनांक 26 जुलाई 2013 का अपीलीय आदेश (परिशिष्ट-13) एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। किंतु, याची के विरुद्ध आरोपों पर जाँच अधिकारी की नियुक्ति के चरण से और समयबद्ध तरीके से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद विधि के अनुरुप उक्त विभागीय कार्यवाही में नए सिरे से अग्रसर होने की स्वतंत्रता प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को दी जाती है।

22. यहाँ उपर दर्ज किए गए निष्कर्षों की दृष्टि में, इस आदेश की प्रति सुधारात्मक कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को भेजी जाए।

23. तद्नुसार, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

जयेश मेहता

cuke

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

W.P. (S) No. 1049 of 2009. Decided on 4th December, 2015.

सेवा विधि–बर्खास्तगी–बैंकिंग सेवा–अभिकथनों में 21 आरोपों को अंतर्विष्ट थे–विभागीय जाँच करने में प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है–रिट अधिकारिता में साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन अनुज्ञेय नहीं है–रिट शक्ति साक्ष्य पर आधारित तीन तर्कपूर्ण कारणों के तथ्यों के विरुद्ध लागू नहीं की जा सकती है–नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा संपुष्ट किए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(2009) 8 SCC 310; AIR 2003 SC 1462; (2007) 1 SCC (Cri) 612—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Saurabh Arun & Krishna Shankar, For the Petitioner; Mr. Rajesh Kumar, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ महाप्रबंधक (नेटवर्क II) एस॰ बी॰ आई॰, एल॰ एच॰ ओ॰ पटना द्वारा पारित दिनांक 9.12.2006 के आदेश के तहत

सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के अभिखंडन के लिए और दिनांक 9.4.2007 के अपीलीय आदेश के अभिखंडन के लिए तथा दिनांक 3.3.2008 के पुनर्विलोकन आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है और याची ने आगे मामले पर विचार करने के लिए तथा उसके समर्थन में तर्कपूर्ण कारणों के साथ समुचित दंड अधिरोपित करने के लिए एवं सेवा में व्यवधान के बिना समस्त पारिणामिक लाभों के साथ पुनर्बहाली के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना किया है।

2. रिट आवेदन में प्रकट किए गए संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को आरंभ में भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था अैर बाद में याची को कनीय प्रबंधन ग्रेड स्केल I पर प्रोन्नत किया गया है। इस प्रकार डिगवाडीह शाखा में सेवा में बने रहते हुए याची पर दिनांक 16.9.2005 के मेमो के तहत नोटिस तामील किया गया था जिसमें यह सूचित किया गया है कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही द्वारा आरंभ में निर्णय लिया गया है और मेमो के साथ साक्ष्यों की संविधि भी संलग्न की गयी थी। अभिकथनों में ए॰ एम॰ वाई॰ दमकरा शाखा में उसके पदस्थापना के दौरान लगाये गये 21 आरोप अंतर्विष्ट थे। आरोपों की प्राप्ति पर, याची ने अभिकथनों से इनकार करते हुए अपना उत्तर दाखिल किया। जाँच अधिकारी द्वारा मामले की जाँच की गयी थी और जाँच अधिकारी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और जाँच अधिकारी ने 21 आरोपों में से 16 आरोपों को सिद्ध किया गया, तीन आरोपों को आंशिक रूप से सिद्ध किया गया और दो आरोपों को असिद्ध अभिनिर्धारित किया। जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 9.12.2006 के आदेश के तहत सेवा से बर्खास्तगी के दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया। बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित होकर याची ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किया और अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 9.4.2007 के आदेश के तहत अपील अस्वीकार किया और अपीलीय आदेश की खारिजी के विरुद्ध याची ने पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल किया जिसे भी पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है जिसने अनुशासनिक प्राधिकारी के बर्खास्तगी आदेश एवं अपीलीय आदेश को भी संपुष्ट किया। कोई विकल्प, प्रभावकारी एवं त्वरित उपचार नहीं पाने पर याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

3. समानांतर स्तंभ में, रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थियों की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रति शपथपत्र में यह निवेदन किया गया है कि नियमों, विनियमनों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करने के बाद संपूर्ण विभागीय कार्यवाही पूरी की गयी है, अत: रिट याचिका पूर्णत: भ्रामक है और सकारण आदेश द्वरा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा और पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा दंड का आदेश संपुष्ट किया गया है और इस प्रकार रिट आवेदन पोषणीय नहीं है और आरंभ में ही खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिशपथ पत्र में, यह निवेदन किया गया है कि कनीय प्रबंधन ग्रेड स्केल I के रूप में कार्य करते हुए, याची के विरुद्ध गंभीर अभिकथन थे जो पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण एवं परिश्रम से बैंक की सेवा करने में विफल रहा और बैंक अधिकारी को अशोभनीय तरीके से कृत्य किया और वह बैंक के हित के प्रति अत्यन्त प्रतिकूल था और तद्नुसार बैंक ने दिनांक 16.9.2005 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध अग्रसर होने का निर्णय किया अैर उसको आरोप के उक्त विवरणें जारी की गयी थी और एस॰ बी॰ आई॰ अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 68 (2) (ii) के मुताबिक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच अधिकारी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और याची को जाँच की रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति की गयी थी ताकि उसे जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के विरुद्ध निवेदन करने/अभ्यावेदन देने के लिए सक्षम बनाया जा सके। जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने एवं सेवा नियमावली का अनुसरण करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी ने

दिनांक 9.12.2006 के सकारण आदेश के तहत एस॰ बी॰ आई॰ अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 67 (j) के निबंधनानुसार बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया और उक्त आदेश अपीलीय प्राधिकारी द्वारा एवं पुनर्विलोकन कमिटी द्वारा भी संपुष्ट किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यह बिल्कुल प्रकट है कि याची ने गंभीर अनियमितता किया है और उसने पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण एवं परिश्रम के साथ कार्य नहीं किया है और बैंक अधिकारी को अशोभनीय तरीके से कृत्य किया है जो बैंक के हित के प्रति अत्यन्त प्रतिकूल है और इसलिए ऐसे अधिकारी की पुनर्बहाली का प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता है क्योंकि याची ने बैंक का विश्वास गवाँ दिया है। बैंकिंग व्यवसाय में, बैंक के अधिकारी एवं स्टॉफ को ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण एवं परिश्रम दर्शाना होगा और ज्योंही विश्वास चला जाता है, सेवा में बने रहने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है और तद्नुसार, सेवा से उसकी बर्खास्तगी का वर्तमान आदेश अवैधता अथवा अनियमितता से पीड़ित नहीं है और इसके अतिरिक्त, ताथ्यिक अवस्था पर विचार करते हुए याची पर अधिरोपित दंड याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अननुपातिक नहीं कहा जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपचारी कर्मचारी को पहले ही उसके द्वारा की गयी कतिपय गंभीर अनियमितताओं के लिए दंडित किया गया था जो प्रतिशपथपत्र के परिशिष्ट B के तहत दिनांक 21.6.2004 के पत्र और महाप्रबंधक (अनुशासनिक प्राधिकारी) द्वारा बर्खास्तगी के आदेश से प्रकट है, अत: याची का अभिवचन कि उसने पूरे समर्पण एवं परिश्रम के साथ कार्य किया है और उसका सेवा अभिलेख भी अकलंकित है, सही नहीं है। प्रतिशपथ पत्र में आगे यह निवेदन किया गया है कि रिट आवेदन में दिया गया बयान कि बैंक को वित्तीय हानि नहीं हुई है, स्वीकार्य नहीं है। बैंक जैसे वित्तीय संस्थान में जो लोक निधि का न्यासी है, कर्मचारी की निष्ठा एवं ईमानदारी का निर्णय करने का एकमात्र मापदंड धनीय हानि नहीं हो सकता है। उसकी सहमति/प्राधिकार के बिना किसी के खाता में छेड़छाड़ करना मूल बैंकिंग सन्नियमों एवं सिद्धांतों की अवज्ञा है और इस दशा में अपचारी की निंदा करनी ही होगी और इसे अननुमोदित करना ही होगा।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ अरुण एवं प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमर सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार आग्रह किया है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा भी संपुष्ट दंड का आक्षेपित आदेश अवैध शून्य एवं अधिकारिताहीन है चूँकि संपूर्ण मामला किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा और पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा संपुष्ट जैसा परिशिष्टों 5 एवं 6 पर आदेश में अंतर्विष्ट है, किया गया सेवा से बर्खास्तगी के दंड का आक्षेपित आदेश याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अननुपातिक है और कठोर तथा आत्यधिक है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि चूँकि प्रत्यर्थीगण इस तथ्य को सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि बैंक को वित्तीय हानि कारित की गयी है, अत: सेवा से बर्खास्तगी का कठोर दंड याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अननुपातिक है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रतिशपथ पत्र के रूप मे कारणों, जो आक्षेपित आदेश में नहीं हैं को पूरित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश कारण रहित आदेश है। प्रतिवादों के समर्थन में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **मोहिन्दर सिंह गिल एवं एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नयी दिल्ली एवं अन्य, AIR 1978 SC 851,** विशेषत: पैराग्राफ 8 मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जो निम्नलिखित है:–

*"8. tc lkfofèkd ÑR;dkjh dfri; vkèkkjk ij vkèkkfjr vkn'k ikfjr djrk g] bldh oèkrk dk fu.k; bl çdkj mfYyf[kr dkj.kk l djuk gkxk vkj 'kiFk i= d :i e vFkok vU;Fkk u, dkj.kk }kjk bl ifjr ugh fd;k tk ldrk gA vU;Fkk] vkjHk e nk"ki.k vkn'k ml le; rd tc ;g pukrh d dkj.k U;k;ky; d ikl vkrk g] ckn e yk, x, vfrfjDr vkèkkjk }kjk fofèkekU; gk tkrk gA***

याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **इंदू भूषण द्विवेदी बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, (2010)11 SCC 278,** मामले में निर्णय, विशेषत: पैराग्राफ सं॰ 22 एवं 23 को निर्दिष्ट किया है जिन्हें यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"22. lkekU; fu;e d :i e] i{kk d chp okn fofuf'pr dju d dke l U;Lr vFkok vkn'k] tk fdlh 0;fDr d vfèkdkjk dk çfrdy :i l çHkkfor djrk g vFkok flfoy ifj.kke l mldk lkeuk djokrk g] ikfjr dju d fy, l'kDr çkfèkdkjh bl fl)kr lfgr fd lcfèkr 0;fDr d fo#) mi;kx fd, tku d fy, bfllr lkexh mldk çdV dju gkxh vkj ml viuh voLFkk Li"V dju dk volj fn;k tkuk pkfg,] ulfxd U;k; d fl)krk d vu#i ÑR; dju d fy, ckè; gA luokb dk vfyf[kr vfèkdkj U;k;kfpr fu.k; dk ey g tk fofèk d 'kklu dh èkkj.kk dk v[kfMr Hkkx fufer djrk gA bl vfèkdkj dh tM fu"i{k çfØ;k dh èkkj.kk e gA ;g lcfèkr çkfèkdkjh dk è;ku viu fu.k; ij vku d igy dkj.k] ftl vU; i{k }kjk n'kk;k tk ldrk g] dk vun[kk ugh dju dh vfuok;; vko';drk dh vkj vkÑ"V djrk gA

*23. tc vipkjh depkjh d fo#) vu'kklfud dkjokb dju dh ckr vkrh g] fu;kDrk dk u doy depkjh dk vopkj d fofufn"V ykNuk l voxr djku dh vko';drk gkrh g cfYd mld fo#) mi;kx fd, tku d fy, bfllr lkexh dk çdV dju ,o viuh voLFkk Li"V dju d fy, vFkok viuk cpko dju d fy, mldk ;fDr;Dr volj nu dh vko';drk Hkh gA ;fn fu;kDrk depkjh d çfrdy dN lkexh dk mi;kx djrk g ftld ckj e ml ukfVl ugh fn;k x;k g] vfre fu.k; ^^nlj i{k dh Hkh luk** fl)kr d mYy?ku d dkj.k nf"kr gk tkrk gA Hky gh ,lk dkb lkfofèkd fu;e ugh g tk vipkjh depkjh d fo#) vu'kklfud tkp fofu;fer dj] fu;kDrk ulfxd U;k; d fl)krk d vudy ÑR; dju d fy, dr0;c) g&m0 ç0 o;j gkÅflx dkjikj'ku cuke fot; ukjk;.k okti;hA***

याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **अमरेन्द्र नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं तीन अन्य,** 2004 (2) JLJR 235, मामले में निर्णय विशेषत: पैराग्राफ सं॰ 10 को निर्दिष्ट किया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"10. vr% ;g çrhr gkrk g fd nkuk vfèkdkfj;k ftUgku vk{kfir vkn'kk dk ikfjr fd;k g] u viu food dk bLreky ugh fd;k g vkj ml rjhd l dk; fd;k g tk fofèk e vuK; ugh gA ;g lKkr g fd fdlh 0;fDr dk ml vkjki d fy, nfMr ugh fd;k tk ldrk g tk vkjki&i= e ugh g vFkok ftld fy, mld fo#) vxlj ugh gvk x;k gA vr%] vihyh; çkfèkdkjh dk vfrfjDr vkjkik dk fopkj e yu ij rkfRod vfu;ferk d lkFk dk; dju okyk dgk tkuk gkxkA***

याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **विजय सिंह बनम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2012)5 SCC 242,** मामले में निर्णय, विशेषत: पैराग्राफ 18 को निर्दिष्ट किया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"18. oreku ekeyk fdlh xHkhjrk vkj bekunkjh d fcuk lokfèkd xHkhj fook|dk ij fopkj fd;k tkuk n'kkrk gA dr0;fu"Bk l vfHkçr g ufrd fl)kr vFkok pfj= dh xHkhjrk] Lokeh HkfDr] bekunkjh] fdlh iokxg vFkok Hk"V dju oky çHkko vFkok gr l eDr vkj fo'k) lnx.k ;Dr pfj=A ;g 'kfprk] 'k) rk] bekunkjh] lkèkrk] ikighurk ,o fu"Bk dk i;k;okph gA mi{kk] vuoèkkuh vFkok vuk'kf;r dk; dju dk vkjki lngi.k dr0;fu"Bk d ekey e ifj.kr ugh gkxkA***

याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम ए॰ मसिलामनि, (2013)6 SCC 530,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **एस॰ आर॰ तिवारी बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2013)6 SCC 602,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करके अपने तर्क को मेहनत से बढ़ाया है कि याची के आचरण का परिणाम विश्वास खोने में हुआ और आरोपों की गंभीरता एवं जाँच अधिकारी के निष्कर्षों को विचार में लेते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया है जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा और पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा भी अभिपुष्ट किया गया है, अतः, अपीलीय प्राधिकारी तथा पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा संपुष्ट किया गया अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी के दंड का आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है। अपना निवेदन पुख्ता करने के लिए प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 333 वर्ष 2013** में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने पैरा 10 (vi) पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"(vi) tc dkb 0;fDr ykd èku lHkkyrk g vFkok foÙkh; l0;ogkj d dke e yxk gvk g vFkok fo'oklh dh gfl;r e ÑR; djrk g] dr0;fu"Bk ,o fo'oluh;rk dh mPpre fMxh vfuok; ,o vuiokfnd g vkj u doy vrxLr jkf'k cfYd ekufld eukn'kk] ikyu fd, x, dr0; dk çdkj vkj le#i çklfxd ifjfLFkfr;k tk ;g fopkj djr g, fd D;k nM vuikfrd g ;k vuuikfrd] fu.k; yu dh çfØ;k e fopkj e yh tkrh gA ;g oreku ekey ij Hkh ykx gkrk g D;kfd vipkjh depkjh ml le; ij] tc mldh vkj l vopkj çdk'k e vk;k] 'kk[kk çcèkd d :i e LVV cd vkQ bfM;k e dk;jr Fkk] vr% çkfèkdkjh }kjk ml ij vfèkjkfir nM m}xdkjh :i l vopkj dh çÑfr d vuuikfrd ugh dgk tk ldrk gA***

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **क्षेत्रीय प्रबंधक, यू॰ पी॰ एस॰ आर॰ टी॰ सी॰, इटावा एवं अन्य बनाम होटि लाल एवं एक अन्य, AIR 2003 Supreme Court 1462,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसके पैराग्राफ सं॰ 10 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"10. ;fn vkjkfir depkjh U;kl dh gfl;r èkkj.k djrk g tgk bekunkjh ,o v[kMrk dke dju dh vr%fufer vko';drk, g] ujeh l ekey ij fopkj djuk lefpr ugh gkxkA ,l ekey e vopkj ij dM :i l fopkj djuk gkxkA tgk dkb 0;fDr ykdèku d lkFk C;kgkj djrk g vFkok foÙkh; l0;ogkj d dke e yxk gvk g vFkok fo'oklh dh gfl;r e ÑR; djrk g] dr0;fu"Bk ,o fo'oluh;rk dh mPpre fMxh vfuok; ,o vuiokfnd g-------***

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **सुरेश पथरेल्ला बनम ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, (2007)1 SCC (Cri) 612,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसके पैराग्राफ सं॰ 21 एवं 22 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"21. vè;{k ,o ,e0 MhO] ;ukbVM def'k;y cd cuke ihO lhO dDdM e bl U;k;ky; u SCC PP 376-77 ij ijk 14 e fuEufyf[kr dgk g%

"14. cd vfèkdkjh dk bekunkjh ,o fu"Bk d mPprj ekudk dk ç;kx dju dh vko';drk gkrh gA og tek dju okyk ,o xkgdk d èku d lkFk C;kgkj djrk gA cd d çR;d vfèkdkjh@depkjh dk cd d fgrk d lj{k.k d fy, leLr lHko dne mBku vkj ijh bekunkjh] fu"Bk] lei.k ,o ifjJe l viu dr0;k dk fuogu dju vkj ,lk dN tk cd vfèkdkjh d fy, v'kkHkuh; g ugh dju dh vko';drk gA vPNk vkpj.k ,o vu'kklu cd d çR;d vfèkdkjh@depkjh d dk; l viFkDdjuh; gA tlk vu'kklfud çkfèkdkjh&lg&{k=h; çcèkd cuke fudt fcgkjh iVuk;d e bl U;k;ky; }kjk lçf{kr fd;k x;k Fkk] ;g dgu dk cpko miyCèk ugh g fd ekey e ?kkVk ;k ykHk ugh gvk Fkk tc vfèkdkjh@depkjh u çkfèkdkj d fcuk ÑR; fd;kA fdlh lxBu] vfèkd fo'k"kr% fdlh cd dk vu'kklu bld çR;d vfèkdkfj;k ,o viu vkofVr {k=k d Hkhrj ÑR; ,o dk; dju oky vfèkdkfj;k ij fuHkj gA viu çkfèkdkj d ij ÑR; djuk Lo; e vu'kklu dk Hkx g vkj vopkj gA depkjh d fo#) vkjki ykijokg çÑfr d ugh Fk vkj xHkhj FkA mPp U;k;ky; }kjk bu igyvk dk è;ku e ugh j[kk x;k çrhr gkrk gA

*22. oreku ekey e vihykFkh u cd d fofu;euk d Hkx e viu çkfèkdkj d ij ÑR; fd;kA cd d fofu;euk fofu;e 3(1) vko';d cukrk g fd cd dk çR;d vfèkdkjh gj le; cd d fgr d lj{k.k d fy, leLr lHko dne mBkrk g vkj ijh dr0;fu"Bk] bekunkjh] lei.k ,o ifjJe d lkFk viu dr0; dk fuogu djrk g vkj ,lk dN ugh djrk g tk cd vfèkdkjh d fy, v'kkHkuh; gkxkA ;g cd }kjk vfèkdkjh e fo'okl [kku dk ekeyk gA ,lh fLFkfr e] tkp d ckn lok l vfèkdkjh dk gVkr g, vu'kklfud çkfèkdkjh d fu.k; dk U;kf;d iufoykdu djuk vkj ml vfèkdkjh ftle cd u fo'okl [kk fn;k g dk okil yu d fy, cd dk fun'k nuk fujFkd dk; gkxk tc rd vfèkdkjh dk gVku dk fu.k; vlnHkko l dyfdr ugh g vFkok ulfxd U;k; d fl)kr d mYy?ku e ugh g vkj vfèkdkjh d çfr iokxg Li"V gA oreku ekey e ,lk ekeyk ugh curk gA***

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **मधु सक्सेना एवं अन्य बनाम बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई एवं अन्य, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 231 वर्ष 2002,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसके पैराग्राफ सं॰ 5 एवं 6 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"5. ;kph d fo}ku vfèkoDrk u fuonu fd;k g fd tkp d nkjku doy vkjki l0 1fl) ik;k x;k Fkk ftld fy, cd vkQ bfM;k vfèkdkjh depkjh (vu'kklu ,o vihy) fofu;eu] 1976 d fofu;eu d fucèkuku lkj Vkbe Ldy e nk pj.k uhp rd oru ?kVku dk vkn'k ;kph ij vfèkjkfir fd;k x;k gA vkjki l0 6, 9 ,o 10 dk vkf'kd :i lfl) fd;k x;k g vkj ;|fi vkjki l0 5 ,o 11 fl) ugh fd;k x;k g] vu'kklfud çkfèkdkjh u xyr :i l tkp fjikV d fu"d"k l vlger gkr g, viuk fu"d"k çfrLFkkfir fd;k gA mUgku vkx

fuonu fd;k fd nM dk vkn'k ikfjr dju d igy ;kph dk dkb ukfVl tkjh ugh fd;k x;k Fkk vkj doy ml vkèkkj ij nM dk vkn'k vfHk[kfMr fd, tku dk nk;h gA nljh vkj çR;fFk;k d fo}ku vfèkoDrk u ;kph d fo#) ikfjr vkn'kk dk leFku fd;k gA

6. nM dk vkn'k ikfjr fd, tku d igy ;kph dk dkj.k crkvk ukfVl tkjh ugh fd, tku dk vfHkopu vfHky[k ij ektn nLrkotk }kjk lefFkr ugh gA tkp fjikV fnukd 8.9.1995 dk çLrr dh x;h Fkh vkj vu'kkIfud çkfèkdkjh u tkp fjikV dh çfr lyXu djr g, fnukd 16.9.1995 dk dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd;k vkj vkjki dh en l0 5, o 11 d lcèk e fu"d"k çfrLFkkfir fd;kA ;kph u fnukd 27.10.1995 dk viuk vH;konu nkf[ky fd;k vkj fnukd 31.7.1996 dk nM dk vkn'k ikfjr fd;k x;k FkkA

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **बैंक ऑफ इंडिया बनाम देगाला सूर्यनारायण, (1999)5 SCC 762,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसके पैराग्राफ सं॰ 11 एवं 13 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"11. lk{; d dBkj fu;e foHkkxh; tkp dk;okgh d çfr ç;kT; ugh gA fofèk dh ,dek= vko';drk ;g gd vipkjh vfèkdkjh d fo#) vfHkdFku ,l lk{; }kjk LFkkfir fd;k tkuk gkxk ftl ij ÑR; djr g, ;fDr;Dr 0;fDr ;fDr;Dr :i l ,o oLrfu"B :i l Ñ R; djr g, vipkjh vfèkdkjh d fo#) vkjki d e[; vkèkkj dk ekU; Bgjku oky fu"d"k ij vk ldrk gA vueku vFkok vVdy ek= foHkkxh; tkp dk;okgh e Hkh nk"k dk fu"d"k likf"kr ugh dj ldrk gA U;kf;d iufoykdu dh vfèkdkfjrk dk ç;kx djr g, U;k;ky; vlnHkko vFkok foÑrrk d ekey d flok, vFkkr tgk fu"d"k dk leFku dju d fy, lk{; ugh g vFkok tgk fu"d"k ,lk g fd ;fDr;Dr :i l vkj fu"i{krk d lkFk dk; dju okyk dkb 0;fDr ml fu"d"k ij ugh vk ldrk Fkk] foHkkxh; tkp dk;okgh e ikIr rF; d fu"d"k e gLr{ki ugh djxkA U;k;ky; vihyh; çkfèkdkjh d leku lk{; dk iuvfèkeY;u ugh dj ldrk g vFkok bl rky ugh ldrk gA tc rd foHkkxh; çkfèkdkjh }kjk ikIr fu"d"k d leFku e lk{; g] bl likf"kr djuk gh gkxkA Hkkjr l?k cuke ,p0 lh0 xk;y e loèkkfud U;k;ihB u vfHkfuèkkfjr fd;k gA

^^mPp U;k;ky; tkp dj ldrk g vkj bl tkp djuk gh gkxk fd D;k vk{kfir fu"d"k d leFku e dkb lk{; gA nlj 'kCnk e] ;fn tkp e fn;k x;k li.k lk{; lR; d :i e Lohdkj fd;k tkrk g] D;k ;g fu"d"k vulfjr gkrk g fd çR;Fkh d fo#) ç'uxr vkjki fl) fd;k x;k g\ ;g nf"Vdk.k lk{; dk eY;kdu dju l cpxkA ;g lk{; dk ml :i e yxk tlk ;g g vkj doy ;g ijh{k.k djxk fd D;k ml lk{; ij fofèkr% vk{kfir fu"d"k vulfjr gkrk g ;k ughA

13. oreku ekey e] vu'kkIfud çkfèkdkjh d fnukd 5.1.1995 d vkn'k dk ifj'khyu n'kkrk g fd blu lk{; vkj tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k ,o dkj.k dk fopkj e fy;k g vkj rc tkp vfèkdkjh }kjk fy, x, nf"Vdk.k l fHkUu nf"Vdk.k yu d fy, dkj.k fn;k gA rc vu'kkIfud çkfèkdkjh u vu'kkIfud çkfèkdkjh }kjk ikIr fu"d"k d leFku e vfHky[k ij igy l gh ektn lk{; dk o.ku djr g, Lo; viuk fu"d"k nt fd;k gA vu'kkIfud çkfèkdkjh }kjk bl çdkj nt fu"d"k U;k;ky; dk miyCèk U;kf;d iufoykdu dh 'kfDr d lhfer

*foLrkj d vrxr gLr{ki l mUeDr FkkA vr% gekjk er g fd mPp U;k;ky; d fo}ku ,dy U;k;kèkh'k vkj [kM U;k;ihB vu'kklfud çkfèkdkjh dk fu"d"k vkLr dju e vkj tkp vfèkdkjh dk fu"d"k iu% LFkkfir dju e lgh ugh FkA mPp U;k;ky; Li"Vr% foHkkxh; vu'kklfud tkp dk;okgh ij fjV vfèkdkfjrk dk ç;kx djr g, bldk miyCèk U;kf;d iufoykdu dh 'kfDr dh lhek d ij x;k g vkj blfy, ml lhek rd fo}ku ,dy U;k;kèkh'k ,o [kM U;k;ihB d fu.k;k dk likf"kr ugh fd;k tk ldrk gA ml lhek rd cd vkQ bfM;k }kjk nkf[ky vihy vuKkr fd, tku ;kX; gA***

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अनुशासनिक प्राधिकारी बनाम एस॰ मोहम्मद गफ्फार, (2002)7 SCC 168**, मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसके पैराग्राफ सं॰ 10 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"10. mPp U;k;ky; bl lfuf'pr voLFkk dk vun[kk djrk çrhr gkrk g fd foHkkxh; dk;okgh e] tgk rd 'kkfLr vFkok nM d vfèkjki.k dk lcèk g] tc rd vu'kklfud vFkok vihyh; çkfèkdkjh }kjk vfèkjkfir nM vFkok 'kkfLr vuuK; ugh g vFkok ;g ,lk g tk mPp U;k;ky; dh vrjkRek dk >d>kjrk g] bl lkekU;r% ble gLr{ki ugh djuk pkfg, vFkok Lo; viuk er çfrLFkkfir ugh djuk pkfg, vkj dkb vU; nM vFkok 'kkfLr vfèkjkfir ugh djuk pkfg, vFkok çkfèkdkjh dk viuh iln d vFkok dkfV fo'k"k d nM dk vfèkjkfir dju dk fun'k ugh nuk pkfg,A blh dkj.k l ge bl lfuf'pr fl)kr d mYy?ku e mPp U;k;ky; }kjk fy, x, nf"Vdk.k dk vueknu ugh dj ldr gA ifj.kkeLo#i] vihy vuKkr dh tkrh g] [kM U;k;ihB dk fu.k; vkLr fd;k tkrk g vkj fo}ku ,dy U;k;kèkh'k dk fu.k; iuLFkkfir fd;k tk,xkA 0;; dk ydj vkn'k ugh gA***

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **कर्नाटक एस॰ आर॰ टी॰ सी॰ बनाम एम॰ जी॰ विठ्ठल राव, (2012)1 SCC 442,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसके पैराग्राफ सं॰ 25, 26, 27, 28, 29, 30 एवं 31 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"25. tc ,d ckj fu;kDrk u depkjh e fo'okl [kk fn;k g vkj fo'okl dh lnHkkoi.k gkfu vfHki"V dh x;h g] nM d vkn'k dk pukrh l mUeDr bl dkj.k l ekuuk gkxk fd U;kl ,o fo'okl d in dk fuogu li.k dr0;fu"Bk vko';d cukrk g vkj fo'okl [kku d ekey e iucgkyh dk fun'k ugh fn;k tk ldrk gA (n[k % ,;j bfM;k dkjikj'ku cuke oh0 ,0 fjcyk] Ýkf l l Dykbu ,UM d0 (çk0) fy0 cuke dedkj vkj ch0 ,p0 b0 ,y0 cuke ,e0 pn'k[kj jMMh)

26. dUg;k yky vxoky cuke Xokfy;j lxj d0 fy0 e bl U;k;ky; u ;g irk yxku d fy, fd D;k depkjh e fo'okl dh lnHkkoi.k gkfu Fkh] ijh{kk vfèkdfFkr fd;k vkj (SCC P. 614 ijk 9) ij lçf{kr fd;k (i) dedkj U;kl ,o fo'okl dk in èkkj.k dj jgk g((ii) ,lh gfl;r dk n#i;kx djd og ,lk ÑR; djrk g ftldk ifj.kke bld leigj.k e gkrk g(vkj (iii) lok@LFkkiu e mldk cuk, j[kuk fu;kDrk d fy, my>uokyk ,o vlfoèkktud gkxk vFkok LFkkiu d vu'kklu vFkok lj{kk d çfr gkfudkjd gkxkA fo'okl dh gkfu çcèku d food ij vkèkkfjr 0;fDrfu"B ugh gk ldrh gA oLrfu"B rF;] tk depkjh dh fo'oluh;rk d lcèk e çcèku d fnekx e vk'kdk d fuf'pr fu"d"k dh vkj y tk,x] dk vfHkdfFkr ,o fl) djuk gkxkA (;g Hkh n[k % lèkkj fo".k iuoydj cuke cd vkQ bfM;k)

27. , l0 ch0 vkb0 cuke cyk ckxph e bl U;k;ky; u bl çfrokn dk vLohdkj fd;k fd Hky gh depkjh d vopkj }kjk fu;kDrk fdlh foÙkh; gkfu l ihfMr ugh gkrk g] ml fo'okl dh gkfu d ekey e lok l gVk;k tk ldrk gA mDr ekeyk fofuf'pr djr g,] vu'kklfud çkfèkdkjh&lg&{k=h; çcèkd cuke fudt fcgkjh iVuk;d e viu io fu.k; ij fo'okl fd;k x;k gA

28. fu;kDrk ml depkjh dk lok e j[ku d fy, ckè; ugh g ftld lkFk lcèk nkuk d chp fo'okl dh i.k gkfu d fcn rd igp x;k gA (n[kh fcUuh fy0 cuke dedkj(vfuy dekj pØorh cuke ljLorhij Vh0 d0 fy0(pn yky cuke iu vefjdu oYM ,;jot vkb0 ,u0 lh0 dey fd'kkj y{e.k cuke iu vefjdu oYM ,;jot vkb0 ,u0 lh0(vkj fi;jykbV ykbul (çk0) fy0 cuke eukjek fljlhA

*29. bfM;u ,;jykbUl cuke çHkk Mh0 dkuu e le#i fook|d ij fopkj djr g, bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd% (SCC p 90, Para 56) "56. ..... fo'okl dh gkfu 0;fDrfu"B ugh gk ldrh g cfYd bld fy, oLrfu"B rF; gkuk gkxk tk depkjh dh fo'oluh;rk d lcèk e fu;kDrk d fnekx e vk'kdk d fuf'pr fu"d"k dh vkj y tk,xk vkj ftUg vfHkdfFkr ,o fl) djuk gkxkA***

30. pkjh d ekey e pkjh dh ek=k egRoi.k ugh g vkj tk egRoi.k g] og depkjh e fu;kDrk d fo'okl dh gkfu gA (n[kh ,0 ih0 ,l0 vkj0 Vh0 lh0 cuke j?knk f'ko 'kdj çlkn)

*31. oreku ekey dk ijh{k.k iokDr lfuf'pr fofèkd çfriknuk d vkykd e vkj bl nf"V e j[kr g, dju dh vko';drk g fd U;kf;d iufoykdu dk ljkdkj e[;r% fu.k; yu dh çfØ;k d lkFk g vkj u fd Lo; fu.k; d lkFkA [kkldj] ;g lfuf'pr fofèkd çfriknuk g fd Hk"Vkpkj vFkok pkjh tl xHkhj çÑfr d vopkj d ekey e c[kkLrxh l fHkUu nM lefpr ugh gk ldrk gA (n[k % ikfM;u jkMot dkjikj'ku fy0 vkj m0 ç0 ,l0 vkj0 Vh0 lh0 cuke lj'k pn 'kek)***

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची निम्नलिखित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण हस्तक्षेप का मामला बनाने में सक्षम नहीं हुआ है:

(i) स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में अंतर्विष्ट अभिकथनों के अनुसरण में 21 आरोपों में से 16 आरोप सिद्ध किए गए थे, 3 आरोप आंशिक रूप से सिद्ध किए गए थे और दो आरोप सिद्ध नहीं किए गए थे और आरोपों के अभिकथनों पर विचार करते हुए और जाँच अधिकारी के तथ्य एवं निष्कर्ष के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने बर्खास्तगी का दंड पारित किया है जिसे अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनर्विलोकन कमिटी द्वारा अभिपुष्ट किया गया है। यह न्यायालय जाँच अधिकारियों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के विरुद्ध अपील पर विचार नहीं कर रहा है क्योंकि रिट अधिकारिता में पुनर्अधिमूल्यन अनुज्ञेय नहीं है। वर्तमान मामले में, याची के विरुद्ध किए गए अभिकथनों की गंभीरता की दृष्टि में साक्ष्य पर आधारित तीन तर्कपूर्ण कारण के तथ्य के विरुद्ध पुनर्विलोकन की शक्ति लागू नहीं की जा सकती है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य बनाम मनमोहन नाथ सिन्हा, एवं एक अन्य, (2009)8 SCC 310,** मामले में अभिनिर्धारित किया गया है जिसके पैरा-15 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:-

*"15. fofèkd voLFkk lfuf'pr g fd U;kf;d iufoykdu dh 'kfDr fu.k; d fo#) funf'kr ugh g cfYd fu.k; yu dh çfØ;k rd lhfer gA U;k;ky; fu.k; d x.kkx.k ij fopkj ugh djrk gA mPp U;k;ky; dk vihy d U;k;ky; d :i e tkp vfèkdkjh d le{k fn, x, lk{; dk iuvfèkeY;u ,o iuvkdyu dju vkj tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"kk dk ijh{k.k dju ,o Lo; viu fu"d"k ij vku dh NV ugh gA***

(ii) इसके अतिरिक्त, प्रक्रियात्मक अनियमितता के संबंध में, विभागीय जाँच करने में प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है क्योंकि जाँच अधिकारी की रिपोर्ट अपचारी कर्मचारी को दी गयी थी और दंड अधिरोपित करने के पहले प्रत्येक चरण पर याची को पर्याप्त अवसर दिया गया था।

(iii) जहाँ तक दंड की मात्रा के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत का प्रश्न है, यह देखा जाना है कि क्या दंड की मात्रा सिद्ध अवचार के प्रति घोर रूप से अननुपातिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **क्षेत्रीय प्रबंधक, यू॰ पी॰ एस॰ आर॰ टी॰ सी॰ इटावा एवं अन्य बनाम होती लाल एवं एक अन्य, AIR 2003 SC 1462,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है जिस निर्णय के प्रासंगिक भाग को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"10. c;ku ek= fd ;g vuuikfrd g] i;kIr ugh gkxkA u doy vrxLr jkf'k cfYd ekufld eukn'kk] ikyu fd, x, dr0; dk çdkj vkj le#i çkIfxd ifjfLFkfr;k dk ;g fopkj djr g, fd nM vuuikfrd g ;k vkuikfrd] fu.k; yu dh çfØ;k e fopkj e fy;k tkrk gA ;fn vkjkfir depkjh U;kI dh gfl;r èkkj.k djrk g tgk bekunkjh ,o v[kMrk dk; dju dh vr%fufer vko';drk, g] ujeh I ekey ij fopkj djuk lefpr ugh gkxkA ,I ekey e vopkj ij dBkjrkiod fopkj djuk gkxkA tgk dkb 0;fDr ykd fufèk d lkFk C;kgkj djrk g vFkok foÙkh; l0;ogkj d dke e yxk gvk g vFkok fo'okI dh gfl;r e ÑR; djrk g] dr0;fu"Bk ,o fo'oluh;rk dh mPpre fMxh vfuok; ,o vuiokfnd gA mI i"BHkfe e tkp tku ij mPp U;k;ky; dh [kM U;k;ihB dk fu"d"k lefpr çrhr ugh gkrk g----------***

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश पथरेल्ला बनाम ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, (2007)1 SCC (Cri) 612,** मामले में पैराग्राफ सं॰ 21 एवं 22 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"21. vè;{k ,o ,e0 MhO] ;ukbVM def'k;y cd cuke ihO lhO dDdM e bl U;k;ky; u SCC PP 376-77 ij ijk 14 e fuEufyf[kr dgk g%

"14. cd vfèkdkjh dk bekunkjh ,o fu"Bk d mPprj ekudk dk ç;kx dju dh vko';drk gkrh gA og tek dju okyk ,o xkgdk d èku d lkFk C;kgkj djrk gA cd d çR;d vfèkdkjh@depkjh dk cd d fgrk d lj{k.k d fy, leLr lHko dne mBku vkj ijh bekunkjh] fu"Bk] lei.k ,o ifjJe I viu dr0;k dk fuogu dju vkj ,lk dN tk cd vfèkdkjh d fy, v'kkHkuh; g ugh dju dh vko';drk gA vPNk vkpj.k ,o vu'kkIu cd d çR;d vfèkdkjh@depkjh d dk; I viFkDdjuh; gA tIk vu'kkIfud çkfèkdkjh&lg&{k=h; çcèkd cuke fudt fcgkjh iVuk;d e bl U;k;ky; }kjk lçf{kr fd;k x;k Fkk] ;g dgu dk cpko miyCèk ugh g fd ekey e ?kkVk ;k ykHk ugh gvk Fkk tc vfèkdkjh@depkjh u çkfèkdkj d fcuk ÑR; fd;kA fdIh lxBu] vfèkd fo'k"kr% fdIh cd dk

vu'kklu bld çR;d vfèkdkfj;k ,o viu vkofVr {k=k d Hkhrj ÑR; ,o dk; dju oky vfèkdkfj;k ij fuHkj gA viu çkfèkdkj d ij ÑR; djuk Lo; e vu'kklu dk Hkx g vkj vopkj gA depkjh d fo#) vkjki ykijokg çÑfr d ugh Fk vkj xHkhj FkA mPp U;k;ky; }kjk bu igyvk dk è;ku e ugh j[kk x;k çrhr grk gA

*22. oreku ekey e vihykFkh u cd d fofu;euk d Hkx e viu çkfèkdkj d ij ÑR; fd;kA cd d fofu;euk dk fofu;e 3 (1) vko';d cukrk g fd cd dk çR;d vfèkdkjh gj le; cd d fgr d lj{k.k d fy, leLr lHko dne mBk; vkj ijh dr0;fu"Bk] bekunkjh] lei.k ,o ifjJe d lkFk viu dr0; dk fuogu dj vkj ,lk dN u dj tk cd vfèkdkjh d fy, v'kkHkuh; gkxkA ;g cd }kjk vfèkdkjh e fo'okl [kku dk ekeyk gA ,lh fLFkfr e] tkp d ckn lok l vfèkdkjh dk gVkr g, vu'kklfud çkfèkdkjh d fu.k; dk U;kf;d iufoykdu djuk vkj ml vfèkdkjh ftle cd u fo'okl [kk fn;k g dk okil yu d fy, cd dk fun'k nuk fujFkd dk; gkxk tc rd vfèkdkjh dk gVku dk fu.k; vlnHkko l dyfdr ugh g vFkok ulfxd U;k; d fl)kr d mYy?ku e ugh g vkj vfèkdkjh d çfr iokxg Li"V gA oreku ekey e ,lk ekeyk ugh curk gA**

8. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव पर, मैं दिनांक 3.3.2008 (परिशिष्ट 6) 9.4.2007 (परिशिष्ट 5) एवं 9.12.2006 (परिशिष्ट 3) के आदेशों के तहत सेवा से बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेशों में नियुक्ति प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा संपुष्ट किए जाने पर हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

9. परिणामस्वरुप, रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ iln ,o jfo ukFk oek] U;k;efrx.k

सुखराम मुन्डा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1464 of 2003. Decided on 18th January, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 49 वर्ष 1999 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 30 नवंबर 2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 2 दिसंबर 2002 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या–आजीवन कारावास–विचारण न्यायालय ने मृतक की विधवा के परिसाक्ष्य पर अपना निष्कर्ष आधारित किया गया है–विधवा का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता है–विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में मामले पर विचार किए बिना दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिलिखित किया है–अपीलार्थीगण दोषमुक्त। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Surendra Pd. Sinha, For the Appellants; Mrs. Vandana Bharti, For the State.

न्यायालय द्वारा.–दिनय मुंडा की हत्या करने के अभियोग पर दोनों अपीलार्थियों का विचारण किया गया था। विचारण न्यायालय ने उनको भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन आरोप का

दोषी पाने पर उन्हें दिनांक 30 नवंबर, 2002 के अपने निर्णय के तहत पूर्वोक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को सत्र विचारण सं॰ 49 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 2 दिसंबर, 2002 के अपने आदेश के तहत आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. फर्दबयान (प्रदर्श 3) में बनाया गया अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 16.3.1998 को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे मृतक दिनय मुंडा अपनी पत्नी मंगरी कुई एवं पुत्री तथा इन दो अपीलार्थियों जो मृतक के दामाद एवं समधी हैं के साथ झंझरा हाट गया था किंतु वापस नहीं आया था। दिनांक 18.3.1998 को किसी नारायण सिंह भूमिज (अ॰ सा॰ 2) ने सूचक लोकेश मुंडा (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) को सूचित किया कि इन अपीलार्थियों ने मृतक पर प्रहार किया था जो बेहोश पड़ा था। यह सूचना पाने पर, सूचक लुकेश मुंडा अन्य के साथ घटना स्थल पर गया और अपने चाचा दिनय मुंडा को मृत पाया।

3. इस पर, अपराह्न लगभग 3 बजे सूचक ने टोकलो पुलिस थाना के ए॰ एस॰ आई॰ अर्थात् सीताराम को अपना फर्दबयान दिया। जिस पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 2) लिखी गयी थी और मामला दर्ज किया गया था।

4. आई॰ ओ॰ ने अन्वेषण आरंभ करने पर मृतक के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया। इस पर मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिसे डॉ॰ ललित मिंज (अ॰ सा॰ 1) द्वारा किया गया था, जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहति पाया:–

[kjkp&xnu d mij ncko d fu'kku d lkFk xnu d nk, Hkkx ij [kjkpA nk, dku ,o nk, Dyfody e jDr FkDdk ektn FkkA

foPNnu dju ij] gk;ok;M vfLFk d vfLFkHkx d lkFk f}rh; ,o rrh; oVhck (lokbdy) dk vfLFkHkx ik;k x;k FkkA ef"r"d v{k..k ik;k x;k FkkA

डॉक्टर ने इस मत के साथ कि मृत्यु लाठी एवं बड़े पत्थर जैसे भारी वस्तु द्वारा कारित पूर्वोक्त उपहति के कारण कारित हुई थी, शव परिक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 1) जारी किया।

5. अन्वेषण के समापन पर, जब आरोप पत्र दाखिल किया गया था, न्यायालय ने पूर्वोक्तानुसार अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया।

6. सम्यक क्रम में, जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अपीलार्थी का विचारण किया गया था जिसके दौरान अभियोजन ने पाँच गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 2 नारायण सिंह भूमिज वह व्यक्ति है जिसने सूचक को मृतक के बेहोश पड़े होने के बारे में सूचित किया था। उसने परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह मृतक के पास आया, उसने पानी मांगा जिसे उसके द्वारा दिया गया था किंतु मृतक ने उसको अपीलार्थियों के नाम के बारे में प्रकट नहीं किया था। अ॰ सा॰ 3 मंगरी कुई मृतक की विधवा है जिसने परिसाक्ष्य दिया है कि जब मृतक इन दो अपीलार्थियों जो मृतक के दामाद एवं समधी थे और अपनी पुत्री सानी कुई के साथ झंझारा हाट से घर लौट रहा था, अपीलार्थियों एवं मृतक के बीच कुछ झगड़ा हुआ जिसके दौरान अपीलार्थियों ने लाठी एवं पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया जिसके परिणामस्वरुप मृतक बेहोश हो गया।

7. अभियोजन मामला बंद करने के बाद, जब अपीलार्थियों से उनके विरुद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य के बारे में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन पूछा गया था, उन्होंने इनकार

किया। इस पर विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 3 के परिसाक्ष्य पर अपना अंतर्निहित विश्वास करके अपीलार्थियों को पूर्वोक्तानुसार आरोप का दोषी पाया और तद्नुसार, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

8. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख के परिशीलन पर हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने मृतक की विधवा मंगरी कुई अ॰ सा॰ 3 के परिसाक्ष्य पर अपना निष्कर्ष आधारित किया है जिसने, जैसा कथन पहले किया गया है, कि जब वह और उसका पति एवं उसकी पुत्री इन दोनों अपीलार्थियों के साथ झंझरा हाट से लौट रही थी, मृतक एवं अपीलार्थियों के बीच झगड़ा हुआ जिसके दौरान अपीलार्थियों ने लाठी एवं पत्थर के टुकड़ा से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरुप वह बेहोश हो गया और तब, वह अपने दामाद (अभियुक्तों में से एक) एवं अपनी पुत्री के साथ घर आयी जहाँ वह बीमार हो गयी किंतु यह आश्चर्यजनक है कि अ॰ सा॰ 3 ने घर आने के बाद भी दिनांक 16.3.1998 अथवा दिनांक 17.3.1998 को किसी को सूचित नहीं किया था और यह भी बिल्कुल आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि जब उसने पाया कि उसका पति प्रहार का शिकार होने पर बेहोश हो गया था, वह अपने पति को बेहोश छोड़ कर घर आयी और सूचक या किसी को कुछ नहीं बताया ताकि वे मृतक की सहायता कर सकें। केवल अ॰ सा॰ 2 नारायण सिंह भूमिज ने सूचक को मृतक के बेहोश पड़ा होने के बारे में सूचित किया। उसके अनुसार, जब वह मृतक के पास आया, उसने पानी मांग जिसे उसने दिया किंतु मृतक ने हमलावरों के बारे में प्रकट नहीं किया था, जिन्होंने प्रहार किया था। वह अपने साक्ष्य में अ॰ सा॰ 3 या उसकी पुत्री की उपस्थिति के बारे में नहीं कहता है।

9. इन परिस्थितियों के अधीन, अ॰ सा॰ 3 का साक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है, जो विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में पूर्वोक्त मामले पर विचार किए बिना दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जिसे एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरुप, अपीलार्थियों को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

11. तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती हैं।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

अंसलेम तिर्की

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 1010 of 2015. Decided on 5th January, 2016.

झारखंड सेवा संहिता, 2000—नियम 85 एवं 236—वार्षिक वेतनवृद्धि रोका जाना—याची राज्य सरकार के विशेष आदेशों के अधीन बीमारी के कारण असाधारण अवकाश पर नहीं गया था—नियोक्ता ने उसकी सेवा का लाभ नहीं लिया था और अनुपस्थिति भी समय के प्रासंगिक बिंदु पर किसी मंजूरी के बिना थी—वही याची को वेतनवृद्धि से इनकार करने का मुख्य कारण है—रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.—Mr. Baleshwar Yadav, For the Petitioner; J.C. to G.A., For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. लातेहार जिला में सरकारी मध्य विद्यालय, केरी, बालूमठ में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थापित रहते हुए बीमारी के कारण दिनांक 1 नवंबर, 2006 से दिनांक 17 अप्रिल, 2007 तक याची की अनपुस्थिति प्रत्यर्थी सं॰ 3 जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार द्वारा झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के प्रावधानों के अधीन मेमो सं॰ 969 दिनांकित 13 जून, 2013 (परिशिष्ट–1) के तहत असाधारण अवकाश के रूप में मंजूर की गयी है। किंतु, याची उक्त अवधि के दौरान वार्षिक वेतनवृद्धि का हकदार नहीं होगा। याची उक्त आदेश के उस भाग से व्यथित है जिसके अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गयी है।

3. वह झारखंड सेवा संहिता के अधीन संलग्न नोट के नियम 85 एवं खंड 5 के प्रावधानों पर विश्वास करती है। नोट 5 के साथ नियम 85 यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*^^**fu;e 85 :** fuEufyf[kr çkoèkku 'krk dk fofgr djr g ftu ij Vkbe Ldy e oruof) d fy, lok fxuh tkrh g%&*

(a) fdlh Vkbe Ldy ij in e leLr drO; mlI le; eku e oruof) d fy, fxu tkr gA

(b) in ftl ij lcfèkr ljdkjh lod fy;u èkkj.k djrk g d Vkbe Ldy e vkj ink] ;fn gk] ftu ij og fy;u èkkj.k djxk] ;fn mldk fy;u fuyfcr ugh fd;k x;k Fkk] d Vkbe Ldy e oruof) d fy, fuEufyf[kr vofèk;k fxuh tkrh g%

(i) fu;e 56 d [kM (a) e fufn"V U;u oru oky in l fHkUu fdlh vU; in e lok] pkg ;g vfèk"Bk;h gfl;r e gk ;k LFkkukiUu gfl;r eA

(ii) çfrfu;fDr ij lok(

(iii) fon'k lok(vkj

(iv) vlkèkkj.k vodk'k l fHkUu leLr vodk'kA

(c) fuEufyf[kr vofèk;k in d Vkbe Ldy e oruof) d fy, fxuh tkrh g ftue ljdkjh lod dk LFkkukiUu d :i e dke dju d fy, fu;Dr fd;k x;k g ;fn og mlh in ij ykVrk g vFkok LFkkukiUu :i e dke dju d fy, iufu;Dr fd;k tkrk g vFkok mlh oru Vkbe Ldy e fu;Dr vFkok iufu;Dr fd;k tkrk g&

(i) mPprj oru d in e LFkkukiUu lok(

(ii) mPprj oru ij vLFkk;h in e lok(

(iii) çfrfu;fDr ij lok]

(iv) fon'k lok] vkj

(v) vlkèkkj.k vodk'k l fHkUu leLr vodk'kA

*__ukV__ **%** (5) çR;d ekey e jkT; ljdkj d fo'k"k vkn'k d vèkhu] vlkèkkj.k vodk'k] tc bl dLokLF; d dkj.k vFkok ljdkjh lod d fu;=.k d ij fdlh vU; dkj.k l fy;k tkrk g vFkok tc ljdkjh lod d i'koj vgrk vkj Kku dk lèkkju dh nf"V l vè;;u d ç;ktu l yrk g] dk bl fu;e d [kMk (b) ,o (c) d vèkhu oruof) d fy, fxu tku dh vuefr nh tk ldrh g%*

ijUrq ;g fd tc vè;;u d ç;ktu l vlkèkkj.k vodk'k ij tku oky ljdkjh lod d i{k e jkT; ljdkj }kjk bl çÑfr dk fo'k"k vkn'k ikfjr fd;k x;k g] ljdkjh lod vodk'k l ykVu ij ;g n'kku d fy, fd ml ikB;Øe l ykHk gvk Fkk] fMxh fMlykek vFkok vU; vgrk] vFkok lLFkku tgk ikB;Øe ijk fd;k x;k g d çe[k l çek.k i= d :i e lrk"ktud lk{; çLrr djxk vkj ljdkjh lod }kjk ,l lk{; dh çLrfr d 0;frØe e jkT; ljdkj oruof) d fy, fxu tku d fy, vlkèkkj.k vodk'k dh vofèk vuKkr djrk fo'k"k vkn'k nt dj ldrh gA**

4. प्रकटत: याची राज्य सरकार के विशेष आदेशों के अधीन बीमारी के कारण असाधारण अवकाश पर नहीं गयी थी। संहिता के नियम 236 का अवलंब लेते हुए दिनांक 1 नवंबर, 2006 से दिनांक 17 अप्रिल, 2007 के बीच 168 दिनों की अवधि के लिए उसकी अनुपस्थिति असाधारण अवकाश के रूप में मंजूर की गयी है। याची को वेतनवृद्धि से इनकार करने का शायद यह मुख्य कारण है क्योंकि नियोक्ता ने उसकी सेवा का लाभ नहीं लिया है और अनुपस्थिति समय के प्रासंगिक बिंदु पर किसी मंजूरी के बिना थी।

5. अत:, यह न्यायालय हस्तक्षेप की मांग करने वाले दिनांक 13 जून, 2013 के परिशिष्ट 1 पर उपस्थित आदेश में सम्मिलित आक्षेपित शर्त में कोई दुर्बलता नहीं पाता है। तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

बाबू लाल बेदिया एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1606 of 2010. Decided on 12th January, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 146 (1)—भूमि की कुर्की–दोनों पक्षों द्वारा विवादित भूमि का दावा किया गया है और पुलिस रिपोर्ट शांति भंग होने एवं पक्षों के बीच रक्तपात के बारे में कहती है–चूँकि धारा 146 (1) के अधीन कुर्की का तत्व परिपूर्ण किया गया है, कुर्की आदेश में अवैधता नहीं पायी जा सकती है–आवेदन खारिज। (पैराएँ 5 से 9)

निर्णयज विधि.–(2012) 8 SCC 737—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Prabhat Kumar Sinha, For the Petitioners; Mrs. Vandana Bharti, For the State; Mr. Suresh Kumar, For the O.P. No. 2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार सिन्हा, राज्य की विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्रीमती वन्दना भारती एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार सुने गए।

2. इस आवेदन में, याचीगण ने दं॰ प्र॰ सं॰ (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 145 के अधीन दाखिल केस सं॰ 25/2009 में कार्यवाही के निपटान तक विवादाधीन भूमि की कुर्की के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 146 (1) के अधीन विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 26.8.2009 के आदेश

के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है। आगे दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 227 वर्ष 2009 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 28.8.2010 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना की गयी है जिसके द्वारा विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा परित दिनांक 26.8.2009 का आदेश अभिपुष्ट किया गया है।

3. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की प्रेरणा पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन केस सं॰ 25 वर्ष 2009 याची के विरुद्ध दर्ज किया गया था। दिनांक 25.5.2009 को दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर अपने दावा के संबंध में दस्तावेजों के साथ अपना अपना लिखित कथन दाखिल करने का निर्देश देते हुए विद्वान सब-डिविजनल दंडाधिकारी रामगढ़ द्वारा आदेश पारित किया गया था। यह प्रतीत होता है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 146 (1) के अधीन विरोधी पक्षकार सं॰ 2/ आवेदक द्वारा लिखित कथन और उसके प्रति द्वितीय पक्ष/याचियों द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किए जाने के बाद एवं पक्षों को सुनने के बाद विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ ने केस सं॰ 25 वर्ष 2009 के संबंध में विवादित भूमि की कुर्की के लिए निर्देश देते हुए दिनांक 26.8.2009 का आदेश पारित किया है। विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 26.8.2009 के आदेश के विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 227 वर्ष 2009 दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 28.8.2010 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 26.8.2009 का आदेश एवं दिनांक 28.8.2010 का आदेश भी दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 146 (1) के प्रावधानों को विचार में लिये बिना पारित किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि कुर्की आदेश केवल तीन परिस्थितियों में पारित किया जा सकता है–(i) यदि यह आपातकाल का मामला है, अथवा (ii) यदि यह विनिश्चित किया गया है कि कोई भी पक्ष काबिज नहीं है, अथवा (iii) यदि यह विनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उनमें से कौन काबिज है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी रामगढ़ ने शांतिभंग के बारे में उपदर्शित मात्र किया है, किंतु उन्होंने कोई कारण नहीं दिया है कि क्या यह आपातकाल का मामला था ताकि विवादित भूमि कुर्क की जा सके। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यह विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस संदर्भ में, उन्होंने **अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (2012)8 Supreme 737,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वस्तुतः विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के पिता भुतका बेदिया ने जमाबंदी जो याची सं॰ 1 के पिता के नाम में थी, के रद्दकरण के लिए आवेदन दाखिल किया है, किंतु उक्त मामले में, जिसे विविध केस सं॰ 16/2000-01 के रूप में दर्ज किया गया था को विद्वान एल॰ आर॰ डी॰ सी॰, रामगढ़ द्वारा दिनांक 22.8.2001 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। दिनांक 22.8.2001 के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की गयी थी और इसे भी दिनांक 6.5.2003 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ एवं अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा पारित आदेश दर्शाते हैं कि याचीगण प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 26.8.2009 एवं दिनांक 28.8.2010 के आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य हैं।

5. इस पर, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पुलिस रिपोर्ट, जिसे कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा मंगाया गया था, स्पष्टतः शांति भंग एवं पक्षों के बीच रक्तपात की आशंका के बारे में कहती है। दोनों पक्षों द्वारा विवादित भूमि का दावा किया गया है और चूँकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 146 (1) के अधीन कुर्की का तत्व परिपूर्ण किया गया है, दिनांक 26.8.2009 के आदेश एवं दिनांक 28.8.2010 के पुनरीक्षण आदेश में दुर्बलता अथवा अवैधता नहीं पायी जा सकती है।

6. दिनांक 26.8.2009 के आक्षेपित आदेश का परिशीलन प्रकट करता है कि विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ ने विवादित भूमि के संबंध में प्रभारी–अधिकारी, भदानी नगर पी॰ एस॰ द्वारा दाखिल रिपोर्ट को विचार में लिया था जिसमें यह स्पष्टत: कथन किया गया था कि दोनों पक्षों के बीच विवाद के कारण रक्तपात का मौका है। इस तथ्य पर और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा के संबंध में विवाद था, विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 26.8.2009 के आदेश के तहत कुर्की आदेश पारित किया गया था। पुनरीक्षण न्यायालय ने दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 227 वर्ष 2009 में कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश अभिपुष्ट किया। आक्षेपित आदेश सुझाते हैं कि कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 146 (1) के अधीन संपत्ति की कुर्की का आवश्यक मापदंड सम्यक रूप से ध्यान में लिया गया है जिसके अनुसरण कुर्की आदेश पारित किया गया था।

7. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि कार्यपालक दंडाधिकारी ने मात्र शांतिभंग के बारे में उल्लेख किया है और परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए कोई कारण नहीं दिया है ताकि यह आपातकाल स्थिति के अंतर्गत आ सके जो **अशोक कुमार (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत है किंतु जैसा आक्षेपित आदेश से स्पष्ट होगा, विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ ने शांतिभंग तथा पक्षों के बीच रक्तपात के संबंध में न केवल निष्कर्ष दिया है बल्कि भदानी नगर पी॰ एस॰ की रिपोर्ट पर भी विश्वास किया है जो स्पष्टत: सुझाता है कि शांतिभंग एवं रक्तपात का मौका था।

8. मैं विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 26.8.2009 के आदेश अथवा दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 227 वर्ष 2009 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 28.8.2010 के आदेश में दुर्बलता नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, यह आवेदन गुणागुण रहित होने के नाते एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

9. किंतु, चूँकि यह निवेदन किया गया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही केस सं॰ 25 वर्ष 2009 अभी भी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लंबित है, उन्हें इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर शीघ्रातिशीघ्र मामला निपटाने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn] U;k;efr

उमेश कुमार

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 2136 of 2015. Decided on 5th February, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 109, 409, 420, 467, 468, 471, 477A एवं 120B—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धाराएँ 13 (2) एवं 13(1)(c)(d)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—न्यास का दांडिक भंग, छल, कूटरचना एवं षड्यन्त्र–संज्ञान–याची ने अध्यक्ष से किसी पूर्व अनुमोदन के बिना अभिकथित रूप से निर्मुक्त आदेश पारित किया–निर्मुक्ति आदेश पारित किए जाने के बाद अध्यक्ष द्वारा बाद में अनुमोदन प्रदान किया गया था–यह

निगरानी का मामला कभी नहीं है कि सामग्री की आपूर्ति किए बिना भुगतान किए गए थे–सुनिश्चित प्रक्रिया से कोई विपथन इस उपधारणा की ओर कभी नहीं ले जाएगा कि याची की ओर से गैरईमानदार कृत्य था–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित।

(पैराएँ 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21 से 24)

निर्णयज विधि.–(2003) 9 SCC 700; (2012) 9 SCC 512—Relied; (1996) 10 SCC 193—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; Mr. T.N. Verma, For the Vigilance.

आदेश

यह आवेदन विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची द्वारा पारित दिनांक 26.8.2015 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 109, 409, 420, 467, 468, 471, 477A एवं 120B के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (c) (d) के अधीन भी दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2011 (विशेष केस सं॰ 2 वर्ष 2011) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

2. पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों का उल्लेख करने के पहले अभियोजन मामला जैसा निगरानी द्वारा बनाया गया है को ध्यान में लेने की आवश्यकता है जो निम्नलिखित है:

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने जमशेदपुर टाऊन के लिए पैकेज 'डी॰' के अधीन त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार प्रोग्राम संक्षेप में (ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰) के अधीन काम करने के लिए निविदा निमंत्रण नोटिस (एन॰ आई॰ टी॰) उसमें यह अनुबंधित करते हुए जारी किया कि काम लक्ष्यित होगा जिसे समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने की आवश्यकता है और कि बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत कीमत किसी कारण से परिवर्तन के अध्यधीन नहीं होगी। आगे यह स्पष्ट करते हुए कि किसी कारण से कीमत में वृद्धि ग्राह्य नहीं होगी, इन्हीं खंडों को दोहराया गया था जब मेसर्स रामजी पावर कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰) को कार्य आदेश जारी किया गया था और जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ एवं मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ के बीच हुए करार में भी वे निबंधनों एवं शर्तों के भाग थे। मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ नियत तिथि अर्थात दिनांक 26.9.2005 तक काम निष्पादित नहीं कर सका था। किंतु, कीमत की वृद्धि के लिए कोई खंड रखे बिना समय दिनांक 26.9.2005 से दिनांक 31.7.2007 तक बढ़ाया गया था लेकिन परिनिर्धारित नुकसानी (एल॰ डी॰) के अधिरोपण के साथ मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ उस प्रस्ताव से सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि काम बढ़ाए गए समय के भीतर पूरा किया जाएगा और यह मध्यस्थता के लिए नहीं जाएगा। जब यह पाया गया था कि मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ ने वादा के विपरीत दिनांक 31.7.2007 तक काम भी शुरू नहीं किया था, तत्कालीन अध्यक्ष, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ ने मुख्य अभियन्ता, ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰ को जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ बोर्ड की अगली बैठक में मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ की संविदा समाप्त करने के लिए एजेन्डा पर रखने का निर्देश दिया। तद्नुसार, मुख्य अभियन्ता, ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰ ने तत्कालीन सदस्य (टेक्निकल) जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ के सामने एजेन्डा रखा जिसने अन्य अभियुक्तों के साथ मौनानुकूलता में संबंधित फाइल को तत्कालीन अध्यक्ष, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ के स्थानांतरण तक रोक दिया।

3. इस पर, तत्कालीन विद्युत कार्यपालक अभियंता, ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰ ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए और अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद शास्ति के अधित्यजन के लिए फाइल में नोट रखा। उसके अनुसरण में, मध्यस्थ नियुक्त किया गया था जिसने अधिनिर्णय दिया। उसके अनुसरण में संविदाकार मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ को भुगतान किया गया था। इस पर, जब यह पता चला था कि बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अनाचार करके मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ को भुगतान करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, निगरानी के पास प्राथमिकी उसमें यह अभिकथन करते हुए दर्ज की गयी थी कि जुलाई 2007 तक

बढ़ाया गया समय मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ को इस अनुबंधन के साथ प्रदान किया गया था कि कीमत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और वह एल॰ डी॰ के अधिरोपण के अध्यधीन था। उसके बावजूद, जब यह पाया गया था कि मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ ने काम शुरू तक नहीं किया था, तत्कालीन अध्यक्ष जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ ने संबंधित अधिकारियों को संविदा की समाप्ति के लिए बोर्ड की अगली बैठक में एजेन्डा पर रखने के लिए कहा किंतु बोर्ड के अधिकारियों ने षड्यन्त्र किया, संविदा की समाप्ति के लिए बोर्ड के समक्ष एजेन्डा कभी नहीं रखा बल्कि श्री पी॰ के॰ सिन्हा, विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰ ने मध्यस्थ की नियुक्ति, शास्ति के अधित्यजन एवं समय के विस्तारण के लिए फाइल प्रस्तुत किया। इस पर, उक्त पी॰ के॰ सिन्हा और वित्त निदेशक सहित बोर्ड के अन्य अधिकारियों के कहने पर मध्यस्थ नियुक्त किया गया था जिसने मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ के पक्ष में अधिनिर्णय दिया और उसके अनुसरण में बोर्ड को 10.87 करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ा था। उस राशि में कीमत परिवर्तन के कारण राशि भी सम्मिलित था किंतु वह विवाद का विषय वस्तु कभी नहीं था और, इसलिए, बोर्ड के प्राधिकारी को अधिनिर्णय का प्रतिवाद करना चाहिए था किंतु बोर्ड के प्राधिकारी ने अधिनिर्णय के गुणागुण का परीक्षण किए बिना एकमात्र मध्यस्थ के अधिनिर्णय को अनुमोदन के लिए फाइल पर रखा और तब तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰ ने अधिनिर्णय के परिणामों का परीक्षण किए बिना बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन करने की अनुशंसा किया।

4. आगे यह अभिकथित किया गया है कि श्री पी॰ के॰ सिन्हा ने असद्भावपूर्ण आशय के साथ जानबूझकर इस तथ्य को दबाया कि अधिनिर्णय के क्रियान्वयन का अतिरिक्त 11 करोड़ रुपयों का वित्तीय प्रभाव होगा जो राशि संविदाकार को भुगतान करने के लिए उपलब्ध नहीं है और कि केवल उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के बाद अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की जा सकती थी। आगे अभिकथन यह है कि 7,89,84,826/- रुपयों, 4,89,24,788/- रुपयों का शुद्ध मूल्य, का भुगतान करने के लिए फाइल बढ़ाया गया था जिसका भुगतान वित्त नियंत्रक III द्वारा पारित आदेश के बाद किया गया था यद्यपि उसको तीन करोड़ अथवा उपर की राशि का भुगतान करने का आदेश पारित करने का प्राधिकार नहीं था, बल्कि प्राधिकार सदस्य वित्त अथवा अध्यक्ष, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ के पास था। इसी प्रकार से, कीमत परिवर्तन की ओर 2,75,43,156/- रुपयों का भुगतान परियोजना लागत के खाता से किया गया था जो घोर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि केवल निधि उपलब्ध कराए जाने के बाद उस राशि का भुगतान किया जा सकता था।

5. अंत में, यह अभिकथित किया गया है कि परियोजना का कुल लागत 33.13 करोड़ रुपया था। उसके विरुद्ध, सामग्री लागत के साथ किए गए काम का मूल्य 19,85,08,406/- रुपया था किंतु संविदाकार को 28,90,95,479/- रुपयों की राशि का भुगतान किया गया था और तद्द्वारा 9,05,87,073/- रुपयों की राशि का भुगतान किया गया था और तद्द्वारा 9,05,87,073/- रुपयों की राशि का अधिक भुगतान किया गया है। उक्त प्राथमिकी इस याची जो समय के प्रासंगिक बिंदु पर वित्त नियंत्रक था सहित जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की गयी थी।

6. मामला अन्वेषण के लिए लिए जाने पर, अन्वेषण अधिकारी ने याची की ओर से अपराधिकता पाया और याची सहित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। इस पर, अवर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 109, 409, 420, 467, 468, 471, 477A एवं 120B के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (c) (d) के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया जो चुनौती के अधीन है।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा निवेदन करते हैं कि याची के विरुद्ध मूलत: दो अभियोग हैं: पहला 10,87,60,653/- रुपयों की राशि के भुगतान से संबंधित हैं जिसका भुगतान

संविदाकार को उस निधि से किया गया था जिसे उर्जा वित्त निगम से कर्ज लेने के बाद उठाया गया था। निगरानी का दृष्टिकोण है कि याची को उर्जा वित्त निगम से लिए गए कर्ज से उस राशि का भुगतान करने की अनुशंसा नहीं करनी चाहिए थी बल्कि बोर्ड को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए नया कर्ज लेना चाहिए था किंतु चूँकि यह नहीं किया गया है और विद्यमान कर्ज खाता से भुगतान किया गया है किंतु याची को वित्तीय अनियमितता करता हुआ बताया गया है किंतु कहीं भी कुछ भी नहीं है कि बकाया का भुगतान कर्ज खाता से नहीं किया जा सकता है और कि याची को इस कारण से भुगतान करना पड़ा था कि अधिनिर्णय संविदाकार के पक्ष में पारित किया गया था जहाँ अनुबंधित अवधि के भीतर उसको पूर्वोक्त राशि का भुगतान किये जाने की अपेक्षा की जाती थी और यदि भुगतान नहीं किया जाता, बोर्ड को 18% की दर पर ब्याज की राशि का भुगतान करने का दायी बनाया जाता और कि बोर्ड ने भी भुगतान किए जाने के पहले अधिनिर्णय जिसे संविदाकार के पक्ष में पारित किया गया था को क्रियान्वित करने का संकल्प लिया था और उस आलोक में, याची ने कर्ज खाता से भुगतान करने का अनुशंसा किया जिस अनुशंसा को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया था और तद्द्वारा याची ने कोई अवैधता नहीं किया था।

8. आगे अभिकथन जिसे याची के विरुद्ध किया गया है, यह है कि याची ने अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना 7,89,84,826/- रुपयों, 4,89,24,788/- रुपयों की कुल राशि के तत्सम, की राशि के भुगतान के संबंध में सामग्रियों की आपूर्ति के बिलों के विरुद्ध निर्मुक्ति आदेश जारी किया क्योंकि याची को तीन करोड़ अथवा उपर की राशि का भुगतान करने के लिए निर्मुक्ति आदेश जारी करने का प्राधिकार नहीं था।

9. इस संबंध में, यह निवेदन किया गया है कि यह सत्य है कि याची ने अध्यक्ष से कोई पूर्व अनुमोदन पाए बिना निर्मुक्ति आदेश पारित किया था किंतु ऐसा करके उसने केवल बोर्ड के सन्नियम अथवा संहिता का उल्लंघन किया है जिसके लिए संविदाकार के साथ अवैध रूप से पक्षपात करने के लिए याची की ओर से गैर ईमानदार आशय की अनुपस्थिति में याची को आपराधिक रूप से कृत्य करता हुआ नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्मुक्ति आदेश पारित किए जाने के बाद अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था किंतु वह फाइल पर नहीं है बल्कि विभिन्न सीटों पर है, जिसका तथ्य आरोप-पत्र में सदृशता पाता है और तद्द्वारा याची ने भले ही निर्मुक्ति आदेश पारित करने में अनियमितता किया है, उसे कोई आपराधिक कृत्य करता हुआ नहीं कहा जा सकता है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में **सी॰ चेंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम ए॰ पी॰ राज्य, (1996)60 SCC 193,** में निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

11. याची की ओर से आगे किया गया निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए यह आवश्यक है कि कृत्य स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए धनीय लाभ अथवा अन्यथा प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का अवैध रूप से दुरुपयोग करके किया जाना होगा परन्तु यह कि वह धनीय लाभ का आवश्यक परिणाम पाने के लिए अथवा किसी बहुमूल्य चीज को प्राप्त करने के लिए, भले ही कृत्य किसी अन्य के लिए है, चैतन्य कृत्य करता है किंतु यहाँ याची की मौनानुकूलता से संबंधित किसी सामग्री की अनुपस्थिति में यह इस उपधारणा की ओर कभी नहीं ले जाएगा कि याची की ओर से बेईमानी भरा कृत्य था और यदि ऐसा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन अपराध नहीं बनता है।

12. निवेदन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **आर॰ बालाकृष्णन पिल्लई बनाम केरल राज्य, (2003)9 SCC 700,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

13. इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि यदि याची का अभियोजन अभिखंडित नहीं किया जाता है, न्याय की घोर विफलता होगी।

14. इसके विरुद्ध, निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टी॰ एन॰ वर्मा निवेदन करते हैं कि याची ने वित्त नियंत्रक होने के नाते पूर्वोक्त राशि का भुगतान करने में अवैधता किया, वह भी किसी प्राधिकार के बिना और तद्द्वारा याची की ओर से बुरा आशय रखने की उपधारणा आसानी से की जा सकती है।

15. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से सामग्रियों की आपूर्ति के विरुद्ध उठाए गए बिलों के विरुद्ध भुगतान के संबंध में निर्मुक्ति आदेश जारी करने के पहले याची ने अध्यक्ष का अनुमोदन नहीं लिया है और कि सबकुछ जल्दबाजी में किया गया था। उस स्थिति में, याची की ओर से आपराधिकता प्रतीत होती है और इसलिए अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपराधों का संज्ञान लिया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता कभी नहीं है।

16. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख के परिशीलन पर मैं पाता हूँ कि मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ की नियुक्त के संबंध में अथवा मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में याची के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। केवल मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णय पारित किए जाने के बाद याची ने राशि का भुगतान किया था जिसे उपलब्ध निधि से नहीं बल्कि कर्ज निधि से अधिनिर्णीत किया गया था। इसे निगरानी द्वारा अवैध माना गया है क्योंकि इसके अनुसार विद्यमान कर्ज खाता से भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करने के प्रयोजन से कर्ज कभी नहीं लिया गया था। यह अभियोग प्रस्तुत की गयी किसी चीज की अनुपस्थिति में कि कर्ज खाता से बोर्ड के विरुद्ध पारित अधिनिर्णय के अधीन आच्छादित राशि का भुगतान करने के लिए बोर्ड के प्राधिकारी की ओर से निर्बंधन था, अभियोजन का विषयवस्तु नहीं हो सकता है। यह निगरानी का मत है जो किसी परिपत्र अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत कि उर्जा वित्त निगम से नया कर्ज लेने के बाद भुगतान किया जाना चाहिए था, पर आधारित नहीं है। यह कथन किया जाए कि याची को अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कृत्य करना है और न कि अन्य की इच्छा के मुताबिक और यदि राशि के भुगतान के मामले में आपराधिता दर्शाने वाला कुछ भी नहीं है, याची को कोई गलत करता हुआ नहीं कहा जा सकता है।

17. आगे, यह कथन किया जाए कि याची ने 4,89,24,788/- रुपयों की राशि के भुगतान के संबंध में निर्मुक्ति आदेश पारित किया किंतु वह निर्मुक्ति आदेश अध्यक्ष के किसी अनुमोदन के बिना पारित किया गया था यद्यपि याची के अनुसार ऐसा पश्चातवर्ती अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया था किंतु फाइल पर नहीं बल्कि पृथक सीट पर जो निगरानी के अनुसार दोषपूर्ण है किंतु भले ही यह अनियमितता उक्त राशि के भुगतान के मामले में है, उसकी आपराधिता केवल तब पायी जा सकती है जब संविदाकार के साथ उसको मौनानुकूलता अथवा षड्यन्त्र दर्शाने वाला कुछ और भी है यद्यपि निगरानी ने यह स्थपित करने का प्रयास किया है कि फाइल इतनी तेजी से बढ़ी किंतु यह याची की आपराधिता के बारे में उपदर्शित कभी नहीं करता है, क्योंकि संविदाकार के साथ अन्य अधिकारियों का षड्यंत्र हो सकता है जिस कारण फाइल इतनी तेजी से बढ़ी। इसके अतिरिक्त निगरानी का मामला यह कभी नहीं है कि सामग्री आपूर्ति अथवा कम आपूर्ति किए बिना पूर्वोक्त भुगतान किए गए थे।

18. आगे, यह कथन किया जाए कि दांडिक षडयंत्र के अपराध के अवयव ये हैं कि व्यक्तियों जिन्हें षडयन्त्र करता अभिकथित किया गया है के बीच करार होना चाहिए और उक्त करार अवैध कृत्य करने के लिए अथवा अवैध साधनों से कृत्य जो स्वयं में अवैध नहीं हो सकता है करने के लिए होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दांडिक षडयन्त्र का सार अवैध कृत्य करने का करार है और ऐसा करार प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अथवा दोनों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और यह सामान्य अनुभव है कि षडयंत्र सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य बिरले ही उपलब्ध होते हैं। तद्नुसार, घटना के पहले एवं बाद सिद्ध की गयी परिस्थितियों पर अभियुक्त की आपराधिकता के बारे में विनिश्चय करने के लिए विचार करना होगा। भले ही कुछ कृत्यों को किया गया सिद्ध किया गया है, यह स्पष्ट करना होगा कि उनहें अभियुक्तों जो षड्यन्त्र के पक्षगण थे के बीच हुए करार के अनुसरण में इस प्रकार किया गया था। दोष के संबंध में सिद्ध की गयी ऐसी परिस्थितियों से निष्कर्ष केवल तब निकाले जा सकते हैं जब ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के अक्षम हैं। दूसरे शब्दों में, षडयन्त्र का अपराध मात्र संदेह अथवा अटकल अथवा निष्कर्ष जो तर्कपूर्ण एवं स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है पर स्थापित किया गया नहीं समझा जा सकता है। **केंद्रीय जाँच ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के॰ नारायण राव, (2012)9 SCC 512,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि की इस प्रतिपादना को अधिकथित किया गया है। यहाँ वर्तमान मामले में, संविदाकार को भुगतान के संबंध में पूर्वोक्त दो तथ्यों जिन पर यहाँ उपर विचार किया गया है के सिवाए मौनानुकूलता अथवा षडयन्त्र दर्शता कुछ भी प्रतीत नहीं होता है।

19. मामले में आगे जाते हुए, यह कथन किया जाए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित 3 (2) के अधीन व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं अथवा किसी अन्य के लिए धनीय लाभ अथवा अन्यथा प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से कृत्य किया जाना होगा। परन्तु यह कि वह धनीय लाभ का आवश्यक परिणाम पाने के लिए अथवा किसी बहुमूल्य चीज को प्राप्त करने के लिए वह सचेत कृत्य करे भले ही कृत्य किसी अन्य के लिए है।

20. आर॰ बालाकृष्णा पिल्लई (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादना अधिकथित किया है।

21. इस प्रकार, सुनिश्चित प्रक्रिया से कोई विपथन इस उपधारणा की ओर नहीं ली जाएगा कि याची की ओर से बेईमान कृत्य किया गया था और यदि ऐसा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन अपराध नहीं बनता है।

22. जैसा मैंने पहले कहा है कि निगरानी द्वारा आपराधिक बताए गए दो कृत्य हैं किंतु वे कृत्य केवल प्रक्रिया से विपथन से संबंधित हैं और इसके अतिरिक्त, इस निष्कर्ष कि याची भी अन्यों के बीच रची गयी साजिश का पक्ष था की ओर ले जाने वाला याची का कोई कृत्य दर्शाने वाला कुछ भी प्रतीत नहीं होता है।

23. इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.8.2015 के अपने आदेश के तहत संज्ञान लेने में अवैधता किया।

24. तद्नुसार, निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2011 (विशेष केस सं॰ 2 वर्ष 2011) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही याची के विरुद्ध संज्ञान लेने वाले दिनांक 26.8.2015 के आदेश सहित एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

भवानी गिरी उर्फ हागु गिरी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 416 of 2006. Decided on 4th January, 2016.

सत्र मामला सं॰ 468 वर्ष 2004 में श्री अरुण कुमार दत्ता, अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 20.1.2006 एवं दिनांक 24.1.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–अ॰ सा॰ ने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है किंतु वे चश्मदीद गवाह नहीं हैं–स्वतंत्र गवाहों अथवा परिस्थिति जन्य गवाहों अथवा अनुश्रुत गवाहों जो घटना के तुरन्त बाद घटना स्थल पर आए थे का गैर परीक्षण अभियोजन मामला संदेहपूर्ण बनाता है–हेतु सिद्ध करवाने के लिए अपीलार्थी की पत्नी एवं माता का गैर परीक्षण घातक प्रतीत होता है–अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 7 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Bishwambher Shastri, For the Appellant; Mr. Amaresh Kumar, For the State; M/s A.K. Das, Pooja Kumari, For the Informant.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील सत्र विचारण सं॰ 468 वर्ष 2004 बहरागोड़ा पी॰ एस॰ केस सं॰ 49 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ केस सं॰ 301 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 20.1.2006 एवं दिनांक 24.1.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी भवानी गिरी उर्फ हागू गिरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 12.8.2004 को प्रातः लगभग 6.45 बजे मृतक अपने खेत जा रहा था किंतु रास्ते में अपीलार्थी भवानी गिरी उर्फ हागू गिरी द्वारा लोहे की छड़ से उस पर प्रहार किया गया था और मृतक अशोक दंडापत के मस्तक पर पीछे से वार किया गया था। घटना के बाद, गवाह जमा हुए और वे घायल अशोक दंडापत को निकट के क्लिनिक में ले गए और वहाँ से उसे दूसरे अस्पताल निर्दिष्ट किया गया था, किंतु पुनः डॉक्टर ने उसे जमशेदपुर ले जाने का सुझाव दिया। रास्ते में अशोक दंडापत की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात, मृत शरीर पुलिस थाना लाया गया था। गीता देवी (अ॰ सा॰ 3) जो मृतक की पत्नी है का फर्दबयान दिनांक 12.8.2014 को प्रातः लगभग 11.30 बजे केसरदा गाँव में दर्ज किया गया था। गीता देवी के फर्द बयान के आधार पर अभियुक्त भवानी गिरी उर्फ हागू गिरी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दिनांक 12.8.2004 का बहरागोड़ा पी॰ एस॰ केस सं॰ 49 वर्ष 2004 दर्ज किया गया था।

3. पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया था। चूँकि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, एकमात्र अपीलार्थी का मामला सुपुर्द किया गया था और इसे एस॰ टी॰ सं॰ 468 वर्ष 2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था, अपीलार्थी ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया। अभियोजन आरोप सिद्ध करने के लिए

कुल पाँच गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 रविन्द्रनाथ दंडापत, अ॰ सा॰ 2, सत्यबान दंडापत, अ॰ सा॰ 3 गीता दंडापत, अ॰ सा॰ 4 अंजनी कुमार एवं अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ अखिलेश कुमार चौधरी का परीक्षण किया। पूर्वोक्त पाँच गवाहों में से अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने स्वयं का घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है। अ॰ सा॰ 3 सूचक है जबकि अ॰ सा॰ 4 आई॰ ओ॰ है और अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर है जिन्होंने अशोक दंडापत के मृत शरीर का शव परीक्षण किया।

5. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 मृतक के निकट संबंधी हैं और वे अत्यन्त हितबद्ध गवाह हैं। उन्होंने घटना नहीं देखा था जो उनके बयानों से प्रकट होगा। स्वीकृत रूप से, वे संयोगी साक्षी हैं और संयोगी साक्षी के साक्ष्य, यदि वे हितबद्ध गवाह भी है, का संवीक्षण अत्यन्त सतर्कता से करना होगा। तात्विक बिंदु पर अ॰ सा॰ 1 एवं 2 और अ॰ सा॰ 3 के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रतीत होते हैं। अन्वेषण अधिकारी अभियोजन गवाहों के प्रभाव के अधीन अन्वेषण करता प्रतीत होता है और उसने स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण करने का परवाह भी नहीं किया था, यद्यपि स्वतंत्र गवाह घटना के तुरन्त बाद घटनास्थल पर जमा हुए थे। घटना के पीछे का हेतु सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि आई॰ ओ॰ ने अपीलार्थी की व्यथित माता एवं पत्नी का परीक्षण नहीं किया था।

ऐसे प्रतिवाद के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 के बयानों की ओर आकृष्ट किया है। अ॰ सा॰ 1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा सं॰ 1 में कथन किया है कि दिनांक 12.8.2004 को प्रातः 6.30 बजे वह अपने खेत से लौट रहा था। पैरा 2 में वह कहता है कि मृतक अशोक दंडापत आगे-आगे जा रहा था जिसके पीछे अभियुक्त भवानी गिरी उर्फ हागू गिरी जा रहा था और पुनः वह पैरा 3 में कहता है कि हागू गिरी ने लोहे के छड़ से पीछे से मृतक के मस्तक पर प्रहार कारित किया और भाग गया। यह इंगित किया गया है कि यदि यह गवाह अपने खेत से लौट रहा था, वह मृतक के पीछे नहीं आ रहा होता बल्कि वह विपरीत दिशा से आ रहा होता। अ॰ सा॰ 2 के पैराग्राफों 10 एवं 15 को निर्दिष्ट करके यह निवेदन किया गया है कि मृतक अ॰ सा॰ 2 का चाचा था और अ॰ सा॰ 1 अ॰ सा॰ 2 का कजिन भाई था। इन दो गवाहों का आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वे घटना के बाद अभियुक्त को पकड़ने के लिए उसके पीछे नहीं गए थे, यद्यपि मृतक उनका निकट संबंधी था। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 2 घटनास्थल से लगभग 65 गज की दूरी पर अवस्थित अपने खेत में हल चला रहा था। यह एकल वार का मामला है और किसी भी गवाह ने नहीं कहा है कि वार किए जाने के पहले अपीलार्थी एवं मृतक के बीच कोई शोरगुल अथवा बहस हुआ था। किसी किसान जो अपने खेत में हल चला रहा है से सड़क पर नजर रखने और प्रत्येक क्षण को ध्यान में लेने कि वहाँ क्या-क्या हो रहा है की उम्मीद नहीं की जाती है। अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के बयानों को निर्दिष्ट करके इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि जब मृतक को उसके घर लाया गया था, उसकी पत्नी उपलब्ध नहीं थी बल्कि मृतक का चाचा उपस्थित था। तत्पश्चात, अशोक दंडापत को निकट के क्लिनिक में और तब अस्पताल ले जाया गया था और तब उसे उसके इलाज के लिए जमशेदपुर की ओर उनके द्वारा ले जाया गया था किंतु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। अ॰ सा॰ 3 जो कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी है ने विरोधाभासी बयान दिया है। वह कहती है कि वह घर में उपस्थित थी जब उसका पति खेत जाने के लिए घर से निकला था और प्रातः 6.30 बजे का समय था और कुछ देर में ही उसे एक बच्चे द्वारा सूचित किया गया था कि कुछ गाँववालों द्वारा उसके पति पर प्रहार किया गया था। ऐसी सूचना पाने पर, वह घटना स्थल की ओर दौड़ी और रास्ते में वह अपने घायल पति से मिली जिसे गाँववालों

द्वारा ले जाया जा रहा था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 मृतक के साथ संबंधित हैं किंतु उन्होंने नहीं कहा था कि वे रास्ते में सूचक से मिले बल्कि उन्होंने कहा है कि मृतक की पत्नी घर में उपस्थित नहीं थी, जब वे मृतक को घर ले गए थे। अ॰ सा॰ 3 ने अ॰ सा॰ 1 एवं 2 को नामित नहीं किया था कि वे मृतक के साथ अस्पताल की ओर जा रहे थे।

आई॰ ओ॰ ने उस लड़के का पता लगाने का प्रयास नहीं किया था जिसने सूचक को घटना बताया था। आई॰ ओ॰ ने घटना के पीछे का हेतु संपुष्ट करने के लिए अपीलार्थी की माता एवं पत्नी का परीक्षण नहीं किया था। अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए अपीलार्थी के घर में हुई किसी पंचायती अथवा मृतक द्वारा इसमें भाग लेने के बारे में अपनी अनभिज्ञता अभिव्यक्त किया। उन्होंने स्वीकार किया है कि यदि अपीलार्थी के घर में पंचायती की गयी थी, वे उसमें उपस्थित नहीं थे। यह प्रतिवाद किया गया है कि अ॰ सा॰ 2 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 21 में कुछ गवाहों को नामित किया है जो घटना के तुरन्त बाद घटना स्थल पर जमा हुए थे, किंतु उनमें से कोई भी अभियोजन मामला का समर्थन करने आगे नहीं आया है। आई॰ ओ॰ ने मृतक की हत्या करने में प्रयुक्त लोहे की छड़ को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया था।

6. अभियोजन के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के साक्ष्य अक्षुण्ण हैं, वे चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। ग्रामीण गवाहों के बयान में लघु विरोधाभास होने की उम्मीद सदैव की जाती है। दोनों गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि घटना के समय पर अपीलार्थी मृतक के पीछे जा रहा था और उसने लोहे के छड़ से उसके मस्तक पर पीछे से प्रहार कारित किया। पायी गयी उपहतियाँ शव परीक्षण रिपोर्ट से समर्थन पाती है। केवल इसलिए कि गवाह मृतक से संबंधित हैं, उनके बयान, यदि विश्वसनीय हो, त्यक्त नहीं किए जा सकते थे। यदि अन्वेषण अधिकारी अपने पर डाली गयी बाध्यताओं का निर्वहन करने में विफल रहा, व्यथित को पीड़ित नहीं होना चाहिए। अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 के बयानों में विरोधाभास इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि संपूर्ण अभियोजन मामले पर अविश्वास किया जाए।

7. हमने गवाहों के बयान एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया है। हमने आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है। इन तर्कों में बल प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने स्वयं का चश्मदीद गवाह होने का बहाना किया है, किंतु वे चश्मदीद गवाह नहीं हैं। अ॰ सा॰ 1 एवं 2 का आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है जब उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको पकड़ने के लिए अभियुक्त का पीछा करने का परवाह नहीं किया था। अभियोजन साक्ष्य के मुताबिक, घटना खेत से होकर जाने वाली गाँव की सड़क पर प्रात: लगभग 6.45 बजे हुई थी। निकट के खेतों में किसानों-मजूदरों की उपस्थिति से इनकार नहीं किया गया है बल्कि उनमें से कुछ को अ॰ सा॰ 2 द्वारा नामित भी किया गया है। स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों अथवा परिस्थितिजन्य गवाहों अथवा अनुश्रुत गवाहों जो घटना के तुरन्त बाद घटना स्थल पर पहुँचे थे, का गैर-परीक्षण अभियोजन मामला जैसा अ॰ सा॰ 1 एवं 2 द्वारा प्रकट किया गया है को अत्यन्त संदेहपूर्ण बनाता है। दिया गया तर्क इस बिंदु पर भी विश्वासोत्पादक प्रतीत होता है कि अपने बयान के अनुसार अ॰ सा॰ 2 घटना स्थल से 65 गज की दूरी पर अवस्थित अपना खेत जोत रहा था और यह उम्मीद नहीं की जाती है कि हल चलाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए वह सड़क पर होती घटनाएँ देखेगा। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि किसी भी अभियोजन गवाह ने यह मामला नहीं बनाया है कि वार किए जाने के पहले मृतक एवं अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था। यह सत्य है कि एकल प्रहार

के मामले में चश्मदीद गवाह की उपलब्धता नहीं हो सकती है और विशेषत: ऐसी परिस्थितियों में जिसमें अभियोजन मामले के मुताबिक अपीलार्थी द्वारा मृतक पर प्रहार किया गया था, किंतु तब गवाह जो घटना के बाद जमा हुए थे की उपस्थिति सदैव प्रत्याशित है और वर्तमान मामले में ऐसा हुआ था। ऐसे किसी गवाह का गैर-परीक्षण भी अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के बयानों की सत्यता के प्रति संदेह सृजित करता है।

8. अ॰ सा॰ 3 मृतक की पत्नी है और वह सूचक है। उसका फर्दबयान मृतक की मृत्यु के बाद गाँव में दर्ज किया गया था। बयान जो उसने अपने फर्दबयान में अथवा न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में दिया था, अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के साक्ष्य से समर्थन नहीं पाता है क्योंकि वे यह कहने की सीमा तक गए हैं कि अ॰ सा॰ 3 अपने घर में उपस्थित बिल्कुल नहीं थी जब मृतक को घायल दशा में वहाँ ले जाया गया था। उन्होंने नहीं कहा था कि अ॰ सा॰ 3 उनसे रास्ते में मिली थी जब वे मृतक को स्वयं उसके घर ला रहे थे। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 3 ने इन दो गवाहों का नाम भी नहीं दिया है कि वे मृतक को घायल दशा में उसके घर और तब अस्पताल की ओर ले जा रहे थे। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 एक-दूसरे को जानते हैं जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट है।

9. हेतु सिद्ध करवाने के लिए अपीलार्थी की पत्नी एवं माता का गैर परीक्षण घातक प्रतीत होता है। अ॰ सा॰ 1 एवं 2 का बयान संदेहपूर्ण प्रतीत होता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्र गवाह घटनास्थल पर जमा हुए थे किंतु आई॰ ओ॰ द्वारा उनका परीक्षण नहीं किया गया था और वे अभियोजन मामले का समर्थन करने आगे नहीं आए हैं। इन समस्त पहलूओं, विशेषत: जब अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के साक्ष्य इस तथ्य की दृष्टि में संदेहमुक्त नहीं हैं कि वे मृतक के निकट संबंधी हैं और हितबद्ध गवाह हैं और वे संयोगी साक्षी भी प्रतीत होते हैं और अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 के बयानों में असंगति पर विचार करते हुए हमें यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं हैं कि अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 विश्वसनीय गवाह नहीं हैं और दोषसिद्धि मान्य ठहराने के लिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।

10. परिणामस्वरुप, सत्र मामला सं॰ 468 वर्ष 2004 में श्री अरुण कुमार गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 20.1.2006 एवं दिनांक 24.1.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अपील अनुज्ञात की जाती है। तद्नुसार, अपीलार्थी भवानी गिरी उर्फ हागू गिरी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोष सिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा, यदि आवश्यक हो, समुचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

अतीश मिश्रा

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 2314 of 2015. Decided on 18th January, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 82—आदेशिका जारी किया जाना–सूचक पर शारीरिक एवं मानसिक यातना कारित करने तथा दहेज मांगने का अभिकथन–आक्षेपित आदेश अवर

न्यायालय की ओर से स्वतंत्र न्यायिक विवेक का गैर इस्तेमाल प्रकट करता है क्योंकि यह केवल आई॰ ओ॰ का आवेदन अनुज्ञात करने वाला यांत्रिक आदेश है–यह उपदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ की ओर से व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि थी–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 11 एवं 12)

अधिवक्तागण.–Mr. K.P. Deo, For the Petitioner; Mr. Kaushik Sarkhel, For the State; Mr. Ananda Sen, For the O.P. No.2.

आदेश

इस आवेदन में याची ने विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित दिनांक 17.10.2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है।

2. सूचक विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा प्राथमिकी संस्थित की गयी थी जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि अभियुक्तों ने दहेज मांग किया था और सूचक पर शारीरिक एवं मानसिक यातना कारित की गयी थी एवं दहेज मांगा गया था।

3. दिनांक 26.2.2015 को याची के विरुद्ध गैर-जमानती वारन्ट जारी करने के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा तलब दाखिल किए जाने पर इसे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। याची द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन ए॰ बी॰ पी॰ सं॰ 63 वर्ष 2015 में याची के विरुद्ध प्रपीड़क कदम नहीं उठाने का आदेश दिया गया था। दिनांक 16.9.2015 को अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया था और, तत्पश्चात, दिनांक 17.10.2015 को अन्वेषण अधिकारी ने याची के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने का प्रार्थना किया था। दिनांक 17.10.2015 को ही आदेश पारित किया गया था जिसमें अन्वेषण अधिकारी का आवेदन अनुज्ञात किया गया था और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा याची के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने का आदेश दिया गया था।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पी॰ देव राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द सेन सुने गए।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पी॰ देव ने निवेदन किया है कि दिनांक 17.6.2015 से दिनांक 15.9.2015 तक प्रपीड़क कदम नहीं उठाने का अंतरिम आदेश प्रचलित था। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 19.9.2015 को अन्वेषण अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी वारन्ट की प्रति प्राप्त की गयी थी किंतु गिरफ्तारी वारन्ट के निष्पादन के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा कदम नहीं उठाया गया था और किसी तामील रिपोर्ट के बिना अन्वेषण अधिकारी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए लापरवाह आवेदन दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 17.10.2015 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 17.10.2015 का आदेश जिसमें दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है, विद्वान अवर न्यायालय की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि के संबंध में किसी तर्क के बिना है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिया गया आवेदन और उक्त आवेदन अनुज्ञात करने वाला दिनांक 17.10.2015 का पश्चातवर्ती आदेश अत्यन्त यांत्रिक तरीके से किए गए थे और ऐसी परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

6. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द सेन ने दिनांक 17.10.2015 के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया है कि याची के अग्रिम जमानत

आवेदन में पारित अंतरिम आदेश याची के विरुद्ध प्रपीड़क कदम नहीं उठाने के लिए था। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि यह सुझाने के लिए पर्याप्त कारण थे कि याची फरार था और ऐसी परिस्थितियों में अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गयी प्रार्थना एवं दिनांक 17.10.2015 का आदेश पारित किया जाना दंड प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रावधानों के क्षेत्र के अंतर्गत थे।

7. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री कौशिक सरखेल ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क अपनाया है और निवेदन किया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल तलब स्पष्टत: कहता है कि अभियुक्त फरार था और/अथवा गिरफ्तारी से बच रहा था और ऐसी परिस्थिति में अन्वेषण अधिकारी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए सही प्रकार से प्रार्थना की गयी है और आदेश जिसके द्वारा उक्त आवेदन अनुज्ञात किया गया था, किसी दुर्बलता अथवा अवैधता से पीड़ित नहीं है।

8. आदेश जिसे वर्तमान आवेदन के साथ संलग्न किया गया है से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 8.5.2015 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला के न्यायालय द्वारा प्राथमिकी प्राप्त किया गया था। दिनांक 20.6.2015 को अभियुक्तों के विरुद्ध गैर–जमानती गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया था और उसी दिन अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला द्वारा अवर न्यायालय से ए॰ बी॰ पी॰ सं॰ 63 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 17.6.2015 के आदेश की प्रति प्राप्त की गयी थी जिसमें याची के विरुद्ध प्रपीड़क कदम नहीं उठाने का आदेश दिया गया था।

9. इस प्रकार प्रदान किया गया अंतरिम आदेश दिनांक 29.6.2015, 10.7.2015, 31.7.2015, 12.8.2015 एवं 17.8.2015 के आदेशों के तहत बढ़ाया जाता रहा। दिनांक 19.9.2015 को अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार किया गया था जिसे विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला द्वारा दिनांक 19.9.2015 के आदेश में ध्यान में लिया गया है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि दिनांक 17.6.2015 से दिनांक 15.9.2015 तक अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला के न्यायालय द्वारा याची के पक्ष में प्रदान किया गया अंतरिम आदेश प्रवर्तन में था। दिनांक 19.9.2015 को अन्वेषण अधिकारी ने गिरफ्तारी वारंट का प्रति प्राप्त किया था और, तत्पश्चात, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए बाद में प्रार्थना किया था और दिनांक 17.10.2015 के आदेश के तहत विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला ने अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गयी प्रार्थना अनुज्ञात किया था।

10. रघुवंश दीवानचंद भासिन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके सतर्क किया है कि न्यायालयों की गैर जमानती वारन्ट जारी करने का निर्देश देते हुए अत्यन्त सतर्क एवं सावधान रहना होगा अन्यथा दोषपूर्ण निरोध भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन परिकल्पित संवैधानिक आज्ञा से से वंचित करने के तुल्य होगा, पूर्वोल्लिखित निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"9. bl ij 'kk;n gh tkj nu dh vko';drk g fd pfd xj tekurh okjUV dk fu"iknu 0;fDr dh Lor=rk de djuk vrxLr djrk g] ***fxj¶rkjh okjUV ;kf=d :i ls tkjh ugh fd;k tk ldrk g] cfYd doy ;g lrf"V nts dju d ckn fd ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e] ;g vko';d cu x;k gA*** *U;k;ky;k dk xj&tekurh okjUV tkjh dju dk fun'k nr g, vR;Ur lrd ,o lkoèkku jguk gkxk] ugh rk nk"ki.k fujkèk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 21 e ifjdfYir loèkkfud vkKk l budkj d rY; gkxkA lkFk gh] bl l budkj ugh fd;k tk ldrk g fd 0;fDr d dY;k.k ij lekt dk dY;k.k vfHkHkkoh gkxkA vr%] fofèk 0;oLFkk cuk, j[ku d fy, vkj lekt e fØ;k'khy lketL; cuk, j[ku d fy, ,d vkj 0;fDr rFkk nljh vkj jkT; d vfèkdkj] Lor=rk ,o*

*fo'k"kkfèkdkj d chp lryu LFkkfir djuk vko';d gA okLro e] ;g ,d tfVy dk; gA tlk U;k;efr dkjnkrk dgr g] ^^,d vkj lkekftd vko';drk g fd vijkèk dk neu djuk gkxkA nljh vkj] lkekftd vko';drk g fd in d vgdkj }kjk fofèk dk mYy?ku ugh fd;k tk,xkA fdlh Hkh fodYi e [krjk gA** pkg tk Hkh gk]* ***U;k;ky; tk ;g fofuf'pr dju d Lofood l ifji.k g fd D;k vfHk;Dr dh mifLFkfr tekurh vFkok xj&tekurh okjaV }kjk lfuf'pr dh tk ldrh g] dk ,d vkj fofèk çoru dh vko';drk vkj nljh vkj fofèk çoru ,tfl;k d gkFkk fujd'krk l ukxfjdk d lj{k.k d chp lryu LFkkfir djuk gA***

¼tkj Mkyk x;k½

11. दिनंक 17.10.2015 का आदेश जो वर्तमान आवेदन में चुनौती के अधीन है विवेक का पूर्ण गैर-इस्तेमाल दर्शाता है क्योंकि यह उपदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला की ओर से व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि नहीं थी क्योंकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने का कारण प्रकट नहीं किया गया था। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश विद्वान अवर न्यायालय की ओर से स्वतंत्र न्यायिक विवेक का गैर इस्तेमाल प्रकट करता है क्योंकि आदेश अन्वेषण अधिकारी का आवेदन अनुज्ञात करता केवल यांत्रिक आदेश है। अतः, आक्षेपित आदेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

12. तद्नुसार, घाटशिला पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 2015 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित दिनांक 17.10.2015 का आदेश जिसके द्वारा और जिसके अधीन दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

13. विद्वान अवर न्यायालय विधि के अनुरुप अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र है।

14. यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

अनूप कुमार सेनगुप्ता

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 506 of 2015. Decided on 5th February, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 419, 420, 468 एवं 471—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धाराएँ 13 (2) एवं 13 (1) (d)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—छल एवं कूटरचना—संज्ञान—याची ने मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते अभिकथित रूप से बजट आवंटन के बिना निविदा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया—षडयंत्र का अपराध मात्र अनुमानों या अटकलों अथवा निष्कर्ष जिसे तर्कपूर्ण एवं स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया है पर स्थापित किया गया नहीं समझा जा सकता है—याची ने अभियुक्तों के बीच हुए करार के अनुसरण में कृत्य नहीं किया था—दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 14 से 23)

निर्णयज विधि.—(2012)9 SCC 512; (2003) 9 SCC 700—Relied; (1996) 10 SCC 193—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; Mr. K.P. Deo, For the CBI.

आदेश

यह आवेदन विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 24.2.2015 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B सहपठित धाराओं 419, 420, 468 एवं 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान याची के विरुद्ध लिया गया है सहित आर॰ सी॰ केस सं॰ 01 (A) वर्ष 2013-D) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

2. पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों का उल्लेख करने के पहले अभियोजन मामले को ध्यान में लेने की आवश्यकता है।

3. सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा सूचना प्राप्त की गयी थी कि तत्कालीन कुस्तोर क्षेत्र, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद के अभियन्ताओं एवं वित्तीय प्रबंधकों ने वर्ष 2008-11 के दौरान मेसर्स डी॰ के॰ धनबाद के स्वत्वधारी कुंभ नाथ सिंह और उसके भाई एल॰ बी॰ सिंह के साथ बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के साथ छल एवं कपट करने की दृष्टि से अवैध कृत्य करने अथवा किया जाना कारित करने के लिए दांडिक षड्यन्त्र किया जिसके द्वारा सड़क, नाला, चारदीवार, पाइपलाइन आदि के निर्माण के लिए मेसर्स डी॰ के॰ सिंह के पक्ष में 16 काम आवंटित किए गए थे। ठेकेदार ने काम पूरा किए बिना बिल दिया था जिसका भुगतान उनको बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ अधिकारियों की मौनानुकूलता से किया गया था और तद्द्वारा उन्होंने बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को लगभग 1,23,13,354/- रुपयों का दोषपूर्ण हानि कारित किया। उक्त अभिकथन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसका अन्वेषण किया गया था।

4. अन्वेषण के दौरान, यह पाया गया था कि सिविल (पूंजी प्रकृति) से संबंधित 16 कामों का मूल्यांकन क्षेत्रीय सिविल प्रबंधक की प्रेरणा पर किया गया था। मूल्यांकन तैयार करने के बाद, इसे क्षेत्रीय सिविल प्रबंधक द्वारा वित्त प्रबंधक/क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक को अग्रसारित किया गया था। कुस्तोर क्षेत्र के तत्कालीन वित्त प्रबंधक ने बजट आवंटन के लिए फाइल को सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰) कोयला भवन को अग्रसारित करने की अनुशंसा किया जिसे याची के कुस्तोर क्षेत्र का मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते उसके माध्यम से भेजा गया था। चूँकि याची उपस्थित नहीं था, क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री ज्योतिष चंद्र ने इस फाइल को सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰) कोयला भवन अग्रसारित किया ताकि इसे बजट आवंटन के लिए निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए किंतु फाइल निदेशक, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, कोयला भवन के समक्ष कभी नहीं प्रस्तुत की गयी थी बल्कि इस पर सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰) कोयला भवन द्वारा विचार किया गया था जिसके द्वारा उन्होंने फाइल को उसमें यह पृष्ठांकित करते हुए याची को भेजा कि निविदा कमिटी द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद बजट आवंटन किया जाएगा और तद्द्वारा याची ने निविदा प्रक्रिया शुरू करने का अनुमोदन किया यद्यपि नियम मुताबिक पहले बजट आवंटन किया जाता है और तब निविदा जारी की जाती है किंतु याची सहित अभियुक्तों ने बजट आवंटन के बिना एक-दूसरे की मौनानुकूलता से निविदा प्रक्रिया जारी करने का कदम उठाया और तद्द्वारा यह अभिकथित किया गया था कि याची भी ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि में था जिसने काम निष्पादित किए बिना भुगतान लिया था।

5. ऐसे अभिकथन पर, जब आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, याची सहित अभियुक्तों के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया गया था जो चुनौती के अधीन है।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा निवेदन करते हैं कि सी॰ बी॰ आई॰ का मामला यह है कि सितम्बर-अक्टूबर, 2008 में बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद के अब तक के कुस्तोर क्षेत्र के सिविल विभाग द्वारा पाइप लाइन, चारदीवार, पी॰ सी॰ सी॰ रोड एवं नाला आदि के निर्माण से

संबंधित सोलह विभिन्न सिविल कामों का मूल्यांकन तैयार किया गया था। वे मूल्यांकन क्षेत्रीय सिविल प्रबंधक की प्रेरणा पर तैयार किए गए थे। मूल्यांकन तैयार करने के बाद, इसे क्षेत्रीय सिविल प्रबंधक द्वारा वित्त प्रबंधक/क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक ने फाइल को बजट आवंटन के लिए सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰), कोयला भवन को अग्रसारित करने की अनुशंसा की जिसे याची के कुस्तोर क्षेत्र का मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते उसके माध्यम से भेजा गया था। उस तिथि पर जब फाइल याची के कार्यालय पहुँचा, याची उपस्थित नहीं था और, इसलिए, क्षेत्रीय महाप्रबंधक ज्योतिष चंद्र ने इस फाइल को सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰) कोयला भवन अग्रसारित किया ताकि बजट आवंटन के लिए इसे निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए किंतु फाइल निदेशक, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, कोयला भवन के समक्ष कभी नहीं प्रस्तुत की गयी थी, बल्कि इस पर सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰), कोयला भवन द्वारा विचार किया गया था, जिसके द्वारा उसने इसमें पृष्ठांकन करते हुए कि निविदा कमिटी द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद बजट आवंटन किया जाएगा, फाइल को याची के पास भेजा। ऐसे पृष्ठांकन पर, याची ने कार्य किया जिसके द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसने आदेश पारित किया। उसके बाद, याची को वहाँ से दिनांक 20.6.2009 को स्थानांतरित किया गया था और केवल तत्पश्चात, निविदा जारी की गयी थी जिसके लिए अनेक व्यक्तियों ने भाग लिया और निविदा कमिटी ने किसी मेसर्स डी॰ के॰ सिंह को समस्त 16 सिविल कामों जिनके लिए कार्य आदेश जारी किया गया था के संबंध में एल॰1 के रूप में पाया गया था, किंतु अभियोजन मामले के मुताबिक उसने बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के अधिकारियों के मौनानुकूल से काम पूरा किए बिना भुगतान प्राप्त किया।

7. इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि याची की निविदा के अंतिमकरण अथवा उसको भुगतान करने के मामले में कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी, उसे इस कारण से आरोप-पत्रित किया गया है कि याची ने बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के निदेशक के अनुमोदन के बिना निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश पारित किया था, जिसे अभियोजन के अनुसार प्राप्त करने की आवश्यकता थी। किंतु यह स्पष्ट है कि याची ने सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰) द्वारा पारित आदेश पर कार्रवाई किया और यदि याची ने सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰) द्वारा किए गए पृष्ठांकन के मुताबिक कृत्य किया, उसने कोई गलती नहीं किया फिर भी षडयंत्र का मामला बना कर याची को अभियोजित किया जा रहा है जबकि याची की ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं है ताकि मत निर्मित किया जा सके कि याची ने ठेकेदार अथवा बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के किसी अन्य अधिकारी के साथ षडयन्त्र किया था जबकि याची को निविदा अंतिमकृत किए जाने एवं कार्य आदेश जारी किए जाने के पहले दूसरे कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था और उस स्थिति में, याची को अभियुक्तों के साथ षडयन्त्र करता नहीं कहा जा सकता है।

8. इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **केंद्रीय जाँच ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के॰ नारायण राव, (2012)9 SCC 512,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

9. आगे, यह निवेदन किया गया था कि भले ही याची बजट आवंटन के बिना निविदा शुरू करने का आदेश जारी करने में स्थापित सन्नियम से विपथित हुआ था, उसे गैरईमानदार आशय रखने वाला नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह नहीं जानता था कि उस ठेकेदार विशेष को कार्य आदेश पंचाट किया जाएगा और उस स्थिति में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन बिल्कुल अवैध होगा।

10. निवेदन के समर्थन में विद्वान अधिवचक्ता ने **सी॰ चेंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996)10 SCC 193,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

11. आगे किया गया निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं के लिए

अथवा किसी अन्य के लिए धनीय लाभ अथवा अन्यथा प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध रूप से कृत्य किया जाना चाहिए था परन्तु यह कि वह धनीय लाभ का आवश्यक परिणाम पाने के लिए अथवा कोई बहुमूल्य चीज प्राप्त करने के लिए हो भले ही कृत्य किसी अन्य के लिए है, चैतन्य कृत्य करता है किंतु यहाँ चूँकि याची नहीं जानता कि काम किसे पंचाट किया जाएगा, सुस्थापित प्रक्रिया से कोई विपथन इस उपधारणा की ओर कभी नहीं ले जाएगा कि याची की ओर से गैर ईमानदार कृत्य था और यदि ऐसा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित 13 (2) के अधीन अपराध नहीं बनता है।

12. इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **आर॰ बालाकृष्ण पिल्लई बनाम केरल राज्य, (2003)9 SCC 700,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

13. इसके विरुद्ध, सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पी॰ देव निवेदन करते हैं कि याची वर्ष 2008-11 के दौरान बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद के कुस्तोर क्षेत्र का मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में सिविल संविदा काम के लिए बी॰ सी॰ सी॰ एल॰/सी॰ आई॰ एल॰ द्वारा अधिकथित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। उसने कुस्तोर क्षेत्र का मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते इंगित नहीं किया था कि इसे अनुमोदित किए बिना काम शुरू कर दिया गया था और कि मूल्यांकन तैयार करने के पहले क्षेत्रीय महाप्रबंधक का अनुमोदन नहीं लिया गया था। याची ने बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के अन्य अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ करके बजट आवंटन के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधक ज्योतिष चंद्र को फाइल को सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰), कोयला भवन के माध्यम से मुख्यालय, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को अग्रसारित करने का अनुमति दिया। उसने क्षेत्रीय महाप्रबंधक होने के नाते इंगित नहीं किया था कि समस्त कामों को संबंधित निदेशक अथवा बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है। याची अच्छी तरह जानता था कि सी॰ एम॰ ई॰ (पी॰ एन्ड पी॰) कोयल भवन को अनुमोदन प्रदान करने की पृथक शक्ति नहीं थी, फिर भी इस पर याची द्वारा बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा अनुमोदित किए गए के रूप में विचार किया गया था और तद्द्वारा याची के सक्षम प्राधिकारी के किसी अनुमोदन के बिना निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश पारित किया और इन परिस्थितियों में, यह यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याची बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के अन्य अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ किए था और इसलिए अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपराधों का संज्ञान लिया है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता कभी नहीं है।

14. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेखों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि अभिकथन जिस पर याची को अभियोजित किया जा रहा है यह है कि याची ने बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद, कुस्तोर क्षेत्र का मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते निदेशक से बजट आवंटन के बिना निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश दिया।

15. प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या यह अभिकथन भारतीय दंड संहिता की धारा 120 अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन कोई अपराध गठित करता है?

16. यह कथन किया जाए कि याची द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित करने के बाद उसका स्थानांतरण कर दिया गया था और केवल तत्पश्चात मेसर्स डी॰ के॰ सिंह को निविदा प्रक्रिया में एल॰ 1 के रूप में पाया गया था और कार्य आदेश जारी किया गया था जिसने काम निष्पादित किए बिना बिल प्रस्तुत किया जिनके आधार पर भुगतान किए गए थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब याची ने आदेश पारित किया, वह नहीं जानता था कि काम मेसर्स डी॰ के॰ सिंह को पंचाट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, किस प्रकार याची को ठेकेदार सहित अन्य अभियुक्तों के साथ षडयंत्र करता कहा जा सकता है।

17. दांडिक षडयंत्र के अपराध के अवयव ये हैं कि व्यक्तियों जिन्हें षडयंत्र करता अभिकथित किया गया है के बीच करार होना चाहिए और उक्त करार अवैध कृत्य करने के लिए अथवा अवैध साधनों

से कृत्य जो स्वयं में अवैध नहीं हो सकता है करने के लिए होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दांडिक षडयंत्र का सार अवैध कृत्य करने का करार है और ऐसा करार प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अथवा दोनों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और यह सामान्य अनुभव का मामला है कि षडयंत्र सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य बिरले ही उपलब्ध होते है। तद्नुसार, अभियुक्त की आपराधिता के बारे में विनिश्चय करने के लिए घटना के पहले एवं बाद में सिद्ध की गयी परिस्थितियों पर विचार किया जाना होगा। भले ही कुछ कृत्यों को किया गया सिद्ध किया गया है, यह स्पष्ट होना होगा कि उन्हें अभियुक्तों जो अभिकथित षडयंत्र के पक्षगण थे के बीच हुए करार के अनुसरण में इस प्रकार किया गया था। दोष के संबंध में सिद्ध की गयी ऐसी परिस्थितियों से निष्कर्ष केवल तब निकाले जा सकते हैं जब ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के अयोग्य है। दूसरे शब्दों में, मात्र संदेह एवं अटकलों अथवा निष्कर्ष जिन्हें तर्कपूर्ण एवं स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया है पर स्थापित किया गया नहीं समझा जा सकता है।

18. विधि की उक्त प्रतिपादना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **केंद्रीय जाँच ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के॰ नारायण राव (ऊपर)** में अधिकथित की गयी है।

19. इस मामले के तथ्यों पर आते हुए यह दोहराया जाए कि जब याची ने आदेश पारित किया जो सी॰ बी॰ आई॰ के मामला के अनुसार, सुस्थापित सन्नियम के विरुद्ध था किंतु उस समय पर ठेकेदार जिसको काम पंचाट किया गया था, चित्र में बिल्कुल नहीं था। उस स्थिति में, यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि याची ने अभियुक्तों जो अभिकथित षड्यंत्र के पक्षगण थे के बीच हुए करार के अनुसरण में कृत्य किया था।

20. मामले में आगे जाते हुए, यह कथन किया जाए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि कृत्य स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य के लिए लाभ, धनीय अथवा अन्यथा, प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का अवैधतापूर्वक दुरुपयोग करके किया जाना होगा। यह ऐसा अपराध है जो कृत्य के साथ किये जाने का आशय आवश्यक बनाएगा। धनीय लाभ का आवश्यक परिणाम पाने के लिए अथवा कोई बहुमूल्य चीज प्राप्त करने के लिए, भले ही कृत्य किसी अन्य के लिए है, सोच समझकर कार्य करने के लिए मानसिक अवस्था का तत्व आवश्यक होगा। यह प्रतिपादना **आर॰ बालाकृष्ण पिल्लई बनाम केरल राज्य (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित की गयी है।

21. मामले के तथ्य पर पुनः आते हुए, यह कथन किया जाए कि जब निविदा शुरू करने के लिए आदेश पारित किए जाने के समय पर याची को ज्ञात नहीं था कि मेसर्स डी॰ के॰ सिंह को काम पंचाट किया जाएगा, किस प्रकार याची को उक्त ठेकेदार को धनीय लाभ पहुँचाने आशय रखने वाला कहा जा सकता है जब ठेकेदार याची द्वारा आदेश पारित किए जाने के समय पर चित्र में कभी नहीं था।

22. इन परिस्थितियों के अधीन, उक्त कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों में याची का कोई अभियोजन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

23. तद्नुसार, आर॰ सी॰ केस सं॰ 01 (A) वर्ष 2013-D की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित याची के विरुद्ध संज्ञान लेने वाला दिनांक 24.2.2015 का आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; Mhm ,uh mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

सुरेश भगत

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 621 of 2006. Decided on 5th January, 2016.

सत्र मामला सं॰ 85 वर्ष 2005/11 वर्ष 2005, गोड्डा मुफ्फसिल पी॰ एस॰ केस सं॰ 111 वर्ष 2004 दिनांक 16.4.2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 343 वर्ष 2004 के तत्सम, में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा श्री मृत्युंजय महतो द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 16.2.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 17.2.2006 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–सूचक घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है–अ॰ सा॰ ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है–सूचक भी औपचारिक गवाह है जिसका बयान अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है–इस दशा में, डॉक्टर एवं आई॰ ओ॰ का साक्ष्य किसी तरीके से अभियोजन का मददगार नहीं होगा–दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश साक्ष्य के कुअधिमूल्यन पर आधारित है और अपास्त किए जाने का दायी है–अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Vivek Kumar, For the Appellant; Mr. Amaresh Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील सत्र मामला सं॰ 85 वर्ष 2005/11 वर्ष 2005, दिनांक 16.4.2004 के गोड्डा (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 111 वर्ष 2004 जी॰ आर॰ केस सं॰ 343 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 16.2.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 17.2.2006 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया है और उसको कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

2. अभियोजन मामला, जैसा यह जिला गोड्डा के पी॰ एस॰ गोड्डा (एम॰) के अंतर्गत ग्राम मखानी में प्रातः लगभग 6.45 बजे दिनांक 16.4.2004 को दर्ज बिंदेश्वरी भगत (अ॰ सा॰ 6) के फर्दबयान से प्रतीत होता है, संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.4.2004 को अपराह्न लगभग 6 बजे बासुकी भगत (अपीलार्थी का भाई) ने सूचित किया कि अपीलार्थी अपनी पत्नी पर प्रहार कारित कर रहा था और उसे कमरा में बंद रखे था। अगली सुबह सूचक अपनी पुत्री रीता देवी के घर गया और उसने वहाँ जमा लोगों को देखा था। जब उसने उनसे पूछा, उसे सूचित किया गया था कि दामाद सुरेश भगत ने अपनी पत्नी रीता देवी पर प्रहार किया था और हत्या करने के बाद घर से भाग गया था। सूचक तब कमरे में घुसा और रीता देवी को मृत पाया। सूचक का फर्दबयान दर्ज किया गया था और अपीलार्थी सुरेश भगत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दिनांक 16.4.2004 का गोड्डा पी॰ एस॰ केस सं॰ 111/2004 दर्ज किया गया था।

3. पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया था। चूँकि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन

अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, एकमात्र अपीलार्थी का मामला सुपुर्द किया गया था और इसे एस॰ टी॰ सं॰ 85 वर्ष 2005/11 वर्ष 2005 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. दिनांक 7.5.2005 को एकमात्र अपीलार्थी सुरेश भगत के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था और उसका विचारण किया गया था। अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल दस गवाहों का परीक्षण किया। विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विचार करते हुए अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और उसको उक्त उपदर्शित दंडादेश दिया। अत:, यह अपील की गयी है।

5. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि सूचक अ॰ सा॰ 6 के सिवाए डॉ॰ प्रदीप कुमार सिन्हा अ॰ सा॰ 8 जिन्होंने रीता देवी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और राना प्रताप सिंह अ॰ सा॰ 9 जिसने अन्वेषण किया है ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। वासुकी भगत अ॰ सा॰ 1, देवेन्द्र दास अ॰ सा॰ 2, हेमू दास अ॰ सा॰ 3, इंदु देवी अ॰ सा॰ 4, माया देवी अ॰ सा॰ 5 पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। गुरुदेव भगत अ॰ सा॰ 7 और उदय शंकर भगत अ॰ सा॰ 10 औपचारिक गवाह हैं और उन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है।

6. सूचक अ॰ सा॰ 6 घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। उसने फर्दबयान के अनुसार, उसने बासुकी भगत से घटना के बारे में सूचना पाया था, किंतु बासुकी भगत ने सूचक का विवरण संपुष्ट नहीं किया है। व्यक्ति जो सूचक के साथ मृतका के घर तक गया था ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। यह कहा जा सकता था कि सूचक भी औपचारिक गवाह है जिसका बयान अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है। इस परिस्थिति में, डॉ॰ प्रदीप कुमार सिन्हा अ॰ सा॰ 8 का अभिसाक्ष्य एवं आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 9 का साक्ष्य किसी तरीके से अभियोजन का सहायक नहीं होगा। विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंड का आदेश साक्ष्य के कुअधिमूल्यन पर आधारित अत्यन्त गलत है और इसलिए, अपास्त किए जाने का दायी है।

7. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्कों का विरोध किया है किंतु स्वीकार करते हैं कि सूचक के सिवाए किसी तात्विक गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने निवेदन किया है कि मृतका अपीलार्थी की पत्नी थी और उसके दांपत्य गृह में उसकी हत्या की गयी थी। अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा संग्रहित परिस्थितिजन्य साक्ष्य को ध्यान में लेने की आवश्यकता है।

8. हमने आक्षेपित निर्णय, गवाहों के अभिसाक्ष्यों, सिद्ध किए गए दस्तावेजों एवं चिन्हित किए गए प्रदर्शों तथा अवर न्यायालय अभिलेख का परिशीलन किया है। स्वीकृत रूप से, अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह आगे नहीं आया है। बासुकी भगत अ॰ सा॰ 1 जिसने सूचक को घटना के बारे में सूचित किया था, अपने प्रतिवाद का समर्थन करने के लिए अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। किसी भी गाँववाले जिनसे सूचक ने अपीलार्थी द्वारा मृतक को कारित प्रहार के संबंध में सूचना पाया था ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अनुश्रुत सूचना जिसके आधार पर सूचक का फर्दबयान दर्ज किया गया था, असंपुष्ट बना हुआ है। एकमात्र परिस्थिति कि मृतका को अपने दांपत्य गृह में मृत पाया गया था, अपीलार्थी को उसकी हत्या करने का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी के परिवार के अन्य सदस्य भी इसी घर का अधिभोग कर रहे थे।

9. इन परिस्थितियों में, हम विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश को मान्य ठहराने के इच्छुक नहीं हैं। चूँकि तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय साक्ष्य की कमी है, हमारे पास अपीलार्थी को दोषमुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परिणामस्वरुप सत्र मामला सं॰ 85 वर्ष 2005/11 वर्ष 2005 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 16.2.2006 एवं दिनांक 17.2.2006 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अपील अनुज्ञात की जाती है। तद्नुसार, अपीलार्थी सुरेश भगत को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे तुरन्त कारा से निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा, यदि आवश्यक हो, समुचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

---

ekuuh; ç'kkUr dekj] U;k;efr

रविश चंद्र वर्मा (432 में)

गिरीश चंद्र वर्मा (538 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

W.P. (Cr.) Nos. 432 with 538 of 2015. Decided on 6th January, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406, 420, 467, 468, 471 एवं 34— न्यास का दांडिक भंग, छल एवं कूटरचना—सामान्य आशय—संज्ञान—संपत्ति में हिस्सा के विक्रय से संबंधित संव्यवहार—याचियों ने प्रतिफल के भाग के भुगतान की ओर बड़ी राशि लिया था—याचियों ने उसी संपत्ति के संबंध में दो भिन्न व्यक्तियों को दो विक्रय विलेख निष्पादित किया था—याचियों के विरुद्ध छल का अपराध बनता है—न्यास के दांडिक भंग का अपराध भी उनके विरुद्ध बनता है—दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश में अवैधता नहीं है—रिट आवेदन खारिज।

(पैराएँ 9, 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.—M/s Indrajit Sinha, Bibhash Sinha, For the Petitioners; M/s P.Pranay and Kr. Harsh, For the State; Mr A.K. Das, For the Respondent No.2.

प्रशान्त कुमार, न्यायमूर्ति.—दोनों रिट आवेदन एक ही आक्षेपित आदेश से उद्भूत हुए हैं, अत: उन्हें साथ सुना एवं इस आदेश द्वारा निपटाया जाता है।

2. इन रिट आवेदनों में याचियों ने जगरनाथपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 1909/2014, जी॰ आर॰ सं॰ 3162/2014 के तत्सम, में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 30.4.2015 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन उन्होंने याचियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471 एवं 34 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया।

3. यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने प्रभारी अधिकारी, जगरनाथपुर पुलिस थाना के समक्ष लिखित रिपोर्ट उसमें यह अभिकथन करते हुए दाखिल किया कि उसे जानकारी मिली कि याची (गिरीश चंद्र वर्मा) गृह सं॰ 42, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उ॰ प्र॰ से संबंधित संपत्ति में अपना हिस्सा बेचने का इच्छुक था। तद्नुसार, प्रत्यर्थी सं॰ 2 दिल्ली में गिरीश चंद्र वर्मा के पास गया और पूर्वोक्त संपत्ति खरीदने के लिए उससे बात किया। यह अभिकथित किया गया है कि गिरीश चंद्र वर्मा अपने हिस्सा में आने वाली 390

वर्ग गज भूमि को 18000/- रुपया प्रति वर्ग गज की दर पर बेचने के लिए सहमत हुआ। इस प्रकार, संपत्ति का कुल मूल्य 70,20,000/- रुपया पर नियत किया गया था। यह कथन किया गया है कि उक्त बातचीत के बाद सूचक ने गिरीश चंद्र वर्मा को अग्रिम धन के रूप में 7,00,000/- रुपया दिया। तब यह अभिकथित किया गया है कि जून, 2011 में गिरीश चंद्र वर्मा ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 को सूचित किया कि उसका भाई रविश चंद्र वर्मा (डब्लू॰ पी॰ दां॰ 432/2015 में याची) भी उक्त संपत्ति में अपना हिस्सा बेचने का इच्छुक था और यदि प्रत्यर्थी सं॰ 2 उसका हिस्सा खरीदने का इच्छुक था, तब उसे रविश चंद्र वर्मा से बात करना चाहिए। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 2 के परिवार के तीन सदस्यों ने गृह सं॰ 42, टैगोर टाउन, इलाहाबाद में उसका हिस्सा खरीदने के लिए रविश चंद्र वर्मा एवं उसकी पत्नी सुषमा वर्मा से बात किया। यह अभिकथित किया गया है कि याची रविश चंद्र वर्मा उसी दर अर्थात् 18,000/- रुपया प्रतिवर्ग गज पर प्रत्यर्थी सं॰ 2 को अपना हिस्सा बेचने के लिए सहमत हुआ। आगे यह अभिकथित किया गया है कि तत्पश्चात, दिनांक 12.7.2011 को पक्षों के बीच गैर रजिस्टर्ड लिखित करार हुआ और प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने रविश चंद्र वर्मा को 9,00,000/- रुपयों का भुगतान अग्रिम धन के रूप में किया। आगे अभिकथित किया गया है कि तत्पश्चात अनेक अवसरों पर, जैसा याचियों द्वारा मांगा गया था, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने याचियों को विभिन्न राशियों का भुगतान किया। तब यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए अनेक अनुरोध किया, किंतु प्रत्येक अवसर पर याचियों ने एक या दूसरे बहाने विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए समय लिया। किंतु, वे उस अवधि के दौरान प्रत्यर्थी सं॰ 2 से विभिन्न राशियाँ लिया करते थे। अंतत:, फरवरी, 2014 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 की प्रेरणा पर दोनों याचियों ने विक्रय का पूरक करार निष्पादित किया, जिसमें याचियों ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 को आश्वासन दिया कि वे दिनांक 31.5.2014 के पहले विक्रय विलेख निष्पादित करेंगे और यदि वे इसे उस समय तक निष्पादित नहीं करेंगे, तब वे प्रत्यर्थी सं॰ 2 को संपत्ति का कब्जा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 79,50,000/- रुपयों का राशि लिया है। यह कथित किया गया है कि पूर्वोक्त करार नोटरी पब्लिक के समक्ष 13.2.2014 को निर्बंधित किया गया था। लिखित रिपोर्ट में आगे यह कथन किया गया है कि जब मई, 2014 में याचियों ने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया जैसा पूरक करार में वादा किया गया था, प्रत्यर्थी सं॰ 2 अन्य के साथ 42 टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उ॰ प्र॰ में अवस्थित याचियों के घर गया जहाँ उन्होंने पाया कि उक्त घर बंद था और उस घर में कोई भी निवास नहीं कर रहा था। अत:, प्रत्यर्थी सं॰ 2 किसी उदयवीर सिंह से मिला, जिसने बताया कि याचीगण दिल्ली में रहते हैं। बाद में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 को जानकारी हुई कि याची गिरीश चंद्र वर्मा ने अपना हिस्सा दिनांक 26.9.2013 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा उदयवीर सिंह की माता एवं पत्नी को बेच दिया था जबकि याची रविश चंद्र वर्मा ने पूर्वोक्त दो महिलाओं के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय करार विलेख निष्पादित किया था। यह कथन किया गया है कि तत्पश्चात प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने याचियों से यह स्पष्ट करने कहा कि उन्होंने पूरक करार क्यों किया था, जब उन्होंने पहले ही किसी उदयवीर सिंह की माता एवं पत्नी को संपत्ति बेच दिया है। इस पर याची गिरीश चंद्र वर्मा ने उसको आश्वासन दिया था कि वे प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पदित करेंगे। यह कथन किया गया है कि ऐसे आश्वासन प्रत्यर्थी सं॰ 2 को जब वह राँची में पदस्थापित था, मोबाइल फोन पर एस॰ एम॰ एस॰ के माध्यम से दिए गए थे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अचानक रविश चंद्र वर्मा ने राँची अवस्थित प्रत्यर्थी की पत्नी के खाता में 18,00,000/- रुपया जमा किया और प्रकट किया कि वह प्रत्यर्थी सं॰ 2 को पूर्वोक्त संपत्ति नहीं बेचेगा। तत्पश्चात, वर्तमान मामला दाखिल किया गया है।

4. यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471, 34 के अधीन जगरनाथपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 190/2014 संस्थित किया गया था। तत्पश्चात, पुलिस ने अन्वेषण किया। अन्वेषण के पूरा होने पर, पुलिस ने अभियुक्त याचियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471 एवं 34 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। उक्त आरोप-पत्र दिनांक 30.4.2015 को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची के कार्यालय में प्राप्त किया गया था, जिन्होंने उसी दिन याची के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया। दोनों रिट आवेदनों में याचियों ने दिनांक 30.4.2015 के पूर्वोक्त आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा विद्वान दंडाधिकारी ने उनके विरुद्ध संज्ञान लिया था।

5. याचियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अगर प्राथमिकी में किए गए अभिकथन को इसकी संपूर्णता में सत्य माना भी जाता है, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471 के अधीन अपराध नहीं बनता है। यह निवेदन किया गया है कि पक्षों के बीच विवाद शुद्धत: सिविल प्रकृति का है, अत: अपराध नहीं बनता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि याचियों के विरुद्ध दांडिक दायित्व नहीं बनता है, किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने याचियों को परेशान करने के लिए विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपराधों में से किसी को राँची जिला की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं किया गया था। लिखित रिपोर्ट प्रकट करती है कि समस्त अपराध दिल्ली या इलाहाबाद में किए गए। इस प्रकार, राँची न्यायालय को इस मामले का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि संज्ञान लेने वाला आदेश पूर्णत: अधिकारिता के बिना है।

6. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान मामले में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि याचियों ने न्यास का दांडिक भंग एवं छल किया था। यह निवेदन किया गया है कि याचियों का आपराधिक आशय इस तथ्य से परिलक्षित हुआ कि यद्यपि याचियों ने वर्ष 2013 में उदयबीर सिंह की माता एवं पत्नी को संपत्ति बेचा था, उन्होंने दिनांक 13.2.2014 को प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड पूरक करार विलेख निष्पादित किया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि एक अन्य अभियुक्त अर्थात् रविश चंद्र वर्मा ने दिनांक 19.5.2014 को उदयवीर सिंह की माता एवं पत्नी के पक्ष में एक अन्य विक्रय के लिए रजिस्टर्ड करार विलेख निष्पदित किया। यह निवेदन किया गया है कि याचीगण की ओर से पूर्वोक्त कृत्य एवं लोप दर्शाते हैं कि उन्होंने छल का अपराध किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवाद याचिका के पैराग्राफ 29 में यह विनिर्दिष्टत: उल्लेख किया गया है कि मई, 2013 से जब प्रत्यर्थी सं॰ 2 राँची में पदस्थापित था, दोनों याचीगण ने एम॰ एम॰ एस॰ के माध्यम से प्रत्यर्थी सं॰ 2 को राँची में झूठा आश्वासन दिया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची रविश चंद्र वर्मा ने राँची जिला में अवस्थित सेल सैटेलाईट टाउन में स्थित प्रत्यर्थी सं॰ 2 के घर करार के रद्दकरण की सूचना भेजा और प्रत्यर्थी सं॰ 2 की पत्नी के खाता में राशि का एक भाग जमा किया। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि अपराधों का एक भाग राँची में भी हुआ है। अत:, राँची न्यायालय को इस मामले का विचारण करने की अधिकारिता है।

7. निवेदन सुनने पर मैंने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. अभिलेख के परिशीलन से, मैं पाता हूँ कि पक्षों के बीच विवाद भूसंपत्ति के विक्रय एवं खरीद से संबंधित है। यह प्रतीत होता है कि बातचीत दिल्ली में हुई। किंतु लिखित रिपोर्ट के पैराग्राफ 29 के

परिशीलन से, मैं पाता हूँ कि मई, 2013 से एस॰ एम॰ एस॰ के माध्यम से राँची में अनेक बार बातचीत हुई। तर्क के क्रम में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने याचीगण द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 2 को भेजे गए एस॰ एम॰ एस॰ विवरणों की छाया प्रतिलिपि प्रस्तुत किया था। इसके परिशीलन से, मैं पाता हूँ कि विभिन्न अवसरों पर याचीगण ने एस॰ एम॰ एस॰ के माध्यम से प्रत्यर्थी सं॰ 2 को आश्वासन दिया एवं वादा किया कि वे अपना वादा पूरा करेंगे और प्रत्यर्थी सं॰ 2 से शांति एवं सहनशीलता बनाए रखने को कहा। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि याची रविश चंद्र वर्मा ने अपने रिट आवेदन में दिनांक 28.4.2014 का प्रत्यर्थी सं॰ 2 को संबोधित पत्र संलग्न किया है जिसमें प्रत्यर्थी सं॰ 2 का पता ई॰ 103, सेक्टर II, एच॰ इ॰ सी॰ कॉलोनी, धुर्वा, राँची के रूप में उल्लिखित किया गया था। उक्त पत्र में, उसने उल्लेख किया कि वह प्रत्यर्थी सं॰ 2 को अपना हिस्सा बेचने में अक्षम है। यह इसे भी दर्शाता है कि याचीगण एवं प्रत्यर्थी सं॰ 2 के बीच कुछ बातचीत राँची में हुई थी। पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मैं पाता हूँ कि वाद हेतुक का भाग राँची शहर में उद्भूत हुआ; अत: राँची न्यायालय को मामले का विचारण करने की अधिकारिता है।

9. अब, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए दूसरे प्रतिवाद पर आते हुए कि याचीगण के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है, यह उल्लेखनीय है कि याचीगण ने प्रतिफल के एक भाग के भुगतान की ओर बड़ी राशि लिया था और जिसके लिए उन्होंने गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर रसीद दिया था। पूर्वोक्त रसीदें लिखित रिपोर्ट के साथ संलग्न थी। यह भी प्रतीत होता है कि याची गिरीश चंद्र वर्मा ने गृह सं॰ 420, टैगोर टाउन, इलाहाबाद से संबंधित संपत्ति का अपना हिस्सा दिनांक 26.9.2013 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा श्रीमती सरोज सिंह एवं श्रीमती सीमा सिंह को बेचा था। किंतु उसके बावजूद याचीगण ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पक्ष में दिनांक 12.2.2014 को विक्रय का संयुक्त पूरक करार निष्पादित किया जिसमें उन्होंने वादा किया कि वे 42 टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा प्रत्यर्थी सं॰ 2 को बेचेंगे। उक्त पूरक करार में उन्होंने यह वादा भी किया वे मई, 2014 के अंतिम सप्ताह में विक्रय विलेख निष्पादित करेंगे। इस प्रकार, याचीगण का पूर्वोक्त कृत्य प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि उन्होंने प्रत्यर्थी सं॰ 2 के साथ छल किया है क्योंकि उनमें से एक ने पहले ही दिनांक 26.9.2013 को श्रीमती सरोज सिंह एवं श्रीमती सीमा सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया था, तब वे किस प्रकार मई 2014 के अंत तक प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पक्ष में एक अन्य विक्रय विलेख निष्पादित करेंगे। आगे, यह प्रतीत होता है कि रविश चंद्र वर्मा जो पूरक करार के निष्पादकों में से एक था ने दिनांक 19.5.2014 को श्रीमती सरोज सिंह एवं श्रीमती सीमा सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय करार निष्पादित किया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि याचीगण ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 से विशाल राशि लिया है जिसके लिए उन्होंने स्टांप पेपर पर लिखित रसीद जारी किया है। यह प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने की तिथि तक उन्होंने संपूर्ण राशि नहीं लौटाया है। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि न्यास के दांडिक भंग का अपराध भी उनके विरुद्ध बनता है।

10. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विद्वान दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था। पूर्वोक्त निवेदन गलत प्रतीत होता है, क्योंकि आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, मैं पाता हूँ कि विद्वान दंडाधिकारी ने मामले के अभिलेख और केस डायरी का परिशीलन किया था और निष्कर्षित किया कि अभियुक्तों अर्थात् रविश चंद्र वर्मा एवं गिरीश चंद्र वर्मा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471, 34 के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उक्त परिस्थितियों के अधीन मैं विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश में अवैधता नहीं पाता हूँ।

11. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं पाता हूँ कि इन रिट आवेदनों में गुणागुण नहीं है। तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

विनोद चंद्र पांडे

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1083 of 2012. Decided on 18th March, 2016.

झारखंड सेवा संहिता, 2001—नियम 74—बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935—नियम 2—न्यायिक सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति–जमानत प्रदान करने के लिए धन मांगने का अभिकथन–अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड अधिरोपित करने का निर्णय पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया गया था और सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा स्वीकार की गयी है–जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य की दृष्टि में याची के विरुद्ध विरचित आरोप सिद्ध किए गए हैं–न्यायिक अधिकारी जिसके विरुद्ध घूस मांगने का आरोप सिद्ध किया गया है को सेवा में रखना लोकहित में नहीं है–रिट याचिका खारिज।

(पैराएँ 21, 22, 23, 26 एवं 27)

निर्णयज विधि.–(1988)3 SCC 370; (2013)4 SCC 301—Distinguished; (2007)4 SCC 247—Referred; (1972)4 SCC 618; (2006)4 SCC 713; (1975)2 SCC 557; AIR 1958 SC 398; AIR 1957 SC 49; (2004)12 SCC 278; (2010)4 SCC 653; AIR 1966 SC 447; (1988)3 SCC 211—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon, Shiv Shankar Kumar, Kumari Rashmi, For the Petitioners; Mr. Binod Poddar, For the State; Mr. Anoop Kumar Mehta, For the High Court.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश एवं श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–पिछली मजदूरी के भुगतान सहित समस्त पारिणामिक लाभों के साथ सेवा में पुनर्बहाली इप्सित करते हुए याची, जिसे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था, दिनांक 19.1.2012 के मेमो में अंतर्विष्ट अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के ताथ्यिक मैट्रिक्स को यहाँ नीचे ध्यान में लिया जाता है:

याची जिसे दिनांक 15.5.1989 को अस्थायी मुंसिफ के रूप में नियुक्त किया गया था को दिनांक 11.2.1994 को सेवा में संपुष्ट किया गया था। न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची के रूप में पदस्थापित रहते हुए उसे दिनांक 25.4.2008 का आरोप ज्ञापन इस अभिकथन पर जारी किया गया था कि उसने किसी जनाब सालिम अली जो परिवाद मामला सं॰ 717 वर्ष 2003 में अभियुक्त था को जमानत प्रदान करने के लिए अपने चपरासी अर्थात् विभूति कुमार के माध्यम से 5,000,00/- रुपया घूस मांगा और चूँकि उसके चपरासी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था, उसने दिनांक 12.9.2007 को जमानत आवेदन खारिज कर दिया। परिवाद याचिका जिसे सी॰ केस सं॰ 717 वर्ष 2003 के रूप में दर्ज किया गया था, में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांक 6.11.2003 को अपराध का संज्ञान लिया जिसके विरुद्ध अभियुक्तों ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन दांडिक विविध याचिका सं॰ 1413 वर्ष 2003 दाखिल किया। अभिखंडन याचिका अंतत: उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.5.2007 को खारिज की गयी थी और अभियुक्त जनाब सालिम अली को दिनांक 11.9.2007 को गिरफ्तार किया गया था। उक्त अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन, याची द्वारा उसकी जमानत प्रार्थना अस्वीकार किए जाने

के बाद, ए॰ जे॰ सी॰ द्वारा भी दिनांक 19.9.2007 के आदेश के तहत बाद में अस्वीकार कर दी गयी थी। इस बीच, याची को दिनांक 13.9.2007 को निलंबनाधीन किया गया था और जैसा उपर गौर किया गया है, दिनांक 25.4.2008 को उस पर आरोप-ज्ञापन तामील किया गया था, जिसके प्रति याची ने दिनांक 17.6.2008 को अपना उत्तर दाखिल करके प्रत्युत्तर दिया। विभागीय जाँच के दौरान विद्वान न्यायिक आयुक्त और अभियुक्त के पुत्र हैदर अली सहित पाँच गवाहों का परीक्षण याची के विरुद्ध विरचित आरोपों के समर्थन में किया गया था। याची ने किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया था किंतु, उसने अपने बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया। याची ने दिनांक 8.1.2010 को अपना अंतिम बचाव प्रस्तुत किया और जाँच अधिकारी ने दिनांक 22.2.2010 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दिनांक 24.9.2010 के द्वितीय कारण बताओ नोटिस का उत्तर याची द्वारा दिनांक 13.10.2010 को दिया गया था एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिनांक 20.10.2011 को पारित किया गया था, जिसे सरकार को अग्रसारित किया गया था। किंतु, सरकार ने मामले का पूरा अभिलेख मंगवाया। यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2011 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए द्वितीय अनुशंसा भेजा और अंततः, दिनांक 19.1.2012 के मेमो में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश झारखंड के राज्यपाल के आदेश द्वारा जारी किया गया था। यह कथन किया गया है कि हैदर अली एवं विभूति कुमार के विरुद्ध पृथक रूप से दो दांडिक मामले संस्थित किए गए थे किंतु, हैदर अली को विशेष केस सं॰ 16 (A) वर्ष 2007 में दिनांक 23.2.2015 के आदेश के तहत दांडिक आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था और विभूति कुमार जो विशेष केस सं॰ 16 वर्ष 2007 में अभियुक्त था को दिनांक 27.2.2015 के आदेश के तहत दोषमुक्त किया गया था।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

प्रतिवादः

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन ने दिनांक 19.1.2012 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए अन्य बातों के साथ प्रतिवाद किया कि;–

(i) ;kph d fo#) vkjki bl vkèkkj ij vfl) vfHkfuèkkfjr djuk gkxk fd vfHk;Dr dk tekur ij fjgk dju d fy, vfHk;Dr l viu pijklh d ekè;e l ?kl ekxu d fy, ;kph d fo#) çR;{k vFkok vçR;{k lk{; ugh g] (ii) ;kph d fo#) LFkkfir ekeyk ^^fdlh lk{;** ij vkèkkfjr ugh g vkj ;fn ,lk g rk ;g U;k;ky; tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"kk dh 'k) rk dk ijh{k.k dj ldrk g((iii) fnukd 19.1.2012 dk tkjh vfuok; lok fuofÙk dk vkn'k] tk nt djrk g fd mDr vkn'k ^^ykdfgr** e tkjh fd;k x;k g] >kj[kM lok lfgrk] 2001 d fu;e 74 (b) (ii) d vèkhu ikfjr vkn'k g] fdr ;kph d li.k lok vfHky[k dk eY;kdu fd, fcuk vkj bl çdkj vlik"k.kh; g] (iv) fcgkj ,o mMhlk vèkhuLFk lok (vu'kklu ,o vihy) fu;ekoyh] 1935 d fu;e 2 (iv-a) d vèkhu tkjh vfuok; lofuofÙk dk vkn'k] ;kph d ekey e vkÑ"V ugh gku d ukr mDr vkn'k voèk cuk nrk g] (v) xyr U;kf;d vkn'k ikfjr dju d fy, nM d :i e vfuok; lok fuofÙk dk vkn'k ikfjr ugh fd;k tk ldrk g vkj (vi) tkp vfèkdkjh dh vfèkdkfjrk nk"k dk fu"d"k nt dju rd foLrkfjr ugh gA bl çdkj] tkp fjikV vLohdkj fd, tku dh nk;h gA

5. उक्त के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार मेहता ने विभागीय कार्यवाही में दिए गए साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न उठाते हुए निवेदन किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय अपील का न्यायालय नहीं होने के कारण घरेलू जाँच में दिए गए साक्ष्य का

पुनर्अधिमूल्यन नहीं कर सकता है। प्रतिशपथ पत्र में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 19.1.2012 का अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश दंड के रूप में पारित किया गया है और उक्त आदेश में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''लोक हित'' का याची द्वारा गलत अर्थ लगाया गया है मानो उक्त आदेश झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 74 (b) (ii) के अधीन पारित किया गया हो। यह कथन किया गया है कि घरेलू जाँच में अपचारी अधिकारी ने साक्ष्य प्रस्तुत किया और गवाहों का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया जो 30 से अधिक पृष्ठों वाले दिनांक 22.2.2010 के जाँच रिपोर्ट में परिलक्षित है और कि अपचारी को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

<u>विचारः</u>

6. याची का मुख्य अभिवचन यह है कि उसके विरुद्ध आरोप यह था कि चपरासी विभूति कुमार ने उसकी प्रेरणा पर घूस मांगा था, किंतु विभागीय जाँच के दौरान उक्त विभूति कुमार का परीक्षण नहीं किया गया था और इस प्रकार, जमानत पर अभियुक्त को रिहा करने के लिए अपने चपरासी के माध्यम से 5,000,00/- रुपया घूस मांगने का आरोप सिद्ध करने के लिए याची के विरुद्ध विधिक साक्ष्य नहीं है।

7. इस पहलू का परीक्षण करने के पहले, विभागीय जाँच एवं दांडिक विचारण के बीच अंतर ध्यान में रखना होगा। दांडिक कार्यवाही में न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि प्रमाण का स्तर एवं साक्ष्य की ग्राह्यता की परीक्षा संपूर्णतः भिन्न मापदंडों पर की जाती है जिन्हें अनुशासनिक कार्यवाही में लागू नहीं किया जाता है। दांडिक विचारण में, कतिपय परिस्थितियों में अथवा कतिपय अधिकारियों के समक्ष अभियुक्त का अपराध में फँसाने वाला बयान साक्ष्य में अग्राह्य है, जबकि साक्ष्य एवं प्रक्रिया के कठोर नियम विभागीय कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। प्रमाण जो दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने के लिए आवश्यक है की डिग्री यह निष्कर्ष कि अभिकथित अवचार सिद्ध किया गया है दर्ज करने के लिए आवश्यक प्रमाण की डिग्री से भिन्न है। इसी प्रकार से, दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य का अधिमूल्यन भी समरुप नहीं है। वस्तुतः, विभागीय जाँच एवं अभियुक्त के अभियोजन का प्रयोजन दो भिन्न एवं सुभिन्न पहलू हैं। ''**भारत संघ बनाम सरदार बहादुर, (1972)4 SCC 618,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुशासनिक कार्यवाही दांडिक विचारण नहीं है और इस प्रकार, आवश्यक प्रमाण का स्तर अधिसंभाव्यताओं की बहुलता का है और न कि युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाण। ''**निर्मला जे॰ झाला बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य, (2013)4 SCC 301,** में निर्णय पर याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भारी विश्वास किया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> "17. mDr dh nf"V e] fook|d ij bl çHkko dh fofèk lf{kIr dh tk ldrh g fd vu'kklfud dk;okgh nkfMd fopkj.k ugh g vkj bl rF; d ckotn fd ;g U;kf;d dYi vkj nkfMd ln'k g] ;fDr ;Dr lng d ij gku dk çek.k , l ekeyk ij ykx ugh gkrk g] cfYd vfèklHkk0;rkvk dh cgyrk ykx gkxhA U;k;ky; dk n[kuk gkxk fd D;k bl fu"d"k ij vku d fy, vfHky[k ij lk{; ektn g fd vopkjh u vipkj fd;k FkkA fdr] mDr fu"d"k bl ijh{kk d vkèkkj ij igpuk pkfg, fd fdlh food'khy 0;fDr u D;k fd;k gkxk-------**

8. वर्तमान मामले में, इस प्रकार, जाँच अधिकारी को ''अधिसंभाव्यता की बहुलता'' की परीक्षा लागू करने की आवश्यकता थी और न कि दांडिक मामले में लागू की जाने वाली परीक्षा जैसा याची की ओर से प्रतिवाद किया गया है। किंतु, एक अन्य विवाद्यक है जो इस अभिवचन के साथ अंतःसंबंधित है

कि आरोप जैसा इसे याची के विरुद्ध विरचित किया गया है, सिद्ध अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। हमारे विचारार्थ आया प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय विभागीय जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्यों पर गहनता से विचार कर सकता है अथवा यह ऐसा किए जाने से पूर्णत: अपवर्जित किया गया है। उत्तर सादा एवं सरल प्रतीत होता है। यदि ऐसे मामले में, विभागीय जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्यों पर किसी विस्तृत तर्क के बिना, यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि अपचारी के विरुद्ध मामले में ''साक्ष्य'' नहीं है, न्यायालय अपने को अलग नहीं रख सकता है और नहीं कह सकता है कि ''माफ कीजिए'', हम साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं कर सकते हैं। हमारे सुविचारित मत में, ऐसा रास्ता विधि में उपलब्ध नहीं है यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका दाखिल की गयी है। उदाहरणस्वरुप, यदि अपचारी के विरुद्ध दिया गया एकमात्र साक्ष्य उसका इकबालिया बयान है अथवा यदि विभाग मात्र अपचारी के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की प्रति प्रस्तुत करता है और विभागीय जाँच के दौरान कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है, हमारे मत में, उच्च न्यायालय दंड आदेश की संपोषणीयता को परीक्षा करने के लिए दिए गए साक्ष्य की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए अपनी अधिकारिता के अंतर्गत होगा। किंतु, स्थिति बिल्कुल भिन्न होगी यदि अपचारी के विरुद्ध दिए गए कुछ साक्ष्य, अधिसंभाव्यता की बहुलता पर युक्तियुक्त रूप से अपचारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध कर सकते हैं।

9. अब, पूर्वोक्त विधिक अवस्था के आलोक में, मामले के तथ्यों का पुन: उल्लेख करते हुए याची के अभिवचन का परीक्षण किया जाएगा।

10. याची के विरुद्ध आरोप का सार यह था कि दिनांक 11.9.2007 को अभियुक्त जनाब सालेम अली को न्यायालय में पेश किए जाने के पहले याची ने चपरासी अर्थात् विभूति कुमार के माध्यम से जमानत पर उसकी निर्मुक्ति के लिए 5,000,00/- रु॰ मांगा था। उस समय पर अभियुक्त पुलिस जीप में बैठा था। आगे, उसने जमानत याचिका पर सुनवाई 12.9.2007 के लिए स्थगित कर दिया और अंतत: इसे खारिज कर दिया क्योंकि मांग पूरी नहीं की गयी थी। घरेलू जाँच के दौरान याची ने परिवाद मामला सं॰ 717 वर्ष 2003 में दिनांक 6.11.2003 के संज्ञान लेने वाले आदेश, उच्च न्यायालय में दाखिल अभियुक्तों की अभिखंडन याचिका खारिज करने वाले दिनांक 2.5.2007 के आदेश, न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त को भेजने वाले दिनांक 11.9.2007 का आदेश, दिनांक 11.9.2007 के वकालतनामा की प्रति जिस पर अभियुक्त का हस्ताक्षर कारापाल द्वारा अभिप्रमाणित किया गया था, दिनांक 11.9.2007 को अपराह्न 2.35 बजे अभियुक्त का प्रवेश उपदर्शित करते हुए कारा अधीक्षक का प्रमाण पत्र और परिवाद मामला सं॰ 647 वर्ष 2007 में मो॰ अफरोज का अभिसाक्ष्य और विभागीय कार्यवाही सं॰ 2 वर्ष 2007 में विभूति कुमार द्वारा दाखिल उत्तर प्रस्तुत किया। जाँच अधिकारी ने मो॰ अफरोज, अधिवक्ता का बयान ध्यान में लिया जिसने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 11.9.2007 को रिमांड के पहले अभियुक्त अपने पुत्र हैदर अली के साथ पुलिस जीप में बैठा था। अभियुक्त के पुत्र ने अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसका पिता पुलिस जीप में बैठा था, विभूति कुमार उसके पिता के निकट आया और धीरे से बोला कि यदि वह 5,000,00/- रुपयों की व्यवस्था कर सकता है, सर उसको जमानत प्रदान करेंगे जिसके प्रति उसके पिता ने उक्त राशि की व्यवस्था करने में अपनी असहायता दर्शाया। दिनांक 12.9.2007 को पुन: उक्त विभूति कुमार ने उसको सूचित किया कि सर जमानत याचिका केवल तब सुनेंगे जब वह धन लाता है और तत्पश्चात, उसने 14,000/- रुपयों का प्रबंध किया और इसे विभूति कुमार को दिया। यह विवादित नहीं है कि तब अभियुक्त के अधिवक्ताओं द्वारा तत्कालीन न्यायिक आयुक्त, राँची के पास परिवाद दर्ज किया गया था और विद्वान न्यायिक आयुक्त ने विभूति कुमार को बुलाया और उससे पूछताछ किया। उसकी तलाशी ली गयी थी और विभूति कुमार के कब्जा से 13,390/- रुपया बरामद किया गया था और तत्पश्चात, पुलिस बुलायी गयी थी और उसे पुलिस को सौंपा गया था। याची के विरुद्ध विरचित आरोपों

के समर्थन में, रजिस्ट्रार, सिविल न्यायालय, राँची का भी परीक्षण किया गया था। उक्त गवाह ने भी विभूति कुमार से न्यायिक आयुक्त के चैम्बर में 13,390/- रुपयों की बरामदगी संपुष्ट किया है।

11. विभागीय जाँच के दौरान किसी भी चरण पर याची ने न्यायिक आयुक्त अथवा रजिस्ट्रार, सिविल न्यायालय, राँची के विरुद्ध असद्भाव अभिकथित नहीं किया। जाँच रिपोर्ट से, यह स्पष्ट है कि याची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर जाँच अधिकारी द्वारा विचार किया गया है। याची ने विस्तारपूर्वक गवाहों का प्रति परीक्षण किया है किंतु, तात्विक गवाहों ने प्रसंग दोहराते हुए याची के विरुद्ध आरोप का समर्थन किया। जाँच अधिकारी ने निष्कर्ष दर्ज किया कि याची के विरुद्ध विरचित आरोप प्रशासन द्वारा सिद्ध किए गए थे। विभूति कुमार का गैर परीक्षण महत्वहीन है, क्योंकि उसे उक्त घटना के लिए दर्ज दांडिक मामले में अभियुक्त बनाया गया था। वर्तमान मामला ''साक्ष्यहीन'' मामला नहीं है। याची के विरुद्ध दिया गया साक्ष्य उसको उसके विरुद्ध विरचित आरोप के साथ जोड़ता है। यह अवचार के तुल्य कृत्य में अंतर्ग्रस्त याची की ''अधिसंभाव्यता मात्र'' का मामला नहीं है।

12. ''नरिन्दर मोहन आर्या बनाम यूनाइटेड इंडिया बीमा कं॰ लि॰'', (2006)4 SCC 713, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि रिट न्यायालय कुछ साक्ष्य एवं साक्ष्य नहीं के बीच सुभिन्नता ध्यान में रखेंगे और पूछा जाने वाला आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या दिया गया कुछ साक्ष्य अपचारी अधिकारी के दोष के संबंध में निष्कर्ष की ओर ले जाएगा या नहीं। यह समान रूप से सत्य है कि साक्ष्य की पर्याप्तता वह विवाद्यक नहीं है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाही में उठाया जा सकता है।

13. ''आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चित्रा वेंकट राव'', (1975)2 SCC 557, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''किसी बिंदु पर दिए गए साक्ष्य की पर्याप्तता और उक्त साक्ष्य से निकाला जाने वाला तथ्य का निष्कर्ष अधिकरण की अनन्य अधिकारिता के अंतर्गत है।'' यह भी सुनिश्चित है कि ''विधि अथवा तथ्य की प्रत्येक गलती उच्चतर न्यायालय द्वारा सुधारी नहीं जा सकती है।'' **[नागेन्द्र नाथ बोरा एवं एक अन्य बनाम हिल्स डिविजन आयुक्त और अपील, असम एवं अन्य,'' AIR 1958 SC 398]**

14. 'श्री मीनाक्षी मिल्स लि॰ बनाम सी॰ आई॰ टी॰'', AIR 1957 SC 49, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ''तथ्य के प्रश्न'' एवं ''विधि के प्रश्न'' के बीच सुभिन्नता पर चर्चा किया है और उदाहरण द्वारा, यदि किसी वाद में प्रॉमिसरी नोट के निष्पादन से इनकार का बचाव लिया जाता है और न्यायालय पाता है कि विवादित हस्ताक्षर प्रतिवादी के स्वीकृत हस्ताक्षरों के असमान है और, अन्य तथ्यों पर विचार करने पर इस निष्कर्ष पर आता है कि प्रोमिसरी नोट वास्तविक नहीं है; संप्रेक्षित किया कि यह प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है कि इस प्रकार दर्ज निष्कर्ष वास्तविक नहीं है और यह विधि का प्रश्न है।

15. नि:संदेह, इस बिंदु पर साक्ष्य नहीं है कि याची ने अपने चपरासी विभूति कुमार को अभियुक्त को जमानत प्रदान करने के लिए पाँच लाख रुपया मांगने के लिए कहा था और यह तथ्य भी समान रूप से सत्य है कि याची यह स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था कि उसने अभियुक्त से अपने चपरासी के माध्यम से पाँच लाख रुपया कभी नहीं मांगा किंतु, हम इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि इस बिंदु पर संभव साक्ष्य अर्थात् विभूति कुमार जिसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया था का साक्ष्य कलंकित बन गया था। किसी भी स्थिति में वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने याची की प्रेरणा पर पाँच लाख रुपया मांगा था। भले ही यह मान लिया जाता है कि विभूति कुमार ने याची को आलिप्त करते हुए अपना दोष संस्वीकार किया था, उसकी संस्वीकृति यह निष्कर्ष दर्ज करने का आधार

नहीं बनायी जा सकती थी कि याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुआ था। याची के विरुद्ध विभागीय जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य की दृष्टि में, दोनों प्राक्कल्पित स्थितियों में भी, विभूति कुमार का साक्ष्य परिणामहीन था और यह जाँच के परिणाम को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता था। जमानत आवेदन दिनांक 11.9.2007 को दाखिल किया गया था अथवा दिनांक 12.9.2007 को, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है। पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ता सुनवाई के दौरान सहमत हुए कि समय के उस बिंदु पर जमानत आवेदन प्रत्यक्षत: न्यायालय को प्रस्तुत किए जाते थे और (प्रथम चरण पर) जमानत आवेदनों को संख्या नहीं दी जाती थी। इस प्रकार, इस तथ्य पर कुछ भी अधिक नहीं टिका है। क्या दिनांक 11.9.2007 को अभिकथित रूप से दाखिल जमानत आवेदन अभियुक्त के वकालतनामा के साथ था या नहीं, भी अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है और यह याद रखना होगा कि अभियुक्त के जमानत आवेदन पर दोनों तिथियाँ हैं।

16. याची द्वारा किए गए अभिवचन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर हम यह निष्कर्षित करने के लिए कि याची के विरुद्ध विरचित आरोप सिद्ध किए गए थे, विभागीय जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से असहमत होने में स्वयं को अक्षम पाते हैं।

17. प्रतिशपथ पत्र में, उच्च न्यायालय ने दृष्टिकोण लिया है कि याची पर ''अनिवार्य सेवा निवृत्तियों का दंड अधिरोपित किया गया है। उक्त दंड सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 (iv-a) के अधीन और बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के नियम 2 (iv-a) के अधीन भी कर्मचारी पर अधिरोपित किया जा सकता है। सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 का पठन निम्नलिखित है:–

"49. fu;e 14 e fofufn"V oxk (1) l (5) e l fdlh l xfBr lokvk d lnL;k ij vPN ,o i;kIr dkj.kk l vkj t lk ble bld ckn çkoèkkfur fd;k x;k g] fuEufyf[kr nM vfèkjkfir fd, tk ldr g%&

(i) funk

(ii) n{krk vojkèk ij jkd tku lfgr oruof) vFkok çkUufr jkduk(

(iii) fuEu in vFkok le; eku rd vFkok le;eku e fuEu pj.k rd ?kVk;k tkuk(

(iv) mi{kk vFkok vkn'k Hkx }kjk ljdkj dk dkfjr fdlh èkuh; gkfu d i.k vFkok Hkkx dh oru l oly(

(iv-a) vfuok;; lokfuofÙk

(v) fuycu

(vi) lekV dh flfoy lok l gVk;k tkuk tk Hkkoh fu;ktu l vufgr ugh djrk gA

(vii) lekV dh flfoy lok l c[kkLrxh tk lkekU;r% Hkkoh fu;ktu l vufgr djrk gA

***Li"Vhdj.k l**—(a) ifjoh{kk dh vofèk d nkjku vFkok bld lekiu ij fu;fDr çkfèkdkjh }kjk vfèkdfFkr fofufn"V 'krk] mnkgj.kLo#i] fjfDr dh deh] fofgr fo'k"k vgrk vftr dju vFkok fofgr ijh{kk e mÙkh.k gku e foQyrk l mnHkr gku d vkèkkj ij ifjoh{kk ij fu;Dr 0;fDr dkA*

(b) fu;fDr dh vofèk d volku ij vLFkk;h fu;fDr èkkj.k dju d fy, lfonk d vèkhu fHkUu gfl;r e fu;Dr 0;fDr dk]

(c) viuh lfonk d fucèku d vu#i lfonk d vèkhu dke ij yxk, x, 0;fDr dkA

mUekpu bl fu;e d vFk d vrxr gVk, tku vFkok c[kkLrxh d rY; ugh gA

***Li"Vhdj.k II.**—fdlh fofufn"V xyrh d fy, vkj lokvk l mldh vui;Drrk d dkj.k ifjoh{kk dh vofèk d nkjku vFkok bld lekiu ij ifjoh{kd dk mUekpu bl fu;e d vFk d vrxr gVk, tku vFkok c[kkLrxh d rY; gA*

Li"Vhdj.k III**—mldh vfèkof"krk vFkok lokfuofÙk l lcfèkr çkoèkkuk d vu:i ljdkjh lod dh vfuok; lokfuofÙk bl fu;e d vFk d vrxr nM d rY; ugh gA

18. बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के नियम 2 का पठन निम्नलिखित है:–

"2. vPN ,o i;kIr dkj.k l vèkhuLFk lok d fdlh lnL; ij fuEufyf[kr nM vfèkjkfir fd, tk ldr g%&

(i) funk

(ii) n{krk vojkèk ij jkd tku lfgr oruof) vFkok çkUufr jkduk(

(iii) fuEu in vFkok le; eku rd vFkok le;eku e fuEu pj.k rd ?kVk;k tkuk(

(iv) mi{kk vFkok vkn'k Hkx }kjk ljdkj dk dkfjr fdlh èkuh; gkfu d i.k vFkok Hkkx dh oru l olyh(

(iv-a) vfuok; lokfuofÙk(

(v) tekuk(

(vi) fuycu(

(vii) lekV dh flfoy lok l gVk;k tkuk tk Hkkoh fu;ktu l vufgr ugh djrk gA

(viii) lekV dh flfoy lok l c[kkLrxh tk lkekU;r% Hkkoh fu;ktu l vufgr djrk g%

ijUr ;g fd tekuk dh 'kkfLr dk vfèkjki.k fuEuoxh; lodk ,o depkfj;k ij fd;k tk;xkA

***Li"Vhdj.k I**—(a) ifjoh{kk dh vofèk d nkjku vFkok bld lekiu ij fu;fDr çkfèkdkjh }kjk vfèkdfFkr fofufn"V 'krk] mnkgj.kLo#i] fjfDr dh deh] fofgr fo'k"k vgrk vftr dju vFkok fofgr ijh{kk e mÙkh.k gku e foQyrk l mnHkr gku d vkèkkj ij ifjoh{kk ij fu;Dr 0;fDr dkA*

(b) fu;fDr dh vofèk d volku ij vLFkk;h fu;fDr èkkj.k dju d fy, lfonk d vèkhu fHkUu gfl;r e fu;Dr 0;fDr dk]

(c) viuh lfonk d fucèku d vu#i lfonk d vèkhu dke ij yxk, x, 0;fDr dk

mUekpu bl fu;e d vFk d vrxr gVk, tku vFkok c[kkLrxh d rY; ugh gA

Li"Vhdj.k II.—*fdlh fofufn"V xyrh d fy, vkj lokvk l mldh vui;Drrk d dkj.k ifjoh{kk dh vofèk d nkjku vFkok bld lekiu ij ifjoh{kd dk mUekpu bl fu;e d vFk d vrxr gVk, tku vFkok c[kkLrxh d rY; gA*

Li"Vhdj.k III—*ml dh vfèkof"krk vFkok lokfuofÙk l lcfèkr çkoèkkuk d vu:i ljdkjh lod dh vfuok; lokfuofÙk bl fu;e d vFk d vrxr nM d rY; ugh gA***

ukV 1.—*c[kkLrxh] gVk, tku] vfuok; lokfuofÙk vFkok inkoufr dk vkn'k ikfjr dju d igy vulfjr dh tku okyh çfØ;k d fy, n[kh flfoy lok (oxhdj.k] fu;=.k ,o vihy) fu;ekoyh dk fu;e 55. dk;okgh 'k: dju vkj foHkkxh; tkp lpkfyr dju e] fcgkj ,o mMhlk ckM fofoèk fu;ekoyh] 1939 d fu;ek 160 l 170 e vrfo"V vun'kk dk vulj.k fd;k tkuk g] flok, tgk lcfèkr foHkkx }kjk vfèkd foLrr vun'k fojfpr fd, x, gA*

ukV 2.—*fuEufyf[kr nMk dk vfèkjkfir dju okyk vkn'k ikfjr fd, tku d igy vulfjr dh tkuokyh çfØ;k d fy, n[kh flfoy lok (oxhdj.k] fu;=.k ,o vihy) fu;ekoyh dk fu;e 55A, fnukd 3 tu 1950 dh vfèklpuk l0 5172A d vrxr çdkf'krA*

(i) funk]

(ii) n{krk vojkèk ij jkd tku lfgr oruof) vFkok çkUufr jkdk tkukA

*(iii) mi{kk vFkok vkn'k d mYy?ku }kjk ljdkj dk dkfjr fdlh èkuh; gkfu d i.k vFkok ,d Hkkx dh oru l olyhA***

19. बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 54 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में सरकार द्वारा विरचित की गयी थी। नियमावली वर्ष 1930 का नियम 49 एवं नियमावली वर्ष 1935 का नियम 2 समविषयक हैं जहाँ तक दंड जिसे कर्मचारी पर अधिरोपित किया जा सकता है का संबंध है। दोनों नियम उसमें उल्लिखित दंडों में से किसी एक को अधिरोपित करने के आधारों के रूप में ''अच्छे एवं पर्याप्त कारण'' प्रावधानित करते हैं। उच्च न्यायालय ने दृष्टिकोण अपनाया है कि दिनांक 19.1.2012 के आदेश में विधि के गलत प्रावधान का उल्लेख मात्र याची पर अधिरोपित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को अवैध नहीं बनाएगा। यह प्राख्यान किया गया है कि नियोक्ता को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 (iv-a) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित करने की शक्ति है। आगे, यह कथन किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 की दृष्टि में, यद्यपि न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी राज्य का राज्यपाल है, न्यायिक अधिकारियों के उपर प्रशासनिक एवं अनुशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्वीकरण योग्य है।'' **एन॰ मनि बनाम संगीता थिएटर, (2004)12 SCC 278,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:–

*"9. ;g lfuf'pr g fd ;fn fdlh çkfèkdkjh dk fofèk d vèkhu 'kfDr g] ek= blfy, fd mlI 'kfDr dk ç;kx djr g, 'kfDr d lkr dk fofufn"Vr% fufn"V ugh fd;k x;k g vFkok fofèk d xyr çkoèkku dk fufn"V fd;k x;k g] ;g Lo; e 'kfDr dk ç;kx nf"kr ugh djrk g tc rd ,lh 'kfDr fo|eku g vkj fofèk e miyCèk lkr rd blDk irk yxk;k tk ldrk gA**"*

20. ''**मो० शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य, (2010)4 SCC 653**, में समरुप प्रतिवाद पर गौर करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है, यह न्यायालय सदैव साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 उदाहरण (e) पर यह सांविधिक उपधारणा निकालने के लिए विश्वास करेगा कि आधिकारिक कृत्यों का पालन नियमित रूप से किया जाता है और यदि यह संतुष्ट है कि प्रश्नगत कार्रवाई सांविधिक शक्ति तक पता लगाए जाने योग्य है, न्यायालय ऐसी राज्य कार्रवाई माननीय ठहराएँगे।

21. मामले के मूल अभिलेख प्रकट करते हैं कि ''अनिवार्य सेवा निवृत्ति'' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया गया था और उच्च न्यायालय की अनुशंसा सरकार द्वारा स्वीकार की गयी है। यह सुनिश्चित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के उपर अनुशासनिक नियंत्रण सम्मिलित करता है, और उच्च न्यायालय का अनुशासनिक नियंत्रण दंड अधिरोपित करने की शक्ति सम्मिलित करता है। दंडों जिन्हें अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य पर अधिरोपित किया जा सकता है में से एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति है। ''**पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेन्द्रनाथ बागची, AIR 1966 SC 447,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण अनुशासनिक अधिकारिता सम्मिलित करता है और यह केवल सरकार की शक्ति के अध्यधीन पूर्ण नियंत्रण है। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि ''यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय न्यायपालिका के उपर नियंत्रण एकमात्र अभिरक्षक है।'' ''**रजिस्ट्रार, मद्रास उच्च न्यायालय बनाम आर० रजियाह, (1988)3 SCC 211,** में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड सहित दंड पर निर्णय लेना अधीनस्थ न्यायपालिका के उपर उच्च न्यायालय का नियंत्रण समाविष्ट करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया है। इस प्रकार, हम इस प्रतिवाद में बल नहीं पाते हैं कि प्रावधान जिसके अधीन याची को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था का गलत उल्लेख दिनांक 19.1.2012 के आक्षेपित आदेश को अवैध बनाएगा।

22. जाँच रिपोर्ट जिसमें जाँच अधिकारी ने संप्रेक्षित किया हो कि अपचारी ''दोषी'' पाया गया है में गलती पाते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जाँच अधिकारी की अधिकारिता दोष का निष्कर्ष दर्ज करने तक विस्तारित नहीं है और केवल इस आधार पर जाँच रिपोर्ट त्यक्त किए जाने का दायी है। यह प्रतिवाद सारहीन है। जैसा उपर गौर किया गया है, जाँच अधिकारी ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य की दृष्टि में याची के विरुद्ध विरचित आरोप सिद्ध किए गए हैं।

23. अन्य प्रतिवाद कि सेवा से याची की अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दिनांक 19.1.2012 का आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के पहले उसके संपूर्ण सेवा अभिलेख पर विचार किया जाना चाहिए था, गुणागुण रहित है। सेवा विधिशास्त्र में, अभिव्यक्ति ''अनिवार्य सेवा निवृत्ति'' के दो भिन्न अर्थ हैं; पहला जब इसका उपयोग दंड के उपाय के रूप में किया जाता है और दूसरा जब सेवा से अनुत्पादक को बाहर निकालने के लिए लोक हित में आदेश पारित किया जाता है। दिनांक 19.1.2012 का आदेश दंड के रूप में याची के विरुद्ध सम्यक रूप से गठित एवं समुचित रूप से संचालित विभागीय जाँच के बाद पारित

किया गया है। दिनांक 19.1.2012 के आक्षेपित आदेश में शब्द ''लोकहित'' का उपयोग मात्र इसे अवैध नहीं बनाएगा। दिनांक 19.1.2012 के आदेश में अभिव्यक्ति ''लोक हित'' का उपयोग एक भिन्न कोण से भी देखा जा सकता है क्योंकि न्यायिक अधिकारी जिसके विरुद्ध घूस मांगने का आरोप सिद्ध पाया गया है को सेवा में रखना लोकहित में नहीं है।

24. ''रमेश चंदर सिंह बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं एक अन्य, (2007)4 SCC 247, में याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया था कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ किया जाना अवैध है। इस विवाद्यक पर, जिसे उपदर्शित करने की आवश्यकता है केवल यह है कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आरंभ किया जाना इस आधार पर नहीं था कि उसने ''विधि में गलत आदेश'' पारित किया बल्कि याची के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोप अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए उससे अपने चपरासी के माध्यम से घूस मांगने का था। इसके अतिरिक्त, ''रमेश चंदर सिंह'' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ''यदि उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश पर आधारित अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करना था, संदिग्ध अधिकारी के सद्भाव के प्रति मजबूत आधार होने चाहिए थे और स्वयं आदेश द्वेष, पूर्वाग्रह अथवा अवैधता'' द्वारा प्रेरित होना चाहिए था।'' **''ईश्वर चंद जैन बनाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं एक अन्य,'' (1988)3 SCC 370,** में तथ्यों जिन पर याची के अधिवक्ता ने विश्वास किया, वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। वह परिवीक्षा अधिकारी का मामला था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"13. ..... çR;d U;kf;d vfèkdkjh dh viuh lok d vkjfHkd pj.k e vkn'kk dk ikfjr dju e fdlh çdkj dh xyrh dju dh lHkkouk g tk ,d ifjiDo U;kf;d vfèkdkjh ugh djxkA fdr] ;fn vkn'k fdlh Hk"V gr d fcuk ikfjr fd, tkr g] mPp U;k;ky; dk bl vun[kk djuk pkfg, vkj mldk lefpr ekxn'ku djuk pkfg,A ;fn prkouh ,o ekxn'ku d ckn ifjoh{kk ij vfèkdkjh lèkju e l{ke ugh g] mldh lok lekIr dh tkuh pkfg,A***

25. ''निर्मला जे॰ झाला बनाम गुजरात राज्य'', (2013)4 SCC 301, में निर्णय पर याची के अधिवक्ता का विश्वास भी कुस्थापित है। उक्त मामले में, परिवादी के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि उसने धन के संबंध में अपचारी से बात नहीं किया था और न ही अपचारी ने कभी ऐसी मांग की थी। अधिवक्ता जिसका परीक्षण आरोप को समर्थन देने के लिए किया गया था ने भी अपचारी के विरुद्ध स्थापित मामले का समर्थन नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने परिवादी के बयान पर अविश्वास किया कि वह एक अधिवक्ता एवं अपचारी के बीच बातचीत सुन सकता था। वस्तुत:, उक्त साक्ष्य जाँच अधिकारी द्वारा भी त्यक्त किया गया था। फिर भी, उच्च न्यायालय अपचारी पर नकारात्मक परिस्थितियों के प्रमाण का भार डालते हुए इस निष्कर्ष पर आया कि अपचारी के विरुद्ध विरचित आरोप सही प्रकार से सिद्ध किया गया है। पूर्वोक्त तथ्यों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया। वर्तमान मामले में ताथ्यिक पहलू सटीक रूप से भिन्न है।

26. पूर्वोक्त चर्चा के संदर्भ में देखे जाने पर, हम पाते हैं कि दिनांक 19.1.2012 के दंड आदेश जिसके द्वारा याची को सेवा से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया गया है में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

27. परिणामस्वरुप, रिट याचिका विफल होती है और परिणामस्वरुप खारिज की जाती है।

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

रोशन लकरा

cuke

झारखंड राज्य

Cr.Appeal (S.B.) No. 626 of 2002. Decided on 19th February, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 395—डकैती–दोषसिद्धि–यह एकल गवाह का मामला है जो कतिपय आचरण के कारण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है–अभिग्रहण गवाहों एवं मामले के आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया–न तो अपराध का हथियार बरामद किया गया था और न ही उपहति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी–चुरायी गयी वस्तुओं को प्रस्तुत नहीं किया गया है–अभियोजन मामले में अनेक कमी है–संदेह का लाभ देते हुए अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 10 से 14)

अधिवक्तागण.–Mr. Dilip Kumar, For the Appellant; Mr. Ashok Kumar, For the Respondent.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ सं॰ 268 वर्ष 2000 में श्री जे॰ के॰ एन॰ तिवारी, अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 26.8.2002 एवं दिनांक 27.8.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि किसी अश्विनी कुमार सिंह, पुत्र भैरो सिंह, ग्राम मजीरवा, पी॰ एस॰ घोड़ासहन, जिला पूर्वी चंपारण, वर्तमान में पी॰ एस॰ हटिया, जिला राँची के टिपुदाना एंसीलियरी क्षेत्र में निवास करते द्वारा पुलिस को दिए गए दिनांक 17.11.99 के अपने फर्दबयान में कथन किया कि उसी दिन अपराह्न लगभग 6 बजे वह अपनी माता के साथ अपने घर में था। उसकी माता खाना पका रही थी और वह अनाज (चावल) सहेज रहा था। इस बीच, अचानक 8-10 लड़कों ने उसके बाहरी दरवाजा को धक्का मारा और घर के अंदर घुस गए। वे सब पिस्तौल और छुरा लिए थे। उनमें से कुछ ने अपना चेहरा छुपा रखा था। उनके घर में घुसने के बाद, उन्होंने सूचक और उसकी माता को छुरा एवं पिस्तौल दिखाया और धन मांगा। कुछ समय बाद वे उनके मस्तकों पर पिस्तौल के कुंदे से प्रहार करने लगे। इसने उपहति कारित किया और उनके मस्तक से खून बहने लगा। अपराधियों ने उस पर एवं उसकी माता पर प्रहार किया। वे 5-6 की संख्या में थे। आगे मामला यह है कि सूचक एवं उसकी माता पर प्रहार करने के क्रम में एक दुष्ट के चेहरे को छिपाने मफलर खुल गया और जमीन पर गिर गया। इस प्रकार, दुष्ट का चेहरा सामने आ गया। अतः सूचक ने उसे बल्ब की रोशनी में पहचान लिया। वह घासी मोहल्ला, चांदनी चौक, हटिया का निवासी रोशन लकरा था। सूचक ने आगे कथन किया कि यह दुष्ट लगभग छह माह पहले उसकी मारुति वैन के चालक के रूप में सेवारत था। तत्पश्चात, 5-6 दुष्ट घरेलू सामान संग्रहित करने लगे, चाबी से गोदरेज आलमारी खोला और गहना तथा सोने की घड़ी खोजने लगे। उन्होंने टी॰ वी॰ एवं अन्य सामग्रियों को भी नुकसान पहुँचाया और नगद धन, वस्त्र, गहना, बर्तन आदि लूटा। सूचक ने फर्दबयान में लूटी गयी वस्तुओं का विवरण दिया है। तत्पश्चात्, उसने वस्तुओं की लूट में भाग लेने वाले 5-6 दुष्टों का कद-काठी भी दिया है। उसने यह कथन भी किया है कि लगभग 3-4 दुष्ट डकैती की कारिता के क्रम में घर के बाहरी दरवाजा पर रुके हुए थे। उसने दुष्टों की पोशाकों का और बोली गयी भाषा आदि का भी वर्णन किया है और उसने दावा किया है कि वह और उसकी माता

उनको पहचान लेंगे यदि उन्हें उनको देखने का एक मौका दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बिजली की रोशनी में दुष्टों को देखा है। अंत में, उसने कथन किया कि अपराह्न लगभग 7.30 बजे उसका पिता घर आया, दरवाजा खोला और तब उसे पूरी घटना के बारे में बताया गया था। तत्पश्चात, सूचक ने अपने निवास स्थान पर पुलिस को फर्दबयान दिया और इस रिपोर्ट पर पुलिस हरकत में आयी और अन्वेषण आरंभ किया। इसके समापन पर, अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तद्नुसार मामले का संज्ञान लिया गया था।

3. अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने दो गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 भैरो सिंह एवं अ॰ सा॰ 2 अश्विनी कुमार सिंह का परीक्षण किया है। अ॰ सा॰ 2 महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह है। अ॰ सा॰ 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में अपने आरंभिक पैराग्राफों में अपना फर्दबयान का सार दिया है। उसने पुनः रोशन लकरा को पहचाना है और कहा है कि वह न्यायालय में है। पैरा 5 में उसने कहा है कि वह राँची जेल गया था और वहाँ उसने देव कुमार महतो को पहचाना था। वह अपराध में अंतर्ग्रस्त था। उसने न्यायालय में उसको पहचाना है। पैरा 6 में वह कहता है कि लूटी गयी कुछ वस्तुओं को पुलिस के माध्यम से लौटाया गया था। अभिसाक्ष्य के पैरा 10 में, और यह अवर न्यायालय के निर्णय में भी आया है कि देव कुमार महतो प्रीमियर एंसीलियरी कारखाना, टिपुदाना में सेवारत था और यह गवाह कंपनी के परिसर में पॉल्ट्री फार्म चला रहा था। यह प्रीमियर एंसीलियरी कारखाना इस गवाह के घर से 20-22 फीट दूर है।

4. जैसा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है, अ॰ सा॰ 2 अश्विनी कुमार सिंह ने अभिसाक्ष्य दिया था कि 8-10 व्यक्ति उसके घर में घुसे और पिस्तौल दिखाया गया था। उन्होंने कहा—बताओ सामान कहाँ है और उनको नहीं बताने पर वे हमारे उपर प्रहार करने लगे। घटना के दौरान, वह अनाज सहेज रहा था और रोशनी थी। जबरन घुसनेवालों ने टी॰ वी॰ तोड़ दिया और 23,000/- रुपया लूटा। घटना के दौरान उसने रोशन लकड़ा को पहचाना। उसने अपने जख्मों का इलाज करवाया और रोशन लकरा को कटघरा में पहचाना और वह जेल गया था जहाँ उसने देव कुमार को पहचाना। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस से लूटी गयी कुछ वस्तुओं को पाया था। यह निवेदन किया गया है कि फर्दबयान के मुताबिक खून बहने की उपहति कारित की गयी थी किंतु इसे सिद्ध करने के लिए उपहति रिपोर्ट नहीं है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आठ आरोपित गवाह थे, किंतु केवल दो का परीक्षण किया गया है अथवा अभियोजन ने छह गवाहों को रोक लिया है। अतः, परीक्षण किए गए दो गवाह पिता-पुत्र थे और, इसलिए स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। अतः, स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध मामला काफी कमजोर बन जाता है अथवा इसे उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 1 भैरो सिंह जो सूचक का पिता है चश्मदीद गवाह नहीं है, अतः विश्वसनीय नहीं है। उसने अपने पुत्र का समर्थन मात्र किया है। अतः, मामला केवल अ॰ सा॰ 2 सूचक अश्विनी कुमार सिंह पर आधारित है। अ॰ सा॰ 2 ने बंदूक के कुंदा से प्रहार किए जाने का दावा किया और खून भी बह रहा था किंतु, उपहति या उपहति रिपोर्ट नहीं है। अतः इस आधार पर उसका फर्दबयान/साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपराध की अभिकथित कारिता के दौरान उसका पहचान करना संदेहपूर्ण है और इसलिए नहीं कि मफलर गिर गया बल्कि उसने उसे इसलिए पहचाना कि वह उसका चालक था। उन्होंने निवेदन किया कि चूँकि अभियुक्त चालक के रूप में उसके साथ काम करता था, उसे नामित किया गया था।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 2 के अभिसाक्ष्य के पैरा 5 के मुताबिक उसने कहा कि वह कारा गया और एक अन्य सह अभियुक्त अर्थात् देव कुमार महतो को पहचाना। अब

इस देव कुमार महतो को दोषमुक्त कर दिया गया था, अत: इस अभियुक्त को क्यों नहीं दोषमुक्त किया जाए जो समस्थित है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 2 के अभिसाक्ष्य पर कतिपय संदेह भी किया है। अत: अ॰ सा॰ 2 का बयान विश्वसनीय नहीं है।

7. आगे, अ॰ सा॰ 2 घटनास्थल पर और न्यायालय में भी अभियुक्त की पहचान करने वाला एकमात्र व्यक्ति है और एकमात्र संदेहपूर्ण गवाह के परिसाक्ष्य पर अभियुक्त पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि उपहति रिपोर्ट नहीं है यद्यपि उसने खून बहने का दावा किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है जिसने अभियुक्तों के विरुद्ध मामले पर प्रतिकूलता कारित किया है। आगे, किसी दंडाधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा टी॰ आई॰ पी॰ नहीं किया गया था, अत: अभियुक्त की पहचान संदेहपूर्ण है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि न तो अभिग्रहण सूची सिद्ध की गयी थी और न ही अभिग्रहण गवाहों का परीक्षण किया गया था। इस संबंध में किसी टी॰ आई॰ पी॰ के संचालन के संबंध में दंडाधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। जब्त वस्तुएँ न्यायालय की अभिरक्षा में प्रतीत नहीं होती हैं। वस्तुत: सूचक ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस से लूटी गयी कुछ वस्तुओं को प्राप्त किया।

9. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ प्राख्यान करते हैं कि अभियुक्त अपराध में सक्रिय भागीदार था। उन्होंने निवेदन किया है कि यद्यपि लगभग 8-10 व्यक्ति थे, कुछ हाथापाई हुई थी और अभियुक्त का मफलर उसके चेहरा से गिर गया था और चूँकि वह सूचक के लिए चालक के रूप में काम करता था, सूचक ने उसे पहचाना। इस पर अभियुक्त ने उसको उसे नहीं देखने को कहा था अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी, कि समूह के व्यक्ति स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे और मैंने तथा मेरी माता ने घटना देखा था, अत: हम रोशन लकरा एवं देव कुमार को पहचान सकते हैं। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने यह निवेदन भी किया कि अ॰ सा॰ 2 के अभिसाक्ष्य के मुताबिक पुलिस द्वारा लूटी गयी कुछ वस्तुएँ बरामद की गयी थी, अत: यह संपुष्टकारी साक्ष्य होगा।

<u>निष्कर्ष:</u>

10. यह एकल गवाह सूचक अश्विनी कुमार का मामला है। इस मामले में अनेक कारक हैं जो अभियोजन मामला कमजोर बनाते हैं। पहला, यह एकल चश्मदीद गवाह का मामला है जो कतिपय आचरण के कारण पूर्णत: विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। यह एकल गवाह जिसकी विश्वसनीयता आभासी है, अन्य कर्मियों के साथ अभियोजन मामला अत्यन्त कमजोर बनाता है। ये अन्य कारक जिन्हें आगे स्पष्ट किया जाएगा, एक अन्य महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह माता का गैर परीक्षण, अभिग्रहण गवाहों का गैर परीक्षण और आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण है। आगे, पिस्तौल बरामद नहीं किया गया है, उपहति रिपोर्ट और डॉक्टर जिसने उसका परीक्षण किया की रिपोर्ट भी पेश नहीं की गयी प्रतीत होती है और जब्त वस्तुएँ न्यायालय में पेश एवं सिद्ध नहीं की गयी है।

11. एकल गवाह अ॰ सा॰ 2 अश्विनी कुमार ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि वह कारा गया और एक अन्य सह अभियुक्त अर्थात् देव कुमार महतो को पहचाना था। अब विवाद्यक यह है कि अपने फर्दबयान में उसने कहा है कि कुछ व्यक्तियों ने अपना चेहरा छुपा लिया था जबकि अन्य ने स्पष्टत: ऐसा नहीं किया था। वह फर्दबयान में कहता है कि उसने केवल रोशन लकरा को पहचाना था जिसका मफलर गिर गया था। किंतु, अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य एवं विचारण न्यायालय के निर्णय में यह आया है कि देव कुमार महतो प्रीमियर एंसीलियरी कारखाना में काम करता था जहाँ अ॰ सा॰ 2 का पॉल्ट्री फार्म था। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 2 का अपना घर कारखाना से 20-22 फीट दूर था। अत:, वह सूचक को अवश्य जानता होगा अथवा उससे परिचित रहा होगा। तब निष्कर्ष यह है कि यदि देव कुमार महतो का

चेहरा पूरे अपराध के दौरान छुपा था, वह उसे पहचानने में सक्षम नहीं हो सकता है अथवा नहीं हुआ होगा। यदि वह उसको जानता था अथवा उससे परिचित था, उसने फर्दबयान में उसको नामित क्यों नहीं किया था। तब काफी बाद, लगभग 9 माह बाद टी॰ आई॰ पी॰ में उसने उसको पहचाना। कैसे? और क्यों? अत: इस गवाह की विश्वसनीयता के बारे में कुछ संदेह सृजित होता है। एक अन्य अनियमितता यह है कि इस गवाह, सूचना के अनुसार जैसा विचारण न्यायालय के निर्णय में आया है, ने पुलिस द्वारा पहले जब्त की गयी लूटी गयी वस्तुओं में से कुछ न्यायालय के आदेश के बिना ले लिया था। अत: इस गवाह की ओर से कुछ अवचार है।

12. सूचक ने अपने फर्दबयान में कथन किया है कि उसकी माता भी दुष्टों को पहचानने में सक्षम होगी क्योंकि उन्होंने उनको बिजली की रोशनी में देखा है। माता का गैर-परीक्षण एक चूक है जहाँ अ॰ सा॰ 2 की सत्यता एवं आचरण के बारे में कुछ संदेह है। उसका परीक्षण रोशन लकरा एवं अन्य व्यक्ति देव कुमार महतो जिसे सूचक ने टी॰ आई॰ पी॰ में पहचाना था की पहचान ठोस बनाने में निर्णायक हुआ होता। यदि दो व्यक्तियों को पहचाना गया था, उनसे अपराध में अभिकथित रूप से अंतर्ग्रस्त अन्य का नाम क्यों नहीं निकाला गया था?

13. फर्दबयान में सूचक ने कथन किया है कि माता एवं पुत्र पर उनके मस्तक पर पिस्तौल के कुंदा से प्रहार किया गया था। अत: खून बहने लगा। कोई भी उपहति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है अथवा किसी डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया है यद्यपि, यह अभिलेख पर आया है कि उसने अपने जख्म का इलाज करवाया। पिस्तौल भी बरामद नहीं किया गया है।

14. चुरायी गयी या लूटी गयी वस्तुओं या सामग्रियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि अवर न्यायालय के निर्णय में यह आया है कि सूचक ने पुलिस से कुछ वस्तु वापस ले लिया था। अब यह मानते हुए कि इस सूचना के कारण जब्ती की गयी थी, तब अभिग्रहण गवाहों को न्यायालय में पेश एवं परीक्षण क्यों नहीं किया गया था। उन्होंने जब्ती सिद्ध किया होता और वस्तुओं की बरामदगी उसकी संपुष्टि की ओर ले गयी होती जिसे फर्दबयान में कहा गया था। न्यायालय के आदेश के बिना अभिकथित रूप से लूटी गयी कुछ वस्तुओं को पुलिस से वापस लेना साक्ष्य विनष्ट करने के तुल्य है। जिस तरीके से जब्त वस्तुएँ लौटायी गयी थी, आई॰ ओ॰ का परीक्षण आवश्यक बन गया था। इस प्रकार, आई॰ ओ॰ भी अन्य स्वतंत्र जब्ती गवाहों के साथ अभिग्रहण सिद्ध कर सकता था। अत: अभिग्रहण सूची की गैर-प्रस्तुती के कारण और इसको सिद्ध करने में सक्षम नहीं होने के नाते आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण निर्णायक बन जाता है।

अत:, मेरे निष्कर्ष में पूर्वोक्त समस्त परिस्थितियों एवं कारणों से अनेक कमी प्रतीत होती है, अत: एकल गवाह के संबंध में संदेह होने के चलते उसको संदेह का लाभ दिया जाता है और यह न्यायालय अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 395 के अधीन अपराध का दोषी नहीं अभिनिर्धारित करता है। यदि वह कारा में है, उसे तुरन्त कारा से निर्मुक्त किया जाएगा। किंतु यदि वह पहले से ही जमानत पर है, उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है और निपटायी जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

प्रवीण कुमार मिश्रा

cuke

सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 4237 of 2014. Decided on 9th February, 2016.

झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012—नियम 5 (ट) एवं 14—विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति–उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न कट-ऑफ अंक नियत किया जाना सुमान्यता प्राप्त प्रथा है–कट-ऑफ अंक नियत करना मुख्यतः कार्यपालिका का निर्णय है जिसमें न्यायालयों द्वारा सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता है–अनुभव के आधार पर आरक्षित सीटे संविधान के अनुच्छेदों 14, 16 एवं 335 की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती है–इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 50% सीट का आरक्षण अर्थपूर्ण प्रयोजन पूरा करता है और यह अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 से 10)

निर्णयज विधि.–(2014) 13 SCC 329—Relied; (2009) 5 SCC 1—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Arun Kumar Dubey, For the Petitioner; Mr. Rajesh Kumar, For the Respondents.

आदेश

रिट याचिका में याची द्वारा मुख्य चुनौती झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के अध्याय 3 के अधीन नियम 14 एवं अध्याय 2 के अधीन नियम 5(ट) को मुख्यतः इस आधार पर दी गयी है कि पूर्वोक्त नियमावली भारत के संविधान के अधिकारातीत है। नियमावली 2012 के प्रासंगिक एवं तात्विक प्रावधानों को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है–

"(V) ijh{kk e mRrh.krk gr U;ure 60 ifr'kr vd ikIr djuk vfuok; gkxkA ijUr fd vulfpr tkfr@tutkfr] fiNMh tkfr ,o fodykx vH;fFk;k dk mRrh.krk gr U;ure 52 ifr'kr vd ikIr djuk vfuok; gkxkA

English Translation

(V) A candidate must obtain minimum 60 percent marks for qualifying in the examination. However, for the candidates belonging to Schedule Caste/Tribe, Backward Caste and Handicapped categories minimum qualifying marks shall be 52 percent.

*14. bUVj if'kf{kr f'k{kd ,o Lukrd if'kf{kr f'k{kd dh lh/kh fu;fDr gr fpfUgr fjfDr;k e l 50 ifr'kr in lo f'k{kk vfHk;ku d rgr 2 (nk) o"kk rd vVV lok dj jg vgrk/kkjh ikjk f'k{kd e l p;u gr vkjf{kr jgxA ;g vkj{k.k {kfrt gkxk] vFkkr iR;d J.kh (v0tk0] v0t0tk0] vU; fiNMk ox ,o lkekU;) d fy, fu/kkfjr dkVk d vrxr gh ;g vkj{k.k vuekU; gkxkA ijUr ;g fd fjfDr d vuikr e vif{kr l[;k e ikjk f'k{kd mRrh.k ugh gku fd fLFkfr e bu fjfDr;k dk vU; mRrh.k vH;fFk;k e l vkj{k.k dkfV d vulkj ;Fkk fofgr :i e Hkjk tk ldxkA***

English Translation

14. 50 percent posts for direct recruitment of Inter Trained Teacher and Graduate Trained Teacher shall be reserved for para teachers who are in continuous service for 2 (two) years under Sarva Shiksha Abhiyan. This reservation shall be horizontal i.e., this reservation is applied only under the fixed quota for each category (S.C, S.T, Other Backward caste and General). In case, required number of para teachers do not qualify then these vacancies

shall be filled up from other qualified candidates according to the reservation quota.

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

3. यह प्रतिवाद करते हुए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा भरती प्रक्रिया का भाग नहीं है और यह केवल उम्मीदवारों की पात्रता का मूल स्तर सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा है और इसलिए न्यूनतम अर्हक अंक में एस॰ सी॰/एस॰ टी॰, पिछड़ी जाति एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शिथिलीकरण विधि में मंजूर नहीं किया जा सकता है, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नियम 5(ट) भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14, 16 एवं 335 की आज्ञा का उल्लंघन करता है।

4. हम प्रतिवाद में कोई सार नहीं पाते हैं। उम्मीदवारों की विभिन्न कोटि के लिए विभिन्न कट-ऑफ अंक नियत किया जाना सुमान्यता प्राप्त प्रथा रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कट-ऑफ अंक नियत करना मुख्यत: कार्यपालिका का निर्णय है जिसमें सामान्यत: न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है जब तक इसे मनमाना नहीं पाया जाता है। **''ए॰ मार्क्स बनाम तमिलनाडु राज्य, (2014)13 SCC 329,** में प्रत्येक सामुदायिक कोटि के लिए न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक देकर तमिलनाडू शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी॰ एन॰ टी॰ ई॰ टी॰) में आरक्षण के संवैधानिक लाभों को देने के लिए शिक्षक भरती बोर्ड को निर्देश इप्सित करते हुए रिट याचिका दाखिल की गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

*"5.....vkjf{kr dkfV mEehnokjk d fy, vucfèkr dV&vkQ&vd ?kVk;k tkuk gkxk ;k ugh] ;g i.krh jkT; ljdkj }kjk fofuf'pr fd, tku dk ekeyk gA fjV vfèkdkfjrk dk ç;kx dju okyk U;k;ky; ,lk f'kfFkyhdj.k@fj;k;rh vd çnku ugh dj ldrk g D;kfd ;g fu.k; jkT; ljdkj }kjk fy;k tkuk gA vud dkjdk dk fopkj e yr g, lcfèkr jkT;@çkfèkdkjh x.k viuh cf)erk e dV&vkQ&vd fu;r djx vkj U;k;ky; fo'k"kKk d er d LFkku ij viuk nf"Vdk.k çfrLFkkfir ugh dj ldrk g--------***

5. झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 की योजना प्रकट करती है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा मात्र स्क्रीनिंग परीक्षा है। खंड 8 का पठन है: ''शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता के आधार पर शिक्षक/अनुदेशक के पद के विरुद्ध नियुक्ति का दावा/अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह केवल पात्रता परीक्षा है।'' नियमावली आगे प्रावधानित करता है कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ पिछड़ी जाति एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नियम 4 (ख) (i) (अ) एवं 4 (ख) (ii) (अ) के अधीन आवश्यक अर्हता मापदंड में 5% शिथिलीकरण प्रदान किया जाता है। अब, यदि भरती में, उम्मीदवारों की विभिन्न कोटि के लिए आवश्यक अर्हता में शिथिलीकरण प्रदान किया गया है, हमारा मत है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में भी, यदि उम्मीदवारों की विभिन्न कोटि के लिए विभिन्न कट-ऑफ अंक नियत किया गया है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 का उल्लंघन नहीं करेगा। यह किसी भी तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन आज्ञा भी भंग नहीं करेगा। हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3099 वर्ष 2011 में राज्य सरकार को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करने का निर्देश दिया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत प्रावधानित करते हैं कि व्यक्ति को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी॰ ई॰ टी॰) उत्तीर्ण होना होगा। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3099 वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के आलोक में, झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 विरचित की गयी है जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया का विवरण देती है। प्रत्यर्थी राज्य ने अभिवचन किया है कि एन॰ सी॰ टी॰

ई॰ द्वारा टी॰ ई॰ टी॰ के लिए नियत अर्हक अंकों जिसके अधीन एस॰ सी॰/एस॰ टी॰, ओ॰ बी॰ सी॰ एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में 60% न्यूनतम अंक सुरक्षित करने से शिथिलीकरण प्रदान किया गया है, के अनुरुप 2012 की नियमावली भी सामान्य कोटि उम्मीदवारों एवं एस॰ सी॰/एस॰ टी॰, पिछड़ी जाति एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विभिन्न कट-ऑफ-अंक प्रावधानित करती है।

6. **''आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम बालोजी बधावथ एवं अन्य, (2009)5 SCC 1,** में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने का प्रयोजन उम्मीदवारों की पात्रता का मूल स्तर सुनिश्चित करना है और मुख्य परीक्षा में प्रवेश के चरण पर भी पदों के आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता है। **''बालोजी बधावथ'' (ऊपर)** में तथ्यों के संवीक्षण पर हम पाते हैं कि जिसे स्क्रीनिंग परीक्षा कहा गया था, वह वस्तुतः आरंभिक परीक्षा थी और यह चयन प्रक्रिया का भाग थी। झारखंड एकेडमिक परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा अर्थात् शिक्षक पात्रता परीक्षा आवश्यक पात्रता मापदंडों में से एक है जिसे शिक्षक के पद पर नियुक्ति इप्सित करने वाले उम्मीदवार को धारण करना होगा। जैसा उपर गौर किया गया है, भरती में भी शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम अंकों का शिथिलकरण एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ पिछड़ी जाति एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को दिया गया है।

7. नियम 14 को याची की चुनौती भी अमान्य है। नियम 14 के अधीन इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रत्यक्ष भरती में 50% सीट सर्वशिक्षा अभियान के अधीन दो वर्षों से निरंतर कार्यरत पैरा-शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ऐसा आरक्षण कोटिवार लागू किया जाएगा अर्थात् आरक्षण क्षैतिजीय होगा। याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, अस्वीकार किए जाने का दायी है। प्रत्येक कोटि में नियम 14 के अधीन आरक्षण लागू करके यह सुनिश्चित किया गया है कि आरक्षण राज्य सरकार की आरक्षण नीति के परे नहीं जाय। इसके अतिरिक्त, अनुभव के आधार पर आरक्षित सीट भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14, 16 एवं 335 की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। वस्तुतः इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 50% सीटों का आरक्षण अर्थपूर्ण प्रयोजन पूरा करता है और यह अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करता है।

8. नियम 14 के संदर्भ में, प्रत्यर्थी राज्य ने अभिवचन किया है कि पारा-शिक्षक व्यक्तियों के पृथक समूह हैं जिन्होंने बालकों को शिक्षण में विशाल अनुभव अर्जित किया है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार ने बालकों के शिक्षण के लिए पारा शिक्षकों के विपुल अनुभव का उपयोग करने का नीतिगत निर्णय लिया ताकि बालक उनके अनुभवों से लाभ पा सकें। यह अभिवचन किया गया है कि पारा शिक्षकों को शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक अर्हताओं में कोई शिथिलीकरण नहीं दिया गया है।

9. जहाँ तक विज्ञापन सं॰ 95 वर्ष 2012 के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया का अभिखंडन इप्सित करने वाली प्रार्थना का संबंध है, यहाँ उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थियों ने अभिवचन किया है कि धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग एवं अन्य जिलों के शिक्षा जिला अधीक्षक ने मेधा सूची तैयार किया है और इसे वेबसाइट पर डाला जा रहा है। यह कथन किया गया है कि अन्य जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया समापन के निकट है।

10. हम रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

विष्णु कांत मंडल

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1451 of 2007. Decided on 12th February, 2016.

सत्र मामला सं॰ 8 वर्ष 2005/01 वर्ष 2007, गोड्डा (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 8 वर्ष 1999 से उद्भूत जी॰ आर॰ सं॰ 14 वर्ष 1999 के तत्सम, में श्री अनिल कुमार आर्या, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 26.9.2007 एवं दिनांक 27.9.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—हत्या—सामान्य आशय—आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया—दिए गए हेतु के समर्थन में कोई पूर्व घटना अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है—केवल अभिकथित घटना के बाद हेतु पुरःस्थापित किया गया था—सूचक के पास हमलावर को देखने का अवसर नहीं था क्योंकि मृतक को उपहति पीछे से कारित की गयी थी—अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.—Mr. Uday Kant Thakur, For the Appellant; Mr. Amaresh Kumar, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.—यह दांडिक अपील सत्र मामला सं॰ 8 वर्ष 2005/1 वर्ष 2007, गोड्डा (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 8 वर्ष 1999 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 14 वर्ष 1999 के तत्सम, के संबंध में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 26.9.2007 तथा दिनांक 27.9.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन कठोर आजीवन कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. अभियोजन मामला, जैसा यह दिनांक 4.1.1999 को प्रातः 4 बजे गोड्डा (एम॰) पुलिस थाना में दर्ज सागर फरीयत के फर्दबयान से प्रतीत होता है, यह है कि दिनांक 3.1.1999 को शाम में सूचक अपने पिता गोपाली फरीयत के साथ मिठाई बेचने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों से हुई। चूँकि अपीलार्थी सूचक का साला/बहनोई है, उसने उसको साथ चलने को कहा किंतु अपीलार्थी ने इनकार कर दिया। तत्पश्चात, सूचक अपने पिता के साथ आगे बढ़ा। सूचक का पिता पीछे चल रहा था। अचानक, सूचक जो आगे चल रहा था, गोली की आवाज सुनने के बाद अपने पिता की ओर ध्यान किया। उसने अपने पिता को गोली लगने से हुई उपहति के साथ जमीन पर पड़ा पाया और अपीलार्थी को घटना स्थल से भागते हुए देखा गया था। गोपाली फरीयत (सूचक का पिता) की मृत्यु घटना स्थल पर हो गयी। सूचक अपने गाँव गया और अपने परिवार के सदस्यों और गाँववालों को मामला सूचित किया। अहली सुबह 4 बजे पुलिस घटना स्थल पर आयी जहाँ मृत शरीर पड़ा था और तब सूचक का फर्दबयान दर्ज किया गया था। सागर फरीयत के फर्दबयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन गोड्डा (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 8 वर्ष 1999 दर्ज किया

गया था। पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद, आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र केस सं॰ 8 वर्ष 2005/1 वर्ष 2007 के रूप में दर्ज किया गया था।

अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति अपीलार्थी ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया। आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने सूचक एवं डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया था सहित कुल दस गवाहों का परीक्षण किया। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध अभिनिर्धारित किया और दंडादेशित किया जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

3. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि का निर्णय केवल अ॰ सा॰ 3 सागर फरीयत जो मृतक का पुत्र है के अभिसाक्ष्य पर दर्ज किया गया है। अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 6, अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 8 पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। रामसेवक फरीयत अ॰ सा॰ 2 मृतक का पुत्र है और वह अनुश्रुत गवाह है। उसने घटना के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है जो उसे उसके भाई सागर फरीयत द्वारा संसूचित किया गया था। लता देवी अ॰ सा॰ 9 मृतक की पुत्री है और वह भी अनुश्रुत गवाह है और उसने अधिकांशत: वही तथ्य दोहराया है जिसका कथन उसके भाई अ॰ सा॰ 2 द्वारा किया गया था। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। अ॰ सा॰ 10 मदन तिवारी औपचारिक गवाह है जिसने फर्दबयान आदि सिद्ध किया है।

अब अ॰ सा॰ 3 जो सूचक है के साक्ष्य पर आते हुए, यह प्रकट करेगा कि वह चश्मदीद गवाह नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि सूचक आगे चल रहा था जबकि उसका पिता पीछे चल रहा था। सूचक के पिता को उपहति पीछे से कारित की गयी थी। अ॰ सा॰ 3 का स्वीकृत साक्ष्य यह है कि वे सूर्यास्त के बाद बाजार से लौटे। सूचक के पास घटनास्थल पर प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। उसने नहीं कहा था कि उसने हमलावर को अपने पिता गोपाली फरीयत पर उपहति कारित करते देखा था। उसने अभिलेख पर अपने पिता द्वारा दिया गया मृत्यु कालिक कथन लाने का प्रयास किया है किंतु कारित की गयी उपहतियाँ एवं अभिलेख पर लायी गयी परिस्थितियाँ नहीं सुझाती हैं कि मृतक कुछ बोलने की अवस्था में था। अ॰ सा॰ 3 का साक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय नहीं है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए उसके परिसाक्ष्य को अधिमान नहीं दिया जा सकता था।

4. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि घटना के तुरन्त पहले सूचक एवं मृतक अपीलार्थी से मिले थे जो और कोई नहीं बल्कि मृतक का दामाद है। वह मृतक की छोटी पुत्री से विवाह करना चाहता था किंतु मृतक एवं उसके परिवार वाले उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार नहीं थे। रास्ते में, जब सूचक ने उससे साथ चलने का अनुरोध किया, अपीलार्थी ने इनकार कर दिया। तत्पश्चात् सूचक अपने पिता के साथ आगे बढ़ा और कुछ ही देर में सूचक ने गोली चलने की आवाज सुनी थी। जब वह अपने पिता के पास पहुँचा, उसने उसे अपनी पीठ पर गोली लगने से हुई

उपहति के साथ जमीन पर पड़ा पाया। सूचक ने अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते भी देखा था। मृतक ने सूचक को हमलावर का नाम बताया था। ये समस्त तथ्य अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त थे और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सही प्रकार से दोषसिद्ध किया।

5. पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद हमने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया है और आक्षेपित निर्णय का भी परिशीलन किया है। नि:संदेह, दोषसिद्धि एवं दंडादेश अ॰ सा॰ 3 जो सूचक है के साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया गया है। अब हमें सावधानीपूर्वक अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य का संवीक्षण करना है कि क्या यह पूर्णत: ग्राह्य है और क्या अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है? हत्या के पीछे दिया गया कारण यह है कि अपीलार्थी मृतक की छोटी पुत्री से विवाह करना चाहता था जिसके लिए मृतक एवं उसके परिवार के सदस्य सहमत नहीं थे। हम नहीं पाते हैं कि हेतु इतना मजबूत था कि यह हत्या का अपराध करने की ओर ले जा सकता था। अभियोजन का स्वीकृत मामला यह है कि मृतक की पुत्रियों में से एक पारो देवी का विवाह अपीलार्थी के साथ हुआ था किंतु उसकी मृत्यु हो गयी। सूचक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी छोटी बहन लता का जन्म नहीं हुआ था जब पारो (अपीलार्थी की पत्नी) की मृत्यु हुई थी। अत: अभियोजन द्वारा दिया गया हेतु स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। दिए गए हेतु के समर्थन में कोई भी पूर्व घटना अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लायी गयी है। केवल अभिकथित घटना के बाद, यह हेतु पुर:स्थापित किया गया था। उपर उपदर्शित कारणों से हम यह संप्रेक्षित करने में संकोच महसूस नहीं करते हैं कि अभियोजन ने हत्या के पीछे का वास्तविक हेतु सिद्ध नहीं किया है।

अब पुन: अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य पर आते हुए, हम पाते हैं कि उसने कथन किया है। वह अपने पिता को 25-30 फीट पीछे छोड़ कर तेजी से आगे चल रहा था। स्वीकृत रूप से, घटना सूर्यास्त के बाद हुई थी और अंधकार था। मृतक की मृत्यु उपहति पाने के बाद घटनास्थल पर हुई थी और मृत्यु जैसा अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य से हम पाते हैं तुरन्त हो गयी। यह भी स्वीकृत अवस्था है कि अ॰ सा॰ 3 ने अपीलार्थी को आग्नेयास्त्र का उपयोग करके मृतक को उपहति कारित करते नहीं देखा था। जिन परिस्थितियों में घटना हुई और जिस तरीके से मृतक को गोली से उपहति कारित की गयी थी, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि सूचक के पास हमलावर को देखने का अवसर नहीं था क्योंकि मृतक को उपहति पीछे से कारित की गयी थी। जो भी कारण हो, किंतु तथ्य बना रहता है कि अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी एवं मृतक के परिवार के बीच मधुर संबंध नहीं था। मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए अ॰ सा॰ 3 के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं होगा और हम अपीलार्थी को संदेह का लाभ देने के इच्छुक हैं तद्नुसार, सत्र केस सं॰ 8 वर्ष 2005/1 वर्ष 2007, गोड्डा (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 8 वर्ष 1999 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 14 वर्ष 1999 के तत्सम, के संबंध में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 26.9.2007 एवं दिनांक 27.9.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जो कारा में बंद है को कारा अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और दोषसिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा यदि आवश्यक हो इसके लिए समुचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

6. परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

बसंत प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5493 of 2015. Decided on 17th March, 2016.

झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011—धाराएँ 19 (1) एवं 21 (7)—बेदखली–मकान मालिक की सद्भावपूर्ण निजी आवश्यकता एवं अभिधृति के निबंधनों का भंग–बेदखली के आधारों को अंतर्ग्रस्त करने वाले वाद की प्रकृति पर विचार करते हुए विवाद्यकों को विरचित करने से किराया नियंत्रक अपवर्जित नहीं किया गया है–वाद के प्रभावकारी न्याय निर्णयन के लिए किराया नियंत्रक को विवाद्यकों को विरचित करने से रोका नहीं जाना चाहिए जो विवाद का क्षेत्र संकुचित करता है–चूँकि पक्षों ने विवाद्यकों की विरचना के लिए सहमति दिया है, किराया नियंत्रक को विधि के अनुरुप विवाद्यक विरचित करने के बाद मामले पर कार्यवाही करनी चाहिए–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–M/s Rahul Kr. Gupta, Niyati Sah, For the Petitioner; Mr. Satish Kumar, For the Resp-State; M/s Rajiv Ranjan, Shray Mishra, For the Resp No. 3.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. प्राइवेट प्रत्यर्थी ने वार्ड सं॰ 14, मेन रोड, पी॰ एस॰ लोअर बाजार, जिला राँची के अधीन धृति सं॰ 670 एवं 671 का भाग होने के नाते कवि कॉम्प्लेक्स भवन के प्रथम तल पर अवस्थित किराया परिसर से याची की बेदखली के लिए विद्वान सब–डिविजनल दंडाधिकारी–सह–किराया नियंत्रक, सदर, राँची के न्यायालय में जे॰ बी॰ सी॰ केस सं॰ 32/2015 संस्थित किया। मकान मालिक ने सद्भावपूर्ण निजी आवश्यकता, दो माह की अवधि के लिए किराया के भुगतान में व्यतिक्रम और पट्टा अवधि के अवसान का अभिवचन किया है। उसने अभिधृति के निबंधनों का भंग भी अभिकथित किया है।

3. प्रतिवादी/वर्तमान याची नोटिस पर उपस्थित हुआ और अन्य बातों के साथ यह अभिवचन करते हुए लिखित कथन दाखिल करके मामले का प्रतिवाद किया कि कोई वाद हेतुक उद्भूत नहीं होता है और वाद जैसा इसे विरचित किया गया है पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने का दायी है। अपने लिखित कथन में गुणागुण के अन्य आधारों को भी लिया गया है। विद्वान किराया नियंत्रक ने दिनांक 20.7.2015 का बेदखली आदेश (परिशिष्ट–3) पारित किया जिसे वर्तमान याची द्वारा उपायुक्त, राँची के न्यायालय के समक्ष अपील सं॰ 21R15/2015-16 में चुनौती दी गयी थी। विद्वान उपायुक्त ने आदेश अपास्त कर दिया और दिनांक 23.9.2015 के आदेश (परिशिष्ट 4) द्वारा दोनों पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर नया आदेश पारित करने के लिए मामला सब–डिविजनल दंडाधिकारी–किराया नियंत्रक, राँची के पास वापस भेज दिया। वापस भेजे जाने पर प्रतिवादी/वर्तमान याची द्वारा किराया नियंत्रक से न्यायनिर्णय के लिए विवाद्यक विरचित करने का अनुरोध किया गया था जिसे दिनांक 23.10.2015 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–6) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। विद्वान किराया नियंत्रक ने अभिवचन किया है कि झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 21 (7) के निबंधनानुसार संक्षिप्त कार्यवाही के तरीके से कार्यवाही करने की आवश्यकता है और यह साक्ष्य दर्ज करने सहित लघुवाद न्यायालय की प्रथा एवं प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मकान मालिक/वर्तमान प्रत्यर्थी की ओर से आग्रहित आधार झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड सी॰ या ई॰ की कोटि में नहीं आते हैं जो मामलों के निपटान के लिए विशेष प्रक्रिया विहित करते हैं जैसा अधिनियमन वर्ष 2011 की धारा 21 के अधीन विहित किया गया है। मकानमालिक द्वारा धारा 19 के अधीन उठाए गए अन्य आधारों पर गुणागुणों पर वाद का प्रतिवाद किया जा रहा है जैसा यहाँ उपर निर्दिष्ट किया या है। अत: विवाद्यक विरचित नहीं करने के लिए विद्वान किराया नियंत्रक का मत वाद विनिश्चित करने का सही दृष्टिकोण नहीं है जो अभिधृति करार से उद्भूत होने वाले याची के बहुमूल्य अधिकारों को अंतर्ग्रस्त करता है। यह निवेदन किया गया है कि औद्योगिक अधिकरण जैसे न्यायिक कल्प अधिकरण में भी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता अथवा साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियमों द्वारा बाध्य नहीं है, विवाद्यक सामान्यत: मामले को अंतिम रूप से न्यायनिर्णीत करते हुए उत्तर दिए जाने के लिए वाद में अंतर्ग्रस्त विवादित प्रश्नों पर विचार करने के लिए विरचित किए जाते हैं। दिनांक 17.2.1984 की सिविल पुनरीक्षण सं॰ 406/1983(R) (रियाजुल हक बनाम मोस्मात मैमुम खातुन एवं एक अन्य) में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि जब चुनौती के आधार सद्भावपूर्ण निजी आवश्यकता अथवा पट्टा अवधि के अवसान तक सीमित नहीं है, तब अन्य आधारों को अंतर्विष्ट करने वाला बेदखली वाद सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित सामान्य प्रक्रिया में विधि के अनुरुप संचालित किया जाना चाहिए।

5. प्रत्यर्थी मकानमालिक के विद्वान अधिवक्ता आरंभ में निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी मामले के निष्पक्ष एवं समुचित न्यायनिर्णय के लिए विवाद्यकों की विरचना पर आपत्ति नहीं करता है। किंतु, उस बहाने याची को मामला लंबा खींचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि किराया नियंत्रक के विद्वान न्यायालय को पक्षों की सहमति से विवाद्यक विरचित करने एवं विधि के अनुरूप मामले पर कार्यवाही करने का निर्देश किया जा सकता है।

6. मामले के पूर्वोक्त ताथ्यिक मैट्रिक्स में पक्षों के परस्पर विरोधी अभिवचनों पर विचार करने पर इस न्यायालय का भी मत है कि बेदखली के आधारों को अंतर्ग्रस्त करने वाले वाद की प्रकृति पर विचार करते हुए विवाद्यक विरचित करने से किराया नियंत्रक को अपवर्जित नहीं किया गया है जैसा अधिनियम वर्ष 2011 की धारा 19 के अधीन विहित किया गया है जो अधिनियम वर्ष 2011 की धारा 21 के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया के लिए वर्णित आधारों की कोटि के अंतर्गत नहीं आते हैं। अत:, वाद के प्रभावकारी न्यायनिर्णय के लिए विद्वान किराया नियंत्रक को विवाद्यक विरचित करने में अवरुद्ध नहीं करना चाहिए जो उनकी ओर से दिए गए तात्विक साक्ष्य एवं पक्षों के परस्पर विरोधी अभिवचनों के आधार पर न्याय निर्णीत किए जाने के लिए पक्षों के बीच विवाद एवं प्रतिवाद के क्षेत्र को संकुचित करते हैं। अत:, विद्वान किराया नियंत्रक का यह दृष्टिकोण विवेक को प्रभावित नहीं करता है अथवा निष्पक्ष न्यायनिर्णय की आवश्यकता के साथ संगत भी नहीं है। चूँकि पक्षों ने विवाद्यकों की विरचना के लिए सहमति दिया है, विद्वान किराया नियंत्रक को विधि के अनुरुप विवाद्यक विरचित करने के बाद मामले पर कार्यवाही करना चाहिए। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जाता है। तद्नुसार, इसे अभिखंडित किया जाता है। पूर्वोक्त तरीके से रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। आई॰ ए॰ सं॰ 194/2016 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Mhu ,u mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

मांझी टूडु

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal(DB) No. 1212 of 2006. Decided on 27th January, 2016.

सत्र केस सं॰ 132 वर्ष 2004 में श्री बिनय कुमार सहाय, अपर सत्र न्यायाधीश I, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 29 जुलाई, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया–यह सुनियोजित कृत्य था और न कि ऐसा मामला जहाँ घटना क्षणिक आवेश में हुई–आई॰ ओ॰ ने फर्दबयान सिद्ध किया है–उसने घटनास्थल पर रक्त का चिन्ह पाया था–केवल इसलिए कि एक गवाह पक्षद्रोही बन गया, अन्य तात्विक गवाहों का साक्ष्य, जिनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय है, खारिज नहीं किया जा सकता है–अपील खारिज।

(पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–M/s Mahesh Tiwari & P.K. Dubey, For the Appellant; Mrs. Laxmi Murmu, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील सत्र मामला सं॰ 132 वर्ष 2004 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश I राजमहल द्वारा पारित दिनांक 29 जुलाई, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. अभियोजन मामला, जैसा यह दिनांक 11.11.2003 को पूर्वाह्न 10.15 बजे सरकारी अस्पताल में दर्ज होपा टुडु के फर्दबयान से प्रतीत होता है, यह है कि दिनांक 10.11.2003 को शाम में अपीलार्थी होपा टुडु (मृतक) के घर गया था और उससे कुछ काम के लिए साथ चलने का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार करते हुए होपा टुडु अपीलार्थी के साथ घर से गया। यह अभिकथित किया गया है कि तालाब के पास पहुँचने के बाद अपीलार्थी ने होपा टुडु के पेट पर चाकू से वार किया और भाग गया। घायल होपा टुडु की उपस्थिति एक राहगीर द्वारा ध्यान में ली गयी थी जो दौड़कर गाँव गया और हल्ला किया जिसके बाद कुँवर टुडु एवं नंदू टुडू घटनास्थल पर पहुँचे जिनको घायल होपा टुडु ने अपीलार्थी द्वारा उस पर कारित प्रहार के बारे में प्रकट किया। तत्पश्चात, होपा टुडु को घर लाया गया था, किंतु रात होने के कारण इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा सका था। अगली सुबह, उसे बरहरवा अस्पताल ले जाया गया था जहाँ कुछ इलाज किया गया था। अस्पताल में होपा टुडु का फर्दबयान दर्ज किया गया था जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 324 एवं 307 के अधीन दिनांक 11.11.2003 का राजमहल बरहरवा पी॰ एस॰ केस सं॰ 77 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था।

चूँकि होपा टुडु को कारित की गयी उपहति गंभीर थी, उसे पाकुड़ अस्पताल ले जाया गया था जहाँ दिनांक 14.11.2003 को उसकी मृत्यु हो गयी और तत्पश्चात दिनांक 19.11.2003 के आदेश के तहत भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 जोड़ी गयी थी पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने पर आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र मामला सं॰ 132 वर्ष 2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

3. एकमात्र अपीलार्थी मांझी टुडु के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया। अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया है और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट, फर्दबयान, उपहति रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया है। विद्वान अपर सत्र

न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और उसको दंडादेशित किया जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध मुख्यत: इस आधार पर किया है कि होपा टुडु की मृत्यु समुचित इलाज प्रदान करने में विलंब के कारण हुई। यदि उसे उपहति पाने के तुरन्त बाद अस्पताल ले जाया गया होता, उसका जीवन बचाया जा सकता था। फर्दबयान के अनुसार, घटना अपराह्न 8 बजे हुई किंतु मृतक अगली सुबह तक घर में बना रहा। तत्पश्चात उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य उपदर्शित नहीं करते थे कि अपीलार्थी का हत्या करने का आशय था, क्योंकि यदि ऐसा था, तब मृतक की मृत्यु तक आगे वार कारित करने से उसको रोकने के लिए मध्यक्षेपी परिस्थिति नहीं थी। उसने उसको घटना के बारे में प्रकट करने के लिए जीवित नहीं छोड़ा होता। हेतु जैसा सूचक (मृतक) द्वारा दिया गया है परीक्षण किए गए गवाहों द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। होपा टुडु का फर्दबयान किसी डॉक्टर की उपस्थित में दर्ज नहीं किया गया था और न ही इस प्रभाव का प्रमाण पत्र कि वह होश में था और बयान देने योग्य था, प्राप्त किया गया था। परीक्षण किए गए गवाहों के बयान भी संगत नहीं हैं। अ॰ सा॰ 2 नंदू टुडु कहता है कि वह घर में सो रहा था। जब उसकी चाची आयी और उसे होपा टुडु को लाने के लिए कहा जो नशे में खेत में पड़ा हुआ था। उसने प्रकट नहीं किया था कि मांझी टुडु द्वारा होपा टुडु पर प्रहार किया गया था और वह उपहति पाने के बाद खेत में पड़ा है। यह तथ्य दर्शाता है कि होपा टुडु उपहति पाने के बाद होश में नहीं था और उसने उन व्यक्तियों जो उसे घटना स्थल से घर लाए थे को घटना प्रकट नहीं किया था। यदि ऐसा था, फर्दबयान जिसे अब 'मृत्युकालिक कथन' माना जा रहा है, संदेह मुक्त नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 8 जुनस टुडु ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है जैसा अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2 और अ॰ सा॰ 5 द्वारा बनाया गया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने मुख्यत: फर्द बयान को 'मृत्युकालिक कथन' के रूप में मानते हुए अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है। चूँकि पूर्वोक्त फर्दबयान की प्रामाणिकता संदेह से घिरी है, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अपास्त किए जाने का दायी है और अपीलार्थी हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया जा सकता है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग I के अधीन दोषसिद्धि में परिवर्तित की जा सकती है क्योंकि अपीलार्थी का हत्या करने का आशय नहीं था।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि होपा टुडु अपीलार्थी द्वारा चाकू से वार किए जाने के बाद खेत में पड़ा था। एक राहगीर द्वारा घायल की उपस्थिति ध्यान में ली गयी थी जिसने गाँववालों को सूचित किया। तत्पश्चात अ॰ सा॰ 1 कुँवर टुडु एवं अ॰ सा॰ 2 नंदू टुडु घटना स्थल पहुँचे जिनको होपा टुडु (मृतक) ने घटना के बारे में प्रकट किया। यह निवेदन किया गया है कि घटना राजमहल सब डिविजन के गाँव में हुई। रात होने के कारण, मृतक घर पर रखे जाने के लिए बाध्य था, किंतु अगली सुबह उसे तुरन्त अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था। चूँकि होपा टुडु ने अपीलार्थी द्वारा कारित उपहति के कारण दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु के बाद फर्दबयान 'मृत्युकालिक कथन' के रूप में माना गया था। अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 5 ने भी यह तथ्य संपुष्ट किया कि होपा टुडु ने उनको घटना के बारे में बताया था और कहा था कि अपीलार्थी द्वारा उस पर चाकू से वार किया गया था। अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 5 ने अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन किया है। डॉ॰ प्रवीण कुमार संथालिया जिन्होंने पहले बरहरवा अस्पताल में मृतक का उपचार किया था ने उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है। डॉ॰ ललित कुमार भगत ने शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 9 अर्जुन शर्मा अन्वेषण

अधिकारी है और उसने फर्दबयान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों को सिद्ध किया है। अभियोजन साक्ष्य पूर्णत: अक्षुण्ण है और इस अपील में गुणागुण नहीं है।

6. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन भी किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ घटना किसी उकसावा पर क्षणिक आवेश में हुई थी। फर्दबयान (अब 'मृत्यु कालिक कथन' के रूप में माना गया) में प्रकट किया गया है कि घटना के लगभग एक सप्ताह के पहले भूमि के बँटवारा के लिए अपीलार्थी एवं मृतक के बीच झगड़ा हुआ था। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी मृतक से संबंधित है और उसका भतीजा है। फर्दबयान से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने कुछ बहाना पर मृतक को अपने साथ चलने के लिए कहा और उसे निर्जन स्थान पर ले गया। अपीलार्थी पहले से ही चाकू से लैस था और ज्योंही वह मृतक को उपयुक्त स्थान पर ले जाने में सफल हुआ, उसने पेट पर चाकू मारा और शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बायीं किडनी, लीवर, स्पलीन एवं छोटी आँत जैसे आंतरिक अंग को नुकसान हुआ। डॉ॰ प्रवीण कुमार संथालिया जिन्होंने उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है ने यह भी प्रकट किया है कि होपा टुडु को कारित उपहति गंभीर थी। हत्या करने का आशय प्रत्येक निजी मामले में अभिभावी तथ्यों एवं परिस्थितियों से एकत्रित किया जा सकता था। यह सत्य है कि यह एकल वार का मामला है और कोई मध्यक्षेपी परिस्थिति उपलब्ध नहीं थी, जिसने अपीलार्थी को आगे वार करने से रोका हो, किंतु तब हमें इस निष्कर्ष कि क्या अपीलार्थी का हत्या करने का आशय था, पर आने के लिए इर्द-गिर्द की अन्य परिस्थितियों पर विचार करना होगा। हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर भी विचार किया है जो कहता है कि अपीलार्थी मृतक को निर्जन स्थान पर ले गया और वह पहले से चाकू लिए था। उसने पेट पर चाकू का वार किया था और होपा टुडु को उस स्थान पर मरने के लिए छोड़ दिया था। घटना का समय अपराह्न 8 बजे हैं; घटना स्थल गाँव से दूर तालाब के निकट अवस्थित निर्जन स्थान है; मृतक को बचाए जाने की संभावना दूरस्थ थी और, इसलिए, ऐसी परिस्थिति में निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि अपीलार्थी ने हत्या करने की योजना बनायी थी और इसे प्रभाव देने के लिए मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चाकू का वार किया जिसने आंतरिक अंगों को नुकसान पहुँचाया। यह अपीलार्थी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक राहगीर ने घायल (मृतक) की उपस्थिति ध्यान में लिया और वह दौड़ कर गाँव गया और हल्ला किया जिसने अ॰ सा॰ 1 एवं 2 तथा अन्य गाँववालों को आकृष्ट किया। वे तुरन्त घटना स्थल पर पहुँचे और होपा टुडु को घटनास्थल से घर लाए। चूँकि रात थी, मृतक घर पर रखे जाने के लिए मजबूर था किंतु अगली सुबह उसे तुरन्त निकट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। मामला पुलिस को रिपोर्ट किया गया था और दिनांक 11.11.2003 को प्रात: लगभग 10.15 बजे फर्दबयान दर्ज किया गया था।

अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 के नाम का वर्णन फर्दबयान में उल्लेख पाते हैं और उन दोनों ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि होपा टुडु को घायल अवस्था में घर लाया गया था। उन्होंने इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि होपा टुडु ने उनको घटना के बारे में और हमलावर का नाम बताया था। विद्वान अधिवक्ता ने कुछ तथ्यों को इंगित किया है जिनको उन्होंने अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 से उनके प्रतिपरीक्षण में प्राप्त किया था। यह निवेदन किया गया है कि उनको सूचित किया गया था कि होपा टुडु नशे में खेत में पड़ा था। तर्क के लाभ के लिए भी, यदि इसे सत्य स्वीकार किया जाता है, तथ्य बना रहता है कि दोनों गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि उन्होंने उसके पेट में रक्त बहने की उपहति पाया था। हमें ध्यान में रखना होगा कि गवाह निरक्षर आदिवासी हैं और झारखंड राज्य के दूरस्थ गाँव में रह रहे हैं और,

इसलिए, उनके बयान में ऐसे लघु विरोधाभास की उम्मीद सदैव की जाती है। हम इन दो गवाहों के परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि मृतक ने फर्दबयान में उनका नाम प्रकट किया था और इन दोनों गवाहों ने इस तथ्य का पूर्णत: समर्थन किया है कि मृतक ने उनको घटना के बारे में और हमलावर का नाम बताया था। अभियोजन मामला और भी मजबूत होता है जब हम डॉ॰ प्रवीण कुमार संथालिया के बयान पर विचार करते हैं, जिन्होंने बरहरवा अस्पताल में मृतक का इलाज किया था और सिद्ध किया है कि उपहति गंभीर थी और इसी कारण मृतक को उपयुक्त अस्पताल निर्दिष्ट किया गया था और तद्नुसार, उसे पाकुड़ अस्पताल ले जाया गया था। चूँकि अपीलार्थी द्वारा किए गए चाकू के वार ने आंतरिक अंगों को हानि कारित किया, होपा टुडु बच नहीं सकता था और उन उपहतियों का डॉ॰ ललित कुमार भगत द्वारा वर्णित किया गया है।

7. हमने अ॰ सा॰ 9 के बयान का भी परिशीलन किया है जिसने अन्वेषण किया। उसने फर्दबयान, औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है। उसने पैरा 4 में उसके द्वारा निरीक्षित घटनास्थल का वर्णन भी किया है। उसने घटना स्थल पर रक्त का निशान पाया था। अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया है कि उसने होपा टुडु को देखा था जिसे खून बहने से रोकने के लिए कस कर कपड़ा से लपेटा गया था। केवल इसलिए कि जुनास टुडु (अ॰ सा॰ 8) पक्षद्रोही बन गया है, अन्य तात्विक गवाहों जिनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय है का साक्ष्य खारिज नहीं किया जा सकता है।

8. उपर की गयी चर्चा और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की दृष्टि में, हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

प्रवीण कुमार बदियानी

cuke

हरबंश लाल एवं अन्य

W.P.(C) Case No. 3581 of 2012. Decided on 16th March, 2016.

बँटवारा अधिनियम, 1893—धाराएँ 4 एवं 8—निवास गृह के हिस्सा का विक्रय–बँटवारा अधिनियम की धाराओं 2, 3 एवं 4 के अधीन न्यायालय द्वारा पारित विक्रय आदेश सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत डिक्री समझा जाएगा–उसको उपलब्ध अपीलीय उपचार की उपस्थिति में याची द्वारा रिट कार्यवाही गलत रूप से दाखिल की गयी है–रिट याचिका वापस ले लिए गए के रूप में खारिज। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; M/s Ananda Sen, Kaustav Panda, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 45 वर्ष 2011 में विद्वान सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिविजन, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 18.5.2012 का आदेश चुनौती के अधीन है जिसके अधीन उन्होंने वादी/वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा दाखिल बँटवारा अधिनियम, 1893 की धारा 4 के अधीन आवेदन अनुज्ञात किया है और प्रतिवादी सं॰ 8/वर्तमान याची को 11, 27,500/- रुपयों की राशि के प्रतिफल के लिए वाद पत्र की अनुसूची A में वर्णित संपत्ति के संबंध में उसके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया है।

3. प्रत्यर्थीगण, जिन पर पहले नोटिस तामील की गयी थी, उपस्थित हुए हैं।

4. जैसा न्यायालय के ध्यान में लाया गया है, बँटवारा अधिनियम, 1893 के प्रावधानों, विनिर्दिष्टत: उसकी धारा 4 के अधीन यह कथन किया गया है कि जहाँ अविभाजित परिवार के निवासगृह का हिस्सा उस व्यक्ति को अंतरित किया गया है जो ऐसे परिवार का सदस्य नहीं है और ऐसा अंतरिती बँटवारा के लिए वाद करता है, न्यायालय, यदि परिवार का कोई सदस्य शेयर धारक होने के नाते ऐसे अंतरिती का हिस्सा खरीदने का वचन देगा, ऐसे हिस्से का ऐसे तरीके से मूल्यांकन करेगा जैसा यह सुयोग्य समझता है और ऐसे शेयर धारक को ऐसा हिस्सा बेचने का निर्देश देगा और उस निमित्त समस्त आवश्यक एवं समुचित निर्देश दे सकता है।

5. जैसा प्रकट है, आक्षेपित आदेश प्रतिवादी सं॰ 8/याची की ओर से उसके पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन का निर्देश देने के लिए वादी/प्रत्यर्थी सं॰ 1 की प्रेरणा पर पारित किया गया है। अधिनियम वर्ष 1893, विनिर्दिष्टत: धारा 8, प्रावधानित करती है कि धाराओं 2, 3 एवं 4 के अधीन न्यायालय द्वारा पारित विक्रय आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत डिक्री समझा जाएगा।

6. अधिनियम वर्ष 1893 में अंतर्विष्ट विधि की प्रतिपादना की दृष्टि में यह प्रकट है कि यह रिट कार्यवाही याची की ओर से उसे उपलब्ध अपीलीय उपचार की उपस्थिति में गलत रूप से दाखिल की गयी है। ऐसी परिस्थितियों में, याची के विद्वान अधिवक्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष अपीलीय उपचार इप्सित करने के लिए इस आवेदन को वापस लेने की अनुमति इप्सित करते हैं।

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ऐसी प्रार्थना पर आपत्ति नहीं करते हैं।

8. तद्नुसार, यह रिट याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिए गए के रूप में खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

महेन्द्र प्रसाद यादव

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2438 of 2014. Decided on 29th January, 2016.

भारतीय वन अधिनियम, 1927—धारा 52 (4)—अधिहरण कार्यवाही–कोयला का अवैध परिवहन–तथ्य कि घटना का स्वतंत्र गवाह नहीं था, पुलिस गवाह के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाएगा–याची के विरुद्ध अभिकथित आरोप भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379, 411 एवं 120B के अधीन है–पुलिस ने सही प्रकार से प्राथमिकी दर्ज किया है–पुलिस द्वारा मामले का दर्जकरण एवं दांडिक मामले का परिणाम तात्विक रूप से अधिहरण कार्यवाही का परिणाम प्रभावित नहीं करेगा–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–2009 (1) JCR 22 (Jhr.); 2009 (2) JCR 533 (Jhr.)—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s B.K. Sinha, Saibal Mitra, For the Petitioner; Mr. Anil Kumar, For the Respondents.

आदेश

पुनरीक्षण याचिका सं॰ 2 बन मुक (सी॰) 06 वर्ष 2013 में दिनांक 11.3.2014 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित प्राथमिकी हरहंज पी॰ एस॰ केस सं॰ 1 वर्ष 2011 दिनांक 13.1.2011 को याची एवं अन्य के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379, 411 एवं 120B के अधीन एवं वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन इस अभिकथन पर दर्ज की गयी थी कि सं॰ BR15A-3461 वाले ट्रैक्टर पर अवैध कोयला परिवहित किया जा रहा था जिसका स्वामी याची है। वन अधिनियम की धारा 52 (4) के अधीन अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें याची ने वन अपराध की कारिता में ट्रैक्टर की अंतर्ग्रस्तता से इनकार करते हुए अपना उत्तर दाखिल किया। अधिहरण केस सं॰ 2 वर्ष 2011 में दिनांक 19.1.2012 के आदेश के तहत प्राधिकृत अधिकारी-सह-डिविजनल वन अधिकारी, लातेहार ने जब्त ट्रैक्टर अधिहृत किया। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने दिनांक 19.1.2012 का आदेश इस आधार पर अपास्त कर दिया कि वन अधिकारी की दो विरोधाभासी रिपोर्ट हैं और घटना का स्वतंत्र गवाह नहीं है। किंतु, पुनरीक्षण याचिका सं॰ 2 बन मुक (सी॰) 06 वर्ष 2013 में प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग ने, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अभिखंडित कर दिया।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वन अधिकारी के दो परस्पर विरोधी रिपोर्टों की दृष्टि में, अभियोजन निश्चयात्मक रूप से यह स्थापित करने में विफल रहा कि डुमराटांड़ संरक्षित वन है। इसके अतिरिक्त, अंचलाधिकारी ने दिनांक 9.11.2012 की अपनी रिपोर्ट में पाया कि खाता सं॰ 246 में भूखंड सं॰ 525 में 0.43 एकड़ भूमि राम चरित्र सिंह के नाम में दर्ज की गयी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची ने नीलांबर पीतांबर कोयला डिपो, सिमलिया से कोयला खरीदा है और परिवहन के दौरान इसे जब्त किया गया है। यह प्रतिवाद करते हुए कि साक्ष्य नहीं है कि कोयला अवैध रूप से आरक्षित वन से निकाला गया था, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है।

5. पुनरीक्षण याचिका सं॰ 2 बन मुक (सी॰)-06 वर्ष 2013 में दिनांक 11.3.2014 के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची द्वारा प्रस्तुत चालान की प्रति कूटरचित पायी गयी है और चिरु वन संरक्षित वन घोषित किया गया है।

6. पक्षों की ओर से किए गए परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार करने पर और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन करने पर मेरा मत है कि रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है। यद्यपि, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रतिवाद किया गया था कि कोयला नीलांबर-पीतांबर कोयला डिपो, सिमलिया टोला से खरीदा गया था और परिवहन के दौरान इसे जब्त किया गया है, याची द्वारा प्रस्तुत चालान कूटरचित पाया गया है। दो परस्पर विरोधी रिपोर्टों पर आधारित अभिवचन भी अस्वीकार किए जाने का दायी है। दूसरी रिपोर्ट मंगाने का कारण प्रत्यर्थियों द्वारा प्रकट किया गया है। वन अधिकारी ने दिनांक 27.7.2011 की अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट किया है कि चिरु वन संरक्षित वन है। यह तथ्य कि घटना का स्वतंत्र गवाह नहीं है, पुलिस गवाह के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाएगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष कि केवल खनन विभाग मामले का अन्वेषण कर सकता है, यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश को न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन से अतात्विक है, स्पष्टत: गलत है। याची के विरुद्ध अभिकथित अपराध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379, 411 एवं 120B के अधीन हैं। पुलिस ने सही प्रकार से प्राथमिकी दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, पुलिस द्वारा मामले का दर्जकरण और दांडिक मामले का परिणाम तात्विक रूप से

अधिहरण कार्यवाही के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। **''मोस्मात दुलिया बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2009 (1) JCR 22 (Jhr.)** एवं **''ललन सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,'' 2009 (2) JCR 533 (Jhr.)** में निर्णयों पर याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया विश्वास कुस्थापित है।

7. मैं रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

कर्मकार, जनता मजदूर संघ के प्रतिनिधित्व में

cuke

मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के भलगोरा क्षेत्र के प्रबंधन के संबंध में नियोक्तागण

L.P.A. No. 334 of 2008. Decided on 11th February, 2016.

(क) श्रम एवं औद्योगिक विधि–सेवा समाप्ति–जब एक बार कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेज दाखिल करने का आरोप विरचित किया जाता है, आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य देने का भार प्रबंधन पर था–प्रबंधन ने पैनल सूची दाखिल नहीं किया था–एकल न्यायाधीश ने साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन किया है यद्यपि अधिकरण द्वारा तथ्य की कोई गलती भी नहीं की गयी थी–एकल न्यायाधीश ने सेवा में पुनर्बहाली के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती किया–अधिनिर्णय पुनर्स्थापित। (पैराएँ 10 से 13)

(ख) भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—रिट न्यायालय की शक्तियाँ–उच्च न्यायालय अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता एवं औचित्यता का परीक्षण करते हुए अधिकरण के निर्णय पर अपील में विचार नहीं करता है–किसी बिंदु पर दिए गए साक्ष्य की पर्याप्तता अधिकरण की अनन्य अधिकारिता के अंतर्गत है–अभिवचन किए गए तथ्यों से निकाला जाने वाला निष्कर्ष वह बिंदु नहीं है जिसे रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जा सकता है। (पैराएँ 5 एवं 9)

निर्णयज विधि.–AIR 1964 SC 477; (1976) 2 SCC 868—Relied; (2004) 8 SCC 246—Distinguished

अधिवक्तागण.–Mr. P.A.S. Pati, For the Appellant; Mr. Anoop Kumar Mehta, For the Respondent.

आदेश

डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1916 वर्ष 2006 में दिनांक 31.7.2008 के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील जनता मजदूर संघ के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए गए कर्मकारों द्वारा दाखिल की गयी है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ ए॰ एस॰ पति **''ईश्वर लाल मोहनलाल ठक्कर बनाम पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड एवं एक अन्य'', (2014)6 SCC 434,** में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि अधिकरण के निष्कर्ष में हस्तक्षेप केवल ऐसे मामलों में अनुज्ञेय है जहाँ अधिकरण ने अधिकारिता की गलती अथवा विधि में गंभीर गलती किया है अथवा जहाँ निर्णय अधिकरण के समक्ष दिए गए साक्ष्य पर आधारित नहीं पाया गया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन किया और गलत प्रश्न पूछा कि ''परीक्षण किए जाने के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि क्या कर्मकारों के नाम भोवरा क्षेत्र से भालगोरा क्षेत्र को भेजी गयी सूची में था या नहीं'', और इस प्रकार निर्देश केस सं॰ 98 वर्ष 1994 में दिनांक 28.9.2005 के अधिनिर्णय में गलत रूप से हस्तक्षेप किया।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ मेहता दिनांक 28.9.2005 के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए प्रतिवाद करते हैं कि अभिलेख पर लाए गए तथ्यों को दोहराया जाना मात्र साक्ष्य के पुनर्अधिमूल्यन के तुल्य नहीं है। यह तथ्य कि संबंधित कर्मकारों को प्रदर्श M-3 श्रृंखला एवं प्रदर्श M4 श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया गया है, अभिलेख का मामला है, फिर भी अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि उन्हें वैध रूप से नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, यह प्रतिवाद किया गया था कि अधिनिर्णय अधिकरण के समक्ष संबंधित कर्मकारों द्वारा स्थापित नहीं किए गए तथ्यों पर आधारित है।

5. परस्पर विरोधी प्रतिवादों का उल्लेख करने के पहले हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उत्प्रेषण रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता के विवाद्यक का परीक्षण प्रस्तावित करते हैं। **''नागेन्द्र नाथ बोरा एवं एक अन्य बनाम हिल्स डिविजन एवं अपील आयुक्त, असम एवं अन्य, AIR 1958 SC 398,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि अथवा तथ्य की प्रत्येक गलती उच्चतर न्यायालय द्वारा अपील के न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति के प्रयोग में नहीं सुधारी जा सकती है। किसी बिंदु पर दिए गए साक्ष्य की पर्याप्तता अधिकरण के अनन्य अधिकारिता के अंतर्गत है और अभिवचन किए गए तथ्यों से निकाले जाने वाला निष्कर्ष वह बिंदु नहीं है जिसे रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। उत्प्रेषण रिट जारी करने के विवाद्यक के प्रति उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर चर्चा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''सैयद याकूब बनाम के॰ एस॰ राधाकृष्णन एवं अन्य, AIR 1964 SC 477,** में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

> *"7. .....mRç"k.k fjV fuEurj U;k;ky;k vFkok vfèkdj.kk }kjk dh x;h vfèkdkfjrk dh xyrh lèkkju d fy, tkjh fd;k tk ldrk g% ; , l ekey g tgk voj U;k;ky;k vFkok vfèkdj.kk }kjk vfèkdkfjrk d fcuk vkn'k ikfjr fd, tkr g] vFkok bld ij g vFkok vfèkdkfjrk d ç;kx e foQyrk dk ifj.kke gA bl çdkj l] fjV tkjh fd;k tk ldrk g tgk bl ij çnÙk vfèkdkfjrk d ç;kx e U;k;ky; vFkok vfèkdj.k voèk :i l vFkok vufpr :i l ÑR; djr g] mnkgj.kLo#i] ;g vkn'k }kjk çHkkfor i{k dk luokb dk volj fn, fcuk ç'u fofuf'pr djrk g vFkok tgk fookn ij fopkj dju e viuk;h x;h çfØ;k ulfxd U;k; d fl)kr d fo#) gA fdr] ble dkb lng ugh g fd mRç"k.k fjV tkjh dju dh vfèkdkfjrk i;o{k.kh; vfèkdkfjrk g vkj bldk ç;kx dju okyk U;k;ky; vihyh; U;k;ky; d :i e ÑR; dju dk gdnkj ugh gA bl ifjlhek dk vko';dr% vFk g fd lk{; d vfèkeY;u d ifj.kkeLo#i voj U;k;ky; vFkok vfèkdj.k }kjk iklr rF; d fu"d"kk dk fjV dk;okgh e fQj l pukrh ugh nh tk ldrh gA fofèk dh xyrh tk vfHky[k dk n[kr gh çdV g fjV }kjk lèkkjh tk ldrh g fdr rF; dh xyrh ugh] pkg ;g fdruk Hkh xHkhj çrhr D;k u gkrk gk---------***

6. संक्षिप्त रूप से कथित, संबंधित कर्मकारों अर्थात् राम प्रवेश पासवान एवं 37 अन्य को बर्रगढ़, हुरिल्लाडीह एवं सिमलाबहाल कोलियरी में काम के लिए भलगोरा कोलियरी के प्रबंधन द्वारा माइनर/लोडर के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी के प्रमाणपत्रित स्थायी आदेशों के खंड 26.1.11 एवं 26.1.12 के अधीन अवचार करने के लिए दिनांक 2/7.4.92 के पत्र के तहत आरोप ज्ञापन जारी किया गया था और उन्हें निलंबन के अधीन रखा गया था। कर्मकारों के विरुद्ध विरचित आरोपों में से एक यह था कि उन्होंने महाप्रबंधक के कार्मिक प्रबंधन एवं लिपिक के साथ दुरभिसंधि किया और स्वयं को कपटपूर्वक नियुक्त करवाया। प्रबंधन द्वारा अभिवचनित विनिर्दिष्ट मामला यह था कि 319 व्यक्तियों का नाम अंतर्विष्ट करने वाली सूची में, जो भोवरा क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी नियुक्ति को पैनल है, संबंधित कर्मकारों के नाम

नहीं आते हैं। घरेलू जाँच में कर्मकारों के विरूद्ध विरचित आरोप सिद्ध पाए गए थे और तद्नुसार, उन्हें सेवा से उन्मोचित किया गया था। संबंधित कर्मकारों की ओर से किया गया विवाद दिनांक 13.6.2000 के अधिनिर्णय में समाप्त हुआ जिसे मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के प्रबंधन द्वारा सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 4349 वर्ष 2000 में चुनौती दी गयी थी और दिनांक 31.7.2001 के आदेश के तहत निर्देश प्रबंधन को साक्ष्य देने की अनुमति के निर्देश के साथ पुनर्जीवित किया गया था। अधिकरण ने गौर किया कि संबंधित कर्मकारों को भलगोरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के हस्ताक्षर के अधीन स्वयं प्रबंधन द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया था। प्रबंधन द्वारा इनकार नहीं किया गया था कि महाप्रबंधक माइनर/लोडर की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

7. प्रबंधन ने किसी राम जनम सिंह (एम॰ डब्ल्यू॰ 1) जो वर्ष 1992 में भलगोरा क्षेत्र में कार्मिक उपप्रबंधक के रूप में पद स्थापित था और किसी बी॰ डी॰ सिंह (एम॰ डब्ल्यू॰ 2) जो उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक के रूप में पदस्थापित था का परीक्षण किया। गवाह एम॰ डब्ल्यू॰ 1 ने प्रदर्श M3 श्रृंखला एवं प्रदर्श M4 श्रृंखला दिया। किसी भी गवाह ने दावा नहीं किया कि नियुक्ति सूची पीयून बुक के माध्यम से प्रेषित की गयी थी और एम॰ डब्ल्यू॰ 1 ने स्वीकार किया है कि प्रबंधन द्वारा यह स्थापित करने के लिए कि नियुक्तियाँ केवल सूची से की गयी थी पीयून बुक प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रबंधन माइनर्स/लोडर्स के नाम और उनके नियुक्ति पत्रों को प्रकट करने में भी विफल रहा जिन्हें अभिकथित रूप से नियुक्ति के लिए तैयार किए गए 319 कर्मचारियों की सूची से नियुक्त किया गया था। महाप्रबंधक जिसने संबंधित कर्मकारों को नियुक्ति पत्र जारी किया का प्रबंधन द्वारा परीक्षण यह स्थापित करने के लिए नहीं किया गया था कि महाप्रबंधक के संबंधित लिपिक अथवा कार्मिक प्रबंधक ने नियुक्ति पत्र जारी करवाने में उसे गुमराह किया। नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण भी प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया था।

8. कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के प्रश्न पर अधिकरण ने निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रबंधन ने इस बिंदु पर कोई साक्ष्य नहीं दिया है और उक्त विवाद्यक पर इसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को प्रकट करके प्रबंधन द्वारा उक्त निष्कर्ष को चुनौती नहीं दिया गया है। प्रबंधन द्वारा किया गया एकमात्र अभिवचन यह है कि प्रदर्श M3 श्रृंखला एवं प्रदर्श M-4 श्रृंखला दस्तावेज संबंधित कर्मकारों के नाम अंतर्विष्ट नहीं करते हैं और इस प्रकार, उपधारणा की जानी होगी कि उन्होंने कपटपूर्ण साधनों से नियुक्ति सुनिश्चित किया। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, अधिकरण द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। जब एक बार कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेजों को दाखिल करने का आरोप विरचित किया जाता है, उक्त आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य देने का भार प्रबंधन पर था। जैसा उपर गौर किया गया है, प्रदर्श M3 श्रृंखला एवं प्रदर्श M4 श्रृंखला के सिवाए प्रबंधन द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्रबंधन ने 319 उम्मीदवारों की पैनल सूची दाखिल नहीं किया था जिन्हें अभिकथित रूप से विभिन्न कोलियरी में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया था। प्रबंधन नियुक्ति कमिटी के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत करने में भी विफल रहा है। अधिकरण ने गौर किया है कि प्रदर्श M3 श्रृंखला भलगोरा क्षेत्र को नहीं भेजा गया था बल्कि सूची भोवरा क्षेत्र को अग्रसारित की गयी थी और फॉरवर्डिंग पत्र कोई पृष्ठांकन धारण नहीं करता था। अधिकरण ने विस्तारपूर्वक प्रदर्श M3 श्रृंखला एवं प्रदर्श M4 श्रृंखला के अधीन दस्तावेजों पर चर्चा किया है और अधिकरण द्वारा ध्यान में लिए गए तथ्यों को गलत अथवा अभिलेख के विपरीत के रूप में प्रबंधन द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। अभिलेख पर लाए गए सामग्रियों पर विचार करते हुए, अधिकरण ने निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रबंधन संबंधित कर्मकारों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। परिणामस्वरुप, राम प्रवेश पासवान एवं 37 अन्य कर्मकारों की सेवा समाप्ति की प्रबंधन की कार्रवाई अन्यायोचित अभिनिर्धारित की गयी थी। किंतु, विद्वान एकल न्यायाधीश प्रबंधन द्वारा प्रदर्श M3 श्रृंखला एवं प्रदर्श M4 श्रृंखला के

तहत प्रस्तुत दस्तावेजों के पुनर्अधिमूल्यन पर इस निष्कर्ष पर आए कि संबंधित कर्मकारों को कपटपूर्वक नियुक्त किया गया था।

9. यह सुनिश्चित है कि उच्च न्यायालय अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता एवं औचित्यता का परीक्षण करते हुए अधिकरण के निर्णय पर अपील में विचार नहीं करता है। दिनांक 31.7.2008 के आक्षेपित निर्णय का परिशीलन दर्शाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह ध्यान में लेने के बाद कि,–

> *^^çcèku xokg ,e0 MCY;0 1 jke tue flg u viu lk{; e Li"Vr% dFku fd;k fd og çkIfxd le; ij Hkkojk {k= e dkfed miçcèkd d in ij inLFkkfir FkkA mDr çn'k M3 J[kyk ,o çn'k M4 J[kyk dk fl) djr g, mlu Li"Vr% dgk fd çn'k M3 J[kyk fu;ktuky; l çkIr lfp;k Fkh(mEehnokjk dk mDr lfp;k d erkfcd Hkkojk {k= e vkefyr fd;k x;k Fkk vkj mud uke ftUg NkM fn;k x;k Fkk Hkyxkjk {k= dk vxlkfjr fd, x, Fk(vkj fd doy çn'k M4 J[kyk l Hkyxkjk {k= e fu;fDr;k dh tkuh Fkh fdr lcfèkr dedkjk dk uke Hkyxkjk {k= dk vxlkfjr mDr lfp;k e ugh FkkA***

निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रबंधन ने सिद्ध किया था कि संबंधित कर्मकारों को कपटपूर्वक नियुक्त किया गया था। प्रबंधन गवाहों के साक्ष्य एवं प्रदर्श M3 श्रृंखला एवं प्रदर्श M4 श्रृंखला पर अधिकरण द्वारा विचार किया गया था और इसके समक्ष दिए गए साक्ष्य के अधिमूल्यन पर अधिकरण ने निष्कर्ष दर्ज किया कि संबंधित कर्मकारों के विरुद्ध कपटपूर्वक नियुक्ति इप्सित करने का आरोप सिद्ध नहीं किया गया था। अब, पूर्वोक्त साक्ष्य को निर्दिष्ट मात्र करके विद्वान एकल न्यायाधीश यह अभिनिर्धारित करके कि प्रबंधन ने सिद्ध किया कि संबंधित कर्मकारों को कपटपूर्वक नियुक्त किया गया था, विपरीत निष्कर्ष पर नहीं आ सकते थे। हमारे मत में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन किया है यद्यपि अधिकरण द्वारा की गयी तथ्य की गलती भी प्रबंधन द्वारा स्थापित नहीं की गयी है। **''स्वर्ण सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य,'' (1976)2 SCC 868,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"13. voj vfèkdj.k }kjk nt rF; d fu"d"k d lcèk e mRç"k.k fjV doy rc tkjh fd;k tk ldrk g ;fn ,l fu"d"k nt dju e vfèkdj.k u lk{; ij ÑR; fd;k g tk fofèkr% vxkg; g] vFkok xkg; lk{; Loh dkj dju l budkj fd;k g] vFkok fu"d"k fdl h lk{; }kjk fcYdy lefFkr ugh g D;kfd ,l ekeyk e xyrh fofèk dh xyrh d rY; gA fjV vfèkdkfjrk doy ,l ekeyk rd foLrkj ikrh g tgk vkn'k voj U;k;ky;k vFkok vfèkdj.kk }kjk viuh vfèkdkfjrk d ij vFkok mue fufgr vfèkdkfjrk d ç;kx l mud budkj d ifj.kkeLo#i ikfjr fd, x, g vFkok mUgku U;k; dh ?kkj gkfu dkfjr djr g, viuh vfèkdkfjrk d ç;kx e voèk ;k vufpr :i l ÑR; fd;k gA***

10. हम आगे पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष कि यह सिद्ध करने का भार संबंधित कर्मकारों के यूनियन पर था कि संबंधित कर्मकारों को चयन की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करके नियुक्त किया गया था, स्पष्टत: गलत है। जहाँ तक अधिकरण द्वारा निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्ष का संबंध है, इसे कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आरोप को सिद्ध करने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में प्रबंधन की विफलता के संदर्भ में ध्यान में लिया जाना है। कर्मकारों के विरुद्ध विरचित विनिर्दिष्ट आरोप का पठन निम्नलिखित है:–

> *^^;fi vkidk uke Hkkojk {k= }kjk Hkyxkjk {k= dk vxlkfjr ,l0 lh0@,l0 Vh0 lph e fo|eku ugh g tl k mij fufn"V fd;k x;k g] vkiu*

*lcfèkr fyfid Jh ftrUn dekj vkn'kjk dh ekukudyrk e ,o dkfed çcèkd Jh ih0 ,e0 çlkn dh lgk;rk l Nk;k çfrfyfi@dVjfpr@eux<r nLrkotk dk çLrr djd vkj viuk iooÙk vkfn Nikdj diViod vufre vLFkk;h ekbuj@ykMj dk fu;fDr ik;k g vkj bl çdkj vki diuh d 0;olk; ,o lifÙk d lcèk e diV ,o cbekuh e fylr g, gA***

11. संबंधित कर्मकारों में से एक अर्थात् जगन्नाथ दास को जारी दिनांक 6.4.1992 के आरोप-ज्ञापन की प्रतियाँ एवं उसका दिनांक 9.4.1992 का उत्तर अभिलेख पर लाए गए हैं। संबंधित कर्मकार ने आरोप से इनकार करते हुए कथन किया कि वह साक्षात्कार में उपस्थित हुआ था और उसे सफल घोषित किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें केवल प्रबंधन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल कर अधिनिर्णय दिया गया है। वस्तुतः, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रबंधन के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। **''मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड बनाम हरिराम,'' (2004)8 SCC 246,** में तथ्य जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका अनुज्ञात करते हुए प्रत्यर्थी के पक्ष में विश्वास किया गया था, बिल्कुल भिन्न थे। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F और 25N सहपठित 25B (2) (a) (ii) के अधीन मामला था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों ने ''केवल'' निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्ष पर पुनर्बहाली आदेश आधारित करने में गलती किया। हम आगे पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे जे॰ के॰ अदेसरा एवं पी॰ एम॰ प्रसाद के विरुद्ध आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही पर विचार किया है। स्वीकृत रूप से, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही निर्देश केस सं॰ 98 वर्ष 1994 में अभिलेख पर नहीं लायी गयी है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या प्रबंधन ने उक्त जे॰ के॰ अदेसरा एवं पी॰ एम॰ प्रसाद के विरुद्ध आरोप के समर्थन में गवाहों के उसी संवर्ग का परीक्षण किया और उसी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत किया। हमारे सुविचारित मत में, विद्वान एकल न्यायाधीश को उन दो अधिकारियों के विरुद्ध पारित आदेशों पर विश्वास करने की छूट नहीं थी।

12. हमने सावधानीपूर्वक रिट न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है और हम पाते हैं कि प्रबंधन ने वही अभिवचन दोहराया जो अधिकरण के समक्ष किया गया था। सेवा में उनकी पुनर्बहाली पर संबंधित कर्मकारों को पिछली मजदूरी के अधिनिर्णय को चुनौती नहीं दी गयी थी और न ही रिट याचिका की सुनवाई के समय पर संबंधित कर्मकारों को 50% पिछली मजदूरी के प्रदान को चुनौती दी गयी थी।

13. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, जो अनुसरित होता है, वह यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28.9.2005 के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने में गंभीर रूप से विधि में गलती किया। परिणामस्वरुप, लेटर्स पेटेन्ट अपील अनुज्ञात की जाती है और परिणामस्वरुप दिनांक 28.9.2005 का अधिनिर्णय पुनर्स्थापित किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

प्रदीप प्रसाद उर्फ दिंगर

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 48 of 2015. Decided on 17th March, 2016.

एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ केस सं॰ 1 वर्ष 2012 में श्री राजेश कुमार वैश, प्रधान सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 22 दिसंबर, 2014 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23 दिसंबर, 2014 के दंडादेश के विरुद्ध।

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985—धाराएँ 18, 42 एवं 50—अफीम की जब्ती–अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य उपदर्शित नहीं कर रहे हैं कि नमूना दंडाधिकारी की उपस्थिति में लिया गया था–अन्वेषण अधिकारी का गैर-परीक्षण अभियोजन के लिए घातक बन गया है चूँकि इसने अनेक प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ दिया है–न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट निश्चयात्मक नहीं है क्योंकि पदार्थ में पाया गया मार्फिन का प्रतिशत रिपोर्ट में उपदर्शित नहीं किया गया है–रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए नमूना की प्रामाणिकता संदेहपूर्ण है–इसके अतिरिक्त, दो आधिकारिक गवाहों, शेष चार गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 4 से 8)

निर्णयज विधि.–(2002) 1 East Cr. Cases 224 (SC); 2005 (2) East Cr. Cases 243 (SC); (2001) 2 East Cr. Cases 454 (Pat.); (2010) 3 SCC 746—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Jitendra S. Singh, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील बालूमठ पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2012 से उद्भूत होने वाले एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ केस सं॰ 1 वर्ष 2012 में विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 22 दिसंबर, 2014 एवं दिनांक 23 दिसंबर, 2014 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम की धारा 18 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने एवं 1,00,000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने एवं जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। पहले ही भुगत ली गयी निरोध की अवधि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 428 के प्रावधान के अधीन कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा की जाएगी।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि सूचक जो पुलिस अधिकारी है ने गोपनीय सूचना पाया कि रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-2D-3998 बाले गुप्ता बस पर एक व्यक्ति तस्करी के लिए अपने एयर बैग में अफीम ले जा रहा है। संदिग्ध का शारीरिक वर्णन एवं पहने गए वस्त्र को भी प्रकट किया गया था। इस प्रकार प्राप्त सूचना पर विचार करते हुए प्रभारी अधिकारी ने पुलिस थाना के निकट सड़क पर चेक लगाया। उक्त गुप्ता बस के आने के बाद, पूर्वोक्त वर्णन वाला व्यक्ति बस के पिछले दरवाजे के निकट खड़ा पाया गया था। उसे पकड़ा गया था और अंचलाधिकारी (अ॰ सा॰ 1) को मामला सूचित किया गया था जो भी घटना स्थल पर आया। विनय मनीष आर॰ लकरा (अ॰ सा॰ 1), तत्कालीन अंचलाधिकारी, बालूमठ की उपस्थिति में एयर बैग जिसे संदिग्ध पकड़े था की जाँच की गयी थी और 1.431 कि॰ ग्रा॰ का अर्द्ध ठोस रूप में अफीम अंतर्विष्ट करने वाला पॉलीथीन पैकेट बरामद किया गया था। तद्नुसार, अ॰ सा॰ 1 द्वारा अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी और गवाहों द्वारा एवं सूचक द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया था। सूचक, जो तब बालूमठ पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था ने स्वबयान दर्ज किया था और एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धाराओं 15, 17, 18 एवं 22 के अधीन दिनांक 3 जनवरी, 2012 का लातेहार, बालूमठ पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2012 दर्ज किया।

अन्वेषण किया गया था, बरामद किए गए अफीम के नमूना को इसके रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था; गवाहों का बयान दर्ज किया गया था; और अन्वेषण करने के बाद अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था।

3. अपीलार्थी के विरुद्ध एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम की धाराओं 15, 17, 18 एवं 22 के अधीन आरोपों को विरचित किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचार किए जाने का दावा किया।

आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण किया है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थी का बचाव किए गए अभिकथनों से पूर्ण इनकार का था।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विचारण के समापन पर साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम की धारा 18 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया।

4. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धाराओं 42 एवं 50 का अनुपालन नहीं किया गया है। एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ की धारा 52 (A) का अनुपालन नहीं किया गया था। चूँकि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया जा सका था, जब्त वस्तु के साथ क्या हुआ, अभिलेख पर नहीं लाया जा सका था। इसके अतिरिक्त, किन परिस्थितियों के अधीन जब्त वस्तु का नमूना लिया गया था और क्या अधिनियम के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था या नहीं, ज्ञात नहीं है। अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी के कब्जा से जब्त वस्तु उक्त पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी (अ॰ सा॰ 2) को सौंपी गयी थी। पैरा 10 में अ॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि वह नहीं जान सका था कि क्या जब्त वस्तु से नमूना लिया गया था या नहीं। अ॰ सा॰ 1 के बयान के अनुसार, प्रभारी अधिकारी ने वस्तु का वजन करवाया और यह लगभग डेढ़ किलोग्राम था किंतु इस प्रकार जब्त वस्तु उसकी उपस्थिति में तौली नहीं गयी थी। अ॰ सा॰ 1 ने आगे कथन किया है कि इस प्रकार जब्त वस्तु मुहरबंद की गयी थी और इस पर इस गवाह का हस्ताक्षर एवं अपीलार्थी तथा प्रभारी अधिकारी (अ॰ सा॰ 2) का हस्ताक्षर था।

अ॰ सा॰ 2 रविकांत प्रसाद तब बालूमठ पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और वह सूचक है। उसने कथन किया है कि गुप्त सूचना प्राप्त करने पर रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-02D-3998 वाली बस पुलिस थाना के गेट के निकट रोकी गयी थी और अपीलार्थी को पकड़ा गया था। अपीलार्थी द्वारा लिये गये एयर बैग में अफीम अंतर्विष्ट था जिसे उसने 1.431 कि॰ ग्रा॰ वजन वाला गाढ़े अर्धठोस रूप में अफीम के जमे जूस के रूप में वर्णित किया है। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि अन्वेषण किट में उनके पास वजन करने वाली मशीन थी और वस्तु घटनास्थल पर तौली गयी थी। अ॰ सा॰ 2 के बयान के अनुसार, अपीलार्थी के कब्जा से इस प्रकार जब्त वस्तु पुलिस थाना के गेट के निकट जब्त की गयी थी और, तद्नुसार, अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी, जबकि अ॰ सा॰ 1 कहता है कि अभिग्रहण सूची बालूमठ पुलिस थाना में तैयार की गयी थी। अ॰ सा॰ 2 इस बिंदु पर भी मौन है कि कब और कहाँ और किसकी उपस्थिति में जब्त वस्तु का नमूना लिया गया था। उसने कथन किया है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद अपीलार्थी एवं उसके कब्जा से इस प्रकार जब्त वस्तु अन्वेषण अधिकारी को सौंपी गयी थी। यदि ऐसा था, स्वीकृत रूप से, उसकी उपस्थिति में किसी के भी द्वारा जब्त वस्तु से नमूना नहीं लिया गया था। विधि की आज्ञापक आवश्यकता है कि नमूना दंडाधिकारी की उपस्थिति में लिया जाना है और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य उपदर्शित नहीं करते हैं कि ऐसा कोई नमूना अ॰ सा॰ 2 द्वारा अथवा अन्वेषण अधिकारी द्वारा दंडाधिकारी की उपस्थिति में लिया गया था। अ॰ सा॰ 2 ने जब्त अफीम का नमूना सिद्ध किया है, जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा रासायनिक परीक्षण किए जाने के बाद लौटा दिया गया था। न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, प्लास्टिक डब्बा के साथ नमूना का वजन 33 ग्राम था। चूँकि जब्त अभिकथित अफीम की कुल मात्रा अभिलेख पर नहीं लायी गयी है,

यह नहीं कहा जा सकता था कि इसका वजन 1.431 कि॰ ग्रा॰ था और, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अफीम की मात्रा को न्यूनतम से अधिक किंतु वाणिज्यिक मात्रा से न्यून गलत रूप से माना है।

अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन के लिए इस कारण से घातक बन गया है कि अभिलेख पर यह अज्ञात है कि किस प्रकार जब्त वस्तु से नमूना लिया गया था और नमूना लेने के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन किया गया था यह नहीं। यह भी ज्ञात नहीं है कि जब्त की गयी शेष वस्तुओं के साथ क्या हुआ और किस प्रकार इन्हें ठिकाना लगाया गया था। यह भी अज्ञात है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त वस्तु प्राप्त करने के बाद किस परिस्थिति के अधीन और किस स्थान पर इसे रखा गया था क्योंकि नमूना लगभग एक माह बाद लिया गया था और इसे घटना की तिथि से डेढ़ माह बाद न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया गया था। अ॰ सा॰ 2 का और अन्वेषण अधिकारी का भी यह आचरण लिए गए नमूनों एवं इसके परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे जाने की प्रामाणिकता के प्रति गंभीर संदेह सृजित करती है। किंतु, न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट भी निश्चयात्मक नहीं है क्योंकि पदार्थ में पाया गया मार्फिन का प्रतिशत रिपोर्ट में उपदर्शित नहीं किया गया है। न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट आपत्ति के साथ प्रदर्श चिन्हित की गयी है। व्यक्ति जिसके नमूना का रासायनिक परीक्षण किया था और व्यक्ति जिसने रिपोर्ट तैयार किया था, प्रदर्श 5 का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आए हैं।

5. जोरदार तर्क किया गया है कि जब्त वस्तु की कुल मात्रा अभिलेख पर नहीं लायी गयी है। नमूना जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया गया था का वजन प्लास्टिक डब्बा सहित 33 ग्राम था। यदि ऐसा था, मात्रा छोटी मात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा के बीच नहीं मानी जा सकती थी और, इसलिए, अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था और दस वर्षों की सीमा का दंडादेश नहीं देना चाहिए था जैसा एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धारा 18 (C) के अधीन विहित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आगे विधि के आवश्यक प्रावधान का अनुसरण नहीं करके गलती किया है जिसके अधीन अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया गया है। यह विनिर्दिष्टत: उपदर्शित नहीं किया गया है कि क्या अपीलार्थी को एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धारा 18 (a) अथवा धारा 18 (b) अथवा धारा 18 (c) के अधीन दंडित किया गया है।

अंत में, यह प्रतिवाद किया गया है कि चालक एवं कंडक्टर (अ॰ सा॰ 4 एवं 5) ने कथन किया है कि अपीलार्थी के कब्जा से अपराध में फँसाने वाली कोई चीज बरामद नहीं की गयी थी। यद्यपि उन्होंने अभिग्रहण सूची पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। साथ-साथ, उन्होंने कथन किया है कि उन्हें कागज के सादे टुकड़े पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया गया था। अ॰ सा॰ 3 एवं 6 औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने अभिग्रहण सूची पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने भी यह कथन किया है कि उन्हें कागज के सादे टुकड़े पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। छापा मारने वाले दल का कोई सदस्य अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के प्रतिवादों का समर्थन करने आगे नहीं आया है।

उक्त प्रतिवाद के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया है:-

(i) ***(2002)1 East Cr. Cases 224 (SC) [txnh'k cuke eè; çn'k jkT;]***

(ii) ***(2005) East Cr. Cases 243 (SC) [jktLFkku jkT; cuke xjçhr flag]***

(iii) ***2001 (2) East Cr. Cases 454 (Pat) [ljUn ikM cuke fcgkj jkT;]***

6. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि जब्ती राजपत्रित अधिकारी (अ॰ सा॰ 1) की उपस्थिति में की गयी थी। एयर बैग जिसे अपीलार्थी घटना के समय लिए था को चेक किया गया था और 1.431 कि॰ ग्रा॰ वाला अर्द्ध ठोस रूप से अफीम बरामद किया गया था। अ॰ सा॰ 1 द्वारा सम्यक रूप से अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी और सूचक गवाहों एवं अपीलार्थी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था और इसकी प्रति सम्यक रूप से अपीलार्थी को सौंपी गयी थी। अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने कथन किया है कि दिनांक 3 जनवरी, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-02D 3998 वाले गुप्ता बस को बालूमठ पुलिस थाना के गेट के निकट चेक किया गया था। अपीलार्थी को पकड़ा गया था और उसके द्वारा लिया गया एयर बैग जब्त किया गया था और उक्त बस के चालक एवं कंडक्टर की उपस्थिति में तलाशी ली गयी थी। बैग अर्द्धठोस रूप में 1.431 कि॰ ग्रा॰ अफीम अंतर्विष्ट कर रहा था। अभिग्रहण गवाहों (अ॰ सा॰ 4 एवं 5) ने अभिग्रहण सूची पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट समर्थन करती है कि रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए नमूना में मॉर्फिन एवं अलकलायड पाया गया था और रिपोर्ट प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हित की गयी थी। एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धाराओं 42 एवं 50 की प्रयोज्यता के बिंदु पर, यह निवेदन किया गया था कि पूर्वोक्त धाराएँ वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं हैं क्योंकि बरामद किया गया अफीम अपीलार्थी द्वारा बैग में ले जाया जा रहा था। इस संदर्भ में, **(2010)3 SCC 746 [अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य]** में निर्णय निर्दिष्ट किया गया है।

7. दोनों पक्षों की ओर से किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों को सुनने के बाद हमने मामले के अभिलेख का परीक्षण किया है, साक्ष्य एवं दस्तावेजों तथा आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है। स्वीकृत रूप से, अ॰ सा॰ 3 से 6 ने दो भिन्न अभिग्रहण सूचियों पर किया गया अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने कथन किया है कि उनकी उपस्थिति में अपीलार्थी के कब्जा से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था। उन्हें पुलिस अधिकारी द्वारा सादे कागज पर अपना हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था जिसका उन्होंने पालन किया। अ॰ सा॰ 4 एवं 5 पूर्वोक्त गुप्ता बस के चालक एवं कंडक्टर हैं जिसमें घटना के समय पर अपीलार्थी को यात्रा करता हुआ पाया गया था। अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के बयानों में विरोधाभास हैं। अ॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि उसे प्रभारी अधिकारी (अ॰ सा॰ 2) द्वारा सूचित किया गया था कि गुप्ता बस में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति कुछ अवैध वस्तु ले जा रहा है, जबकि सूचक (अ॰ सा॰ 2) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसे गुप्त सूचना मिली थी कि गुप्ता बस में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति एयर बैग में अफीम ले जा रहा था। अ॰ सा॰ 1 के अनुसार, पुलिस थाना में अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी, जबकि अ॰ सा॰ 2 कहता है कि अभिग्रहण सूची स्वयं घटनास्थल पर तैयार की गयी थी और गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया था। अ॰ सा॰ 1 के अनुसार, जब्त वस्तु उसकी उपस्थिति में तौली नहीं गयी थी जबकि अ॰ सा॰ 2 कहता है कि इसे स्वयं घटना स्थल पर ही तौला गया था। यदि अ॰ सा॰ 1 का प्रतिवाद सही है कि इस प्रकार जब्त वस्तु प्रभारी अधिकारी द्वारा तौली गयी थी, तब वह यह कहने की अवस्था में नहीं था कि जब्त वस्तु का वजन क्या था और यही कारण है कि उसने कथन किया है कि यह लगभग डेढ़ कि॰ ग्रा॰ था। अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 दोनों ने स्वीकार किया है कि उनकी उपस्थिति में जब्त वस्तु से नमूना नहीं लिया गया था। दोनों गवाह इस बिंदु पर मौन हैं कि अन्वेषण अधिकारी को इसे सौंपने के बाद जब्त वस्तु के साथ क्या हुआ। मामले के अभिलेख पर यह अज्ञात है कि किस परिस्थिति के अधीन और किसकी उपस्थिति में जब्त वस्तु का नमूना लिया गया था। यह संदेहपूर्ण बन जाता है जब अ॰ सा॰ 1 एवं 2 कहते हैं कि उनके द्वारा जब्त की गयी कुल वस्तु मुहरबंद की गयी थी और उनके द्वारा हस्ताक्षरित की गयी थी। यदि इसे उनके द्वारा मुहरबंद एवं हस्ताक्षरित किया गया था, तब किस परिस्थिति के अधीन उनकी अनुपस्थिति में एवं उनकी जानकारी के बिना मुहर हटायी गयी थी और किस प्रकार

और किसके द्वारा तथा विधि के किस प्रावधान के अधीन नमूना लिया गया था। इन परिस्थितियों में, किए गए तर्क में सार प्रतीत होता है और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए नमूना की प्रामाणिकता संदेहपूर्ण है। अभियोजन ने विशेष न्यायाधीश अथवा दंडाधिकारी का कोई आदेश सिद्ध नहीं किया है जिसके आदेश एवं हस्ताक्षर के अधीन नमूना इसके रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था। यह प्रकट है कि एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 के अधीन आवश्यक आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था और अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण के कारण कतिपय तथ्य अभिलेख से अज्ञात बने रहते हैं। इसके अलावा, दो आधिकारिक गवाहों, शेष चार गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। उस समय पर उपस्थित छापा मारने वाले दल के किसी सदस्य का परीक्षण नहीं किया गया है।

8. मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए हम प्रधान सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को मान्य ठहराने के इच्छुक नहीं हैं और इसे अपास्त किया जाता है। अपील अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी जो बालूमठ पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2012 से उद्भूत हाने वाले एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ केस सं॰ 1 वर्ष 2012 के संबंध में कारा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय यदि आवश्यक हो समुचित निर्देश जारी करेंगे।

---

ekuuh; vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

सुकनी देवी

cuke

भारत संघ, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे के माध्यम से

M.A. No. 117 of 2014. Decided on 15th February, 2016.

रेलवे अधिनियम, 1989—धाराएँ 123 (c) एवं 124 (A)—दुर्भाग्यपूर्ण घटना–चलती गाड़ी से गिर जाने के कारण यात्री की मृत्यु–अधिकरण द्वारा दावा आवेदन की खारिजी–टिकट प्रस्तुत नहीं किया जाना सिद्ध नहीं करता है कि मृतक सद्भावपूर्ण यात्री नहीं था–धारा 124A के प्रावधान लाभकारी प्रावधान हैं–दावेदार को मुआवजा से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि तर्कपूर्ण साक्ष्य देकर दावेदार का अभिवचन खंडित करने का भार रेलवे प्राधिकारी पर है–चलती गाड़ी से गिरने के कारण मृतक की मृत्यु शव परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस के अंतिम रिपोर्ट से समर्थित है–चार लाख रुपयों का मुआवजा अधिनिर्णीत। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(2004)0 Supreme (Kar) 17539; (2009)0 Supreme (Kar) 22262—Referred.

अधिवक्तागण.–Ms. Chaitali C. Sinha, For the Appellant; M/s Vijoy Kumar Sinha, ASC (Rly), S.K. Lala, J.C. to ASC, Rly, For the Respondent.

आदेश

यह अपील केस सं॰ OA (IIU)/RNC/2011/0070 (चेक लिस्ट सं॰ 2911110003) में रेलवे दावा अधिकरण, राँची न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 23.8.2013 के निर्णय/आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह दावेदार का विनिर्दिष्ट मामला है कि मृतक नागेन्द्र उराव नगर उन्तरी जाने के लिए पटना से ट्रेन सं॰ 3348 पलामू एक्सप्रेस पर चढ़ा था।

उसके पास वैध टिकट था। कि वह गया में ट्रेन से उतरा और खाने-पीने की चीज एवं पेयजल खरीदने के बाद वह पुनः ट्रेन पर चढ़ा किंतु यात्रियों की भारी भीड़ के कारण वह अपनी सीट पर पहुँचने में अक्षम हुआ था और उसे डब्बा के गेट के निकट खड़ा रहना पड़ा था। यात्रियों की भीड़ एवं धक्का-मुक्की के कारण वह दुर्घटनावश इस्लामपुर एवं गुरुआ स्टेशन के बीच कि॰ मी॰ 195/17 एवं 195/19 के बीच चलती गाड़ी से गिर गया और इसके परिणामस्वरुप उसे उपहति आयी जिसका परिणाम घटनास्थल पर उसकी मृत्यु में हुआ।

3. यह तर्क किया गया है कि यह स्पष्ट है कि मृतक नगेन्द्र उराव के साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए दुर्घटना हुई और यह रेलवे प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए दिनांक 23.7.2011 के मेमो (परिशिष्ट-2) से समर्थित है जो दिनांक 23.7.2011 को रेल पी॰ एस॰ गया के साथ दर्ज यू॰ डी॰ केस सं॰ 54/2011 का आधार है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और जाँच किया गया था। जाँच रिपोर्ट स्वतंत्र गवाहों का बयान अंतर्विष्ट करती है और स्थापित करती है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटनावश ट्रेन से गिरने के कारण हुई।

सूचना पर, परिवार के सदस्य गया पहुँचे और पुलिस के पास लिखित रिपोर्ट दर्ज किया। पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और घटना का तरीका संपुष्ट करते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया। शव परीक्षण रिपोर्ट भी इसका समर्थन करती है। अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया है कि अधिकरण ने अटकलों पर मुआवजा देने से इनकार किया कि पायी गयी उपहतियाँ स्वकारित थी, अतः दावेदार मुआवजा का हकदार नहीं था क्योंकि मृत्यु किसी 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' के कारण नहीं थी जैसा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (c) (2) के अधीन परिभाषित किया गया है।

यह तर्क किया गया है कि विद्वान अधिकरण के निष्कर्ष मान्य नहीं हैं क्योंकि रेलवे प्राधिकारी द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घटना अधिनियम की धारा 124A (a-e) के अधीन अनुबंधित अपवादों के अंतर्गत आच्छादित थी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **(2004)0 Supreme (Kar) 17539 (श्रीमती लीलावथम्मा बनाम भारत संघ)** में निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि समरुप परिस्थितियों में, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सिद्ध करने कि यात्री वैध टिकट के बना यात्रा कर रहा था का भार इसे चुनौती दे रहे रेलवे प्राधिकारी पर है। पूर्वोक्त मामले में यह संप्रेक्षित किया गया था कि ट्रैक से शव बरामद करने के बाद शव रेलवे स्टेशन परिवहित किया गया था और तत्पश्चात शव परीक्षण के अध्यधीन किया गया था, तद्नुसार यह पाया गया था कि अनेक चरण हैं जिनमें शव संभाला गया था, अतः ऐसी प्रक्रिया के क्रम में ट्रेन टिकट का खोना सुस्पष्टीकृत और समझा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **(2009)0 Supreme (Kar) 22262 (भारत संघ महाप्रबंधक के प्रतिनिधित्व में दक्षिण रेलवे बनाम लीलाम्मा** में निर्णय पर विश्वास किया है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं निर्णयों की दृष्टि में आक्षेपित आदेश/निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और दावेदार रेलवे अधिनियम की धारा 124A के निबंधनानुसार मुआवजा का हकदार है।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी रेलवे के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि शब्द ''यात्री'' रेलवे अधिनियम की धारा 2 (29) में ''यात्री'' से अभिप्रेत है वैध पास या टिकट के साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति'' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि मृतक के पास वैध पास या टिकट नहीं पाया गया था और यह सिद्ध करने का भार आवेदक/दावेदार पर है कि मृतक वैध पास या टिकट के साथ यात्री ट्रेन में यात्रा करने वाला सद्भावपूर्ण यात्री था। यह प्रचारित किया गया

है कि जाँच रिपोर्ट (प्रदर्श R2) एवं थाना प्रभारी गया को दिनांक 14.1.2012 का पत्र (प्रदर्श R10) के मुताबिक यह कथन किया गया है कि ''अज्ञात ट्रेन से गिरने का संदेह है।'' कि विद्वान अधिकरण ने साक्ष्य को तौला एवं विश्लेषित किया है और सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि मृतक ने दरवाजे के बाहर झुकते हुए पोल से धक्का लगने पर उपहति पाया होगा, इस प्रकार मृतक की उपेक्षा के कारण उपहति पायी गयी थी, तद्नुसार यह रेलवे अधिनियम की धारा 123 (c) (2) के प्रावधानों के निबंधनानुसार दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, अतः आक्षेपित निर्णय/आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. सुना गया। आक्षेपित निर्णय/आदेश का परिशीलन किया गया। बेहतर अधिमूल्यन के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 123 (c) (2) को उद्धृत करना आवश्यक होगा जिसमें 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना', ''यात्री ट्रेन से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिरना'' के रूप में परिभाषित किया गया है।

दावेदार का यह विनिर्दिष्ट मामला है कि मृतक पटना में ट्रेन सं॰ 3348 पलामू एक्सप्रेस पर चढ़ा और नगर उन्तरी जा रहा था। यात्री गया में खाने-पीने की चीज खरीदने उतरा और तत्पश्चात ट्रेन पर चढ़ा किंतु यात्रियों की भीड़ के कारण उसे ट्रेन के डब्बा के गेट के निकट खड़ा रहना पड़ा था। यात्रियों की धक्का-मुक्की में वह दुर्घटनावश फिसल गया और 195/17 एवं 195/19 कि॰ मी॰ के बीच ट्रेन से गिर गया।

विद्वान अधिकरण ने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श R 5) को ध्यान में लिया है जिसमें उपहति ''दाएँ टेम्पोरल अस्थि पर 4" x 2" का विदीर्ण जख्म एवं हेमरेज के रूप में ध्यान में ली गयी है किंतु आश्चर्यजनक रूप से अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि उपहति निश्चय ही पोल से धक्का खाने के कारण पायी गयी होगी जब मृतक दरवाजा के बाहर झुका था। अधिकरण इस तथ्य से सहमत हुआ है कि मृतक ट्रेन में यात्रा कर रहा था। अधिकरण ने थाना प्रभारी, गया को संबोधित चंदा बेसरा के दिनांक 23.7.2011 के पत्र (परिशिष्ट 2) पर विचार नहीं किया है जिसमें ट्रेन से गिरने के कारण पायी गयी उपहति के कारण व्यक्ति की मृत्यु के बारे में कथन किया गया है। यह अभिवचन कि मृतक वैध पास या टिकट के बिना यात्रा कर रहा था और वह सद्भावपूर्ण यात्री नहीं था, कुस्थापित है क्योंकि यह सुनिश्चित करना रेलवे प्राधिकारी का कर्तव्य है कि व्यक्ति प्लेटफॉर्म टिकट के बिना प्लेटफॉर्म पर घूमे नहीं और वैध टिकट के बिना ट्रेन पर नहीं चढ़े और यदि यात्रियों को वैध टिकट के बिना यात्रा करता हुआ पाया जाता है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अभियोजित किया जाएगा। इन परिस्थितियों में, मैं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के साथ सहमत हूँ कि दुर्घटना और शव परीक्षण के लिए शव हटाए जाने के बाद अनेक चरण हैं जिसमें मृत शरीर संभाला जाता है और ऐसी स्थिति में, स्पष्टीकरण समझा जा सकता है कि ऐसे संभाले जाने के क्रम में टिकट खो गया होगा। अतः, टिकट प्रस्तुत नहीं किया जाना सिद्ध नहीं करता है कि मृतक सद्भावपूर्ण यात्री नहीं था। रेलवे प्राधिकारी ने यह तथ्य स्थापित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया है कि मृतक टिकट के बिना यात्रा कर रहा था अथवा उसने स्वयं पर उपहति कारित किया था अथवा दांडिक उपेक्षा के कारण उपहति पायी गयी थी।

7. यह विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना है कि धारा 124A के प्रावधान लाभकारी विधान के रूप में सम्मिलित किए गए हैं और ऐसी परिस्थितियों में, दावेदार को मुआवजा से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि तर्कपूर्ण साक्ष्य देकर दावेदार के अभिवचन को खंडित करने का भार रेलवे प्राधिकारी पर है।

अत:, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं यहाँ उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मृतक ट्रेन सं॰ 3348 (पलामू एक्सप्रेस) में यात्रा करने वाला यात्री था और चलती गाड़ी से गिरने के कारण पायी गयी उपहतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी, जो दस्तावेजों, शव परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस की अंतिम रिपोर्ट से समर्थित है। अत:, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मृतक की मृत्यु ''दुर्भाग्यपूर्ण घटना'' के कारण हुई जैसा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (c)(2) के अधीन परिभाषित किया गया है और दावेदार रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A के निबंधनानुसार मुआवजा का हकदार है। रेलवे प्रत्यर्थी रेलवे दुर्घटना एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना (मुआवजा) नियमावली, 1990 के नियम 4 की अनुसची के निबंधनानुसार 4,00,000 (चार लाख) रुपयों के सांविधिक दायित्व का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

8. प्रत्यर्थी रेलवे को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर आवेदन दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के साथ 4,00,000/- (चार लाख) रुपयों की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अनुबंधित अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, रेलवे दाखिली की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 9% ब्याज के साथ इस प्रकार प्रोद्भूत राशि पर इस आदेश की तिथि से 12% की दर पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

9. परिणामस्वरुप, अपील अनुज्ञात की जाती है और आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

धनेश्वर माँझी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1324 of 2007. Decided on 5th January, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 250 वर्ष 2004 में श्री शचिन्द्र कुमार पांडे, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ 1, पलामू द्वारा पारित दिनांक 9 अगस्त, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 10 अगस्त, 2007 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–घटना स्थल विवादित नहीं है–सूचक का साक्ष्य विश्वसनीय पाया गया–प्रासंगिक समय पर घटना स्थल, लोकेशन एवं गवाह की अवस्था का वर्णन करने में लघु विरोधाभास सूचक का साक्ष्य त्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है–दोषसिद्धि एकमात्र परिसाक्ष्य पर दर्ज की जा सकती है यदि यह अन्यथा विश्वसनीय है, विश्वासोत्पादक एवं विश्वास उत्पन्न करने वाला है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशत: अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 6 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Surendra Prasad Sinha, For the Appellants; Mr. Mukesh Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील दिनांक 19 सितम्बर, 2003 के लेसलीगंज पी॰ एस॰ केस सं॰ 64 वर्ष 2003, जी॰ आर॰ सं॰ 1244 वर्ष 2003 के तत्सम, से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 250 वर्ष 2004 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ 1, पलामू द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 9 अगस्त, 2007 एवं दिनांक 10 अगस्त, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित

है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने और प्रत्येक को 5000/- रुपया के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना का भुगतान करने के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 18 सितंबर, 2003 को अपराह्न लगभग 8 बजे जब मृतक हृदयानंद मांझी अपने घर के सामने चारपाई पर बैठा था, दोनों अपीलार्थी प्रकट हुए और धनेश्वर मांझी ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाया जिसके परिणामस्वरुप हृदयानंद मांझी ने उपहति पाया और गिर गया। सुमित्रा देवी (सूचक) जो मृतक की पत्नी है अपीलार्थियों के पीछे दौड़ी और वह कुछ अन्य अभियुक्तों जो घर के निकट छुपे थे को अपीलार्थियों से जुड़ते देख सकी थी। दिनांक 19 सितंबर, 2003 को सुमित्रा का फर्दबयान अपराह्न लगभग 3.30 बजे दर्ज किया गया था और लेसीलीगंज पी॰ एस॰ केस सं॰ 64 वर्ष 2003 दिनांकित 19 सितंबर, 2003, जी॰ आर॰ सं॰ 1244 वर्ष 2003 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 120B के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज किया गया था। सूचक ने अपीलार्थियों सहित नौ अभियुक्तों को नामित किया था।

पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया और मामले की सुपुर्दगी के बाद उनका विचारण किया गया था।

3. अपीलार्थियों को दिनांक 10 फरवरी, 2005 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था जबकि शेष सात अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल छह गवाहों का परीक्षण किया और दस्तावेजों जैसे फर्दबयान, औपचारिक प्राथमिकी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट आदि सिद्ध किया।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने विचारण के समापन पर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए शेष सात अभियुक्तों को यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषसिद्ध किया कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है, किंतु अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया, अतः यह अपील की गयी है।

4. अपीलार्थियों ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि सूचक सुमित्रा देवी के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित है। उसके बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं और इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने राम कुँवर अ॰ सा॰ 4 के बयान को निर्दिष्ट किया है जो मृतक की माता है और निवेदन किया कि सूचक चश्मदीद गवाह नहीं है। अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के पैरा 11 के अनुसार सूचक घर के अंदर खाना पका रही थी और, इसलिए, उसके पास घटना देखने का अवसर नहीं था। अ॰ सा॰ 4 ने कथन किया है कि गोली की आवाज सुनने के बाद वे सब घर के बाहर आए। पैरा 13 में, उसने कथन किया है कि उसने प्रहार नहीं देखा था। यदि ऐसा था, सुमित्रा देवी भी घटना नहीं देख सकती थी और, इसलिए, सूचक सुमित्रा देवी के साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि का निर्णय अपास्त किए जाने का दायी है।

5. अ॰ सा॰ 1 बाबूलाल मांझी एवं अ॰ सा॰ 4 राम कुमार अनुश्रुत गवाह है और उन्होंने उस तथ्य का अभिसाक्ष्य दिया है जो सूचक द्वारा उन्हें संसूचित किया गया था। अंत में यह तर्क किया गया था कि

किसी गवाह ने सिवाए इसके कि वह अपीलार्थी के साथ था, अपीलार्थी इंदेश द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्य के बारे में चर्चा भी नहीं किया गया है। स्वीकृत रूप से, अपीलार्थी इंदेश ने प्रहार में भाग नहीं लिया था। सूचक के बयान के अनुसार, अपीलार्थी धनेश्वर मांझी द्वारा केवल एक गोली चलायी गयी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों के विरुद्ध दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश अत्यन्त गलत, अवैध एवं अपास्त किए जाने का दायी है।

6. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का जोरदार विरोध किया है और निवेदन किया है कि सुमित्रा देवी (सुमित्रा कुँवर) अ॰ सा॰ 5 सूचक है और उसने अपने फर्दबयान में बनाए गए मामले का पूर्णत: समर्थन किया है। समय के प्रासंगिक बिंदु पर घटना स्थल, गवाहों की स्थिति एवं अवस्था का वर्णन करने में लघु विरोधाभास सूचक का परिसाक्ष्य त्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसका बयान संगत है कि धनेश्वर मांझी इंदेश के साथ घटनास्थल पर आया जहाँ मृतक अपने घर के सामने चारपाई पर बैठा था। उसका यह बयान भी संगत है कि धनेश्वर मांझी ने गोली चलाया और मृतक हृदयानंद मांझी को उपहति कारित किया जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। दोषसिद्धि एकमात्र परिसाक्ष्य पर दर्ज की जा सकती है यदि यह अन्यथा विश्वसनीय एवं विश्वासोत्पादक है।

7. हमने आक्षेपित निर्णय, गवाहों के अभिसाक्ष्य, चिन्हित प्रदर्श एवं सिद्ध किए गए दस्तावेजों एवं अवर न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है। बाबूलाल मांझी अ॰ सा॰ 1 मृतक का भाई है और उसे सूचक सुमित्रा देवी द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था। ऐसी सूचना प्राप्त करने पर, वह अपने भाई के घर की ओर भागा और हृदयानंद मांझी को अपने शरीर पर उपहति पाए जमीन पर पड़े देखा। इस गवाह ने अन्य अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता के बारे में भी सूचित किया था जिन्हें आरोप-पत्रित किया गया है। इस गवाह ने वह सूचना उद्धृत किया है जो उसने सूचक से पाया था। अ॰ सा॰ 2 बसन्त शुक्ला एवं अ॰ सा॰ 3 राज किशोर शुक्ला औपचारिक गवाह है।

स्वीकृत रूप से, सूचक सुमित्रा देवी के बयान पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दर्ज की गयी है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा किया गया निवेदन समर्थन पाता है कि सुमित्रा का बयान इस बिंदु पर संगत है कि धनेश्वर मांझी ने आग्नेयास्त्र का उपयोग करके मृतक को उपहति कारित किया था। बचाव अधिवक्ता सूचक के मुँह से कोई भी तात्विक विरोधाभास निकालने में सफल नहीं हुए हैं। उसका विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया था, किंतु वह टॉर्च की उपलब्धता, ढाबा एवं अपने घर का लोकेशन के संबंध में लघु विरोधाभास को छोड़कर अपना प्रति परीक्षण की परीक्षा में खरी उतरी। घटनास्थल अर्थात् मृतक का घर विवादित नहीं है। प्रहार के समय पर घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति पर अविश्वास करने के लिए सूचक के मुँह से कुछ भी तात्विक नहीं निकाला गया है।

8. यह प्रकट है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया है बल्कि केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी इंदेश मांझी ने प्रहार में भाग नहीं लिया था। उसे केवल इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया है कि वह घटना के समय पर धनेश्वर मांझी के साथ था। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि धनेश्वर एवं इंदेश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा

302/149 के अधीन आरोप शेष सात अभियुक्तों के विरूद्ध विरचित किया गया था जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को लचीला बनाते हुए भी हम अपीलार्थी सं॰ 2 इंदेश मांझी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं कर सकते थे।

परिणामस्वरुप, हमारा मत है कि अपीलार्थी सं॰ 2 इंदेश मांझी दोषमुक्ति योग्य है और उसके विरुद्ध विरचित आरोप अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। तद्नुसार, हम अपीलार्थी सं॰ 2 इंदेश मांझी के पक्ष में दोषमुक्ति का आदेश दर्ज करते हैं और सत्र विचारण सं॰ 250 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ 1, पलामू द्वारा उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है। चूँकि इंदेश मांझी जमानत पर है, उसे जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है और स्वतंत्र किया जाता है।

9. जहाँ तक अपीलार्थी धनेश्वर मांझी का संबंध है। प्रत्यक्ष अभिकथन है कि उसने हृदयनाथ मांझी को उपहति कारित करते हुए गोली चलायी, जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी और इस बिंदु पर साक्ष्य संगत एवं विश्वसनीय है। अपीलार्थी सं॰ 1 धनेश्वर मांझी की अपील विफल होती है और सत्र विचारण सं॰ 250 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ 1, पलामू द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सोमो कुजुर

cuke

श्रीमती अभिरामा झा एवं अन्य

W.P.(C) Case No. 2971 of 2012. Decided on 10th March, 2016.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 78—विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर का सत्यापन–वादीगण/याची पत्नी के ससुरालवाले उस व्यक्ति जिसकी उग्रवादी हिंसा में हत्या कर दी गयी थी के साथ याची का विवाह विवादित कर रहे हैं–प्रधान जिला न्यायाधीश ने पाया है कि याची द्वारा प्रस्तुत विवाह प्रमाण पत्र अभिलेख एवं इसकी संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण रखने वाले किसी की मदद से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा बदला गया था–विचारण न्यायालय को रिपोर्ट का संज्ञान लेने एवं विधि के अनुरुप अग्रसर होने की आवश्यकता है–रिट याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; J.C. to S.C. Mines, For the Respondents.

आदेश

याची एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। यद्यपि प्राइवेट प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए हैं किंतु पूर्व तिथि पर वे अनुपस्थित थे और आज भी वे उपस्थित नहीं हैं।

2. वर्तमान रिट आवेदन में उद्भूत विवाद का आधार प्रतिवादी/वर्तमान याची द्वारा प्रस्तुत विवाह प्रमाण पत्र जिसे विचारण की कार्यवाही के दौरान अभिकथित रूप से बदल दिया गया है के संबंध में है।

याची–पत्नी के ससुराल वालों/वादीगण ने यह डिक्री इप्सित करते हुए कि प्रतिवादी स्वर्गीय आनन्द कुमार झा की विधिवत् ब्याहता पत्नी नहीं है और वादीगण आनन्द कुमार झा, जिसकी हत्या वादियों के अनुसार अभिकथित रूप से एम॰ सी॰ सी॰ आतंकवादी समूह द्वारा की गयी थी, की मृत्यु के कारण सरकार द्वारा प्रदान किए गए समस्त लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं, मुंसिफ, लोहरदग्गा के न्यायालय में अभिधान वाद सं॰ 39 वर्ष 2004 संस्थित किया। मृतक का परिवार अन्य मुआवजा के अतिरिक्त सरकारी नौकरी का हकदार है। इन आधारभूत तथ्यों में, उन्होंने घोषणा कि प्रतिवादी/वर्तमान याची उक्त आनन्द कुमार झा की विधिवत् ब्याहता पत्नी नहीं है से संबंधित विचारण न्यायालय से पूर्वोक्त अनुतोष इप्सित किया।

3. वादीगण ने प्रतिवादी/वर्तमान याची द्वारा दिए गए विवाह प्रमाण पत्र प्रदर्श A को जांच के लिए भेजने तथा टंकण की आयु और विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भेजने के लिए आवेदन दिया। प्रतिवादी ने उक्त आवेदन पर सुनवाई के दौरान प्रदर्श A की छाया प्रतिलिपि प्रस्तुत किया था और प्रतिवाद किया था कि मूल दस्तावेज (प्रदर्श A) हटा दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों दस्तावेजों के परिशीलन पर दिनांक 5.2.2011 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 3) द्वारा इस मत पर आया कि पुजारी राम प्रसाद पांडे का हस्ताक्षर दोनों दस्तावेजों में भिन्न है। इसने यह भी पाया कि उक्त राम प्रसाद पांडे अब जीवित नहीं है। अत: पुजारी का हस्ताक्षर उक्त पुजारी राम प्रसाद पांडे के स्वीकृत हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी सं॰ 1 को ब॰ सा॰ 1 दशरथ पांडे को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसने दिनांक 3.12.1997 के पहले उक्त पुजारी द्वारा हस्ताक्षरित किसी निजी दस्तावेज अथवा किसी विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति के रूप में पुजारी का हस्ताक्षर धारण करने वाले दस्तावेज के साथ प्रदर्श A पहले सिद्ध किया था। उसके बाद पुजारी का स्वीकृत हस्ताक्षर और प्रदर्श A पर हस्ताक्षर पक्षों के व्यय पर विशेषज्ञ के मत के लिए भेजा जाएगा।

4. परिशिष्ट 6 पर दिनांक 29.3.2012 के एक अन्य आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय इस मत पर आया कि ब॰ सा॰ 1 दशरथ पांडे ने अब तक दिनांक 5.2.2011 के आदेश का अनुपालन नहीं किया था। अत: इसने ब॰ सा॰ 1 को अपने पिता द्वारा निष्पादित किसी विक्रय विलेख अथवा राम प्रसाद पांडे के हस्ताक्षर को अंतर्विष्ट करने वाले किसी प्रामाणिक दस्तावेज को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

5. जब दिनांक 5.10.2012 को पहली बार इस न्यायालय द्वारा यह मामला लिया गया था, टी॰ एस॰ सं॰ 39 वर्ष 2004 के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए निम्नलिखित आदेश दर्ज किया गया था:–

> *^^;kph u oreku ;kfpdk d :i e vfHkèkku okn l0 39 o"k 2004 e fo}ku efl Q] ykgjnXxk }kjk ikfjr fnukd 5.5.2012 d vkn'k dk vfHk[kfMr ,o vkLr dju d fy, lefpr fjV@vkn'k@fun'k tkjh dju d fy, çkFkuk fd;k g ft ld }kjk ;kph dk mDr i tkjh }kjk gLrk{kfjr fdlh futh nLrkot ij vFkok foØ; foy[k dh fdlh çek.k if=r çfr ij i tkjh ft lu ;kph dk fookg çek.k i= tkjh fd;k Fkk d gLrk{kj d lkFk cpko xokg l0 1 dk çLrr dju dk fun'k fn;k x;k gA fo}ku voj U;k;ky; u vkx fun'k fn;k g fd i tkjh dk LohÑr gLrk{kj ,o çn'k A ij gLrk{kj fo'k"kK d er d fy, Hktk tk,A*
>
> *;kph d fo}ku vfèkoDrk dk luu ij vkj vk{kfir vkn'k rFkk ;kfpdk d lkFk lyXu vU; dkxtkrk d ifj'khyu ij çR;Fkh l0 1 l 4 dk ,0@Mh0 d lkFk jftLVM ikLV rFkk lkekU; çfØ;k }kjk vR;ko';d ukfVl tkjh fd;k tk, ft ld fy, ,d llrkg d Hkhrj vè;if{kr] vkfn nkf[ky djuk gkxkA*

ukfVl fnukd 2 uocj] 2012 rd okil fd, tku ;kX; gA

*bl ekey dk fnukd uoEcj 2, 2012 d fy, j[kk tk,] ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k dk è;ku e j[kdj rnrfje vkn'k d :i e] vxyh okil fd, tku dh frfFk vFkkr fnukd 2 uocj] 2012 rd ;FkkfLFkfr] tlk vkt d fnu ij g] fo}ku eflQ] ykgjnXxk d le{k yfcr vfHkèkku okn lO 39 o"k 2004 dh dk;okgh d lcèk e cuk;h j[kh tk,A**

6. नोटिस पर प्राइवेट प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए और अपना प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया। दिनांक 8.5.2013 के अंतरिम आदेश द्वारा विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश को मामले पर विचार करने एवं किए गए अभिकथनों, जिनके अन्वेषण की आवश्यकता थी, की गंभीरता की दृष्टि में समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और पक्षों को विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा आदेशित जाँच, यदि हो, में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया था। रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद, पुनः दिनांक 21.11.2013 के आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायालय, लोहरदग्गा को मामले में साक्ष्य देने के लिए दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर देने के बाद मामले में पुनः जाँच करने और यह भी जाँचने कि उक्त प्रमाण पत्र बाद में बदला गया है या नहीं का निर्देश दिया गया था। पूर्व रिपोर्ट पर विचार करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि निष्कर्ष कि दिनांक 3.12.1997 का विवाह प्रमाण पत्र सही है देने का आधार रिपोर्ट से परिलक्षित नहीं होता है। तत्पश्चात, प्रधान जिला न्यायाधीश, लोहरदग्गा ने फ्लैग एफ० पर प्रस्तुत दिनांक 12.8.2014 का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। दोनों पक्षों को प्रदर्श A से संबंधित जाँच की विषय वस्तु के संबंध में अपना साक्ष्य एवं निवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रधान जिला न्यायाधीश, लोहरदग्गा द्वारा दिया गया था। परस्पर विरोधी पक्षों द्वारा की गयी प्रस्तुति को विस्तारपूर्वक निर्दिष्ट करने के बाद और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों पर विचार करने पर प्रधान जिला न्यायाधीश रिपोर्ट के पैरा 17 में निम्नलिखित निष्कर्ष पर आए हैं:–

"ijk 17:—bu ifjfLFkfr;k e] tlk mij fufn"V ,o fopkj fd;k x;k g] ;g çrhr gkrk g fd çfroknh lkek dtj u fookg çek.k i= nkf[ky fd;k g ftld okLrfod gku dk nkok og djrh g vkj bl çnf'kr Hkh fd;k x;k Fkk fdr rRi'pkr vfHky[k ,o bldh lcfèkr xfrfofèk ij fu;=.k j[ku oky fdlh d enn l fgrc) 0;fDr }kjk oreku çn'k A }kjk cnyk x;k FkkA

*bu 'kCnk d lkFk e mij fufn"V i= ,o ekuuh; U;k;ky; d vkn'k d vuikyu e viuk fjikV ekuuh; U;k;ky; }kjk fopkj fd, tku d fy, çLrr dj jgk gA**

7. पूर्वोक्त तथ्यों का दिग्दर्शन प्रकट करता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित जाँच के बाद, विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश, लोहरदग्गा ने पाया है कि प्रतिवादी/वर्तमान याची द्वारा प्रस्तुत विवाह प्रमाण पत्र प्रदर्श A तत्पश्चात अभिलेख एवं इसकी संबंधित गतिविधि पर नियंत्रण रखने वाले किसी के मदद से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा बदला गया है। यह रिपोर्ट उपदर्शित करती है कि विचारण न्यायालय अभिलेख में प्रक्षेपांश किया गया है जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय XI के अधीन संज्ञेय अपराध है। ऐसी परिस्थितियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXVI विनिर्दिष्टतः धारा 34, के अधीन विहित की गयी है।

8. अतः विद्वान विचारण न्यायालय को रिपोर्ट का संज्ञान लेने और मामले में विधि के अनुरुप अग्रसर होने की आवश्यकता है। प्रदर्श A स्वयं के विचारण न्यायालय के अभिलेख से बदला गया पाए जाने पर

अब पुजारी राम प्रसाद पांडे के किसी स्वीकृत हस्ताक्षर के साथ उक्त प्रदर्श A (बदला गया दर्शाया गया) के हस्ताक्षर की तुलना के लिए ब॰ सा॰ 1 दशरथ पांडे की पेशी पर जोर देने का औचित्य विचारण न्यायालय के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, परिशिष्ट 3 एवं परिशिष्ट 6 पर क्रमश: दिनांक 5.2.2011 और दिनांक 29.3.2012 के आक्षेपित आदेशों को विधि की दृष्टि में अब मान्य नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर मौजूद अन्य समस्त सामग्री एवं पक्षों के साक्ष्य के आधार पर मामले में अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र है।

9. इस तरीके से और यहाँ उपर उपदर्शित सीमा तक रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है। आई॰ ए॰ सं॰ 824 वर्ष 2016 भी निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mh॰ ,u॰ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

बबेश मुर्मु

cuke

झारखंड राज्य

Criminal (Jail) Appeal (DB) No. 1329 of 2007. Decided on 5th February, 2016.

जी॰ आर॰ केस सं॰ 341 वर्ष 2004, पाकुड़ (एम॰) थाना केस सं॰ 160 वर्ष 2004 के तत्सम सत्र केस सं॰ 154 वर्ष 2004 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 325—हत्या एवं घोर उपहति–दोषसिद्धि–अपराध जिसे घर के अंदर किया जाता है, में स्वतंत्र गवाहों की उपलब्धता सदैव दूरस्थ होती है–ऐसे मामले में जिसमें चश्मदीद गवाह का परिसाक्ष्य विश्वसनीय एवं विश्वासोत्पादक स्वीकार किया गया है, अन्वेषण के दौरान आई॰ ओ॰ द्वारा की गयी छोटी चूकों को अनदेखा किया जाना है–घटना स्थल से रक्त के धब्बों की गैर-जब्ती अथवा स्केच मैप तैयार नहीं किया जाना अभियोजन मामले को अविश्वसनीय नहीं बनाएगा–दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहराया गया। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Hardeo Prasad Singh, Amicus Curiae, For the Appellant; Mr. Sanjay Kumar Pandey, For the O.P..

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील सत्र मामला सं॰ 154 वर्ष 2004 पाकुड़ (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 160 वर्ष 2004 से उद्‌भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 341 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 19 सितंबर, 2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा कारा से दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 325 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास भुगतने एवं 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. दिनांक 28.8.2004 को प्रात: 6 बजे पी॰ एस, पाकुड़ (मुफ्फसिल) के अंतर्गत ग्राम धरसुंडी में दर्ज छित्ता मरान्डी के फर्दबयान से सामने आने वाला अभियोजन का मामला यह है कि फर्दबयान दर्ज करने के एक दिन पहले अर्थात् शुक्रवार को अपीलार्थी बबेश मुर्मु ने लोहे की छड़ की मदद से गुर्गु मुर्मु (सूचक का पति) पर प्रहार कारित किया और गुर्गु मुर्मु को उपहति कारित किया। लोहे की छड़ से एक वार उसकी टांगों पर किया गया था। जब सूचक अपने पति को बचाने आयी, उस पर भी लोहे की छड़ से प्रहार किया गया था और उसे अपने हाथों पर फ्रैक्चर की उपहति आयी। घटना के पीछे का कारण यह दिया गया है कि अपीलार्थी बबेश मुर्मु एवं गुर्गु मुर्मु (मृतक) सगे भाई हैं और गुर्गु मुर्मु, (मृतक) अभिकथन कर रहा था कि अपीलार्थी ने उसका मुर्गी खा लिया था। फर्दबयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307 के अधीन पाकुड़ (मुफ्फसिल) पी॰ एस॰ केस सं॰ 160 वर्ष 2004 दर्ज किया गया था। पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र मामला सं॰ 154 वर्ष 2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

3. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया। आरोपों का विषय वस्तु अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण किया और फर्दबयान, उपहति रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची आदि जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने विचारण के समापन पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 325 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और दंडादेश दिया जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

5. विद्वान अधिवक्ता श्री हरदेव प्रसाद सिंह को न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. अपीलार्थी ने मुख्यत: इस आधार पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है कि अभियोजन मामला एकमात्र चश्मदीद गवाह पर आधारित है जो और कोई नहीं बल्कि मृतक की पत्नी है। उसका बयान पूर्णत: विश्वसनीय नहीं है। उसके बयान में असंगति है और विरोधाभास भी सामने आ रहे हैं। फर्दबयान में दिया गया बयान सुझाता है कि मुर्गी खाने के संबंध में विवाद स्वयं घटना की तिथि पर ही उद्भूत हुआ था पर, प्रतिपरीक्षा में वह कहती है कि घटना की तिथि पर दोनों भाईयों के बीच झगड़ा नहीं हुआ था। मुर्गी खाने की घटना घटना की तिथि के पहले की थी। अपने फर्दबयान में वह कहती है कि अपीलार्थी लोहे की छड़ लाया और मृतक के शरीर पर प्रहार किया किंतु, न्यायालय में अपने बयान में वह कहती है कि अपीलार्थी की पत्नी ने छड़ लाया था और इसे अपने पति बबेश (अपीलार्थी) को सौंपा था। इस विरोधाभास को अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 6 को निर्दिष्ट किया गया था और उसने निष्पक्षत: स्वीकार किया कि अ॰ सा॰ 1 ने उसके समक्ष ऐसा बयान नहीं दिया था।

सूचक ने दो व्यक्तियों पोरोगन बास्की एवं मांझी मुर्मु को नामित किया था जिनकी उपस्थिति में उसका बयान उसके आंगन में दर्ज किया गया था किंतु, वे दोनों व्यक्ति सूचक के विवरण का समर्थन करने आगे नहीं आए हैं। अ॰ सा॰ 6 द्वारा किया गया अन्वेषण लापरवाह प्रतीत होता है। यह प्रकट किया गया है कि अपराध की कारिता के लिए प्रयुक्त लोहे की छड़ जब्त की गयी थी किंतु इसे इसके रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। इसी प्रकार से, अन्वेषण अधिकारी ने घटना

स्थल का स्केच मैप तैयार नहीं किया था अथवा जमीन पर गिरे रक्त को संग्रहित नहीं किया था। यद्यपि, सूचक ने स्पष्टत: कथन किया है कि रक्त जमीन पर गिरा था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अ॰ सा॰ 1 के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करके घोर गलती किया है।

7. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्कों का विरोध किया एवं निवेदन किया कि घटना मृतक के घर के अंदर हुई और मृतक की पत्नी जो घायल भी है बिल्कुल स्वाभाविक गवाह है और उसका परिसाक्ष्य केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वह मृतक की पत्नी है और अत्यन्त हितबद्ध गवाह है। यह तर्क भी किया गया है कि अपीलार्थी एवं मृतक और कोई नहीं बल्कि सगे भाई हैं और वे आदिवासी हैं। यह अनुभव किया गया है कि अज्ञानता एवं गरीबी के कारण छोटे-मोटे कारण से हत्या जैसा अपराध किया जा रहा है, किंतु तब कानून अपना रास्ता लेगा और अपराधी मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अ॰ सा॰ 1 का साक्ष्य बिल्कुल विश्वसनीय है। उसने घटना में उपहति पाया था और उसको कारित उपहति अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य से समर्थन पाती है। सूचक का चाक्षुक विवरण डॉ॰ बिंदु भूषण अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य से भी समर्थन पाता है जिन्होंने गुर्गु मुर्मु के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था। आई॰ ओ॰ ने फर्दबयान मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है और अपने द्वारा किए गए अन्वेषण का वर्णन किया है। इस अपील में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने की दायी है।

8. हमने मामले के अभिलेख का परीक्षण किया है, उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया है और आक्षेपित निर्णय का भी परिशीलन किया है। नि:संदेह, अभियोजन मामला अ॰ सा॰ 1 छित्ता मरान्डी (सूचक) के साक्ष्य पर मुख्यत: आधारित है। उसने कथन किया है कि अपराह्न 2 बजे दोनों भाईयों बबेश (अपीलार्थी) एवं गुर्गु (मृतक) के बीच मुर्गी खाने के छाटे-मोटे कारण से कुछ झगड़ा हुआ था। तत्पश्चात, बबेश मुर्मु अपने घर से लोहे का छड़ लाया और अपने भाई गुर्गु मुर्मु पर उसके मस्तक पर प्रहार कारित किया। उसने आगे लोहे की छड़ से मृतक के पैर पर वार किया। जब सूचक ने मध्यक्षेप किया, उसे भी अपीलार्थी द्वारा प्रहार के अध्यधीन किया गया था और उसे अपने हाथ पर फ्रैक्चर की उपहति आयी थी। सूचक द्वारा किया गया प्रतिवाद न्यायालय में उसके अभिसाक्ष्य से समर्थन पाता है। सूचक का चाक्षुक विवरण आगे अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्यों से समर्थन पाता है जिन्होंने उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 1 एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 2 सिद्ध किया है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने सही प्रकार से निवेदन किया हैं कि किसी अपराध जिसे घर के अंदर किया जाता है में स्वतंत्र गवाह की उपलब्धता सदैव दूरस्थ होती है। हम बिल्कुल सहमत है कि गृह परिसर के भीतर किए गए अपराध में घर में उपस्थित सदस्य एवं संबंधी सर्वाधिक विश्वसनीय गवाह होते हैं। वर्तमान मामले में, मृतक की पत्नी अ॰ सा॰ 1 है और उसने घटना का विवरण दिया है जो उसने देखा था और वह घटना की पीड़िता भी है। हम नहीं पाते हैं कि घटना के समय पर किसी अन्य गवाह की उपस्थिति अभिलेख पर लायी गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकाशमान विरोधाभास घातक प्रतीत नहीं होता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि क्या अपराध की कारिता के लिए प्रयुक्त लोहे की छड़ स्वयं अपीलार्थी द्वारा लायी गयी थी अथवा इसे उसकी पत्नी द्वारा सौंपी गयी थी। ऐसे मामले में, जिसमें चश्मदीद गवाह के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय एवं विश्वासोत्पादक स्वीकार किया गया है, अन्वेषण के क्रम में अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गयी छोटी-मोटी चूकों को अनदेखा किया जाना है। घटनास्थल से रक्त के धब्बों की गैर जब्ती अथवा स्केच मैप की गैर-प्रस्तुती अभियोजन मामला अविश्वसनीय नहीं बनाएगा। आई॰ ओ॰ ने फर्दबयान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध किया है और उसने

इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि अपीलार्थी ने अपना दोष स्वीकार किया है और अपराध करने में प्रयुक्त लोहे की छड़ प्रस्तुत किया था। हम अभियोजन साक्ष्य पूर्णतः अक्षुण्ण पाते हैं और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 1 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए कोई सामग्री अथवा संपूर्ण अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए अभियोजन की ओर से कोई महत्वपूर्ण ढिलाई नहीं लाया था।

9. हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं। परिणामस्वरुप, अपील खारिज की जाती है और सत्र मामला सं॰ 154 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ केस सं॰ 341 वर्ष 2004, पाकुड़ (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 160 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 19 सितंबर, 2005 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है।

10. विद्वान अधिवक्ता श्री हरदेव प्रसाद सिंह न्यायालय की सहायता करने के लिए झालसा से अध्यपेक्षित फीस प्राप्त करने के हकदार हैं।

---

ekuuh; vkjh vkjh çlkn] U;k;efr

उषा सिंह एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 184 of 2014. Decided on 27th November, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420/423/424/467/468/469/471/477/201/120B/109 सह-पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएँ 13 (1) (d) एवं 13 (2)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—कूटरचना, छल एवं दुर्विनियोग—संज्ञान—समरुप स्थिति में यह अभिनिर्धारित करने के बाद संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित कर दिया गया था कि ऐसा कोई अपराध जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है नहीं बनाया गया था—याचीगण से संबंधित संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.—M/s K.K. Ojha, Rakesh Kumar, For the Petitioner; Mr. Shailesh, For the Vigilance.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं निगरानी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन तत्कालीन विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.11.2009 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याचीगण सहित अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420/423/424/467/468/469/471/477/201/120B/109 के अधीन एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13 (1) (d) सहपठित 13 (2) के अधीन भी दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है, सहित निगरानी केस सं॰ 33 वर्ष 2002 (विशेष केस सं॰ 38 वर्ष 2002) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

3. इस आवेदन को उद्भूत करने वाले तथ्य ये हैं कि मौजा अरगोरा अवस्थित खाता सं॰ 268, भूखंड सं॰ 2983 से संबंधित 1.8 एकड़ माप वाली भूमि अधिकार अभिलेख में गैरमजरुआ मालिक के रूप में दर्ज की गयी थी। किंतु, वर्ष 1970-71 में उस भूमि के विरुद्ध दो लगान रसीदें सामू साव के नाम में जारी की गयी थी। उसकी मृत्यु के बाद, उसके पुत्र चंदन साव ने संपत्ति विरासत में पाया और वर्ष

1982-83 में पूर्वोक्त भूमि के विरुद्ध अपना नाम नामांतरित करवाया। समय के क्रम में, चंदन साव ने 0.49 एकड़ एवं 0.59 एकड़ भूमि पृथक रूप से जय भवानी सहकारी सोसाइटी के तत्कालीन सचिव महावीर काशी को वर्ष 1988-91 में बेचा जिसने क्रय की गयी भूमि के विरुद्ध अपना नाम नामांतरित करवाया। महावीर काशी ने दिनांक 16.5.1990 एवं दिनांक 22.10.1990 को इन याचीगण सहित दस व्यक्तियों को भूमि बेचा जिन्होंने अपना नाम नामांतरित करवाया और तद्नुसार उनके नाम में रजिस्टर II खोला गया था।

4. चूँकि आरंभ में भूमि गैर मजरुआ मालिक के रूप में दर्ज की गयी थी, विभिन्न व्यक्तियों को भूमि का अंतरण अवैध माना गया था और, इसलिए, इस अभिकथन पर कि उन समस्त व्यक्तियों ने कूटरचना, छल एवं दुर्विनियोग, आदि का अपराध किया है, इंस्पेक्टर, निगरानी की द्वारा इन याचीगण सहित 23 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

5. आरोप पत्र दाखिल करने पर, पूर्वोक्तानुसार दिनांक 13.1.2010 के आदेश के तहत याचीगण के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया गया था जो चुनौती के अधीन है।

6. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि आरंभ में भूमि गैरमजरुआ मालिक के रूप में दर्ज की गयी थी किंतु उस भूमि के संबंध में सामू साव के पक्ष में लगान रसीदें जारी की गयी थीं। उसकी मृत्यु के बाद, उसके पुत्र चंदन साव ने संपत्ति विरासत में पाया और उस भूमि के विरुद्ध अपना नाम नामांतरित करवाया और उसके नाम में रजिस्टर II खोला भी गया था। इस पर, उसने जय भवानी सहकारी सोसाइटी के तत्कालीन सचिव महावीर काशी को भूमि अंतरित किया जिसने पुनः इन याचीगण सहित विभिन्न व्यक्तियों को भूमि बेचा और तद्द्वारा याचीगण को छल, कूटरचना अथवा दुर्विनियोग का कोई अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है और न ही उन्हें दांडिक अवचार का अपराध करने के लिए सरकारी अधिकारियों को दुष्प्रेरित करता कहा जा सकता है और तद्द्वारा याचीगण को भारतीय दंड संहिता अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी अपराध की कारिता का जिम्मेदार अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।

7. आगे यह निवेदन किया गया था कि याचीगण ने यह जानने के बाद कि भूमि जय भवानी सहकारी सोसाइटी के सचिव के नाम में दर्ज की गयी है, इसे खरीदा और तद्द्वारा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है जिसके अधीन अपराधों का संज्ञान लिया गया है और, इसलिए, संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है।

8. इसके विरुद्ध, निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ मालिक के रूप में दर्ज की गयी थी जिस भूमि को सामू साव को बंदोबस्त कभी नहीं किया गया था, फिर भी सामू साव उस भूमि के विरुद्ध अपने पक्ष में लगान रसीदें जारी करवाने में सफल हुआ और तब सरकारी अधिकारियों की मौनानुकूलता से उसने प्रश्नगत भूमि के विरुद्ध अपना नाम नामांतरित करवाया। उसकी मृत्यु के बाद, उसके पुत्र चंदन साव ने संपत्ति विरासत में पाया। उसने भी सरकारी अधिकारियों की मौनानुकूलता से अवैध साधनों द्वारा उस भूमि को अपने नाम में नामांतरित करवाया। यही मामला पश्चातवर्ती अंतरितियों और याचीगण का भी है और तद्द्वारा याचीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है जिस पर अपराधों का संज्ञान लिया गया है जिसे इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में अवैध नहीं कहा जा सकता है।

9. आगे यह निवेदन किया गया था कि सरकारी अधिकारियों सहित समस्त अभियुक्तों की सहअपराधिता इस तथ्य से स्पष्ट होगी कि प्रासंगिक अभिलेख गायब हैं।

10. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर यह प्रतीत होता है कि समरुप स्थिति में जब श्रीमती गीता दास, कुमुद कुमारी एवं सुषमा देवी, जो भी वे व्यक्ति थे जिन्होंने महावीर काशी से भूमि खरीदा था, जब संज्ञान लेने वाला आदेश के अभिखंडन के लिए इस न्यायालय के पास आए, यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि ऐसा कोई अपराध जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है, नहीं बनता है, संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित कर दिया गया था।

11. इसमें दिए गए कारणों से, जहाँ तक इन दो याचीगण का संबंध हैं, संज्ञान लेने वाला आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

12. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] U;k;efr

झारखंड राज्य

cuke

महेश चंद्र मंडल एवं अन्य

Civil Rev. No. 9 of 2013. Decided on 22nd January, 2015.

विद्यालय विधियाँ–प्रोन्नति–सेवानिवृत्ति के बाद प्राचार्य के रूप में प्रोन्नति वापस इस आधार पर लेना कि प्रत्यर्थी का एम॰ ए॰ प्रमाणपत्र/अंकपत्र कूटरचित था–प्रख्यान मात्र का विधि के न्यायालय में मूल्य नहीं है जब तक प्राख्यानों एवं अभिकथनों को सिद्ध नहीं किया जाता है–राज्य यह इंगित करने में विफल रहा है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध दांडिक मामला आज भी चल रहा है–पुनरीक्षण आवेदन खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Deepak Kr. Prasad, J.C to G.P. II, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

यह सिविल पुनरीक्षण आवेदन डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1847 वर्ष 2003 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 जून, 2009 के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए दाखिल किया गया है। मूल प्रत्यर्थी द्वारा यह आवेदन दाखिल किया गया है।

2. याची के अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रत्यर्थी (मूल याची) को वर्ष 1962 में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 1 जून, 1999 को उसे प्राचार्य के रूप में प्रोन्नत किया गया था। दिनांक 30 सितंबर, 2001 को वह सेवानिवृत्त हुआ और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उसको प्रधानाध्यापक के रूप में प्रदान की गयी प्रोन्नति दिनांक 5 फरवरी, 2003 के आदेश के तहत इस अभिकथन पर रद्द की गयी थी कि वर्तमान प्रत्यर्थी (मूल याची) का स्नातकोत्तर कला प्रमाण पत्र/अंक पत्र कूटरचित था।

3. इस अभिकथन के आधार पर मूल याची को प्रधानाध्यापक के रूप में दिनांक 1 जून, 1999 के प्रभाव से प्रदान की गयी प्रोन्नति दिनांक 5 फरवरी, 2003 को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद (सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30 सितंबर, 2001 है) वापस ले ली गयी थी और इसलिए, दिनांक 5 फरवरी, 2003 के प्रोन्नति को वापस लेने वाले आदेश को चुनौती देते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1847 वर्ष 2003 दाखिल किया गया था।

4. इस न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है और दिनांक 25 जून, 2009 के आदेश (जिसका पुनर्विलोकन इप्सित किया गया है) के तहत यह संप्रेक्षित किया

गया है कि मूल याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में अन्वेषण एजेन्सी द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट दाखिल किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था और इसलिए प्रोन्नति वापस लेने का आधार ही गलत पाया गया था। सिविल पक्ष पर भी न तो कोई विभागीय कार्यवाही की गयी थी और न ही मूल याची को कोई नोटिस दिया गया था। इस प्रकार, न तो सिविल और न ही दांडिक पक्ष पर कूट रचना का अभिकथन मूल प्रत्यर्थियों द्वारा स्थापित किया जा सका था और इसलिए इस न्यायालय ने दिनांक 25 जून, 2009 के आदेश के तहत दिनांक 5 फरवरी, 2003 का आदेश अपास्त कर दिया जिसके तहत मूल याची की प्रोन्नति वापस ले ली गयी थी।

5. वर्तमान आवेदक (मूल प्रत्यर्थी) के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि एक रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2221 वर्ष 2003 में वर्तमान प्रत्यर्थी (मूल याची) ने बी॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान के अधीन ग्रेड IV से ग्रेड V एवं ग्रेड VII में प्रोन्नति की प्रार्थना किया था। यह रिट याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2009 को खारिज कर दी गयी थी और वर्तमान प्रत्यर्थी (मूल याची) द्वारा इन घटनाक्रमों को इंगित नहीं किया गया था जब न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1847 वर्ष 2003 में दिनांक 25 जून, 2009 का आदेश पारित किया। इस पुनर्विलोकन आवेदन को दाखिल करने का यह मुख्य कारण है।

हम निम्नलिखित कारणों से इस प्रतिवाद को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है:–

*^^eyk ukfLr drk 'kk[kk**

वर्तमान प्रत्यर्थी (मूल याची) को दिनांक 5 फरवरी, 2003 को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान की गयी प्रोन्नति वापस लेने का आधार अर्थात् कूटरचना अब अस्तित्व में नहीं है जैसा दिनांक 25 जून, 2009 के आदेश में कहा गया है क्योंकि न तो सिविल पक्ष पर और नहीं दांडिक पक्ष पर यह अभिकथन सिद्ध किया गया है।

कोरे प्राख्यानों का विधि के न्यायालय में मूल्य नहीं है जब तक प्राख्यानों एवं अभिकथनों को सिद्ध नहीं किया जाता है। चूँकि दिनांक 5 फरवरी, 2003 के आदेश का आधार अर्थात् कूटरचना राज्य द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, मैं डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1847 वर्ष 2003 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 जून, 2009 के आदेश का पुनर्विलोकन करने का कारण नहीं देखता हूँ।

6. डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2221 वर्ष 2003 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5 फरवरी, 2009 के आदेश को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को इंगित करना राज्य का कर्तव्य है। जब पुलिस द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट पहले ही दाखिल किया गया है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध कूटरचना का मामला नहीं बनता है, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2221 वर्ष 2003 में इस न्यायालय को यह इंगित करना राज्य का विधिक एवं नैतिक कर्तव्य था कि प्रोन्नति वापस लेने का आधार अर्थात् कूटरचना अब अस्तित्व में नहीं है। राज्य उस कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा, अतः, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2221 वर्ष 2003 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वह आदेश पारित किया गया था। अब, यदि वर्तमान प्रत्यर्थी (मूल याची) के विरुद्ध दर्ज दांडिक मामले में फरवरी, 2009 के बाद पुलिस द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट दाखिल किया गया है, उस संभाव्यता में भी यह नया घटनाक्रम है और इसलिए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1847 वर्ष 2003 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 जून, 2009 के आदेश में अवैधता या गलती नहीं है। इस प्रकार, यह तथ्य कि क्या मूल याची के विरुद्ध दांडिक मामले में पुलिस द्वारा दाखिल संक्षिप्त रिपोर्ट फरवरी, 2009 के पहले अथवा फरवरी, 2009 के बाद की है, वर्तमान मामले में कोई अंतर नहीं बनाती है क्योंकि तथ्य बना रहता है कि प्रोन्नति वापस लेने का आधार अर्थात् कूटरचना अस्तित्व में नहीं था जब डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1847 वर्ष 2003 में दिनांक 25 जून, 2009 का आदेश पारित किया गया था। अतः, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 जून, 2009 के आदेश में अवैधता या गलती नहीं है।

7. इसके अतिरिक्त, राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता इस सिविल पुनर्विलोकन आवेदन के मेमो से यह इंगित करने में विफल रहे हैं कि मूल याची के विरुद्ध दांडिक मामला अभी भी चल रहा है। राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता यह भी इंगित करने में विफल रहे हैं कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध दांडिक अथवा सिविल पक्ष पर कपट एवं कूटरचना का अभिकथन सिद्ध किया गया है। वस्तुत:, वर्तमान पुनर्विलोकन आवेदन में ऐसा अभिकथन बिल्कुल नहीं है।

8. अत:, इस पुनर्विलोकन आवेदन में सार नहीं है और इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

बाबाजी

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 938 of 2004. Decided on 20th January, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 111 वर्ष 1999 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ IV, धनबाद द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 28.4.2004 एवं दिनांक 30.4.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–अभियोजन मामला सूचक के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं–हत्या के मामले में घटनास्थल महत्वपूर्ण कारक है–चूँकि आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है, घटनास्थल का वर्णन उपलब्ध नहीं है–कोई गवाह यह समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया है कि पुलिस द्वारा उसकी उपस्थिति में रक्तरंजित चादर जब्त की गयी थी–अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Shailesh, For the Appellant; Mr. Asif Khan, For the State.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों को सुना गया।

2. यह दांडिक अपील सत्र विचारण सं॰ 111 वर्ष 1999, धनबाद सदर (गोविंदपुर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 260/1993 [जी॰ आर॰ सं॰ 3731/1993] के तत्सम, में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ IV, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 28.4.2004 एवं दिनांक 30.4.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और कठोर आजीवन कारावास भुगतने एवं 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने तथा जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. दिनांक 8.10.1993 को पूर्वाह्न 4.30 बजे द्रौपदी देवी के फर्दबयान से सामने आने वाला अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि सूचक अपने पति गोपाल चंद्र महतो के साथ कमरा में सो रही थी। पूर्वाह्न लगभग 1 बजे सूचक ने कुछ आवाज सुनी और जाग गयी। प्रकाश में उसने अपीलार्थी बाबाजी को तेज धार वाले हथियार (मुख्यत: बढ़ई द्वारा उपयोगित वसुला) से अपने पति गोपाल चंद्र महतो पर वार करते देखा। सूचक ने बचाने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो सकी थी। अपीलार्थी उपहति कारित

करने के बाद भाग गया। हल्ला करने पर, सास एवं अन्य संबंधी जमा हुए और उनमें से कुछ ने भी अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते देखा था। घायल गोपाल चंद्र महतो को अस्पताल ले जाया गया था किंतु वह जीवित नहीं रह सका था।

आरंभ में, द्रौपदी देवी के फर्दबयान पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452, 307/34 के अधीन धनबाद सदर (गोविन्दपुर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 260/1993, जी॰ आर॰ सं॰ 3731/1993 के तत्सम, दर्ज किया गया था किंतु गोपाल चंद्र महतो की मृत्यु के बाद दिनांक 10.10.1993 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गयी थी।

4. पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 111/1999 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 452/302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल ग्यारह गवाहों का परीक्षण किया जबकि अपीलार्थी ने अपने बचाव में एक गवाह का परीक्षण किया।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करके विचारण के समापन पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और उसको दंडादेशित किया जैसा उपर उपदर्शित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में कोई निष्कर्ष आक्षेपित निर्णय में प्रतीत नहीं हो रहा है।

5. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश को मुख्यत: इस आधार पर चुनौती दिया है कि फर्दबयान एवं अभिग्रहण सूची विधि के अनुरुप सिद्ध नहीं की गयी है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की अनुपस्थिति में एवं अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण घटनास्थल सिद्ध नहीं किया गया है।

अ॰ सा॰ 11 (तारापदो कुमार) एडवोकेट क्लर्क है और अभियोजन ने अभिग्रहण सूची सिद्ध करने के लिए उससे मदद लिया है क्योंकि अ॰ सा॰ 1 (हरि प्रसाद महतो, चौकीदार) जो भी अभिग्रहण सूची का गवाह है ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

डॉक्टर जिन्होंने पहले पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में गोपाल चंद्र महतो (मृतक) का इलाज किया का परीक्षण नहीं किया गया है और न ही अभिलेख पर उपहति रिपोर्ट उपलब्ध है। कोई स्वतंत्र गवाह अभियोजन मामले का समर्थन करने आगे नहीं आया है जैसा सूचक द्वारा अपने फर्दबयान में बनाया गया है। परिवार के सदस्यों के बयानों में विरोधाभास हैं जो अ॰ सा॰ 2 (आडू महतैन, मृतक की माता), अ॰ सा॰ 4 (गंगाधर), अ॰ सा॰ 6 (यमुना देवी, गोतनी) एवं अ॰ सा॰ 7 (गोविन्द महतो) हैं।

अ॰ सा॰ 2 के अनुसार (पैरा 1), वह द्रौपदी द्वारा किया गया हल्ला सुनने के बाद घटनास्थल पर आयी। उसने अपीलार्थी को अपने हाथ में बसुला लिए घटनास्थल से भागते देखा था।

सूचक के अनुसार, अपीलार्थी दीवार लांघ कर भाग गया। गोविन्द महतो (अ॰ सा॰ 7) हल्ला सुनने के बाद घटनास्थल आया और उसने अपीलार्थी को गोपाल चंद्र महतो के कमरा के दरवाजा के निकट खड़ा देखा था और वह अपने हाथ में बसुला लिए था। उसने द्रौपदी के साथ उसे पकड़ने का प्रयास किया

किंतु अपीलार्थी कूद गया और भाग गया। घटना का तरीका, घटना स्थल पर अपीलार्थी की उपस्थिति और जिस तरीके से वह अपराध करने के बाद भागा असंगत हैं और पूर्वोक्त तीन गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 7 ने विरोधाभासी बयान दिया है जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि द्रौपदी देवी (मृतक की पत्नी) एकमात्र चश्मदीद गवाह है और उसने कथन किया है कि घटना उसके शयन कक्ष में हुई और घटना का समय मध्यरात्रि 1 बजे था। यह निवेदन किया गया है कि सूचक दो कारणों से संदिग्ध चरित्र की महिला है–उसने प्रकट किया है कि उसका लगभग 9 वर्षीय पुत्र है। घटना वर्ष 1993 की है। अत:, संतान की आयु द्रौपदी देवी के विवाह की तिथि से मेल नहीं खाती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे सीता राम महतो (ब॰ सा॰ 1) के बयान को निर्दिष्ट किया है जो और कोई नहीं बल्कि सूचक का चाचा है और निवेदन किया है कि द्रौपदी एवं मृतक के बीच विवाह प्रेम विवाह था। ब॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि गोपाल चंद्र महतो की मृत्यु के बाद सूचक दिनेश के साथ रहने लगी थी और उसने पुत्री को भी जन्म दिया था। अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने समानांतर कथा प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा गोपाल चंद्र महतो की हत्या नहीं की गयी थी जैसा सूचक द्वारा प्रकट किया गया है बल्कि उसकी हत्या षड्यंत्र के अधीन की गयी थी जिसमें सूचक द्रौपदी देवी (मृतक की पत्नी) की अंतर्ग्रस्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। घटना अक्टूबर माह में हुई थी। सामान्यत: यह उम्मीद की जाती है कि पति-पत्नी यदि कमरा में साथ सोते हैं, वे कमरा अंदर से बंद रखेंगे। वर्तमान मामले में सूचक ने प्रकट नहीं किया था कि किस प्रकार अपीलार्थी गहरी रात अर्थात् 1 बजे के दौरान कमरा में घुसा। सूचक द्वारा प्रकट घटना का तरीका न केवल संदेहपूर्ण एवं अविश्वसनीय है बल्कि संदेह के आवरण में ढंका हुआ है। अभियोजन घटना स्थित सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा क्योंकि अन्वेषण अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ था और न ही घटनास्थल का स्केच मैप अभिलेख पर लाया गया था। मृतक का रक्तरंजित वस्त्र अथवा रक्तरंजित चादर रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजी गयी थी। घटना स्थल से रक्तरंजित मिट्टी-संग्रहित नहीं की गयी थी। इन परिस्थितियों में यह अच्छी तरह कहा जा सकता था कि अभियोजन घटना स्थल सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है।

6. हत्या करने के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त हथियार अपराध करने का नियमित हथियार नहीं है बल्कि यह बढ़ई द्वारा उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। घटना क्षणिक आवेश पर नहीं हुई थी बल्कि अभियोजन कहानी सुझाता है कि अपीलार्थी हत्या करने का षडयंत्र रचने के बाद रात के दौरान मृतक के घर में घुसा और मृतक की हत्या की। यदि यह सही होता, अपीलार्थी हथियार के साथ आया होता किंतु यह वर्तमान मामले में प्रतीत होने वाला तथ्य नहीं है। अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन के लिए घातक है।

7. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि घटना 7-8 अक्टूबर 1993 की मध्यक्षेपी रात्रि के बीच हुई और घटनास्थल मृतक का शयन कक्ष है। ऐसे मामलों में, स्वतंत्र गवाहों की उपलब्धता दूरस्थ है। परिवार के सदस्य स्वाभाविक गवाह हैं और उनका परिसाक्ष्य केवल इसलिए त्यक्त नहीं किया जा सकता था कि वे मृतक के संबंधी हैं। अ॰ सा॰ 3, द्रौपदी देवी ने अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है जैसा उसके फर्दबयान में बनाया गया है। उसने स्पष्टत: कथन किया है कि

अपीलार्थी बाबाजी उसके कमरा में घुसा और बसुला से गोपाल चंद्र महतो पर अनेक उपहति कारित किया और भाग गया। यह अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 4, अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 7 के साक्ष्य से समर्थन पाता है। पूर्वोक्त गवाहों द्वारा दिया गया साक्ष्य शव परीक्षण रिपोर्ट से समर्थन पाता है।

डॉ॰ ध्रुव कुमार धीरज (अ॰ सा॰ 9) ने शव परीक्षण करने के क्रम में मृतक पर 5 कटने का जख्म ध्यान में लिया है और वे उपहतियाँ तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी हैं। केवल इसलिए कि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है, संपूर्ण मामले पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इस अपील में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने की दायी है।

8. हमने सावधानीपूर्वक मामले के अभिलेख, साक्ष्य एवं आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है। द्रौपदी देवी (अ॰ सा॰ 3) के साक्ष्य के अनुसार, उसने प्रात: 8-9 बजे पुलिस थाना में अपना बयान दिया था। किंतु फर्दबयान के अनुसार, इसे दिनांक 8.10.1993 को 4.30 बजे पूर्वाह्न में सूचक के निवास स्थान पर दर्ज किया गया था। मानव का सामान्य आचरण यह है कि यदि पत्नी की उपस्थिति में किसी के द्वारा पति पर प्रहार किया जाता है, पत्नी हस्तक्षेप करेगी और अपने पति को बचाने के लिए मजबूत विरोध करेगी। वर्तमान मामले में सूचक के पति पर तेज धार वाले भारी हथियार से प्रहार किया गया था और उसे अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर अनेक उपहतियाँ आयी और वह चौकी जिस पर वह सो रहा था खून से लथपथ पड़ा था। सूचक द्वारा ऐसा कहीं नहीं कथन किया गया है कि उसने घटना के समय पर किसी भी प्रकार से अपीलार्थी के साथ हाथापाई किया था। मृतक का वस्त्र एवं बिस्तर जिस पर वह घटना के समय पर सोया हुआ था बुरी तरह खून से लथपथ था किंतु सूचक के वस्त्र अथवा शरीर पर खून का कोई धब्बा नहीं था यद्यपि संपूर्ण घटना उसके शयनकक्ष में उसकी उपस्थिति में हुई थी। जिस तरीके से अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 6 के बयानों के संगत नहीं है। सूचक ने कहा है कि उसने अपीलार्थी को पकड़ने के लिए पीछा किया था किंतु वह दीवार लांघकर भाग गया और वह आगे कहती है कि अपीलार्थी के घटनास्थल से भागने के समय पर दो और व्यक्ति उसके साथ थे। अपीलार्थी के भागने के समय पर दो और व्यक्तियों के जुड़ने की यह कहानी किसी अन्य गवाह के बयान से समर्थन नहीं पाती है।

पुन: हम अभिलेख पर लाना चाहेंगे कि सूचक का आचरण सामान्य नहीं प्रतीत होता है जैसी उम्मीद पत्नी से की जाती है। वह कहती है कि उसने अपीलार्थी का पीछा किया था जब वह अपराध करने के बाद भाग रहा था किंतु वह मौन बनी रही कि जब प्रहार हो रहा था तब किस बात ने उसको मध्यक्षेप करने से रोका था।

हत्या के मामले में, मामला विनिश्चित करने के लिए घटनास्थल महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान मामले में, कोई गवाह यह समर्थन करने आगे नहीं आया है कि उसकी उपस्थिति में पुलिस द्वारा रक्तरंजित चादर जब्त किया गया था। चूँकि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है, घटनास्थल का वर्णन उपलब्ध नहीं है और घटनास्थल का स्केच मैप, यदि इसे तैयार किया गया था, अभिलेख पर नहीं लाया गया है। गवाहों द्वारा उपदर्शित प्रहार का तरीका सुझाता है कि रक्त अवश्य जमीन पर गिरा होगा किंतु यह अज्ञात है कि यह घटनास्थल पर उपलब्ध था या नहीं, क्या इसे जब्त किया गया था क्योंकि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था।

पुन: अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण के कारण अभियोजन गवाहों द्वारा दिया गया हेतु अभिपुष्ट

नहीं किया जा सका था। अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण गवाहों के मुख से लिया गया विरोधाभास निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता था।

फर्दबयान सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि कामेश्वर सिंह, पुलिस अधिकारी जिसने इसे दर्ज किया था और जो अन्वेषण अधिकारी है, इसे सिद्ध करने आगे नहीं आया था। कामेश्वर सिंह के गैर परीक्षण के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि कब और किस स्थान पर सूचक का फर्दबयान दर्ज किया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रासंगिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण नहीं दिया गया।

9. वर्तमान मामले में सामने आने वाले तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में हम महसूस करते हैं कि अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण ने अभियोजन मामले पर घातक वार किया है और सत्य को अभिलेख पर लाने के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा उत्तर दिए जाने के लिए आवश्यक प्रश्न अनुत्तरित रहे।

10. परिणामस्वरुप, हम अपीलार्थी को संदेह का लाभ देने के इच्छुक हैं और तद्नुसार, सत्र विचारण सं॰ 111 वर्ष 1999 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ IV, धनबाद द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 28.4.2004 एवं 30.4.2004 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाला/उत्तरवर्ती न्यायालय यदि आवश्यक हो समुचित निर्देश जारी करेगा।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

विजय कुमार सोनी (705 में)

सुभाष प्रसाद सोनी (655 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (DB) Nos. 705 with 655 of 2006. Decided on 27th January, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 249 वर्ष 2004, जिला पलामू (सदर) (सतबरवा ओ॰ पी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 128 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 618 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में श्री प्रभात कुमार सिन्हा, सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 1.5.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 307—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—अभियोजन मौन है कि अपीलार्थियों का मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय था–घटनास्थल पूर्व योजना का परिणाम प्रतीत नहीं होता है–अपीलार्थियों ने लक्ष्य बनाने के लिए मृतक को भीड़ में नहीं खोजा था बल्कि मृतक स्वयं आगे आया–केवल इसलिए कि अपीलार्थी आग्नेयास्त्र के साथ उपस्थित था, उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की मदद से मृतक की हत्या करने के लिए दायी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था–उसके द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्य की दृष्टि में सह-अपीलार्थी के विरुद्ध केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट। (पैराएँ 12 से 15)

निर्णयज विधि.–(2011) 9 SCC 479; (2012) 7 SCC 646—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathy, N.K. Jaiswal, Pramod Kr. Gupta, (in 705) Amit Sinha, Avishek Prasad, Asmita Prasad & Nilesh Kumar, (in 655), For the Appellants; M/s. Sudhanshu Kr. Deo. (in 705), Vijay Kr. Gupta. (in 655), For the Respondent; Mr. Krishna Murari, For the Informant.

न्यायालय द्वारा.–ये दांडिक अपीलें सत्र विचारण सं॰ 249 वर्ष 2004, जिला पलामू सदर (सतबरवा ओ॰ पी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 128 वर्ष 2004 से उद्भूत जी॰ आर॰ सं॰ 618 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 1.5.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी विजय कुमार सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 27, के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है जबकि अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं धारा 307 के अधीन तथा आयुध अधिनियम की धारा 127 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है। अपीलार्थी विजय कुमार सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। जहाँ तक अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी का संबंध है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कठोर कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दस वर्षों का कठोर कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। इस प्रकार पारित समस्त दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

2. अभियोजन मामला, जैसा यह पलामू सदर पुलिस थाना के अंतर्गत सतबरवा ओ॰ पी॰ में दिनांक 18.5.2004 को अपराह्न 10 बजे दर्ज किए गए सुशील कुमार के फर्दबयान से प्रतीत होता है, संक्षेप में यह है कि दिनांक 18.5.2004 को अपराह्न लगभग 9 बजे जब सूचक अपने परिवार के सदस्यों तथा संबंधियों के साथ मटकोर समारोह (पवित्र स्थल से मिट्टी जमा करना) पूरा करने के बाद लौट रहा था और बरगद के पेड़ के निकट पहुँचा, अपीलार्थियों ने अपने सहयोगियों के साथ सड़क के बीच में खड़ा होकर बैंड पार्टी एवं प्रकाश वालों को रोका, सूचक पक्ष एवं अपीलार्थियों के बीच जोरदार बहस हुआ जिसके बाद अपीलार्थी विजय कुमार सोनी ने पिस्तौल निकाला और काफी निकट से कमलेश प्रसाद (सूचक का चाचा) के मस्तक पर गोली चलाया एवं उपहति कारित किया। उपहति पाने के बाद कमलेश प्रसाद गिर गया। तत्पश्चात अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी ने भी अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और सूचक पर गोली चलाया जिसने उसकी पीठ के नीचे की एक्सिलरी के दाएँ भाग पर सतही उपहति कारित किया। गोली चलने के कारण मटकोर समारोह में उपस्थित समस्त व्यक्ति बिखर गए थे। घायल कमलेश को अस्पताल ले जाया गया था किंतु मृत घोषित किया गया था।

सुशील कुमार के फर्दबयान के आधार पर, अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों सुनील साव एवं नंदलाल साव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307 एवं 504/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दिनांक 19.5.2004 का पलामू, सदर (सतबरवा ओ॰ पी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 128 वर्ष 2004 दर्ज किया गया था। पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद, आरोप पत्र दाखिल किया और तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 249 वर्ष 2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

अपीलार्थी विजय कुमार सोनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप, अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी और अभियुक्तों सुनील साव एवं नंदलाल साव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप, अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप और अपीलार्थीगण विजय कुमार सोनी एवं सुभाष प्रसाद सोनी के विरुद्ध

आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

3. अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 18 गवाहों का परीक्षण किया और शव परीक्षण रिपोर्ट, उपहति रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, फर्दबयान आदि सिद्ध किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी विजय कुमार सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया जबकि अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 307 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और उन्हें परस्पर अपराधों, जिनका उन्हें दोषी अभिनिर्धारित किया गया है, के लिए दंडादेश दिया गया था जैसा उपर उपदर्शित किया गया है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों सुनील प्रसाद सोनी एवं नंदलाल साव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध का दोषी नहीं पाया था और उन्हें दोषमुक्त किया गया था।

4. अपीलार्थियों ने आक्षेपित निर्णय का मुख्यत: इस आधार पर विरोध किया है कि स्वतंत्र गवाह जो घटनास्थल पर उपलब्ध थे ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था और पक्षद्रोही हो गए थे। वे गवाह अ॰ सा॰ 10 रामचंद्र मोची, अ॰ सा॰ 11 अशोक राम, अ॰ सा॰ 12 सजिन्द्र राम, अ॰ सा॰ 13 राजेश कुमार सोनी एवं अ॰ सा॰ 14 संदीप राम हैं। यह निवेदन किया गया है कि शेष गवाह मृतक के निकट संबंधी हैं अथवा डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया और अन्वेषण अधिकारी जैसे औपचारिक गवाह हैं। गवाह परिवार के सदस्यों एवं संबंधियों जिन्होंने मटकोर के पूर्वोक्त समारोह में भाग लिया था की संख्या के संबंध में संगत नहीं हैं। प्रहार के तरीके के संबंध में गवाहों के बयान में विरोधाभास हैं। यदि चाक्षुक साक्ष्य, जैसा गवाहों द्वारा वर्णित किया गया है, सत्य माना जाता है, उन सबों के लिए अपनी आँखों से पूरी घटना देखना संभव नहीं था। अ॰ सा॰ 3 उमेश प्रसाद ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि ज्योंही गोली चली, भींड़ में भगदड़ हो गयी। समस्त व्यक्ति जो समारोह में भाग लेने आए थे उस जगह पर भागने लगे जिसे उन्होंने सुविधाजनक समझा। अ॰ सा॰ 6 श्रवण कुमार सोनी मृतक का पुत्र है जिसने भी यही तथ्य बताया था। यह अच्छी तरह निष्कर्षित किया जा सकता था कि यदि भीड़ में गोली चलायी जाती है, समस्त उपस्थित व्यक्ति अपना जीवन बचाने के लिए भागने लगे थे। ऐसी स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति अपने खड़े होने के स्थान से घटना देखेगा और वे अपनी आँखों से देखी गयी घटना के मुताबिक इसका विवरण देंगे। यदि ऐसे समस्त गवाह घटना के बारे में रूढ़िवादी तरह से बयान देते हैं, यह संभव नहीं होगा और इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था।

5. अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया गया है किंतु अपीलार्थी विजय कुमार सोनी को आरोप में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप में विजय कुमार सोनी को जोड़े बिना अपीलार्थी जिसे कमलेश की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोपित किया गया है सहित किसी अन्य अभियुक्त को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन विरचित पूर्वोक्त आरोप में अपीलार्थी विजय कुमार सोनी को सम्मिलित नहीं किया जाना अपीलर्थी पर गंभीर प्रतिकूलता कारित करता है क्योंकि तीनों में से किसी ने भी मृतक कमलेश को उपहति कारित नहीं किया था। यह आरोप में केवल एक गलती नहीं है जिसे

अधित्यक्त किया जा सकता था किंतु विद्वान सत्र न्यायाधीश इस आधार पर कोई भी निष्कर्ष देने में विफल रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी ने कमलेश की हत्या करने में कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं किया था अथवा अपीलार्थी विजय कुमार सोनी को सुकर नहीं बनाया था, अत: उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे इंगित किया है कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी अन्य अभियुक्त के साथ उपस्थित था और बैंड पार्टी एवं रोशनी वालों को रोका था, उसे हत्या के अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि साक्ष्य के उसी संवर्ग पर अन्य सह अभियुक्तों सुनील प्रसाद सोनी एवं नंदलाल साह को दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से हत्या के अपराध के लिए एक अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए साक्ष्य की अत्यन्त कमी है। अभियोजन इस मामले के साथ आगे नहीं आया है कि अपीलार्थियों सहित अभियुक्तों का कमलेश की हत्या करने का सामान्य आशय था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से, अधिकाधिक यह कहा जा सकता था कि अपीलार्थी अपने सहयोगियों के साथ केवल सूचक सुशील का विवाह जिसकी दिनांक 20.5.2004 को अर्थात् घटना के दो दिन बाद होने की संभावना थी को अस्त–व्यस्त करने घटनास्थल पर आया था। यह भी इंगित किया गया है कि अपीलार्थी एवं सूचक पक्ष गोतिया हैं और उनके संबंध पहले से ही कटु थे। यह निवेदन किया गया है कि केवल आपराधिक मन: स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए आपराधिक कार्य पर भी विचार किया जाना है और वह भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 अथवा धारा 149 की मदद से। अंत में, यह निवेदन किया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने का दायी है।

6. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ एवं सूचक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी ने अपीलार्थियों की ओर से दिए गए तर्कों का जोरदार विरोध किया है। यह निवेदन किया गया है कि स्वयं सूचक घायल गवाह है और फर्दबयान में किया गया प्रतिवाद न केवल उसके द्वारा समर्थित किया गया है बल्कि चश्मदीद गवाहों अर्थात् सुरेन्द्र प्रसाद अ॰ सा॰ 2, उमेश प्रसाद अ॰ सा॰ 3, श्रवण कुमार अ॰ सा॰ 6, सत्येन्द्र कुमार सोनी अ॰ सा॰ 7 और सुशील कुमार अ॰ सा॰ 8 द्वारा संपुष्ट भी किया गया है। उन्होंने आगे इंगित किया है कि स्त्री गवाहों अर्थात् धनमानो देवी अ॰ सा॰ 1 (मृतक की माता), अंजु देवी अ॰ सा॰ 4 और शारदा देवी अ॰ सा॰ 5 ने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है। समस्त चश्मदीद गवाहों ने संगत बयान दिया है कि घटना के दिन पर रात्रि 9 बजे जब वे धीरु भूइयाँ की भूमि से मटकोर समारोह संपन्न करने के बाद लौट रहे थे और बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, उन्हें अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा रोका गया था। उन्होंने बैंड पार्टी एवं रोशनी वालों एवं उपस्थित सदस्यों को अवरुद्ध किया। उस क्रम में, जोरदार बहस हुई थी जिसके बाद अपीलार्थी विजय कुमार सोनी ने अपने पास रखे पिस्तौल से कमलेश को उपहति कारित किया। तत्पश्चात, अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी ने भी अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और सूचक सुशील पर गोली चलाया और दाएँ एक्सिलरी क्षेत्र के नीचे उपहति कारित किया। बैंड पार्टी में उपस्थित सदस्यों एवं रोशली वालों का परीक्षण किया गया है किंतु उन्होंने अभियुक्तों की पहचान के बिंदु पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है, किंतु घटना का तथ्य सिद्ध किया है। डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया था ने शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है और उपहति वर्णित किया है। अ॰ सा॰ 17 जगदीश चन्द्रा ने उपहति रिपोर्ट प्रमाणित किया है। निर्णायक साक्ष्य है कि अपीलार्थियों

ने कमलेश की हत्या की कारिता में भाग लिया है और आगे सूचक सुशील को उसकी हत्या करने के आशय से उपहति कारित किया और सूचक एवं मृतक को उपहति कारित करने के लिए उन सबों ने आग्नेयास्त्र का उपयोग किया था।

7. सूचक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है। केवल इसलिए कि दो अभियुक्तों, जिन्हें सुभाष प्रसाद सोनी के साथ आरोपित किया गया था, को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है, अपीलार्थी वही लाभ नहीं पा सकता था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उनको दोषी अभिनिर्धारित नहीं करने के लिए तर्कपूर्ण कारण दिया है। वे घटना के समय पर किसी हथियार से लैस नहीं थे और न ही उन्होंने कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया था। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त नंद लाल साह समय के प्रासंगिक बिन्दु पर घटनास्थल पर बिल्कुल उपस्थित नहीं था और उसे आरोप में केवल इसलिए सम्मिलित किया गया है कि उसने सूचक के घर पर पत्थर फेंका था। दूसरी ओर, सुभाष प्रसाद सोनी के पास भरी हुई पिस्तौल थी जिसका उपयोग उसके द्वारा सूचक सुशील को उपहति कारित करने के लिए किया गया था और सह अपीलार्थी विजय कुमार सोनी द्वारा कमलेश पर गोली चलाने के बाद एक के बाद एक गोली उसके द्वारा चलायी गयी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की परिधि के अंतर्गत अभियुक्त को लाने के लिए आवश्यक अवयव पूर्णत: उपलब्ध हैं और अभियोजन द्वारा इन्हें अच्छी तरह सिद्ध किया गया है। पूर्व मतैक्य के साथ दोनों अपीलार्थी अपने साथ भरी हुई आग्नेयास्त्र लिए उपस्थित थे। उन्होंने बैंड पार्टी एवं रोशनीवालों को बीच रास्ते रोका और अवरुद्ध किया। ज्योंही सूचक और मृतक कमलेश अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों की दादागिरी के विरुद्ध विरोध करने के लिए आगे आए, विजय कुमार सोनी ने कमलेश पर गोली चलायी और सुभाष प्रसाद सोनी ने भी सूचक (सुशील) पर गोली चलायी और उपहति कारित किया। विद्वान अधिवक्ता ने **2012 (7) SCC 646 में प्रकाशित (श्यामलाल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)** और **2011 (9) SCC 479 में प्रकाशित (मृणाल दास एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य)** में निर्णयों पर विश्वास किया है। यह निवेदन किया गया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी को हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधानों एवं अवयवों को लागू किया है। इन अपीलों में गुणागुण नहीं है और ये खारिज किए जाने की दायी हैं।

8. हमने सावधानीपूर्वक मामला अभिलेख और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया है और आक्षेपित निर्णय का भी परिशीलन किया है। अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य का परिशीलन करने के बाद, हमें यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि अभियोजन ने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य लाया है कि अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों ने सूचक और उसके परिवार के सदस्यों को रोका था जब वे मटकोर समारोह जो विवाह के पहले किया जाता है पूरा करने के बाद लौट रहे थे और यह एक प्रकार का रिवाज है क्योंकि सूचक का विवाह दिनांक 20.5.2004 को अर्थात् घटना के दो दिन बाद होना था। अपीलार्थियों ने बैंड पार्टी में उपस्थित सदस्यों एवं रोशनीवालों को रास्ते पर रोका जब वे घटनास्थल के निकट पहुँचे और पक्षों के बीच जोरदार बहस हुआ जिसके बाद अपीलार्थी विजय कुमार सोनी ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और अत्यन्त निकट से कमलेश के मस्तक पर उपहति कारित किया। तत्पश्चात, अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी ने भी अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और सूचक पर गोली चलाया और उसके पीठ के नीचे एक्सीलरी के दाएँ भाग पर उपहति कारित किया। सूचक को कारित उपहति सतही प्रकृति की थी और यह केवल खरोंच थी। तत्पश्चात, समस्त सदस्य जो मटकोर समारोह में भाग लेने गए थे बिखर गए। कमलेश को अस्पताल ले जाया गया था किंतु उसे मृत

घोषित किया गया था और एक घंटे के भीतर सुशील का फर्द बयान दर्ज किया गया था और पलामू सदर (सतबरवा ओ॰ पी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 128 वर्ष 2004 दर्ज किया गया था।

9. अभियोजन मामला सात गवाहों के साक्ष्य से समर्थन पाता है। गवाहों जो पक्षद्रोही हो गए हैं ने भी घटना के तथ्य का समर्थन किया है। चाक्षुक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य एक-दूसरे को संपुष्ट कर रहे हैं। हम अ॰ सा॰ 18 द्वारा किया गया अन्वेषण लापरवाह अथवा किसी के द्वारा अन्यथा प्रभावित किया गया नहीं पाते हैं क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया जा सकता था कि घटना के तुरन्त बाद पुलिस को मामला रिपोर्ट किया गया था, फर्दबयान दर्ज किया गया था और पुलिस सक्रिय हुई और अन्वेषण आरंभ करके और तर्कपूर्ण साक्ष्य संग्रहित करने के बाद आरोप-पत्र दाखिल करके भी अपनी बाध्यता का उन्मोचन किया। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों से, हम यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं करते हैं कि अपीलार्थी विजय कुमार सोनी ने आग्नेयास्त्र से कमलेश को उपहति कारित करके उसकी हत्या की और उसे सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है। तद्नुसार, अपीलार्थी विजय कुमार सोनी द्वारा दाखिल अपील खारिज की जाती है।

10. अब अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी द्वारा दाखिल अपील पर आते हुए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि उसे सही प्रकार से आग्नेयास्त्र का उपयोग करके सूचक सुशील को उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और इसलिए, अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी के विरुद्ध पारित भारतीय दंड संहिता की धारा 307 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है। चूँकि अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी जमानत पर है, उसका जमानत बंध पत्र रद्द किया जाता है। उसे आज के दिन से छह सप्ताह के भीतर दंड भुगतने के लिए आत्म-समर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर विचारण न्यायालय/उत्तरवर्ती न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. अब उत्तर दिया जाने वाला विवादित प्रश्न यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहराया जा सकता था?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें संविधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को प्रतिष्ठापित करने के मामले में विधायी आशय का सच्चा एवं सही अधिमूल्यन समझना है और प्रावधान पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 यहाँ नीचे वर्णित की जाती है:–

"34. ***lkekU; vk'k; dk vxlj dju e db 0;fDr;k }kjk fd, x, dk;-*** *&tcfd dkb vkijkfèkd dk; db 0;fDr;k }kjk viu lcd lkekU; vk'k; dk vxlj dju e fd;k tkrk g] tc ,l 0;fDr;k e l gj 0;fDr ml dk; d fy, mlh çdkj nkf;Ro d vèkhu g] ekuk og dk; vdy mlh u fd;k gkA*

इस धारा का कोरा पठन दर्शाता है कि धारा निम्नलिखित रूप में विभक्त की जा सकती है:–

(a) vud 0;fDr;k }kjk nkfMd Ñr; fd;k x;k g(

(b) ,lk Ñr; lHkh ykxk d lkekU; vk'k; dk vxlj dju e fd;k x;k g(vkj

(c) ,lk çR;d 0;fDr mlh rjhd l ml Ñr; dk nk;h g ekuk bl mld }kjk vdy fd;k x;k gA

दूसरे शब्दों में, यह विनिश्चित करने में कि क्या अभियुक्त धारा 34 की मदद से दोषसिद्ध किए जाने का दायी है, ये तीन अवयव न्यायालय को मार्गदर्शित करेंगे।

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार अनेक व्यक्तियों द्वारा दांडिक कृत्य किया जाना होगा। धारा के इस भाग में जोर शब्द 'किया जाना' पर है। इससे केवल यह प्रवाहित होता है कि धारा 34 के प्रावधान का अनुसरण करके व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के पहले उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ कुछ करना होगा। दांडिक कृत्य की कारिता में कुछ निजी भागीदारी आवश्यक होगा। अत:, धारा 34 की मदद से आरोपित संपूर्ण समूह के प्रत्येक निजी सदस्य को संयुक्त कृत्य में भागीदार होना होगा जो उनकी संयुक्त गतिविधि का परिणाम है।

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से व्यक्ति को दोषी बनाने के लिए अपराध करने के लिए अभियुक्तों के बीच पूर्व मतैक्य होना होगा और अभियुक्तों की संख्या दो अथवा अधिक होनी होगी। इस प्रकार किया गया अपराध उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाना होगा और अपराध की कारिता में अभियुक्त की भागीदारी आवश्यक है। किया गया अपराध पूर्व मतैक्य के साथ अभियुक्तों द्वारा तैयार की गयी योजना का परिणाम होना होगा। सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने **श्याम लाल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर)** और **मृणाल दास एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य (ऊपर)** में निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में उपलब्ध तथ्य उक्त उद्धृत निर्णयों में माननीय न्यायाधीशें द्वारा दिए गए निष्कर्षों से समर्थन पाते हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि दोनों अपीलार्थी बरगद के पेड़ के निकट उपस्थित थे और वे गोली भरा आग्नेयास्त्र लिए थे। ज्योंही सूचक एवं उसका परिवार उनके लक्ष्य पर पहुँचा, उन्हें रोका गया था और सूचक पक्ष एवं अपीलार्थियों के बीच जोरदार बहस हुई थी। तुरन्त तत्पश्चात विजय कुमार सोनी ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और गोली चला कर कमलेश को उपहति कारित किया। तुरन्त बाद अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी ने भी अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और गोली चला कर सूचक सुशील को उपहति कारित किया। अत:, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अवयव महत्वपूर्ण रूप से आकृष्ट होते हैं और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसको दोषी अभिनिर्धारित किया है। हम यहाँ नीचे दिए गए कारणों से सूचक के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत नहीं हैं:–

(i) vfHk;ktu eku g fd vihykfFk;k dk dey'k dh gR;k dju dk lkekU; vk'k; Fkk vkj mld fy, mud ikl gr FkkA vfHky[k ij ektn lk{; l>kr g fd nkuk ifjokj dk lcèk igy l dV FkkA

(ii) gR;k tl vijkèk dk dju d fy, puk x;k ?kVuk LFky vkj og Hkh , l volj ij tc erd ,o lpd d ifjokj d vfèkdk'k lnL; ,o lcèkh mifLFkr Fk] io ;ktuk dk ifj.kke ugh çrhr gkrk gA

(iii) vfHky[k ij miyCèk rF; ,o lk{; minf'kr ugh djr g fd vihykFkh fot; dekj lkuh erd dk n[ku d ckn rjUr mldh vkj nkMk vkj viuh fiLrky l mld eLrd ij xkyh pyk;kA

(iv) miyCèk lxr lk{; minf'kr ugh djr g fd vihykFkh lHkk"k çlkn lkuh u fdlh rjhd l dey'k dh gR;k dju d fy, lg&nk"kfl) fot; dekj lkuh d fy, txg cuk;k vFkok mldk ldj fd;kA

(v) fot; dekj lkuh dk mld futh çR;{k ÑR; vFkkr vkXu;kL= dk mi;kx djd erd dey'k dk migfr dkfjr dju d fy, Hkkjrh; nM lfgrk dh

èkkjk 302 d vèkhu nk"kh vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fdr mI Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 302/34 d vèkhu nMuh; vijkèk d fy, vU; vfHk;Dr d lkFk vkjkfir ugh fd;k x;k FkkA

(vi) vihykFkh fot; dekj lkuh }kjk dey'k ij xkyh pyk, tku d ckn mifLFkr ykx ljf{kr LFkku ij igpu d fy, Hkkxu yxA bl chp] vihykFkh lHkk"k çlkn lkuh }kjk pyk;h x;h xkyh u lpd dk migfr dkfjr fd;kA

तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की दृष्टि में, यह संप्रेक्षित किया जा सकता था कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगी सूचक के विवाह समारोह में खलल डालने के लिए घटनास्थल पर आए होंगे क्योंकि उनका संबंध पहले से ही कटु था और उसके लिए उन्होंने बैंड पार्टी में उपस्थित सदस्यों एवं रोशनी वालों को रोका था। अपीलार्थियों ने मृतक को लक्ष्य बनाने के लिए भीड़ में से नहीं खोज निकाला था बल्कि मृतक स्वयं आगे आया था।

13. कुछ तकनीकी आधार भी हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए जिसके लिए अपीलार्थी सुभाषा प्रसाद सोनी को दोषी अभिनिर्धारित किया गया है, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को असंपोषणीय बनाते हैं। हम भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों में से एक को हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए और दूसरे को अपवर्जित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अभियोजन का स्वीकृत मामला यह है कि घटना एक और उसी संव्यवहार में हुई थी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप मुख्य हमलावर विजय कुमार सोनी को जोड़े बिना अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी के विरूद्ध विरचित किया गया है तथा अभियुक्त नंद लाल साह एवं सुनील प्रसाद सोनी को दोषमुक्त किया गया है। यदि विजय कुमार सोनी सहित समस्त चार अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया होता, मामला अन्यथा होता। किंतु यहाँ वर्तमान मामले में केवल अपीलार्थी विजय कुमार सोनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया है और उसे तद्नुसार उक्त अपराध के लिए पृथक रूप से दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और इस प्रकार पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश पहले ही पूर्ववर्ती पैराग्राफ में मान्य ठहराया गया है। अतः, अन्य अभियुक्तों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में कमलेश की हत्या करने का प्रश्न बिल्कुल उद्भूत नहीं होता है। पुनः, दोहराने की कीमत पर यह कहा जा सकता है कि हमलावर विजय कुमार सोनी को अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी सहित अन्य अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, हम नहीं पाते हैं कि सुभाष प्रसाद सोनी द्वारा सूचक को कारित की गयी उपहति के लिए अपीलार्थी विजय कुमार सोनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था। यदि संव्यवहार एक ही था जिसमें कमलेश की हत्या की गयी थी और सूचक सुशील को आग्नेयास्त्र से उपहति आयी थी और कमलेश को उपहति विजय कुमार सोनी द्वारा कारित की गयी थी जबकि सूचक सुशील को उपहति अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी द्वारा कारित की गयी थी, दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध दोनों अपराधों अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 307/34 के लिए आरोप विरचित करने की आवश्यकता थी किंतु यह नहीं किया गया था। यह पुनः दोहराया जाता है कि अपीलार्थीगण एवं उनके सहयोगी सूचक के विवाह में रूकावट डालने के लिए जमा हुए थे और उसके लिए उन्होंने समारोह में उपस्थित सदस्यों को सड़क पर रोका था। अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य यह सुझाने में विफल है कि कमलेश की हत्या करने के लिए पूर्व मतैक्य था जिसके लिए अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी सहमत था।

यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य नहीं कहते थे कि अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी ने किसी तरीके से कमलेश की हत्या करने के लिए सह–दोषसिद्ध विजय कुमार सोनी के लिए जगह बनाया अथवा उसे सुकर बनाया था। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी आग्नेयास्त्र लिए उपस्थित था, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से कमलेश की हत्या के लिए दायी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी एवं दोषमुक्त अभियुक्त द्वारा किया गया निजी प्रत्यक्ष कृत्य दर्शाता है कि सामान्य आशय, यदि हो, जो उनका था, केवल सूचक सुशील के विवाह समारोह में रूकावट कारित करना था और इसलिए दो अभियुक्तों अर्थात् सुनील प्रसाद सोनी एवं नंद लाल साह की दोषमुक्ति न्यायोचित हो सकती है क्योंकि उन्होंने बैंड पार्टी में उपस्थित सदस्यों एवं रोशनी वालों को अवरुद्ध करने के बाद कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं किया था। पूर्व मतैक्य के साथ सामान्य आशय जिसके साथ अपीलार्थी एवं उनके सहयोगी जमा हुए थे, त्योंही समाप्त हो गया ज्योंही वे सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों जो मटकोर समारोह संपन्न करने के बाद लौट रहे थे को अवरुद्ध करने में सफल हुए। तत्पश्चात् प्रत्येक निजी अभियुक्त का कृत्य उनके निजी प्रत्यक्ष कृत्य द्वारा निर्णीत किया जा सकता था। इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए हमने अपीलार्थी विजय कुमार सोनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज की गयी दोषसिद्धि एवं दंडादेश के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को मान्य ठहराया है। जब हम अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्य को जाँचते हैं, हम पाते हैं कि उसने गोली चलाया था जब भीड़ स्वयं को बचाने के लिए भागने लगी थी और अपीलार्थी द्वारा चलायी गयी गोली ने सूचक को उसके पीठ के नीचे एक्सिलरी क्षेत्र पर कुछ उपहति कारित किया था। हम भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए विचारण न्यायालय के तर्कों एवं निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं। तद्नुसार, अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

14. चूँकि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश मान्य ठहराया गया है। अवर न्यायालय को उपांतरित दोषसिद्धि वारन्ट जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

15. परिणामस्वरुप, अपीलार्थी विजय कुमार सोनी द्वारा दाखिल अपील खारिज की जाती है जबकि अपीलार्थी सुभाष प्रसाद सोनी द्वारा दाखिल अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

पवन कुमार पोद्दार

cuke

बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

W.P. (C) No. 4274 of 2012. Decided on 15th March, 2016.

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993—धारा 25—सरफेसी अधिनियम, 2002—धारा 35—बंधक संपत्ति का नीलाम विक्रय–जब एक बार अभिधृति सृजित की जाती है, अभिधारी को केवल यथा परिकल्पित किराया नियंत्रण अधिनियम

के प्रावधानों के अधीन विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद किया जा सकता है–अभिधारी को सारफेसी अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करके मनमाने रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता है–नीलामी क्रेता याची को विधि की सम्यक प्रक्रिया के मुताबिक बेदखल किए जाने तक बेदखल करने का आशय नहीं रखता है–नीलामी कार्यवाही ''जैसा है जहाँ है'' आधार पर की गयी थी–नीलाम क्रेता अपनी अभिधृति के अध्यधीन संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व एवं अभिधान पाएगा। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.–2016 (1) JBCJ 434 (SC).

अधिवक्तागण.–Mr. Ayush Aditya, For the Petitioner; M/s A.R. Choudhary, For the Respondent No.3.

आदेश

दिनांक 28.2.2006 की डिक्री के तहत ओ॰ ए॰ केस सं॰ 125 वर्ष 2002 में मेसर्स एलन ब्रीवरीज एन्ड डिस्टीलरीज प्रा॰ लि॰ एवं अन्य के बकाया की वसूली के लिए प्रत्यर्थी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ की गयी कार्यवाही विद्वान वसूली अधिकारी, डी॰ आर॰ टी॰, राँची के समक्ष वसूली कार्यवाही सं॰ 9 वर्ष 2006 की ओर ले गयी। नीलामी की गयी संपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

2. राँची नगर निगम क्षेत्र कोर्ट रोड, राँची का एम॰ एस॰ भूखंड सं॰ 1718, धृति सं॰ 1396 (नया) वार्ड सं॰ 1 कुल क्षेत्र तीन कट्ठा, चौहद्दी: पूर्व–श्री ए॰ के॰ बनर्जी एवं श्री जे॰ बनर्जी के एम॰ एस॰ भूखंड सं॰ 1718 का भाग; पश्चिम–कचहरी रोड, दक्षिण–एम॰ एस॰ भूखंड सं॰ 1718 का भाग; उत्तर–भूखंड सं॰ 1717.

3. यहाँ ऊपर वर्णित संपूर्ण संपत्ति की नीलामी पर 66,75,000/- रुपया प्राप्त हुआ। बैंक का बकाया 34,10,219/- रुपया था। यहाँ यह उल्लेख करना अनावश्यक नहीं होगा कि नीलामी दिनांक 28.3.2008 को डी॰ आर॰ टी॰, राँची के परिसर में ''जैसा है जहाँ है'' के आधार पर की गयी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 3 मेसर्स दिलासा कॉमोडिटीज प्रा॰ लि॰ यहाँ उपर वर्णित संपत्ति का नीलाम क्रेता है।

4. इन समस्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि वर्तमान याची प्रत्यर्थी सं॰ 2 की 15 कट्ठा भूमि जिसमें से तीन कट्ठा भूमि यहाँ ऊपर वर्णित नीलाम की गयी संपत्ति में आती है, के उपर अभिधृति धारण करने वाले निर्णीत ऋणी प्रत्यर्थी सं॰ 2 का अभिधारी था। अभिधारी के रूप में उसने जमा का प्रस्ताव देकर आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 60, जैसा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन अपनाया गया है के निबंधनानुसार अचल संपत्ति का विक्रय अपास्त किया जाना इप्सित किया। किंतु, याची ने किराया परिसर के संबंध में बेदखली वाद का सामना किया और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बेदखली वाद सं॰ 6 वर्ष 1985 में दिनांक 10.3.2006 के निर्णय एवं डिक्री के तहत बेदखली डिक्री पारित की गयी है और अभिधान अपील सं॰ 55 वर्ष 2006 में दिनांक 20.12.2012 के निर्णय के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा मान्य ठहरायी गयी है। याची ने इस न्यायालय के समक्ष लंबित द्वितीय अपील एस॰ ए॰ सं॰ 20 वर्ष 2013 दाखिल किया है और उसे किराया परिसर से अभी तक बेदखल नहीं किया गया है। द्वितीय अपील अभी तक ग्रहण नहीं की गयी है। न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि याची के विरुद्ध पारित बेदखली डिक्री पर स्थगन आदेश नहीं है। अचल संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने का याची का अनुरोध न केवल वसूली अधिकारी द्वारा नकारा गया था, बल्कि इसे क्रमश: परिशिष्ट 5 एवं 6 पर दिनांक 4.5.2011 की अपील सं॰ 3 वर्ष 2009 में डी॰ आर॰ टी॰ राँची द्वारा और दिनांक 4.6.2012 के अपील सं॰ 74 वर्ष 2011 में डी॰ आर॰ ए॰ टी॰, कोलकाता द्वारा मान्य ठहराया गया था। अत:, याची नीलामी में बेची गयी अचल संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने से इनकार करने वाले इन आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए इस न्यायालय

के समक्ष है। नीलाम विक्रय प्रत्यर्थी सं॰ 3 के पक्ष में संपुष्ट किया गया है और उस प्रभाव का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है।

5. क्या वर्तमान वाद हेतुक को अग्रसर करने के लिए याची का हित अस्तित्वशील रहेगा यह बेदखली मामले के परिणाम पर निर्भर होगा और मामले को अंतिम रूप से न्याय निर्णीत करते हुए विचार में लिया जाने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अन्य अंतर्ग्रस्त प्रश्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, अथवा सारफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के बकाया की वसूली के लिए ऐसी किसी कार्यवाही में किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन संरक्षित अभिधारी का दर्जा है। **दांडिक अपील सं॰ 52 वर्ष 2016*** दिनांक 20.1.2016 में **विशाल एन॰ कलसरिया बनाम बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"38. ;g fofèk dh lfuf'pr voLFkk g fd tc ,dckj vfHkèkfr lftr dh tkrh g] doy fofèk dh lE;d çfØ;k dk vulj.k dju d ckn vfHkèkkjh dk cn[ky fd;k tk ldrk g tks fdjk;k fu;=.k vfèkfu;e d çkoèkkuk d vèkhu fofgr gA vfHkèkkjh dk lkjQlh vfèkfu;e d çkoèkkuk dk mi;kx djd eueku :i l cn[ky ugh fd;k tk ldrk g D;kfd ;g vfHkèkkjh dk fn, x, lj{k.k d lkfofèkd vfèkdkjk dk fu"çHkkfor dju d rY; gkxkA lokifj [kM (lkjQlh vfèkfu;e dh èkkjk 35) dk mi;kx fdjk;k fu;=.k vfèkfu;e d vèkhu vfHkèkkfj;k e fufgr lkfofèkd vfèkdkjk dk <kgu d fy, ugh fd;k tk ldrk gA vfHk0;fDr ^rRle; çoÙk fdlh vU; fofèk* tks lkjQlh vfèkfu;e dh èkkjk 35e vkrk g dk vFk dnh; ,o jkT; foèkkueMyk }kjk vfèkfu;fer çR;d fofèk rd foLrkfjr d :i e ugh yxk;k tk ldrk gA ;g doy mlh {k= e çoÙk fofèk;k rd foLrkfjr gk ldrh gA ljQlh vfèkfu;e d lokifj [kM dh 0;k[;k djr g,] bl U;k;ky; dh f=&U;k;kèkh'k U;k; ihB u lUVy cd vkQ bfM;k cuke djy jkT; ,o vU; e fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k g%*
>
> *"18. MhO vkj0 VhO vfèkfu;e ,o çfrHkfrdj.k vfèkfu;e cdk ,o foÙkh; lLFkkuk d cdk;k dh olyh e vR;fèkd foyc d dkj.kk tk foÙkh; lèkkjk dk çfrdy :i l çHkkfor dj jg Fk dk ijh{k.k dju d fy, dn ljdkj }kjk fu;Dr fo'k"kK dfefV;k }kjk dh x;h vu'klkvk dh i"BHkfe e lln }kjk vfèkfu;fer fd, x, FkA Jh VhO frokjh ,o Jh ,e0 ujflEge dh vè;{krk e dfefV;k u l>ko fn;k fd fo|eku fofèkd r= cnyk tkuk pkfg, vkj cdk ,o foÙkh; lLFkkuk d cdk;k dh Rofjr olyh d fy, fo'k"k U;k; fu.k;.kdkjh e'khujh lftr dh tk,A ujflEge ,o vè;k#ftuk dfefV;k u çfrHkfrdj.k d fy, vkj cdk dk çfrHkfr;k dk dCtk yu d fy, vkj U;k;ky; d gLr{ki d fcuk mudk cpu d fy, l'kDr cukr u, foèkku d vfèkfu;eu dk l>ko fn;kA*
>
> *xxx xxx xxx*
>
> *110. MhO vkj0 VhO vfèkfu;e u vfèkdj.kk dh f}&Lrjh; ç.kkyh dh LFkkiuk ldj cuk;kA çFke Lrj ij LFkkfir vfèkdj.kk e flfoy çfØ;k lfgrk dh rduhdh ifpnxh;k l ij'kku g, fcuk mud cdk;k dh olyh d ekey e cdk ,o foÙkh; lLFkkuk d nkok dk lf{kIr :i l U;k;fu.k;.k dju d fy, vfèkdkfjrk] 'kfDr ,o çkfèkdkj fufgr fd;k x;k gA çfrHkfrdj.k vfèkfu;e u çpM :i l ifjn'; ifjofrr dj fn;k D;kfd blu cdk] foÙkh; lLFkkuk ,o ,l vU; çfrHkr yunkjk d U;k;ky;k vFkok vfèkdj.kk d eè;{ki d fcuk viu cdk;k dh olyh*

---

* JBCJ 2016(1) पृष्ठ 434 (SC) पर प्रकाशित।

d fy, l{ke cuk;kA çfrHkfrdj.k vfèkfu;e u çfrHkfrdj.k@iufuek.k difu;k d jftLV'ku ,o fofu;eu] cdk ,o foÙkh; lLFkkuk d foÙkh; vkfLr;k d çfrHkfrdj.k d fy, çkoèkku ,o vU; lcfèkr çkoèkku Hkh cuk;kA

111. fdr xkj fd, tku d fy, lokfèkd egRoi.k ;g g fd bu vfèkfu;euk e l fdlh e çkoèkku ugh g ft ld }kjk mèkkj yu oky dh lifÙk d çfr cdk] foÙkh; lLFkkuk vFkok çfrHkr yunkjk d i{k e çFke çHkkj lftr fd;k tk;A

112. çfrHkfrdj.k vfèkfu;e dh èkkjk 13 (1) d vèkhu lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 69 vFkok èkkjk 69A d edkcy çfrHkfr fgr çofrr dju d fy, çfrHkr yunkj d vfèkdkj dk lhfer çkFkfedrk nh x;h gA ml mièkkjk d fucèkukuklkj] çfrHkr yunkj U;k;ky; vFkok vfèkdj.k d eè;{ki d fcuk çfrHkfr fgr çofrr dj ldrk g vkj ;fn mèkkj yu oky u çfrHkr vkfLr dk dkb cèkd lftr fd;k g] cèkdnkj vFkok mldh vkj l Ñf; dju okyk dkb 0;fDr bl rjhd l cèkd lifÙk cp ugh ldrk g vFkok cèkd j[kh x;h lifÙk vFkok mld fdlh Hkkx dh vk; dk jhfloj fu;Dr ugh dj ldrk g tk çfrHkr yunkj dk çfrHkr fgr çofrr dju dk vfèkdkj foiQy dj ldrk gA ;g çkoèkku ujflEge dfeVh dh f}rh; fjikV d vè;k; VIII dh i"BHkfe e vfèkfu;fer fd;k x;k Fkk ftle lifÙk vrj.k vfèkfu;e d vèkhu cèkdk l lcfèkr çkoèkkuk d çfr fofufn"V fun'k FkkA

113. çfrHkfr yunkj tk cd vFkok foÙkh; lLFkku lfEefyr dj ldrk g }kjk lkeuk dh tku okyh lHkkfor ef'dy ij fot ; iku d çdV ç;kl e lln u èkkjk 13e lokifj [kM lfEefyr fd;k vkj vU; cèkdnkjk tk lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 69 vFkok 69A d vèkhu vfèkdkjk dk ç;kx dj ldr Fk d edkcy çfrHkr yunkj d vfèkdkj dk çkFkfedrk fn;kA fdr] ;g çkFkfedrk ckEc vfèkfu;e dh èkkjk 38C vFkok djy vfèkfu;e dh èkkjk 26B tl vU; çkoèkkuk rd foLrkfjr ugh dh x;h g ft ld }kjk Mhyj vFkok foØ; dj vkfn d n;k dk Hkxrku dju d fy, nk;h 0;fDr dh lifÙk ij jkT; d i{k e çFke çHkkj lftr fd;k x;k gA

---

116. MhO vkj0 VhO vfèkfu;e dh èkkjk 34 (1) ,o çfrHkfrdj.k vfèkfu;e dh èkkjk 35e vrfo"V lokifj [kM mu vfèkfu;ek d çkoèkkuk dk vè;kjkgh çHkko nr g doy rHkh tc fdlh vU; fofèk d QyLo#i çHkkoh fy[kr vFkok fdlh vU; fofèk e vrfo"V dkb pht vlxr gA nlj 'kCnk e] ;fn vU; vfèkfu;euk e çkoèkku ugh g tk MhO vkj0 VhO vfèkfu;e vFkok çfrHkfrdj.k vfèkfu;e d lkFk vlxr g] mu vfèkfu;euk e vrfo"V çkoèkku vU; foèkkuk ij vè;kjkgh ugh gk ldr gA ¼U;k;ky; }kjk tkj Mkyk x;k½**

6. नीलाम क्रेता याची को उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के मुताबिक बेदखल किए जाने तक बेदखल करने का आशय नहीं रखता है। वस्तुतः जैसा यहाँ उपर गौर किया गया है, याची अभिधृति भूखंड के कुल 15 कट्ठा में से नीलामी में बेचे गए केवल तीन कट्ठा का अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए नीलामी अपास्त किए जाने का दावा करता है। नीलामी कार्यवाही ''जैसा है जहाँ है'' आधार पर की गयी थी, तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि नीलामी क्रेता जैसा है जहाँ है आधार पर और अपनी अभिधृति के अध्यधीन संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व एवं अभिधान पाएगा।

7. ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान याची द्वारा किए गए अभिवचन का न्याय निर्णय अंतिम रूप से बेदखली मामले के परिणाम तक प्रतीक्षा कर सकता है। किंतु यह किसी रूप में नीलाम क्रेता अथवा संपत्ति

के मूल स्वामी का अधिकार सीमित नहीं करेगा जो केवल उसकी अभिधृति अधिकार के अध्यधीन होगा। यह सूचित किया गया है कि मकान मालिक प्रत्यर्थी बैंक की डिक्रीत राशि के भुगतान के बाद छोड़े गए शेष राशि का भुगतान इप्सित करते हुए वसूली अधिकारी, राँची के पास भी गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित परस्पर मामलों में कार्यवाही में इन प्राधिकारों/फोरमों में से किसी पर अवरोध नहीं है।

8. पूर्वोक्त कारणों से मामला विचार के लिए 16 सप्ताह बाद रखा जाए।

---

ekuuh; çkUr dekj U;k;efr

अनिल कुमार

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 2980 of 2013. Decided on 11th December, 2015.

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 362 एवं 482—आदेश का पुनर्विलोकन–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग में पहले पारित किए गए किसी आदेश को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 362 में अंतर्विष्ट प्रावधान को अनदेखा करके पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है–अग्रिम जमानत आवेदन में पारित अंतिम आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में परिवर्तित और/अथवा पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है–आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 11 से 13)

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 82—गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना–यदि अभियुक्त आरोप-पत्र के दाखिले की तिथि के पहले से जमानत पर है, आरोप-पत्र की दाखिली के बाद उस पर नोटिस तामील करना विचारण न्यायालय पर बाध्यकारी है–जब अभियुक्त का नाम आवेदन के कारण शीर्षक से कॉज टाइटल दिया गया है, उसकी अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। (पैरा 9)

निर्णयज विधि.–(2008)8 SCC 673—Relied; AIR 1975 SC 1002; 1992 Cri. LJ 1327; 2008 Cri. L.J. (NOC) 1303 Bom.—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mrs. Rakhi Rani, For the Petitioner; Mrs. Vandana Bharti, For the State.

आदेश

इस आवेदन में याची ने निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की है:-

(i) ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3904/2010 में पारित दिनांक 23.3.2011 का आदेश इस सीमा तक उपांतरित किया जाए कि पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में विद्वान अवर न्यायालय में अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) द्वारा जमा की गयी 2,50,000/- रुपयों की राशि याची के पक्ष में निर्मुक्त की जा सके क्योंकि अभियुक्त विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है।

(ii) याची आगे विद्वान अवर न्यायालय को याची/सूचक के पक्ष में 2,50,000/- रुपयों की राशि निर्मुक्त करने का निर्देश जारी किए जाने की प्रार्थना करता है।

2. यह प्रतीत होता है कि याची जो इस मामले का सूचक है ने उसमें यह अभिकथित करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया कि उसने सितंबर, 2008 में अभियुक्त पवन कुमार पांडे से हिमताज हर्बल कंपनी,

फरीदाबाद का एजेन्सी लिया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि दिसंबर, 2008 में पवन कुमार पांडे ने किसी सूचना के बिना व्यवसाय रोक दिया। तत्पश्चात् याची फरीदाबाद गया और 4,50,000/- रुपया मांगा जिसे याची ने पवन कुमार पांडे की कंपनी के पास जमा किया था। यह कथन किया गया है कि पवन कुमार पांडे ने याची को आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ बैंक के दो चेकों सं॰ 340491 एवं 340492 दिया। यह कथन किया गया है कि याची ने नगदकरण के लिए दोनों चेक प्रस्तुत किया जिसका निधि की अपर्याप्तता के कारण बैंक द्वारा अनादर किया गया था। यह कथन किया गया है कि जब याची ने पवन कुमार पांडे से बात किया, उसने याची को 2,00,000/- रुपया दिया और कहा कि दो दिनों के भीतर शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अत: याची ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 सह पठित धारा 34 और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्राथमिकी नामकुम पी॰ एस॰ केस सं॰ 91 वर्ष 2009 दर्ज किया।

3. यह प्रतीत होता है कि तत्पश्चात पवन कुमार पांडे ने अग्रिम जमानत के लिए इस न्यायालय में ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3904 वर्ष 2010 दाखिल किया। यह उल्लेखनीय है कि याची भी उक्त अग्रिम जमानत आवेदन में उपस्थित हुआ और इसका विरोध किया। किंतु, चूँकि पवन कुमार पांडे ने वचन दिया कि वह मामले के परिणाम के अध्यधीन अवर न्यायालय में 2,50,000/- रुपया जमा करेगा, इस न्यायालय ने दिनांक 23.3.2011 के आदेश के तहत अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) को इस शर्त के अध्यधीन जमानत प्रदान किया कि वह अवर न्यायालय में 2,50,000/- रुपया जमा करेगा। अवर न्यायालय को आगे अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) को यदि उसे अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाएगा अथवा इस याची (सूचक) को यदि पवन कुमार पांडे दोषसिद्ध किया जाएगा, 2,50,000/- रुपयों की पूर्वोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह प्रतीत होता है कि ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3904 वर्ष 2010 में पारित दिनांक 23.3.2011 के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) ने अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और 2,50,000/- रुपया जमा करने के बाद जमानत लिया।

4. यह प्रतीत होता है कि तत्पश्चात अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और विद्वान अवर न्यायालय ने अपराधों का संज्ञान लिया। तत्पश्चात, विद्वान अवर न्यायालय ने अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) को समन जारी किया किंतु समन के प्रत्युत्तर में वह उपस्थित नहीं हुआ था। तत्पश्चात, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, किंतु उसके बावजूद वह उपस्थित नहीं हुआ था। तब, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी थी, किंतु यह भी व्यर्थ रहा। यह प्रतीत होता है कि अब मामला हाजिरी के लिए अवर न्यायालय में लंबित है।

5. अब, याची ने ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3904 वर्ष 2010 में पारित दिनांक 23.3.2011 के आदेश के उपांतरण के लिए यह आवेदन दाखिल किया, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने विद्वान अवर न्यायालय को अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) को यदि वह अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाएगा अथवा इस याची (सूचक) को यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाएगा, 2,50,000/- रुपयों का भुगतान करने का निर्देश दिया। याची ने आगे प्रार्थना किया कि पूर्वोक्त आदेश उपांतरित किए जाने के बाद अवर न्यायालय को अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) द्वारा जमा किए गए 2,50,000/- रुपयों को (सूचक) के पक्ष में निर्मुक्त करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।

6. इस मामले में, अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) को रजिस्टर्ड डाक द्वारा और सामान्य आदेशिका द्वारा भी अनेक बार नोटिस जारी किए गए थे, किंतु इन्हें तामील नहीं किया गया और लौटा दिया गया क्योंकि अभियुक्त (पवन कुमार पांडे का पता सही नहीं था। तत्पश्चात, दिनांक

11.9.2015 को याची ने इस मामले के कॉज टाइटल से अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) का नाम काटने की अनुमति मौखिक रूप से इप्सित किया। तद्नुसार, याची को स्वयं अपने जोखिम पर अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) का नाम काटने की अनुमति दी गयी थी। तत्पश्चात, याची ने मामले के कॉज टाइटल से अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) का नाम काट दिया। पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन, अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) की अनुपस्थिति में यह मामला सुना जा रहा है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती राखी रानी द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियुक्त विद्वान अवर न्यायालय से जमानत लेने के बाद समन, गिरफ्तारी वारंट एवं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहा है और उसकी अनुपस्थिति के कारण विचारण में प्रगति नहीं हुई है। अत:, परिवर्तित परिस्थितियों के अधीन याची ने ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3904 वर्ष 2010 में पारित दिनांक 23.3.2011 के आदेश के उपांतरण के लिए यह आवेदन दाखिल किया और उसने प्रार्थना किया कि विद्वान अवर न्यायालय को अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) द्वारा जमा की गयी 2,50,000/- रुपयों की राशि का भुगतान याची के पक्ष में करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया जाए। यह निवेदन किया गया है कि **अधीक्षक एवं विधि परामर्शी, पश्चिम बंगाल बनाम मोहन सिंह एवं अन्य, AIR 1975 SC 1002; डा॰ ए॰ एम॰ बेरी बनाम रवि अरोड़ा एवं अन्य, 1992 Criminal Law Journal 1327; जोसेफ पॉल बनाम श्रीमती शेली धाल, 2008 Criminal Law Journal (NOC) 1303 (Bom); राज्य डी॰ एस॰ पी॰, एस॰ बी॰, सी॰ आई॰ डी॰, चेन्नई के प्रतिनिधित्व में बनाम के॰ वी॰ राजेन्द्रन एवं अन्य, (2008)8 SCC 673** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की दृष्टि में, परिवर्तित परिस्थिति के अधीन, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन आवेदन दावा किए गए अनुतोष के लिए पोषणीय है।

8. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्रीमती वंदना भारती ने निवेदन किया कि यह आवेदन पोषणीय नहीं है क्योंकि उसमें दावा किया गया अनुतोष दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 362 के अधीन वर्जित है। वह आगे निवेदन करती हैं कि वर्तमान आवेदन द्वारा याची ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3904 वर्ष 2010 में पारित इस न्यायालय का आदेश उपांतरित करवाना चाहता है जो पहले ही प्रभाव ले चुका था। वह आगे निवेदन करती हैं कि प्रभावित व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त (पवन कुमार पांडे) की अनुपस्थिति में ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

9. निवेदनों को सुनने पर, मैं मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है। इस मामले में याची का मुख्य प्रतिवाद यह है कि चूँकि अभियुक्त अर्थात् पवन कुमार पांडे समन के तामीले गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने एवं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका के बाद भी विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, अत: विचारण विलंबित हो रहा है। अत:, परिवर्तित परिस्थितियों के अधीन दिनांक 23.3.2011 का आदेश उपांतरित किया जाए और विचारण न्यायालय को याची को 2,50,000/- रुपयों का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। अवर न्यायालय के संपूर्ण ऑर्डरशीट की छाया प्रतिलिपि इस मामले में परिशिष्ट 3 के रूप में संलग्न है। यद्यपि, ऑर्डरशीट से प्रतीत होता है कि अभियुक्त अर्थात् पवन कुमार पांडे के विरुद्ध समन, गिरफ्तारी वारन्ट एवं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी थी किंतु यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है कि याची पर पूर्वोक्त आदेशिकाएँ तामील की गयी थी। यह सुनिश्चित है कि यदि अभियुक्त आरोपपत्र की दाखिली के पहले से जमानत पर है, तब आरोप-पत्र की दाखिली के बाद उस पर नोटिस तामील करना विचारण न्यायालय पर बाध्यकारी है। चूँकि वर्तमान मामले में अभियुक्त पवन कुमार पांडे आरोप पत्र की दाखिली की तिथि के पहले से जमानत

पर था, अत: मेरे दृष्टिकोण में आरोप पत्र की दाखिली के बाद उस पर नोटिस तामील करना अवर न्यायालय के लिए अनिवार्य है। वर्तमान मामले में, मैं पाता हूँ कि आरोप पत्र दिनांक 18.5.2011 को अर्थात् अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के बाद दाखिल किया गया था। उक्त परिस्थिति के अधीन, अभियुक्त पर समन का तामील आवश्यक है। जैसा उपर गौर किया गया है, वर्तमान मामले में, अभियुक्त अर्थात् पवन कुमार पांडे पर समन तामील नहीं किया गया है, इस प्रकार, याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि अभियुक्त अर्थात् पवन कुमार पांडे के कहने पर न्यायालय का विचारण विलंबित किया जा रहा है। सही नहीं प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त पवन कुमार पांडे का नाम इस आवेदन के कॉज टाइटल से काट दिया गया है, अत: उसकी अनुपस्थिति में, उसके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

10. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 362 का पठन निम्नलिखित है:

> *"362. U;k;ky; dk viu fu.k; e ifjoru u djuk-&bl lfgrk ;k rRle; ioÙk fdlh vU; fofèk }kjk tlk micfUèkr g mld flok; dkb U;k;ky; tc mlu fdlh ekey dk fuiVku d fy, viu fu.k; ;k vfUre vkn'k ij gLrk{kj dj fn, g rc fyfid; ;k xf.krh; Hky dk Bhd dju d flok; mle dkb ifjoru ugh djxk ;k mldk iufoykdu ugh djxkA***

11. इस प्रकार, उक्त प्रावधान के सादे पठन से यह स्पष्ट है कि ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3904 वर्ष 2010 में पारित अंतिम आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करके परिवर्तित और/अथवा पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है।

12. राज्य, डी॰ एस॰ पी॰, एस॰ बी॰ सी॰ आई॰ डी॰ चेन्नई (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

> *^^;fn ekeyk fofèk d vfHkO;Dr 'kCnk }kjk vkPNkfnr g] U;k;ky; lkfofèkd çkoèkkuk dk njfdukj ugh dj ldrk g vkj bld ctk, vrfufgr vfèkdkfjrk dh vkV e u;k çkoèkku fodflr ugh dj ldrk gA n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 dk ç;kx x.kkx.kk ij fofuf'pr ;kfpdk fuiVku oky vkn'k dk pukrh nu vFkok ifjofrr dju d fy, ugh fd;k tk ldrk gA n0 ç0 l0 dh èkkjk 362 fyfid; vFkok xf.krh; xyfr;k d ekeyk d flok, vfre vkn'k dk iu% pukrh çfrf"k) djrh gA n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 mPp U;k;ky; dk ,l vkn'k tk n0 ç0 l0 d vèkhu fdlh vkn'k dk çHkko nu d fy, vko';d gk ldrk g ikfjr dju d fy, vFkok fdlh U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx jkdu d fy, vFkok U;k; dk mí'; ljf{kr dju d fy, l{ke cukrh gA fdr] vrfufgr 'kfDr;k fl)kr ,o iofu.k; }kjk mruh gh fu;f=r g ftruh lfofèk;k }kjk bldh vfHkO;Dr 'kfDr;k gA***

13. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित पूर्वोक्त विधि की दृष्टि में, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग में पहले पारित किया गया कोई अंतिम आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 362 में अंतर्विष्ट प्रावधान को अनदेखा करके पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है।

14. अधीक्षक एवं विधि परामर्शी, पश्चिम बंगाल बनाम मोहन सिंह एवं अन्य (ऊपर) में निर्णय पर याची के विद्वान अधिवक्ता का विश्वास इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि उस मामले में माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया था कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन पृथक आवेदन दाखिल करके पूर्व आदेश पुनरीक्षित और/अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किंतु, उस मामले में माननीय न्यायाधीशों ने आगे अभिनिर्धारित किया कि यदि कार्यवाही के अभिखंडन के लिए पूर्व आवेदन खारिज कर दिया गया है, तब नए आधार पर कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए नया आवेदन दाखिल किया जा सकता है। इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णय में अधिकथित विधि इस मामले के तथ्यों में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि याची ने विचारण के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना प्रार्थना किया कि ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3904 वर्ष 2010 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश उपांतरित किया जाए और

अभियुक्त द्वारा जमा की गयी राशि की निर्मुक्ति आदेश इस याची (सूचक) के पक्ष में करने का नया निर्देश जारी किया जाए।

15. **डॉ॰ ए॰ एम॰ बेरी बनाम रवि अरोड़ा एवं अन्य (ऊपर)** और **जोसेफ पॉल बनाम श्रीमती शेली धाल (ऊपर)** में याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अन्य निर्णय भी इस मामले के तथ्यों में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि वे नए आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन की पश्चातवर्ती दाखिली और आवेदन के अभिखंडन से संबंधित है।

16. चूँकि वर्तमान मामले में याची द्वारा की गयी प्रार्थना दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 362 द्वारा वर्जित है, अत: यह आवेदन पोषणीय नहीं है।

17. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं इस आवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ, तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o vferkHk dekj xlrk] U;k;efrx.k

कुमारी बिप्लबी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 268 of 2014. Decided on 4th January, 2016.

विद्यालय विधि–नियुक्ति–सहायक शिक्षक का पद–फॉर्म की दाखिली के अंतिम तिथि पर याची बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित हुई थी और अनुत्तीर्ण घोषित की गयी थी–चयनितों का पैनल नियमावली की अनुपस्थिति में भी केवल एक वर्ष के लिए वैध बना रहा–इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दाखिल करने में घोर अस्पष्टीकृत विलंब हुआ है–एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश मान्य ठहराया गया–एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किया गया।

(पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(2007)8 SCC 161—Relied; 2008(4) JLJR 184—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Ranjan, Ashok Kumar Yadav, For the Appellant; Mr. D.K. Dubey, For the State; Mr. Sanjay Piprawall, For the Resp. No. 5.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह लेटर्स पेटेन्ट अपील मूल याची (वर्तमान अपीलार्थी) द्वारा दाखिल किया गया है, जिसकी रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7898 वर्ष 2012 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 3.12.2013 के निर्णय एवं आदेश के तहत खारिज कर दी गयी थी।

2. ताथ्यिक मैट्रिक्स:

झारखंड राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा सितंबर, 2002 में लोक विज्ञापन जारी किया गया था।

● उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.9.2002 थी।

● इस अपीलार्थी (मूल याची) ने वर्ष 1995-96 में अपना बी॰ एड॰ अध्ययन किया और वर्ष 2001 में परीक्षा में उपस्थित हुई किंतु वर्ष 2002 में बी॰ एड॰ परीक्षा में अनुत्तीर्ण रही। पुन: वह अक्टूबर, 2003 में बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित हुई और इसमें उत्तीर्ण हुई और फरवरी, 2004 में उसे अंक पत्र दिया गया था।

● झारखंड लोक सेवा आयोग ने दिनांक 27.5.2003 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा लिया।

● दिनांक 14.11.2003 को सफल उम्मीदवारों के परिणाम की प्रथम सूची घोषित की गयी थी जबकि दिनांक 18.8.2005 को सफल उम्मीदवारों के परिणाम की द्वितीय सूची घोषित की गयी थी, जिसमें इस अपीलार्थी (मूल याची) का नाम सम्मिलित किया गया था और उसे झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार घोषित किया गया था। किंतु, उसे प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और, इसलिए, इस अपीलार्थी ने रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7898 वर्ष 2012 दाखिल किया, जिसे दिनांक 3.12.2013 के आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया था, अत: मूल याची ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।

3. <u>अपीलार्थी (मूल याची) के अधिवक्ता का तर्क:</u>

(I) अपीलार्थी के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2002 के नियम 4 के मुताबिक उम्मीदवार जिसने पहले ही बी॰ एड॰ पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लिया था, आवेदन देने का पात्र था, किंतु उक्त उम्मीदवार को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के पहले उक्त उम्मीदवार को बी॰ एड॰ परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(II) अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि इस अपीलार्थी द्वारा नियम 4 का सम्यक रूप से अनुपालन किया गया था क्योंकि उसका परिणाम दिनांक 18.8.2005 को घोषित किया गया था और वह स्वयं फरवरी 2004 में बी॰ एड॰ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

(III) अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि 2008 (4) JLJR 184 में प्रकाशित अपने निर्णय के तहत इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा नियम 4 की व्याख्या की गयी है और इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय को उलट नहीं सकते हैं। वस्तुत: उक्त निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश पर बाध्यकारी है।

(IV) अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि वर्ष 2005 के बाद भी, बाद के वर्षों में भी, पूर्वोक्त पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय के आलोक में आवेदकों के मामलों पर विचार करने के लिए अनेक रिट याचिकाओं में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनेक आदेश पारित किए गए हैं और, इसलिए, एक वर्ष बीत जाने के बाद भी चयनित उम्मीदवारों का पैनल प्रभावी बनाया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इन पहलूओं का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और इसलिए रिट याचिका सेवा सं॰ 7898 वर्ष 2012 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 3.12.2013 का निर्णय एवं आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

4. <u>प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता का तर्क:</u>

(I) प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 30.9.2002 पर यह अपीलार्थी (मूल याची) पहले ही बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित हुई थी और 'अनुतीर्ण' घोषित की गयी थी और मामले का यह पहलू पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न है।

(II) प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए मई 2003 में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा लेने के बाद, यह अपीलार्थी (मूल याची) अक्टूबर 2003 में बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित हुई क्योंकि वह वर्ष 2001 की पूर्व परीक्षा में अनुतीर्ण रही है और दिनांक 14.11.2003 को प्रथम सूची परिणाम प्रकाशित किए जाने के बाद अपीलार्थी फरवरी 2004 में बी॰ एड॰ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। ये तथ्य भी उक्त निर्दिष्ट मामले के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न हैं, अत: इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी है।

(III) प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि सामान्यत: चयनित उम्मीदवारों का पैनल **राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश चोपड़ा, (2007)8 SCC 161** (पैराग्राफ 9 एवं इसके आगे), मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मुताबिक किसी विनिर्दिष्ट नियम की अनुपस्थिति में भी एक वर्ष तक प्रभावी रहता है।

(IV) इस अपीलार्थी का चयन दिनांक 18.8.2005 को किया गया था और इसलिए उस तिथि पर उक्त पैनल प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है।

(V) प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि इस अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दाखिल करने में घोर विलंब हुआ है। वर्ष 2005 के बाद, इस याची ने वर्ष 2012 में रिट याचिका दाखिल किया है और समय के इतना लंबा बीतने के बाद कोई पैनल प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है और अंत में, प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र के परिशिष्टों 13 एवं 14 को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देते हुए इस अपीलार्थी ने घोषित किया है कि वह वर्ष 2002 में 58% अंक के साथ बी॰ एड॰ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है। यह झूठी घोषणा है जबकि इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र के परिशिष्ट 14 को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उसे बी॰ एड॰ परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था और वह पुन: अक्टूबर 2003 में परीक्षा में उपस्थित हुई। इस प्रकार, प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देते हुए इस अपीलार्थी (मूल याची) द्वारा की गयी घोषणा झूठी थी और इसलिए भी उसे प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इन पहलूओं का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

5. झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात् प्रत्यर्थी सं॰ 5 के अधिवक्ता का तर्क:–

(I) प्रत्यर्थी सं॰ 5 के अधिवक्ता ने राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा किया गया तर्क अपनाया है और निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा सितंबर 2002 में लोक विज्ञापन दिया गया था और आवेदन देने की अंतिम तिथि दिनांक 30.9.2002 थी। यह अपीलार्थी बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित हुई थी और अनुत्तीर्ण घोषित की गयी थी, अत: पूर्वोक्त नियमावली का नियम 4 (GA) प्रयोज्य नहीं है।

(II) वस्तुत: यह तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वर्तमान मामले को इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न बनाता है। जब एक बार कोई उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए फॉर्म देने की अंतिम तिथि के पहले बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित एवं अनुत्तीर्ण

होता है, ऐसा उम्मीदवार पात्र बिल्कुल नहीं है। अन्यथा भी, याचिका काफी विलंबित चरण पर दी गयी है और पैनल सदैव के लिए प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। पैनल का जीवन निश्चित होने के लिए बाध्य है जो सामान्यत: नियमावली की अनुपस्थिति में भी एक वर्ष है और इसलिए, इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी है।

कारण:

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हम मुख्यत: निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को ग्रहण करने का कारण नहीं देखते हैं:

(I) अपीलार्थी मूल याची है जिसने वर्ष 1995-96 में बी॰ एड॰ पाठ्यक्रम पूरा किया और एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह वर्ष 2001 में परीक्षा में उपस्थित हुई और वर्ष 2002 में उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था।

(II) इस बीच, प्रत्यर्थी ने प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए सितंबर 2002 में लोक विज्ञापन दिया और फॉर्म देने की अंतिम तिथि दिनांक 30.9.2002 थी।

(III) इस प्रकार, तिथि दिनांक 30.9.2002 को इस अपीलार्थी (मूल याची) को बी॰ एड॰ परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था और, इसलिए, **झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2002** का नियम 4 प्रयोज्य नहीं है क्योंकि यह अपीलार्थी (मूल याची) बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित हुई थी और ''अनुत्तीर्ण'' घोषित की गयी थी।

(IV) प्रत्यर्थी सं॰ 5 झारखंड लोक सेवा आयोग ने 27.5.2003 को प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए परीक्षा आयोजित की थी तथा प्रथम परिणाम 14.11.2003 को घोषित किया गया था एवं आज तक अपीलार्थी (मूल याची) ने बी॰ एड॰ परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी।

(V) यह अपीलार्थी (मूल याची) पुन: अक्टूबर, 2003 में बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित हुई और वह फरवरी, 2004 में उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि पर भी इस अपीलार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था और वह द्वितीय परीक्षा में उपस्थित नहीं हुई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम परिणाम घोषित किए जाने के बाद भी यह अपीलार्थी बी॰ एड॰ परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई थी।

(VI) आगे यह प्रतीत होता है कि सफल उम्मीदवारों की द्वितीय सूची दिनांक 18.8.2005 को घोषित की गयी थी जिसमें इस अपीलार्थी (मूल याची) का नाम सफल उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था और वह अक्टूबर, 2003 में बी॰ एड॰ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी, किंतु यह तथ्य प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए इस अपीलार्थी की मददगार मुख्यत: इस कारण से नहीं है क्योंकि फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 30.9.2002 को वह बी॰ एड॰ परीक्षा में उपस्थित हुई थी और अनुत्तीर्ण घोषित की गयी थी।

(VII) **राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश चोपड़ा, (2007)8 SCC 161,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 9 का पठन निम्नलिखित है:–

> *"9. jktLFkku jkT; e f'k{kdk dh Hkjrh LohÑr :i l lkfofèkd fu;ek }kjk 'kkflr gkrh gA vr%] leLr Hkfr;k dk mld fucèkuku lkj dju dh vko';drk gA ;|fi fu;ekoyh dk fu;e 9 (3) fofufn"Vr% ml vofèk dk fofgr ugh djrk g ftld fy, eèkk lph oèk cuh jgxh fdr foèkkueMy dk vk'k; fcYdy Li"V*

*g D;kfd o"k e doy ,d ckj fjfDr;k fofuf'pr dh tkuh gkxhA fjfDr;k tk i'pkrorh o"kk e mnHkr gb] io o"k e r;kj dh x;h p;u lph l Hkjh tk ldrh Fkh vkj u fd vU; rjhdk lA vU;Fkk Hkh] **fdlh fu;e dh vuifLFkfr e] p;u lph dh oèkrk dh lkekU; vofèk ,d o"k gkuh pkfg,A** fcgkj jkT; cuke vejUn dekj feJk e bl U;k;ky; u er fn;k½ (SCC p. 564 Para 9)*

*"9. iokfYyf[kr fLFkfr e] gekj er e] ml fu;Dr fd, tku dk dkb fofèkd vfèkdkj ugh FkkA ;g lKkr g fd iuy dk thou ,d o"k d fy, oèk cuk jgrk gA tc ,d ckj ;g chr tkrk g] tc rd jkT; }kjk lefpr vkn'k tkjh ugh fd;k tkrk g] mDr iuy l fu;fDr ugh dh tk ldrh gA***

vkx ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk% (SCC p. 565, Para 13)

*"13. ;gk igy xkj fd, x, fu.k; bl çfriknuk ij çkfèkdkj g fd foKkiu d fucèkuk dk è;ku e j[k dj çrh{kk lph ij ÑR; djuk gkxk vkj fdlh Hkh fLFkfr e ;g fofgr vofèk d ij çoÙk ugh jg ldrk gA** ¼tkj Mkyk x;k½*

पूर्वोक्त निर्णय की दृष्टि में, चयनित उम्मीदवारों का पैनल नियमों की अनुपस्थिति में भी केवल एक वर्ष तक वैध रहेगा और, इसलिए, भी इस अपीलार्थी को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका को खारिज करते हुए मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

VIII. वर्ष 2005 के बाद वर्ष 2012 में इस अपीलार्थी द्वारा याचिका दाखिल की गयी है। इस प्रकार, इस अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दाखिल करने में घोर विलंब हुआ है और ऐसे विलंबित चरण पर रिट याचिका दाखिल करने में विलंब का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं है।

IX. इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र के परिशिष्ट 13 को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उसने प्रश्नगत पद के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग के समक्ष अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि वह वर्ष 2002 में 58% अंक के साथ राँची विश्वविद्यालय से बी० एड० परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है जबकि परिशिष्ट 14 को देखते हुए वह वर्ष 2001 में अनुत्तीर्ण घोषित की गयी थी और वह पुनः अक्टूबर, 2003 में बी० एड० परीक्षा में उपस्थित हुई और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। इस प्रकार, इस अपीलार्थी (मूल याची) द्वारा झूठी घोषणा की गयी थी जब उसने प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आवेदन दिया। यह झूठी घोषणा भी उसे प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र बनाती है।

7. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण हम अभिनिर्धारित करते है कि इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलती नहीं किया है और हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लेने का कारण नहीं पाते हैं।

8. इस प्रकार, सारहीन होने के कारण, यह लेटर्स पेटेन्ट अपील एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] U;k;efr

डॉ॰ राकेश कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 2391 of 2015 (Quashing). Decided on 5th January, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 73, 82 एवं 482—गिरफ्तारी वारन्ट और आदेशिका जारी किया जाना–अभिखंडन–यह प्रत्येक अभियुक्त की कामना होती है कि अन्वेषण अधिकारी आलसी हो, किंतु वह सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट एवं आदेशिका अभिखंडित करने का कारण नहीं हो सकता है–तथ्य दर्शाते हैं कि अभियोजन द्वारा यथा अभिकथित अपराधों के अवयव उपस्थित हैं–जब अपराध मोटे तौर पर निर्मित होता है, न्यायालय को अभियोजन आरंभिक चरण पर अभिखंडित करने की तुलना में जारी रखने की ओर अधिक इच्छुक होना चाहिए–याचिका खारिज। (पैराएँ 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–(2012)9 SCC 460; (2013)10 SCC 581—Relied; 1992 Supp. (1) SCC 335; (2007)14 SCC 768; (2005)6 SCC 1; (2010)3 SCC 480; (2013)2 SCC 1—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. Krishna Gopal Sharma, Mikesh Kumar, S.K. Roy, For the Petitioner; M/s. Kaushik Sarkhel, B.M. Tripathi, Indrajit Sinha, For the Opp. Parties.

आदेश

यह याचिका भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 386/387/420/269 के अधीन और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304A (यह धारा 304A विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, राँची द्वारा पारित दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के आदेश के तहत जोड़ी गयी है) के अधीन दर्ज प्राथमिकी डोरन्डा पी॰ एस॰ केस सं॰ 623 वर्ष 2015 दिनांकित 20 अक्टूबर, 2015 के अभिखंडन के लिए, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 के अधीन गिरफ्तारी वारन्ट जारी करते हुए विद्वान सब डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए और सब डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को जारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन आदेशिका जिसे दिनांक 26 नवंबर, 2015 को इस याची के परिसर पर चिपकाया गया था के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है।

तात्थिक मैट्रिक्सः

2. सूचक श्री अश्विनी कुमार ने डोरन्डा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपने परिवाद में कथन किया है कि उसकी पत्नी निवेदिता ने 15 अक्टूबर, 2015 को अपराह्न 3.21 बजे डॉ॰ लक्ष्मी चौधरी द्वारा शल्य चिकित्सा के माध्यम से लक्ष्मी नर्सिंग होम, हिनू, राँची में पुत्री को जन्म दिया था। डॉ॰ लक्ष्मी चौधरी ने जन्म के समय संतान को स्वस्थ घोषित किया था। तत्पश्चात, उसी दिन अपराह्न लगभग 11 बजे संतान बीमार हो गयी। डॉ॰ लक्ष्मी चौधरी को सूचित किया गया था और डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को बुलाया था जो वर्तमान याची डॉ॰ राकेश कुमार है। डॉ॰ राजेश कुमार ने कहा कि संतान को उसके अस्पताल 'वात्सल्य शिशु गृह' में भरती किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, संतान डॉ॰ राकेश कुमार के स्वामित्व वाले 'वात्सल्य शिशु गृह' में भरती की गयी थी। परिवाद से आगे प्रतीत होता है कि डॉ॰ राकेश कुमार ने 20,000/- रुपया जमा करने का निर्देश दिया था क्योंकि केवल तत्पश्चात इलाज शुरू किया जाएगा। परिवाद के मुताबिक, 10,000/- रुपया जमा किया गया था, किंतु याची डॉ॰ राकेश कुमार ने संतान का इलाज करने से इनकार कर दिया। पुनः यह कहा गया था कि जब तक 20,000/- रुपया जमा नहीं

किया जाएगा, इलाज शुरू नहीं होगा। सूचक द्वारा आगे कथन किया गया है कि काफी समझाने-बुझाने के बाद डॉ॰ राकेश कुमार 10,000/- रुपया के भुगतान के बाद नवजात शिशु का इलाज करने के लिए तैयार हुए थे, किंतु पहले ही काफी समय बर्बाद हो चुका था। तत्पश्चात, प्रत्येक दिन याची डॉ॰ राकेश कुमार द्वारा धन मांगा जाता था और सूचक को लगातार बताया गया था कि संतान का स्वास्थ्य सुधर रहा है। तत्पश्चात, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को अपराह्न 8 बजे 10,000/- रुपया मांगा गया था, जिसे अपराह्न 10 बजे जमा किया गया था और तत्पश्चात, मध्य रात्रि में डॉ॰ राकेश कुमार द्वारा यह सूचित किया गया था कि नवजात शिशु का इलाज संभव नहीं था और उसे 'रानी चिल्ड्रेन अस्पताल' ले जाया जा सकता है। सूचक द्वारा आगे कथन किया गया है कि जब उन्होंने इलाज से संबंधित कागजात मांगा, डॉ॰ राकेश कुमार ने इसे देने से इनकार कर दिया जब तक 15,000/- रुपया का भुगतान नहीं किया जाता है और तत्पश्चात, संतान रानी चिल्ड्रेन अस्पताल भरती की गयी थी जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।

3. पूरे परिवाद को बांधने वाला धागा इस प्रभाव का है कि डॉ॰ राकेश कुमार छल कर रहा था और किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय अथवा घोर उपहति का भय दिखकर धन का उद्दापन कर रहा था और राशि का परिदान करने के लिए व्यक्ति को गैर ईमानदार रूप से प्रेरित कर रहा था और नवजात शिशु का समय से इलाज नहीं करने से उपेक्षावान था जब तक सूचक द्वारा उसको राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और तद्द्वारा उपेक्षापूर्वक नवजात शिशु का मृत्यु कारित किया है। इसका परिणाम भा॰ दं॰ सं॰ के अधीन अनेक अपराधों में हुआ है, विशेषत: भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 386/387/420/269 एवं 304A के अधीन धारा 304A सब डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी के दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के आदेश द्वारा जोड़ी गयी थी। दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को डोरन्डा पुलिस थाना, डोरन्डा में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 को जब पुलिस इस याची के निवास स्थान पर पहुँची, वह उपलब्ध नहीं था। पुन: दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को पुलिस इस आवेदक के निवास स्थान पर गयी थी, किंतु वह उपलब्ध नहीं था। तत्पश्चात, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को पुलिस पुन: इस आवेदक के निवास स्थान पर अन्वेषण के लिए गयी किंतु वह उपलब्ध नहीं था। दिनांक 22 अक्टूबर 2015 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A (1) के अधीन आवश्यक नोटिस जारी किया गया था और अंतत: दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को गिरफ्तारी वारन्ट जारी करते हुए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 के अधीन सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि पुलिस दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को अपराह्न 10.10 बजे पुन: इस आवेदक के निवास स्थान पर गयी थी, किंतु डॉ॰ राकेश कुमार उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, उस पर गिरफ्तारी वारंट जिसे सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा जारी किया गया था निष्पादित नहीं किया जा सका था। आगे यह प्रतीत होता है कि पुन: दिनांक 4.11.2015 को अन्वेषण अधिकारी डॉ॰ राकेश कुमार के निवास स्थान पर गया था किंतु वह उपलब्ध नहीं था। यही प्रक्रिया दिनांक 17.11.2015 को दोहरायी गयी थी और डॉ॰ राकेश कुमार का अता पता नहीं था और अंतत: 23 नवम्बर, 2015 को इस आवेदक को फरार अभियुक्त घोषित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन सब डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को आदेश पारित किया गया था।

4. तत्पश्चात, इस अदृश्य डॉक्टर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अंतरण याचिका टी॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 482 वर्ष 2015 दाखिल किया है जिसे दिनांक 27 नवंबर, 2015 को वापस ले लिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस अंतरण याचिका को वापस लेने के बाद दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 269 वर्ष 2015 न्यायिक आयुक्त, राँची के समक्ष दाखिल किया गया था और इसे दिनांक 1 दिसंबर, 2015 को वापस ले लिया गया था और तत्पश्चात् प्राथमिकी के अभिखंडन के लिए और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 के अधीन दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए तथा एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, राँची द्वारा पारित दिनांक 23 नवंबर, 2015 के आदेश जिसमें दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका

पारित की गयी थी जिसे दिनांक 26 नवंबर को याची के परिसर पर चिपकाया गया था के अधीन खंडन के लिए इस दांडिक विविध याचिका सं॰ 2391 वर्ष 2015 को दाखिल किया गया है।

<u>याची की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क:</u>

5. वरीय अधिवक्ता श्री कृष्ण गोपाल शर्मा ने निवेदन किया कि नवजात शिशु का समुचित इलाज करने में डॉ॰ राकेश कुमार की ओर से उपेक्षा नहीं हुई है। इस याचिका के साथ संलग्न अनेक परिशिष्ट, विशेषत: परिशिष्ट 2 एवं 3 सुझाते हैं कि सही इलाज किया गया था और समस्त परीक्षाएँ की गयी थी और मानक चिकित्सीय प्रोटोकोल के मुताबिक शिशु का इलाज किया गया था। डॉ॰ राकेश कुमार ने यह कथन नहीं किया है कि जब तक धन का भुगतान नहीं किया जाता है, इलाज शुरू नहीं होगा। याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस याची द्वारा दाखिल द्वितीय पूरक शपथ पत्र के साथ संलग्न परिशिष्टों 8, 9, 10 एवं 11 श्रृंखला पर भी विश्वास किया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों पर भी विश्वास किया है:–

(a) ***gfj;k.kk jkT; cuke Hktu yky] 1992 Supp (1) SCC 335***

(b) ***èkut; mQ èkut; dekj flg cuke fcgkj jkT; ,o ,d vU;] (2007)14 SCC 768.***

(c) ***tdc eF; cuke itkc jkT; ,o ,d vU;] (2005)6 SCC page 1***

(d) ***dle 'kek ,o vU; cuke c=k gkLihVy ,.M efMdy fjlp lVj ,o ,d vU;] (2010) 3 SCC 480.***

(e) ***,0 ,l0 ohO ukjk;.k jko cuke jRukekyk ,o ,d vU;] (2013)10 SCC 741 ,o***

(f) ***yfyrk dekjh cuke mÙkj çn'k ljdkj ,o vU;] (2014)3 SCC page 1***

(g) flfoy vihy l0 3541 o"k 2002 e fnukd 17 Qjojh] 2009 dk ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk fn;k x;k fu.k;A

पूर्वोक्त निर्णयों की दृष्टि में, यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने के पहले पुलिस द्वारा चिकित्सीय मत प्राप्त किया जाना चाहिए था। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी है और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 386/387/420/269 एवं 304A के अवयव अनुपस्थित हैं और इसलिए डोरन्डा पुलिस थाना में दर्ज दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 की प्राथमिकी डोरन्डा पी॰ एस॰ केस सं॰ 623 वर्ष 2015 अभिखंडित एवं अपास्त करने योग्य है और इसालिए, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 के अधीन पारित दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ द्वारा पारित आदेश और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन पारित दिनांक 23 नवंबर, 2015 का आदेश भी अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

7. याची के अधिवक्ता ने डब्ल्यू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 420 वर्ष 2015 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 29 सितंबर, 2015 के निर्णय पर भी विश्वास किया है और निवेदन किया है कि यदि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन कोई आदेश जल्दबाजी में पारित किया जाता है, इसे अभिखंडित कर देना चाहिए।

<u>राज्य के अधिवक्ता ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा प्रस्तुत तर्क:</u>

8. ए॰ पी॰ पी॰ ने जोरदार निवेदन किया है कि सूचक द्वारा दाखिल परिवाद को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि सूचक ने विस्तारपूर्वक कथन किया है कि किस प्रकार यह याची डॉ॰ राकेश कुमार लगातार

धन मांग रहा था और वह कह रहा था कि केवल मांगे गए धन के भुगतान के बाद नवजात शिशु का इलाज किया जाएगा। व्यक्ति को मृत्यु अथवा घोर उपहति का भय दिखाकर डॉ॰ राकेश कुमार द्वारा धन का उद्दापन किया गया था। राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने विस्तारपूर्वक विवरण दिया है कि किस प्रकार यहाँ उपर कथित भा॰ दं॰ सं॰ की समस्त धाराओं के अवयव उपस्थित थे। ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि डॉ॰ राकेश कुमार का अता पता नहीं था अथवा वह अन्वेषण के लिए उपलब्ध नहीं था जब पुलिस दिनांक 22 अक्टूबर 2015 को उसके निवास स्थान पर गयी थी। पुनः दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को यह आवेदक अपने निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं था। पुनः दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को उसका अता पता नहीं था। दिनांक 22 अक्टूबर, 2015 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 41A (1) के अधीन आवश्यक नोटिस दिया गया था और अंततः, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 के अधीन सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। तत्पश्चात भी, यह डॉक्टर दिनांक 4.11.2015 एवं दिनांक 17.11.2015 को उपलब्ध नहीं था अंततः उसे फरार अभियुक्त के रूप में घोषित करते हुए दिनांक 23 नवंबर, 2015 को सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार, डॉ॰ राकेश कुमार अन्वेषण के लिए उपलब्ध नहीं है और वह न्यायालय को भी उपलब्ध नहीं है और इसलिए, उसे फरार अभियुक्त घोषित किया गया था।

9. राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाए और यह याची अन्वेषण में मदद करे। ए॰ पी॰ पी॰ ने **धनंजय उर्फ धनंजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2007)14 SCC 768,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, विशेषतः उसके पैराग्राफ सं॰ 6 पर और उक्त निर्णय के एक अन्य पैराग्राफ पर भी विश्वास किया है। ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि अनेक दस्तावेज जिन्हें इस दांडिक विविध याचिका के मेमो के साथ संलग्न किया गया है और पूरक शपथ पत्र भी वे दस्तावेज हैं जो इस याची की विधिपूर्ण अभिरक्षा में नहीं है। ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यदि हम इस अभिखंडन मामले में याची द्वारा दाखिल शपथ पत्रों के परिशिष्टों को देखते हैं, यह स्पष्ट होगा कि उक्त दस्तावेज इस आवेदक द्वारा अप्राधिकृत रूप से अथवा चोरी करके प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार, यह प्रकट है कि यह याची अन्वेषण एजेन्सी को अदृश्य बने रहते हुए अत्यन्त निकट से अन्वेषण पर निगाह रख रहा है और आगे उसका अन्वेषण अथवा न्याय परिदान प्रणाली अथवा संवैधानिक प्राधिकारियों अथवा संस्थानों के प्रति सम्मान नहीं है। संवैधानिक प्राधिकारियों एवं संस्थानों का सम्मान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A (a) के अधीन प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि इस मामले में न केवल डॉक्टर की उपेक्षा इंगित की गयी है बल्कि परिवाद को देखते हुए फरार अभियुक्त की ओर से धन के उद्दापन की प्रवृति भी इंगित की गयी है जिसका परिणाम उपेक्षा से जुड़ने पर नवजात शिशु की मृत्यु में हुआ है।

विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पूर्ण अन्वेषण किया जाए और आरंभ में ही इस न्यायालय द्वारा प्राथमिकी अभिखंडित नहीं किया जा सकता है।

<u>प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से उपस्थित होनेवाले अधिवक्ता का तर्क:</u>

10. प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ का तर्क अपनाया है और आगे निवेदन किया है कि प्राथमिकी ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 386/387/420/269 तथा 304A के

अधीन प्रथम दृष्टया अपराधों को प्रकट किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने विस्तारपूर्वक भा॰ दं॰ सं॰ की पूर्वोक्त धाराओं के अवयवों की उपस्थिति इंगित किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया है कि अन्वेषण एजेन्सी ने बार-बार इस याची से मुलाकात करने का प्रयास किया, किंतु उसका अता पता नहीं था। दिनांक 22 अक्टूबर, 2015 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 41A (i) के अधीन नोटिस भी जारी किया गया था, किंतु डॉ॰ राकेश कुमार उपलब्ध नहीं था और अंतत: दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को सक्षम न्यायालय द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 के अधीन गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया था। तत्पश्चात भी वह उपलब्ध नहीं था और अंतत: दिनांक 23 नवंबर, 2015 को उसे फरार अभियुक्त घोषित करते हुए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेश पारित किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने **कर्नाटक राज्य एवं एक अन्य बनाम पैस्टर पी॰ राजू, (2006)6 SCC 728,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय विशेषत: उसके पैरा 15 एवं 16 पर, विश्वास किया है। पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर प्रत्यर्थी सं॰ 2 के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि इस चरण पर प्राथमिकी अभिखंडित नहीं की जा सकती है और अन्वेषण किया जाए। प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि इस फरार अभियुक्त याची द्वारा अभिलेख पर अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जो इस याची की प्राधिकृत अभिरक्षा में नहीं है और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि किस प्रकार ये दस्तावेज (जो दांडिक विविध याचिका के मेमो के परिशिष्ट 4 पर और दिनांक 17.12.2015 को इस याची द्वारा दाखिल द्वितीय पूरक शपथ पत्र के परिशिष्ट 10 एवं 11 श्रृंखला पर हैं) याची के कब्जा में आए। इन दस्तावेजों पर याची का ध्यान नहीं दिलाया गया था और, इसलिए, यह प्रकट है कि चोरी अथवा अविधिपूर्ण साधनों द्वारा याची द्वारा इन दस्तावेजों को अप्राधिकृत रूप से प्राप्त किया गया है। केवल उन दस्तावेजों जो अन्वेषण अभिलेख के अभिन्न भाग हैं पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जा सकता है। दस्तावेज जो फरार अभियुक्त की जेब में है और जिन्हें पुलिस द्वारा कभी नहीं दिया गया है, पर न्यायालय द्वारा प्राथमिकी अभिखंडित करने के लिए विश्वास कभी नहीं किया जा सकता है। इन दस्तावेजों को देखते हुए भी, डॉ॰ राकेश कुमार के पक्ष में कुछ नहीं है और इसलिए यह प्राथमिकी, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 के अधीन दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 का आदेश तथा एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, राँची द्वारा पारित दिनांक 23 नवंबर 2015 का आदेश जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेश है, को अभिखंडित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा यह दांडिक विविध याचिका ग्रहण नहीं की जा सकती है।

कारण:

11. दोनों पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ता को सुनने पर और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए **यह दांडिक विविध याचिका मुख्यत: निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से खारिज की जा सकती है:-**

(I) Jh vf'ouh dekj }kjk MkjUMk ifyl Fkkuk e ifjokn nt fd;k x;k Fkk ftl Hkk0 n0 l0 dh èkkjkvk 386/387/420/269 vkj èkkjk 304A (Hkk0 n0 l0 dh èkkjk 304A , l0 Mh0 t0 ,e0] jkph }kjk ikfjr fnukd 23 vDVcj] 2015 d vkn'k d rgr tkMh x;h Fkh) d vèkhu MkjUMk ih0 , l0 dl l0 623 o"k 2015 fnukfdr 20 vDVcj] 2015 d :i e nt fd;k x;k FkkA

(II) lpd vf'ouh dekj }kjk nkf[ky ifjokn dk n[kr g, çrhr gkrk g fd MkO jkd'k dekj u 0;fDr dk eR; vFkok ?kkj migfr dk Hk; fn[kkdj çFke n"V;k èku dk míkiu fd;k gA pfd vUo"k.k vHkh Hkh py jgk g] ;g U;k;ky; bldk vfèkd fooj.k ugh n jgk g fd fdl çdkj Hkk0 n0 l0 dh iokDr èkkjkvk d vo;o mifLFkr g] fdr bruk dguk i;kIr g fd MkO jkd'k dekj dh vkj l

fpfdRlh; mi{kk d vfrfjDr] ifjokn dk n[kr g,] ;g çrhr gkrk g fd mlu 0;fDr dk eR; vFkok ?kkj migfr dk Hk; fn[kkdj míkiu dju dk ç;kl fd;k gA vfHkdFku ;g g fd MkO jkd'k dekj u dgk Fkk fd tc rd èku tek ugh fd;k tk,xk] bykt 'k: ugh gkxkA rc Hkh tc ifjoknh uotkr f'k'k dk ,d vU; vLirky y tkuk pkgrk Fkk] ;kph MkO jkd'k dekj u ifjoknh dk fpfdRlk dkxtkr nu l budkj fd;k] tc rd mldk 15000/-#i;k dk Hkxrku ugh fd;k tkrk gA uotkr f'k'k d bykt d nkjku dkQh le; cckn fd;k x;k Fkk vkj vrr% f'k'k dh eR; gk x;hA

(III) fnukd 20 vDVcj] 2015 dk MkjUMk ifyl Fkkuk e çkFkfedh MkjUMk ihO ,l0 dl l0 623 o"k 2015 nt fd, tku d ckn **MkO jkd'k dekj viu fuokl LFkku ij miyCèk ugh FkkA** fuEufyf[kr frfFk;k ij vUo"k.k vfèkdkjh MkO jkd'k dekj d fuokl LFkku ij x;k%

(a) 23 vDVcj] 2015,

(b) 26 vDVcj] 2015,

(c) 29 vDVcj] 2015 (mlh fnu nk ckj)]

(d) 4 uocj] 2015,

(e) 17 uoEcj] 2015

(f) 26 uoEcj] 2015

bl idkj] iokDr frfFk;k ij **MkO jkd'k dekj dk u rk irk Fkk vkj u gh og vUo"k.k d fy, miyCèk FkkA MkO jkd'k dekj** }kjk fn;k x;k lg;kx ;gh gA

ekey d rF;k l vkx ;g çrhr gkrk g fd **fnukd 22 vDVcj] 2015 dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 41A (1) d vèkhu ukfVl bl ;kph dk tkjh dh x;h Fkh] fdr MkO jkd'k dekj vUo"k.k vfèkdkjh d le{k mifLFkr dHkh ugh gvkA** bl ;kph dh iRuh }kjk bl ukfVl dk çkIr dju l budkj Hkh fd;k x;k Fkk ftl ,l0 MhO t0 ,e0] jkph d fnukd 23 uoEcj] 2015 d vkn'k e çdk'keku Hkh fd;k x;k gA ekey d rF;k l vkx ;g çrhr gkrk g fd rRi'pkr vUo"k.k vfèkdkjh }kjk nkf[ky vkonu ij lc fMfotuy U;kf;d nMkfèkdkjh] jkph u n0 ç0 l0 dh èkkjk 73 d vèkhu fnukd 29 vDVcj] 2015 dk vkn'k ikfjr fd;k g **tk bl ;kph d fo#) fxj¶rkjh okjV g** vkj blfy,] ifyl mlh fnu iu% vijkgu 10.10 ct fxj¶rkjh okjUV fu"ikfnr dju x;h FkhA ml le; Hkh **MkO jkd'k dekj dk vrk&irk ugh Fkk vFkok ;g miyCèk ugh Fkk** vkj vrr% lc fMfotuy U;kf;d nMkfèkdkjh] jkph u fnukd **23 uocj 2015 dk bl ;kph dk Qijkj vfHk;Dr ?kkf"kr djr g, n0 ç0 l0 dh èkkjk 82** d vèkhu vkn'k ikfjr fd;kA mDr vkn'k nkfMd fofoèk ;kfpdk d eek d ifjf'k"V 6/1 ij g tk Hkh pukrh d vèkhu gA n0 ç0 l0 dh èkkjk 82 d vèkhu fnukd 23 uocj] 2015 dk vkn'k ikfjr djr g, ,l0 MhO t0 ,e0] jkph }kjk voèkrk ugh fd;k x;k gA vkjHk e èkkjk 41A (1) d vèkhu ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk vkj rRi'pkr] fnukd 29 vDVcj] 2015 dk l{ke fopkj.k U;k;ky; }kjk n0 ç0 l0 dh èkkjk 73 d vèkhu fxj¶rkjh okjV tkjh fd;k x;k Fkk ftl Hkh fu"ikfnr ugh fd;k tk ldk Fkk D;kfd ;kph vuiyCèk Fkk vkj blfy, fnukd 23 uocj 2015 dk l{ke fopkj.k U;k;ky; }kjk mldk Qijkj vfHk;Dr ?kkf"kr djr g, n0 ç0 l0 dh èkkjk 82 d vèkhu vkn'k ikfjr fd;k x;k FkkA mDr

vkn'kk dk n[kr g, vkj ekey d rF;k l mudk tkMr g,] ;g çrhr gkrk g fd lc&fMfotuy U;kf;d nMkfèkdkjh] jkph }kjk nO çO lO dh èkkjk 82 d vèkhu vkn'k ikfjr dju e voèkrk ugh dh x;h gA

vkx ;g çrhr gkrk g fd ;g MkO jkd'k dekj yxkrkj Qjkj jgkA og vUo"k.k , tUlh vFkok U;k;ky; dk miyCèk ugh gA bl çdkj] MkO jkd'k dekj ;kph dk U;k; ifjnku ç.kkyh vFkok loèkkfud e'khujh ;k lLFkkuk d çfr lEeku ugh gA bl çdkj] ;kph }kjk ey drO; dk Hkx gvk g tlk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 51A (a) d vèkhu ifjdfYir fd;k x;k gA

(IV) bl **vn';] vuiyCèk ,o Qjkj MkO jkd'k dekj** u vud nLrkotk dk Hkh lyXu fd;k g] **tk mldh fofèki.k vfHkj{kk e ugh gA** ; nLrkot fuEufyf[kr g%

(a) bl nkfMd fofoèk ;kfpdk d eek dk ifjf'k"V 4

(b) fnukd 17.12.2015 d f}rh; ijd 'kiFk i= dk ifjf'k"V 10

(c) fnukd 17.12.2015 d f}rh; ijd 'kiFk i= d lkFk lyXu ifjf'k"V 11 J[kyk (;g ifjf'k"V vUo"k.k fjikV lfgr pkj fHkUu çdkj d nLrkotk dk vrfo"V djrk gA)

; leLr nLrkot bl ;kph dh fofèki.k vfHkj{kk e ugh gA tc bl U;k;ky; u ;kph d fy, mifLFkr vfèkoDrk Jh Ñ".k xkiky 'kek l ;g ç'u iNk] og ;kph d ikl bu nLrkotk dh çkfèkÑr vfHkj{kk d ckj e dN Hkh bfxr dju e v{ke jgA **;g çrhr gkrk g fd bu nLrkotk dk vçkfèkÑr :i l vFkok pkjh djd çklr fd;k x;k FkkA**

bl çdkj] ;g vn'; MkO jkd'k dekj **vUo"k.k ,tUlh l vkj U;k;ky; l Hkh nj cuk jgk] fdr ;g çdV g fd og vUo"k.k ,o vU; dk;okfg;k dk vR;Ur fudV l n[k jgk gA ;g bl vlg;kxh ;kph dh çofÙk gA tc bl U;k;ky; u ;kph d vfèkoDrk l fofufn"V ç'u iNk** fd Qjkj vfHk;Dr oreku e dgk g] **og ;kph d vrk irk d ckj e dkb mÙkj nu e v{ke gA**

(V) **foukn j?ko'kh cuke vt; vjkMk ,o vU;] 2013 (10) SCC 581,** e ijkxkQ lO 30 ,o 31 ij ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g%

"30. **;g lfuf'pr fofèkd çfriknuk g fd nkfMd dk;okgh d vfHk[kMu d ekey ij fopkj djr g, U;k;ky; dk ^^enk ink g, f'k'k dh gR;k** ugh djuh pkfg, vkj lefpr dk;okgh dk xyk ugh ?kkVk tkuk pkfg, tc rd ,lk dju d fy, vfuok; ifjfLFkfr;k ugh gA vUo"k.k dk vkjHk e gh cn ugh dj nuk pkfg, ;fn vfHkdFkuk e dN lkj gA tc vfHk;ktu vkjfHkd pj.k ij vfHk[kfMr fd;k tkuk g] U;k;ky; }kjk ykx dh tku okyh ijh{kk ;g g fd D;k v[kfMr vfHkdFku] tSlk fd;k x;k g] çFke n"V;k vijkèk xfBr djr gA bl pj.k ij u rk U;k;ky; tkp 'k: dj ldrk g fd D;k ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dk lk{; }kjk LFkkfir fd, tku dh lHkkouk g vkj u gh U;k;ky; dk mle fd, x, vfHkdFkuk dh vfèklHkko;rk] fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk vkduk pkfg,A bld vfrfjDr] nO çO lO dh èkkjk 216 d çkoèkkuk dh nf"V e lk{; fn, tku d ckn nkf[ky fd, x, vkjki i= vFkok vkjfHkd pj.k ij fojfpr fd, x, vkjki dk**

ifjofrZr@l'kksf/kr fd;k tk ldrk gS vFkok cknesa dHkh pj.k ij vkjksi tksM+k tk ldrk gSA vr%] mPp U;k;ky; vFkok bl U;k;ky; }kjk Hkh ikfjr vkns'k ml vkns'k ds vè;/khu gS ftls cknesa dHkh pj.k ij fopkj.k U;k;ky; }kjk ikfjr fd;k tk,xkA

31. **mDr dh nf"V esa] ge vk{ksfir ifjoknesa vFkok mlesa vk{ksfir vkns'kksa esa gLr{ksi djus dk dksbZ rdZ.k dkj.k ugha ns[krs gSA vihy x.kkx.k jfgr gS vkj rnuqlkj [kkfjt dh tkrh gSA**** (tksj fn;k x;k)

iwokZDr fu.kZ; dh nf"V esa] **U;k;ky; dks fu;e crkrk çkFkfedh vfHk;ksDr ugha djuk pkfg,]** fo'ks"kr% tc ;Fkk vfHk;ksfDr vijkèk ds vo;o mifLFkr gSA **U;k;ky; dks tkp 'kq: ugha djuk gS fd D;k nk"kfl) gksxh ;k nk"keqfDrA** U;k;ky; vfHk;ksDr] fo'ks"kr% bl ;kph tSls vlg;ksxh ,o Qjkj vfHk;qDr }kjk lyXu fd, x, ifjf'k"Vksa ij Hkh fopkj ugha dj ldrk gSA doy mu nLrkosTk tks ifyl vkj ,O ihO ihO }kjk fn, x, gSa ij fo'okl fd;k tkuk gSA blls pj.k ij gekjk ljksdkj blls nkfMd fofoèk ;kfpdk ds ifjf'k"Vksa ls bl ;kph ds cpko dh ckjhfd;k ds lkFk ugha gSA

(VI) **vfer diwj cuke je'k pUnj] (2012)9 SCC 460,** esa ijkxkQ lO 27 ,o 27.1, 27.3, 27.6, 27.9, 27.12 27.13 vkSj 27.16 ij ekuuh; loksZPp U;k;ky; us fuEufyf[kr vfHkfuèkkZfjr fd;k gS%

"27. **lfgrk ds bu çkoèkkuksa vFkkZr èkkjk 397 ,o èkkjk 482 ds vèkhu vfèkdkfjrk ds foLrkj vkSj vfèkdkfjrk dh lhfeUurk dh egRrk ij fopkj djus ij] gekjs fy, vc mu fl)krksa dk lafpr djuk lefpr gksxk ftuds çfr funsZ'k esa U;k;ky; ,slh vfèkdkfjrk dk ç;ksx djxsA fdUrq] lVhdrk ds lkFk ,sls fl)krksa dk dFku djuk u doy efq'dy gS cfYd vR;Ur nq:g Hkh gSA vfèkdkfèkd vkSj bl U;k;ky; ds vusd fu.kZ;ksa ds oLrqfu"B fo'ys"k.k ij ge vfèkdkfjrk ds lefpr ç;ksx ds fy,] fo'ks"kr% lfgrk dh èkkjk 397 vFkok èkkjk 482 vFkok lkFk&lkFk ds vèkhu] ;FkkfLFkfr] vfèkdkfjrk ds ç;ksx esa vkjksi ds vfHk[kMu ds lacèk esa] fopkj fd, tkus ds fy, dN fl)krksa dk dk<+dj fudkyus esa l{ke gq, gSa%**

27.1. ;|fi lfgrk dh èkkjk 482 ds vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr ij lhek ugha gS fdarq ftruh gh vfèkd 'kfDr gS] mruh gh lE;d lrdZrk ,o lkoèkkuh bu 'kfDr;ksa dks voyac yus esa cjrh tkuh gSA nkfMd dk;okgh fo'ks"kr% lfgrk dh èkkjk 228 ds fucèkuksa ulkj fojfpr vkjksi vfHk[kfMr djus dh 'kfDr dk ç;ksx vR;Ur fdQk;r ls vkSj pkdlh ls vkSj og Hkh fojy ekeyksa esa fojyre esa fd;k tkuk pkfg,A

27.3. mPp U;k;ky; dks vlE;d :i ls gLr{ksi ugha djuk pkfg,A vkjksi dh fojpuk vFkok vkjksi ds vfHk[kMu ds pj.k ij **;g fopkj djus ds fy, fd D;k ekey dk vUr nk"kfl) esa gksxk ;k ugha] lk{; ds foLrkjiwoZd ijh{k.k dh vko';drk ugha gSA**

27.6. O;fDr dh Lora=rk ,o ifjoknh vFkok vUos"k.k djus okys vijkèkh dk vfHk;kftr djus ds vfHk;kstu ds vfèkdkj ds chp lrqyu LFkkfir djuk U;k;ky; dk drO; gSA

27.9. ,d vU; vR;Ur egRoi.k lkoèkkuh ftlds ikyu U;k;ky;ksa dks djuk gS ;g gS fd ;g ; fofuf'pr djus ds fy, fd D;k i;kZIr lkexh gS ftlds vkèkkj

ij ekey dk vr nk"kflf) e gkxk] vfHky[k ij miyCèk rF;k] lk{; ,o lkexh dk ijh{k.k ugh dj ldrk g(**U;k;ky; dk ljkdkj e[;r% li.k :i l fy, x, vfHkdFkuk d lkFk g fd D;k o vijkèk xfBr djx vkj ;fn ,lk g] D;k ;g vU;k; dh vkj y tku oky U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx gA**

27.12. èkkjk 228 vkj@vFkok èkkjk 482 d vèkhu vfèkdkfjrk d ç;kx e] U;k;ky; bl fu"d"k ij vkus d fy, fd dkb vijkèk çdV ugh fd;k x;k Fkk vFkok fd mldh nk"kefDr dh lHkkouk Fkh] **vfHk;Dr }kjk nh x;h ckg; lkexh dk** fopkj e ugh y ldrk gA U;k;ky; dk mld lkFk lyXku vfHky[k ,o nLrkotk ij fopkj djuk gkxkA

27.13. **vkjki dk vfHk[kMu fujrj vfHk;ktu d fl)kr dk viokn gA tgk ekV rkj ij Hkh vijkèk lr"V fd;k x;k g] U;k;ky; dk ml vkjfHkd pj.k ij bldk vfHk[kMu dju d ctk, vfHk;ktu tkjh j[ku dh vuefr nu dh vkj vfèkd >duk pkfg,A** U;k;ky; l nLrkotk vFkok vfHky[kk dh xkg;rk ,o fo'oluh;rk fofuf'pr djku dh nf"V l vfHky[kk l ijh rjg voxr gku dh mEehn ugh dh tkrh g cfYd bl çFke n"V;k fufer er nuk gA

27.16. bUgh fl)krk dk mPp U;k;ky; }kjk lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu vlkèkkj.k ,o U;kid foLrkj okyh vfèkdkfjrk dk ç;kx dju d fy, 0;fDrxr :i l vkj çkFkfedr% lefdr :i l (,d vFkok vfèkd) fopkj e fy;k tk,xkA **tgk vijkèk dh rkfF;d uho Mkyh x;h g] U;k;ky;k dk bu vkèkkjk ij Hkh fd ,d vFkok nk vo;ok dk dFku ugh fd;k x;k g vFkok o lr"V fd, x, çrhr ugh gkr g(dk;okgh vfHk[kfMr dju e ldkp djuk pkfg, vkj tYnckth ugh djuh pkfg, ;fn vijkèk dh vko';drkvk dk lkjoku vuikyu fd;k x;k gA**** (tkj fn;k x;k)

iokDr fu.k;k dh nf"V e] tc vijkèk ekV rkj ij lr"V fd;k tkrk g] U;k;ky;k dk vkjfHkd pj.k ij bldk vfHk[kMu dju d ctk, vfHk;ktu tkjh j[ku dh vuefr nu dh vkj vfèkd >duk pkfg,A Hky gh] vijkèk d ,d ;k nk vo;o lr"V ugh fd, x, g] rc Hkh çkFkfedh vfHk[kfMr ugh dh tk ldrh gA oreku ekey d rF;k e] çkFkfedh n[ku d ckn ;g çrhr gkrk g fd vijkèkk dh vko';drkvk dk lkjoku l vuikyu fd;k x;k gA

nkuk i{kk d vfèkoDrk u foLrkjiod rd fd;k fdr pfd vUo"k.k yfcr g] ;g U;k;ky; foLrkjiod ekey d rF;k dk fo'y"k.k ugh dj jgk gA bl pj.k ij bruk dguk i;kIr g fd HkkO n0 lO dh iokDr èkkjkvk d vo;o ektn g vkj blfy, çkFkfedh vfHk[kfMr ugh dh tk ldrh gA

(VII) tgk rd lc fMfotuy U;kf;d nMkfèkdkjh }kjk ikfjr fnukd 23 uocj] 2015 d vkn'k d vfHk[kMu dk lcèk g vkj fnukd 29 uocj] 2015 d vkn'k d vfHk[kMu dk Hkh lcèk g] bl U;k;ky; d ikl fuEufyf[kr dkj.kk l bu nk vkn'kk dk vfHk[kfMr dju dk dkj.k ugh g%

(a) igy fnukd 22 vDVcj] 2015 dk ifyl }kjk n0 ç0 lO dh èkkjk 41A (1) d vèkhu ukfVl tkjh dh x;h Fkh ft ldk vuikyu ugh fd;k x;k Fkk vkj MkO jkd'k dekj vUo"k.k ,tUlh l nj jgk gA

(b) rRi'pkr fopkj.k U;k;ky; }kjk fnukd 29 vDVcj] 2015 dk n0 ç0 lO dh èkkjk 73 d vèkhu fxj¶rkjh okjUV tkjh fd;k x;k Fkk ftl ml ij fu"ikfnr ugh fd;k tk ldk FkkA

(c) fnukd 23 uocj] 2015 d vkn'k d rgr Qjkj vfHk;Dr d :i e MkO jkd'k dekj dk ?kkf"kr djr g, ,l0 MhO t0 ,e0] jkph }kjk èkkjk 82 d vèkhu vkn'k ikfjr fd;k x;k FkkA

bl çdkj] fnukd 29 vDVcj] 2015 dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 73 d vèkhu fxj¶rkjh okjV tkjh dju e vFkok fnukd 23 uocj 2015 dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 82 d vèkhu vkn'k tkjh dju e lc fMfotuy U;kf;d nMkfèkdkjh] jkph }kjk voèkrk ugh dh x;h g] D;kfd ;g ;kph yxkrkj vkjHk l gh ylr] vuiyCèk ,o Qjkj jgdj vUo"k.k l cp jgk FkkA

(VIII) ;kph d vfèkoDrk u vud fu.k;k ij fo'ok l fd;k gA mue l dkbZ Hkh fuEufyf[kr dkj.kk l lgk;d ugh gA

(a) vfHk;ktu }kjk vfHkdfFkr vijkèkk d leLr vo;ok dh tkp vkj rF;k dk l{e foPNnu bl pj.k ij fd, tku dh vko';drk ugh gA

(b) vijkèkk d ,d ;k nk vo;ok dh vuifLFkfr dh lHkkouk gk ldrh g] fdr] mldk vFk ;g ugh g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr d ç;kx e çkFkfedh vfHk[kfMr djuk gkxk fo'k"kr% **vfer dij cuke je'k pnj] (2012)9 SCC 460,** e ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k;] fo'k"kr% mld ijkxkQk 27.13 ,o 27.16 dk n[kr g,A

(c) çkFkfedh dk vfHk[kMu viokn g vkj ,lh 'kfDr dk ç;kx fdQk;r l] pkdlh d lkFk vkj og Hkh fojy ekeyk e fojyre e fd;k tkuk pkfg,A

oreku ekey d rF;k dk n[kr g,] tlk ;gk mij dFku fd;k x;k g] vfHk;ktu }kjk vfHkdfFkr vijkèk d vo;o mifLFkr gA ekV rkj ij vijkèk fufer fd, x, gA fujirj] bl ;kph }kjk mi{kkoku ÑR; ftldk ifj.kke lØe.k Qyu vkj vrr% uotkr f'k'k dh eR;q e gvk gkxk] d lkFk 0;fDr dk eR;q vFkok ?kkj migfr dk Hk; fn[kkdj èku dk míkiu fd;k x;k FkkA

bu ifjfLFkfr;k e] çkFkfedh vfHk[kfMr ugh dh tk ldrh g] vU;Fkk ;g ^^enk ink g, f'k'k dh gR;k dju d rY; gkxkA **vfHk;ktu dk ne ugh ?kVuk pkfg, tc rd ,lk dju d vfuok;q ifjfLFkfr;k ugh gA** vkjHk e gh vfHk;ktu vfHk[kfMr ugh fd;k tk ldrk g ;fn vfHkdFku e dN lkj g tlk ekuuh; lokPp U;k;ky; u **foukn j?ko'kh cuke vt; vjkMk ,o vU;] 2013 (10) SCC 581,** e ijkxkQ 30 ,o 31 ij vfHkfuèkkfjr fd;k gA

(d) MkO jkd'k Qjkj vfHk;Dr g vkj mldk vrk&irk ugh g vFkok og fnukd 23 vDVcj] 2015, 26 vDVcj] 2015, 29 vDVcj] 2015 (nk ckj) 4 uocj] 2015, 17 uocj] 2015 vkj 26 uocj] 2015 dk vUo"k.k vfèkdkjh dk miyCèk ugh gA **;g vlg;kxh ;kph] ftl vUo"k.k vFkok U;k; ifjnku ç.kkyh d çfr lEeku ugh g]** çkFkfedh dk vfHk[kMu] n0 ç0 l0 dh èkkjk 73 d vèkhu tkjh fxj¶rkjh okjV dk vfHk[kMu vkj l{ke fopkj.k U;k;ky; }kjk tkjh n0 ç0 l0 dh èkkjk 82 d vèkhu ukfVl dk vfHk[kMu bfllr dj jgk gA n0 ç0 l0 dh èkkjk 73 d vèkhu fnukd 29 vDVcj] 2015 d vkn'k vkj n0 ç0

lO dh èkkjk 82 d vèkhu fnukd 23 uocj] 2015 d vkn'k dk ikfjr djr g, lc fMfotuy U;kf;d nMkfèkdkjh] jkph }kjk voèkrk ugh dh x;h gA

(e) ***bl ;kph }kjk vud nLrkot lyXu fd, x, gA ftUg vçkfèkÑr :i l vFkok pkjh djd vFkok vfofèki.k lkèkuk l çkIr fd;k x;k g ftudh vfHkj{kk ;kph d vfèkoDrk }kjk Li"V rd ugh dh tk ldh Fkh tc bl U;k;ky; u ç'u mBk;kA***

; rF; oreku ekey dk ;kph d vfèkoDrk }kjk m)r ekeyk d rF;k l fHkUu cukr g] vr% o lc fu.k; ;kph d ennxkj ugh gA

(IX) ;kph d vfèkoDrk u ;g fuonu Hkh fd;k g fd U;k;ky; }kjk tYnckth e nO çO lO dh èkkjk 73 d vèkhu fxj¶rkjh okjV vkj nO çO lO dh èkkjk 82 d vèkhu vknf'kdk tkjh fd;k x;k gA

e bl çfrokn dk e[;r% bl dkj.k l Lohdkj ugh dj jgk g fd ;kph viuh fxj¶rkjh l cp jgk Fkk] bl n'kk e nO çO lO dh èkkjk 73 d vèkhu fxj¶rkjh okjV tkjh fd;k tkuk g vkj ;fn fxj¶rkjh d bl okjUV dk fu"ikfnr ugh fd;k tkrk g] nO çO lO dh èkkjk 82 d vèkhu vkn'k ikfjr djuk ckè;dkjh gA ***;g çR;d vfHk;Dr dh dkeuk gkrh g fd vUo"k.k vfèkdkjh vkylh gk] fdr og l{ke fopkj.k U;k;ky; }kjk nO çO lO dh èkkjk 73 d vèkhu fxj¶rkjh okjV vkj nO çO lO dh èkkjk 82 d vèkhu tkjh vknf'kdk d vfHk[kMu dk dkj.k ugh gk ldrk gA***

12. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों, न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण डोरन्डा पी॰ एस॰ केस सं॰ 623 वर्ष 2015 की प्राथमिकी, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 के अधीन गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने वाले दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के आदेश और दिनांक 23 नवंबर, 2015 को समक्ष न्यायालय द्वारा पारित दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी इस दांडिक विविध याचिका में कोई सार नहीं है।

13. तद्नुसार, यह दांडिक विविध याचिका खारिज की जाती है।

<u>आई॰ ए॰ संख्या 6799 वर्ष 2015</u>

14. इस दांडिक विविध याचिका में पारित अंतिम आदेश की दृष्टि में, यह अंतर्वर्ती आवेदन भी एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

अरुण कुमार सिन्हा उर्फ अरूण कुमार

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 1558 of 2015. Decided on 10th March, 2016.

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 323, 504 एवं 420 सहपठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—उपहति, आशयपूर्ण अपमान एवं छल–संज्ञान–अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है–कोई परिस्थिति नहीं होने के नाते जो दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कारित करेगी, संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की याची की प्रार्थना अस्वीकार। (पैरा 8)

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 317—अभियुक्त को निजी उपस्थिति से अभिमुक्ति देना–जमानत बंधपत्र के रद्दकरण के बाद याची ने आत्मसमर्पण कभी नहीं किया–याची की वैयक्तिक उपस्थिति, क्योंकि यह उसको अभियोग का सार स्पष्ट करने के लिए आवश्यक था, का आदेश बार-बार दिए जाने के बावजूद याची ने जमानत बंध पत्र के रद्दकरण की ओर ले जाने वाले ऐसे आदेशों को अनदेखा किया–आवेदन खारिज। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. R. Krishna, For the Petitioner; Mr. Vinay Kumar Tiwary, For the Opp.party.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आर॰ कृष्ण एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री विनय कुमार तिवारी सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 504, 420 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संस्थित परिवाद मामला सं॰ 530 वर्ष 2004 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना किया है। दिनांक 25.1.2012 के आदेश के अभिखंडन की भी प्रार्थना की गयी है जिसके द्वारा याची का जमानत बंध पत्र रद्द कर दिया गया है तथा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन उसे प्रस्तुत अभ्यावेदन भी अस्वीकार कर दिया गया है।

3. परिवाद मामला सं॰ 530 वर्ष 2004 में परिवादी द्वारा परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें याची को अभियुक्त सं॰ 4 के रूप में कतारबद्ध किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त सं॰ 1 एवं 2 ने सीमेन्ट के निर्माण एवं विक्रय का व्यवसाय करने के लिए भागीदारी विलेख तैयार किया और दिनांक 3.12.2013 को अभियुक्त सं॰ 1 एवं 2 द्वारा परिवादी के साथ भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया था। बाद में भागीदारी व्यवसाय विफल रहा और अभियुक्त सं॰ 1 एवं 2 ने दो चेक दिया था जिन्हें भुरकुंडा शाखा में प्रस्तुत किया गया था जिसमें दोनों चेकों का अनादर किया गया था। दिनांक 8.5.2004 को परिवादी द्वारा कानूनी नोटिस दी गयी थी जिसे परिवादी को वापस लौटा दिया गया था जिसके अनुसरण में दिनांक 14.6.2004 को दूसरी नोटिस दी गयी थी। यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी दिनांक 1.7.2004 को अभियुक्त सं॰ 3 एवं 4 के पास गया था और उसके साथ अभियुक्त सं॰ 3 एवं 4 द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था।

4. सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी एवं उसके गवाहों का परीक्षण करके जाँच किए जाने पर दिनांक 2.9.2004 को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 504 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियुक्त सं॰ 1 एवं 2 के विरुद्ध मुख्य अभिकथन किए गए हैं और अभियुक्त सं॰ 3 के साथ अभियुक्त सं॰ 4 अर्थात् याची की परिवादी को गाली देने एवं प्रहार करने की भूमिका के संबंध में सरसरी उल्लेख किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि संपूर्ण विवाद भागीदारी व्यवसाय के संबंध में परिवादी और अभियुक्त सं॰ 1 एवं 2 के बीच है और याची को वर्तमान मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 25.1.2012 के आदेश, जिसके द्वारा याची का जमानत बंधपत्र रद्द किया गया था और उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारन्ट जारी किया गया था, का विरोध करते हुए यह निवेदन भी किया है कि याची को दिनांक 16.11.2004 को जमानत प्रदान किया गया था और याची दिनांक 1.7.2010 तक लगातार दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन आवेदन दाखिल करके अपने प्रतिनिधिक हैसियत के मामले में उपस्थित होता रहा। यह निवेदन

किया गया है कि चूँकि मुख्य अभियुक्तगण मामले में उपस्थित नहीं हुए थे, दिनांक 1.7.2010 के आदेश के तहत अभिलेख अलग किया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि यह विचार किए बिना कि दिनांक 1.7.2010 के पहले याची न्यायालय द्वारा उसका जमानत बंधपत्र रद्द किए जाने एवं उसके विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के पहले न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो रहा था।

6. इस पर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री विनय कुमार तिवारी ने निवेदन किया है कि याची लगातार अनुपस्थित रहा था और अंतत: याची को स्थायी फरार के रूप में घोषित करते हुए मामले का अभिलेख अभिलेखागार भेज दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि याची को उसको अभियोग का सार स्पष्ट करने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश बार-बार दिया गया था किंतु याची ने ऐसे निर्देशों का पालन नहीं किया था और, इसलिए, याची द्वारा की गयी प्रार्थना के संबंध में नरम दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है।

7. चूँकि इस आवेदन में याची द्वारा दोहरी प्रार्थना की गयी है, अत: इन पर पृथक रूप से विचार किया जा रहा है।

8. जहाँ तक संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के संबंध में प्रार्थना का संबंध है, यद्यपि विवाद अभियुक्त सं॰ 1 एवं 2 द्वारा परिवादी के साथ भागीदारी व्यवसाय किए जाने के संबंध में आरंभ किया गया था किंतु बाद में जब परिवादी याची के पास गया था, याची एवं अभियुक्त सं॰ 3 ने परिवादी पर प्रहार किया था और उसे पीटा था और उसको गाली तथा धमकी भी दिया। परिवादी द्वारा बाद में ऐसी परिस्थिति का समर्थन किया गया है और उक्त तथ्य पर विचार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 एवं 504 तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया था। इस प्रकार, अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और, इसलिए, दिनांक 2.9.2004 का आदेश पारित करने में विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अवैधता नहीं की गयी है और, इसलिए, कोई परिस्थिति जो दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कारित करेगी नहीं होने के नाते संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के संबंध में याची की प्रार्थना एतद् द्वारा अस्वीकार की जाती है।

9. जहाँ तक याची के विद्वान अधिवक्ता के दूसरे तर्क का संबंध है, यह सत्य है कि संज्ञान लिए जाने के बाद याची को अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया था। याची को दिनांक 16.11.2004 को जमानत प्रदान किया गया था और ऑर्डरशीट से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 1.7.2010 तक दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन आवेदन दाखिल करके अपने अधिवक्ता के माध्यम से याची का प्रतिनिधित्व किया गया है। अभियुक्त सं॰ 1 एवं 2 की अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट एवं आदेशिका जारी किया गया था और उनका अभिलेख अलग कर दिया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 28.8.2010 को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा याची एवं अन्य अभियुक्तों को वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया गया था ताकि उनको अभियोग का सार स्पष्ट किया जा सके। याची की वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक बनाते हुए विद्वान दंडाधिकारी द्वारा बार-बार ऐसे निर्देश जारी किए गए थे किंतु ऑर्डरशीट से यह प्रतीत होगा कि याची ने उपस्थित होना नहीं चुना था जिसका परिणाम दिनांक 25.1.2012 का आदेश पारित किए जाने में हुआ जिसके द्वारा याची द्वारा दाखिल दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, उसका जमानत बंधपत्र रद्द कर दिया गया था और उसके विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया था। जमानत बंधपत्र के रद्दकरण के बाद याची ने आत्मसमर्पण कभी नहीं किया और अंतत: विद्वान अवर न्यायालय याची को स्थायी

फरार घोषित करते हुए दिनांक 21.02.2015 का आदेश पारित करने के लिए मजबूर हुआ था। इस प्रकार, ऑर्डरशीट से यह प्रतीत होगा कि याची की वैयक्तिक उपस्थिति का निर्देश देते हुए बार-बार आदेश पारित किए जाने के बावजूद, क्योंकि यह उसको अभियोग का सार स्पष्ट करने के लिए आवश्यक था, याची ने ऐसे आदेशों को अनदेखा किया जो उसके जमानत बंधपत्र के रद्दकरण की ओर ले गया।

10. अत:, ऐसी परिस्थितियों में, दिनांक 25.1.2012 का आदेश, जो इस आवेदन में चुनौती के अधीन है, किसी अवैधता अथवा दुर्बलता से पीड़ित नहीं है और तद्नुसार दिनांक 25.1.2012 का आदेश अभिखंडित करने के लिए याची की प्रार्थना भी अस्वीकार की जाती है। ऊपर की गयी चर्चा के परिणामस्वरुप, इस आवेदन में याची द्वारा की गयी कोई भी प्रार्थना मान्य नहीं है और यह आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

श्रीमती सालो महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 3830 of 2002. Decided on 16th March, 2016.

बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वास स्थान अभिधृति अधिनियम, 1947—धारा 2 (i)—बासगीत पर्चा जारी किया जाना—चुनौती—राज्य के प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा याची की आपत्ति दूर करके समुचित जाँच के बाद वासस्थान प्रयोजन से भूमिहीन महिला को भूमि का 0.08 एकड़ प्रदत्त किया गया है—बासगीत पर्चा जारी किए जाने के ग्यारह वर्ष बाद, उच्च न्यायालय के पास आने के लिए याची की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है—रिट याचिका खारिज।

(पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.—Mr. S.S. Prasad, For the Petitioner; M/s. Srijit Choudhary, Bharti Singh, For the Respondents; Mr. Alok Lal, For the Respondent no. 4.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण प्रत्यर्थी सं॰ 4 मोस्मात छुट्टु मियाँ गोरेन के पक्ष में खाता सं॰ 39, मौजा लोआपीडी, अंचल सिल्ली, जिला राँची से संबंधित भूखंड सं॰ 75 की 0.08 एकड़ भूमि के लिए बासगीत पर्चा जारी किए जाने से व्यथित हैं। बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासस्थान अभिधृति अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के निबंधनानुसार भूमि की बंदोबस्ती की गयी है जिसे बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों के कतिपय वर्गों द्वारा धारण किए गए वासस्थान के संबंध में भूस्वामी एवं अभिधारी की विधि से संबंधित कतिपय विषयों पर बेहतर प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। परिभाषाएँ : खंड 2 (j) ''विशेषाधिकार प्राप्त अभिधारी'' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन वासभूमि धारण करता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे वासस्थान के लिए किराया का भुगतान करने का दायी है अथवा विशेष संविदा के चलते दायी होगा। खंड 2 (i) के अधीन ''विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो भू-धृतिधारक अथवा महाजन के अधीन स्वत्वधारी, भू-धृतिधारक नहीं है और जो अपनी वासभूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि धारण नहीं करता है या ऐसी कोई भूमि धारण नहीं करता है जो एक एकड़ के परे है।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने उस आधार पर अंचलाधिकारी के समक्ष वास स्थान के लिए भूमि की बंदोबस्ती के लिए आवेदन यह अभिकथित करते हुए दिया कि वह ग्राम लोआपिड़ी, पी॰ एस॰ सिल्ली, जिला राँची में खाता सं॰ 39, भूखंड सं॰ 75 के 0.08 एकड़ भूमि पर विगत 60 वर्षों से रह रही है और इस भूमि के सिवाए उसके पास अन्य भूमि नहीं है। मामला सं॰ 11/91-92 दर्ज करने के बाद, हलका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को मामले की जाँच करने और नक्शा के साथ अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। भूस्वामी को भी नोटिस जारी किया गया था। कोई जयपाल सिंह, खतियानी रैयत का संतति, जो स्थगन के लिए सुरेन्द्र महतो की ओर से उपस्थित हुआ और बाद में वर्तमान याची अंगद महतो की ओर से उपस्थित हुआ और दिनांक 9.10.1991 को आपत्ति दाखिल किया। जाँच रिपोर्ट एवं अंगद महतो द्वारा दाखिल आपत्ति पर विचार करने के बाद मूल प्रत्यर्थी सं॰ 4 का आवेदन बासगीत पर्चा के लिए योग्य पाया गया था क्योंकि वह विगत 60 वर्षों से उक्त भूखंड पर रह रही थी। दिनांक 13.12.1991 को बासगीत पर्चा जारी किया गया था जबकि याची 11 वर्षों बाद वर्ष 2002 में जिला समाहर्त्ता के समक्ष अपील का वैकल्पिक उपचार नि:शेष किए बिना इस न्यायालय के पास आया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि मूल प्रत्यर्थी सं॰ 4 रिट याचिका के पैरा 13 में किए गए निवेदन के मुताबिक एक एकड़ से अधिक भूमि की स्वामिनी है। बंगला भाषा में तैयार किया गया और हिंदी में अनुदित खतियान की प्रति रिट याचिका के परिशिष्ट-6 के रूप में संलग्न है। किंतु, याची के विद्वान अधिवक्ता से विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर न तो रिट याचिका से प्रकथनों से और न ही खतियान की प्रति से यह दर्शाया गया है कि उसमें वर्णित कोई भूमि प्रत्यर्थी सं॰ 4 अथवा उसके पूर्वज के नाम में थी और एक एकड़ से अधिक थी।

5. राज्य प्रत्यर्थी ने भी बासगीत पर्चा जारी करने का बचाव किया है और इसी प्रकार प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करके ऐसा किया है।

6. प्रासंगिक तात्विक तथ्यों एवं भूमिहीन व्यक्ति को अनुतोष प्रदान करने के लिए आशयित अधिनियम के प्रावधानों को विचार में लेते हुए; जो समय की पर्याप्त अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति की वासभूमि धारण कर रहा है और उसके स्वामित्व में एक एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, मूल प्रत्यर्थी सं॰ 4 के पक्ष में बासगीत पर्चा जारी किया जाना विधि या तथ्य की किसी गलती से पीड़ित नहीं है। वस्तुत: राज्य के प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा याची की आपत्ति दूर करते हुए समुचित जाँच के बाद वासभूमि के प्रयोजन से भूमिहीन महिला को कम से कम 0.08 एकड़ भूमि प्रदत्त की गयी है। याची की ओर से बासगीत पर्चा जारी किए जाने के 11 वर्ष बाद वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय के पास आने का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

7. इन समस्त चीजों और यहाँ उपर दर्ज कारणों पर विचार करने पर मैं आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं पाता हूँ।

8. रिट याचिका खारिज की जाती है। लंबित आई॰ ए॰ भी बंद किया जाता है।

---

ekuuh; ç'kkUr dekj] U;k;efr

मो॰ कलीम

cuke

मुकेश भंडारी एवं अन्य

Cr. Rev. No. 390 of 2001. Decided on 8th March, 2016.

सी॰ पी॰ सं॰ 1161 वर्ष 2000 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 18.6.2001 के आदेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420 एवं 406— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 203—छल एवं न्यास का दांडिक भंग–परिवाद याचिका की खारिजी–कारबार ब्यौहार के अनुसरण में त्रुटिपूर्ण फर्नेसों की आपूर्त्ति–आरंभ में विपक्षी पक्षकारों की ओर से प्रेरणा नहीं है–परिवाद, याचिका में अभिकथन नहीं है कि याची ने विपक्षी पक्षकारों को कोई संपत्ति सौंपा था जिसका विपक्षी पक्षकारों ने दुर्विनियोग किया था–न्यास के दांडिक भंग का अपराध नहीं बनता है–विपक्षी पक्षकारों ने स्वीकार किया कि फर्नेस में कुछ निर्माण त्रुटियाँ हैं–उनका याची के साथ छल करने का आशय नहीं था–आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है–पुनरीक्षण आवेदन खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Saket Upadhyay, For the Petitioner; M/s Shekhar Sinha, Kalyan Banerjee, For the Opp. Parties.

न्यायालय द्वारा.–यह पुनरीक्षण आवेदन सी॰ पी॰–1161 वर्ष 2000 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 18.6.2001 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा उन्होंने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 203 के अधीन याची की परिवाद याचिका खारिज कर दिया।

2. यह प्रतीत होता है कि याची ने परिवाद याचिका उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया कि वह मेसर्स सनराइज इनगॉट प्राइवेट लि॰ का निदेशक है जो समस्त प्रकार के साँचों के निर्माण का कारबार करती है। तब परिवाद याचिका में यह कथन किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 1 मेसर्स एलेक्ट्रोथर्म (आई॰) लि॰ का अध्यक्ष है और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 से 4 पूर्वोक्त कंपनी के अन्य अधिकारी हैं। आगे यह कथन किया गया है कि याची 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' की आपूर्त्ति के लिए विरोधी पक्षकारों के पास गया जिसकी आपूर्त्ति करने के लिए विरोधी पक्षकार सहमत हुए। आगे यह कथन किया गया है कि याची ने विरोधी पक्षकारों को कुल 39,81,526/- रुपयों का भुगतान किया था। तत्पश्चात, विरोधी पक्षकारों ने पूर्वोक्त 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' की आपूर्त्ति और याची के परिसर में 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस लगाया और चालू किया। फर्नेस चालू होने के बाद याची द्वारा यह पाया गया था कि यह बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा है। तत्पश्चात याची ने पूर्वोक्त फर्नेस की त्रुटि को सुधारने के लिए विरोधी पक्षकारों को सूचित किया। परिवाद याचिका में यह कथन किया गया है कि याची के अनुरोध पर विरोधी पक्षकारों ने त्रुटियाँ हटाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा। यह कथन किया गया है कि विपक्षी पक्षकार के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि कुछ निर्माण त्रुटियाँ हैं जिन्हें हटाने की आवश्यकता है। यह कथन किया गया है कि तत्पश्चात भी विरोधी पक्षकारों ने त्रुटियाँ नहीं हटाया और इस प्रकार याची के साथ छल किया।

3. एस॰ ए॰ पर अपने बयान में याची द्वारा इन्हीं तथ्यों का कथन किया गया है। याची की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों ने भी ऐसा ही कहा था। किंतु, विद्वान अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद निष्कर्षित किया था कि विरोधी पक्षकारों ने पूर्वोक्त 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' की आपूर्ति करते हुए याची को प्रवंचित नहीं किया था और यह प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच कुछ सिविल विवाद है जिसके लिए याची विरोधी पक्षकारों पर नुकसानी के लिए वाद कर कहा है। तद्नुसार, विद्वान अवर न्यायालय निष्कर्ष पर आए कि भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 420 एवं 406 के अधीन अपराध नहीं बनता है और परिवाद याचिका खारिज कर दिया।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विरोधी पक्षकारों ने याची को उनसे 'इंडक्शन मेंल्टिंग फर्नेस' खरीदने के लिए प्रेरित किया और उनके अनुनय पर याची ने उनको 39 लाख रुपयों से अधिक का भुगतान किया किंतु विरोधी पक्षकारों ने याची के साथ छल करने के आशय से त्रुटिपूर्ण 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' का आपूर्त्ति किया। अत:, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन अपराध बनता है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर पी॰ पी॰ श्री शेखर सिन्हा एवं विरोधी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता श्री कल्याण बनर्जी ने निवेदन किया कि परिवाद याचिका, एस॰ ए॰ पर परिवादी के बयान एवं अन्य गवाहों के अभिसाक्ष्य के परिशीलन से, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 420 एवं 406 के अधीन अपराध नहीं बनता है। यह निवेदन किया गया है कि स्वीकृत रूप से याची स्वयं 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' की आपूर्ति के लिए विरोधी पक्षकारों के पास गया। इस प्रकार, पूर्वोक्त 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' की आपूर्ति के लिए याची को प्रेरित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि 'इंडक्शन मेल्टिंग' फर्नेस' लगाए जाने के समय पर भी याची ने कोई आपत्ति नहीं किया था। यह प्रतीत होता है कि फर्नेस चालू करने के बाद कुछ निर्माण त्रुटियाँ सामने आयी जिन्हें विरोधी पक्षकारों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार किया गया था। पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन, विरोधी पक्षकारों का आरंभ से याची के साथ छल करने का आशय नहीं है। अधिकाधिक यह कहा जा सकता है कि यह संविदा भंग का मामला है जिसके लिए याची नुकसानी का हकदार है। तद्नुसार, विरोधी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान अवर न्यायालय ने सही प्रकार से संप्रेक्षित किया था कि याची को नुकसानी के लिए विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध वाद दाखिल करना चाहिए।

6. निवेदनों को सुनने पर मैंने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है। यह स्वीकृत अवस्था है कि याची स्वयं पूर्वोक्त 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' की आपूर्ति के लिए विरोधी पक्षकारों के पास गया जिसकी आपूर्ति करने के लिए विरोधी पक्षकार सहमत हुए। इस प्रकार, आरंभ से, विरोधी पक्षकारों की ओर से प्रेरणा नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन अपराध के आवश्यक अवयवों में से एक गायब है। आगे यह प्रतीत होता है कि विरोधी पक्षकारों ने 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' का आपूर्ति किया था और इसे याची के कारखाना परिसर में लगाया था किंतु इसे चालू करने के बाद कुछ त्रुटियाँ सामने आयी। इन्हें दूर करने के लिए विरोधी पक्षकारों ने अपने अभियन्ताओं को भेजा। यह तथ्य भी दर्शाता है कि विरोधी पक्षकारों का याची के साथ छल करने का आशय नहीं है क्योंकि यदि उनका ऐसा आशय होता, वे 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' की त्रुटियों को दूर करने के लिए अभियन्ताओं को नहीं भेजा होता। बाद में, यह पाया गया था कि पूर्वोक्त फर्नेस में कुछ निर्माण त्रुटियाँ हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कुछ पुर्जा बदलना जरूरी है। यह भी दर्शाता है कि विरोधी पक्षकारों ने स्वीकार किया कि 'इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस' में कुछ निर्माण त्रुटियाँ हैं और इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि उनका याची के साथ छल करने का आशय नहीं है।

7. परिवाद याचिका में अभिकथन नहीं है कि याची ने विरोधी पक्षकारों को कोई संपत्ति सौंपा था जिसका विरोधी पक्षकारों ने दुर्विनियोग किया था। इस प्रकार, मेरा दृष्टिकोण है कि विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध न्यास के दांडिक भंग को अपराध नहीं बनता है।

8. उक्त परिस्थिति के अधीन, परिवाद याचिका में और एस॰ ए॰ पर परिवादी के बयान में उल्लिखित

तथ्यों से मैं पाता हूँ कि भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन वर्णित छल एवं न्यास के दांडिक भंग के अवयव इस मामले में उपलब्ध नहीं हैं। अत:, विद्वान न्यायालय ने सही प्रकार से निष्कर्षित किया कि छल एवं न्यास के दांडिक भंग का अपराध नहीं बनता है। इस प्रकार, मैं आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

किंतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि याची, यदि वह इच्छुक है, नुकसानी के लिए वाद दाखिल कर सकता है जैसा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

हरिनन्दन रजक

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5357 of 2008. Decided on 5th April, 2016.

सेवा विधि–कारण बताओ नोटिस जाँच अधिकारी की रिपोर्ट जिसने याची को दोषी को नहीं पाया है से कोई असहमति अंतर्विष्ट नहीं करता है–याची का मामला कार्यपालक अभियन्ता के मामले के समरुप एवं तद्रुप है जिसके संबंध में दंड का आदेश अभिखंडित किया गया है–याची भी इसी अनुतोष का हकदार है–कारण बताओ नोटिस जारी करने का आक्षेपित निर्णय अभिखंडित किया गया। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Saurabh Shekhar, For the Petitioner; Mr. Ravi Kerketta, For the Respondent.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट आवेदन में याची ने रिट आवेदन के परिशिष्ट–10 के तहत जारी दिनांक 1.10.2008 के द्वितीय कारण बताओ नोटिस को चुनौती दिया है।

2. संक्षिप्त तथ्य, जैसा रिट आवेदन में प्रकट किया गया है, ये हैं कि जब याची कनीय अभियन्ता, चुर्चु प्रखंड, हजारीबाग के रूप में पदस्थापित था, उसको आरोप–ज्ञापन जारी किया गया था और उसके आधार पर एक विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी और जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच अधिकारी ने जाँच करने के बाद विस्तृत जाँच रिपोर्ट यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रस्तुत किया कि याची के विरुद्ध आरोप स्थापित नहीं किया गया है। जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले को दबाए रखा किंतु अचानक अनेक दंडों को अधिनिर्णीत करते हुए दिनांक 11.8.2003 का आक्षेपित आदेश जारी किया गया था।

दंड के आदेश से व्यथित होकर याची ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4310 वर्ष 2003 दाखिल किया। रिट याचिका लंबित रहने के दौरान दिनांक 11.8.2003 का आक्षेपित आदेश दिनांक 2.9.2003 के कार्यालय आदेश के तहत उपांतरित किया गया था। किंतु इस न्यायालय ने दिनांक 31.3.2008 के आदेश के तहत याची पर अधिरोपित दंड अभिखंडित कर दिया है। पूर्वोक्त रिट आवेदन के निपटान के बाद प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा परिशिष्ट–9 के तहत दिनांक 29.9.2008 के आदेश के तहत द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है और तत्पश्चात, याची को 10 दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने के लिए दिनांक 1.10.2008 को द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट–10 से स्पष्ट है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शेखर निवेदन करते हैं कि छह वर्ष बीतने के बाद और वह भी डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4310 वर्ष 2003 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रत्यर्थी प्राधिकारी का निर्णय असंपोषणीय तथा अवैध है और पूर्वोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की परिवंचना के तुल्य है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आक्षेपित द्वितीय कारण बताओ नोटिस में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट के निष्कर्ष के साथ अंतर अथवा असहमति जताने का कारण नहीं दिया गया है और द्वितीय कारण बताओ नोटिस में अधीक्षक अभियन्ता द्वारा की गयी आरंभिक जाँच पर याची को इसके विषयेतर/असंगत होने के नाते अवसर दिए बिना विश्वास किया गया है, क्योंकि याची के अनुसार उच्च स्तरीय कमिटी की रिपोर्ट विभागीय कार्यवाही के क्रम में प्रस्तुत कभी नहीं की गयी थी। जिस प्राख्यान से राज्य की ओर से इनकार नहीं किया गया है। अत:, उक्त आरंभिक रिपोर्ट को विश्वसनीयता/महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

तर्क के क्रम के दौरान, याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मामला **डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2977 वर्ष 2009** में किसी **हरिनंदन सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** में दिनांक 22.6.2010 के निर्णय से पूर्णत: आच्छादित है।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों की ओर से रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों से इनकार करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में यह निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग ने दंड आदेश अभिखंडित कर दिया है। चूँकि यह मामला गंभीर गबन का मामला है, अनुशासनिक प्राधिकारी की असहमति एवं मतांतर अंतर्विष्ट करने वाला द्वितीय कारण बताओ नोटिस याची को दिया गया है।

5. दूसरी ओर, एस॰ सी॰ III (एल॰ एन्ड सी॰) के जे॰ सी॰ श्री रवि करकेत्ता ने जोरदार निवेदन किया कि याची को जारी किया गया द्वितीय कारण बताओ नोटिस वैध एवं न्यायोचित है। क्योंकि उक्त कारण बताओ नोटिस में जाँच अधिकारी के साथ असहमत होने का कारण दिया गया है।

6. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि कारण बताओ नोटिस जाँच अधिकारी की रिपोर्ट जिसने याची को दोषी नहीं पाया है के साथ असहमति अंतर्विष्ट नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, अधीक्षण अभियन्ता की आरंभिक रिपोर्ट, जिसे याची की उपस्थिति में कभी नहीं किया गया था, द्वितीय कारण बताओ नोटिस का आधार बनायी गयी है। माननीय न्यायालय ने कार्यपालक अभियन्ता के संबंध में दंड का आदेश इस आधार पर अभिखंडित कर दिया है कि इसे जाँच रिपोर्ट के साथ असहमत होने वाले द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा परित किया गया है जिसके द्वारा याची एवं अन्य को भी विमुक्त किया गया है। अत:, चूँकि याची का मामला पूर्वोक्त मामले के समरुप एवं तद्रूप है, याची **हरिनंदन सिंह (ऊपर)** में दिए गए अनुतोष का हकदार है। पूर्वोक्त परिस्थिति के अधीन प्राधिकारी द्वारा लिया गया आधार अथवा जाँच रिपोर्ट के साथ असहमति वैध, न्यायोचित एवं समुचित नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार देखे जाने पर, दिनांक 29.9.2008 के परिशिष्ट-9 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने और परिशिष्ट 10 के तहत दिनांक 1.10.2008 के द्वितीय कारण बताओं नोटिस जारी करने का आक्षेपित निर्णय एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

7. परिणामस्वरुप, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

यशपाल सिंह सुन्डी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1398 of 2004. Decided on 9th March, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2003, सोनुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 10 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2003 के तत्सम, के संबंध में श्री रघुवर दयाल, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट II, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 9.7.2004 एवं दिनांक 13.7.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–चश्मदीद गवाह का मौखिक साक्ष्य शव परीक्षण रिपोर्ट से संपुष्टि पाता हुआ–घटनास्थल संदेह में नहीं है–अभिग्रहण गवाहों ने पूर्णतः अभियोजन मामले का समर्थन किया है–उनके परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के लिए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास नहीं है–अपील खारिज। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. R.P. Gupta, For the Appellant; Mr. Asif Khan, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2003, सोनुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 10 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2003 के तत्सम, के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट II, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 9.7.2004 और दिनांक 13.7.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. दिनांक 8.3.2003 को प्रातः 8 बजे लोंजो-सोनुआ पिच रोड, ग्राम उदयपुर, जिला पश्चिम सिंहभूम के दक्षिण पूर्व में दर्ज रंदाई सुन्दी के फर्दबयान से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि दिनांक 7.3.2003 को अपराह्न लगभग 9 बजे उसने हल्ला सुना कि मास्टर साहब (केदार नाथ सुन्डी) की हत्या कर दी गयी है। तत्पश्चात, सूचक गाँववालों के साथ ग्राम उदयपुर से आधा किलोमीटर दूर पर अवस्थित लोंजो-सोनुआ पिच रोड पहुँची और अपने पति केदार नाथ सुन्डी का उसकी गर्दन पर कटने की उपहति के साथ सड़क पर पड़ा मृत शरीर पाया। मृतक की मोटर साइकिल घटनास्थल पर पड़ी हुई थी। इस बीच, उसका पुत्र जनार्दन सुन्डी बलभद्र नायक, सूर्यनारायण सिंह एवं अन्य लोगों के साथ ग्राम उदयपुर की ओर से आया। उसने सूचित किया कि उसका सौतेला भाई यशपाल सिंह सुन्डी अपराह्न लगभग 5 बजे उसके पिता केदारनाथ सुन्डी के घर आया था और धन के लिए अनुरोध किया था किंतु अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। अपराह्न लगभग 7 बजे जनार्दन सुन्डी अपने पिता केदार नाथ सुंडी एवं अपने सौतेला भाई यशपाल सिंह सुन्डी के साथ केदारनाथ सुंडी द्वारा चलायी जा रही मोटरसाइकिल पर सोनुआ से निकले। जब वे ग्राम उदयपुर से लगभग आधा किलोमीटर दूर लोंजो-सोनुआ रोड पर आए, यशपाल सिंह सुन्डी ने मूत्र त्याग के लिए मोटरसाइकिल रोकने का अनुरोध किया। यशपाल द्वारा किया गया अनुरोध स्वीकार किया गया था और मृतक केदारनाथ सुन्डी मोटरसाइकिल से उतरा। इस बीच, यशपाल सिंह सुन्डी ने

झाड़ियों के बीच से बानकी (डाबली, तेजधार वाला हथियार) निकाला जहाँ इसे छिपाया गया था और केदारनाथ सुन्डी की गर्दन पर वार किया। उपहति पाने के बाद केदार नाथ सुन्डी गिर गया। भयभीत होकर, जनार्दन सुन्डी घटनास्थल से भाग गया और ग्राम उदयपुर गया और बलभद्र नायक को सूचित किया। पुन: जनार्दन सुन्डी घटनास्थल पर आया और अपनी माता रंदाई सुन्डी (सूचक) को घटना प्रकट किया।

3. मृतक की पत्नी रंदाई सुन्डी के फर्दबयान के आधार पर, अपीलार्थी यशपाल सिंह सुन्डी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन चक्रधरपुर, सोनुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 10 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था। अन्वेषण किया गया था, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी, अपीलार्थी गिरफ्तार किया गया था, गवाहों का बयान दर्ज किया गया था और अन्वेषण समाप्त करने के बाद अपीलार्थी यशपाल सिंह सुन्डी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।

अपीलार्थी यशपाल सिंह सुन्डी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया है और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची, शव परीक्षण रिपोर्ट, फर्दबयान आदि जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और उक्त उपदर्शित दंडादेश दिया।

4. सूचक रंदाई सुन्डी का परीक्षण अ॰ सा॰ 8 के रूप में किया गया है और उसने अभियोजन मामला का समर्थन किया है जैसा फर्दबयान में बनाया गया है। वह कहती है कि अपीलार्थी यशपाल सिंह सुन्डी उसका सौतेला पुत्र है। उसने अपने पुत्र जनार्दन से घटना के संबंध में सूचना पाया। वह घटना स्थल पर गयी थी और अपने पति केदार नाथ सुन्डी का मृत शरीर देखा था। उसने फर्दबयान में दिया गया अपना प्रतिवाद स्वीकार किया है। जनार्दन सुन्डी अ॰ सा॰ 7 सूचक का पुत्र है और वह बाल गवाह है। अ॰ सा॰ 7 के अनुसार, घटना अपराह्न लगभग 7 बजे हुई जब वह अपने पिता एवं भाई यशपाल के साथ मोटरसाइकिल पर लौट रहा था। मोटरसाइकिल उसके पिता (मृतक) द्वारा चलायी जा रही थी और वह बीच में बैठा था जबकि अपीलार्थी यशपाल पीछे बैठा था। जब वे ग्राम उदयपुर के निकट पहुँचे, यशपाल ने मोटरसाइकिल रोकने को कहा क्योंकि वह मूत्र त्याग करना चाहता था। मोटरसाइकिल रोकी गयी थी और समस्त तीनों अर्थात् मृतक, अ॰ सा॰ 7 एवं अपीलार्थी मोटरसाइकिल से उतरे थे। आगे प्रकट किया गया है कि यशपाल ने अपनी कमर से बानकी निकाला और मृतक की गर्दन पर वार किया। प्रहार देख कर भयभीत होकर यह गवाह ग्राम उदयपुर की ओर भागा। गाँववालों को मामला सूचित किया गया था और तब वह पुन: घटनास्थल पर आया। शनिवार को पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था।

5. डॉ॰ सुरेन्द्र लव अ॰ सा॰ 1 ने दिनांक 8.3.2003 को केदार नाथ सुन्डी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और प्रदर्श 1 के रूप में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया। गर्दन पर तेज धारदार हथियार से कटने की उपहति पायी गयी थी और डॉक्टर द्वारा उन उपहतियों को स्पष्ट किया गया है। साधु चरण समद अ॰ सा॰ 2 एवं सूर्य नारायण सिंह अ॰ सा॰ 4 मृत्यु समीक्षा के गवाह हैं और उन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है। नरपति कालिंदी अ॰ सा॰ 3 ने अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है। लालचंद कपूर अ॰ सा॰ 6, सुखल सुन्डी अ॰ सा॰ 9 एवं प्रेमचंद मुंडारी अ॰ सा॰ 11 अभिग्रहण सूची के गवाह हैं। यह प्रकट करता है कि मृतक की वस्तुएँ एवं रक्त रंजित मिट्टी

प्रदर्श 7 के तहत जब्त की गयी हैं। रक्तरंजित डाबली (अपराध की कारिता के लिए प्रयुक्त हथियार) प्रदर्श 10 के तहत जब्त किया गया है। अपीलार्थी का रक्तरंजित वस्त्र प्रदर्श 8 के तहत जब्त किया गया है और रेक्सिन बैग में रखी गयी मृतक की वस्तुएँ अपीलार्थी के कब्जा से प्रदर्श 9 के तहत बरामद की गयी हैं।

6. अशोक कुमार सिंह अ॰ सा॰ 10 अन्वेषण अधिकारी है। उसने कथन किया है कि दिनांक 8.3.2003 को फैलायी गयी अफवाह के आधार पर कि एक व्यक्ति की हत्या की गयी है, वह पुलिस दल के साथ सोनुआ–लोंजो पिच रोड पर अवस्थित घटनास्थल पर गया। सूचक घटनास्थल पर उपस्थित थी और उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था और उसने अपना फर्दबयान प्रदर्श 3 सिद्ध किया है। अनुप्रमाणक गवाह नरपति कालिन्दी का हस्ताक्षर प्रदर्श 3/1 के रूप में सिद्ध किया गया है। उसने आगे मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 4, औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 5, फर्दबयान पर पृष्ठांकन प्रदर्श 3/2 एस॰ आई॰ भीम सेन सिंदूरिया द्वारा लिखी गयी केस डायरी के पैराग्राफ 1 से 43 सिद्ध किया है और अभिग्रहण सूची पर किया गया सिंदूरिया का हस्ताक्षर प्रदर्श 2/8 से 2/10 चिन्हित किया गया है। एस॰ आई॰ काशी कुजूर, अ॰ सा॰ 12 ने अभिग्रहण सूची प्रदर्श 8 एवं प्रदर्श 9 सिद्ध किया है।

7. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 8 विश्वसनीय गवाह नहीं हैं। अपीलार्थी सूचक का सौतेला पुत्र है और इसी कारण उसे झूठे अभिकथन के साथ इस मामले में आलिप्त किया गया है। सूचक ने विरोधाभासी बयान दिया है। अपने फर्दबयान में वह कहती है कि केदारनाथ सुन्डी की हत्या के संबंध में सूचना पाने के बाद वह घटनास्थल पर गयी और मृत शरीर देखा। जब वह मृत शरीर के निकट रो रही थी, उसका पुत्र जनार्दन सुन्डी बलभद्र नायक एवं सूर्य नारायण सिंह के साथ घटना स्थल पहुँचा और उसके समक्ष संपूर्ण प्रसंग प्रकट किया किंतु न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में वह कहती है कि जनार्दन सुन्डी ने उसे अगली सुबह 5-6 बजे घटना के बारे में सूचित किया। अपने फर्दबयान में उसने कथन किया है कि अपीलार्थी ने झाड़ी के बीच से डाबली निकाला था जहाँ इसे छुपाया गया था किंतु पूर्वोक्त तथ्य जनार्दन सुन्डी द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है जब वह कहता है कि यशपाल ने अपनी कमर से डाबली निकाला और वार किया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा कथन नहीं किया गया है कि किस प्रकार हत्या करने के लिए प्रयुक्त डाबली बरामद की गयी थी। जनार्दन सुन्डी ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि वह लोंजो में विद्यालय में अध्ययनरत था किंतु सूचक कहती है कि वह अपने पिता के साथ सोनुआ में रह रहा था और वहाँ अध्ययनरत था। चूँकि अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 8 के बयान संगत नहीं हैं और अन्य गवाहों के औपचारिक प्रकृति का होने के नाते विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने का दायी है।

8. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्कों का विरोध किया है।

9. हमने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है। अभियोजन मामले के अनुसार, अ॰ सा॰ 7 चश्मदीद गवाह है और उसने घटना देखा था। जनार्दन सुन्डी अ॰ सा॰ 7 के बयान के अनुसार, वह घटना के समय पर अपने पिता के साथ था। वह कहता है कि उसका पिता मोटरसाइकिल चला रहा था जिस पर वह बीच में और यशपाल सिंह सुन्डी (अपीलार्थी) पीछे बैठा था। जब वे लोंजो सोनुआ पिच रोड पर ग्राम उदयपुर के निकट पहुँचे अपीलार्थी ने मूत्र त्याग के लिए मोटर साइकिल रोकने का अनुरोध किया। जब मृतक मोटर साइकिल रोकने के बाद खड़ा था, अपीलार्थी ने अचानक डाबली निकाला और अपने पिता केदार नाथ सुन्डी की गर्दन पर वार किया। प्रहार देखकर, भयभीत होकर जनार्दन

सुन्डी घटनास्थल से बच निकला और ग्राम उदयपुर की ओर भाग गया। यह तर्क किया गया है कि सूचक ने अपने फर्दबयान में कथन किया है कि अपीलार्थी ने झाड़ी के बीच से डाबली निकाला जहाँ इसे छुपाया गया था और तब मृतक की गर्दन पर वार किया किंतु उसने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य का समर्थन नहीं किया था। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक पर उपहति कारित करने के लिए कहाँ से डाबली लाया, महत्वपूर्ण यह है कि क्या उसने डाबली से मृतक पर प्रहार किया था या नहीं। प्रहार कारित करने के बिंदु पर, अ॰ सा॰ 7 अथवा अ॰ सा॰ 8 का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। हम ऐसे विरोधाभास को अधिमान देने के इच्छुक इस कारण से नहीं हैं कि रक्तरंजित डाबली झाड़ियों के बीच से बरामद की गयी थी और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी और उस अभिग्रहण सूची पर अपीलार्थी यशपाल सिंह सुन्डी का हस्ताक्षर है। इस तथ्य की दृष्टि में कि मृतक की मोटरसाइकिल एवं सामान घटनास्थल पर पड़ी हुई थी और पुलिस द्वारा जब्त की गयी थी, घटनास्थल के बारे में संदेह नहीं है। अपीलार्थी का रक्त रंजित वस्त्र उसके कब्जा से जब्त किया गया था और उस अभिग्रहण सूची पर भी अपीलार्थी यशपाल सिंह सुन्डी का हस्ताक्षर है। मृतक का एक रेक्सिन बैग भी जिसमें मोटरसाइकिल से संबंधित दस्तावेज एवं नगद रखा हुआ था यशपाल सिंह सुन्डी के कब्जा से बरामद की गयी थी और उस अभिग्रहण सूची पर भी अपीलार्थी का हस्ताक्षर है। अभिग्रहण गवाहों ने पूर्णतः अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 7 का मौखिक साक्ष्य शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 और डॉ॰ सुरेन्द्र लव अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि पाता है। हमने पुनः अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 8 के साक्ष्य का परीक्षण किया है और हम उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने अथवा इसे त्यक्त करने के लिए उनके अभिसाक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास अथवा कोई अन्य तात्विक चीज नहीं पाते हैं।

10. इन समस्त पहलूओं एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों पर विचार करने के बाद हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

जॉयदेव डे

cuke

पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य

L.P.A. No. 227 of 2015. Decided on 29th March, 2016.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—रिट अधिकारिता–उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता–उच्च न्यायालय इसके बावजूद कि आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी क्षेत्रों जिनके संबंध में उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है के अंतर्गत निवास नहीं करता है अथवा नहीं आता है, रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि वाद हेतुक पूर्णतः अथवा अंशतः इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत उद्भूत हुआ है–इसे गुणागुण पर विनिश्चित करने के लिए मामला रिट न्यायालय वापस भेजा। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–(1994)4 SCC 711; (2006)6 SCC 207—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon, Kumari Rashmi, Shiv Shankar Kumar, For the Appellants; Mr. Rajesh Kumar, For the Respondents.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील ग्रहण के चरण पर है और पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से वर्तमान अपील इस पर अंतिम विचार किए जाने के लिए सुनी जाती है।

2. अपीलार्थी–रिट याची (इसमें इसके बाद संक्षेप में ''याची'' के रूप में निर्दिष्ट) के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन प्रतिवाद करते हैं कि जहाँ तक प्रत्यर्थी–मुख्य प्रबंधक, अंचल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, मिदनापुर पश्चिम (पश्चिम बंगाल) द्वारा जारी दिनांक 11.6.2011 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 11) के अभिखंडन के प्रति रिट याचिका में याची द्वारा की गयी प्रथम प्रार्थना का संबंध है, उक्त आदेश को चुनौती देने की क्षेत्रीय अधिकारिता कलकत्ता उच्च न्यायालय को है, किंतु अन्य प्रार्थनाओं अर्थात् प्रार्थना सं॰ (ii) एवं (iii) के संबंध में महाप्रबंधक–सह–अनुशासनिक प्राधिकारी, एच॰ आर॰ डी॰ विभाग, नयी दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 5.2.2010 के अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दंड का आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 6) और कार्यपालक निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 30.4.2010 का अपीलीय आदेश अभिखंडित करने की प्रार्थना के संबंध में निश्चय ही झारखंड उच्च न्यायालय को अधिकारिता है। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 5.2.2010 का अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित किए जाने के पहले समस्त कार्यवाहियाँ आरंभ की गयी थी जब याची राँची में पदस्थापित था। राँची में याची पर दिनांक 19.12.2007 का आरोप ज्ञापन तामील किया गया था और याची द्वारा उक्त आरोप ज्ञापन का उत्तर दिया गया था जब याची राँची में पदस्थापित था। दिनांक 27.4.2009 को राँची में याची द्वारा बचाव का लिखित बयान दाखिल किया गया था और तत्पश्चात, दिनांक 20.5.2009 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जब याची इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत पदस्थापित था। उन्होंने निवेदन किया कि इन समस्त कार्यवाहियों के समाप्त होने के बाद याची को मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) स्थानांतरित किया गया था जहाँ उस पर दिनांक 5.2.2010 का अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड का अंतिम आदेश तामील किया गया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि वाद हेतुक का एक भाग झारखंड उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत उद्भूत हुआ है, यद्यपि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का अंतिम आदेश उस पर तब अधिरोपित किया गया था जब वह मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में पदस्थापित था। विद्वान अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया कि वस्तुतः डब्ल्यू॰ पी॰ सं॰ 3354 (डब्ल्यू॰) वर्ष 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.2011 का आदेश पारित किए जाने के बाद जिसके द्वारा बैंक ने उक्त आदेश का पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया था और कि याची ने उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दिया था, उक्त पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी सं॰ 5, मुख्य प्रबंधक, अंचल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, मिदनापुर पश्चिम (पश्चिम बंगाल) द्वारा इस प्रभाव का दिनांक 11.6.2011 का निर्णय (रिट याचिका का परिशिष्ट–11) लिया गया था कि याची पेंशन का विकल्प चुनने का पात्र नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इसलिए इस आधार पर कि मामला उसी वाद हेतुक से उद्भूत हो रहा है जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और कि यह वांछनीय नहीं है कि याची इस न्यायालय के समक्ष उपचार का अनुसरण करे, रिट याचिका ग्रहण नहीं करने के लिए विद्वान रिट न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संपोषणीय नहीं है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान रिट न्यायालय का आदेश अपास्त किया जा सकता है और झारखंड उच्च न्यायालय में पोषणीय होने के नाते रिट याचिका रिट न्यायालय के पास वापस भेजी जा सकती है।

3. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी बैंक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ने प्रतिवाद किया कि याची ने वस्तुतः रिट याचिका में चार प्रार्थना किया है और यदि प्रार्थना सं॰ (iv) को देखा जाता है जो पेंशन एवं अवकाश नगदकरण सहित समस्त सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान के लिए निर्देश जारी किए जाने से संबंधित है, उक्त पहलू पर पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ सं॰ 3354 (W) वर्ष 2011 में विचार किया गया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देश भी जारी किया

गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि याची को पेंशन आदि प्रदान करना विधि में अनुज्ञेय नहीं था, बैंक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका दाखिल किया जो अभी भी लंबित है और उस पहलू को भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वर्तमान कार्यवाही में ध्यान में लिया गया है। किंतु, प्रत्यर्थी बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: स्वीकार किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड का अंतिम आदेश जिसे मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में याची पर तामील किया गया था पारित करने के सिवाए समस्त कार्यवाहियाँ इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत समाप्त हुई थी।

4. वर्तमान कार्यवाही में अभिवचनित तथ्यों से यह प्रकट है कि वाद हेतुक का भाग झारखंड उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत उद्भूत हुआ है। ''वाद हेतुक'' जिसे सामान्यत: ''तथ्यों के बंडल'' के रूप में वर्णित किया जाता है प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कुछ कृत्य को सम्मिलित करता है जिसका परिणाम अधिकार के उल्लंघन में हुआ है अथवा जो प्रतिक्रिया का तात्कालिक अवसर प्रदान करता है। हम पाते हैं कि आरोप ज्ञापन में अभिकथन यह है कि याची ने कतिपय राशि का दुर्विनियोग किया था जब वह राँची में बैंक की शाखाओं में से एक में पदस्थापित था। यह सुनिश्चित है कि उच्च न्यायालय इसके बावजूद कि आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी क्षेत्रों जिनके संबंध में उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है में निवास नहीं करता है अथवा इसके अंतर्गत नहीं आता है, रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि वाद हेतुक पूर्णत: अथवा अंशत: इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत उद्भूत हुआ है **[''तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु एवं अन्य'', (1994)4 SCC 711] ''ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, ''(2006)6 SCC 207,** में एक मामला जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि रिट याची के मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अधिक प्रभावकारी रूप से विचार किया जा सकता है, रिट याचिका ग्रहण करने से इनकार कर दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया और मामला गुणागुण पर सुने जाने के लिए इसे वापस भेज दिया।

5. वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता को दृष्टि में रखते हुए, विशेषत: इस तथ्य को कि विभागीय कार्यवाही जिसे राँची में याची पर आरोप ज्ञापन तामील करके आरंभ किया गया था इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत समाप्त हुई थी, इसे याची को झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिका दाखिल करने के लिए हकदार बनाते हुए वाद हेतुक का भाग गठित करने वाला अभिनिर्धारित करना होगा। इस प्रकार, क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर रिट याचिका ग्रहण करने से इनकार करने वाला विद्वान रिट न्यायालय का आदेश संपोषणीय नहीं है।

6. परिणामस्वरुप, वर्तमान अपील, जैसी प्रार्थना की गयी है, अनुज्ञात की जाती है। दिनांक 20.11.2014 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। संपूर्ण मामला गुणागुण पर विनिश्चित किए जाने के लिए विद्वान रिट न्यायालय को वापस भेजा जाता है। पक्षों को दिनांक 12.4.2016 को विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। रजिस्ट्री इसे ध्यान में ले।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सुभाष रंजन बनर्जी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. Petition Nos. 1409, 1410, 1425, 1430, 1446, 1448 of 2005.
Decided on 9th March, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 467, 468, 471, 420, 419, 406 एवं 120B—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—न्यास का दांडिक भंग, छल, कूटरचना एवं षड्यंत्र–प्राथमिकी

में किए गए अभिकथनों को बांधने वाला सामान्य धागा फ्लैटों को बुक करना एवं व्यथित व्यक्तियों को फ्लैटों को नहीं दिया जाना है–फ्लैटों को तैयार अवस्था में नहीं सौंपा गया था–याची को सोसाइटी के निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया था–निदेशक सजावटी पद बिल्कुल नहीं है–याची कभी नहीं दावा कर सकता है कि वह सोसाइटी का सक्रिय सदस्य कभी नहीं था–याची की दांडिक आपराधिता प्रकटतः प्रतीत होती है–आवेदनों को खारिज।

(पैराएँ 12, 17, 18 एवं 19)

निर्णयज विधि.–(2013)3 SCC 330—Applied; 2003 (2) JLJR 82 (SC); 2011 (3) JLJR 145—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mr. Amrendra Kumar, For the Petitioner; APP, For the Opposite Party No. 1; Mr. Indrajit Sinha, For the Opposite party No. 2.

आदेश

चूँकि इन समस्त मामलों में विधि एवं तथ्य के सम्मिलित प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, इन्हें इस एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

दांडिक विविध याचिका सं॰ 1409 वर्ष 2005:

2. इस आवेदन में याची ने टेल्को (बिरसा नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 104 वर्ष 2003 के संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 8.9.2004 के आदेश, जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 467, 468, 471, 420, 419, 406, 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

दांडिक विविध याचिका सं॰ 1410 वर्ष 2005:

3. इस आवेदन में याची ने टेल्को (बिरसा नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 105 वर्ष 2003 के संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 13.8.2004 के आदेश, जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 467, 468, 471, 420, 419, 406, 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

दांडिक विविध याचिका सं॰ 1425 वर्ष 2005:

4. इस आवेदन में याची ने टेल्को (बिरसा नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 103 वर्ष 2003 के संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 13.9.2004 के आदेश, जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 467, 468, 471, 420, 419, 406, 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

दांडिक विविध याचिका सं॰ 1430 वर्ष 2005:

5. इस आवेदन में याची ने टेल्को (बिरसा नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 101 वर्ष 2003 के संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 8.9.2004 के आदेश, जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 467, 468, 471, 420, 419, 406, 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

दांडिक विविध याचिका सं॰ 1446 वर्ष 2005:

6. इस आवेदन में याची ने टेल्को (बिरसा नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 100 वर्ष 2003 के संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 8.9.2004 के आदेश, जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰

की धाराओं 467, 468, 471, 420, 419, 406, 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

दांडिक विविध याचिका सं॰ 1448 वर्ष 2005:

7. इस आवेदन में, याची ने टेल्को (बिरसा नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 102 वर्ष 2003 के संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 8.9.2004 के आदेश, जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 467, 468, 471, 420, 419, 406, 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

8. पृथक प्राथमिकियों में अभियोजन मामला फ्लैटों की संख्या के सिवाए असल में एक ही और समरुप होने के नाते यह है कि नवजीवन सहकारी गृह निर्माण समिति, बारीडीह, जमशेदपुर के साथ फ्लैट बुक किया गया था जिसके लिए सोसाइटी के साथ करार हुआ है और सोसाइटी को काफी राशि का भुगतान किया गया था, किंतु फ्लैट नहीं दिए जाने का कारण कूटरचना एवं छल का अपराध किया गया था। आगे अभिकथन किया गया है कि सोसाइटी द्वारा फ्लैट बंधक रखकर 50 लाख रुपया कर्ज लिया गया है।

9. समस्त मामलों में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र कुमार एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा सुने गए।

10. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत फ्लैट पहले ही समस्त मामलों के सूचकों को सोसाइटी द्वारा सौंप दिए गए थे और रख-रखाव प्रभारों का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। यह निवेदन किया गया है कि नवजीवन सहकारी गृह निर्माण समिति, बारीडीह, जमशेदपुर रजिस्टर्ड सहकारी सोसाइटी है जिसकी अपनी उपविधियाँ हैं और जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम द्वारा शासित है। याची को निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया था और सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के सिवाए उसने स्वयं को कंपनी के कार्यकलाप में कभी प्रत्यक्षत: अंतर्ग्रस्त नहीं किया था, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि संपूर्ण विवाद करार के निबंधनों एवं शर्तों के भंग के संबंध में है और इसके सिविल प्रकृति का होने के नाते याचीगण के विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह निवेदन भी किया गया है कि दिनांक 27.12.1998 को सोसाइटी की वार्षिक आम सभा में बैंक से नगद उधार कर्ज प्राप्त करने का निर्णय किया गया था और सहकारी अधिकारी, चाईबासा की अनुशंसा के माध्यम से सोसाइटी को दिनांक 27.12.2000 के पत्र के तहत नगद उधार कर्ज मंजूर किया गया था। अत: विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण की परिदान नहीं की गयी संपत्ति में भूमिका नहीं होने पर उन पर दांडिक दायित्व नहीं डाला जा सकता है, अत:, याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

11. समस्त मामलों में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा ने निवेदन किया है कि फ्लैटों को बंधक रखने पर 50 लाख रुपयों का कर्ज सिंहभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लि॰, चाईबासा से प्राप्त किया गया था जिसका सोसाइटी के सदस्यों द्वारा दुर्विनियोग किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि सोसाइटी के सदस्यों में से एक ने पदधारकों द्वारा किए जा रहे अनेक कृत्यों के संबंध में रिट आवेदन डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6725 वर्ष 2002 दाखिल किया है जिसे दावा विनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार को वापस भेजा गया था और रिमांड पर जाँच की गयी थी जिसके अनुसरण में यह पता चला था कि अभियुक्तों द्वारा कर्ज राशि अवैध तरीके से ली गयी थी और संपूर्ण कर्ज वस्तुत:

दुर्विनियोगित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 2.5.2003 के नोटिस को भी निर्दिष्ट किया है जिसमें प्रमाण पत्र मामला संस्थित किया गया था और दिनांक 2.5.2003 को सोसाइटी के 70 फ्लैटों को कुर्क किया गया था। विद्वान अधिवक्ता यह भी जोड़ते हैं कि फ्लैटों, जिन्हें समस्त मामलों में सूचकों द्वारा बुक किया गया था, उनको सोसाइटी द्वारा ''जैसा है जहाँ है'' आधार पर सौंपा गया था और फ्लैटों के अपूर्ण भागों का निर्माण उनके द्वारा किया जाना था जिन्होंने फ्लैटों को बुक किया है। अत:, यह निवेदन किया गया है कि न तो समय के भीतर व्यथित सूचकों को फ्लैट सौंपे गए थे और इसे अपूर्ण हालत में सौंपा गया था और याची सोसाइटी के निदेशक की हैसियत से राशि के दुर्विनियोग और बैंक से नगद उधार कर्ज लेने के लिए प्रत्यक्षत: जिम्मेदार था और इस प्रकार देखे जाने पर याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

12. प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों को एक सूत्र में पिरोता धागा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन निर्मित सहकारी सोसाइटी नवजीवन सहकारी गृह निर्माण समिति, बारीडीह, जमशेदपुर द्वारा निर्मित फ्लैटों की बुकिंग एवं व्यथित व्यक्तियों को उक्त फ्लैटों को नहीं दिए जाने का है। आगे यह प्रतीत होता है कि फ्लैटों को बंधक रखकर सोसाइटी की प्रबंधन कमिटी द्वारा सिंहभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लि॰, चाईबासा से 50 लाख रुपया नगद उधार कर्ज लिया गया था। यह स्वीकृत अवस्था है कि याची को सोसाइटी के निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया था और याची द्वारा इस चरण पर यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वह सोसाइटी का सक्रिय पदधारी कभी नहीं था, क्योंकि सोसाइटी की कोई गतिविधि निदेशक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन होनी है जो अलंकारिक पद बिल्कुल नहीं है। फ्लैटों को बाद में ''जैसा है जहाँ है'' आधार पर विभिन्न मामलों के सूचकों को सौंपा गया था जिसका अर्थ है कि फ्लैटों को सुसज्जित दशा में कभी नहीं सौंपा गया था। सिंहभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लि॰ चाईबासा द्वारा संस्थित प्रमाण पत्र मामला स्पष्टत: चित्रित करता है कि बैंक ने दिनांक 2.5.2003 को सोसाइटी के 70 फ्लैटों को कुर्क करवाया था। बाद में, कर्ज के परिसंदाय के लिए सिंहभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लि॰ चाईबासा के प्रबंध निदेशक द्वारा एक अन्य पत्र जारी किया गया था, जिसमें विफल होने पर सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 49 के निबंधनानुसार कार्रवाई की जाएगी। पचास लाख रुपयों के अता–पता के संबंध में उक्त पत्र में धमकी भी दी गयी थी जिसके लिए अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी संस्थित किया जाना इप्सित किया गया था। अत:, संपूर्ण विवाद फ्लैटों को नहीं दिए जाने तक सीमित प्रतीत नहीं होता है, बल्कि इसके परे है और इस दशा में याची के समय के प्रासंगिक बिंदु पर निदेशक होने के नाते उसे अपने दांडिक दायित्व से बच निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

13. इस मोड़ पर, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक निर्णयों को निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा।

14. ''यू॰ धर एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, 2003 (2) JLJR 82 (SC), में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पृथक संविदाओं के अधीन संविदात्मक बाध्यता एक दूसरे से स्वतंत्र है और पक्षों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को उनके बीच संविदा द्वारा शासित होना होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि धारा 403 के निबंधनानुसार शब्दों 'बेईमानी' एवं 'दुर्विनियोग' के अवयवों में से किसी को संतुष्ट नहीं किया जाता है, दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने की दायी है।

15. ''चंचल कुमार गंगोपाध्याय एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, 2011 (3) JLJR 145, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब पक्षों के बीच संविदा का भंग हुआ है, दांडिक मामला जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

16. विद्वान अधिवक्ता ने ''**राजीव थापर एवं अन्य बनाम मदन लाल कपूर, (2013)3 SCC 330,** मामले को भी निर्दिष्ट किया है जिसमें दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अभिखंडन के लिए आदेश की सत्यता विनिश्चित करने के लिए कदमों को निरुपित किया गया है जिनको नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"30. iokDr ijkxkQk e çpkfjr dkjdk d vkèkkj ij] ge n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu mPp U;k;ky; e fufgr 'kfDr dk voyc ydj vfHk;Dr }kjk dh x;h vfHk[kMu dh çkFkuk dh lR;rk fofuf'pr dju d fy, fuEufyf[kr dnek dk fu#fir djx

30.1. dne 1 :D;k vfHk;Dr }kjk fo'okl dh x;h lkexh rdi.k] ;fDr;Dr ,o vlfnXèk g vFkkr lkexh mRÑ"V ,o fu"dyd x.koÙkk dh g

30.2. dne 2 :D;k vfHk;Dr }kjk fo'okl dh x;h lkexh vfHk;Dr d fo#) yxk, x, vkjkik e vrfo"V çk[;kuk dk [kkfjt djxh vFkkr lkexh ifjokn e vrfo"V rkfF;d çk[;kuk dk vLohdkj dju ,o iyVu d fy, i;kIr g vFkkr lkexh ,lh g tk fdlh ;fDr;Dr 0;fDr dk vfHk;kx d rkfF;d vkèkkj dh >B d :i e funk ,o [kkfjt dju d fy, vk'oLr djxh

30.3. dne 3 :D;k vfHk;Dr }kjk fo'okl dh x;h lkexh dk vfHk;ktu@ifjoknh }kjk [kfMr ugh fd;k x;k g(vkj@vFkok lkexh ,lh g fd bl vfHk;ktu@ifjoknh }kjk U;k;kfpr :i l [kfMr ugh fd;k tk ldrk g

30.4. dne 4 :D;k fopkj.k dh dk;okgh dk ifj.kke U;k;ky; dh çfØ;k d n#i;kx e gkxk vkj U;k; dk mí'; ijk ugh djxk

*30.5. ;fn leLr dnek dk mÙkj ldkjkRed g] mPp U;k;ky; dh U;kf;d vrjkRek dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu ble fufgr 'kfDr d ç;kx e ,lh nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju d fy, vk'oLr djuk pkfg,A 'kfDr dk ,lk ç;kx] vfHk;Dr d lkFk U;k; dju d vykok U;k;ky; dk cgeY; le; cpk,xh tk vU;Fkk ,l fopkj.k (vkj ml mnHkkr gku okyh dk;okgh Hkh) dju e 0;Fk tk,xk fo'k"kr% tc ;g Li"V g fd ;g vfHk;Dr dh nk"kf If) e lekIr ugh gkxkA***

17. ''**यू॰ धर एवं एक अन्य (ऊपर)** और ''**चंचल कुमार गंगोपाध्याय एवं एक अन्य (ऊपर)** का वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि स्वीकृत रूप से याची के सोसाइटी का निदेशक होने के नाते वह अपने पद के संबंध में नगद उधार कर्ज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था जिसे बैंक से लिया गया था और जिसका अभिकथित रूप से दुर्विनियोग किया गया था। इस प्रकार, याची के विरुद्ध अभिकथन सिविल परिणाम आमंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि याची की दांडिक अपराधिता मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रकट प्रतीत होती है।

18. अभिकथनों जिन्हें दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन चुनौती दी गयी है, की सत्यता अथवा अन्यथा पर विचार करने के लिए क्रमवार प्रक्रिया, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राजीव थापर एवं अन्य (ऊपर)** में कोटिकृत किया गया है, पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर वर्तमान मामला उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में चार शर्तों की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है, अत: मामला **राजीव थापर एवं अन्य (ऊपर)** में निर्णय द्वारा पूरी तरह आच्छादित होने के संबंध में विद्वान अधिवक्ता का प्राख्यान भी नकारा जाता है।

19. यहाँ उपर की गयी चर्चा के समेकित परिणामस्वरुप दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन ये समस्त आवेदन विफल होते हैं और उन्हें खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) Case No. 5632 of 2015. Decided on 17th March, 2016.

झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004—नियम 62—खनन पट्टा का रद्दकरण–यदि राज्य प्राधिकारियों का कृत्य किसी अवैधता, अनियमितता अथवा विकृतता से पीड़ित होता नहीं दर्शाया गया है, मात्र इसलिए कि पुनर्गठित फर्म का आपस में विवाद हो सकता है, वैध रूप से निष्पादित पट्टा विलेख निरसित नहीं किया जाना चाहिए–भागीदारी करार के निबंधनों एवं शर्तों के अभिकथित उल्लंघन से उद्भूत होने वाले विवाद के न्याय निर्णयन के लिए विधि के सक्षम प्राधिकारी के पास जाने की छूट व्यथित पक्ष को सदैव है–रिट आवेदन खारिज।

(पैराएँ 8 से 11)

अधिवक्तागण.–M/s. Indrajit Sinha, Krishanu Ray, For the Petitioner; M/s. Jai Prakash, Chaitali C. Sinha, For the State; M/s. Rajiv Ranjan, Rahul Kumar, For the Respondent No. 4.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. इस वाद की उत्पत्ति व्यक्तियों जो पुनर्गठित फर्म का भागीदार होने का दावा करते हैं के बीच आपस में विवाद है। याची फर्म, अब महिला पत्नी के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया गया, उसी फर्म द्वारा किंतु दो भागीदारों आलोक तालुकदार उसका पति और सोमनाथ करमाकर के माध्यम से राज्य के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति पर निष्पादित लघु खनिज (स्टोन क्वैरी) के पट्टा के अंतरण का निरसन इप्सित करता है। उक्त चुनौती पुनरीक्षण केस सं॰ 58 वर्ष 2012 में पुनरीक्षण प्राधिकारी, खान आयुक्त का न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 23.10.2015 के मेमो सं॰ 946 वाले वर्तमान में आक्षेपित दिनांक 6.10.2015 (परिशिष्ट 6) द्वारा खारिज कर दी गयी है। खान आयुक्त ने पक्षों को सुनने के बाद और जिला खनन अधिकारी, देवघर तथा प्राईवेट प्रत्यर्थी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि पुनरीक्षण झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 62 के प्रावधानों के अनुरुप नहीं है क्योंकि याची उक्त पट्टा के प्रदान एवं अंतरण में पक्ष नहीं था। फर्म के भागीदारी विलेख का पुनर्गठन सिविल विवाद है जिसे खान आयुक्त के इस न्यायालय के समक्ष सुलझाया नहीं जा सकता है। अत: उन्होंने खनन पट्टा का अंतरण विलेख प्रतिसंद्धृत करने से इनकार कर दिया।

3. अनावश्यक विवरणों से रहित संक्षिप्त तथ्यों को इसमें इसके बाद अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया जा रहा है। मेसर्स काली एग्रो केमिकल्स लि॰ दिनांक 15.9.2000 को 10 वर्षों के लिए किए गए भूखंड सं॰ 446, मौजा बरगुनिया, जिला देवघर अवस्थित लघु खनिज का मूल पट्टाधारी था। मेसर्स काली एग्रो केमिकल्स लि॰ द्वारा मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज को दिनांक 13.5.2008

को पट्टा अंतरित किया गया था। यह विवादित नहीं है कि मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज दिनांक 1.4.2007 के भागीदारी विलेख के मुताबिक दिनांक 13.5.2008 को दो भागीदारों आलोक तालुकदार और सोमनाथ करमाकर से गठित था। दिनांक 14.9.2010 को पट्टा का अवसान होना था। इन दोनों भागीदारों ने पट्टा विलेख के नवीकरण के लिए उपायुक्त, देवघर के समक्ष आवेदन दिया और तद्नुसार दिनांक 15.9.2010 को इसे प्रदान किया गया था। इन दो भागीदारों ने दिनांक 11.9.2011 को दिनांक 14.9.2020 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज के नाम में उपायुक्त, देवघर के साथ पट्टा विलेख निष्पादित किया। इन दो भागीदारों ने दिनांक 27.9.2011 को प्राइवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में शेष अवधि के लिए खनन पट्टा के अंतरण के लिए आवेदन दिया जो याची द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र के पृष्ठ 85 पर है। उपायुक्त, देवघर ने झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 24 के निबंधनानुसार दिनांक 14.10.2011 को पट्टा का अंतरण अनुमोदित किया, जिसे दिनांक 15.10.2011 के मेमो सं॰ 1112 के माध्यम से (प्रत्यर्थी सं॰ 4 के प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–R4/D) जिला खनन अधिकारी द्वारा संसूचित किया गया था। अंतरण के अनुमोदन के परिणामस्वरुप, इन दो भागीदारों आलोक तालुकदार एवं सोमनाथ करमाकर ने प्राईवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांक 17.10.2011 के फर्म की ओर से अंतरण विलेख निष्पादित किया जो याची के पूरक शपथ पत्र के परिशिष्ट V पर है। इन दो भागीदारों ने प्राइवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में अंतरण विलेख के निष्पादन के बाद अपने आवेदन पर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के रूप में प्रतिभूति जमा वापस भी ले लिया। तत्पश्चात फर्म मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज ने स्वर्गीय सत्यरंजन मजूमदार की पुत्री जोली तालुकदार उर्फ जोली मजूमदार के माध्यम से पुनरीक्षण केस सं॰ 58 वर्ष 2012 यह अभिकथित करते हुए संस्थित किया कि समस्त भागीदारों की सहमति के बिना पट्टा अंतरण प्रभावी बनाया गया है। यह अभिकथित किया गया था कि मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज भागीदारी फर्म चार भागीदारों दो मूल अर्थात् आलोक तालुकदार एवं सोमनाथ करमाकर और दो नए भागीदारों अर्थात् जोली तालुकदार उर्फ जोली मजूमदार और सविता मजूमदार से पुनर्गठित किया गया था। फर्म का यह पुनर्गठन दिनांक 1.4.2009 को किया गया बताया जाता है और यह कथन किया गया है कि पुनर्गठन की सूचना उपायुक्त, देवघर को दी गयी थी। चार भागीदारों के साथ फर्म के पुनर्गठन की सूचना के इस तथ्य से राज्य प्रत्यर्थी द्वारा सम्यक जाँच के बाद अपने प्रतिशपथ पत्र के पैरा 15 एवं 19 पर विनिर्दिष्टत: इनकार किया गया है।

4. अभिलेख पर लाए गए तथ्यों के क्रम से यह स्पष्ट है कि याची यह खंडन करने में सक्षम नहीं हुआ है कि सितंबर, 2010 में पट्टा विलेख के नवीकरण एवं प्राइवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में पट्टा विलेख के अंतरण का संपूर्ण कार्य दो भागीदारों आलोक तालुकदार एवं सोमनाथ करमाकर द्वारा समय के उस बिंदु पर मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज के एकमात्र भागीदारों के रूप में किया गया था। यह भी प्रकट है कि पट्टा विलेख का नवीकरण और प्राईवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में इसका अंतरण दो भागीदारों अर्थात आलोक तालुकदार और सोमनाथ करमाकर की ओर से निष्पादित किया गया था और समय के उस बिंदु पर जोली तालुकदार उर्फ जोली मजूमदार एवं सविता मजूमदार, जिन्होंने स्वयं का दिनांक 1.4.2009 को रजिस्टर्ड विलेख पुनर्गठित फर्म के नए बने भागीदार होने का दावा करते हुए हुए वर्तमान वाद दाखिल किया, ने आपत्ति करने की कोई कार्यवाही नहीं की अथवा प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाया। यह विवादित नहीं है कि फर्म भागीदारी अधिनियम के अधीन फर्म के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। इन दो भागीदारों को जोड़ कर भागीदारी फर्म का पुनर्गठन राज्य प्रत्यर्थी द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन अथवा इसके अंतरण के समय पर अभिस्वीकृत नहीं किया गया है। पूर्वोक्त नवीकरण एवं अंतरण के दौरान किए गए समस्त कृत्य भागीदारों आलोक तालुकदार एवं सोमनाथ करमाकर द्वारा निष्पादित किए गए हैं।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने काफी मेहनत से यह प्रभाव डालने का प्रयास किया कि दिनांक 1.4.2009 को फर्म के पुनर्गठन से संबंधित सूचना प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को देने के बाद प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए पुनर्गठित फर्म के अन्य भागीदारों की ओर से विधिक बाध्यता नहीं थी जब पट्टा विलेख का नवीकरण किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि पट्टा विलेख के अंतरण में कुछ बेईमानी अंतर्ग्रस्त था और इसे इन दो भागीदारों जोली तालुकदार एवं सविता मजूमदार के पीठ पीछे किया गया है। अत: उन्होंने पुनरीक्षण याचिका में प्राईवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में पट्टा के अंतरण को चुनौती देना चुना है जिसे गलत रूप से इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि वे उक्त पट्टा के प्रदान एवं अंतरण में कहीं नहीं अंतर्ग्रस्त थे। यह प्राख्यान किया गया है कि झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 62 के अधीन पट्टा अथवा अंतरण का अनुमोदन प्रदान करने में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकता है जिसे उन आधारों पर अस्वीकार करने के बजाए गुणागुण पर ग्रहण करना चाहिए था। अत: याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी को गुणागुण पर विवाद विनिश्चित करने का निर्देश देने की आवश्यकता है।

6. प्रत्यर्थी राज्य एवं प्राईवेट प्रत्यर्थी दोनों उपस्थित हुए हैं और अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। प्रत्यर्थी राज्य ने दो भागीदारों आलोक तालुकदार एवं सोमनाथ करमाकर के आवेदन पर मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज के पक्ष में पट्टा का नवीकरण करने के निर्णय का बचाव किया है। उन्होंने भागीदारी फर्म के पुनर्गठन की कोई सूचना अभिस्वीकृत नहीं किया है। उन्होंने पट्टा के नवीकरण और इसके अंतरण तथा प्रासंगिक तिथियों पर अर्थात् क्रमश: दिनांक 11.9.2011 एवं दिनांक 17.10.2011 को नवीकरण एवं अंतरण के लिए पट्टा विलेख के निष्पादन की प्रक्रिया में समय के समस्त बिंदु पर दो भागीदारों की उपस्थिति का प्राख्यान भी किया है।

7. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि व्यक्तियों जो पुनर्गठित फर्म के भागीदार होने का दावा करते हैं के कहने पर अब उठाए जाने के लिए इप्सित विवाद बिल्कुल अनावश्यक एवं अमान्य है। यदि भागीदारों को कोई शिकायत है भी, वे अन्य भागीदारों के विरुद्ध विधि के सक्षम न्यायालय में भागीदारी विलेख है और अन्य समस्त सामग्री जिन्हें परस्पर विरोधी पक्षों द्वारा दिए जाने की आवश्यकता है के आधार पर इसे कर सकते है। राज्य प्रत्यर्थी की कार्रवाई पट्टा के अंतरण के प्रतिसंहरण की अनुमति देने के लिए किसी विधिक दुर्बलता, विकृतता से पीड़ित नहीं है।

8. प्राईवेट प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रतिशपथ पत्र में किए गए प्रकथनों के बल पर यही दृष्टिकोण लिया है। उनका मामला है कि पट्टा के नवीकरण एवं प्राइवेट प्रत्यर्थी को अंतरण में दो भागीदारों आलोक तालुकदार एवं सोमनाथ करमाकर द्वारा किए गए कृत्यों में से कोई भी कृत्य ऐसी किसी विधिक दुर्बलता से पीड़ित है जिसे वर्तमान याचियों, जो अभिकथित रूप से उसी भागीदारी फर्म के भागीदार हैं यद्यपि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उनका प्रतिनिधित्व किया जाता प्रतीत होता है, के कहने पर निरसित किया जा सकता था। यह निवेदन किया गया है कि अनावश्यक विवाद के रूप में, खानों का काम पुनरीक्षण याचिका और वर्तमान रिट याचिका जहाँ भी दिनांक 10.12.2015 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था, के लंबित रहने के कारण इस पूरे समय तक रोक दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि यदि राज्य प्राधिकारियों के कृत्यों को किसी अवैधता, अनियमितता अथवा विकृतता से पीड़ित नहीं दर्शाया गया है, केवल इसलिए कि पुनर्गठित फर्म के भागीदारों का आपस में विवाद हो सकता है, वैध रूप से निष्पादित पट्टा विलेख निरसित नहीं किया जाना चाहिए। अत: रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

9. मैंने विस्तारपूर्वक पक्षों के निवेदन पर विचार किया है और उनकी ओर से प्रस्तुत प्रासंगिक सामग्री का परिशीलन किया है। जैसा यहाँ उपर वर्णित तथ्यों का क्रम प्रकट करता है, भागीदारी फर्म मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज दो भागीदारों आलोक तालुकदार एवं सोमनाथ करमाकर से गठित था जिन्होंने दिनांक 13.5.2008 को मूल पट्टाधारी अर्थात् मेसर्स काली एग्रो केमिकल्स लि॰ से प्रत्यर्थी उपायुक्त, देवघर के समुचित एवं वैध आदेश के माध्यम से लघु खनिज (स्टोन क्वैरी) का पट्टा अंतरित करवाया। इन्हीं दोनों भागीदारों ने सितंबर, 2010 में पट्टा के नवीकरण के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन दिया जिसे सम्यक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए दिनांक 14.9.2020 तक प्रदान किया गया था। इन्हीं दो भागीदारों ने दिनांक 27.9.2011 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्राइवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में पट्टा के अंतरण के लिए आवेदन भी दिया। उनके आवेदन पर एवं अध्यपेक्षित शर्तों से संतुष्ट होने पर उपायुक्त, देवघर ने दिनांक 14.10.2011 को प्राइवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में स्टोन क्वैरी के पट्टा का अंतरण अनुमोदित किया जिसे जिला खनन अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2011 के मेमो सं॰ 1112 (प्रत्यर्थी सं॰ 4 के प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट R4/D) के माध्यम से संसूचित किया गया था। जिला खनन अधिकारी की उपस्थिति में प्राईवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में इन दो भागीदारों की ओर से पट्टा विलेख भी निष्पादित किया गया।

10. इन समस्त तथ्यों के अनुसरण में, इन दो महिलाओं अर्थात् जोली तालुकदार उर्फ जोली मजूमदार एवं सविता मजूमदार से भी गठित फर्म के पुनर्गठन की सूचना प्रत्यर्थी राज्य द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र के पैरा 15 एवं 19 में संबंधित स्टाफ से जाँच के बाद पूरी तरह विवादित की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में, समस्त आवश्यक शर्तों को परिपूर्ण किए जाने से संतुष्ट होने पर प्राइवेट प्रत्यर्थी के नाम में पट्टा के नवीकरण और इसके अंतरण का निर्णय किसी विधिक दुर्बलता से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है जिसमें मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज ने वर्तमान अभिसाक्षी के कहने पर पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने रिपोर्ट मंगाया और तथ्य पर विचार करने के बाद कि ये दो व्यक्ति अंतरण का ऐसा कोई कृत्य प्रभावी बनाने के लिए मूल भागीदारी विलेख में प्राधिकृत भी थे, वर्तमान अभिसाक्षी के कहने पर पट्टा विलेख का अंतरण निरस्त करने का कोई कारण नहीं पाया था। यद्यपि याची के विद्वान अधिवक्ता ने 2004 नियमावली के नियम 62 को यह अभिकथित करने के लिए निर्दिष्ट किया है कि मामला गुणागुण पर विनिश्चित नहीं किया गया है, किंतु संपूर्ण तथ्यों के दिग्दर्शन पर और आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर यह स्पष्ट है कि खान आयुक्त ने केवल पोषणीयता के आधार पर पुनरीक्षण याचिका, खारिज नहीं किया था बल्कि पक्षों को सुनने के बाद और जिला खनन अधिकारी, देवघर द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के परिशीलन पर गुणागुण पर स्वयं को संतुष्ट किया। उन्होंने प्राइवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में मेसर्स जॉयश्री इंटरप्राइजेज के दो भागीदारों द्वारा पट्टा के नवीकरण अथवा अंतरण के प्रदान में कोई अवैधता अथवा दुर्बलता नहीं पाया था। यदि वर्तमान अभिसाक्षी का फर्म, जिसे वह पुनर्गठन के बाद चार भागीदारों से गठित होने का दावा करती है, के अन्य भागीदारों के साथ आपसी विवाद है, भागीदारी करार के निबंधनों एवं शर्तों से उद्भूत होने वाले विवाद के न्याय-निर्णयन के लिए विधि के सक्षम प्राधिकारी के पास जाने की छूट व्यथित भागीदार को सदैव है। किंतु, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा किए गए कृत्य और पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश किसी अवैधता से पीड़ित नहीं है जो रिट अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप आवश्यक बनाए।

11. यहाँ उपर की गयी विस्तारपूर्वक चर्चा और दर्ज किए गए कारणों से मैं रिट आवेदन में हस्तक्षेप

करने का कोई आधार नहीं पाता हूँ। तद्नुसार रिट आवेदन खारिज किया जाता है। दिनांक 10.12.2015 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है। किंतु, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के प्रत्यर्थी प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि विधि के अनुरुप और पर्यावरण अनापत्ति सहित आवश्यक शर्तों की संतुष्टि पर खान का काम किया जाय।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

डॉ॰ ब्रजेश कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 211 of 2015. Decided on 29th March, 2016.

सेवा विधि–वेतन–वेतन एवं भविष्य निधि राशि पर ब्याज से इनकार–वेतन पाने का अधिकार कर्मचारी का सांविधिक एवं संवैधानिक अधिकार है–वेतन का अधिकार उसके संपत्ति के अधिकार के समान है–सिवाए विधि में विहित प्रक्रिया के अनुरुप, वेतन से इनकार नहीं किया जा सकता है–जब एक बार रिट न्यायालय ने अपीलार्थी की अप्राधिकृत अनुपस्थिति का अभिवचन स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उसको वेतन के भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता था–प्रशासनिक प्राधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता अथवा अन्यथा की परीक्षा नहीं कर सकता है–किंतु, विलंबित भुगतान, जी॰ पी॰ एफ॰ एवं सामूहिक बीमा पर ब्याज के भुगतान के विवाद्यक की तथ्यों पर गंभीर न्याय निर्णयन की आवश्यकता होगी–याची को सही प्रकार से प्राधिकारियों के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी–अपील अंशतः अनुज्ञात। (पैराएँ 8 से 12)

निर्णयज विधि.–1993 Supp (4) SCC 595—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon, Shiv Shankar Kumar, Kumari Rashmi, For the Appellants; Mr. Sumir Prasad, For the Respondent-State; Mr. M.K. Roy, For the Respondent No. 5; Mr. S. Srivastava, For Accountant General.

आदेश

रिट याची–अपीलार्थी, जिसे दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 के बीच की अवधि के लिए वेतन और दिनांक 1.9.2004 से दिनांक 31.1.2007 तक भविष्य निधि राशि पर ब्याज से इनकार किया गया था, रिट न्यायालय में अपने विफल प्रयास के बाद वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

3. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन प्रतिवाद करते हैं कि जब एक बार इस न्यायालय ने दिनांक 16.7.2004 का आरोप–ज्ञापन अभिखंडित कर दिया, जिसे दिनांक 18.11.2000 और दिनांक 28.2.2004 की अवधि के बीच की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए जारी किया गया था और प्रत्यर्थियों को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से रिट याची–अपीलार्थी का दावा सुलझाने का निर्देश दिया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश उक्त अवधि के लिए वेतन के भुगतान के लिए अपीलार्थी का दावा इस आधार पर कि अपीलार्थी ने दिनांक 16.4.2009 के आदेश को चुनौती नहीं दिया था जिसके द्वारा उक्त अवधि अर्जित अवकाश/अर्द्धवेतन अवकाश/वेतन बिना अवकाश समायोजित करके नियमित की गयी थी, अस्वीकार करने में गलती किया।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रिट न्यायालय के समक्ष लिया गया दृष्टिकोण दोहराते हुए रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हैं। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि दिनांक 18.11.2000 और दिनांक 28.2.2004 के बीच की अवधि अपीलार्थी को ग्राह्य विभिन्न अवकाशों से समायोजित की गयी है, उक्त अवधि के लिए वेतन के भुगतान का निर्देश अपीलार्थी को दोहरा लाभ प्रदान करने के तुल्य होगा।

5. आरंभ में ही, हम गौर करते हैं कि इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079 वर्ष 2004 में ध्यान में लिया कि जहाँ तक कर्तव्य से अनुपस्थिति के अभिकथन का संबंध है, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। झारखंड सेवा संहिता, 2001 में नियम 74 (B) के निबंधनानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इप्सित करते हुए अपना आवेदन दाखिल किए जाने तक अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी है। वस्तुतः अपीलार्थी विभिन्न अवसरों पर न्यायालय जाने के लिए मजबूर हुआ था। जब दिनांक 11.7.1997 के आदेश के तहत अपीलार्थी का वेतन रोका गया था, उसने रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 68430 वर्ष 1997 दाखिल किया और केवल तत्पश्चात वेतन की निर्मुक्ति के लिए दिनांक 3.8.1998 का आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी पुनः बी॰ आई॰ टी॰ सिन्द्री से किसी अन्य पोलिटेकनिक संस्थान में अपना स्थानांतरण इप्सित करते हुए निर्देश देने के लिए सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1842 वर्ष 2003 में इस न्यायालय के पास आया। जब बी॰ आई॰ टी॰ सिन्द्री से स्थानांतरण के लिए अपीलार्थी का मामला विचार किए जाने के लिए लंबित था, उसने दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से सेवानिवृत्त होने का अपना आशय बताते हुए दिनांक 3.4.2003 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया। बाद में, अपीलार्थी पर दिनांक 16.7.2004 का आरोप-ज्ञापन तामील किया गया था और उसे दिनांक 19.7.2004 के आदेश के तहत निलंबन के अधीन रखा गया था। अपीलार्थी पुनः उपदान, जी॰ पी॰ एफ॰, सामूहिक बीमा, आदि सहित दिनांक 1.3.2004 के प्रभाव से सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079 वर्ष 2004 में इस न्यायालय के पास आया। जैसा उपर ध्यान में लिया गया है, रिट याचिका प्रत्यर्थियों को दिनांक 28.2.2004 को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि के रूप में मानते हुए अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति दावा को सुलझाने के निर्देश के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी। दिनांक 16.7.2004 का आरोप-ज्ञापन और दिनांक 19.7.2004 का निलंबन आदेश जिसे अपीलार्थी द्वारा अंतर्वर्ती आवेदनों को दाखिल करके आक्षेपित किया गया था भी रिट न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था।

6. पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में लेने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश वर्तमान कार्यवाही में इस निष्कर्ष पर आए कि अपीलार्थी का अंतिम वेतन 21,900/- रुपया था जिसके लिए वह दिनांक 28.2.2004 को हकदार था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित गौर किया:-

> *"(i) LohÑr :i l] ;kph dk fnukd 28.2.2004 d çHkko l lokfuor gku dk fun'k fn;k x;k g vkj] bl n'kk e] ;kph ml orueku dk iku dk gdnkj g ftl iku dk og fnukd 28.2.2004 dk gdnkj Fkk tk 21,900/-#i;k FkkA*
>
> *(ii) çR;fFk;k }kjk fn;k x;k dkj.k fd ;kph fnukd 18.11.2000 l fnukd 28.2.2004 rd vçkfèkÑr :i l vuifLFkr Fkk Hkh MCY;0 ih0 ,l0 l0 3079/2004 e bl U;k;ky; d bl çHkko d Li"V fu"d"k] tl ;gk mij m)r fd;k x;k g] fd og mDr vofèk d fy, vuifLFkr vFkok Qjkj ugh Fkk fd nf"V e Lohdkj ugh fd;k tk ldrk gA*
>
> *(iii) fnukd 18.11.2000 l fnukd 28.2.2004 rd vçkfèkÑr vuifLFkfr d lcèk e çfr'kiFk i= e çR;fFk;k }kjk fn;k x;k dkj.k MCY;0 ih0 (,l0) l0 3079/2004 e bl U;k;ky; d fo}ku ,dy U;k;kèh'k }kjk fn, x, fu"d"k d fcYdy foijhr gA***

7. किंतु, दिनांक 16.4.2009 के आदेश, जिसकी प्रति पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट-C के तहत रिट न्यायालय के समक्ष लायी गयी थी जिसके द्वारा दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004

तक की अवधि अर्जित अवकाश/अर्द्धवेतन अवकाश/वेतन बिना अवकाश, आदि से उक्त अवधि समायोजित करके नियमित की गयी थी, को ध्यान में लेते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर कि अपीलार्थी ने दिनांक 16.4.2009 के आदेश को चुनौती नहीं दिया था, दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 के बीच की अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने का प्रत्यर्थियों को निर्देश देने की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। हमारे विनम्र मत में, विद्वान रिट न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है।

8. वेतन पाने का अधिकार कर्मचारी का सांविधिक एवं संवैधानिक हथियार है। वेतन का अधिकार संपत्ति के उसके अधिकार के समान है और सिवाए विधि में विहित प्रक्रिया के अनुरुप, कर्मचारी को वेतन से इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चय ही, इसे तकनीकी अभिवचन पर इनकार नहीं किया जा सकता है। जब एकबार विद्वान रिट न्यायालय ने अपीलार्थी की अप्राधिकृत अनुपस्थिति का अभिवचन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और गौर किया कि महालेखाकार ने दिनांक 16.2.2004 का वेतन/अवकाश वेतन पर्ची जारी किया था, अपीलार्थी को दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 के बीच की अवधि के लिए वेतन के भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079 वर्ष 2004 में दिनांक 25.9.2006 के आदेश के तहत याची के सेवानिवृत्ति लाभों का दावा सुलझाने और सांविधिक ब्याज, जहाँ कहीं भी यह प्रयोज्य हो, के साथ तीन माह की अवधि के भीतर ऐसे समस्त देयों का भुगतान करने का विनिर्दिष्ट निर्देश दिया, तब 30 माह से अधिक तत्पश्चात प्रत्यर्थियों को दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 के बीच की अवधि कर्तव्य से अप्राधिकृत अनुपस्थिति मानते हुए दिनांक 16.4.2009 का आदेश पारित करने की छूट नहीं थी।

9. यह सुनिश्चित है कि प्रशासनिक प्राधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता अथवा अन्यथा की परीक्षा नहीं कर सकता है। प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरीके से जिसे वह चाहता/चाहती है न्यायालय के आदेश की व्याख्या भी नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी राज्य को उपलब्ध विकल्प डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 25.9.2006 के आदेश को चुनौती देना था और न कि रिट न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष एवं जारी निष्कर्ष का उल्लंघन करना था। वस्तुतः दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 तक अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए अपीलार्थी को जारी किया गया आरोप ज्ञापन रिट न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था। **''एस॰ नागराज एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं एक अन्य'', (1993)Supp (4) SCC 595,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

> *"12..... fofèk d U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k d ckè;dkjh çHkko ij fofèk lfuf'pr gA u gh blij dkb erHkn gk ldrk g fd ;fn fdlh U;k;ky; ftl bldk ikfjr dju dh vfèkdkfjrk g }kjk vkn'k ikfjr fd;k x;k g] rc vkn'k e xyrh mPprj U;k;ky; }kjk vFkok Li"Vhdj.k d fy, vkonu }kjk] vkn'k d mikrj.k vFkok okil fy, tku }kjk lgh djok;h tk ldrh g vkj u fd fdlh çkfèkdkjh }kjk lfØ; vFkok mnklhu :i l vFkok vfHk0;Dr :i ;k foof{kr :i l bldh voKk djd vkn'k dk vun[kk djr g,A Hky gh vkn'k vufpr :i l çkIr fd;k x;k Fkk] çkfèkdkjh Lo; bl çfrLFkkfir dju vFkok Li"V ,o mikrfjr dju] tlk o lefpr le>r g] dh Hkfedk èkkj.k ugh dj ldr gA***

10. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 के बीच की अवधि के लिए वेतन से इनकार असंपोषणीय बना दिया गया है। वस्तुतः, अपीलार्थी को उसके अर्जित अवकाश/अर्द्धवेतन अवकाश/वेतन बिना अवकाश से अनुपस्थिति की अभिकथित अप्राधिकृत अनुपस्थिति समायोजित करके अधिक हानि पहुँचायी गयी है। कर्मचारी का अर्जित अवकाश वेतन एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त कर्मचारी को ग्राह्य सांविधिक लाभ है। प्रत्यर्थियों ने दिनांक 16.4.2009 के आदेश के तहत अपीलार्थी को न केवल पूर्वोक्त अवधि के लिए वेतन से इनकार किया है, उक्त अवधि

अर्जित अवकाश सहित उसको ग्राह्य विभिन्न सांविधिक लाभों से समायोजित भी की गयी है। इस पहलू को रिट न्यायालय द्वारा पूरी तरह अनदेखा किया गया है। परिणामस्वरुप, दिनांक 15.1.2015 के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

11. जहाँ तक विलंबित भुगतान, जी॰ पी॰ एफ॰, सामूहिक बीमा पर ब्याज के भुगतान का संबंध है, रिट याची को सही प्रकार से प्राधिकारियों के पास जाने की स्वतंत्रता इस कारण दी गयी है कि अपीलार्थी के ब्याज का भुगतान तथ्यों पर गंभीर न्याय निर्णयन आवश्यक बनाएगा जो विवाद्यक अंतर्ग्रस्त कर सकता है कि क्या प्रत्यर्थियों की ओर से ढिलाई एवं विलंब हुआ था और क्या अपीलार्थी द्वारा ऐसे देयों के भुगतान के लिए तत्परतापूर्वक कदम उठाया गया था या नहीं। दिए गए मामले में, यह इस न्याय निर्णयन को भी आवश्यक बना सकता है कि क्या अपीलार्थी को भुगतान किसी विधिक अवरोध अथवा प्रत्यर्थियों के नियंत्रण के परे परिस्थितियों के कारण नहीं किया गया था।

12. परिणामस्वरुप, लेटर्स पेटेन्ट अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है। प्रत्यर्थी सं॰ 5 को अपीलार्थी को किया गया भुगतान, यदि हो, समायोजित करते हुए दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 तक की अवधि के लिए अपीलार्थी को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। तद्नुसार, दिनांक 16.4.2009 का आदेश उपांतरित किया जाएगा।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

एन॰ श्रीनिवास

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. Petition No. 1145 of 2015. Decided on 8th March, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 420—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—छल–घटिया गुणवत्ता वाली मशीनरी की आपूर्ति–न्यायालय करार एवं प्रोफॉर्मा बीजक का संज्ञान ले सकता है जो संव्यवहार से संबंधित हैं क्योंकि इसे अनधिक्षेपणीय साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है–संपूर्ण विवाद कारोबार संव्यवहार के संबंध में है–सूचक के पास समुचित सिविल उपचार है–दांडिक न्यायालय कारोबार संव्यवहार के संबंध में पक्षों के बीच आपसी विवाद को सुलझाने के लिए आशयित नहीं हैं–दांडिक कार्यवाहियाँ अभिखंडित। (पैराएँ 9, 10, 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–(2015)2 Eastern Criminal Cases 226 (SC): (2016)1 SCC 348—Relied; (2014)14 SCC 29—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sahni, For the Petitioner; APP, For the Opposite party No. 1; Mr. Arun Kumar, For the Opposite party No. 2.

आदेश

इस आवेदन में, याची ने धनबाद (बैंक मोड़) पी॰ एस॰ केस सं॰ 1244 वर्ष 2014 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया है।

2. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा लिखित रिपोर्ट दाखिल किया गया था जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के प्रयोजन से याची के फर्म से मशीनें खरीदी गयी थी जिसके लिए

आवश्यक राशि का भुगतान किया गया था। याची द्वारा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के व्यवसाय परिसर में मशीनों/उपकरणों को लगाया गया था। बाद में, यह पता चला था कि इस प्रकार आपूर्ति की गयी मशीनें घटिया गुणवत्ता की थी और यद्यपि याची से मशीनों को वापस लेने का अनुरोध किया गया था, याची की ओर से प्रत्युत्तर नहीं दिया गया था। अत: यह अभिकथित किया गया है कि याची द्वारा 27,90,000/- रुपयों की राशि प्राप्त की गयी थी, किंतु आपूर्ति की गयी मशीनें घटिया गुणवत्ता की थी जो याची द्वारा किए गए छल के अपराध में परिणत हुआ। पूर्वोक्त अभिकथनों के आधार पर, धनबाद (बैंक मोड़) पी॰ एस॰ केस सं॰ 1244 वर्ष 2014 संस्थित किया गया था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ साहनी एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्राथमिकी से यह स्पष्ट है कि एकमात्र विवाद मशीनों की आपूर्ति के संबंध में है जो सूचक के अनुसार घटिया गुणवत्ता की थी। यह निवेदन किया गया है कि ऐसे अभिकथनों का अर्थ भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 415 के मुताबिक छल की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले के रूप में नहीं लगाया जा सकता है और अधिकाधिक मामला सेवा में कमी का हो सकता है जिसके लिए विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के पास अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए विधि के अधीन समुचित फोरम है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विवाद शुद्धत: सिविल प्रकृति का है और केवल याची पर दबाव डालने के लिए प्राथमिकी संस्थित की गयी है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **''इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटलर्जी एन्ड न्यू मेटेरियल्स (ए॰ आर॰ सी॰ आई॰) एवं अन्य बनाम निम्रा सेरग्लास टेक्निक्स प्राईवेट लिमिटेड एवं एक अन्य,'' (2016)1 SCC 348,** और **''वेसा होल्डिंग्स प्रा॰ लि॰ एवं एक अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (2015)2 Eastern Criminal Cases 226 (SC)** को निर्दिष्ट किया है।

5. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार ने निवेदन किया है कि याची ने जानबूझकर आशयपूर्वक विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को निम्न गुणवत्ता की मशीन की आपूर्ति किया। यद्यपि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा याची को संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अभी आरंभ हुआ है और इस चरण पर अन्वेषण रोका नहीं जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि केवल समुचित अन्वेषण पर ही याची के बेईमान आशय के संबंध में सामग्री प्रकाश में आएगी क्योंकि प्राथमिकी दांडिक कार्यवाही का आरंभ मात्र है **''मोसीरुद्दीन मुंशी बनाम मो॰ सिराज एवं एक अन्य, (2014)14 SCC 29,** में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए यह प्रतिवाद किया गया था कि अभिकथनों का अन्वेषण जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6. प्राथमिकी करार एवं कच्चा बीजक अंतर्विष्ट करता है जो संव्यवहार से संबंधित हैं और चूँकि इन्हें लिखित रिपोर्ट के साथ दाखिल किया गया है, यह न्यायालय ऐसे दस्तावेजों का संज्ञान ले सकता है क्योंकि इसका अर्थ अनधिक्षेपणीय साक्ष्य के रूप में लगाया जा सकता है।

7. याची एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के बीच करार दिनांक 12.3.2014 को किया गया था जिसमें अनुच्छेद 4 के मुताबिक आपूर्तिकर्ता (याची) को अनंतिम स्वीकरण की तिथि के मुताबिक आपूर्ति किए गए वस्तुओं की गुणवत्ता एवं प्रदर्शन की 12 माह से अन्यून की वारन्टी प्रदान करने की आवश्यकता थी। संविदा का अनुच्छेद 6 विवादों के समाधान पर विचार करता है। संसूचना जिसे सूचक द्वारा याची द्वारा आपूर्ति की गयी मशीनों की घटिया गुणवत्ता के संबंध में दिया गया था कमोबेश हानियों जिसे अभिकथित

रूप से सूचक द्वारा सहन किया गया है की वसूली तक सीमित है। अत: दस्तावेज जिन्हें प्राथमिकी के साथ दाखिल किया गया है सुझाते हैं कि संपूर्ण विवाद कारोबार संव्यवहार के संबंध में है और यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि याची की ओर से आरंभ से ही सूचक के साथ छल करने का बेईमान आशय था। यदि सूचक मशीनों की आपूर्ति के संबंध में याची की कार्रवाई/निष्क्रियता से व्यथित है भी, यह सेवा में कमी के तुल्य होगा जिसके लिए सूचक के पास समुचित फोरम के समक्ष समुचित सिविल उपचार है। दांडिक न्यायालय दांडिक मामलों के संस्थापन का सहारा लेकर कारबार संव्यवहार के संबंध में पक्षों के बीच आपसी विवाद सुलझाने के लिए आशयित नहीं हैं। **''इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटलर्जी एन्ड न्यू मैटेरियल्स (ए॰ आर॰ सी॰ आई॰) एवं अन्य'' (ऊपर)** में संविदा भंग मात्र एवं छल के बीच सुभिन्नता पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

> *"16. lfonk d Hkx ek= ,o Ny d chp lfHkUurk vfHkdfFkr mRij.k d le; vfHk;Dr d vk'k; ij fuHkj djxhA ;fn ;g LFkkfir fd;k tkrk g fd vfHk;Dr dk bjknk mlh le; cbekuh dju dk tc mlu oknk fd;k vkj ifjoknh d lkFk viu èku vFkok lifÙk l vyx gku dk l0;ogkj fd;k] rc nkf;Ro nkfMd g vkj vfHk;Dr Ny d vijkèk dk nk"kh gA nljh vkj] ;fn doy ;gh LFkkfir fd;k tkrk g fd vfHk;Dr }kjk fd;k x;k 0;in'ku ckn e ijk ugh fd;k x;k g] vfHk;Dr ij nkfMd nkf;Ro ugh Mkyk tk ldrk g vkj ,dek= vfèkdkj tk ifjoknh vftr djrk g] og flfoy U;k;ky; e lfonk d Hkx dk mipkj gA lfonk dk Hkx ek= Ny d fy, nkfMd vfHk;ktu mnHkr ugh dj ldrk g tc rd l0;ogkj d vkjHk e gh diVi.k vFkok cbeku vk'k; n'kk;k ugh tkrk gA ,l0 MCY;0 iyUrhdj cuke fcgkj jkT; e bl U;k;ky; u fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k gA*

> *"21.....Ny dk vijkèk xfBr dju d fy,] çofpr dju dk vk'k; ml le; ij fo|eku gkuk pkfg, tc çj.kk nh x;h FkhA ;g dgu d fy, fd mlu Ny dk ÑR; fd;k] oknk dju d le; ij 0;fDr dk diVi.k vFkok cbeku vk'k; Fkk] Ny n'kkuk vfuok; gA ckn e oknk ijk dju e foQyrk ek= Ny dh vkj y tku oky ÑR; d :i e mièkkfjr ugh fd;k tk ldrk gA***

8. ''वेसा होल्डिंग्स प्रा॰ लि॰ एवं एक अन्य'' (ऊपर) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

> *"8. vihykFkh }kjk m)r fu.k;k l] fofèk dh lfuf'pr çfriknuk ;g g fd lfonk dk çR;d Hkx Ny dk vijkèk mnHkr ugh djxk vkj doy mu ekeyk e lfonk Hkx Ny d rY; gkxk tgk vkjHk e gh çopuk dh x;h FkhA ;fn Ny dju dk vk'k; ckn e mnHkr gvk] ;g Ny d rY; ugh gk ldrk gA nlj 'kCnk e] Ny dk vijkèk xfBr dju d ç;ktu l ifjoknh dk ;g n'kku dh vko';drk g fd vfHk;Dr dk oknk vFkok 0;in'ku dju d le; ij diVi.k vFkok cbeku vk'k; FkkA ,l ekey e Hkh tgk viuk oknk ijk dju e vfHk;Dr dh vkj l foQyrk d lcèk e vfHkdFku fd, x, g] vkjfHkd oknk dju d le; ij vkijkfèkd vk'k; dh vuifLFkfr e Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 420 d vèkhu vijkèk curk gvk ugh dgk tk ldrk gA*

*9. ;g lR; g fd rF;k dk fn;k x;k lox flfoy nk"k vkj nkfMd vijkèk Hkh cuk ldrk g vkj doy blfy, fd ifjoknh dk flfoy mipkj miyCèk gk ldrk g] og Lo; nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju dk vkèkkj ugh gk ldrk gA okLrfod ijh{kk ;g g fd D;k ifjokn e fd;k x;k vfHkdFku Ny dk nkfMd vijkèk çdV djrk g ;k ughA oreku ekey e] ;g n'kku d fy, dN Hkh ugh g fd vkjHk e gh vfHk;Drk dh vkj l Ny dju dk dkb vk'k; Fkk tk HkkO n0 l0 dh èkkjk 420 d vèkhu vijkèk d fy, ijkHkkO; 'kr gA gekj nf"Vdk.k e] ifjokn dkb nkfMd vijkèk fcYdy çdV ugh djrk gA nkfMd dk;okgh çkR lkfgr ugh djuk pkfg, tc bl vlnHkkoi.k vFkok vU;Fkk U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx ik;k tkrk gA bl 'kfDr dk ç;kx djr g, mPprj U;k;ky;k dk U;k; dk mí'; ijk dju dk ç;kl Hkh djuk pkfg,A gekj er e] bu rF;k dh nf"V e] ifyl vUo"k.k tkjh j[ku dh vuefr nuk U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx gkxk vkj mPp U;k;ky; u dk;okgh vfHk[kfMr dju d fy, nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dk ç;kx dju l budkj dju e xyrh fd;kA***

9. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **''मोसीरुद्दीन मुंशी'' (ऊपर)** मामले को अन्वेषण समयपूर्व रोकने के संबंध में निर्दिष्ट किया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"6. çkFkfedh vfHk[kfMr dju d fy, mPp U;k;ky; }kjk vfèkdkfjrk d ç;kx d lcèk e fofèkd voLFkk vc lfuf'pr gA gekj fy, ml ij xgjkb l fopkj djuk vko';d ugh g] D;kfd fofèk dh çfriknuk, bl U;k;ky; }kjk vkj0 dY;k.kh cuke tud lh0 egrk e vfèkdfFkr dh x;h g%

"15. mDr fu.k;k l lkeu vku okyh fofèk dh çfriknuk, ; g%

(1) mPp U;k;ky; nkfMd dk;okgh] fo'k"kr% çkFkfedh] vfHk[kfMr dju d fy, viuh vrfufgr vfèkdkfjrk dk ç;kx ugh djxk tc rd mle vrfo"V vfHkdFku] Hky gh mUg T;k dk R;k Lohdkj fd;k tkrk g vkj mudh li.krk e lgh ekuk tkrk g] lK; vijkèk çdV ugh djr gA

(2) mDr ç;ktu l U;k;ky; vR;Ur vkiokfnd ifjfLFkfr;k dk NkM dj cpko i{k }kjk fo'okl fd, x, fdlh nLrkot ij fopkj ugh djxkA

(3) , lh 'kfDr dk ç;kx vR;Ur fdQk;riod fd;k tk,xkA ;fn çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku vijkèk dh dkfjrk çdV djr g] U;k;ky; bld ij ugh tk,xk vkj fdlh vkijkfèkd eu%fLFkfr vFkok vkijkfèkd dk; dh vuifLFkfr vfHkfuèkkfjr dju d fy, vfHk;Dr d i{k e vkn'k ikfjr ugh djxkA

*(4) ;fn vfHkdFku flfoy fookn çdV djr g] ;g Lo; e ;g vfHkfuèkkfjr dju dk vkèkkj ugh gk ldrk g fd nkfMd dk;okgh tkjh j[ku dh vuefr ugh nh tkuh pkfg,A***

*10. mPp U;k;ky; u dBkjrkiod vfr rduhdh nf"Vdk.k fy;k g vkj , lk ç;kl fopkj.k d nkjku U;k;kfpr gk ldrk g] fdr fu'p; gh vUo"k.k d pj.k d nkjku ughA fdlh Hkh ljr e] ;g ?kkf"kr djd fd ;g flfoy l0;ogkj g ftle nkfMd vijkèk dk ifr:i vrxLr ugh g] mPp U;k;ky; }kjk gLr{ki dju vkj vUo"k.k jkdu d fy, ;g vR;Ur le;io gA***

10. नि:संदेह यह सत्य है कि उच्च न्यायालय अन्वेषण पूरा हुए बिना दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने में चौकस रहेगा जिसे आरंभ मात्र किया गया है, किंतु साथ ही यदि न्यायालय पाता है कि विवाद

संविदा भंग से उद्भूत होने वाला शुद्धत: सिविल प्रकृति का है, यह दांडिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है जिसे अभियुक्त पर थोपा गया है और ऐसी दांडिक कार्यवाही समाप्त करना इसकी अधिकारिता के भीतर होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष द्वारा दाखिल दस्तावेजों पर विचार करने के संबंध में अनेक निर्णयों में सतर्क किया है। वर्तमान मामले में, दस्तावेज जो विचाराधीन है, प्राथमिकी के भाग हैं और उन दस्तावेजों पर उनके अकलंकित एवं अनधिक्षेपणीय होने के नाते वर्तमान विवाद्यक जैसे विवाद्यक को विनिश्चित करते हुए विचार किया जा सकता है। **''इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटलर्जी एन्ड न्यू मेटेरियल्स (ए॰ आर॰ सी॰ आई॰) एवं अन्य'' (ऊपर)** मामले में निर्णय का फिर से उल्लेख करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को दोहराया है और इसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *13. fofèkd voLFkk lfuf'pr g fd tc vkjfHkd pj.k ij vfHk;ktu vfHk[kfMr dju d fy, dgk tkrk g] U;k;ky; }kjk ykx dh tku okyh ijh{kk ;g g fd D;k v[kfMr vfHkdFku] t lk ifjokn e fd;k x;k g] vijkèk LFkkfir djr gA mPp U;k;ky; dk jkT; dk mPprj U;k;ky; gku d ukr mu lkefx;k ftUg vHkh Hkh fn;k tkuk g dk fo'y"k.k dju l ijgt djuk pkfg, vkj mud lgh ifjç{; e n[kk tkuk pkfg,A n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu mPp U;k;ky; dh vrfufgr vfèkdkfjrk dk ç;kx oèk vfHk;ktu dk xyk ?kkVu d fy, ugh fd;k tkuk pkfg,A n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dk ç;kx vR;Ur fdQk;riod doy fojy ekeyk e fd;k tkuk gA ekeyk dh J[kyk e bl U;k;ky; u nkgjk;k fd nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju dh 'kfDr dk ç;kx vR;Ur fdQk;riod fd;k tkuk pkfg, vkj nkfMd dk;okgh e ifjokn dk vfHk[kMu çR;d ekey d rF;k vkj ifjfLkfr;k ij fuHkj djxkA (n[kh gfj;k.kk jkT; cuke Hktu yky] rfeyukM jkT; cuke fFk#djy i#ey vkj lh0 ch0 vkb0 cuke jfo'kdj JhokLro)*

> *25. mDr fu.k; bu lLFkkfir fl)krk dk nkgjkr g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu vrfufgr vfèkdkfjrk dk ç;kx djr g, lk{; ,o bldh lR;i.krk vFkok i;kIrrk dk vfèkeY;u mPp U;k;ky; dk ugh djuk g D;kfd ;g fopkj.k U;k;ky; dk dk; gA mPp U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr;k pkg flfoy gk ;k nkfMd] dk ç'kluh; ykd ç;ktu çkIr dju d fy, cuk;k x;k g vkj fd U;k;ky; dh dk;okgh dk ij'kkuh vFkok vfHk;ktu d gfFk;kj d :i e ifrr gku dh vuefr ugh nh tkuh pkfg,A ;fn ifjokn e fd, x, çdFku vijkèk xfBr ugh djr g] U;k;ky; U;k; d fgr e dk;okgh vfHk[kfMr dju e U;k;kfpr gkxkA***

11. जैसा ऊपर संकेन्द्रित किया गया है, संपूर्ण विवाद अभिकथित रूप से घटिया गुणवत्ता की मशीनों की आपूर्ति के संबंध में प्रतीत होता है और यदि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को कोई शिकायत है भी, इसे समुचित सिविल कार्यवाही में और न कि दांडिक मामला संस्थापित करके दूर किया जा सकता है। यदि याची के विरुद्ध इस दांडिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, इसका परिणाम न्याय की विफलता में होगा और यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

12. तद्नुसार, इस आवेदन में गुणागुण होने के नाते इसे अनुज्ञात किया जाता है और धनबाद (बैंक मोड़) पी॰ एस॰ केस सं॰ 1244 वर्ष 2014 जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संस्थित किया गया है, के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

मानिक भौमिक

cuke

श्रीमती सरिता भौमिक (बर्मन)

F.A. No. 106 of 2015. Decided on 1st April, 2016.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धाराएँ 13 (1) (i-a) एवं 13(1) (i-b)—तलाक–पत्नी द्वारा क्रूरता एवं अभित्यजन–अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत गवाह प्रत्यर्थी द्वारा गाली-गलौज अथवा प्रहार के विनिर्दिष्ट उदाहरण देने में विफल रहे–अभित्यजन के आधार पर तलाक इप्सित करने के लिए इसे याचिका की प्रस्तुति के तुरंत बाद कम से कम दो वर्षों की अवधि तक लगातार होना होगा–अपीलार्थी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा जो अधिसंभाव्यता की बहुलता पर उसका मामला सिद्ध कर सकता है–विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से वैवाहिक वाद खारिज किया–अपील खारिज। (पैराएँ 9 से 13)

अधिवक्तागण.–M/s Sudhir Sahay, Mutul Kumar, For the Appellants; None, For the Respondent.

आदेश

वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2008 में दिनांक 8.6.2015 के निर्णय एवं आदेश, जिसके द्वारा विवाह के विघटन की डिक्री के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद व्यय के साथ खारिज कर दिया गया है, से व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान प्रथम अपील दाखिल किया है।

2. अपीलार्थी ने क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धाराओं 13 (1) (i-a) एवं 13 (i) (i-b) के अधीन वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2008 दाखिल किया। प्रत्यर्थी के साथ अपीलार्थी का विवाह दिनांक 19.7.1996 को ग्राम पुनासी में संपन्न किया गया था। पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित विवाधकों को विरचित किया:–

"(i) D;k oreku okn viu oreku Lo:i e ik"k.kh; g

(ii) D;k çR;Fkh }kjk fookg d vkjHk l gh vc rd ;kph d lkFk Øjrk dk 0;ogkj fd;k x;k g

(iii) D;k çR;Fkh u ;kph dk vfHkR; tu fd;k g

(iv) D;k ;kph çkFkuku lkj vurk"k@vurk"kk dk gdnkj g

3. विचारण के दौरान अपीलार्थी ने 9 गवाहों का परीक्षण किया और कतिपय दस्तावेजों को प्रस्तुत किया। वैवाहिक वाद का प्रतिवाद करते हुए, प्रत्यर्थी पत्नी ने भी तीन गवाहों का परीक्षण किया। अपीलार्थी ने अ॰ सा॰ 6 के रूप में स्वयं का परीक्षण करवाया और प्रत्यर्थी पत्नी ने स्वयं का ओ॰ पी॰ डब्ल्यू॰ 2 के रूप में परीक्षण करवाया।

4. विचारण न्यायालय पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करने पर इस निष्कर्ष पर आया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी के हाथों मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता सिद्ध करने में विफल रहा है और अपीलार्थी द्वारा लिया गया अभित्यजन का आधार समयपूर्व था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 9.6.2008 को पक्षों के बीच हस्ताक्षरित लिखित करार जिसके अधीन अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी को 1,00,000/- रुपयों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ और पड़ोसियों के साक्ष्य जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया कि प्रत्यर्थी पत्नी ने अपीलार्थी पति के साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर प्रहार किया, की दृष्टि में विचारण न्यायालय ने वैवाहिक वाद खारिज करने में विधि में गंभीर गलती किया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि विचारण न्यायालय पक्षों के साक्ष्य का परीक्षण करने के लिए अग्रसर हुआ मानो यह दांडिक विचारण संचालित कर रहा हो। वैवाहिक वाद विनिश्चित करने के लिए ''अधिसंभाव्यता की बहुलता'' का मूल सिद्धांत विचारण न्यायालय द्वारा भुला दिया गया था और उक्त वाद ऐसे तरीके से खारिज किया है जो प्रकट करता है मानो अपीलार्थी को अपना मामला समस्त संदेह के परे स्थापित करने वाला साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक था।

7. अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों से, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अभिकथित किया कि विवाह के आरंभ से ही प्रत्यर्थी पत्नी अविवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करने लगी। प्रत्यर्थी के दबाव पर, अपीलार्थी अपनी माता एवं बहन से अलग हो गया किंतु, बाद में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के विरुद्ध उसके किसी अन्य महिला के साथ विवाहेत्तर संबंध होने का संदेह करने लगी। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को गाली देना, उस पर प्रहार करना और उसको अपमानित करना भी शुरू कर दिया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रहार का परिवाद करते हुए अपीलार्थी परिवाद दर्ज करने के लिए मजबूर हुआ था, जिस पर दं० प्र० सं० की धारा 107 के अधीन कार्यवाही शुरू की गयी थी। अपीलार्थी ने अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी के पिता एवं भाई असामाजिक तत्व हैं जो अनेक दांडिक मामलों में अंतर्ग्रस्त हैं और उनके उकसावा पर उसने अपीलार्थी के साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता किया है।

8. प्रत्यर्थी पत्नी ने अपने द्वारा पति के साथ दुर्व्यवहार अथवा यातना से इनकार करते हुए लिखित कथन दाखिल किया है। प्रत्यर्थी अपीलार्थी से होमियोपैथिक दवा का प्रशिक्षण ले रही थी और प्रशिक्षण के दौरान अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के प्रति अपना गहन प्रेम प्रकट किया और उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया। प्रत्यर्थी ने अभिकथित किया कि दिनांक 7.6.2008 को उसके पति द्वारा उसे गाली दी गयी थी और निर्ममतापूर्वक पीटा गया था और दिनांक 9.6.2008 को उसने उससे कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवाया और तत्पश्चात, उसे बलपूर्वक दांपत्य गृह से बाहर निकाल दिया गया था।

9. अपीलार्थी ने प्रति परीक्षण के दौरान स्वीकार किया कि वर्ष 1996 में विवाह के बाद वर्ष 2008 तक उसकी पत्नी उसके साथ रही। अपीलार्थी द्वारा परीक्षण किए गए अन्य गवाहों ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी पत्नी का अपने पति के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था और वह अपीलार्थी को गाली देती थी और उस पर प्रहार करती थी। किंतु, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत गवाह ने प्रत्यर्थी द्वारा गाली गलौज अथवा प्रहार का विनिर्दिष्ट उदाहरण देने में विफल रहे हैं। अपीलार्थी उस तरीके का विवरण देने में भी विफल रहा जिस तरीके से प्रत्यर्थी उसके परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करती थी। वह प्रत्यर्थी के व्यवहार का कोई विशिष्ट विवरण देने में भी विफल रहा है। दं० प्र० सं० की धारा 107 के अधीन कार्यवाही विवाह के लगभग आठ वर्षों बाद संस्थित की गयी थी। विवाद जो जून, 2008 में उद्भूत हुआ, उसके दांपत्यगृह से प्रत्यर्थी के पृथक्करण की ओर ले गया और स्पष्टत: तत्पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा प्रहार, गाली-गलौज की घटना नहीं हो सकती थी। वाद पत्र में किए गए प्रकथनों एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में लेते हुए विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित दर्ज किया:-

^^;kph u Hkh Li"V 'kCnk e viu vfHkopu e Lohdkj fd;k g fd ;kph dk fo'ok l g fd çR;Fkh èku pkgrh g vkj bld fy, og ;kph d fo#) bu leLr minoh ÑR; dj jgh gA bl çdkj] çR;Fkh d fo#) ekufld Øjrk dk tk Hkh ÑR;

*vfHkdfFkr fd;k x;k g] i{kk d chp foÙkh; fookn dk ifj.kke çrhr gkrk g tk thou dh vke ckr g vkj çR;d ifjokj e gkrk gA ;kph u vrfje Hkj.k&ik"k.k ,o dk;okgh d 0;; d fy, fnukd 17.3.2009 d çR;Fkh d vkonu d fo#) fnukd 7.11.2009 d viu çR;Ùkj e Lohdkj Hkh fd;k g fd og 'kk;n gh 5000/- l 6000/-#i;k çfr ekg dekrk gA bl çdkj] ,l h iÑfr ,o lhek dh ekufld Øjrk çrhr ugh gkrh g tk ;kph d fnekx e dkb vk'kdk ;fDr;Dr :i l dkfjr dj fd çR;Fkh d lkFk ookfgd lcèk tkjh j[kuk mld fy, ljf{kr ugh gA***

10. जहाँ तक उसकी पत्नी द्वरा अभिकथित रूप से अपीलार्थी के साथ की गयी शारीरिक क्रूरता का संबंध है, उसके द्वारा उपहति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी और न ही किसी गवाह ने दावा किया कि उसने प्रत्यर्थी को अपने पति पर प्रहार करते देखा था। शारीरिक क्रूरता के विवाद्यक पर विचारण न्यायालय ने ध्यान में लिया है कि समस्त गवाह अनुश्रुत गवाह हैं। विचारण न्ययालय ने इस प्रकार संप्रेक्षित किया है:–

*^^çR;Fkh }kjk ;kph ij fd, x, çgkj dh fdlh frfFk] fnuj le;] o"k n'kkr g, ;kfpdk e çdFku ugh gA ;kph u Lo; Lohdkj fd;k g fd og njoktk vnj l cn dju d ckn vdy lku yxk tk çR;Fkh ij ekufld ,o 'kkjhfjd onuk dkfjr dju d fy, i;kIr gA bl çdkj] ;kph çR;Fkh }kjk mldk dkfjr dkb 'kkjhfjd Øjrk fl) dju e foQy jgk gA***

11. अभित्यजन के प्रश्न पर, अपीलार्थी का दृष्टिकोण कि प्रत्यर्थी जून, 2008 में घर से चली गयी, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i-b) के कार्य क्षेत्र से अभित्यजन का आधार बाहर निकलता है। अभित्यजन के आधार पर तलाक इप्सित करने के लिए इसे याचिका की प्रस्तुती के तुरंत बाद दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए होना होगा जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 30.6.2008 को ही वैवाहिक वाद संस्थित किया था।

12. वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2008 में अपीलार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्य की दृष्टि में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि अपीलार्थी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा जो अधिसंभाव्यता की बहुलता पर उसका मामला सिद्ध कर सकता है। विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर विवाह के विघटन की डिक्री इप्सित करने वाला वैवाहिक वाद खारिज कर दिया है।

13. हम वर्तमान अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और परिणामस्वरुप इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि॰

cuke

मंदोदरी देवी एवं अन्य

Misc. Appeal No. 270 of 2009. Decided on 10th March, 2016.

मोटर यान अधिनियम, 1988—धाराएँ 168 एवं 173—तीन व्यक्तियों की दुर्घटनावश मृत्यु–अधिकरण द्वारा 6% ब्याज के साथ 8,16,000/- रुपयों का कुल मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया–केवल उल्लंघन करने वाले ट्रक के चालक की ओर से उपेक्षा के कारण दुर्घटना

हुई–यह सुझाने के लिए साक्ष्य नहीं है कि दोपहिया के चालक की ओर से कोई गलती अथवा उपेक्षा थी–भले ही दोपहिया के चालक की ओर से कोई उल्लंघन हुआ था, ऐसा उल्लंघन अपीलार्थी–बीमा कंपनी द्वारा सिद्ध किया जाना था किंतु अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है–मुआवजा राशि 7,36,072/- रुपयों पर पुनर्निर्धारित की गयी। (पैराएँ 11 से 13)

निर्णयज विधि.–(2009)6 SCC 121; (2012)6 SCC 421—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rekha Singh, D.K. Malityar, For the Appellants; Mr. Prabhat Kumar Sinha, For the Res. Nos. 1-4.

आदेश

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दावा मामला सं॰ 150 वर्ष 2003 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश–पीठासीन अधिकारी–अपर मोटर यान दावा अधिकरण, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 18 जुलाई 2009 के निर्णय/अधिनिर्णय की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा और जिसके अधीन बीमा कंपनी (अपीलार्थी) को दो माह के भीतर दावेदारों को दावा मामला दाखिल करने की तिथि से 6% वार्षिक ब्याज के साथ 8,16,000/- रुपयों की कुल मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है और अपीलार्थी बीमा कंपनी को कतिपय अन्य शर्तों के साथ विरोधी पक्षकार सं॰ 1 ट्रक स्वामी से राशि वसूलने का अधिकार दिया गया है।

2. अवर न्यायालय में दावेदारगण महेश दास (मृतक) की विधवा, एक अवयस्क पुत्री और एक अवयस्क पुत्र है। मृतक के माता–पिता को अवर न्यायालय में प्रोफॉर्मा प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया था। दुर्घटना के समय पर, मृतक 25 वर्ष की आयु का था। दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, अर्थात् दिनांक 24.8.2003 को जब मृतक महेश दास दो अन्य व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और अपराह्न 3.30 बजे चौपारन घाटी के मोड़ के निकट पहुँचा, लापरवाही एवं उपेक्षा से चलाया जा रहा ट्रक जो बरही की ओर से आ रहा था, मृतक की BR-42-2109 संख्या वाले उक्त मोटर साइकिल से टकरा गया। मोटरसाइकिल सवार समस्त तीनों व्यक्ति अर्थात् महेश दास, जुगेश रविदास एवं राम प्रताप सिंह की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी। संख्या CG-04-ZC-7803 वाले उल्लंघन करने वाले ट्रक का चालक दुर्घटना के तुरन्त बाद भाग गया। उक्त क्षेत्र के चौकीदार किशुन पासवान जो गश्ती कर्तव्य पर था ने दुर्घटना देखा और उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279/304A/427 के अधीन प्राथमिकी चौपारन पी॰ एस॰ केस सं॰ 161 वर्ष 2003 दर्ज किया और पुलिस ने पूरे अन्वेषण के बाद, अभियुक्त सीताराम सिंह (उक्त वाहन का चालक) के विरुद्ध पूर्वोक्त प्रावधानों के अधीन आरोप–पत्र दाखिल किया। दावेदारों ने महेश दास, जो जन वितरण प्रणाली दुकान से 4000/- रुपया प्रतिमाह, ठेकेदारी के काम से 3000/- रुपया प्रतिमाह और पॉल्ट्री से 2000/- रुपया प्रतिमाह अर्जित कर रहा था, की मृत्यु के कारण 10,00,000/- रुपयों के मुआवजा के प्रदान के लिए वर्तमान दावा याचिका दाखिल किया।

3. समन/नोटिस जारी किए जाने के बाद बीमा कंपनी अवर न्यायालय में उपस्थित हुई और दावा से इनकार करते हुए लिखित कथन दाखिल किया और अभिवचन किया कि यह अंशदायी उपेक्षा का मामला है और दोपहिया के स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्ष नहीं बनाया गया है। मृतक महेश दास जो वाहन चला रहा था के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और दावा के समर्थन में दावेदार द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। दावेदारों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और मृतक की आय के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत

नहीं किया गया है। बीमा कंपनी ने केवल इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उल्लंघन करने वाला ट्रक इसकी कंपनी के साथ बीमाकृत था किंतु दुर्घटना उल्लंघन करने वाले ट्रक के लापरवाह एवं उपेक्षापूर्ण चालन के कारण नहीं हुई थी बल्कि मृतक की ओर से उपेक्षा थी जो मोटरसाइकिल चला रहा था। बीमा कंपनी अपीलार्थी की प्रेरणा पर मोटर यान अधिनियम की धारा 170 के अधीन अवर न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी थी।

4. मृतक के पिता जगदीश दास जिसे प्रोफॉर्मा प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया था ने भी अपना लिखित कथन दाखिल किया है और अभिवचन किया है कि उसे आपत्ति नहीं है यदि दावेदारों के पक्ष में संपूर्ण दावा राशि दी जाती है।

5. दावा अधिकरण ने पक्षों के साक्ष्य एवं अभिवचन पर विचार करने के बाद बीमा कंपनी को दावा मामले की दाखिले की तिथि से 6% वार्षिक ब्याज के साथ 8,16,000/- रुपयों की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया और अभिनिर्धारित किया कि बीमा कंपनी को उल्लंघन करने वाले वाहन के स्वामी जो मामला में उपस्थित नहीं हुआ है, से इस राशि को वसूल करने का अधिकार है और मामला स्वामी के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से विनिश्चित किया गया था।

6. बीमा कंपनी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय/अधिनिर्णय का विधि में विकृत एवं दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि विद्वान अधिकरण ने मोटरसाईकिल के चालक की योगदायी उपेक्षा के विवाद्यक पर विचार किए बिना अपीलार्थी बीमा कंपनी को मुआवजा राशि का भुगतान करने का दायी अभिनिर्धारित किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था का ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया था यद्यपि अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार थे जो यातायात सुरक्षा नियम का स्पष्ट उल्लंघन है और मृतक की जनवितरण प्रणाली दुकान की आय से भिन्न अतिरिक्त आय दर्शने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध है और मृतक की जनवितरण प्रणाली दुकान की आय से भिन्न अतिरिक्त आय दर्शाने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध कागज के किसी टुकड़े के बिना 2000/- प्रतिमाह के अभिप्रायात्मक आय जोड़ने के अतिरिक्त जनवितरण प्रणाली दुकान से 4000/- रुपयों की मासिक आय के आधार पर न्यायोचित मुआवजा संगणित किया। अतः, आक्षेपित अधिनिर्णय न्यायोचित मुआवजा नहीं है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में परिभाषित किया गया है।

7. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, दावेदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन किया किंतु गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय ने मुआवजा अधिनिर्णीत करते हुए विचार नहीं किया है कि दावेदारगण साहचर्य की हानि एवं अंत्येष्टि व्यय के भी हकदार थे जो अनुसूची के निबंधनानुसार सांविधिक भुगतान है।

8. विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने के पहले शब्द ''न्यायोचित मुआवजा'' को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। अभिव्यक्ति ''न्यायोचित मुआवजा'' **सरला वर्मा बनाम डी॰ टी॰ सी॰, (2009)6 SCC 121** में यह अभिनिर्धारित करते हुए स्पष्ट की गयी है कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत मुआवजा मात्र इसलिए ''न्यायोचित मुआवजा नहीं बन जाता है क्योंकि अधिकरण इसे न्यायोचित मानता है। ''न्यायोचित मुआवजा'' मुआवजा के अधिनिर्णय से संबंधित सुनिश्चित सिद्धांतों को लागू करके दोष के परिणामस्वरुप सहन किए गए हानि की पूर्ति के लिए, जहाँ तक धन ऐसा कर सकता है, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पर्याप्त मुआवजा है जो निष्पक्ष एवं साम्यापूर्ण है।

9. अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह था कि ठेकेदारी के काम से 3000/- रुपया प्रतिमाह और पॉल्ट्री फार्म से 2000/- रुपया प्रतिमाह के अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली

दुकान से 4000/- रुपया प्रतिमाह आय दर्शाने के लिए दावेदारों द्वारा कागज का एक टुकड़ा भी नहीं दिया गया था। प्रकटत: विद्वान दावा अधिकरण ने इस विवाद्यक पर विचार करते हुए सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान के अधीन जारी अनुज्ञप्ति की अभिप्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 पर विश्वास किया है और प्रदर्श 3 के परिशीलन से यह प्रतीत होगा कि उक्त लाइसेंस मृतक के नाम में प्रदान किया गया था और वह जनवितरण प्रणाली दुकान का व्यवसाय कर रहा था। प्रदर्श 4 मृतक महेश दास द्वारा जन वितरण प्रणाली के अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए जमा किया गया चालान था और दावेदारों द्वारा परीक्षण किए गए समस्त गवाहों ने परिसाक्ष्य दिया है कि मृतक जन वितरण प्रणाली दुकान से 4000/- रुपया कमा रहा था। गवाहों ने यह परिसाक्ष्य भी दिया है कि मृतक की कुल आय 10,000/- रुपया थी किंतु जन वितरण प्रणाली का व्यवसाय दर्शाने वाले उक्त प्रदर्शों 3 एवं 4 के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से मृतक की आय दर्शाने के लिए दावेदारों की ओर से अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं लाया गया है। मुआवजा की संगणना करते हुए विद्वान अधिकरण ने मृतक की आय के रूप में जनवितरण प्रणाली दुकान से न केवल 4000/- प्रतिमाह आय पर विचार किया है बल्कि ठेकदारी के काम एवं पॉल्ट्री फॉर्म जैसे अन्य स्रोतों से 2000/- रुपया प्रतिमाह का अभिप्रायात्मक आय भी विचार में लिया है जो किसी दस्तावेज की अनुपस्थिति में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

10. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन का संबंध है कि यह दोपहिया के स्वामी की ओर से योगदायी उपेक्षा का मामला है और चूँकि दोपहिया के स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षों के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है, दावा पोषणीय नहीं है। इस संबंध में, मैं पाता हूँ कि अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि दोपहिया वाहन के स्वामी की ओर से कोई उपेक्षा हुई थी। अपने लिखित कथन में बीमा कंपनी के अभिवचन में भी यह नहीं था कि दोपहिया का चालक लापरवाही एवं उपेक्षा से उक्त वाहन चला रहा था। आक्षेपित अधिनिर्णय से यह प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय में योगदायी उपेक्षा का विवाद्यक नहीं उठाया गया था और तद्नुसार विवाद्यक विरचित नहीं किया गया था और दावा अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक ने लापरवाही एवं उपेक्षा से वाहन चलाया था और मोटरसाइकिल को धक्का मारा था। बीमा कंपनी ने खंडन में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं लाया है कि दोपहिया का चालक लापरवाही एवं उपेक्षा से वाहन चला रहा था और द्वितीयत: योगदायी उपेक्षा के अभिवचन के समर्थन में बीमा कंपनी की ओर से किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया था। मैंने दावेदारों की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों के साक्ष्य का परिशीलन किया है। गवाहों ने अत्यन्त विनिर्दिष्टत: परिसाक्ष्य दिया है कि ट्रक लापरवाही एवं उपेक्षा से उल्टी दिशा से आ रहा था और मोटरसाइकिल को धक्का मारा था जिसके परिणामस्वरुप मोटर साइकिल पर सवार समस्त तीनों व्यक्ति की मृत्यु घटना स्थल पर हो गयी। समस्त गवाहों ने स्पष्टत: परिसाक्ष्य दिया है कि उल्लंघन करने वाले ट्रक की गलती थी और उल्लंघन करने वाले ट्रक को लापरवाही एवं उपेक्षा से चलाने के कारण दुर्घटना हुई।

11. साक्ष्य के अधिमूल्यन पर साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट है कि:–

(i) mYy?ku djuoky Vd dk pkyd ykijokgh ,o mi{kk l okgu pyk jgk FkkA

(ii) Vd u ekVj lkbfdy dk ekDdk ekjk Fkk u fd bld foijhrA

(iii) ekVj lkbfdy viu lgh jkLr ij FkhA

ऐसी परिस्थिति के अधीन, यह स्पष्ट है कि ट्रक के चालक की ओर से उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई। स्पष्टत: ट्रक द्वारा मारा गया धक्का इतना शक्तिशाली था कि मोटरसाइकिल सवार तीनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। अत: मुझे यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि मोटर साइकिल के चालक की ओर से योगदायी उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं था और केवल उल्लंघन करने वाले ट्रक के चालक की ओर से उपेक्षा के चलते दुर्घटना हुई। मैं आगे पाता हूँ कि यह सुझाने के लिए साक्ष्य नहीं है कि दोपहिया के चालक की ओर से कोई गलती या उपेक्षा थी। अगर दोपहिया के चालक की ओर से कोई उल्लंघन हुआ भी था, ऐसा उल्लंघन बीमा कंपनी अपीलार्थी द्वारा सिद्ध किया जाना था किंतु अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है। ''न्यायोचित मुआवजा'' के संबंध में, जैसा **सरला वर्मा मामले (ऊपर)** में अधिकथित किया गया है और **संतोषी देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि॰ एवं अन्य, (2012)6 SCC 421,** में स्पष्ट किया गया है, मुआवजा निम्नलिखित रूप से पुनर्निर्धारित करना होगा:–

क्रम॰ सं॰	**शीर्षक**	**संगणना**
I.	मासिक आय	4000/- रुपया
II.	मृतक के निजी व्यय के रूप में कटौती की गयी मासिक आय का 1/3	Rs. 4000-Rs. 1333 = Rs. 2667/-
III.	(सरला वर्मा मामले) के आधार पर 18 का गुणक लागू करने के उपरांत मुआवजा, दुर्घटना के समय मृतक की आयु 25 वर्ष थी	Rs. 2667 x 12 x 18 = Rs. 5,76,072/-
IV.	साहचर्य की हानि	Rs. 1,00,000/-
V.	दो अवयस्क संतानों की देखरेख एवं मार्गदर्शन की हानि	Rs. 50,000/-
VI.	अंत्येष्टि व्यय	Rs. 10,000/-
	कुल मुआवजा राशि–	**Rs. 7,36,072/-**

12. उक्त मुआवजा राशि जैसा दावा अधिकरण ने अधिनिर्णीत किया है, दावा मामले की दाखिली की तिथि से इसकी वसूली तक 6% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा।

13. परिणामस्वरुप, अपील अनुज्ञात की जाती है। अधिकरण का आक्षेपित निर्णय/अधिनिर्णय अपास्त किया जाता है। बीमा कंपनी को दावा मामले की दाखिले की तिथि से इसकी प्राप्ति तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ 7,36,072/- रुपयों के कुल मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। बीमा कंपनी को इस आदेश की तिथि से दो माह के भीतर मृतक महेश दास की विधवा विरोधी पक्षकार सं॰ 1 मंदोदरी देवी के नाम में कुल मुआवजा राशि के 50% का डिमांड ड्राफ्ट और मृतक के दो अवयस्क संतानों एवं माता के नाम में समान अनुपात में कुल मुआवजा राशि के 50% शेष राशि का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है और ड्राफ्ट दोनों अवयस्क संतानों के वयस्कता प्राप्त करने तक विरोधी पक्षकार सं॰ 1 के साथ परामर्श करके राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा जिसमें विफल रहने पर दावेदार विरोधी पक्षकार न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से मुआवजा राशि वसूल करेंगे।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

देवनंदन सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 622 of 2006. Decided on 5th April, 2016.

सत्र केस सं॰ 11 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ केस सं॰ 126 वर्ष 2003, मनिका पी॰ एस॰ केस सं॰ 10 वर्ष 2003 के तत्सम, के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश एफ॰ टी॰ सी॰, लातेहार द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 16 फरवरी, 2006 एवं दिनांक 17 फरवरी, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–सूचक के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि दर्ज किया गया–सूचक ने घटना के पीछे का हेतु नहीं बताया है–मृतका के पति का परीक्षण नहीं किया गया है–किसी गाँव वाले ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है–सूचक का एकमात्र परिसाक्ष्य दर्ज की गयी दोषसिद्धि के विरुद्ध विश्वसनीय एवं औचित्यपूर्ण नहीं है–संदेह का लाभ देकर अपीलार्थी दोषमुक्त किया गया–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–M/s. A.K. Kashyap, Anurag Kashyap, Supriya Dayal, For the appellants; Mr. Pankaj Kumar, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील सत्र मामला सं॰ 0011 वर्ष 2004, मनिका पी॰ एस॰ केस सं॰ 10 वर्ष 2003 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 126 वर्ष 2003 के तत्सम, के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश एफ॰ टी॰ सी॰, लातेहार द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 16 फरवरी, 2006 एवं दिनांक 17 फरवरी, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने और 20,000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

2. दिनांक 10.4.2003 को अपराह्न 2 बजे निर्मला कुमारी के फर्दबयान से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि दिनांक 9.4.2003 को जब सूचक बाजार से घर लौटी, उसने अपने चाचा देवनंदन सिंह (अपीलार्थी) को घर में उपस्थित पाया। यह प्रकट किया गया है कि अपीलार्थी देवनंदन सिंह दूरसंचार विभाग, राँची में सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यरत था। सूचक सहित परिवार के समस्त सदस्य भोजन के बाद घर में सोए हुए थे। पूर्वाह्न लगभग 3 बजे सूचक ने अपनी माता के कराहने एवं कुछ खटखटाने की आवाज सुनी। जब वह अपनी माता के बिस्तर की ओर मुड़ी, उसने पाया कि उसका चाचा देवनंदन सिंह (अपीलार्थी) टांगी से उसकी माता पर वार कर रहा था और उपहति कारित कर रहा था। सूचक ने मध्यक्षेप किया और देव नंदन सिंह (अपीलार्थी) के हाथों से कुल्हाड़ी छीन लिया और शोर मचाया, किंतु तब तक अपीलार्थी घटना स्थल से भाग गया था। सूचक ने कुछ दूरी तक अपीलार्थी का पीछा किया किंतु, उसको पकड़ने में सफल नहीं हो सकी। निर्मला देवी अ॰ सा॰ 6 के फर्दबयान के आधार पर अपीलार्थी

देवनंदन सिंह के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन मनिका पी॰ एस॰ केस सं॰ 10 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था।

पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र मामला सं॰ 0011 वर्ष 2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

3. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोष होने का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया है और फर्दबयान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची आदि जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध को दोषी अभिनिर्धारित किया और दंडादेशित किया जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध मुख्यत: इस आधार पर किया है कि दोषसिद्धि केवल सूचक निर्मला कुमारी अ॰ सा॰ 6 के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दर्ज की गयी है। अ॰ सा॰ 7 डॉक्टर जिन्होंने हर्षमणी देवी मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और अ॰ सा॰ 8 अन्वेषण अधिकारी के सिवाय किसी अन्य गवाह ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 5 जो गाँववाले हैं पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। सूचक का साक्ष्य अनेक संदेह सृजित करता है और अभियोजन द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों को भी गठित करता है। यह कहीं नहीं उपदर्शित किया गया है कि अपीलार्थी की अपनी भाभी से दुश्मनी थी। सूचक ने घटना के पीछे की मंशा नहीं बतायी है। अभिलेख पर साक्ष्य आगे सुझाते हैं कि अपीलार्थी नियमित रूप से गाँव में रह भी नहीं रहा था, बल्कि वह राँची में रह रहा था और वह घटना की तिथि के लगभग 3 वर्ष पहले तक गाँव आया भी नहीं था। सूचक ने इसे स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रयोजन अथवा आशय से अपीलार्थी सूचक के घर आया था। जब वह बाजार से लौटी, वह अपीलार्थी से मिली किंतु उसने वार्तालाप का सार प्रकट नहीं किया था यदि यह उनके बीच हुआ था। अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि परिवार के समस्त सदस्यों को भोजन परोसा गया था और खाना खाने के बाद वे घर में अपनी-अपनी शय्या पर सोए हुए थे। यह कहा गया है कि अपीलार्थी भी सूचक के भाई के बिस्तर के बगल के बिस्तर पर लेटा था। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लायी गयी ये समस्त परिस्थितियाँ सुझाती हैं कि अपीलार्थी एवं परिवार के अन्य सदस्यों जो समय के उस बिंदु पर घर में उपस्थित थे के बीच वातावरण अत्यन्त मैत्रीपूर्ण था। सूचक ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी कुल्हाड़ी के साथ नहीं आया था और उसने स्पष्ट नहीं किया है कि कुल्हाड़ी जिसका उपयोग हत्या करने के लिए किया गया था अपीलार्थी द्वारा कहाँ से प्राप्त की गयी थी। सबसे आश्चर्यजनक परिस्थिति यह है कि मृतका का पति जो और कोई नहीं बल्कि अपीलार्थी का बड़ा भाई है अभियोजन मामला का समर्थन करने आगे नहीं आया था। अभियोजन मामला का अगला आश्चर्यजनक पहलू यह है कि कोई भी गाँव वाला यह कहने आगे नहीं आया है कि अपीलार्थी घटना की तिथि पर गाँव आया था। घटना के बाद, अपीलार्थी किस प्रकार गाँव से गायब हो गया, उत्तर दिया जाने वाला प्रश्न है। चूँकि अभियोजन ने इन समस्त प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है और अभिलेख पर लाए गए तथ्यों के विरुद्ध सामने आने वाले संदेहों को दूर करने में विफल रहा है, सूचक के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश संपोषित किए जाने का दायी नहीं

है। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि सूचक के घर में उसके भाई–बहन भी थे। यद्यपि वे सब अवयस्क हैं किंतु, यह उम्मीद की जाती है वे घटना के बारे में कुछ स्पष्ट कर सकते थे यदि उनका परीक्षण किया गया होता। अत:, परिवार के अन्य सदस्यों जो घर में उपस्थित थे का गैर परीक्षण भी सूचक द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सत्यता पर संदेह सृजित करता है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्कों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि दोषसिद्धि एकमात्र परिसाक्ष्य पर अच्छी तरह दर्ज की जा सकती है यदि यह पूर्णत: विश्वसनीय, विश्वासोत्पादक एवं संगत है। घटना स्थल सूचक का घर है और घटना का समय पूर्वाह्न 3 बजे है और ऐसी परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों के सिवाए स्वतंत्र गवाहों की उपलब्धता का अवसर सदैव दूरस्थ होती है और यही कारण है कि स्वतंत्र गवाह सूचक के विवरण का समर्थन करने आगे नहीं आए हैं। सूचक चश्मदीद गवाह है और उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसके द्वारा रक्तरंजित कुल्हाड़ी छीनी गयी थी और इसे सम्यक रूप से पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसके मुँह से कुछ भी तात्विक नहीं निकाला गया है। सूचक का परिसाक्ष्य अक्षुण्ण है और इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को अभिकथित अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है। सूचनादाता द्वारा दिया गया उपहतियों का वर्णन शव परीक्षण रिपोर्ट और डॉक्टर अ॰ सा॰ 7 के साक्ष्य से समर्थन पाता है। अन्वेषण अधिकारी ने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण का समर्थन किया है और फर्दबयान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अभिग्रहण सूची आदि सिद्ध किया है।

6. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने संपूर्ण मामला अभिलेख का परिशीलन किया है। स्वीकृत रूप से, सूचक के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि दर्ज की गयी है। हम विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ के निवेदन से सहमत हैं कि दोषसिद्धि एकमात्र परिसाक्ष्य पर दर्ज की जा सकती है यदि यह पूर्णत: विश्वसनीय एवं विश्वासोत्पादक है और उस परिप्रेक्ष्य पर हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण किया है। हम पाते हैं कि सूचक शुद्ध हृदय से नहीं आयी है और उसने अनेक तथ्यों का छुपाया था जिन्हें अभिलेख पर लाने की उम्मीद की जाती थी। ऐसे संप्रेक्षण के पीछे का कारण यह है कि अपीलार्थी नियमित रूप से गाँव में नहीं रह रहा था और वह तीन वर्ष बीतने के बाद सूचक के घर आया था। सूचक को अपीलार्थी द्वारा आगमन की पूर्व सूचना नहीं दी गयी थी। जब सूचक बाजार से लौटी और अपीलार्थी को घर में उपस्थित देखा, यह उम्मीद की जाती थी कि उसने उसके साथ उसके गाँव आने के प्रयोजन के बारे में बात किया होगा। सूचक ने इस पहलू पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। अपीलार्थी के घर में रुकने के दौरान अपीलार्थी एवं सूचक के बीच क्या वार्तालाप हुआ था, प्रकट नहीं किया गया है। परिस्थितियाँ, जिन्हें अभियोजन अभिलेख पर लाया है सुझाती है कि सूचक के घर अपीलार्थी का आना एक सामान्य बात माना गया था और उसके रहने के लिए समस्त सुविधाएँ दी गयी थीं। सूचक ने घटना के पीछे का हेतु नहीं बताया है। मृतका के पति का परीक्षण नहीं किया गया है। किसी गाँव वाले ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। समय के प्रासंगिक बिंदु पर घर में उपस्थित परिवार के सदस्यों का परीक्षण नहीं किया गया है। घटना की तिथि पर अपीलार्थी घर में उपस्थित था, सूचक के सिवाए किसी अन्य गवाह द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। हत्या करने के लिए किस प्रकार एवं कहाँ से अपीलार्थी द्वारा कुल्हाड़ी प्राप्त की गयी थी, प्रकट नहीं किया गया है। सूचक की छोटी बहनों में से एक मृतका के साथ सोयी हुई थी किंतु उसके साथ क्या हुआ था, सूचक द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। सूचक का विवरण विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है जब वह कहती है कि घटना के समय पर अथवा उसके द्वारा किए गए हल्ला के बाद भी कोई नहीं जागा था। समय के एक बिंदु पर वह कहती है कि उसने अपीलार्थी के हाथों से कुल्हाड़ी

छीन लिया किंतु पुन: कहती है कि जब उसने मध्यक्षेप करने का प्रयास किया, अपीलार्थी के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गयी।

इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए हम नहीं पाते है कि सूचक का एकमात्र परिसाक्ष्य दर्ज की गयी दोषसिद्धि के विरुद्ध विश्वसनीय और औचित्यपूर्ण है। परिणामस्वरूप, हम अपीलार्थी को संदेह का लाभ देने के इच्छुक हैं। तद्नुसार, अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और सत्र मामला सं॰ 0011 वर्ष 2004, मनिका पी॰ एस॰ केस सं॰ 10 वर्ष 2003 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 126 वर्ष 2003 के तत्सम, के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ लातेहार द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 16 फरवरी, 2007 एवं दिनांक 17 फरवरी, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाला/उत्तरवर्ती न्यायालय समुचित निर्देश जारी करेगा यदि आवश्यक हो।

7. अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

विरेन्द्र प्रताप दूबे

cuke

झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि॰ एवं एक अन्य

W.P. (Cr.) No. 473 of 2015. Decided on 12th April, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 197—मंजूरी प्रदान करने वाले आदेश का पुनर्विलोकन–धारा 197 जब एक बार ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया है, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन अथवा पुनर्विचार के संबंध में कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं बनाती है–किंतु, राज्य अथवा इसकी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी को पुनर्विलोकन की शक्ति है किंतु केवल तब जब पुनर्विचार के लिए नयी सामग्री है–विवेक के इस्तेमाल की अनुपस्थिति मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष उसी सामग्री के आधार पर पूर्व आदेश के पुनर्विलोकन की आवश्यकता दर्शाती है। (पैराएँ 8, 9 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(1997)SCC 622; (2009)17 SCC 92; (2010)14 SCC 527—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajendra Krishna, Jai Shankar Tiwary, For the Petitioners; Mr. Suraj Verma, For the Respondent.

आदेश

इस रिट याचिका (दां॰) में इस न्यायालय के विचारार्थ उद्भूत एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या राज्य अथवा संबंधित राज्य प्राधिकारी, विद्युत बोर्ड को मंजूरी के प्रदान के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में ''संहिता'') की धारा 197 के निबंधनानुसार पुनर्विलोकन की कोई शक्ति है।

2. मामले के तथ्य जो उक्त प्रश्न पर विचार करने के प्रयोजन से प्रासंगिक हैं, संक्षेप में ये हैं कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के सचिव की प्रेरणा पर दिनांक 20.1.2011 को निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2011 इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में पदस्थापित विद्युत कार्यपालक अभियन्ता अर्थात् श्री पी॰ के॰ सिन्हा, वित्तीय नियंत्रक अर्थात् श्री उमेश कुमार और अन्य

जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग किया है और दिनांक 27.1.2005 के कार्य आदेश सं॰ 28/APDRP-64 और 29/APDRP-64 के तहत जमशेदपुर के लिए पैकेज 'डी' के अधीन ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰ परियोजना में अनियमितता किया है। तद्नुसार, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 409, 420, 467, 468, 471, 477 एवं 120B के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (ii) सहपठित धारा 13 (i) (c) एवं (d) के अधीन भी प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। उक्त प्राथमिकी में आगे अभिकथन यह है कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने जमशेदपुर टाउन के लिए पैकेज 'डी' के अधीन त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार प्रोग्राम (संक्षेप में ''ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰'') के अधीन काम के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (टी॰ आई॰ एन॰) उसमें यह अनुबंधित करते हुए जारी किया कि काम निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होगी और कि बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत कीमत किसी भी कारण परिवर्तन के अध्यधीन नहीं की जाएगी। आगे यह स्पष्ट करते हुए कि बोली लगाने वाले को किसी कारण कीमतों में वृद्धि ग्राह्य नहीं होगी। इन्हीं खंडों को दोहराया गया था जब मेसर्स रामजी पावर कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में 'आर॰ पी॰ सी॰ एल॰') को कार्य आदेश जारी किए गए थे और जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ एवं मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ के बीच हुए करार में यह भी निबंधनों एवं शर्तों का भाग था किंतु चूँकि मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक 26.9.2005 के पहले काम निष्पादित नहीं कर सका था, इसे कीमत की वृद्धि के लिए कोई खंड रखे बिना दिनांक 31.7.2007 तक बढ़ाया गया था किंतु नुकसानी के परिनिर्धारण के अधिरोपण के साथ। मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ उस प्रस्ताव के लिए सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि काम बढ़ाए गए समय के भीतर पूरा किया जाएगा और यह मध्यस्थता के लिए नहीं जाएगा। यह भी अभिकथित किया गया है कि जब उक्त मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ ने अपने वादा के मुताबिक दिनांक 31.7.2007 तक काम शुरू भी नहीं किया था तत्कालीन अध्यक्ष, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ ने मुख्य अभियन्ता ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰ को जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ के बोर्ड की अगली बैठक में मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ की संविदा की समाप्ति को एजेन्डा पर रखने का निर्देश दिया। तद्नुसार, मुख्य अभियन्ता, ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰ ने तत्कालीन सदस्य (तकनीकी) जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ के समक्ष एजेन्डा रखा जिन्होंने अन्य अभियुक्तों के साथ मौनानुकूलता में तत्कालीन अध्यक्ष, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ के स्थानांतरण तक संबंधित फाइल रोके रखा।

यह भी अभिकथित किया गया है कि तत्कालीन विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰, श्री पी॰ के॰ सिन्हा ने अध्यक्ष का अनुमोदन लेने के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए और दंड के अभित्यजन के लिए फाइल में नोटिस रखा। जिसके बाद मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, जिसने पक्षों को सुनने के बाद अधिनिर्णय दिया। उसके अनुसरण में, मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ को भुगतान किया गया था किंतु जब यह पता चला था कि भ्रष्ट साधन अपना कर उक्त कंपनी को भुगतान करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, अधिकारियों ने षड्यंत्र किया और उक्त एजेन्डा कभी नहीं रखा बल्कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, ए॰ पी॰ डी॰ आर॰ पी॰, पी॰ के॰ सिन्हा ने मध्यस्थ की नियुक्ति, दंड के अभित्यजन एवं समय के विस्तारण के लिए फाइल रखा और मध्यस्थ ने मेसर्स आर॰ पी॰ सी॰ एल॰ के पक्ष में अधिनिर्णय दिया। उसके अनुसरण में, बोर्ड ने 10.87 करोड़ रुपयों की राशि का भुगतान किया है। उक्त कार्यपालक अभियन्ता पी॰ के॰ सिन्हा ने असद्भावपूर्ण आशय के साथ जानबूझकर यह तथ्य दबाया कि अधिनिर्णय के क्रियान्वयन का लगभग 11 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव होगा और वित्तीय नियंत्रक III के आदेश पर राशि का भुगतान किया गया था यद्यपि उसको तीन करोड़ रुपयों से अधिक का भुगतान करने के लिए आदेश पारित करने का प्राधिकार नहीं था बल्कि उक्त प्राधिकार सदस्य (वित्त) अथवा अध्यक्ष, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ के पास था।

यह भी अभिकथित किया गया है कि परियोजना का कुल व्यय 33.13 करोड़ रुपया था और उसके विरुद्ध सामग्री की कीमत सहित किए काम का मूल्य 19,85,08,406/- रुपया था किंतु उक्त फर्म को 28,90,95,479/- रुपयों का भुगतान किय गया था और तद्द्वारा 9,05,87,073/- रुपयों की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

3. अन्वेषण के बाद, इस याची सहित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जो प्रासंगिक समय पर निदेशक (वित्त) का पद धारण कर रहा था और उसकी पदावधि के दौरान उक्त कंपनी को भुगतान किया गया था।

4. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1793 वर्ष 2001 वाली जनहित याचिका इस न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी थी जिसे डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 4611 वर्ष 2009 एवं डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 2918 वर्ष 2010 के साथ सुना गया था और दिनांक 28.3.2011 के एक ही आदेश द्वारा न्यायालय ने सी॰ बी॰ आई॰ को झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं राज्य सरकार के अन्य संबंधित अधिकारियों के कार्यकलाप की जाँच करने का निर्देश दिया। सी॰ बी॰ आई॰ ने जाँच करने के बाद पाया कि आपराधिकता नहीं है जैसा माननीय न्यायालय के आदेश में पाया गया था और, इसलिए, मामले में कोई दांडिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 18.7.2013 की बोर्ड की बैठक में संकल्प सं॰ 1135 द्वारा संकल्प लिया गया था कि कार्रवाई एवं आशय के संबंध में विशेषज्ञों की कमिटी द्वारा मामले का परीक्षण करना होगा और रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और वर्तमान मामले में निगरानी केस सं॰ 2 वर्ष 2011 के अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी के संबंध में निर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष लाना चाहिए। बोर्ड के उक्त संकल्प के बाद, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ द्वारा विशेषज्ञ कमिटी गठित की गयी थी और उक्त कमिटी ने संपूर्ण क्रियाकलाप का परीक्षण करने के बाद दिनांक 24.8.2013 के पत्र के तहत अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें यह संप्रेक्षित किया गया था कि याची की कार्रवाई गलत प्रतीत नहीं होती है। विशेषज्ञ कमिटी की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए, बोर्ड ने दिनांक 19.6.2014 की अपनी बैठक में इस याची के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने से इनकार किया (परिशिष्ट 15) किंतु बाद में दिनांक 5.8.2014 की अगली बैठक में निगरानी आयुक्त के अनुरोध पर बोर्ड ने किसी संजीव कुमार के सिवाए इस याची सहित समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय (परिशिष्ट-16) लिया। इस याची के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने वाले बोर्ड के संकल्प के बाद इस याची एवं दो अन्य सहअभियुक्तों अर्थात् उमेश कुमार एवं देवाशीष महापात्रा के विरुद्ध मंजूरी का प्रदान दर्शाता महाप्रबंधक (कार्मिक) सह-सामान्य प्रशासन द्वारा दिनांक 19.5.2015 का पत्र (परिशिष्ट 22) जारी किया गया था जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मंजूरी के प्रदान का विधि में विकृत एवं दोषपूर्ण और विवेक के इस्तेमाल के बिना के रूप में विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि जब पूर्व संकल्प में बोर्ड द्वारा मंजूरी से इनकार किया गया था, किसी नयी सामग्री के बिना और कोई तर्कपूर्ण कारण दिए बिना प्राधिकारी द्वारा इसका पुनर्विलोकन पूर्णत: अवैध और अधिकारिताविहीन है। यह निवेदन भी किया गया था कि उसके अभ्यावेदन पर निगरानी ब्यूरो के आदेश पर मंजूरी दी गयी है यद्यपि उसी सामग्री पर पहले बोर्ड ने मंजूरी प्रदान करने से इनकार कर दिया था और चूँकि मंजूरी प्रदान करने वाला पश्चातवर्ती आदेश यांत्रिक है, यह याची के साथ अन्याय करेगा और न्याय की विडंबना के तुल्य होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे गंभीरता से प्रतिवाद किया कि पूर्व संकल्प पर पुनर्विचार अथवा पुनर्विलोकन के लिए बोर्ड के समक्ष नयी सामग्री नहीं थी और अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम निशांत सरीन, (2010)14 SCC 527,** में पारित निर्णय पर विश्वास किया है। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि उसी सामग्री पर मत परिवर्तन अनिवार्यत: मंजूरी प्रदान करने वाले से इनकार करने वाले पूर्व आदेश के पुनर्विलोकन अथवा पुनर्विचार के लिए आधार नहीं हो सकता है।

6. उक्त निवेदनों के विपरीत, बोर्ड के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मंजूरी के प्रदान की अधिकारिता प्रशासनिक होने के नाते राज्य अथवा इसके प्राधिकारी बोर्ड को अपना पूर्व आदेश पुनर्विलोकित करने की अध्यपेक्षित शक्ति है किंतु निष्पक्षत: निवेदन किया कि द्वितीय संकल्प जिसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी थी, से नयी सामग्री प्रतीत नहीं होती है।

7. विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने के पहले, मंजूरी के प्रदान को रेखांकित के पीछे निहित उद्देश्य का परीक्षण करना उपयुक्त होगा जैसा संहिता की धारा 197 के अधीन प्रावधानित किया गया है। संहिता की धारा 197 के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोक सेवक झूठे, तुच्छ, मनगढ़ंत अथवा असिद्ध अभिकथनों पर परेशानी से पीड़ित नहीं हो। याची प्रासंगिक समय पर निदेशक (वित्त) था और, इसलिए, वह सरकार अथवा समुचित प्राधिकारी की मंजूरी के साथ और इसके सिवाए पद से हटाए जाने योग्य नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में, यदि याची अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए उसके द्वारा अभिकथित रूप से किए गए किसी अपराध में अभियुक्त है संहिता की धारा 197 के निबंधनानुसार पूर्व मंजूरी का प्रदान अनिवार्य चरित्र का है। **मनसुखलाल विठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य, (1997)SCC 622,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"17. ....etjh rPN ,o rx dju oky vfHk;ktu dk fu#Rlkfgr lfuf'pr dju okyk gfFk;kj g vkj funk"k d fy, lj{kk g fdr nk"kh dk <ky ughA**"*

8. संहिता की धारा 197 मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मामले के पुनर्विलोकन अथवा पुनर्विचार के संबंध में कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं बनाती है जब एक बार ऐसी शक्ति का प्रयोग कर लिया गया है। **पंजाब राज्य एवं एक अन्य बनाम मोहम्मद इकबाल भट्टी (2009)17 SCC 92,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समरुप विवाद्यक पर विचार करते हुए पैराग्राफों 6, 7 एवं 9 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"6. ;|fi jkT; etjh d çnku vFkok blI budkj d ekey e lkfofèkd vfèkdkfjrk dk ç;kx djrk g] fdr] blI dk vFk ;g ugh gkxk fd ,d ckj ç;kx dj yh x;h 'kfDr dk iu% ç;kx ugh fd;k tk ldrk gA i'pkrorh pj.k ij viuh vfèkdkfjrk dk ç;kx dju d fy, jkT; e iufoyksdu dh vfHkO;Dr 'kfDr vko';d ugh gk ldrh g D;kfd ,lh 'kfDr Hkh ç'kklfud pfj= dh gA fdr] ;g fdlh ehue[k l ij g fd etjh d çnku dk vkn'k ikfjr djr g, lcfèkr çkfèkdkjh dh vkj l food dk xHkhj bLreky vfuok; gA etjh çnku dju oky vkn'k dh fofèkdrk vkj@vFkok oèkrk nkfMd U;k;ky;k }kjk iufoyksdu d vè;èkhu gkxhA etjh çnku dju l budkj dju okyk vkn'k mPprj U;k;ky;k }kjk U;kf;d iufoyksdu vkÑ"V dj ldrk gA*
>
> *7. etjh d vkn'k dh oèkrk lcfèkr çkfèkdkjh dh vkj l food d bLreky vkj blId le{k çLrr lkexh ij fuHkj djxhA blId }kjk ,l leLr rkfRod rF;k ,o rkfRod lk{; ij fopkj fd;k tkuk gkxkA etjh nu oky çkfèkdkjh dk ,l rkfRod rF;k vkj vUo"k.k d nkjku lxfgr lk{; ij viu food dk bLreky djuk gkxkA food dk ,lk bLreky Hkh etjh d vkn'k l çrhr ugh gkrk g] ml fufeÙk U;k;ky; d le{k ckg; lk{; Hkh çLrr fd;k tk ldrk gA etjh çnku djr g,] çkfèkdkjh vçklfxd rF; dk fopkj e ugh y ldrk g vkj u gh ;g lkfofèkd vkn'k ikfjr dju d fy, vui;Dr ckg; fopkj ij vkn'k ikfjr dj ldrk gA ;g Hkh lfuf'pr g fd mPprj U;k;ky; etjh nu oky*

çkfèkdkjh dk etjh çnku dju vFkok ugh dju dk fun'k ugh n ldr gA etjh dk vkn'k ikfjr dju oky çkfèkdkjh dh 'kfDr d lkr ij Hkh fopkj djuk gkxkA lcfèkr çkfèkdkjh mPprj çkfèkdkjh d vueknu d vè;èkhu etjh dk vkn'k ikfjr ugh dj ldrk gA

9. iokfYyf[kr fLFkfr e] mPp U;k;ky; u er fn;k&

^^tc ,d ckj ljdkj lcfèkr vfèkdkjh dk vfHk;kftr dju dh etjh l budkj djr g, vfèkfu;e dh èkkjk 19 vFkok nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 197 d vèkhu vkn'k ikfjr djrh g] mlh lkexh ftl ij igy gh fopkj fd;k tk pdk g d vkèkkj ij ,l vkn'k dk iufoykdu djuk lefpr vFkok vuK; ugh gkxkA ljdkj l ,lk xHkhj fu.k; yr g, lpr :i l vkj lrdrkiod ÑR; dju dh mEehn dh tkrh gA vfHky[k dk ifj'khyu ;g n'kkrk g fd fuxjkuh C;jk }kjk mÙkj fn, tku d fy, lVhd ç'u iNx, Fk fdr dkb mÙkj ugh fn;k x;k Fkk vkj u gh ckn e dkb mÙkj nkf[ky fd;k x;k Fkk ftl dk ifj.kke fnukd 30.9.2004 d ckn d vkn'k d ikfjr dju e gvkA ge mu ç'uk dk mYy[k dju l ijgt djr g ftUg iNk x;k Fkk fdr ;g dguk i;klr gkxk fd çlfxd le; ij ç'uk dk mÙkj ugh fn;k x;k Fkk tc fnukd 15.12.2003 dk vkn'k ikfjr fd;k x;k Fkk vkj u gh bl ij dHkh dkb fVli.kh dh x;h Fkh D;kfd fnukd 30.9.2004 dk vk{kfir vkn'k ikfjr dju d fy, l{ke çkfèkdkjh d le{k mÙkj çLrr ugh fd, x, FkA**

9. नि:संदेह, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए राज्य अथवा इसके प्राधिकारी को पुनर्विलोकन की शक्ति है किंतु केवल तब जब पुनर्विचार के लिए नयी सामग्री है।

10. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम निशांत सरीन (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समरुप प्रश्न पर विचार किया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ सं॰ 12 एवं 13 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"12. ;g lR; g fd etjh d çnku vFkok bll budkj d ekey e ljdkj lkfofèkd 'kfDr dk ç;kx djrh g vkj mldk vFk ;g ugh gkxk fd ,d ckj ç;kx dj yh x;h 'kfDr dk ç;kx fdlh Hkh ifjfLFkfr e iufoykdu dh vfHk0;Dr 'kfDr dh vuifLFkfr e iu% vFkok i'pkrorh pj.k ij ugh fd;k tk ldrk gA fdr] iufoykdu dh 'kfDr vfu;f=r ;k vfucfèkr ugh gA ge ;g vulj.k dju yk;d rkfdd fl)kr çrhr gkrk g fd tc ,d ckj vfèkfu;e o"k 1988 dh èkkjk 19 ;k lfgrk dh èkkjk 197 d vèkhu ljdkj }kjk vFkok l{ke çkfèkdkjh }kjk] ;FkkfLFkfr] lkfofèkd 'kfDr dk ç;kx dj fy;k x;k g] mlh lkexh ij iu% ekey dk iufoykdu vFkok iufopkj djuk etjh nu oky çkfèkdkjh dk vuK; ugh gA ,lk blfy, g D;kfd iufoykdu dh vfucfèkr 'kfDr ,l dk; d çfr vfrerk ugh yk ldrh g vkj ljdkj d ifjoru vFkok etjh dh 'kfDr dk ç;kx dju d fy, çfèkÑr 0;fDr d ifjoru ij etjh lcfèkr ekeyk ,l çkfèkdkjh }kjk doy mldk Kkr dkj.kk l iu% [kkyk tk ldrk g vkj fHkUu vkn'k ikfjr fd;k tk ldrk gA bl çdkj] mlh lkexh ij er cnyr jg ldrk g vkj ,l lkfofèkd dk; dk dkb vr ugh gk ldrk gA

13. gekj er e] mlh lkexh ij er ifjoru vfuok;r% etjh çnku dju l budkj djr g, io vkn'k d iufoykdu vFkok iufopkj d fy, vkèkkj ugh gk ldrk gA fdr] tgk io vkn'k d i'pkr vUo"k.k ,tUlh }kjk u;h lkexh lxfgr dh x;h g vkj etjh nu oky çkfèkdkjh d le{k çLrr dh x;h g vkj ml vkèkkj ij] etjh nu oky çkfèkdkjh }kjk ekey ij iufopkj fd;k tkrk g

*vkj u;h lkexh d vkykd e er fufer fd;k tkrk g fd ykd lod dk vfHk;kftr dju dh etjh çnku dh tk ldrh g] ,lk jkLrk viuku e #dkoV ugh gkxkA***

11. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि॰, जो पूर्व जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ का भाग है, की प्रेरणा पर यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं लाया गया है कि अन्वेषण एजेन्सी द्वारा कोई नयी सामग्री संग्रहित की गयी थी ताकि इसे मंजूरी प्रदान करने से इनकार करने वाले पूर्व आदेश पर पुनर्विचार और/अथवा पुनर्विलोकन के लिए बोर्ड की बैठक में मामला रखा जा सके बल्कि बोर्ड के पश्चातवर्ती संकल्प जो रिट याचिका के परिशिष्ट-16 पर है से यह स्पष्ट है कि उसी सामग्री पर मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना यंत्रवत याची को अभियोजित करने की मंजूरी प्रदान किया है। बोर्ड की प्रेरणा पर दाखिल प्रतिशपथ पत्र में भी, पूर्व आदेश के पुनर्विलोकन के लिए प्राधिकारी के समक्ष कोई नयी सामग्री रखने के बारे में चर्चा अथवा कोई विनिर्दिष्ट इनकार भी नहीं है। यह दर्शाने के लिए कि पुनर्विचार क्यों आवश्यक बन गया है, प्रत्यर्थी द्वारा अभिलेख पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष उसी सामग्री के आधार पर पूर्व आदेश पर पुनर्विचार अथवा पुनर्विलोकन की आवश्यकता दर्शाने के लिए विवेक का इस्तेमाल भी अनुपस्थित है।

12. यहाँ उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा मंजूरी के प्रदान में रिट अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

13. रिट याचिका (दांडिक) अनुज्ञात की जाती है और प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने वाला दिनांक 19.5.2015 का आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

रविन्द्र कुमार अग्रवाल एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. Petition No. 2463 of 2015. Decided on 8th March, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 323, 341, 498A एवं 34—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 177, 178 एवं 482—क्रूरता, दोषपूर्ण अवरोध और उपहति–संज्ञान–यद्यपि परिवाद में, अभिकथनों का मुख्य भाग वृहत्तर नोयडा की क्षेत्रीय अधिकारिता तक सीमित है किंतु धनबाद में घटना का कुछ भाग भी परिवाद याचिका में उल्लेख पाता है–परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों एवं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी के बयान के बीच पर्याप्त संबंध प्रतीत होता है–धनबाद न्यायालय की सम्मिलनकारी अधिकारिता के संबंध में परिवाद याचिका में अभिकथन पर्याप्त रूप से परिवादी द्वारा एवं उसके पिता द्वारा भी संपुष्ट किए गए हैं–अभिखंडन आवेदन खारिज। (पैराएँ 7, 9, 14 एवं 15)

निर्णयज विधि.–(2014)12 SCC 362—Distinguished ;(1997)5 SCC 30; (2011)11 SCC 301—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s. B.M. Tripathy, M.S. Mittal, Saket Upadhyay, For the Petitioners; Mr. Vijay Shankar Prasad, For the Opposite Party No. 1; M/s. Anil Kumar, Satish Kumar, Chanda Kumar, For the Opposite Party No. 2.

आदेश

इस आवेदन में, याचीगण की प्रार्थना विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 1.10.2015 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323, 341, 498A एवं 34 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है सहित सी॰ पी॰ केस सं॰ 1636 वर्ष 2015 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए है।

2. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संस्थित परिवाद याचिका से उद्भूत होने वाला अभियोजन मामला इस प्रभाव का है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का विवाह दिनांक 24.11.2012 को आगरा में हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक मयंक अग्रवाल (अब मृत) के साथ संपन्न किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि विवाह में विपुल राशि व्यय करने के बावजूद अभियुक्तगण संतुष्ट नहीं थे और अभियुक्तों द्वारा परिवादी के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया था और प्रहार किया गया था। परिवादी के साथ की गयी क्रूरता एवं यातना के कारण वह दिनांक 10.9.2013 को अपने दांपत्य गृह से चली गयी थी और रहने के लिए अपने माएके चली गयी थी जिसके कुछ दिनों बाद याची सं॰ 1, 2 एवं 3 के आश्वासन पर कि परिवादी को दहेज मांग के लिए यातना के अध्यधीन नहीं किया जाएगा, परिवादी अपने दांपत्यगृह वापस गयी। यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी के पति की मृत्यु दिनांक 21.3.2015 को हो गयी जिसके बाद परिवादी को उसकी मृत्यु के लिए दोष दिया गया था और अभियुक्तों द्वारा उसका समस्त सामान ले लिया गया था। अंतत:, परिवादी को उसके दांपत्य गृह से निकाला गया था और वह अपने माएके रहने चली गयी और अभियुक्तों के कृत्य ने उसको परिवाद याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर किया जिसे सी॰ पी॰ केस सं॰ 1636 वर्ष 2015 के रूप में दर्ज किया गया था।

3. सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी एवं उसके गवाहों का परीक्षण करके दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच करने पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा दिनांक 1.10.2015 को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323, 341, 498A/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया था।

4. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सुने गए।

5. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी ने निवेदन किया है कि अभिकथित यातना एवं दहेज मांग के संबंध में संपूर्ण प्रसंग ग्रेटर नोयडा में हुआ था, अत:, धनबाद न्यायालय को परिवाद मामले में कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी। यह निवेदन किया गया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 201 के निबंधनानुसार दंडाधिकारी के लिए समुचित रास्ता समुचित न्यायालय में प्रस्तुती के लिए परिवादी का परिवाद वापस लौटाना था, किंतु दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 201 के प्रावधानों का पालन करने के बजाए विद्वान दंडाधिकारी ने परिवाद याचिका स्वीकार किया था और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के निबंधनानुसार जाँच भी समाप्त किया था, अत: स्वयं संज्ञान लिया जाना भारतीय दंड संहिता (दं॰ प्र॰ सं॰–*sic*?) की धाराओं 178 एवं 179 के प्रावधानों द्वारा हिट होता है और, इसलिए, संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे जोड़ते हैं कि न तो परिवाद याचिका में और न ही सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज बयान में परिवादी ने धनबाद जिला में हुई किसी घटना के बारे में उपदर्शित किया था, किंतु विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवाद को धनबाद जिला की

क्षेत्रीय अधिकारिता की परिधि के अंतर्गत लाने के लिए परिवादी से प्रश्न पूछा था जिसे अधिकारिता का प्रश्न विनिश्चित करते हुए विचार में नहीं लिया जा सकता है, खासकर जब जाँच के दौरान परीक्षण किए गए किसी गवाह ने धनबाद जिला में हुई किसी घटना के बारे में कथन नहीं किया था। श्री त्रिपाठी ने अपने तर्क के क्रम में संज्ञेय मामले में अन्वेषण की पुलिस की शक्ति के साथ तुलना किया था जिसमें अधिकारिता पुलिस थाना की सीमाओं और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 201 के अधीन विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अंतर्गत है। अधिकारिता के बिंदु के संबंध में, **भूरा राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं एक अन्य, AIR 2008 SC 2666; अनिल कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, 2015 (4) Eastern Cri Cases 747 (Jhr.)** एवं **अमरेन्दु ज्योति एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, (2014)12 SCC 362** में निर्णयों को निर्दिष्ट किया गया है।

6. समानांतर स्तंभ में, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ने निवेदन किया है कि स्वयं परिवाद याचिका में घटना स्थल धनबाद पुलिस थाना और ग्रेटर नोयडा फेज II पुलिस थाना के अंतर्गत चित्रित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि परिवादी द्वारा न्यायालय में दिया गया बयान आकस्मिक बयान नहीं है, बल्कि ऐसा तथ्य स्वयं परिवाद याचिका में उल्लिखित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज परिवादी के बयान के साथ युक्तियुक्त संबंध है और भा॰ दं॰ सं॰ (दं॰ प्र॰ सं॰–*sic* ?) की धाराओं 178 (d) एवं 179 के प्रावधानों पर विचार करते हुए विद्वान दंडाधिकारी संज्ञान लेने की शक्ति दी गयी थी। अत: यह निवेदन किया गया है कि चूँकि वाद हेतुक को भाग धनबाद न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत उद्भूत हुआ था, विद्वान दंडाधिकारी परिवाद पर कार्यवाही करने एवं संज्ञान लेने की अपनी शक्ति के अंतर्गत थे। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशान्त कुमार मुखर्जी, (1997)5 SCC 30; सुनीता कुमारी कश्यप बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2011)11 SCC 301** मामलों एवं दांडिक विविध याचिका सं॰ 406 वर्ष 2014 में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

7. परस्पर विरोधी प्रतिवादों के अधिमूल्यन के लिए परिवाद याचिका को निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा। यद्यपि परिवाद में अभिकथनों का मुख्य भाग ग्रेटर नोयडा की क्षेत्रीय अधिकारिता तक सीमित है किंतु धनबाद में घटना का कुछ भाग भी परिवाद याचिका में उल्लेख पाता है। यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 10.9.2013 को परिवादी द्वारा अपना दांपत्य गृह छोड़ने और अपने माएके में रहने के कुछ दिनों बाद याची सं॰ 1, 2 एवं 3 परिवादी के घर आए थे और परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन नहीं किया जाएगा। बाद में ऐसे आश्वासन पर, परिवादी को अपने दांपत्य गृह वापस ले जाया गया था जहाँ पुन: उसे यातना दी गयी थी। अभिकथन के इस भाग को सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज परिवादी के बयान द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है जिसमें उसने कथन किया है कि उसके ससुराल वाले दहेज मांगने धनबाद आते थे। परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों एवं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी के बयान के साथ पर्याप्त संबंध प्रतीत होता है। अत: ऐसी परिस्थितियों में याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता का क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में प्रतिवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, परिवादी के पिता ने भी जाँच के क्रम में कथन किया था कि समस्त

याचीगण धनबाद आए थे और आश्वासन दिया था कि परिवादी के साथ क्रूरता नहीं की जाएगी। इस प्रकार, धनबाद न्यायालय की सम्मिलनकारी अधिकारिता के संबंध में परिवाद याचिका में अभिकथन परिवादी एवं उसके पिता द्वारा पर्याप्त रूप से संपुष्ट किया गया है।

8. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 201 दंडाधिकारी, यदि वह मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया पर विचार करता है। ऐसी प्रक्रिया समुचित न्यायालय के समक्ष इसकी प्रस्तुती के लिए परिवाद लौटाया जाना सम्मिलित करती है यदि दंडाधिकारी संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है।

9. परिवाद की दृष्टि में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 201 के अधीन प्रक्रिया जिसका अनुसरण दंडाधिकारी को करना है से यह एकत्रित नहीं किया जा सकता है कि विद्वान दंडाधिकारी को आगे अग्रसर होने की क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है। जैसा ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, परिवाद याचिका में किए गए और परिवादी तथा उसके पिता द्वारा अपने परस्पर बयानों द्वारा समर्थित अभिकथन धनबाद न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित नहीं करते हैं, अत:, विद्वान दंडाधिकारी परिवाद पर कार्रवाई करने, जाँच करने एवं तत्पश्चात उसमें उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने की अपनी परिधि के अंतर्गत थे। अत:, ऐसी परिस्थितियाँ दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 201 के प्रावधान को व्यर्थ बनाती हैं जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है।

10. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने विषय पर अनेक न्यायिक उद्घोषणाओं पर भारी विश्वास किया है और यहाँ नीचे उन पर विचार किया जा रहा है। **भूरा राम एवं अन्य (ऊपर)** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

*"4. ifjokn e dfFkr rF; çdV djr g fd ifjoknh mlI LFkku l pyh x;h Fkh tgk og viu ifr ,o lljky okyk d lkFk jg jgh Fkh vkj Jh xxkuxj 'kgj] jktLFkku jkT; vk;h vkj ifjokn d erkfcd leLr vfHkdfFkr ÑR; itkc jkT; e g, FkA jktLFkku U;k;ky; dk ekey ij fopkj dju dh vfèkdkfjrk ugh gA ifjokn e ifjoknh }kjk çdV fd, x, rkfF;d ifjn'; d vkèkkj ij vifjgk; fu"d"k ;g g fd okn grd dk dkb Hkkx jktLFkku e mnHkr ugh gvk vkj] blfy,] lcfèkr nMkfèkdkjh dk ekey ij fopkj dju dh vfèkdkfjrk ugh gA mld ifj.kkeLo#i] vij e[; U;kf;d nMkfèkdkjh] Jh xxkuxj d le{k dk;okgh vfHk[kfMr dh tkrh gA ifjoknh dk ifjokn okil fd;k tk, vkj ;fn og pkgrh g] og fofèk d vu#i fopkj fd, tku d fy, bl lefpr U;k;ky; e nkf[ky dj ldrh gA**

11. **''अमरेन्दु ज्योति एवं अन्य (ऊपर)** मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था: –

*"11. ge ikr g fd Øjrk dk vijkèk pky vijkèk ugh dgk tk ldrk g tlk lfgrk dh èkkjkvk 178 ,o 179 e vuè;kr fd;k x;k gA ge mPp U;k;ky; l lger ugh g fd bl ekey e çR;Fkh 2 ij dkfjr ekufld Øjrk vihykfFk;k }kjk mldk mld nkiR; xg okil y tku dk dkb ç;kl ugh fd, tku vkj VyhQku ij vihykfFk;k }kjk nh x;h èkefd;k d dkj.k ^^v{k..k tkjh** jghA vku"kfxd :i l ;g xkj fd;k tk ldrk g fd mPp U;k;ky; VyhQku ij vihykfFk;k }kjk nh x;h crk;h x;h èkefd;k d lcèk e lk{; d fdlh VdMk fo'k"k dk fufn"V ugh djrk gA bl çdkj] ifjokn d vulkj] gekjk nf"Vdk.k ;g g fd ;g vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk g fd vfcdkij U;k;ky; dk vijkèk dk*

*fopkj.k dju dh vfèkdkfjrk g D;kfd fnYyh d lefpr U;k;ky; dk mDr vijkèk dk fopkj.k dju dh vfèkdkfjrk gkxhA rnulkj] vihy vuKkr fd;k tkrk gA***

12. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ने **श्रीमती सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशान्त कुमार मुखर्जी (ऊपर)** को निर्दिष्ट किया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"6. çkboV çR;Fkh ij rkehy çHkkoh cuk, tkus d ckotn fdlh Hkh vfHk;Dr çR;Fkh d fy, dkbZ mifLFkr ugh gvk gA geu vihykFkh }kjk nkf[ky ifjokn dk fopkj e fy;k g vkj ge çrhr gkrk g fd ifjokn leLr vfHk;Drk d gkFkk vihykFkh d lkFk fd;k n0;ogkj ,o vieku dk pky vijkèk çdV djrk g vkj ,l pky vijkèk e] dN voljk ij leLr çR;fFk;k u Hkkx fy;k Fkk vkj vU; voljk ij çR;fFk;k e l ,d u Hkkx fy;k FkkA vr%] nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 178 dk [kM (c) Li"Vr% vkÑ"V gkrk gA vr%] ge mPp U;k;ky; dk vk{kfir vkn'k vikLr djr g vkj fo}ku e[; U;kf;d nMkfèkdkjh] jk;ij dk nkfMd ekey e dkjokb dju dk fun'k nr gA pfd ekeyk vjl l yfcr g] 'kh?kkfr'kh?k luokb d fy, dne mBk;k tkuk pkfg,A rnulkj vihy vuKkr dh tkrh gA***

13. सुनीता कुमार कश्यप बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य (ऊपर) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

*"11. geu igy gh ifjokn e vihykFkh }kjk fn, x, fooj.kk dk mYy[k fd;k gA jkph e ifr ,o mld lcfèk;k d gkFkk n0;ogkj ,o Øjrk d ckj e vihykFkh iRuh d fofufn"V çk[;ku vkj bl rF; dh nf"V e fd mudh dkjokb d dkj.k ml mud ngt ekx dh ifr ugh fd, tkus d fy, xHkhj ifj.kke Hkxru dh èkedh d lkFk mld ifr }kjk ml mld ek,d x;k y tk;k x;k Fkk] ge vfHkfuèkkfjr djr g fd lfgrk dh èkkjkvk 178 ,o 179 dh nf"V e bl ekey e vijkèk vud LFkkuh; {k=k e fd;k x;k pky vijkèk Fkk vkj LFkkuh; {k=k e l ,d x;k gku d dkj.k x;k d fo}ku nMkfèkdkjh dk ogk lfLFkr nkfMd ekey e dkjokb dju dh vfèkdkfjrk gA nlj 'kCnk e] vijkèk pky vijkèk g vkj x;k e çlx doy ifjoknh d lkFk fd, x, ij'kkuh ,o n0;ogkj d pky vijkèk dk ifj.kke Fkk] èkkjk 178 dk [kM (C) vkÑ"V gkrk gA vkx] ifjokn e vfHkdFkuk l ge ;g çrhr gkrk g fd ;g leLr vfHk;Drk d gkFkk vihykFkh d lkFk fd, x, vieku ,o n0;ogkj dk pky vijkèk g vkj ,l pky vijkèk e dN voljk ij lcku Hkkx fy;k Fkk vkj dN volj ij vfHk;Dr e l ,d vFkkr ifru Hkkx fy;k Fkk] vr%] fu%lng lfgrk dh èkkjk 178 dk [kM (c) Li"Vr% vkÑ"V gkrk gA***

14. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 178 (c) परिकल्पित करती है कि ''जब कोई अपराध अनेक स्थानीय क्षेत्रों में किए गए अनेक कृत्यों से गठित है, ऐसे क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा इसकी जाँच अथवा विचारण किया जा सकता है।'' परिवाद याचिका अपने भीतर ग्रेटर नोयडा एवं धनबाद के स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जहाँ दहेज मांग का प्रश्न एवं परिवादी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने का आश्वासन दिया गया था और इसलिए, परिवादी ग्रेटर नोयडा के स्थानीय पुलिस थाना अथवा धनबाद जिला में दांडिक मामला संस्थित करने के अपने अधिकार के अंतर्गत थी। धनबाद में परिवाद की

दाखिली परिवाद पर कार्रवाई करने की शक्ति के अनुकूल है। निःसंदेह, **अमरेन्दु ज्योति एवं अन्य (ऊपर)** में पत्नी को उसके दांपत्य गृह से निकाला जाना और उसका अपने माएके में रहना उसके माएके में अवस्थित न्यायालयों को क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदत्त नहीं करेगा, इस दशा में, अपराध को चालू अपराध अभिनिर्धारित नहीं किया गया है, किंतु परिवाद मामले में किए गए प्रकथन सुझाते हैं कि याची सं॰ 1, 2 एवं 3 की प्रेरणा पर और परिवादी के पिता के बयान के मुताबिक याची सं॰ 4 द्वारा भी भविष्य में उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने के आश्वासन पर परिवादी को वापस ले जाया गया था। **अमरेन्दु ज्योति एवं अन्य (ऊपर)** मामला वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रयोज्य नहीं होगा।

15. यहाँ ऊपर की गयी चर्चा के समेकित परिणामस्वरुप, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद को परिवाद मामला पर कार्रवाई करने की और जाँच पर दिनांक 1.10.2015 के आदेश के तहत संज्ञान लेने की क्षेत्रीय अधिकारिता थी और इसलिए इस आवेदन में गुणागुण नहीं होने के कारण इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

सनातन सोरेन एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 612 of 2003. Decided on 1st April, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149—हत्या–विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य–दोषसिद्धि–विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता मात्र दोष का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए पर्याप्त है–किंतु, विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थिति मात्र और विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के बीच अंतर है–दो अपीलार्थियों की भागीदारी संदेहपूर्ण प्रतीत होती है–उन दोनों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया–अन्य तीन अभियुक्तों की उपस्थिति मृतक के शरीर पर कारित उपहतियों और उनके द्वारा निजी रूप से लिए गए हथियार से संपुष्टि पाती है–उपांतरण के साथ दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 10 से 17)

निर्णयज विधि.–(2011)5 SCC 324; (2012)4 SCC 722—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s Jai Prakash Jha, Shree Prakash Jha, Aishwarya Prakash, For the Appellants; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश एवं श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी–अभियुक्तों का सत्र मामला सं॰ 259 वर्ष 1993 में भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/149 के अधीन अपराध करने के लिए विचारण किया गया था। उनके साथ, एक अन्य अभियुक्त ताराचंद टुडु उर्फ तारा टुडु, जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/109 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था, का भी विचारण किया गया था और दोषसिद्ध किया गया था। किंतु, उसके द्वारा पृथक रूप से दाखिल दांडिक अपील (डी॰ बी॰ सं॰ 532 वर्ष 2003 के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी, अतः द्वितीय अपील उपशमनित हो गयी। विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका, ने पूर्वोक्त ताराचंद टुडु सहित समस्त छह अभियुक्तों को भा॰ दं॰

सं॰ की धारा 302/149 के अधीन आरोप का दोषी पाया और उनको किसी मलहो किस्कू की अभिकथित रूप से हत्या करने के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया था, क्रमश: दिनांक 28.3.2003 एवं दिनांक 31.3.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर वर्तमान दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 612 वर्ष 2003 में हमारे समक्ष हैं।

अभियोजन मामला:

2. अभियोजन मामला मृतका के पति किसी बाबू लाल सोरेन के फर्दबयान में प्रकट किया गया है जिसने दिनांक 8.9.1992 का रामगढ़ पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष बयान दिया। सूचक जो घटना के समय ग्राम कदमा में था को अपनी पत्नी अर्थात् मल्हो किस्कू की धनकुट्टा में श्यामलाल मुर्मू (अब मृत) द्वारा हत्या के बारे में सूचित किया गया था जिस पर सूचक धनकुट्टा आया जहाँ उसके पुत्र गुरु सोरेन (अ॰ सा॰ 1) ने उसको उक्त घटना का चश्मदीद विवरण दिया। सूचक ने दावा किया कि उसकी पुत्री अर्थात् सुकरमुनि सोरेन (अ॰ सा॰ 2) और अनेक अन्य गाँववालों ने भी घटना देखा था। सूचक बाबू लाल सोरेन का फर्दबयान दिनांक 8.9.1992 को अपराह्न 3.45 बजे दर्ज किया गया था जिसके आधार पर सनातन सोरेन, देवी लाल सोरेन, होपना सोरेन, बिशु सोरेन, सोनेराम सोरेन, देवलाल सोरेन और ताराचंद टुडु उर्फ तारा टुडु (अब मृत) के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149 एवं 302 के अधीन अपराधों के लिए प्राथमिकी रामगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 75 वर्ष 1992 दर्ज की गयी थी। पुलिस ने अन्वेषण के समापन पर ताराचंद टुडु जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/109 के अधीन आरोप पत्रित किया गया था के सिवाए, देव लाल सोरेन को फरार दर्शाते हुए, समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149 एवं 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियोजन साक्ष्य

3. विचारण के दौरान, अभियोजन ने बाबू लाल सोरेन (अ॰ सा॰ 4), गुरु सोरेन (अ॰ सा॰ 1), सुकरमनि सोरेन (अ॰ सा॰ 2) और डॉ॰ प्रभात कुमार सिन्हा (अ॰ सा॰ 6) जिन्होंने मृतका मल्हो किस्कू के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था सहित कुल 10 गवाहों का परीक्षण किया। विचारण न्यायालय ने पाया कि केवल अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 घटना के चश्मदीद गवाह हैं किंतु, बाबू लाल सोरेन, जिसने अपनी पत्नी के मृत शरीर पर उपहति देखा है और अपनी पत्नी की हत्या करने हेतु के बारे में भी कथन किया है, का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है।

4. डॉ॰ प्रभात कुमार सिन्हा, जो दिनांक 10.9.1992 को सदर अस्पताल, दुमका में पदस्थापित थे और जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण किया था, ने मल्हो किस्कू के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व उपहतियों को पाया:–

(i) [kkiMh d nk, Hkkx d ijkbVy {k= rd tkrk nk, VEikjy {k= d Åij 4" x 1/2" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA foPNnu ij] dufDVx cu ,o ekfutl dh fonh.krk d lkFk nk, vkj d VEikjy ijkbVy vfLFk dk MhçLM ÝDpj FkkA Øfu;e e [ku dh dkQh ek=k ik;h x;hA

(ii) Ropk d vxorh Hkkx vkj xnu d lkeu lcD;Vfu;l fV'k d flok, oVhok dh rrh; ,o prFk ljokbdy] yfjUDl] ÝfjUDl] Vfp;k] vkj leLr ljpukvk ,o ufydkvk dk dkVr g, xnu d ihN 3" x 2" dk dVu dk t[eA

(iii) ck, Ldkiyj {k= d Åij 3" x 1/2" ekli'kh rd xgjk dVu dk t[eA

(iv) g;ejl xnu d vfLFkHkx d lkFk nk, ckgk d mijh Hkkx d mij 2" x ½" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

*(v) jfM;l ,o vyuk d fupy Nkj d vfLFkHkx d lkFk fiNy Hkkx ij nk, dykb d mij 2" x 1" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[e***

5. हम अन्य अभियोजन साक्ष्य निर्दिष्ट करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं।

6. विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य एवं मृतका की खोपड़ी, गर्दन, बाँह एवं कलाई पर पाँच कटने के जख्मों को ध्यान में लेते हुए निष्कर्ष दर्ज किया कि यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि अभियुक्तों ने ताराचंद टुडु उर्फ तारा टुडु के सिवाए समस्त का सामान्य आशय अग्रसर करने में मल्हो किस्कू की हत्या की और इस दशा में उन्हें दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया जैसा यहाँ उपर कथन किया गया है।

7. समस्त अभियुक्तों के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री जयप्रकाश झा प्रतिवाद करते हैं कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं चाक्षुक साक्ष्य में अंतर स्पष्टत: स्थापित करता है कि कम से कम अपीलार्थीगण होपना सोरेन और सोनेराम सोरेन विधिविरुद्ध जमाव के भाग नहीं थे। पाँच कटने के जख्मों के सिवाए मल्हो किस्कू के मृत शरीर पर कोई अन्य उपहति नहीं पायी गयी है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं और परिवादी के मामला का समर्थन करने के लिए किसी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है और यह तथ्य कि एक परिवार के समस्त पुरुष सदस्यों को आलिप्त करने के लिए बड़ा जाल बुने जाने की संभावना है। अभियुक्तों होपना सोरेन एवं सोनेराम सोरेन, जो अभिकथित रूप से लाठियों से लैस थे और मृतका के शरीर पर लाठी की उपहति नहीं होने के नाते उन्हें संदेह का लाभ दिया जा सकता है।

8. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया कि अभियोजन मृतक पर समस्त अभियुक्तों द्वारा प्रहार स्थापित करते हुए घटनास्थल, घटना का समय और घटना का तरीका स्थापित करने में विफल रहा है। यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने रक्तरंजित मिट्टी एवं अथवा प्रहार के हथियार को संग्रहित नहीं किया था और इस प्रकार, यह अभियोजन के लिए घातक है। आगे यह निवेदन किया गया है कि इस स्थिति में अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण ने अभियुक्तों पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है। इस प्रकार, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन मामले में गंभीर कमी पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित करना होगा कि अभियोजन निश्चयात्मक रूप से संदेह के परे अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप स्थापित करने में विफल रहा है, परिणामस्वरुप, अभियुक्तगण समस्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं।

9. किंतु, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री पंजक कुमार हमें गुरु सोरेन (अ॰ सा॰ 1) एवं सुकरमनि सोरेन (अ॰ सा॰ 2) के साक्ष्य से अवगत कराते हुए निवेदन करते हैं कि समस्त अभियुक्तों ने विधिविरुद्ध जमाव निर्मित किया, उन्होंने मृतका का पीछा किया और अपने-अपने हथियारों से उस पर प्रहार किया जिसने उसकी मृत्यु कारित किया। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया कि घटना का तरीका स्पष्टत: मल्हो किस्कू की हत्या करने का समस्त अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य प्रकट करता है और इसलिए, अभियुक्तों होपना सोरेन एवं सोनेराम सोरेन को भोथरे हथियार (लाठी) की उपहति नहीं होने के बावजूद संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ बचाव द्वारा अभियोजन गवाहों के प्रति-परीक्षण को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि अपीलार्थियों पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं हुई है क्योंकि घटना स्थल स्थापित किया गया है और इसलिए, आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण अभियोजन मामले के मूल आधार को अस्त-व्यस्त नहीं करेगा।

10. बाबूलाल सोरेन का फर्दबयान, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है। श्यामलाल मुर्मु जिसने सूचक को घटना के बारे में सूचित किया था, चश्मदीद गवाह नहीं है। किंतु, यद्यपि सूचक के पुत्र ने उसको घटना का विवरण दिया, जैसा फर्दबयान में पाया जाता है, सूचक ने अभिकथित नहीं किया है कि अभियुक्तगण होपना सोरेन एवं सोनेराम सोरेन भी लाठी से लैस थे। सूचक द्वारा इन दो अभियुक्तों पर किसी प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया है। आरंभिक चरण पर अभियोजन का विनिर्दिष्ट मामला यह था कि मृतका मलहो किस्कू की मृत्यु टांगी, डाब, एवं नारियल काटने वाले छुरा द्वारा कारित उपहति के कारण हुई। गवाह गुरु सोरेन (अ॰ सा॰ 1) ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया कि होपना सोरेन, सोनेराम सोरेन लाठी लिए थे और समस्त अभियुक्तों ने उसकी माता पर प्रहार किया। इस गवाह ने समस्त अभियुक्तों द्वारा उपहतियों का अत्यन्त विनिर्दिष्ट आरोपण किया है, जबकि शव परीक्षण रिपोर्ट प्रकट करती है कि लाठी द्वारा कोई अन्य उपहति संभव नही थी तेज धारवाले हथियार द्वारा कारित पाँच कटने के जख्म के सिवाय जो मृतका के मृत शरीर पर पाए गए थे। अभियोजन चिकित्सीय साक्ष्य एवं चाक्षुक साक्ष्य में इस महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करने में विफल रहा है। अ॰ सा॰ 2 अर्थात् सुकरमुनि सोरेन का साक्ष्य भी अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य को संपुष्ट करता है और, इस गवाह ने भी सिवाए यह कथन करने कि होपना सोरेन और सोनेराम सोरेन लाठी से लैस थे, इन दो अभियुक्तों को किसी विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहीराया है। यह समस्त घटना में होपना सोरेन एवं सोनेराम सोरेन की भागीदारी के बारे में गंभीर संदेह सृजित करता है।

11. सत्र मामला सं॰ 259 वर्ष 1993 में निर्णय एवं आदेश स्पष्टत: प्रकट करता है कि विचारण न्यायाधीश अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य पर विचार करते हुए विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के निश्चयात्मक निष्कर्ष पर आए हैं। किंतु, इस अभिकथन के सिवाए कि सभी अभियुक्तों ने मल्हो किस्कू का पीछा किया था तथा अपने अपने हथियारों से उस पर वार किया था। यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य नहीं लाया गया था कि होपना सोरेन एवं सोनेराम सोरेन ने भी विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य अर्थात् मल्हो किस्कू की हत्या कारित करना शेयर किया था। नि:संदेह विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता मात्र दोष का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए पर्याप्त है किंतु, विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थिति मात्र और विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के बीच अंतर है। शायद अभियुक्तगण अर्थात् होपना सोरेन एवं सोनेराम सोरेन घटनास्थल पर उपस्थित थे किंतु भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/149 के अधीन दायित्व डालने के लिए उनकी उपस्थिति के अतिरिक्त कुछ और स्थापित किया जाना होगा। उनके आचरण अथवा प्रत्यक्ष कृत्य को प्रकट करना होगा कि उन्होंने भी विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य शेयर किया था। वर्तमान मामले में, जब चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य का परीक्षण चिकित्सीय साक्ष्य के संदर्भ में किया जाता है जो मृतक पर लाठी द्वारा प्रहार झुठलाता है, विशेषत: जब चश्मदीद गवाह इस भाग पर अधिक विनिर्दिष्टत: जोड़ देना चाहते थे और यह तथ्य कि समस्त अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं और यह तथ्य कि अभियोजन मामले के समर्थन में अभियोजन द्वारा स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है, अभिलेख पर लाए गए संपूर्ण सामग्री पर विचार करने पर हमारा दृष्टिकोण है कि घटना में होपना सोरेन एवं सोनेराम सोरेन की भागीदारी संदेह मुक्त नहीं है। इस प्रकार, इन दोनों अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाता है।

12. अब दूसरे अभियुक्तों का उल्लेख करें। सूचक ने रामगढ़ पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपराह्न 3.45 बजे अपना बयान दिया था किंतु, न्यायालय में अपने साक्ष्य में उसने कथन किया है कि वह अपराह्न 5 बजे धनकुट्टा आया। अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 6 में अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य और

शव परीक्षण की तिथि एवं समय को निर्दिष्ट करते हुए अभियुक्तों के विद्वान वरीय अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि अभियोजन घटना का समय और घटना की तिथि स्थापित करने में विफल रहा है। यह प्रतिवाद अस्वीकार किए जाने का दायी है। बाबूलाल सोरेन (अ॰ सा॰ 4) का फर्दबयान एस॰ आई॰ बलराम सिंह द्वारा दर्ज किया गया था जिस पर अ॰ सा॰ 4 ने केवल अपने बाएँ अंगूठे का निशान लगाया। यह प्रतीत होता है कि सूचक निरक्षर है। धनकुट्टा से उसके लौटने के समय के संबंध में न्यायालय में उसके साक्ष्य को स्वयं उसके अपने निर्धारण में लगभग समय के रूप में और न कि कठोरतापूर्वक घड़ी के हिसाब के रूप में लेना होगा। सूचक के साक्ष्य में पूर्वोक्त अंतर अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करेगा जहाँ तक घटना के समय का संबंध है।

13. चश्मदीद गवाहों ने स्पष्टत: अभिसाक्ष्य दिया है कि पूर्वाह्न लगभग 11 बजे अभियुक्तों ने मल्हो किस्कू पर प्रहार किया था। शव परीक्षण दिनांक 10.9.1992 को अपराह्न 10 बजे किया गया था और डॉक्टर ने मत दिया है कि मृत्यु 72 घंटों के भीतर हुई थी। सूचक ने यह कथन भी किया है कि मृत शरीर केवल बुधवार को उठाया गया था और इसे ट्रैक्टर पर अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर एवं चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य अभियोजन मामला पूर्णत: स्थापित करता है कि मृत्यु दिनांक 8.9.1992 को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे हुई थी जो मंगलवार था।

14. जहाँ तक अभियुक्तों अर्थात् सनातन सोरेन, देवीलाल सोरेन एवं बिशु सोरेन की उपस्थिति का संबंध है, चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य अडिग बना रहा है। मृतका के शरीर पर उपहतियों की प्रकृति निश्चित रूप से तेज धार वाले हथियार लिए होने और अपने-अपने हथियारों से मृतका पर प्रहार करने वाले इन तीनों अपीलार्थियों की अभियोजन कथा संपुष्ट करती है। इस तथ्य कि चश्मदीद गवाह ने केवल देवी लाल सोरेन को नामित किया है जिसने मृतका की गर्दन पर हसुआ का वार किया, का अर्थ इस रूप में नहीं लगाया जा सकता है कि केवल उसने मृतका के शरीर पर समस्त उपहतियाँ कारित किया था। वस्तुत: चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य प्रकट करता है कि देवीलाल सोरेन ने सबसे पहले मृतका पर प्रहार किया। मृतका के शरीर पर उपहतियों की प्रकृति उपदर्शित करती है कि प्रहार के हथियारों में से एक भारी तेज धार वाला हथियार था और यह अभिलेख पर आया है कि अभियुक्तों में से एक 'डाब' लिए था जो भारी तेज धार वाला हथियार है। डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया ने कनेक्टिंग ब्रेन एवं मेनिंजेस की विदीर्णता के साथ दाएँ भाग के टेम्पोरल पेराइटल अस्थि का डिप्रेस्ड फ्रैक्चर पाया है। गर्दन के पिछले भाग पर क्रेनियम में खून की बड़ी मात्रा पायी गयी थी। डॉक्टर ने मत दिया है कि मृत्यु का कारण मृतका की खोपड़ी एवं गर्दन पर उपहति के परिणामस्वरुप हेमरेज एवं आघात था और उपहतियों में से कोई प्रकृति के सामान्य क्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। विचारण न्यायालय ने पाया है कि उपहति एवं प्रयुक्त हथियार चाक्षुक साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि पाते हैं। अभियुक्तों ने मामले के किसी पहलू पर डॉक्टर का प्रति परीक्षण नहीं किया है और एकमात्र प्रश्न जो उससे पूछा गया था जिसका उसने उत्तर दिया कि उसने प्रदर्श 2 पर कॉंस्टेबल एवं चौकीदार का हस्ताक्षर नहीं लिया था और मृत शरीर विघटित था। चूँकि यह सूचक के साक्ष्य में आया है कि मृत शरीर गाँव में बना रहा और घटना सितंबर माह में हुई थी, मृत शरीर विघटित क्यों हो गया, स्पष्ट हो जाता है।

15. अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर संपूर्णता में विचार करने पर, अभियुक्तों द्वारा लिए गए बचाव जो गवाहों के प्रति परीक्षण में परिलक्षित होता है, रक्तरंजित मिट्टी संग्रहित करने एवं अपराध का हथियार

जब्त करने में अन्वेषण अधिकारी की विफलता और अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण पर इसकी संपूर्णता में विचार करते हुए हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन मामले की नींव किसी तरीके से हिलायी नहीं गयी है। घटनास्थल पर चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति का बचाव द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है, बल्कि अभियोजन द्वारा घटनास्थल पर अभियुक्तों की उपस्थिति स्थापित की गयी है। तीन अभियुक्तों अर्थात् सनातन सोरेन, देवीलाल सोरेन एवं विशु सोरेन की उपस्थिति मृतका के शरीर पर कारित उपहतियों एवं उनके द्वारा निजी रूप से लिए गए हथियार से संपुष्टि पाती है। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध लाए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता उनको संदेह का कोई लाभ देने की संभावना अपवर्जित करती है।

16. हमने अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अनाज से भूसा हटाने का प्रयास किया है। यह सुनिश्चित है कि अगर गवाह के साक्ष्य का एक भाग त्यक्त भी किया जाता है, उसी साक्ष्य का दूसरा भाग विश्वसनीय पाया जा सकता है और दोष का निष्कर्ष दर्ज करने का आधार निर्मित कर सकता है। वर्तमान मामला भी केवल उसी प्रकृति का है। **कुलदीप यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (2011)5 SCC 324** और **गोविन्दराजू उर्फ गोविन्दा बनाम राज्य, श्रीरामपुरम पुलिस थाना द्वारा एवं एक अन्य, (2012)4 SCC 722** जिस पर विद्वान वरीय अधिवक्ता ने विश्वास किया है, में तथ्य स्पष्टत: वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। पूर्वोक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन मामलों के तथ्यों में दिए गए थे। वस्तुत:, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि गवाह का परिसाक्ष्य विश्वसनीय, तर्कपूर्ण एवं अन्य गवाहों द्वारा सम्यक रूप से संपुष्ट अथवा ग्राह्य साक्ष्य है, ऐसे गवाह का साक्ष्य केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वह हितबद्ध गवाह है। किंतु, इस नियम का एक अपवाद यह है कि जब गवाह का परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के विपरीत है अथवा संपुष्ट नहीं किया गया है।

17. अंतिम परिणाम यह है कि वर्तमान अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी अभियुक्त सं॰ 3 अर्थात् होपना सोरेन और सं॰ 5 अर्थात् सोनेराम सोरेन जो पहले से ही जमानत पर है को दांडिक आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उन्हें उनके अपने-अपने जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तों सनातन सोरेन, देवीलाल सोरेन एवं बिशु सोरेन की दोषसिद्धि एवं दंडादेश, जो वर्तमान में जेल में है, अभिपुष्ट की जाती है किंतु, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/149 के बजाए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि में संपरिवर्तित करते हुए। उनकी ओर से दाखिल दांडिक अपील पूर्वोक्त उपांतरण के साथ खारिज की जाती है। ये तीनों अपीलार्थी अधिरोपित आजीवन कारावास का शेष दंडादेश भुगतेंगे। तद्नुसार, कारा प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है।

18. सूचना के लिए निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय भेजी जाए।

---

ekuuh; vkjs vkjs çlkn] U;k;efr

सुरेन्द्र कुमार सरावगी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1455 of 2014. Decided on 7th January, 2016.

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955—धाराएँ 7 एवं 11—बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1883—धारा 29—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धाराएँ 8, 10 एवं 12—भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406 एवं 420/34—लोक सेवक को धन का प्रस्ताव—पी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध आकृष्ट होता है भले ही किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रस्ताव लोकसेवक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है—दुष्प्रेरण का अभिकथन भी निर्मित नहीं होता है—भा॰ दं॰ सं॰ प्रतिनिधिक दायित्व के कारण कोई अभियोजन अनुध्यात नहीं करती है—याची के विरुद्ध अभिकथित अपराध नहीं बनता है—दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 22, 25, 30, 31 से 34)

निर्णयज विधि.—(2008)5 SCC 662; (2012)5 SCC 661; (2013)4 SCC 505; (2013)1 Bank man 649; (2008)0 Supreme (MP) 814—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s. Anil Kumar Sinha, N.K., Pasari, Amit Sinha, For the Petitioners ; Mr. Shailesh Kumar Singh, For the Vigilance.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा एवं निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार सिंह सुने गए।

2. भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420/34 के अधीन, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन और बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1883 की धारा 29 के अधीन तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 8, 10 एवं 12 के भी अधीन संस्थित मुफ्फसिल पी॰ एस॰ केस सं॰ 25 वर्ष 2013 (विशेष केस सं॰ 01 वर्ष 2013 के तत्सम) की प्राथमिकी का अभिखंडन इस आधार पर इप्सित किया गया था कि समस्त अभिकथनों को सत्य मानते हुए भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 या 420 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि उन अपराधों को गठित करने वाले आवश्यक अवयव प्राथमिकी में कभी नहीं थे। समरुप स्थिति बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1883 की धारा 29 के अधीन अपराध के संबंध में है क्योंकि याची ''बिहार जन वितरण प्रणाली'' के अधीन डीलर कभी नहीं था और इसी समय पर याची को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभियोजित इस तथ्य के कारण नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति जिसने मेसर्स महावीर प्रसाद सरावगी के परिसर जिसके भागीदारों में से याची एक है पर छापा मारा तलाशी एवं जब्ती करने के लिए प्राधिकृत नहीं था और कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन भी अपराध आकृष्ट नहीं होता है।

3. निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **2015 (4) Supreme Today 4** और **2015 (7) Supreme Today 414** में प्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट किया। इस संबंध में, आगे यह निवेदन किया गया है कि भागीदारों में से एक याची को सूचक को धन का प्रस्ताव देता हुआ प्राथमिकी में अभिकथित कभी नहीं किया गया था, बल्कि धन का प्रस्ताव देने का अभिकथन तीन व्यक्तियों अर्थात् संजीव शर्मा, आलोक शर्मा एवं श्रीराम पर था जिन्हें मेसर्स महावीर प्रसाद सरावगी फर्म का प्रतिनिधि बताया गया है।

4. समय के उस बिन्दु पर, निगरानी की ओर से तर्क किया गया था कि यद्यपि याची ने प्राथमिकी को चुनौती दिया था किंतु वह नामित अभियुक्त कभी नहीं है और कि अन्वेषण अभी चल रहा है।

5. उस स्थिति में, मामला स्थगित किया गया था ताकि मामला आरोप-पत्र की दाखिले के बाद लिया जाए क्योंकि याची के विरुद्ध अन्वेषण विगत ढाई वर्षों से लंबित था यद्यपि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया गया है।

6. ऐसा आदेश पारित करने पर, जब इस याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, आरोप-पत्र को भी अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 62 वर्ष 2016 के रूप में चुनौती दी गयी थी।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सिन्हा निवेदन करते हैं कि मामले की तथ्यपरक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि याची को सूचक को धन का प्रस्ताव देता अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध दुष्प्रेरित करने के लिए उक्त नामित तीनों व्यक्तियों को दुष्प्रेरित करता हुआ अभिकथित कभी नहीं किया गया था और तद्द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन भी अपराध गठित करने के लिए आवश्यक अवयव नहीं है और भा॰ दं॰ सं॰ अथवा बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1883 के अधीन अपराध गठित करने वाले आवश्यक अवयव के अनुपस्थित होने के संबंध में पहले किए गए निवेदन को विचार में लेते हुए अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तलाशी एवं जब्ती के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध आकृष्ट नहीं होता है को विचार में लेते हुए प्राथमिकी एवं आरोप-पत्र अभिखंडन योग्य हैं।

8. निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार सिंह निवेदन करते हैं कि वह मुख्यत: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध आकृष्ट होने से संबंधित बिंदु पर तर्क करेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 को निर्दिष्ट करते हुए श्री शैलेश कुमार सिंह निवेदन करते हैं कि यदि कोई किसी लोक अधिकारी को धारा 7 अथवा धारा 11 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, इस तथ्य कि क्या धारा 7 अथवा 11 के अधीन अपराध किया गया है या नहीं को ध्यान में लिए बिना उक्त व्यक्ति को अपराध करता कहा जा सकता है।

9. इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **राज्य, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के माध्यम से बनाम परमेश्वर सुब्रमनि, (2009)9 SCC 729,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 7 अथवा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण स्वयं में एक सुभिन्न अपराध है और कि धारा 7 अथवा 11 के अधीन दंडनीय अपराध, चाहे इसे लोक सेवक द्वारा वस्तुत: किया गया है या नहीं, परिणामविहीन है। आगे, विद्वान अधिवक्ता ने **शरद कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2008) Supreme (MP)814** को निर्दिष्ट किया जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यही प्रतिपादना अधिकथित किया है।

10. निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार सिंह ने इसे और भी विनिर्दिष्ट बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 116 के उदाहरण (a) को निर्दिष्ट किया जिसका पठन निम्नलिखित है:

n"Vkr (a) Hkkjrh; nM lfgrk dk èkkjk 116–[k dk] tk ,d ykd lod g] [k d inh; ÑR;k d i;kx e d viu ifr dN vuxg fn[kku d fy, buke d :i e fj'or dh iLFkkiuk djrk gA [k ml fj'or dk ifrxghr dju l bUdkj dj nrk gA d bl èkkjk d vèkhu n.Muh; gA

11. इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि धारा 7 अथवा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण स्वयं में सुभिन्न अपराध है। धारा 7 अथवा 11 के अधीन दंडनीय अपराध, चाहे इसे लोक सेवक द्वारा वस्तुत: किया गया है या नहीं, परिणामविहीन है।

12. इसके विरुद्ध, विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सिन्हा निवेदन करते हैं कि यहाँ वर्तमान मामले में, यह कहा गया है कि तीन व्यक्तियों ने कृपा पाने के लिए सूचक को 5 लाख रुपयों की राशि का प्रस्ताव दिया, जिसे लेने से सूचक ने इनकार कर दिया और तब उक्त धन उस कार से बरामद किया गया था जिससे वे व्यक्ति आए थे। उस स्थिति में, जब याची को धन का प्रस्ताव देता हुआ अभिकथित भी नहीं किया गया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध याची के मामले में आकृष्ट नहीं होता है और, तद्द्वारा, याची के विरुद्ध आरंभ किया गया अभियोजन अभिखंडित किए जाने योग्य है।

13. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, यह कथन किया जाए कि अभियोजन मामला, जैसा प्राथमिकी में बनाया गया है, यह है कि जब आपूर्ति निरीक्षक, गिरीडीह ने अन्य स्थानों के अन्य आपूर्ति अधिकारियों के साथ किरासन तेल के थोक विक्रेता मेसर्स महावीर प्रसाद सरावगी के परिसर का निरीक्षण किया, उन्होंने उक्त मेसर्स महावीर प्रसाद सरावगी के परिसर के निकट खड़ा किरासन तेल अंतर्विष्ट करता टैंकर ध्यान में लिया। उन्होंने अन्य सामग्री, माप उपकरण, आदि भी पाया जिसके द्वारा सूचक को यह विश्वास करने का कारण था कि अभियुक्तगण डीजल में किरासन तेल मिलाकर अपमिश्रण की तैयारी कर रहे थे।

14. आगे मामला यह है कि उस क्रम के दौरान मेसर्स महावीर प्रसाद सरावगी के प्रतिनिधियों अर्थात् संजीव शर्मा, आलोक शर्मा एवं श्रीराम ने सूचक को पाँच लाख रुपयों का प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकार करने से याची ने इनकार किया। पाँच लाख रुपया जो कार में था बरामद किया गया था।

15. ऐसे अभिकथन पर पूर्वोक्तानुसार अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था।

16. आगे यह कथन किया जाए कि आई॰ ओ॰ ने मामले का अन्वेषण करने के बाद, याची से भिन्न अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। उस स्थिति में, याची प्राथमिकी अभिखंडित करवाने इस न्यायालय के समक्ष आया जिसमें इस न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया था कि नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, किंतु आई॰ ओ॰ ने अन्वेषण खुला रखा है, यद्यपि आरोप पत्र की दाखिली से ढाई वर्ष बीत गए हैं। उस स्थिति में, मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गयी थी। इस बीच, याची के विरुद्ध भी मेसर्स महावीर प्रसाद सरावगी का भागीदार होने के नाते आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

17. विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सिन्हा के अनुसार, मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसे सूचक द्वारा आरंभ में किया गया था जो याची के विरुद्ध दाखिल आरोप-पत्र से स्पष्ट है। उस स्थिति में, यह निवेदन किया गया था कि यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन कोई मामला बनाया भी गया है, याची को सूचक को घूस का प्रस्ताव देने के किसी अभिकथन की अनुपस्थिति में जिम्मेदार अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। किंतु, याची की ओर से निवेदन किया गया था कि किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि लोक अधिकारी द्वारा घूस स्वीकार न करने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध कभी पूरा नहीं होता है और तद्द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

18. भारतीय दंड संहिता की धाराओं 412/406 के अधीन अपराध और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध सहित अन्य अपराध आकृष्ट नहीं होने के संबंध में अन्य निवेदन भी वही है जिसे पहले ही किया गया है और यहाँ उपर दर्ज किया गया है।

19. अब प्रथम प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध बनता है या नहीं?

20. मैं सीधे तौर पर **आर॰ पी॰ मलिक बनाम दिल्ली की एन॰ सी॰ टी॰ का राज्य एवं अन्य, (2013)1 Bankmann 649** और **राज्य, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के माध्यम से (ऊपर)** में दिए गए निगरानी की ओर से निर्दिष्ट निर्णय को निर्दिष्ट करुँगा जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने पैराओं 1.11 एवं 15 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

1.11. vfèkfu;e dh èkkjk 17 lLi"V 'kCnk e dgrh g fd tk dkb Hkh èkkjk 7 vFkok 11 d vèkhu nMuh; dkb vijkèk n"çfjr djrk g] pkg og vijkèk ml n"çj.k d ifj.kkeLo#i fd;k x;k g ;k ugh] ml d vèkhu çkoèkkfur vofèk d fy, dkjkok l l nMuh; gkxkA bl çdkj] ;g Li"V g fd èkkjk 7 vFkok 11 d vèkhu nMuh; dkb vijkèk Lo; e lfHkUu vijkèk gA èkkjk 7 vFkok 11 d vèkhu nMuh; vijkèk] pkg bl oLrr% ykd lod }kjk fd;k x;k g ;k ugh] ifj.kkeghu gA fcYdy bl mDr dkj.k l vfèkfu;e dh èkkjk 19 viu dk;{k= l èkkjk 12 dk yki djrh gA U;k;ky; 0;k[;k dh çfØ;k }kjk èkkjk 19 e èkkjk 12 dk iBu ugh dj ldr g D;kfd ;g Lo; èkkjk 19 dk gh iu% fy[ku d rY; gk ldrk gA ;g lfuf'pr fofèk g fd tgk vLi"Vrk ugh g vkj foèkku eMy dk vk'k; Li"Vr% crk;k x;k g] U;k;ky; d ikl çkoèkkuk e dN , lh pht dk iBu dju dk dkb dk; dju dh xtkb'k ugh g ft l foèkkueMy u viuh cf)erk e lkp&le>dj yki fd;k gA ;fn U;k;ky; k }kjk , lk fd;k tkrk g] ;g lkfofèkd çkoèkkuk dk l'kkfèkr vFkok ifjofrr dju d rY; gk ldrk gA

*15. vud ekeyk e] ;g dFku fd;k x;k g fd tgk Hkk"kk Li"V g] foèkkueMy dk vk'k; ç;Dr Hkk"kk l ,df=r fd;k tkuk gA tc çkoèkku dh Hkk"kk lknh g] foèkku dk foLrkj vFkok foèkkueMy dk vk'k; c<kuk U;k;ky; dk dr0; ugh gA U;k;ky; bl dkj.k l foèkku dk iuy[ku ugh dj ldrk g fd D;kfd bldk foèkku cuku dh 'kfDr ugh gA U;k;ky; lfofèk e 'kCn ugh tkM ldrk g vFkok ble mu 'kCnk dk iBu ugh dj ldrk g tk ogk ugh gA U;k;ky; bl èkkj.kk ij fd foèkkueMy }kjk ç;Dr 'kCnk e =fV vFkok yki g] eku yh x;h =fV dk lèkkj ugh ldrk g vFkok ijk ugh dj ldrk g tc 'kCn Li"V ,o vlfnXèk gA U;k;ky;k dk bl è;ku e j[kdj fu.k; djuk gkxk fd fofèk D;k g vkj u fd bl D;k gkuk pkfg,A U;k;ky; , lk vFkkUo;u viukr g tk foèkkueMy dk Li"V vk'k; ijk djxk fdr foèkk;h fu.k; dk 'kU; ugh dj ldr g D;kfd , lk jkLrk loèkkfud lketL; d çfr foèol dkjh gkxkA***

21. शरद कुमार (ऊपर) मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समरुप दृष्टिकोण अपनाया गया है। ऐसा दृष्टिकोण लेते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 116 के उदाहरण (a) का मदद लिया है और निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

^^ijk (4) Rofjr fun'k d fy,] jktkjke ekey (Åij) e fu.k;] ftldh 'k) rk fookfnr g] l fuEufyf[kr m) j.k m) r fd;k tk ldrk g%

"7. Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 116 dkjkok l l nMuh; vijkèk d n"çj.k l lcfèkr gA lfgrk dh èkkjk 116 uhp m) r dh tkrh g&èkkjk dk mnkgj.k (a) uhp

m)r fd;k tkrk gA [k dk] tk ,d ykd lod g] [k d inh; ÑR;k d i;kx e d viu ifr dN vuxg fn[kku d fy, buke d :i e fj'or dh iLFkkiuk djrk gA [k m l fj'or dk ifrxgh r dju l bUdkj dj nrk gA d b l èkkjk d vèkhu n.Muh; gA ^^bl çdkj ;g Li"V g fd viu inh; dk; d fuogu e dN Ñik n'kku d fy, ijLdkj d :i e ykd lod dk ?kl fn;k tkrk gA ykd lod d ?kl yu l budkj ij ?kl nu okyk 0;fDr bl èkkjk d vèkhu nMuh; gA lfgrk dh èkkjk 165A dh vkj vfèkfu;e dh èkkjk 12 dh Hkk"kk rn:i çÑfr dh gA pfd vfèkfu;e e n"çj.k dh ifjHkk"kk ugh nh x;h g] vr%] lfgrk dh èkkjk 116 d mnkgj.k (a) d çkoèkkuk ij fopkj djr g, ;g LFkkfir fd;k x;k g fd ?kl nu okyk 0;fDr] ftl yu l ykd lod }kjk budkj fd;k x;k g] Hkh vijkèk n"çfjr dju dk nk"kh g vkj vfèkfu;e dh èkkjk 12 d vèkhu nfMr fd, tku dk nk;h gA bl çdkj] ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e] vfHk;ktu u LFkkfir fd;k g fd vihykFkh u ykd lod dk ?kl nu dk çLrko fn;k gA vr%] vihykFkh d rdk e cy ugh g fd vfèkfu;e dh èkkjk 12 d vèkhu nk"kfl) ik"k.kh; ugh gA

8. vfHky[k ij ekStn lk{; dk ifj'khyu dju ij] fopkj.k U;k;ky; ,o vihyh; U;k;ky; }kjk leorh fu"d"k nt fd;k x;k g fd vihykFkh u ykd lod dk ?kl dk çLrko fn;k FkkA bl çdkj] lfgrk dh èkkjk 116 d mnkgj.k (a) ij fopkj djr g,] vihykFkh d fo#) vfèkfu;e dh èkkjk 12 d vèkhu vijkèk fl) fd;k x;k gA vfèkfu;e dh èkkjk 12 d vèkhu vkjki fojfpr dju e fopkj.k U;k;ky; }kjk ncyrk ugh dh x;h gA vihykFkh dk lgh çdkj l vfèkfu;e dh èkkjk 12 d vèkhu nfMr fd;k x;k gA vihy e x.kkx.k ugh g vkj [kkfjt fd;k tkrk gA**

22. पूर्वोक्त स्थिति में, कोई अन्य दृष्टिकोण नहीं हो सकता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध आकृष्ट होता है भले ही किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रस्ताव लोकसेवक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

23. अब अगला प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या इस याची के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध गठित करने के लिए आवश्यक अवयव हैं?

24. यह पहले ही कथन किया गया है कि मेसर्स महावीर प्रसाद सरावगी जिसके भागीदारों में से एक याची है के परिसर पर छापा मारा गया था। उस तलाशी के दौरान, तीन व्यक्तियों अर्थात् संजीव शर्मा, आलोक शर्मा एवं श्री राम ने सूचक को 5 लाख रुपया घूस देने का प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकार करने से सूचक ने इनकार किया और तब धन उस कार से बरामद किया गया था जो वहाँ पर थी।

25. यह मामला कभी नहीं है कि यह याची भी सदस्य था जिसने उक्त नामित तीन व्यक्तियों के साथ सूचक को प्रस्ताव दिया था और न ही कोई अभिकथन प्रतीत होता है कि याची ने फर्म का भागीदार होने के नाते सूचक को घूस का प्रस्ताव देने में उन तीन व्यक्तियों को दुष्प्रेरित किया।

26. ऐसी स्थिति में, भारतीय दंड संहिता की धारा 116 के उदाहरण (a) को दृष्टि में रखते हुए, याची को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध दुष्प्रेरित करता हुआ नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, आवश्यक अवयवों की अनुपस्थिति में इस याची के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध कभी नहीं आकृष्ट होता है।

27. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन अन्य अपराधों का संबंध है, आवश्यक अवयव मौजूद नहीं हैं और तद्द्वारा इस याची के विरुद्ध वे अपराध नहीं बनते हैं।

28. इसी प्रकार से, बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1883 की धारा 29 के अधीन अपराध आवश्यक अवयवों की कमी होने के नाते आकृष्ट कभी नहीं होता है।

29. इसी समय पर, किरासन तेल के थोक डीलर के परिसर में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तलाशी एवं जब्ती नहीं किए जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध भी आकृष्ट नहीं होता है।

30. यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि पूर्वोक्त अपराधों की कारिता के लिए इस याची के विरुद्ध आरोप पत्र इस आधार पर दाखिल किया गया है कि याची मेसर्स महावीर प्रसाद सरावगी के सक्रिय भागीदारों में से एक था, किंतु वह अभिकथित अपराध की कारिता में निभायी गयी किसी भूमिका की अनुपस्थिति में अभियुक्त के रूप में फर्म के भागीदार अथवा कंपनी के निदेशक को पक्षकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

31. याची को प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के आधार पर आलिप्त किया गया है किंतु भारतीय दंड संहिता कुछ प्रावधानों, विशेषत: उसके परन्तुक, के सिवाए पक्षकार, जिसे प्रत्यक्ष रूप से अपराध की कारिता के लिए आरोपित नहीं किया गया है, की ओर से प्रतिनिधिक रूप से दायी होने के कारण अभियोजन अनुध्यात नहीं करती है।

32. एस॰ के॰ अलघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2008)5 SCC 662; के मामले में तथा **अनीता होदा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एन्ड टूर्स प्रा॰ लि॰, (2012)5 SCC 661** के मामले में और हाल में **जी॰ एच॰ सी॰ एल॰ कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट बनाम इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड, (2013)4 SCC 505** में यही प्रतिपादना अधिकथित की गयी है।

33. आगे, यह दर्ज करना उपयुक्त होगा कि चूँकि कुछ सामग्री जब्त की गयी थी, सूचक के पास विश्वास करने का कारण था कि डीजल में अपमिश्रण करने की दृष्टि से किरासन तेल का टैंकर वहाँ था, किंतु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख पर कुछ भी नहीं प्रतीत होता है कि वस्तुत: अपमिश्रण किया गया था, बल्कि दूसरी ओर, इस मामले के सूचक की प्रेरणा पर दाखिल किया गया रिपोर्ट अन्यथा दर्शाता है किंतु चूँकि अभियोजन इस मामले के साथ आगे नहीं आया है, मुझे इस संबंध में निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

34. इस प्रकार, उक्त कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों में याची सुरेन्द्र कुमार सरावगी के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र सहित मुफ्फसिल पी॰ एस॰ केस सं॰ 25 वर्ष 2013 (विशेष केस सं॰ 1 वर्ष 2013 के तत्सम) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

35. परिणामस्वरुप, जहाँ तक याची सुरेन्द्र कुमार सरावगी का संबंध है, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

36. परिणामस्वरुप, आई॰ ए॰ सं॰ 62 वर्ष 2016 भी निपटाया जाता है।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

संतोष कुमार एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

W.P. (Cr.) No. 292 of 2015. Decided on 6th April, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 120B—विस्फोटक अधिनियम, 1884—धारा 9 (B) (b)—विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908—धारा 5—विस्फोटक की जब्ती–संज्ञान–अन्वेषण के आरंभिक चरण पर यदि मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने की ओर ले जाता है कि यह उपधारित करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तब न्यायालय यह नहीं कह सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है–अभियुक्त के दोष की उपधारणा जिसे आरंभिक चरण पर किया जाना है केवल प्रथम दृष्टया मामला विनिश्चित करने के प्रयोजन से है कि क्या न्यायालय को विचारण हेतु अग्रसर होना चाहिए या नहीं–अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपराध का संज्ञान लिया है–रिट आवेदन खारिज।

(पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(2013)10 SCC 581—Relied; 2013 (2) JBCJ 234 (HC)—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Gautam Kumar, For the Petitioners; Mr. Bhawesh Kumar, For the State.

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए तीनों याचीगण ने जरीडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 50 वर्ष 2013 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, बेरमो, तेनूघाट द्वारा पारित दिनांक 28.4.2015 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B और विस्फोटक अधिनियम, की धारा 9 (B) (b) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है, सहित याचीगण के विरुद्ध लंबित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

2. प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों के अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए प्राथमिकी जो जरीडीह पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के स्व बयान पर आधारित है का प्रासंगिक भाग संक्षेप में यह है कि कुछ गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस दल रामगढ़–बोकारो रोड के लाइन होटल के निकट पहुँचा और उक्त होटल के निकट एक विस्फोटक लदा वैन पार्क किया गया पाया किंतु पुलिस दल को देखकर चालक वहाँ से भाग गया किंतु एक महिला किरण देवी एवं किसी अमर मुंडा को उक्त वैन के केबिन में बैठा पाया गया था। पूछने पर, उन्होंने चालक का नाम रमेश महतो बताया जो पुलिस दल देखने के बाद भाग गया था और वैन को विस्फोटक सामग्रियों की भारी मात्रा से लदा पाया गया था जिसका विवरण प्राथमिकी में दिया गया है। किसी प्रकार चालक को पकड़ा गया था और पूछने पर उसने बताया कि कोई विजय कुमार विस्फोटक लदा वैन का स्वामी है और, तत्पश्चात, चालक एवं स्वामी को प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और समस्त दस्तावेजों की अभिग्रहण सूची जरीडीह प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी की उपस्थिति में अभिग्रहण सूची भी तैयार की गयी थी। रजिस्ट्रेशन सं॰ JH01-AA-4001 वाले विस्फोटक लदे वैन के स्वामी विजय कुमार, मेसर्स हीरालाल एजेंसी प्रा॰ लि॰ के स्वत्वधारी मेसर्स, वर्मा ट्रांसपोर्ट, पाकुड़ के स्वामी एवं मेसर्स थल्लारु कंस्ट्रक्शन, पाकुड़ के स्वामी को अभियुक्त

बनाया गया था क्योंकि उनसे संबंधित कतिपय दस्तावेज पकड़े गए चालक रमेश महतो द्वारा प्रस्तुत किए गए थे किंतु जाँच के बाद भी कोई प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3. पुलिस ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अन्वेषण लंबित रखते हुए अन्वेषण के बाद दिनांक 14.6.2013 को रमेश महतो, अमर मुंडा एवं किरण देवी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 (B)(b) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था। बाद में दिनांक 31.3.2015 को पुलिस ने मेसर्स वर्मा ट्रांसपोर्ट के स्वामी, मेसर्स थल्लारु कंस्ट्रक्शन के स्वामी, मेसर्स हीरालाल एजेंसी प्रा॰ लि॰ के स्वत्वधारी संतोष कुमार, विस्फोटक लदे वैन के स्वामी अर्थात् विजय कुमार एवं किसी वासुदेव महतो के विरुद्ध उन्हीं धाराओं जिनमें पूर्व आरोप पत्र दाखिल किया गया था के अधीन पूरक आरोप पत्र दाखिल किया और न्यायालय ने दिनांक 28.4.2015 के आदेश के तहत संज्ञान का पूर्व आदेश स्वीकार करते हुए याचीगण सहित पूरक आरोप पत्र के अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रसर हुआ। संज्ञान लेने वाले आदेश और दांडिक कार्यवाही जारी रखने से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

4. याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम कुमार ने दांडिक कार्यवाही जारी रखने एवं संज्ञान लेने वाले आदेश का विधि में दोषपूर्ण एवं विकृत के रूप में विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय संज्ञान लेने वाले पूर्व आदेश के अनुकूल संज्ञान लेने का आदेश पारित करते हुए अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करने में विफल रहा और कोई तर्कपूर्ण कारण दिए बिना यंत्रवत मामले में अग्रसर हुआ। यह निवेदन भी किया गया है कि यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि न्यायालय को न्यायिक स्वविवेक का प्रयोग करते हुए अपने समक्ष तथ्यों एवं सामग्री के प्रति अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया कि विस्फोट प्रेरक एवं विस्फोटक पदार्थ के मूल चालान सहित समस्त प्रासंगिक दस्तावेज अन्वेषण अधिकारी एवं मामले के सूचक के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे किंतु उन दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना यह झूठा एवं मनगढ़ंत मामला दर्ज किया गया है यद्यपि विस्फोटक प्रेरक सद्भावपूर्ण रूप से मेसर्स हीरालाल एजेंसी प्रा॰ लि॰ के वैध लाइसेंस के साथ खरीदे गए थे जिसके स्वामी याची सं॰ 1 एवं 2 हैं। यह निवेदन भी किया गया था कि विस्फोटक पदार्थ एवं विस्फोट प्रेरक अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स वर्मा ट्रांसपोर्ट एवं मेसर्स थल्लारु कंस्ट्रक्शन उप-ठेकेदार को भेजे गए थे जो प्राधिकृत रूप से लादा गया था तथा विस्फोटकों एवं डेटोनेटरों दोनों को भिन्न भिनन विस्फोटक वैन में लादा गया था किंतु चूँकि विस्फोटक पदार्थ से लदे वैन का बड़ा ब्रेक डाउन हो गया था, उन विस्फोटक पदार्थों को बाद में वर्तमान वैन में स्थानांतरित किया गया था, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया था और दांडिक षड्यंत्र के अपराध जैसा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B के अधीन अभिकथित किया गया है, को गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयवों में से कोई भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। दांडिक विविध याचिका सं॰ 2532 वर्ष 2013 में दिनांक 26.2.2013 को पारित अप्रकाशित निर्णय एवं **कमल शेख एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य, 2013 (2) JBCJ 234 (HC)** में पारित निर्णय पर भी विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विस्फोट प्रेरक ''विस्फोटक पदार्थ'' की कोटि के अंतर्गत नहीं आएगा बल्कि यह केवल ''विस्फोटक'' होगा और विस्फोट प्रेरक स्वयं विस्फोट कारित कभी नहीं करता है बल्कि यह विस्फोटक पदार्थ को ट्रिगर करने के लिए प्रयुक्त यंत्र है और यंत्र को विस्फोटक की कोटि में रखा गया है जैसा विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 (d) में परिभाषित किया गया है।

5. पूर्वोक्त निवेदनों के विरुद्ध, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध अभिकथनों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपराध का संज्ञान लिया और इस आरंभिक चरण पर सुनिश्चित विधि की दृष्टि में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन पर विचार करने के पहले **विनोद रघुवंशी बाम अजय अरोड़ा एवं अन्य, 2013 (10) SCC 581,** मामले को निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफों 30 एवं 31 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"30. ;g lfuf'pr fofèkd çfriknuk g fd nkfMd dk;okgh d vfHk[kMu d ekey ij fopkj djr g, U;k;ky; dk ^^enk ink f'k'k** dh gR;k ugh djuh pkfg, vkj lefpr vfHk;ktu dk xyk ugh ?kkVk tkuk pkfg, tc rd ,lk dju d vfuok; dkj.k ugh gA vUo"k.k dk vkjHk e gh cn ugh dj nuk pkfg, ;fn vfHkdFkuk e dN lkj gA vkjfHkd pj.k ij vfHk;ktu dc vfHk[kfMr fd;k tkuk g] bld fy, U;k;ky; }kjk ykx dh tku okyh ijh{kk ;g g fd D;k fd, x, v[kfMr vfHkdFku çFke n"V;k vijkèk LFkkfir djr gA bl pj.k ij U;k;ky; u rk dkb tkp 'k# dj ldrk g fd D;k ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dk lk{; ndj LFkkfir fd, tku dh lHkkouk g vkj u gh U;k;ky; dk mle fd, x, vfHkdFkuk dh vfèklHkkO;rk] fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk dk fu.kh;r djuk pkfg,A [kkl dj] nkf[ky fd, x, vkjki i= vFkok fojfpr vkjki dk vkjfHkd pj.k ij ifjofrr@l'kkfèkr fd;k tk ldrk g vFkok nO çO lO dh èkkjk 216 d çkoèkkuk dh nf"V e lk{; fn, tku d ckn vkjki i'pkrorh pj.k ij tkMk tk ldrk gA vr%] mPp U;k;ky; vFkok bl U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k ml vkn'k d vè;èkhu g ftl fopkj.k U;k;ky; }kjk ckn d pj.k ij ikfjr fd;k tk,xkA***
>
> *31. mDr dh nf"V e] ge vk{kfir ifjokn vFkok vk{kfir oreku vkn'k e gLr{ki dju dk dkb rdi.k dkj.k ugh n[kr gA vihy fdlh x.kkx.k l jfgr g vkj rnulkj [kkfjt dh tkrh gA***

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार में इस न्यायालय को भी संज्ञान लेने वाले आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की छूट नहीं है और सामान्यत: उच्च न्यायालय जाँच शुरू नहीं करेगा कि क्या प्रश्नगत साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं। नि:संदेह, न्यायिक प्रक्रिया दमन अथवा अनावश्यक परेशानी का उपकरण नहीं बनाया जाना चाहिए और न्यायालय को अधिकारिता का प्रयोग करने में चौकस एवं न्यायोचित होना चाहिए किंतु यह भी समान रूप से सत्य है कि दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के मामले पर विचार करते हुए न्यायालय को ''मुर्दा पैदा शिशु की हत्या'' नहीं करनी चाहिए। इस चरण पर, न्यायालय को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान संग्रहित अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य देखना होगा और न्यायालय का रिट आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्टों से याचीगण के बचाव की बारीकियों के साथ सरोकार भी नहीं है बल्कि न्यायालय का सरोकार मुख्यत: संपूर्ण रूप से लिए गए अभिकथन के साथ है कि क्या वे अपराध गठित करते हैं या नहीं और इस तथ्य के साथ हैं कि क्या दांडिक कार्यवाही जारी रखना अन्याय की ओर ले जाने वाली न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तुल्य है। संज्ञान लेने वाले, आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय ने आरोप पत्र एवं अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य पर विचार किया है। तब भी मैंने प्राथमिकी के साथ संलग्न अभिग्रहण सूची का परीक्षण किया है और पाता हूँ कि विस्फोटकों के 200 से अधिक पैकेटों (STAR

GEL, STAR PRIME, ORICA EXCEL NON-ELECTRIC DETONATORS) को जब्त किया गया है और यह स्पष्टत: सिद्ध करता है कि विस्फोटक एवं विस्फोटक पदार्थ जो विस्फोट प्रेरक सम्मिलित करते हैं को सूचक द्वारा जब्त किया गया था। शब्द ''विस्फोटक पदार्थ'' जैसा धारा 2 (a) के अधीन परिभाषित किया गया है, विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली किसी सामग्री, किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ अथवा इसमें कोई विस्फोट कारित करने के लिए अथवा कारित करने में मदद देने के लिए प्रयुक्त अथवा जारी अथवा अनुकूल बनाए जाने के लिए आशयित कोई उपकरण, मशीन, यंत्र अथवा सामग्री सम्मिलित करता है। इसी प्रकार से, धारा 2 (b) "विशेष कोटि के विस्फोटक पदार्थ'' रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव (आर॰ डी॰ एक्स॰) पेन्टा एरिथ्रिटोल, टेट्रा नाइट्रेट (पी॰ इ॰ एन॰), टी॰ एन॰ टी॰, लो टेंपरेचर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव (एल॰ टी॰ पी॰ ई॰), कंपोजिशन एक्सप्लोडिंग, ट्राइ नाइट्रो टॉलूइन एवं विस्फोटकों के अन्य समरुप प्रकार एवं उनका मिश्रण और विस्फोट कारित करने वाला रिमोट कंट्रोल यंत्र, और कोई अन्य पदार्थ अथवा उसका मिश्रण सम्मिलित करता है।

8. प्रकटत:, पुलिस द्वारा विस्फोटक की विशाल मात्रा जब्त की गयी थी और अन्वेषण के आरंभिक चरण पर यदि मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने की ओर ले जाता है कि यह उपधारित करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तब न्यायालय को यह कहने की छूट नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त के दोष की उपधारणा जिसे आरंभिक चरण पर निकाला जाना है, केवल प्रथम दृष्टया मामला विनिश्चित करने के प्रयोजन से है कि क्या न्यायालय को विचारण हेतु अग्रसर होना चाहिए या नहीं। अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में चर्चा के बाद सही प्रकार से अपराध का संज्ञान लिया है। यह सुनिश्चित है कि साक्ष्यों को उसी तरह से तौला नहीं जाना है और अधिमूल्यन नहीं किया जाना है जैसा विचारण में किया जाता है। अत:, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं देखता हूँ।

9. तद्नुसार, रिट आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

उदय नारायण मिश्रा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 4947 of 2015. Decided on 11th February, 2016.

बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987—नियम 3 (5) (e)—जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के पद से हटाया जाना–सेवा से हटाने के लिए कोई कार्रवाई करने के पहले जाँच करनी होगी–याची को राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, राँची जिसे अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के विरुद्ध कोई जाँच करने की शक्ति नहीं है, की अनुशंसा पर सेवा से हटाया गया है–झारखंड राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा पूर्णत: अधिकारितविहीन है–आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में अविद्यमान होने के नाते अपास्त किए जाने का दायी है। (पैराएँ 6, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(1987)3 SCC 34—Applied; 2012 (1) JLJR 70—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon, Navin Kumar Singh, For the Petitioner; J.C. to G.P. III, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.—वर्तमान रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ जिला उपभोक्ता फोरम, पलामू के अध्यक्ष के पद से हटाए जाने से संबंधित दिनांक 21.9.2015 के आदेश को अभिखंडित/अपास्त करने के लिए और जिला उपभोक्ता फोरम, पलामू के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति से संबंधित दिनांक 21.9.2015 के विज्ञापन को अभिखंडित करने के लिए और पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ याची को पुनर्बहाल करने का प्रत्यर्थियों को निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है।

2. रिट आवेदन में वर्णित ताथ्यिक मैट्रिक्स संक्षेप में यह है कि याची अध्यक्ष, श्रम न्यायालय, बोकारो का पद धारण करते हुए झारखंड राज्य के उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। जिला उपभोक्ता फोरम, पलामू के अध्यक्ष के पद के लिए जारी विज्ञापन के अनुसरण में उसे चुना गया था और दिनांक 24.7.2012 की अधिसूचना के तहत उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 24.7.2012 की उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, याची ने दिनांक 31.7.2012 को जिला उपभोक्ता फोरम, पलामू के अध्यक्ष के रूप में पदग्रहण किया और उक्त पद का प्रभार लिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के पद की सेवा शर्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 सहपठित बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विरचित किया गया है, में प्रतिष्ठापित प्रावधानों द्वारा शासित होता है। उक्त नियमावली झारखंड राज्य द्वारा अपनायी गयी है।

3. ताथ्यिक पहलूओं का उल्लेख करने के पहले नियमावली, 1987 के नियम 3 के उपनियम (5) को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा जिसका पठन निम्नलिखित है:—

"3(5) èkkjk 10 (2) d çkoèkkuk d vfrfjDr] jkT; ljdkj ftyk Qkje d vè;{k ,o lnL; dk in lgVk ldrh gftl%&

(a) fnokfy;k d :i e fu.khr fd;k x;k g] vFkok

(b) vijkèk d fy, nk"kfl) fd;k x;k g tk jkT; ljdkj d er e ufrd vèkerk vrxLr djrk g] vFkok

(c) ,l lnL; d :i e 'kkjhfjd vFkok ekufld :i l dkjokbZ dju d v;kX; cu x;k g] vFkok

(d) ,lk foÙkh; vFkok vU; fgr vftr fd;k g ftldh lnL; d :i e mld dk;k dk çfrdy :i l çHkkfor dju dh lHkkouk g] vFkok

(e) viu in dk bruk n#i;kx fd;k g tk in ij mldk cu jguk ykdfgr d çfr çfrdy cuk nrk g%

*ijUr ;g fd jkT; ljdkj }kjk ,lh çfØ;k ftl ;g bl fufeÙk fofufn"V dj ldrh g d vu#i dh x;h tkp d flok, vkj ,l vkèkkj ij lnL; d nk"kh iku ij mièkkjk (5) d [kMk (d) ,o (e) e fofufn"V vkèkkj ij vè;{k vFkok lnL; viu in l ugh gVk;k tk,xkA***

4. रिट आवेदन में अभिकथित किया गया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा षड्यंत्र रचे जाने के कारण, प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा दिनांक 31.7.2015 के पत्र के तहत याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस पाने के बाद याची ने उसमें अन्य बातों के साथ परिवादों की प्रति की आपूर्ति के लिए कथन करते हुए अपना उत्तर दाखिल किया और याची ने कारण बताओ के उत्तर में अपने विरुद्ध

किए गए अभिकथनों से इनकार किया। किंतु आश्चर्यजनक रूप से याची को दिनांक 21.9.2015 के आदेश द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, पलामू के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है जिसे इस रिट आवेदन में आक्षेपित किया गया है। उक्त पद से याची को हटाए जाने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम, पलामू के अध्यक्ष के पद के लिए दिनांक 21.9.2015 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

सेवा से हटाए जाने के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, याची कोई वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचार नहीं होने पर अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेकर इस न्यायालय के पास आया है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन ने जोरदार निवेदन किया कि वर्तमान मामले में राज्य सरकार द्वारा जाँच से संबंधित नियम 3 (5) (e) का अनुसरण नहीं किया गया है। पूर्वोक्त प्रावधानों के संयुक्त पठन पर, किसी अस्पष्टता अथवा संदेह अथवा चर्चा की गुंजाइश नहीं है कि सेवा से हटाने के लिए कोई कार्रवाई करने के पहले जाँच करनी होगी। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जाँच करना और दोषी पाना किसी बुरे अथवा सिविल परिणामों के लिए अनिवार्य है। वर्तमान मामले में, कोरे कारण बताओ नोटिस के अतिरिक्त, अभिकथनों की सत्यता अभिनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई उल्लेखनीय जाँच नहीं की गयी है। अतः, उक्त प्रावधानों का अननुपालन है जिसने हटाए जाने के आक्षेपित आदेश को विधि की दृष्टि में असंपोषणीय बना दिया है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची को राज्यपाल के आदेश द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, पलामू के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था किंतु सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश पूर्वोक्त प्रावधानों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **(1987)3 SCC 34 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम कृपालु शंकर एवं अन्य)** (पैरा 14 एवं 15) में प्रकाशित निर्णयों को निर्दिष्ट किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार आग्रह किया कि हटाने का आदेश जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट–7 से स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश राज्य सरकार के सचिव द्वारा पारित किया गया है, किंतु इसे राज्यपाल द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची का मामला **डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5659 एवं 5730 वर्ष 2011, मीना कुमारी एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** 2012 (1) JLJR 70, में पारित इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित है।

7. इस न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कि क्या उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष की कोई रिक्ति है, याची के विद्वान अधिवक्ता अनुदेश पर निवेदन करते हैं कि उनकी विश्वसनीय सूचना के अनुसार लगभग आठ रिक्तियाँ हैं जिन्हें स्थानापन्न आधार पर भरा जाना है।

8. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में, अन्य बातों के साथ निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमिटी ने याची द्वारा दाखिल कारण बताओ के उत्तर का परिशीलन करने के बाद उसको कार्य संचालन की झारखंड नियमावली के मुताबिक सेवा से हटाया गया था। आगे प्रतिशपथ पत्र में यह निवेदन किया गया है कि समुचित कारण बताओ नोटिस देने और याची द्वारा दाखिल उत्तर का परिशीलन करने

के बाद याची को सेवा से हटाया गया है, झारखंड राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, राँची के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सशक्त कमिटी ने याची को हटाने की अनुशंसा की और तद्नुसार, प्रक्रिया के मुताबिक उसे उक्त पद से हटाया गया है। इस संबंध में, दिनांक 31.7.2015 का कारण बताओ नोटिस प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के रूप में संलग्न किया गया है।

9. जी॰ पी॰ III के विद्वान जे॰ सी॰ ने कर्मठतापूर्वक आग्रह किया कि सेवा से हटाया जाना विधि के अनुरुप है और आक्षेपित आदेश में दुर्बलता अथवा अवैधता बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसके द्वारा किए गए कृत्य एवं लोप के लिए याची के विरुद्ध अनेक अभिकथन किए गए हैं। अत:, अभिकथनों को विचार में लेते हुए दिनांक 21.9.2015 के आक्षेपित आदेश के तहत दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो वैध एवं न्यायोचित है।

10. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने पर और रिट आवेदन, प्रतिशपथ पत्र एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची निम्नलिखित आधारों पर हस्तक्षेप का मामला बनाने में सक्षम रहा है:

(I) स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में, जैसा प्रतिशपथ पत्र से प्रकट होता है, याची को राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, राँची की अनुशंसा पर सेवा से हटाया गया है जिसे जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के विरुद्ध जाँच करने की अधिनियम अथवा नियमावली में शक्ति नहीं है और झारखंड राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा पूर्णत: अधिकारिताहीन है। जहाँ तक नियम 3 (5) (e) का संबंध है, यह कहता है कि अध्यक्ष अथवा सदस्य, यदि लोकहित के प्रतिकूल अपने पद का दुरुपयोग करता है, तब सम्यक जाँच के बाद अध्यक्ष अथवा सदस्य की सेवा रद्द की जा सकती है किंतु सेवा से हटाने के लिए कोई कार्रवाई करने के पहले जाँच करनी होगी, अत:, दिनांक 21.9.2015 का आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–7 के अधीन) अधिकारिताहीन है और बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 3 (5) (e) के विरोध में है। अत:, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में अविद्यमान होने के कारण अपास्त किए जाने का दायी है। इसके अतिरिक्त, याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि उसका मामला पूर्वोक्त निर्णय से पूर्णत: आच्छादित है, मैं उनके प्रतिवाद में काफी बल पाता हूँ और उनका मामला पूर्वोक्त निर्णय द्वारा पूर्णत: आच्छादित है।

(II) याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया दूसरा प्रतिवाद कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किए जाने के कारण न्यायिक संवीक्षण का दायी है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम कृपालु शंकर एवं अन्य (ऊपर)** में अभिनिर्धारित किया गया है।

11. पूर्वोक्त पैराग्राफों में, कथित कारणों की दृष्टि में परिशिष्ट–7 के तहत सेवा से हटाए जाने का दिनांक 21.9.2015 का आदेश अभिखंडित किया जाता है और प्रत्यर्थियों को जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के पद की उपलब्ध रिक्तियों में याची को समस्त पारिणामिक लाभों के साथ तुरन्त पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। किंतु, यदि आवश्यक हो, विभाग को याची को अवसर देने के बाद विधि के अनुरुप नया जाँच करने की छूट है।

12. तद्नुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।